भारत के
नियंत्रक-महालेखापरीक्षक
का

31 मार्च, 1998 को समाप्त हुए वर्ष के लिये

प्रतिवेदन

संख्या-2
(वाणिज्यिक)

उत्तर प्रदेश सरकार

विषय सूची

अध्याय/ परिशिष्ट	विवरण	सन्दर्भ अनुच्छेद	पृष्ठ संख्या
	प्राक्कथन		v-vi
	विहंगावलोकन		ix-xvii
अध्याय–I	सरकारी कम्पनियों एवं सांविधिक निगमों का सामान्य अवलोकन		3–51
अध्याय– II	सरकारी कम्पनी से सम्बन्धित समीक्षा	2	53
	उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम लिमिटेड		
	समाज के दुर्बल वर्गों के सामाजिक-आर्थिक स्तर का उत्थान		57–83
अध्याय– III	सांविधिक निगमों से सम्बन्धित समीक्षायें	3	85
	उत्तर प्रदेश वित्तीय निगम		
	उत्तर प्रदेश वित्तीय निगम का कार्यकलाप	3अ	89–130
	उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद		
	छिब्रो तथा खोदरी जल विद्युत परियोजना का कार्यकलाप	3ब	131–151
	वितरण क्षेत्र, लखनऊ का कार्यकलाप	3स	153–185
	वितरण पक्ष में सामग्रियों का प्रबन्धन	3द	187–214
अध्याय– IV	विविध रोचक विषय	4	215
	सरकारी कम्पनियाँ	4अ	217–239
	अन्य सांविधिक निगम	4ब	241–256
	उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद	4स	257–315
	ऊर्जा क्रय अनुबन्ध	4द	317–323

अध्याय/ परिशिष्ट	विवरण	सन्दर्भ अनुच्छेद	पृष्ठ संख्या
परिशिष्ट–1	अद्यतन पूँजी, बजट बहिर्गमन, बजट से दिये गये ऋण एवं बकाया ऋणों को दर्शाती हुई विवरणी		327–346
परिशिष्ट–2	सरकारी कम्पनियों जिनके लेखाओं को अन्तिम रूप दे दिया गया है, के नवीनतम वर्ष के वित्तीय परिणामों को दर्शाती हुई विवरणी		347–363
परिशिष्ट–3	कम्पनियों के नाम, अन्तिम रूप दिये गये लेखाओं के वर्ष तथा वर्षों में लेखा बकायों को दर्शाती हुई विवरणी		365–372
परिशिष्ट–3अ	परिसमापनाधीन सरकारी कम्पनियों के नवीनतम वर्ष के वित्तीय परिणाम, जिनके लेखों को अन्तिम रूप दे दिया गया था, को दर्शाती हुई विवरणी		373–375
परिशिष्ट–3ब	प्राप्त एवं बकाया उपदानों एवं प्रत्याभूतियों को दर्शाती हुई विवरणी		377–383
परिशिष्ट–4	क्षमता उपयोजन दर्शाने वाली विवरणी		385–386
परिशिष्ट–5	सांविधिक निगमों के नवीनतम वर्ष के संक्षिप्त वित्तीय परिणामों जिनके लेखाओं को अन्तिम रूप दिया जा चुका है, को दर्शाने वाली विवरणी		387
परिशिष्ट–6	1996-97 तक के दो वर्षों में 10 जिलों में, वितरित नहीं की गई निधियों को दर्शाती हुई विवरणी		389
परिशिष्ट–7	1997-98 तक के छः वर्षों की अवधि में एस ई पी के लक्ष्यों एवं उपलब्धियों (भौतिक एवं वित्तीय) को दर्शाती हुई विवरणी		391
परिशिष्ट–8	भारत सरकार द्वारा 1997-98 तक के छः वर्षों में अलाभकारी के रूप में चिन्हित किये गये सेक्टरों को दर्शाती हुई विवरणी		393
परिशिष्ट–9	मार्च 1998 तक बैंकों में पड़ी हुई अवितरित राशि को दर्शाती हुई विवरणी		395

अध्याय/ परिशिष्ट	विवरण	सन्दर्भ अनुच्छेद	पृष्ठ संख्या
परिशिष्ट–9अ	निधि का दुरूपयोग अथवा उपयोग न करने की विवरणी		397–398
परिशिष्ट–10	मार्च 1998 तक एन एस एफ डी सी को वसूली से अधिक हुए भुगतान की स्थिति को दर्शाने वाली विवरणी		399–400
परिशिष्ट–11	मार्च 1994 से मई 1998 तक की अवधि में हुए अल्प/कम भारण को दर्शाती हुई विवरणी		401–406
परिशिष्ट–12	मीटरों को दोषपूर्ण घोषित न करने/देर से करने से हुये कम भारण को दर्शाती हुई विवरणी		407–408
परिशिष्ट–13	मार्च 1998 तक के श्रेणीवार ऊर्जा-प्रभार अवशेषों को दर्शाती हुई विवरणी		**409**

प्राक्कथन

यह प्रतिवेदन सरकारी कम्पनियों और उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद सहित सांविधिक निगमों के क्रियाकलापों को प्रस्तुत करता है। प्रतिवेदन समय-समय पर यथा संशोधित नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (कर्तव्य, अधिकार एवं सेवा शर्तें) अधिनियम, 1971 की धारा 19अ के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश शासन को प्रस्तुत करने हेतु तैयार किया गया है।

पूर्ण स्वामित्व वाली सरकारी कम्पनियों के लेखाओं की लेखा-परीक्षा, कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619(4) के अन्तर्गत भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा सम्पन्न की जाती है। कुछ ऐसी कम्पनियाँ हैं जिनमें सरकार और सरकारी कम्पनियाँ/निगम सम्मिलित रूप से 51 प्रतिशत अंश पूँजी धारण करते हैं, जिनकी लेखा परीक्षा भी कम्पनी अधिनियम की धारा 619 बी के अन्तर्गत भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा की जाती है।

तथापि, कुछ कम्पनियाँ ऐसी हैं जो सरकारी कम्पनियों/निगमों के माध्यम से सरकारी निवेश के होने पर भी भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा लेखा परीक्षा के अन्तर्गत नहीं हैं क्योंकि सरकार या सरकारी स्वामित्व/नियंत्रण वाली कम्पनियाँ/निगम 51 प्रतिशत से कम अंश पूँजी धारण करते हैं।

उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद एवं उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम जो कि सांविधिक निगम हैं, के सम्बन्ध में भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक एकमात्र लेखापरीक्षक हैं। उत्तर प्रदेश राज्य भण्डारागार निगम के सम्बन्ध में उन्हें उनके लेखाओं की लेखापरीक्षा, सम्बन्धित अधिनियमों के अन्तर्गत नियुक्त शासपत्रित लेखाकारों द्वारा किये गए लेखा परीक्षण से अलग स्वतंत्र रूप से सम्पन्न करने का अधिकार प्राप्त है। उत्तर प्रदेश जल निगम तथा उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद से सम्बन्धित लेखापरीक्षा परिणाम, जो राज्य लेखा परीक्षा प्रतिवदेन (सिविल) में निर्दिष्ट होते थे, भी इस प्रतिवेदन में सम्मिलित हैं। पुनश्च, नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (कर्तव्य, अधिकार एवं सेवा शर्तें) अधिनियम, 1971 की धारा 19(3) के अन्तर्गत, उत्तर प्रदेश वन निगम (एक सांविधिक निगम) तथा उत्तर प्रदेश राज्य कर्मचारी कल्याण निगम (रजिस्ट्रेशन आफ सोसाइटीज़ ऐक्ट के अन्तर्गत निबन्धित) की लेखापरीक्षा राज्य सरकार द्वारा नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक को सुपुर्द की गयी हैं। इन निगमों के लेखाओं के लेखा परीक्षा प्रतिवदेन उत्तर प्रदेश शासन को पृथक रूप से भेजे जाते हैं।

इस प्रतिवेदन में चार अध्याय सम्मिलित हैं। अध्याय-I में सरकारी कम्पनियों और सांविधिक निगमों के क्रियाकलापों के परिणामों के सामान्य पहलुओं की चर्चा की गई है।

अध्याय–II में सरकारी कम्पनियों से सम्बन्धित एक समीक्षा यथा उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम लिमिटेड की कार्य प्रणाली, निहित है।

अध्याय–III सांविधिक निगमों की चार समीक्षाओं से सम्बन्धित है, जैसे उत्तर प्रदेश वित्तीय निगम के कार्यकलाप, छिब्रो तथा खोदरी जल विद्युत परियोजना का कार्यकलाप, (विद्युत) वितरण क्षेत्र लखनऊ का कार्यकलाप तथा (विद्युत) वितरण पक्ष में सामग्रियों का प्रबन्धन।

अध्याय–IV हानि, मितव्ययिता अथवा कार्य कुशलता में कमी तथा लोक-रूचि के अन्य प्रकरणों से जुड़े हुए विविध विषयों से सम्बन्धित हैं। इस खण्ड में प्रतिवेदित मामले वर्ष 1997-98 के दौरान लेखा परीक्षण के समय सज्ञान में आये तथा वे भी जो पहले ही सज्ञान में आ चुके थे परन्तु पूर्ववर्ती वर्षों के प्रतिवेदनों में सम्मिलित नहीं किये गये थे। 1997-98 की अनुवर्ती अवधि से सम्बन्धित प्रकरण भी, यथा आवश्यकता सम्मिलित किये गये हैं।

विहंगावलोकन

विहंगावलोकन

31 मार्च 1998 तक राज्य के पास 97 सरकारी (37 सहायक कम्पनियों सहित) पाँच कम्पनियाँ, कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619 बी के अन्तर्गत तथा आठ सांविधिक निगम थे। पन्द्रह कम्पनियाँ (बारह सहायक कम्पनियों सहित) समापन की प्रक्रिया में थीं।

(प्रस्तर 1.2.1, 1.2.12 तथा 1.3.1)

82 सरकारी कम्पनियों की समस्त प्रदत्त पूँजी (पन्द्रह कम्पनियों को छोड़कर जो समापन में थीं) 1845.46 करोड़ रूपये थी जिसमें से 1487.80 करोड़ रूपये राज्य सरकार द्वारा, 58.29 करोड़ रूपये केन्द्र सरकार द्वारा, 271.71 करोड़ रूपये नियंत्रक कम्पनियों द्वारा तथा 27.66 करोड़ रूपये अन्य द्वारा निवेशित किये गये थे।

राज्य सरकार ने ऋणों की अदायगी एवं उस पर ब्याज की अदायगी की प्रतिभूति दी थी। मार्च 1998 के अन्त में प्रतिभूतियों की कुल बकाया राशि 383.58 करोड़ रूपये थी।

(प्रस्तर 1.2.1, 1.2.4 तथा परिशिष्ट–1)

82 कम्पनियों में से केवल एक कम्पनी ने वर्ष 1997-98 के लेखों को अन्तिम रूप दिया था तथा बाकी 81 कम्पनियों के लेखे 1 वर्ष से 23 वर्ष तक की अवधि तक बकाये में थे।

(प्रस्तर 1.2.6)

अद्यतन प्राप्त लेखाओं के अनुसार 27 कम्पनियों ने अपनी प्रदत्त पूँजी का क्षरण कर लिया था क्योंकि इन कम्पनियों की संचित हानि 1832.90 करोड़ रूपये इनकी प्रदत्त पूँजी 1000.87 करोड़ रूपये से अधिक हो गई थी। 48 हानि उठाने वाली कम्पनियों में से 16 कम्पनियों ने मार्च 1998 तक विगत पाँच वर्षो में लगातार हानि उठाई।

(प्रस्तर 1.2.7.2)

आठ सांविधिक निगमों में से, उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद, उत्तर प्रदेश राज्य भण्डारागार निगम तथा उत्तर प्रदेश वन निगम ने वर्ष 1997-98 के लेखाओं को अन्तिम रूप दे दिया। उत्तर प्रदेश जल निगम, उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम तथा उत्तर प्रदेश वित्तीय निगम ने वर्ष 1996-97 तक के लेखाओं को अन्तिम रूप दिया। उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद ने केवल 1994-95 तक के लेखों को अन्तिम रूप दिया है।

(प्रस्तर 1.3.1)

जबकि उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम, उत्तर प्रदेश वित्तीय निगम तथा उत्तर प्रदेश जल निगम ने क्रमशः 48.14 करोड़ रूपये, 14.26 करोड़ रूपये एवं 52.36 करोड़ रूपये की हानि उठाई, उत्तर प्रदेश राज्य भण्डारागार निगम, उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद तथा उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद ने अपने अद्यतन लेखाओं के आधार पर क्रमशः 3.74 करोड़ रूपये, 291.64 करोड़ रूपये एवं 0.84 करोड़ रूपये का लाभ दर्शाया। उत्तर प्रदेश वन निगम तथा उत्तर प्रदेश राज्य कर्मचारी कल्याण निगम का लेखा परीक्षण भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक को चालू वर्ष में दिया गया जिसके कारण इन निगमों की वित्तीय स्थिति एवं कार्यचालन परिणामों को इस प्रतिवेदन में समावेषित नहीं किया जा सका।

(प्रस्तर 1.3.4)

उत्तर प्रदेश शिड्यूल्ड कास्ट्स फाइनेन्स ऐण्ड डेवलपमेन्ट कारपोरेशन लिमिटेड

गरीबी की रेखा के नीचे जीवनयापन करने वाले अनुसूचित जाति के परिवारों के सामाजिक-आर्थिक स्तर के उत्थान के लिये इस कम्पनी की स्थापना मार्च 1975 में की गई थी। लक्षित समूहों के सामाजिक-आर्थिक स्तर के उत्थान में अपने योगदान के मूल्यांकन एवं अनुश्रवण हेतु कम्पनी कोई पद्धति विकसित करने में असफल रही।

(प्रस्तर 2.1 तथा 2.5)

स्वतः रोजगार योजना (एस ई पी) और स्वच्छकार विमुक्ति एवं पुनर्वास योजना (एस एल आर एस) के अन्तर्गत कम्पनी ने 1992-93 से 1996-97 तक की अवधि में, बैंकों को 95.40 करोड़ रूपये प्रेषित किये जिसमें से बैंक दस जिला कार्यालयों में 73.75 करोड़ रूपये वितरित नहीं कर सके। पुनः, कम्पनी ने एस ई पी और एस एल आर एस के अन्तर्गत, लाभार्थियों को वास्तविक रूप से वितरित की गई

धनराशि के बजाय बैंकों को प्रेषित की गई धनराशि सरकार को सूचित करके अपनी उपलब्धियों को बढ़ा चढ़ा कर प्रस्तुत किया।

(प्रस्तर 2.5.1 तथा 2.5.2)

एस एल आर एस के अन्तर्गत तीन जिला कार्यालयों ने 702 लाभार्थियों को 0.44 करोड़ रूपये का भुगतान किया जिससे पर्याप्त अभिलेखीय साक्ष्य के अभाव में निधि का सम्भावित दुर्विनियोग हुआ।

(प्रस्तर 2.5.2.1 (iv))

एस एल आर एस के अन्तर्गत 6500 रूपये तक के बैंक ऋण पर चार प्रतिशत की रियायती दर और उसके पश्चात् वाणिज्यिक दर पर ब्याज लेने के भारतीय रिजर्व बैंक के निर्देशों के विरूद्ध, बैंकों ने समस्त बैंक ऋण पर 12.5 प्रतिशत की वाणिज्यिक दर पर ब्याज प्रभारित किया। इसके परिणामस्वरूप 1997-98 तक के छः वर्षो की अवधि में 23.87 करोड़ रूपये के ब्याज का अधिक प्रभारण किया गया जिससे लाभार्थियों का वित्तीय उत्पीड़न हुआ।

(प्रस्तर 2.5.2.1 (iii))

ग्यारह जिला कार्यालयों ने, अनुविनी योजना के आधीन पम्प सेट योजना के क्रियान्वयन में विहित प्रक्रियाओं का अनुपालन न करके कुल 3.47 करोड़ रूपये की निधि का अनियमित और कपटपूर्ण उपयोग किया।

(प्रस्तर 2.5.5 (i))

उत्तर प्रदेश वित्तीय निगम

1 नवम्बर 1954 को निगम की संस्थापना, राज्य में लघु तथा मध्यम स्तरीय औद्योगिक इकाइयों को ऋण सहायता उपलब्ध कराने के उददेश्य से की गई थी। 31 मार्च 1998 को निगम की प्रदत्त पूँजी 100 करोड़ रूपये थी जो इसके 234.97 करोड़ रूपये की हानि से पूर्णतया क्षरित हो चुकी है।

(प्रस्तर 3अ.1 तथा 3अ.5)

निगम, 2.39 करोड़ रूपये के देयों की वसूली नहीं कर सका क्योंकि इसने एक इकाई को उसकी लाभदायकता की गणना सीमेण्ट का विक्रय मूल्य बाजार भाव से काफी अधिक दर्शाते हुये तथा विद्युत की उपलब्धता सुनिश्चित किये बिना ऋण स्वीकृत किया था।

(प्रस्तर 3अ.7.2.1)

एक चावल मिल को भविष्य प्रायोजना के आधार पर कार्यशील पूँजी सावधि ऋण की स्वीकृति, निगम की नीति का अतिक्रमण कर उसकी पुनर्स्वीकृति तथा बकायेदार इकाई के अधिग्रहण में विलम्ब के कारण 2.42 करोड रूपये की हानि हुयी।

(प्रस्तर 3अ.7.2.2)

यह सज्ञान में होते हुये कि इकाई ने अपने नाम तथा अपनी स्थिति को निजी से सार्वजनिक कम्पनी के रूप में परिवर्तित करने के सम्बन्ध में निगम को अन्धकार में रखा फिर भी उस बढ़ाये गये टर्न ओवर के आधार पर कार्यशील पूँजी सावधि ऋण स्वीकृत किया गया जिससे 1.51 करोड़ रूपये की हानि हुयी।

(प्रस्तर 3अ.7.2.4)

कई वितरण पूर्व शर्तो का अनुपालन सुनिश्चित किये बिना एक री-रोलिंग मिल को ऋण वितरण किये जाने के कारण 2.82 करोड़ रूपये की हानि हुयी क्योंकि मुख्यतः नियमित विद्युत आपूर्ति के लिये आवश्यक औद्योगिक फीडर की अनुलब्धता के कारण इकाई लाभदायक तरीके से नहीं चल पाई।

(प्रस्तर 3अ.8.2.1)

निगम 2.65 करोड़ रूपये के देयों की वसूली नहीं कर पाया क्योंकि वह प्रवर्तक के राज्य सरकार पर प्रभाव तथा तत्कालीन मुख्यमंत्री के हस्तक्षेप के कारण प्रभावी वसूली की कार्यवाही नहीं कर सका।

(प्रस्तर 3अ.9.3.1)

उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद

छिब्रो एवं खोदरी जल विद्युत परियोजना के कार्यकलाप

परिषद ने 1975 में टोन्स नदी के जल के उपयोग के लिये छिब्रो में 60 मेगावाट प्रत्येक की चार इकाइयों की स्थापना की। छिब्रो से उन्मुक्त जल के उपयोग के लिये 1984-85 में 30 मेगावाट प्रत्येक की चार इकाइयों की स्थापना खोदरी में की गई।

(प्रस्तर 3ब.1)

सुरंगों में जल प्रवाह के कम आगमन के कारण उपलब्ध जल शक्ति का कम उपयोग, जल के अधिप्लवन एवं टरबाइन की निम्न क्षमता के कारण 1997-98 तक के पाँच वर्षो में 1177.630 एम यू

विद्युत जिसका मूल्य 164.87 करोड़ रूपये था, कम उत्पादन हुआ।

(प्रस्तर 3ब.4)

प्रबन्धन द्वारा इकाइयों के वार्षिक अनुरक्षण एवं पूँजीगत मरम्मत में अत्यधिक समय लेने के कारण 1997-98 तक के पाँच वर्षो में 79.731 एम यू विद्युत उत्पादन की हानि हुयी जिसका मूल्य 5.74 करोड़ रूपये था।

(प्रस्तर 3ब.5.1 तथा 3ब.5.3)

सामुच्य उत्पादन लागत के विलम्बित निर्धारण के कारण हिमाचल प्रदेश को निर्यातित बिजली के बीजकों को देर से जारी करने से 9.60 करोड़ रूपये के ब्याज की हानि हुयी।

(प्रस्तर 3ब.11)

वितरण क्षेत्र लखनऊ के कार्यकलाप

लखनऊ वितरण क्षेत्र, उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद (परिषद) के तेरह क्षेत्रों में से एक है, जिसकी स्थापना योजना, अनुश्रवण, विद्युत वितरण एवं प्रभारण पर प्रभावी नियंत्रण के लिये की गई थी और यह एक मुख्य क्षेत्रीय अभियन्ता द्वारा शीर्षित है।

(प्रस्तर 3स.1)

मार्च 1998 तक के पाँच वर्षो के दौरान क्षेत्र की राजस्व हानि मुख्यतः अतिशय संप्रेषण हानियों, अधिक वाणिज्यिक हानियों एवं वितरण ट्रान्सफार्मरों की अतिशय क्षति के कारण, 586.81 करोड़ रूपये की थी।

(प्रस्तर 3स.4)

सी ई ए द्वारा निर्धारित 11.5 प्रतिशत वितरण हानियों के मानक के विरूद्ध वास्तविक हानियाँ 16.89 और 20.95 प्रतिशत के मध्य श्रेणीबद्ध रहीं। 1997-98 तक के पाँच वर्षो की अवधि के दौरान मानक से अधिक विद्युत हानि की मात्रा, 133.69 करोड़ रूपये मूल्य की, 906.362 एम यू आगणित की गई।

(प्रस्तर 3स.6.1.1)

मीटर रहित आपूर्ति/दोषयुक्त मीटरों आदि के कारण विद्युत उपभोग का गलत निर्धारण 10.84 करोड़ रूपये तक की सीमा के राजस्व के अवप्रभारण में परिणामित हुआ।

(प्रस्तर 3स.7)

राजस्व बकाये, 1993-94 में 120.55 करोड़ रूपये से 1997-98 में 315.75 करोड़ रूपये तक बढ़ गये। क्षेत्रीय प्रबंधन, वसूली की प्रक्रिया को तीव्रता से अनुश्रवण, नियोजन एवं प्रशासित करने में विफल रहा और यहाँ तक कि भू-राजस्व के रूप में वसूली किये जाने हेतु 15.65 करोड़ रूपये की राशि के वसूली प्रमाण-पत्र भी निर्गत नहीं कर सका।

(प्रस्तर 3स.10 तथा 3स.10.3)

विद्युत क्रय समझौते के विरूद्ध, प्राप्ति के छोर पर कम अभिलेखित विद्युत से सम्बन्धित, 3.50 करोड़ रूपये का अतिरिक्त भुगतान किया गया।

(प्रस्तर 3स.15.2)

वितरण पक्ष में सामग्रियों का प्रबन्धन

उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद (परिषद) ने प्राप्ति, भण्डारण, निर्गम तथा अपनी समस्त सामग्रियों के भण्डारण पर नियंत्रण रखने के लिये अप्रैल 1975 में सामग्री प्रबन्धन एवं नियंत्रण संगठन (आई एम सी ओ) का गठन किया। तथापि, आई एम सी ओ ने अपनी गतिविधियों को वितरण पक्ष तक ही सीमित रखा।

(प्रस्तर 3द.1)

परिषद ने अधिप्राप्ति होने वाली सामग्रियों की आवश्यकता का आंकलन करने के लिये कोई कार्यविधि निर्धारित नहीं की। 1995-96 तथा 1996-97 के दौरान स्विच गियर, 11 के वी टी पी एम ओ एवं 33 के वी पिन इन्सुलेटर की अधिप्राप्ति में आवश्यकता के अन्तरिम और बेतुके आंकलन के कारण 0.95 करोड़ रूपये का अतिरिक्त व्यय हुआ।

(प्रस्तर 3द.4.1)

तकनीकी रूप से उचित, न्यूनतम प्रस्तावों पर आदेशों का प्रेषण करने में विफलता के कारण 2.42 करोड़ रूपये का अतिरिक्त व्यय हुआ।

(प्रस्तर 3द.4.2)

समझौते की शर्तों के अन्तर्गत न आने वाले असमर्थनीय आधार पर आपूर्ति अवधि का विस्तार, 106.14 लाख रूपये के मूल्य अन्तर तथा 28.36 लाख रूपये के अर्थदण्ड के न लगाये जाने में परिणामित हुआ।

(प्रस्तर 3द.4.7)

2.50 करोड़ रूपये पर मूल्यांकित सामग्री 2 से 18 वर्षों तक श्रेणीबद्ध अवधि के लिये अनुपयोजित पड़ी रही। इसी प्रकार 3.70 करोड़ रूपये के मूल्य की सामग्री अनुपयोग्य और स्क्रैप के रूप में अनिस्तारित पड़ी रही।

(प्रस्तर 3द.6.2 तथा 3द.6.4)

भण्डार लेखों की विलम्बित/बिलकुल नहीं बंदी के परिणामस्वरूप अधिकतर प्रकरणों में अनखोजी सामग्री की कमी हुयी। जब इन लेखों को बन्द किया गया और भौतिक सत्यापन किया गया तो 1.28 करोड़ रूपये के गबन का पता चला जिसके लिये उत्तरदायित्व नियत नहीं किया गया।

(प्रस्तर 3द.7.2)

विविध रोचक विषय

ऊपर उल्लेखित क्रियाकलापों के अतिरिक्त सरकारी कम्पनियों व सांविधिक निगमों के अभिलेखों की सामान्य जाँच में निम्न विविध रूचिकर बिन्दु प्रकाश में आये :

उत्तर प्रदेश राज्य वस्त्र निगम लिमिटेड को कपास क्रय के आदेशों के विलम्बित निरस्तीकरण के कारण 3.29 करोड़ रूपये का भण्डार प्रभार वहन करना पड़ा, जिसे टाला जा सकता था।

(प्रस्तर 4अ.1)

उत्तर प्रदेश राज्य एग्रो इन्डस्ट्रियल कारपोरेशन लिमिटेड द्वारा निर्धारित लेखा पद्धति का अनुसरण न करने एवं केन्द्र प्रभारी के रूप में एक चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी की नियुक्ति करने के कारण भण्डारों (16.52 लाख रूपये) तथा रोकड़ (2.68 लाख रूपये) का दुर्विनियोग हुआ।

(प्रस्तर 4अ.15)

उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम द्वारा आवश्यकता एवं आर्थिक लाभ देयता का विश्लेषण न करने से, सॉफ्टवेयर के विकास पर किया गया 0.50 करोड़ रूपये का व्यय निरर्थक हो गया।

(प्रस्तर 4ब.1)

ग्रिड की सीधी टैपिंग, सिस्टम लोडिंग चार्जेज़ से छूट, न्यूनतम उपभोग गारण्टी के भुगतान से छूट, प्रारम्भिक प्रतिभूति के जमा में शैथिल्य तथा अन्य तकनीकी खामियों के माध्यम से एक उपभोक्ता को अनुचित लाभ पहुँचाने के कारण परिषद को 73.24 करोड़ रूपये की हानि हुयी।

(प्रस्तर 4स.1)

समय से निधियों का प्रबन्धन न करने के कारण उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद को ड्यूमरेज तथा कस्टम ड्यूटी पर ब्याज के भुगतान में 10.59 करोड़ रूपये का परिहार्य व्यय करना पड़ा।

(प्रस्तर 4स.2)

विलम्ब से किये गये भुगतान पर अधिशुल्क न लगाने से कानपुर इलेक्ट्रिक सप्लाई एडमिनिस्ट्रेशन 7.98 करोड़ रूपये न वसूल सका।

(प्रस्तर 4स.3)

प्रारम्भिक प्रतिभूति जमा की माँग को विलम्ब से जारी करने के कारण 2.65 करोड़ रूपये की धनराशि अवरूद्ध रही।

(प्रस्तर 4स.5)

दरों को कम करने के लिये वार्ता न करने के कारण परिषद 2.28 करोड़ रूपये तक के कम दरों के लाभ से वंचित रहा।

(प्रस्तर 4स.6)

परिषद द्वारा ऊर्जा खपत की गलत संगणना करने के कारण 1.44 करोड़ रूपये के राजस्व का कम निर्धारण हुआ।

(प्रस्तर 4स.8)

चोरी का पता न लगाने से, निर्धारण में परिषद की असफलता के कारण 8.54 करोड़ रूपये के राजस्व की हानि हुयी।

(प्रस्तर 4स.22)

एक उपभोक्ता के वर्तमान भार में अनियमित कमी के कारण 5.16 करोड़ रूपये की हानि हुयी।

(प्रस्तर 4स.23)

दरों को तर्कसंगत स्तर तक कम करने के लिये वार्ता न करने के कारण संविदा में परिषद को 2.98 करोड़ रूपये का अतिरिक्त व्यय करना पड़ा।

(प्रस्तर 4स.24)

सर्विस लाइन तथा बे की लागत न वसूलने से परिषद को 27.56 लाख रूपये की हानि हुयी। इसके अतिरिक्त 1.30 करोड़ रूपये वसूली योग्य नहीं रह गये क्योंकि कम्पनी विघटन में चली गई।

(प्रस्तर 4स.25)

कम किये गये भार के साथ संगति बैठाने के लिए विद्यमान उपस्करों की क्षमता को कम किये बिना परिषद द्वारा अनियमित रूप से भार में कमी करने तथा चोरी की गई ऊर्जा का निर्धारण न करने के परिणामस्वरूप 1.29 करोड़ रूपये की हानि हुयी।

(प्रस्तर 4स.26)

भार में अनियमित कमी करने के कारण परिषद ने एक उपभोक्ता को 1.10 करोड़ रूपये तक का अनुचित लाभ पहुँचाया।

(प्रस्तर 4स.27)

रोज़ा पावर सप्लाई कम्पनी के साथ हुये पावर परचेज़ एग्रीमेन्ट में कमियों के परिणामस्वरूप 198.82 करोड़ रूपये वार्षिक का अतिरिक्त व्यय/निधि का अवरोध/ब्याज की हानि होगी।

(प्रस्तर 4द.1)

सामान्य

अध्याय I : सामान्य

अनुच्छेद-1
सरकारी कम्पनियों एवं सांविधिक निगमों का सामान्य अवलोकन

प्रस्तर	विवरण	पृष्ठ
1.	प्रस्तावना	5
2.	सामान्य अवलोकन	5
2.1	सरकारी कम्पनियाँ	5
2.2	क्षेत्रवार निवेश	6
2.3	निवेश का विश्लेषण	9
2.4	प्रत्याभूतियाँ	10
2.5	बजट बहिर्गमन	10
2.6	लेखाओं का अन्तिमीकरण	11
2.7	कार्यचालन परिणाम	14
2.7.1	लाभ अर्जित करने वाली कम्पनियाँ	14
2.7.2	हानिग्रस्त कम्पनियाँ	15
2.8	नियोजित पूँजी पर प्रतिलाभ	20
2.9	सरकारी कम्पनियों द्वारा प्रोन्नत संयुक्त क्षेत्र की कम्पनियों द्वारा अंशदानों का पुनः क्रय	22
2.10	सांविधिक लेखा परीक्षकों तथा नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा किये गये महत्वपूर्ण पर्यवेक्षण	22
2.10.1	कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619(3)(ए) के अन्तर्गत जारी किये निर्देशों के पालन में सांविधिक लेखा परीक्षकों के विशेष प्रतिवेदन	22

प्रस्तर	विवरण	पृष्ठ
2.10.2	कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619(4) के अन्तर्गत सम्पूरक लेखापरीक्षा	23
2.11	क्षमता उपयोग	26
2.12	619-बी कम्पनियाँ	26
2.13	अन्य निवेश	27
3.	सांविधिक निगम	28
3.1	सामान्य पहलू	28
3.2	निवेश	30
3.3	ऋणों पर प्रत्याभूति	31
3.4	लेखाओं का अन्तिमीकरण	32
3.5	बजट बहिर्गमन	32
3.6	उपदान	33
3.7	कार्यचालन परिणाम	33
4.	उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद	34
5.	उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम	41
6.	उत्तर प्रदेश वित्तीय निगम	44
7.	उत्तर प्रदेश राज्य भण्डारागार निगम	45
8.	उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद	47
9.	उत्तर प्रदेश जल निगम	49

अध्याय I

सरकारी कम्पनियों एवं सांविधिक निगमों का सामान्य अवलोकन

1.1 प्रस्तावना

सरकारी कम्पनियों और मान्य सरकारी कम्पनियों (कम्पनी अधिनियम 1950 की धारा 619 बी में यथा परिभाषित) के लेखों का लेखा परीक्षण सांविधिक लेखा परीक्षकों द्वारा किया जाता है जिनकी नियुक्ति कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा 619(2) के प्राविधानों के अन्तर्गत भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (सी ए जी) की सलाह पर केन्द्रीय सरकार द्वारा की जाती है। कम्पनी अधिनियम की धारा 619(4) के प्राविधानों के अन्तर्गत यह लेखे सी ए जी द्वारा की जाने वाली अनुपूरक लेखा परीक्षण के अन्तर्गत भी आते हैं।

सात सांविधिक निगमों और सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन ऐक्ट, 1860 के अन्तर्गत निबन्धित एक निगम में से उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद, उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद, उत्तर प्रदेश जल निगम एवं उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम के लेखों का लेखा परीक्षण सी ए जी द्वारा अपने सम्बन्धित अधिनियमों के अन्तर्गत एक मात्र रूप से किया जाता है। उत्तर प्रदेश वित्तीय निगम, उत्तर प्रदेश वन निगम, उत्तर प्रदेश राज्य कर्मचारी कल्याण निगम एवं उत्तर प्रदेश राज्य भण्डारागार निगम के लेखों का लेखा परीक्षण, सी ए जी जो इन निगमों का लेखा परीक्षण पृथक रूप से भी करते हैं, की सलाह पर राज्य सरकार द्वारा नियुक्त शासपत्रित लेखाकारों द्वारा किया जाता है। सभी सांविधिक निगमों के लेखों के लेखापरीक्षा प्रतिवेदन सी ए जी द्वारा सम्बन्धित संगठनों/राज्य सरकार को जारी किये जाते हैं।

1.2 सामान्य अवलोकन

1.2.1 सरकारी कम्पनियाँ

31 मार्च 1998 को 97 सरकारी कम्पनियाँ (37 सहायक कम्पनियों सहित) थीं जिनमें से 16.17 करोड़ रुपये की प्रदत्त पूँजी वाली 15 कम्पनियाँ (12 सहायक कम्पनियों सहित) परिसमापनाधीन थीं।

शेष 82 कम्पनियों में (25 सहायक कम्पनियों सहित) कुल निवेष, 31 मार्च 1997 को 3003.44 करोड़ रुपये के कुल निवेश के विरुद्ध (अंश पूँजीः 1792.34 करोड़, रुपये एवं दीर्घकालीन ऋण 1211.10 करोड़ रुपये), 3663.83 करोड़ रुपये था (अंश पूँजीः 1845.46 करोड़ रुपये तथा दीर्घकालीन ऋण 1818.37 करोड़ रुपये)।

कम्पनियों का वर्गीकरण निम्नानुसार है :

	कम्पनियों की संख्या	प्रदत्त पूँजी (करोड़ रुपये में)
(क) कार्यशील कम्पनियाँ	59	1814.63
(ख) अकार्यशील कम्पनियाँ		
(i) निर्जीव कम्पनियाँ	23*	30.83
(ii) परिसमापनाधीन कम्पनियाँ	15	16.17

23 निर्जीव कम्पनियों में से कोई भी बी आई एफ आर को संदर्भित नहीं की गई। जैसा कि ये कम्पनियां 6 से 23 वर्षों से निर्जीव/परिसमापनाधीन हैं तथा इन कम्पनियों में 47 करोड़ रुपये का प्रचुर निवेष सम्बद्ध है, उनके त्वरित परिसमापन अथवा उबारने के लिये प्रभावशाली कदम उठाने की आवश्यकता है।

1.2.2 परिसमापनाधीन कम्पनियों को छोड़कर सभी सरकारी कम्पनियों से सम्बन्धित अंशपूँजी के रूप में किये गये निवेश के विश्लेषण परिशिष्ट–1 में दिये गये हैं।

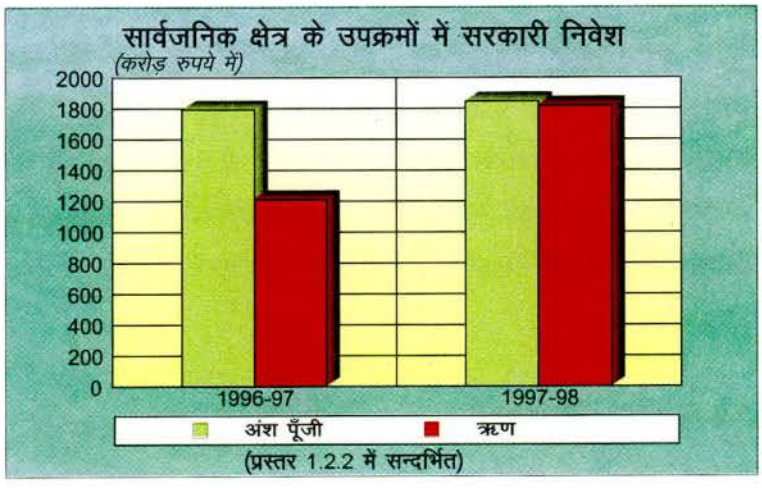

सभी 82 कम्पनियों में क्षेत्रवार निवेश अगले पृष्ठ पर दिये गये हैं :

* परिशिष्ट–2 की क्रम संख्या 3,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,23,27,37,38,40,42,49,51,52,55, एवं 60 ।

(करोड़ रुपये में)

क्षेत्र कम्पनी की श्रेणी	31 मार्च 1997 को			31 मार्च 1998 को			31 मार्च 1998 को अंशपूँजी
	संख्या	अंशपूँजी	दीर्घ–कालीन ऋण	संख्या	अंशपूँजी	दीर्घ–कालीन ऋण	
कृषि							
सरकारी कम्पनी	3	35.87	1.22	3	48.55	6.67	0.13:1
पशुपालन							
सरकारी कम्पनियाँ	2	5.65	1.71	2	5.66	0.61	0.10:1
क्षेत्रीय विकास							
सरकारी कम्पनियाँ	10	9.36	1.34	10	9.38	1.38	0.15:1
सहायक कम्पनी	1	0.02	--	1	0.01	--	--
सीमेन्ट							
सरकारी कम्पनी	1	68.28	121.79	1	68.28	57.24	0.84:1
इलेक्ट्रानिक्स							
सरकारी कम्पनी	1	70.30	26.46	1	71.11	28.46	0.40:1
सहायक कम्पनियाँ	4	57.13	12.71	4	57.13	12.76	0.22:1
निर्यात प्रोत्साहन							
सरकारी कम्पनियाँ	3	18.11	3.54	3	18.16	5.37	0.30:1
वित्त							
सरकारी कम्पनियाँ	3	148.88	525.49	3	156.18	578.97	3.53:1
मत्स्य विकास							
सरकारी कम्पनी	1	1.00	--	1	1.07	--	--
खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति							
सरकारी कम्पनी	1	5.50	15.17	1	5.50	15.16	2.76:1
हरिजन एवं समाज कल्याण							
सरकारी कम्पनियाँ	6	68.44	39.32	6	94.34	10.40	0.11:1

(करोड़ रुपये में)

क्षेत्र कम्पनी की श्रेणी	31 मार्च 1997 को			31 मार्च 1998 को			31 मार्च 1998 को अंशपूँजी
	संख्या	अंशपूँजी	दीर्घ–कालीन ऋण	संख्या	अंशपूँजी	दीर्घ–कालीन ऋण	
पर्वतीय विकास							
सरकारी कम्पनियाँ	3	27.48	16.48	3	28.49	16.48	0.58:1
सहायक कम्पनियाँ	7	1.86	1.68	7	1.86	2.67	1.44:1
गृह							
सरकारी कम्पनी	1	3.00	--	1	3.00	--	--
उद्योग एवं औद्योगिक विकास							
सरकारी कम्पनियाँ	3	67.16	16.98	3	67.15	12.65	0.19:1
सहायक कम्पनियाँ	5	48.60	206.49	5	48.62	154.05	3.17:1
संस्थागत वित्त							
सरकारी कम्पनी	1	8.18	--	1	8.18	0.13	0.02:1
सिंचाई							
सरकारी कम्पनी	1	10.87	--	1	10.87	--	--
पंचायती राज							
सरकारी कम्पनी	1	1.46	--	1	1.46	--	--
योजना विभाग							
सरकारी कम्पनियाँ	2	1.06	--	2	1.06	--	--
विद्युत							
सरकारी कम्पनियाँ	2	253.51	19.00	2	253.51	24.00	0.09:1
लोक निर्माण							
सरकारी कम्पनियाँ	2	11.00	--	2	11.00	--	--

(करोड़ रुपये में)

क्षेत्र कम्पनी की श्रेणी	31 मार्च 1997 को			31 मार्च 1998 को			31 मार्च 1998 को अंशपूँजी
	संख्या	अंशपूँजी	दीर्घ–कालीन ऋण	संख्या	अंशपूँजी	दीर्घ–कालीन ऋण	
ग्रामीण एवं लघु उद्योग							
सरकारी कम्पनियाँ	2	31.25	21.96	2	31.25	20.09	0.64:1
सहायक कम्पनियाँ	2	0.79	0.76	2	0.79	1.25	1.58:1
चीनी एवं गन्ना विकास							
सरकारी कम्पनियाँ	5	477.60	102.22	5	481.87	816.38	1.69:1
सहायक कम्पनियाँ	4	72.23	12.17	4	72.23	21.99	0.30:1
वस्त्र							
सरकारी कम्पनी	1	160.79	24.38	1	160.79	24.38	1.5:1
सहायक कम्पनियाँ	2	110.33	39.76	2	110.33	6.80	0.06:1
पर्यटन							
सरकारी कम्पनी	1	15.13	0.48	1	15.13	0.48	0.03:1
वक्फ़							
सरकारी कम्पनी	1	1.50	--	1	2.50	--	--
योग	**82**	**1792.34**	**1211.10**	**82**	**1845.46**	**1818.37**	**0.96:1**

1.2.3 वर्ष 1997-98 के दौरान निवेश में वृद्धि मुख्यतः चीनी और वित्त के क्षेत्र में उपलब्ध किये गये अतिरिक्त ऋण के कारण थी।

केन्द्र सरकार की, पी एस यू में अंशपूँजी को अपनिवेशित करने की औद्योगिक नीति के संदर्भ में राज्य सरकार ने 50 पी एस यू के प्रकरण स्वगठित 'अधिकार प्राप्त समिति' (दिसम्बर 1995) के पास उनके पुनर्निमाण/पुनर्गठन/एकीकरण/निजीकरण पर विचार करने के लिये संदर्भित किया और सरकार की संस्तुति सहित उनके प्रतिवेदन अब तक (सितम्बर 1998) प्रतीक्षित हैं।

1.2.4 प्रत्याभूतियाँ

बैंकों आदि द्वारा पी एस यूज़ को दिये गये ऋण और उधार के विरुद्ध, 1997-98 तक के पूर्ववर्ती तीन वर्षों में राज्य सरकार द्वारा दी गई व 31 मार्च 1998 को बकाया प्रत्याभूतियाँ निम्न तालिका में प्रदर्शित हैं:

(करोड़ रुपये में)

क्रम संख्या	प्रत्याभूतियाँ	प्रत्याभूति की राशि			31 मार्च 1998 को बकाया प्रत्याभूति की राशि
		1995-96	1996-97	1997-98	
1.	भारतीय स्टेट बैंक तथा अन्य राष्ट्रीयकृत बैंकों से नकद उधार	142.93	560.20	194.17	175.80
2.	अन्य स्रोतों से ऋण	182.78	84.17	83.26	207.78
	योग	**325.71**	**644.37**	**277.43**	**383.58**

1.2.5 बजट बहिर्गमन

1997-98 तक के पूर्ववर्ती तीन वर्षों में 82 कम्पनियों में से 26 को राज्य सरकार से अंशपूँजी, ऋणों और उपदान के रूप में किया गया बहिर्गमन निम्नानुसार है:

	1995-96		1996-97		1997-98	
	राशि	कम्पनियों की संख्या	राशि	कम्पनियों की संख्या	राशि	कम्पनियों की संख्या
1. बजट से अंशपूँजी बहिर्गमन	34.45	15	33.63	11	48.94	11
2. बजट से दिये गये ऋण	87.36	17	117.25	14	109.95	12

	1995-96		1996-97		1997-98	
	राशि	कम्पनियों की संख्या	राशि	कम्पनियों की संख्या	राशि	कम्पनियों की संख्या
3. उपदान	164.68	9	221.20	11	197.77	13
कुल बहिर्गमन	**286.49**		**372.08**		**356.66**	

1.2.6 लेखाओं का अन्तिमकरण

कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 166, 210, 230 एवं 619 सपठित नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (कर्तव्य, अधिकार और सेवा शर्तें) अधिनियम,1971 की धारा 19 के अन्तर्गत, कम्पनियों के प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लेखे, सम्बन्धित वित्तीय वर्ष के अन्त से छः माह के अन्दर लेखा परीक्षा हेतु प्रस्तुत किये जाने चाहिये। उन्हें वित्तीय वर्ष के अन्त से नौ महिनों के अन्दर विधायिका के सम्मुख भी प्रस्तुत किया जाना चाहिये। 82 सरकारी कम्पनियों में से सितम्बर 1998 तक, वर्ष 1997-98 के केवल एक कम्पनी के लेखे को अन्तिम रूप दिया गया था और शेष 81 कम्पनियों के लेखे 1 से 23 वर्षों तक श्रेणीबद्ध अवधियों से बकाये में थे जैसा कि परिशिष्टि–3 में (30 सितम्बर 1998 तक) इंगित किया गया। नवीनतम उपलब्ध लेखों पर आधारित, सभी सरकारी कम्पनियों के संक्षिप्त वित्तीय परिणाम परिशिष्ट–2 में दिये गये हैं।

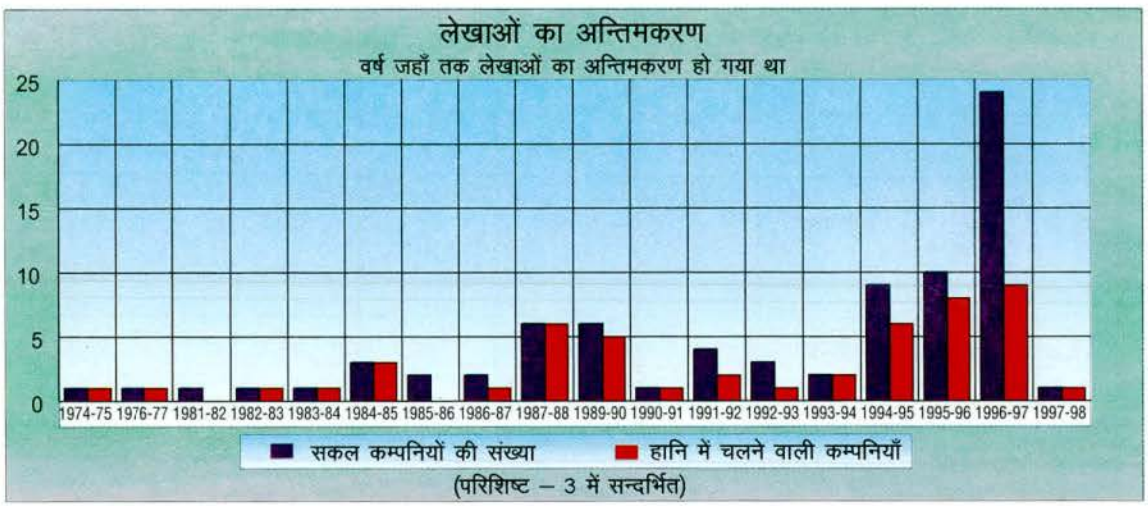

इन कम्पनियों* के अन्तिम रूप दिये गये नवीनतम लेखों के अनुसार, 48 कम्पनियों नें 187.48 करोड़ रुपये की हानि उठाई तथा शेष 30 कम्पनियों नें 107.87 करोड़ रुपये का लाभ अर्जित किया जैसा नीचे इंगित किया गया है :

(लाख रुपये में)

क्रम संख्या	कम्पनियों की संख्या	वर्ष जब तक के लेखों को अन्तिम रुप दे दिया गया	लाभ		हानि		परिशिष्ट–2 के अनुसार कम्पनियों की क्रम संख्या का संदर्भ	
			कम्पनियों की संख्या	धनराशि	कम्पनियों की संख्या	धनराशि	लाभप्रद	हानिग्रस्त
1.	1	1974-75	–	–	1	0.81	–	60
2.	1	1976-77	–	–	1	0.01	–	55
3.	1	1981-82	1	0.44	–	–	11	–
4.	1	1982-83	–	–	1	4.00	–	27
5.	1	1983-84	–	–	1	11.42	–	7
6.	3	1984-85	–	–	3	137.05	–	3,8,35
7.	2	1985-86	2	37.07	–	–	10,26	–
8.	2	1986-87	1	11.24	1	0.01	6	9
9.	6	1987-88	–	–	6	98.41	–	13,14,16, 33,51,62
10.	6	1989-90	–	7.20	5	59.77	75	25,37,38, 54,59

* परिशिष्ट–2 की क्रम संख्या 45 पर कम्पनी की परियोजना निर्माणाधीन थी और क्रम संख्या 40,42 और 49 वाली तीन कम्पनियों ने प्रारम्भ से ही कोई लेखा प्रस्तुत नहीं किया।

(लाख रुपये में)

क्रम संख्या	कम्पनियों की संख्या	वर्ष जब तक के लेखों को अन्तिम रुप दे दिया गया	लाभ		हानि		परिशिष्ट–2 के अनुसार कम्पनियों की क्रम संख्या का संदर्भ	
			कम्पनियों की संख्या	धनराशि	कम्पनियों की संख्या	धनराशि	लाभप्रद	हानिग्रस्त
11.	1	1990-91	1	–	1	16.10	–	4
12.	4	1991-92	2	11.28	2	54.01	44,73	15,23
13.	3	1992-93	2	259.83	1	340.82	28,34	61
14.	2	1993-94	–	–	2	31.89	–	12,41
15.	9	1994-95	3	179.67	6	4921.82	30,36, 52	5,29,39, 50,66,71,
16.	10	1995-96	2	1.08	8	9371.01	56,69	1,18,22,3 1,47,63, 64,80
17.	24	1996-97	15	10272.47	9	3701.32	21,24,43, 53,57, 58,67,68, 70,72,76, 78,79, 81,82	2,19, 20,32,46, 48,65,74, 77
18.	1	1997-98	1	6.96	–	–	17	
योग	**78**		**30**	**10787.24**	**48**	**18748.45**		

प्रशासनिक विभागों को पर्यवेक्षण करना एवं सुनिश्चित करना होगा कि कम्पनियों द्वारा लेखों को अन्तिम रूप दे दिया जाता है तथा सामान्य वार्षिक बैठक में कम्पनी अधिनियम,1956 में निर्धारित समय सीमा में अधिग्रहीत कर लिया जाता है। यद्यपि, लेखा परीक्षा द्वारा सम्बन्धित प्रशासनिक मंत्रालयों एवं सरकार के अधिकारियों को बकाये की स्थिति से त्रैमासिक रूप से अवगत करा दिया गया था, सरकार द्वारा इन लेखों को समय से अन्तिम रूप देने के लिए कोई प्रभावी उपाय नहीं किये गये और बकाये में पड़े लेखों की संख्या प्रत्येक वर्ष बढ़ती जा रही थी जैसा कि निम्न विवरण के अनुसार पिछले तीन वर्षो (अक्टूबर से सितम्बर) के दौरान अन्तिम रूप दिये गये लेखों की स्थिति से दृष्टिगत होगाः

वर्ष	अन्तिमकरण हेतु अपेक्षित लेखे	अन्तिम रुप दिये गये लेखों की संख्या	बकाये में पड़े लेखे
1995-96	583	76	507
1996-97	593	64	529
1997-98	622	63	559

अतः, सरकार और विधायिका इन कम्पनियों में सरकार द्वारा किये गये निवेश के परिणामों के बारे में किसी निश्चित सूचना से वंचित रहे। इसके अतिरिक्त, लेखों के बकाये को रोकने में दीर्घ विलम्ब एवं उदासीनता के कारण, इन कम्पनियों में गम्भीर अनियमितताओं, धोखाधड़ी एवं महत्वपूर्ण त्रुटियों के छिपे रह जाने की सम्भावना को नकारा नहीं जा सकता।

1.2.7 कार्यचालन परिणाम

1.2.7.1 लाभ अर्जित करने वाली कम्पनियाँ

44 सरकारी कम्पनियों में से (परिसमापनाधीन सरकारी कम्पनियों को छोड़कर) जिन्होंने वर्ष 1997-98 अथवा पूर्ववर्ती वर्षों के लेखों को अन्तिम रूप दे दिया था, 21 कम्पनियों* ने 677.01 करोड़

* परिशिष्ट–2 की क्रम संख्याः 17,21,24,28,36,43,52,53,56,57,58,67,68,69,70,73,76,78,79,81, एवं 82 ।

रुपये की प्रदत्त पूँजी के विरुद्ध 104.31 करोड़ रुपये का लाभ अर्जित किया जो अंश पूँजी पर 15.41 प्रतिशत प्रतिलाभ को प्रतिनिधानित करता है। इनमें से 14 कम्पनियों* ने दो अथवा दो से अधिक क्रमिक वर्षों तक लाभ अर्जित किया। 18 कम्पनियों में 35.13 करोड़ रुपये की मुक्त आरक्षित निधि एवं अधिशेष विकसित किये गये।

सितम्बर 1998 तक केवल एक कम्पनी ने (परिशिष्ट–2 की क्रम संख्या 17) अपने 1997-98 के लेखों को अन्तिम रूप दिया और 1.75 करोड़ रुपये की अंशपूँजी पर 0.07 करोड़ रुपये का लाभ अर्जित किया लेकिन लाभांश की घोषणा नहीं की।

1.2.7.2 हानिग्रस्त कम्पनियाँ

48 हानिग्रस्त कम्पनियों के नवीनतम उपलब्ध लेखों के अनुसार, 27** कम्पनियों ने 1000.87 करोड़ रुपये के राशि की अपनी प्रदत्त पूँजी का क्षरण कर दिया क्योंकि इन कम्पनियों की 1832.90 करोड़ रुपये की संचित हानियाँ अपनी प्रदत्त पूँजी से कहीं अधिक हो गईं। 16 कम्पनियों से सम्बन्धित विवरण जिन्होंने लगातार पाँच वर्षो तक हानियाँ उठाईं और अपनी प्रदत्त पूँजी का क्षरण कर दिया, अगले पृष्ठ पर दिये गये हैं:

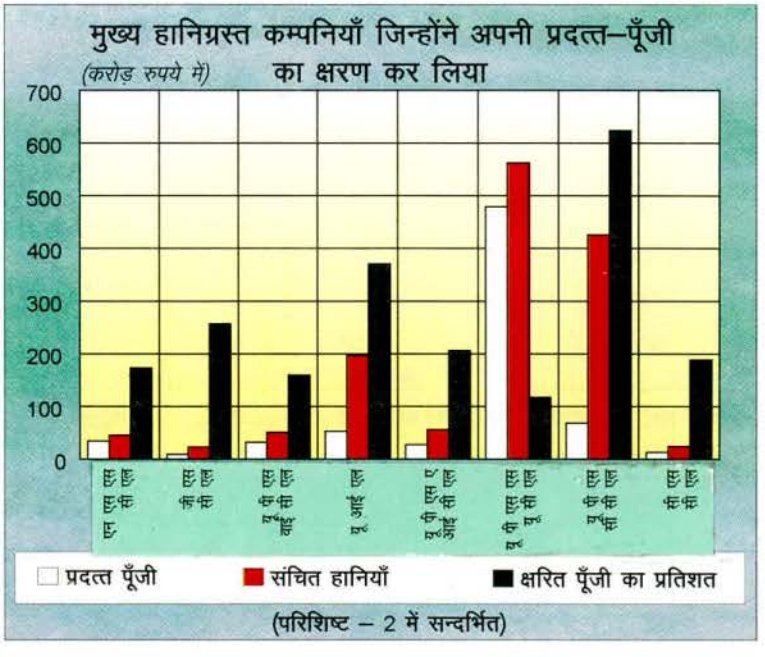

* परिशिष्ट–2 की क्रम संख्याः 17,21,24,28,43,52,58,67,68,69,70,73,76,एवं 81

** परिशिष्ट–2 की क्रम संख्याः 2,3,4,10,15,17,18,22,23,24,25,38,39,44,46,47,48, 52,59,63,64, 66,71, 77,78,79, एंव 80।

(करोड़ रुपये में)

क्रम संख्या	कम्पनी का नाम	वर्ष जब तक के लेखे प्राप्त हुये	प्रदत्त पूँजी	संचित हानि	क्षरित पूँजी का प्रतिशत	हानि के कारण	परिशिष्ट–2 की क्रम संख्या का संदर्भ
1.	छाता शुगर कम्पनी लिमिटेड (उत्तर प्रदेश राज्य चीनी निगम लिमिटेड की सहायक कम्पनी)	1995-96	12.73	24.03	188.77	भारी मूल्य ह्रास भार एवं कार्यबल समस्या	63
2.	नन्दगंज सिहोरी शुगर कम्पनी लिमिटेड (उत्तर प्रदेश राज्य चीनी निगम लिमिटेड की सहायक कम्पनी)	1994-95	34.05	59.00	173.27	चीनी की कम प्राप्ति एवं सरकार को लेवी बिक्री	66
3.	घाटमपुर शुगर कम्पनी लिमिटेड (उत्तर प्रदेश राज्य चीनी निगम लिमिटेड की सहायक कम्पनी)	1995-96	8.95	23.01	257.09	संयंत्र क्षमता के अव्यवहारिक होने के कारण	64
4.	दि इण्डियन टर्पेन्टाइन ऐण्ड रोज़िन कम्पनी लिमिटेड	1996-97	0.22	12.33	5604.55	कच्चेमाल की कमी एवं निधि का अभाव	46
5.	दि उत्तर प्रदेश स्टेट ब्रासवेयर कार्पोरेशन लिमिटेड	1991-92	5.38	6.49	120.63	अव्यवहारिक योजनाओं का कार्यान्वयन	23
6.	ट्रान्स केबिल्स लिमिटेड (कुमाँऊ मण्डल विकास निगम लिमिटेड की सहायक कम्पनी)	1994-96	0.63	2.71	430.16	निधियों का अभाव	39

(करोड़ रुपये में)

क्रम संख्या	कम्पनी का नाम	वर्ष जब तक के लेखे प्राप्त हुये	प्रदत्त पूँजी	संचित हानि	क्षरित पूँजी का प्रतिशत	हानि के कारण	परिशिष्ट–2 की क्रम संख्या का संदर्भ
7.	यू पी एस आई सी पाटरीज़ लिमिटेड (उत्तर प्रदेश लघु उद्योग निगम लिमिटेड की सहायक कम्पनी)	1989-90	0.76	2.26	297.37	कार्यशील पूँजी की कमी, विपणन समस्या एवं वृद्धिगत वेतन एवं पारिश्रमिक	59
8.	अपट्रान इण्डिया लिमिटेड (उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रानिक्स कार्पोरेशन लिमिटेड की सहायक कम्पनी)	1995-96	53.16	196.93	370.45	अनुपलब्ध	18
9.	उत्तर प्रदेश इन्सट्रूमेन्ट्स लिमिटेड (उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड की सहायक कम्पनी)	1995-96	2.02	22.32	1104.95	अत्याधिक मानवशक्ति, उत्पाद श्रेणी केवल एक तक सीमित	47
10.	उत्तर प्रदेश डिजिटल्स लिमिटेड (उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड की सहायक कम्पनी)	1996-97	0.35	6.95	1985.71	एच एम टी द्वारा अवयवों की अपर्याप्त आपूर्ति और श्रमिक समस्या	48

(करोड़ रुपये में)

क्रम संख्या	कम्पनी का नाम	वर्ष जब तक के लेखे प्राप्त हुये	प्रदत्त पूँजी	संचित हानि	क्षरित पूँजी का प्रतिशत	हानि के कारण	परिशिष्ट–2 की क्रम संख्या का संदर्भ
11.	उत्तर प्रदेश स्टेट यार्न कम्पनी लिमिटेड (उत्तर प्रदेश राज्य वस्त्र निगम लिमिटेड की सहायक कम्पनी)	1996-97	31.91	50.91	159.54	प्रतिकूल विपणन परिस्थिति	77
12.	उत्तर प्रदेश स्टेट एग्रो इण्डस्ट्रियल कार्पोरेशन लिमिटेड	1996-97	27.32	56.38	206.37	निम्न बिक्री, भारी उपरिव्यय, कार्यशील पूँजी की कमी और फालतू कर्मचारी	2
13.	उत्तर प्रदेश राज्य चीनी निगम लिमिटेड	1994-95	479.15	562.66	117.43	पेराई हेतु कम क्षमता वाली पुरानी और कालातीत मिलों के अधिग्रहण के कारण	71
14.	उत्तर प्रदेश राज्य सीमेन्ट निगम लिमिटेड	1995-96	68.28	425.99	623.89	क्षमता का अवउपयोजन और उत्पादन की उच्च लागत	80

(करोड़ रुपये में)

क्रम संख्या	कम्पनी का नाम	वर्ष जब तक के लेखे प्राप्त हुये	प्रदत्त पूँजी	संचित हानि	क्षरित पूँजी का प्रतिशत	हानि के कारण	परिशिष्ट–2 की क्रम संख्या का संदर्भ
15.	उत्तर प्रदेश राज्य हार्टीकल्चर प्रोडयूस मार्केटिंग ऐण्ड प्रोसेसिंग कार्पोरेशन लिमिटेड	1984-85	1.91	2.55	133.51	निम्न क्षमता उपयोजन, निधियों का अभाव	3
16.	उत्तर प्रदेश मत्स्य विकास निगम लिमिटेड	1989-90	1.00	1.20	120.00	आवधिक ऋण पर ब्याज तथा अचल सम्पत्तियों पर मूल्य ह्रास	25
	योग		**727.82**	**1455.72**			

82 कम्पनियों में से, 21* कम्पनियाँ या तो रुग्ण थीं या बी आई एफ आर को संदर्भित किये जाने की प्रक्रिया में थीं। 23 अकार्यशील कम्पनियों में से 11** ने अपनी गतिविधियाँ, नवम्बर 1992 के सरकारी आदेश से बन्द कर दीं। तथापि, पाँच वर्षो के बीत जाने के बावजूद, राज्य सरकार ने इन कम्पनियों के लिये न तो किसी पुनरूत्थान योजना का अनुमोदन किया और न ही उनका परिसमापन करने का निर्णय लिया।

नवीनतम उपलब्ध लेखों के आधार पर सभी 82 कम्पनियों के वित्तीय परिणाम परिशिष्ट–2 में दिये गये हैं।

* परिशिष्ट–2 क्रम संख्याः 3,7,10,14,15,16,17,18,2740,46,51,59,64,65,66,71,77,78,79 एवं 80 ।

** परिशिष्ट–2 की क्रम संख्याः 6,7,8,9,10,11,12,13,14,15 एवं 16 ।

1.2.8 नियोजित पूँजी पर प्रतिलाभ

नियोजित पूँजी को शुद्ध अचल परिसम्पत्तियों (पूँजीगत प्रगतिगत कार्य सहित) और कार्यशील पूँजी के योग के रूप में लिया गया है। उधार ली गई निधियों के ब्याज को शुद्ध लाभ में जोड़ा/हानि से घटाया जाता है जैसा कि लाभ और हानि के खाते में प्रदर्शित किया गया। अतः, 1997-98 के दौरान 82 कम्पनियों में कुल नियोजित पूँजी 1930.60 करोड़ रुपये आगणित की गई जिस पर, 1996-97 में 1956.20 करोड़ रुपये की कुल नियोजित पूँजी पर 48.70 करोड़ रुपये के नकारात्मक प्रतिलाभ के विरुद्ध 174.50 करोड़ रुपये का प्रतिलाभ था।

नवीनतम अन्तिम रूप दिये गये लेखों के अनुसार, 1996-97 और 1997-98 के दौरान, नियोजित पूँजी पर शुद्ध प्रतिलाभ के क्षेत्रवार विवरण नीचे दिये गये हैं:

(करोड़ रुपये में)

क्षेत्र	नियोजित पूँजी		नियोजित पूँजी पर प्रतिलाभ		नियोजित पूँजी पर प्रतिलाभ का प्रतिशत	
	1996-97	1997-98	1996-97	1997-98	1996-97	1997-98
कृषि	51.68	47.11	– 0.52	– 2.68	–	–
पशुपालन	3.70	4.17	– 0.08	– 0.12	–	–
क्षेत्रीय विकास	10.27	9.63	– 0.86	– 0.86	–	–
सीमेन्ट	239.80	239.80	– 22.91	– 22.91	–	–
इलेक्ट्रानिक्स	5.69	101.46	– 10.07	– 03.08	–	–
निर्यात प्रोत्साहन	23.78	26.00	– 0.22	– 0.54	–	–
वित्त	672.28	673.24	3.74	66.82	0.56	9.93
मत्स्य	5.93	6.00	– 0.11	0.06	–	1.00
खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति	5.24	5.24	1.21	1.21	23.09	23.09

(करोड़ रुपये में)

क्षेत्र	नियोजित पूँजी		नियोजित पूँजी पर प्रतिलाभ		नियोजित पूँजी पर प्रतिलाभ का प्रतिशत	
	1996-97	1997-98	1996-97	1997-98	1996-97	1997-98
हरिजन एवं समाज कल्याण	118.83	81.15	3.45	4.74	2.90	5.84
पर्वतीय विकास	43.48	40.54	0.35	1.69	0.81	4.16
गृह	5.38	6.15	1.25	1.49	23.23	24.23
उद्योग और औद्योगिक विकास	244.55	237.78	– 4.39	– 5.05	–	–
संस्थागत वित्त	6.11	5.94	0.78	1.28	12.77	21.55
सिंचाई	6.12	6.01	– 1.16	0.16	–	2.66
पंचायती राज	1.43	1.43	– 0.03	– 0.03	–	–
योजना	0.88	0.85	– 0.14	– 0.01	–	1.18
विद्युत	192.20	218.32	– 0.78	1.82	–	0.83
लोक निर्माण	26.16	30.86	2.15	5.66	8.22	18.34
ग्रामीण एवं लघु उद्योग	50.64	54.38	– 3.81	– 0.77	–	–
चीनी एवं गन्ना विकास	520.18	553.96	1.67	12.43	0.32	2.24
वस्त्र	96.27	96.96	– 19.25	112.11	–	115.63
पर्यटन	14.01	14.01	1.05	1.05	7.49	7.49
वक्फ	1.19	1.21	0.00	0.01	0.00	0.83
योग	**1956.20**	**1930.60**	**– 48.70**	**174.50**		

वर्ष 1997-98 के दौरान नियोजित पूँजी पर प्रतिलाभ में मुख्यतः 3* कम्पनियों द्वारा पूर्व के वर्षों से सम्बन्धित 112.41 करोड़ रुपये की राशि के प्राविधानों के पुनर्लेखन के कारण काफी सुधार हो गया, न कि कम्पनियों की कार्यशीलता में सुधार के कारण।

1.2.9 सरकारी कम्पनियों द्वारा प्रोन्नत संयुक्त क्षेत्र की कम्पनियों द्वारा अंशदानों का पुनः क्रय

कुछ सरकारी कम्पनियाँ राज्य के उद्योगों का, उनकी अंश पूँजी में निवेश करके अथवा ऋण उपलब्ध कराके विकास/प्रोन्नति में कार्यरत हैं। संवर्धनात्मक समझौते की शर्तों में, संवर्धित इकाई द्वारा वाणिज्यिक उत्पादन आरम्भ किये जाने के पश्चात सह-प्रोन्नतकर्ताओं द्वारा सरकारी कम्पनियों से अंशदानों के वापस क्रय किये जाने की व्यवस्था है। तथापि, वर्ष के दौरान कोई अपनिवेश नहीं किया गया।

1.2.10 सांविधिक लेखा परीक्षकों तथा नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा किये गये महत्वपूर्ण पर्यवेक्षण

1.2.10.1 कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा 619(3)(ए) भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक को, सरकारी कम्पनियों के सांविधिक लेखा परीक्षकों को उनके कार्यों के सम्पादन के सम्बन्ध में निर्देश जारी करने का अधिकार प्रदान करती है। जारी किये गये ऐसे निर्देशों के अनुप्रेरण में, अक्टूबर 1997 से सितम्बर 1998 के दौरान पाँच कम्पनियों से सम्बन्धित सांविधिक लेखा परीक्षकों के विशेष प्रतिवेदन प्राप्त किये गये। इन प्रतिवेदनों में देखे गये महत्वपूर्ण बिन्दुओं का सार नीचे वर्णित है:

क्रम संख्या	दोषों के प्रकार	कम्पनियों की संख्या जहाँ दोष देखे गये	परिशिष्ट–2 की क्रम संख्या का संदर्भ
1.	लेखा नियमावली का अभाव	1	78
2.	पर्याप्त बजट नियंत्रण प्रणाली का अभाव	2	36,50
3.	आन्तरिक लेखापरीक्षा प्रणाली व्यापार की प्रकृति व आकार के सम्मेय नहीं थी या उसे सुदृढ़ बनाने की आवश्यकता थी	2	50, 52

* परिशिष्ट–2 की क्रम संख्या: 76, 78 एवं 79 ।

क्रम संख्या	दोषों के प्रकार	कम्पनियों की संख्या जहाँ दोष देखे गये	परिशिष्ट–2 की क्रम संख्या का संदर्भ
4.	अचल परिसम्पत्तियों की पंजिका की दोषपूर्ण अवस्थापना/अनावस्थापना	3	36,50,52
5.	भण्डार एवं फालतू पुर्जो का अधिकतम/न्यूनतम स्तर का ध्यान न रखा जाना/नियत न किया जाना	2	50,78
6.	मानक लागत प्रणाली का अभाव	1	78
7.	बैंक लेखों का मिलान न किया जाना	2	52,70
8.	कच्चे माल/ईंधन के उपभोग हेतु मानकों का निर्धारण न किया जाना	3	36,50,78
9.	पार्टियें के अधिशेषों को प्रमाणित कराये जाने/प्राप्यों की समीक्षा किये जाने की प्रणाली का अभाव	2	36,78
10.	सेवा इकाइयों हेतु प्रोफार्मा लेखों का अनावस्थापन	1	78
11.	नियंत्रण लेखों की दोषपूर्ण अवस्थापना	1	50
12.	उपार्जन आधार के लेखाकरण का पालन न करना	2	50,52
13.	भण्डारों के भौतिक सत्यापन हेतु उचित प्रणाली का अभाव	1	50
14.	पर्याप्त उत्पादन अभिलेखों का अनावस्थापन	1	50

1.2.10.2 कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा 619(4) के अन्तर्गत, भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक को सांविधिक लेखा परीक्षकों के प्रतिवेदन पर टिप्पणी करने अथवा अनुपूरण करने का अधिकार है। इस प्राविधान के अन्तर्गत, सरकारी कम्पनियों के वार्षिक लेखों की समीक्षा चयन आधार पर की जाती है। वर्ष के दौरान, प्राप्त किये गये 51* कम्पनियों के 63 लेखों में से अक्टूबर

* 44 सरकारी कम्पनियाँ, 4 परिसमापनाधीन सरकारी कम्पनियाँ और 3 मान्य सरकारी कम्पनियाँ।

1997 से सितम्बर 1998 के दौरान ऐसी समीक्षा हेतु 36 कम्पनियों से सम्बन्धित 38 लेखों का चयन किया गया। ऐसी समीक्षा के परिणामस्वरूप महत्वपूर्ण टिप्पणियों का शुद्ध प्रभाव नीचे दिया गया है:

(लाख रुपये में)

विवरण	लेखों की संख्या	वित्तीय प्रभाव
लाभ में कमी	1	262.50
हानि में वृद्धि	9	555.35
योग		**817.85**

इन कम्पनियों में कुछ के वार्षिक लेखों की समीक्षा के दौरान देखी गई मुख्य त्रुटियाँ और चूक जो सांविधिक लेखा परीक्षकों द्वारा इंगित नहीं की गईं, का उल्लेख नीचे किया गया है:

उत्तर प्रदेश समाज कल्याण निर्माण निगम लिमिटेड (1996-97)

वर्ष 1994-95 और 1995-96 हेतु बढ़ी हुई ग्रेच्युटी का प्राविधान न किये जाने के कारण कर्मचारियों के पारिश्रमिक तथा लाभ एवं हानि को 8.40 लाख रुपये तक कम करके व्यक्त किया गया जैसा कि जनरल इन्श्योरेन्स कम्पनी द्वारा जनवरी 1997 में मांग की गई और जिसका अप्रैल 1997 में कम्पनी द्वारा भुगतान किया गया।

उत्तर प्रदेश जल विद्युत निगम लिमिटेड (1996-97)

सरकारी ऋणों (269.25 लाख रुपये) के ब्याज को, ब्याज की निम्न दर पर किये गये प्राविधान के कारण 262.50 लाख रुपये से कम करके व्यक्त किया गया जिसके परिणामस्वरूप वर्तमान देयताओं एवं प्राविधानों को भी 262.50 लाख रुपये से कम करके व्यक्त किया गया।

उत्तर प्रदेश स्टेट यार्न कम्पनी लिमिटेड (1996-97)

ऋण (239.91 लाख रुपये) के ब्याज में वर्ष के सरकारी ऋण (500 करोड़ रुपये) पर देय 105.38 लाख रुपये सम्मिलित नहीं किये गये थे जिससे वर्ष की वर्तमान देयता और हानि को प्रत्येक

105.38 लाख रुपये से कम करके व्यक्त किया गया।

उत्तर प्रदेश स्टेट एग्रो इण्डस्ट्रियल कार्पोरेशन लिमिटेड (1995-96)

क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त द्वारा कर्मचारी भविष्य निधि देयों के शून्य/विलम्बित जमा करने के कारण आरोपित 15.62 लाख रुपये के अर्थदण्ड का प्राविधान न किये जाने के कारण हानि और वर्तमान देयताओं को 15.62 लाख रुपये से कम करके व्यक्त किया गया।

उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण निगम लिमिटेड (1995-96)

(क) इन्वेस्टमेंट एलाउन्स रिजर्व (188.63 लाख रुपये) को 83.01 लाख रुपये से अधिक कर के व्यक्त किया गया क्योंकि कम्पनी ने अपने लाभ एवं हानि खाते में, 83.01 लाख रुपये की राशि का (1984-85 तक सृजित 77.38 लाख रुपये तथा 1985-86 में सृजित 5.63 लाख रुपये) इन्वेस्टमेंट एलाउन्स रिजर्व, इसके अवधारण की सांविधिक अवधि की समाप्ति पर, पुनर्लिखित नहीं किया जिसके परिणामस्वरूप संचित हानि (820.26 लाख रुपये) तथा वर्ष में हानि (195.90 लाख रुपये) को क्रमशः 83.01 लाख रुपये और 5.63 लाख रुपये से अधिक करके व्यक्त किया गया।

(ख) सामान्य आरक्षित निधि (1550 लाख रुपये) को 820.26 लाख रुपये से अधिक व्यक्त किया गया जो संचित हानि को इंगित करती थी और जिसे सामान्य आरक्षित निधि से घटाये जाने के स्थान पर निधियों की प्रयुक्ति के अन्तर्गत गलत ढंग से दर्शाया गया जैसा कि कम्पनी अधिनियम, 1956 की अनुसूची VI के भाग I में अपेक्षित था।

(ग) अचल सम्पत्तियों (59.65 लाख रुपये) की बिक्री पर लाभ-अन्य प्राप्तियों को 3.64 लाख रुपये से अधिक करके दर्शाया गया क्योंकि कम्पनी ने इस शीर्ष के अन्तर्गत अचल सम्पत्तियों का अधिप्राप्ति मूल्य से अधिक में निस्तारण किये जाने से प्राप्त, पूँजीगत लाभ को सम्मिलित किया था।

उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण निगम लिमिटेड (1996-97)

सेवार्थियों से अग्रिम–अग्रिम भुगतान जिसके लिये मूल्य अभी भी दिया जाना था (235.21 लाख रुपये) में, सेवार्थी से अग्रिम के रूप में प्राप्त 67.01 लाख रुपये की एक राशि जिसका कार्य के पूर्ण होने, सत्यापित होने और स्वीकार किये जाने की सीमा तक का समायोजन नहीं किया गया था, सम्मिलित थी जिसके परिणामस्वरूप सेवार्थियों से अग्रिम को 67.01 लाख रुपये से अधिक करके व्यक्त किया गया।

दि इण्डियन टर्पेन्टाइन ऐण्ड रोज़िन कम्पनी लिमिटेड (1996-97)

94.19 लाख रुपये के राशि की कर्मचारियों को देय ग्रेच्युटी को, लेखों में विशिष्ट देयता का सृजन करने के स्थान पर आकस्मिक देयता के रूप में लिया गया जिसके परिणामस्वरूप हानि को 94.19 लाख रुपये से कम करके व्यक्त किया गया।

1.2.11 क्षमता उपयोग

निर्माण करने वाली कम्पनियों की अधिष्ठापित अथवा श्रेणीबद्ध क्षमता का उपयोजन (उपलब्ध सूचना की सीमा तक) परिशिष्ट–4 में दिया गया है। 14 कम्पनियों में उपयोजन का प्रतिशत 0.08 और 99.44 प्रतिशत के मध्य श्रेणीबद्ध था। क्षमता उपयोजन की तीन चीनी कम्पनियों के प्रकरण में गिरावट का मुख्य कारण गन्ने की अनुपलब्धता तथा पुरानी मशीनों में यांत्रिक रूकावट थी जबकि अन्य के प्रकरण में मांग की कमी, कच्चे माल की कमी और श्रमिक समस्या, कम क्षमता उपयोजन के मुख्य सहयोगी कारक थे।

1.2.12 619-बी कम्पनियाँ

कम्पनी अधिनियम,1956 की धारा 619-बी के अन्तर्गत पाँच कम्पनियाँ आती थीं। अगले पृष्ठ पर दी गई तालिका, नवीनतम उपलब्ध लेखों के आधार पर इन कम्पनियों की प्रदत्त पूँजी और कार्यचालन परिणामों के विवरण को इंगित करती है:

(करोड़ रुपये में)

कम्पनी का नाम	निवेश						
	लेखे का वर्ष	प्रदत्त पूँजी	राज्य सरकार	सरकारी कम्पनियाँ	अन्य	लाभ (+)/हानि (–)	संचित हानि
अल्मोड़ा मैग्नेसाइट लिमिटेड	1997–98	2.00	0.82	–	1.18	(+)1.34	3.98
कमाण्ड एरिया पाल्ट्री डेवलपमेन्ट कार्पोरेशन लिमिटेड	1994–95	0.24	–	–	0.24	(+)0.00003*	0.47
इलेक्ट्रानिक्स ऐण्ड कम्प्यूटर्स (इण्डिया) लिमिटेड	लेखे आरम्भ से ही (1995–96) अन्तिमीकृत नहीं किये गये						
स्टील ऐण्ड फास्टनर्स लिमिटेड	1978–79	0.90	–	0.55	0.35	(–) 0.45	–
उत्तर प्रदेश बीज एवं तराई विकास निगम लिमिटेड	1996–97	2.69	0.81	0.56	1.32	(+) 6.09	–

1.2.13 अन्य निवेश

राज्य सरकार ने किसी अन्य कम्पनी में सीधे निवेश नहीं किया। तथापि, सरकारी कम्पनियों और निगमों ने 68 ऐसी अन्य कम्पनियों में 10 लाख रुपये और उससे अधिक का निवेश किया जो भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा लेखा परीक्षा के आधीन नही है क्योंकि सरकारी कम्पनियों और निगमों द्वारा किये गये निवेश की कुल धनराशि, सम्बन्धित कम्पनियों की अंशपूँजी के 51 प्रतिशत से कम थी। सरकारी कम्पनियों और निगमों द्वारा ऐसे निवेश के सार अगले पृष्ठ पर दिये गये हैं :

* 346 रुपये मात्र

कम्पनी/निगम का नाम	कम्पनियों की संख्या जिनमें निवेश किये गये	निवेशित कुल धनराशि (करोड़ रुपये में)
प्रदेशीय औद्योगिक एवं विकास निगम लिमिटेड	22	65.24
उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड	33	9.39
उत्तर प्रदेश वित्तीय निगम	7	2.04
उत्तर प्रदेश खनिज विकास निगम लिमिटेड	1	0.71
उत्तर प्रदेश हिल इलेक्ट्रानिक्स कार्पोरेशन लिमिटेड	5	1.82
योग	**68**	**79.20**

1.3 सांविधिक निगम

1.3.1 सामान्य पहलू

31 मार्च 1998 को सात सांविधिक निगम एवं सोसाइटीज़ रजिस्ट्रेशन ऐक्ट, 1860 के अन्तर्गत निबन्धित एक निगम था। इन निगमों की लेखा परीक्षा व्यवस्थायें नीचे दी गई हैं:

निगम का नाम	विधान जिसके अन्तर्गत गठन हुआ	गठन की तिथि	लेखापरीक्षा की व्यवस्था	वर्ष जब तक के लेखों को अन्तिम रूप दिया गया	पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन (एस ए आर) को विधायिका को प्रस्तुत किये जाने तक का वर्ष	भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा लेखापरीक्षण किये जाने हेतु प्राधिकार
उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद	विद्युत (आपूर्ति) अधिनियम, 1948 की धारा 5(1)	अप्रैल 1959	भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा एक मात्र लेखा परीक्षा	1997–98	–	विद्युत (आपूर्ति) अधिनियम, 1948 की धारा 69(2)

निगम का नाम	विधान जिसके अन्तर्गत गठन हुआ	गठन की तिथि	लेखापरीक्षा की व्यवस्था	वर्ष जब तक के लेखों को अन्तिम रूप दिया गया	पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन (एस ए आर) को विधायिका को प्रस्तुत किये जाने तक का वर्ष	भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा लेखापरीक्षण किये जाने हेतु प्राधिकार
उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम	सड़क परिवहन निगम अधिनियम, 1950 की धारा 3	जून 1972	तदैव	1996–97	1993–94	सड़क परिवहन निगम अधिनियम की धारा 33(2)
उत्तर प्रदेश वित्तीय निगम	राज्य वित्तीय निगम अधिनियम, 1951 की धारा 3	नवम्बर 1954	भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की सलाह पर नियुक्त शासपत्रित लेखाकारों द्वारा लेखा परीक्षा तथा सी एण्ड ए जी द्वारा अनुपूरक लेखापरीक्षा	1996–97	1992–93	राज्य वित्तीय निगम अधिनियम, 1951 की धारा 37(6)
उत्तर प्रदेश राज्य भण्डारागार निगम	भण्डारागार निगम अधिनियम, 1962 की धारा 18(1)	मार्च 1958	तदैव	1997–98	1996–97	भण्डारागार निगम अधिनियम 1962 की धारा 31(8)
उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद	उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास अधिनियम, 1965	1966	भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा एक मात्र लेखापरीक्षा	1994–95	–	नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (कर्तव्य, अधिकार एवं सेवा शर्तें) अधिनियम, 1971 की धारा 19(3)
उत्तर प्रदेश जल निगम	उत्तर प्रदेश वाटर सप्लाई एण्ड सीवरेज़ ऐक्ट 1975 की धारा 43	जून 1975	तदैव	1996–97	–	नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (कर्तव्य, अधिकार एवं सेवा शर्तें) अधिनियम, 1971 की धारा 20(1)

निगम का नाम	विधान जिसके अन्तर्गत गठन हुआ	गठन की तिथि	लेखापरीक्षा की व्यवस्था	वर्ष जब तक के लेखों को अन्तिम रूप दिया गया	पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन (एस ए आर) को विधायिका को प्रस्तुत किये जाने तक का वर्ष	भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा लेखापरीक्षण किये जाने हेतु प्राधिकार
उत्तर प्रदेश वन निगम*	उत्तर प्रदेश वन निगम अधिनियम, 1974	नवम्बर 1974	भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की सलाह पर नियुक्त शासपत्रित लेखाकारों द्वारा लेखापरीक्षा तथा सी ए जी द्वारा अनुपूरक लेखापरीक्षा	1997–98	–	नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (कर्तव्य, अधिकार एवं सेवा शर्तें) अधिनियम 1971 की धारा 19(3)
उत्तर प्रदेश राज्य कर्मचारी कल्याण निगम*	सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन ऐक्ट, 1860	1965	तदैव	–	–	तदैव

1.3.2 निवेश

31 मार्च 1998 को पाँच सांविधिक निगमों में, 31 मार्च 1997 को छः निगमों में 14946.93 करोड़ रुपये के कुल निवेश (अंश पूँजीः 425.86 करोड़ः दीर्घकालीन ऋणः 14521.07 करोड़ रुपये) के विरुद्ध 15515.65 करोड़ रुपये (अंश पूँजीः 427.20 करोड़ः रुपये, दीर्घकालीन ऋणः 15088.45 करोड़ रुपये) का निवेश था (जिनकी वित्तीय स्थिति और कार्यचालन परिणाम उपलब्ध थे)।

इन निगमों में क्षेत्रवार निवेश अगले पृष्ठ पर दिया गया हैः

* उत्तर प्रदेश वन निगम और उत्तर प्रदेश राज्य कर्मचारी कल्याण निगम की लेखापरीक्षा भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक को वर्तमान वर्ष में सौंपी गई थी, इसलिये इन निगमों की वित्तीय स्थिति और कार्यचालन परिणामों को इस प्रतिवेदन में सम्मिलित नहीं किया जा सका।

(करोड़ रुपये में)

विभाग का नाम निगम का नाम	वर्ष के अन्त में अंश पूँजी और ऋण				1997–98 में ऋण, अंश पूँजी अनुपात
	1996-97		1997-98		
	अंश पूँजी	ऋण	अंश पूँजी	ऋण	
1. **विद्युत विभाग** उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद	–	13027.12	–	13598.31	–
2. **परिवहन विभाग** उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम	314.69	59.82	315.83	97.10	0.31:1
3. **उद्योग विभाग** प्रदेश वित्तीय निगम	100.00	1153.51	100.00	1391.22	14:1
4. **सहकारी विभाग** उत्तर प्रदेश राज्य भण्डारागार निगम	11.17	2.57	11.37	1.82	0.16:1
5. **आवास विभाग** उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद	–	4.81	–	–	–
6. **शहरी विकास विभाग** उत्तर प्रदेश जल निगम	–	273.24	–	अनुपलब्ध	–
योग	**425.86**	**14521.07**	**427.20**	**15088.45**	

1.3.3 ऋणों पर प्रत्याभूति

1997-98 तक के पूर्ववर्ती तीन वर्षो में राज्य सरकार द्वारा सांविधिक निगमों को ऋणों के विरुद्ध दी गई प्रत्याभूति बैंकों द्वारा दिये गये क्रेडिट (ब्याज की सम्मिलित करते हुये) आदि तथा 31 मार्च 1998 को बकाया प्रत्याभूति अगले पृष्ठ पर तालिका में दी गई है:

(करोड़ रुपये मे)

क्रम संख्या	प्रत्याभूतियाँ	राज्य सरकार द्वारा दी गई प्रत्याभूतियाँ			31 मार्च 1998 को बकाया प्रत्याभूति की धनराशि
		1995-96	1996-97	1997-98	
1.	भारतीय स्टेट बैंक तथा अन्य राष्ट्रीयकृत बैंको से नकद उधार	18.00	9.00	6.00	6.00
2.	अन्य स्रोतो से ऋण	249.99	4101.77	4458.67	3102.51
3.	भारतीय स्टेट बैंक तथा अन्य राष्ट्रीयकृत बैंको द्वारा विद्युत के क्रय हेतु खोले गये साख–पत्र	109.00	89.00	–	–

1.3.4 लेखाओं का अन्तिमीकरण

उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद, उत्तर प्रदेश राज्य भण्डारागार निगम एवं उत्तर प्रदेश वन निगम ने 1997-98 तक के अपने लेखों को अन्तिम रूप दे दिया है। उत्तर प्रदेश जल निगम, उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम तथा उत्तर प्रदेश वित्तीय निगम ने 1996-97 तक के अपने लेखों को अन्तिम रूप दे दिया है। उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद ने केवल 1994-95 तक के लेखों को अंतिम रूप दिया है। जबकि अपने नवीनतम अन्तिमीकृत लेखों के अनुसार उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम, उत्तर प्रदेश वित्तीय निगम और उत्तर प्रदेश जल निगम ने क्रमशः 48.14 करोड़ रुपये, 14.26 करोड़ रुपये तथा 52.36 करोड़ रुपये की हानि उठाई, उत्तर प्रदेश राज्य भण्डारागार निगम, उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद तथा उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद ने क्रमशः 3.74 करोड़ रुपये, 291.64 करोड़ रुपये तथा 0.84 करोड़ रुपये का अधिशेष प्रदर्शित किया।

1.3.5 बजट बहिर्गमन

1995-96 से 1997-98 के वर्षो के दौरान, अंश पूँजी ऋण और उपदान के रूप में सांविधिक निगमों को राज्य सरकार से बहिर्गमन अगले पृष्ठ पर दिये गये विवरण के अनुसार है:

(करोड़ रुपये में)

विवरण	1995–96	1996–97	1997–98
1. बजट से अंशपूँजी का बहिर्गमन	0.50	—	1.16
2. बजट से दिये गये ऋण	538.90	974.81	829.50
3. उपदान	—	—	638.03

1.3.6 उपदान

राज्य सरकार उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद को ग्रामीण विद्युतीकरण हानियों के लिये उपदान देती है।

यद्यपि, राज्य सरकार ने परिषद की दर अनुसूची संरचना में उसके प्रति-उपदान के दृष्टिकोण से, ग्रामीण विद्युतीकरण उपदान को उनके वार्षिक लेखे में न दिखाये जाने का निर्देश दिया था (सितम्बर और नवम्बर 1993), वर्ष 1995-96 1996-97 और 1997-98 में सरकार से वसूली योग्य क्रमशः 1517.20 करोड़ रुपये, 1556.77 करोड़ रुपये और 1838.90 करोड़ रुपये के उपदान को प्रदर्शित किया। 1997-98 के लेखे में 31 मार्च 1998 को प्राप्त होने वाला कुल उपदान 9243.30 करोड़ रुपये का दिखाया गया।

सरकारी निर्देश के दृष्टि से, यह उपदान प्राप्त होने वाला नही है। यह, परिषद के वार्षिक लेखे में प्रदर्शित राजस्व प्राप्तियों की स्थिति को प्रतिकूल ढंग से प्रभावित करता है और परिषद द्वारा दिखाये गये अधिशेष को न केवल मिटा देता है बल्कि इसे शुद्ध ह्रास में परिवर्तित कर देता है।

1.3.7 कार्यचालन परिणाम

सांविधिक निगमों के नवीनतम वर्ष के कार्यचालन परिणाम जिनके लेखों को अन्तिम रूप दे दिया गया है, परिशिष्ट–5 में संक्षिप्त किये गये हैं। इन निगमों के लेखें और भौतिक सम्पादन से सम्बन्धित प्रमुख बिन्दु प्रस्तर 1.4 से 1.9 तक अगले पृष्ठ पर दिये गये हैं।

1.4 उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद

1.4.1 परिषद की पूँजीगत आवश्यकताओं को सरकार, जनता, बैकों तथा अन्य वित्तीय संस्थाओं से ऋण द्वारा पूर्ण किया जाता है। परिषद द्वारा प्राप्त किया गया और 31 मार्च 1998 को बकाया सरकार से प्राप्त ऋण सहित दीर्घकालीन ऋणों का योग 13598.31 करोड़ रुपये था जिसने पूर्व वर्ष के अन्त में बकाया 13027.12 करोड़ रुपये के दीर्घकालीन ऋणों पर 571.19 करोड़ रुपये (4.38 प्रतिशत) की वृद्धि का प्रदर्शन किया।

1.4.2 सरकार ने 3550.87 करोड़ रुपये तक की सीमा तक परिषद द्वारा लिये गये ऋणों के पुनर्भुगतान एवं उसके ब्याज के भुगतान की प्रत्याभूति दी थी। 31 मार्च 1998 को उसके विरुद्ध बकाया राशि 2337.97 करोड़ रुपये थी।

1.4.3 31 मार्च 1998 के अन्त तक के तीन वर्षों में परिषद की वित्तीय स्थिति नीचे दी गई है:

(करोड़ रुपये में)

विवरण	1995–96	1996–97	1997–98
क. देयतायें			
दीर्घकालीन ऋण			
(अ) सरकार	9499.77	10447.56	11268.49
(ब) अन्य स्रोत	2474.14	2579.56	2329.82
राजकीय प्रदान एवं अनुदान:			
(अ) सरकार	128.66	168.55	227.42
(ब) अन्य	15.58	32.57	53.75
आरक्षित निधि एवं अतिशेष	1209.09	1526.26	1992.77
चालू देयतायें एवं प्राविधान	8800.21	10541.92	13287.18
योग क	**22127.45**	**25296.42**	**29159.43**

(करोड़ रुपये में)

विवरण	1995–96	1996–97	1997–98
ख. परिसम्पत्तियाँ			
सकल अचल परिसम्पत्तियाँ	12925.28	14032.16	14784.42
घटाया–मूल्य ह्रास	2815.91	3533..56	4231.56
घटाया–उपभोक्ता योगदान	693.41	781.24	867.67
निवल अचल परिसम्पत्तियाँ	9415.96	9717.36	9685.19
पूँजीगत प्रगतिगत कार्य	1559.39	1939.14	2543.42
चालू परिसम्पत्तियाँ	5132.24	5965.81	7474.16
सरकार से प्राप्त होने वाले उपदान	5848.10	7404.40	9243.30
निवेश	171.29	269.23	212.00
(अ) अमूर्त परिसम्पत्तियाँ	0.47	0.48	1.36
(ब) संचित हानि	–	–	–
योग ख	**22127.45**	**25296.42**	**29159.43**
ग. नियोजित पूँजी*	**7307.38**	**7080.39**	**6415.59**

* नियोजित पूँजी निवल अचल परिसम्पत्तियों (प्रगतिगत कार्य सहित) और कार्यशील पूँजी को निरूपित करती है।

1.4.4 परिषद के 1997-98 तक के तीन वर्षों के कार्यचालन परिणामों को नीचे संक्षिप्त किया गया है:

(करोड़ रुपये में)

विवरण	1995–96	1996–97	1997–98
1. (अ) राजस्व प्राप्तियाँ	4134.52	4250.96	5087.98
(ब) राज्य सरकार से उपदान	1517.20	1556.77	1839.61
(स) योग	5651.72	5807.73	6927.59
2. राजस्व व्यय (पूँजीगत निवल व्यय) अमूर्त परिसम्पत्तियों के अपलेखन सहित किन्तु मूल्य ह्रास और ब्याज को छोड़ कर	3730.34	3785.17	4467.70
3. सकल अधिशेष/(–) घाटा वर्ष की (1–2)	1921.38	2022.56	2459.89
4. विगत वर्ष से सम्बन्धित समायोजन	0.94	346.56	191.63
5. अन्तिम सकल अधिशेष/(–) घाटा वर्ष की (3+4)	1922.32	2369.12	2651.52
6. विनियोजन			
(अ) मूल्य ह्रास (घटाया पूँजीगत)	522.77	736.67	758.33
(ब) सरकारी ऋणों पर ब्याज	966.73	1036.16	1166.01
(स) अन्य ऋणों, ऋण पत्रों और अग्रिमों आदि पर ब्याज	585.12	624.84	722.50
(द) ऋणों पर कुल ब्याज (ब+स)	1551.85	1661.00	1888.51
(ई) घटाया पूँजीगत ब्याज	174.50	199.34	286.96
(फ) राजस्व को प्रभारित निवल ब्याज (द–ई)	1377.35	1461.66	1601.55
7. राज्य सरकार से उपदान की लेखाबन्दी से पूर्व अधिशेष/(–)घाटा (5–6) (अ)–6(फ)–1(ब)	(–) 1495.00	(–) 1385.98	(–) 1547.97
8. निवल अधिशेष/(–)घाटा (5–6)(अ)–6 (फ)	22.20	170.79	291.64
9. नियोजित पूँजी* पर कुल प्रतिलाभ	1399.55	1632.45	1893.19
10. नियोजित पूँजी पर प्रतिलाभ का प्रतिशत	19.15	23.06	29.51

* नियोजित पूँजी पर कुल प्रतिलाभ, निवल अधिशेष/घाटा तथा लाभ और हानि को प्रभारित कुल ब्याज (पूँजीगत ब्याज को छोड़ कर) के योग को निरुपित करता है।

1.4.5 परिषद के कार्यचालन परिणामों का लेखा परीक्षा आंकलन

31 मार्च 1998 को अन्त हुये वर्ष के लेखे में वर्ष 1996–97 के दौरान 170.79 करोड़ रुपये के अधिशेष की तुलना में, 291.64 करोड़ रुपये का अधिशेष बताया गया। 291.64 करोड़ रुपये का अधिशेष राज्य सरकार से वसूल किये जाने वाले उपदान के कारण 1838.90 करोड़ रुपये का क्रेडिट लेने के पश्चात, जिसे राज्य सरकार द्वारा स्वीकार नहीं किया गया, निकाला गया था।

विद्युत (आपूर्ति) अधिनियम, 1948 की धारा 59 के अनुसार, राज्य सरकार से धारा 63 के अन्तर्गत प्राप्त राज्य प्रदान का क्रेडिट लेने के पश्चात उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद को एक अधिशेष छोड़ना चाहिए जो वर्ष के आरम्भ पर उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद की सेवारत अचल परिसम्पत्तियों के मूल्य के 3 प्रतिशत से कम न हो।

इस आधार पर, उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद को वर्ष 1997-98 में 291.52 करोड़ रुपये का न्यूनतम अधिशेष (वर्ष के आरम्भ में सेवारत अचल परिसम्पत्तियों के मूल्य का 3 प्रतिशत) प्राप्त करना चाहिये था। इसके विरुद्ध, 291.64 करोड़ रुपये का शुद्ध अधिशेष था।

निम्न तालिका में उल्लेखित मुख्य अनियमितताओं/चूकों को, नवम्बर 1998 में जारी किये गये वर्ष 1997-98 के परिषद के संशोधित लेखों पर पृथक लेखा परीक्षा प्रतिवेदन में इंगित किया गया था।

(करोड़ रुपये में)

क्रम संख्या	अनियमिततायें/चूकें	धनराशि
1.	क्रय की गई विद्युत के मूल्य को कम करके व्यक्त किया जाना	(+)101.64
2.	अन्य व्ययों को कम करके व्यक्त किया जाना	(+)67.04
3.	राज्य सरकार द्वारा अस्वीकृत उपदान	(+)1838.90
4.	मेसर्स जे.पी. इण्डस्ट्रीज़ को की गई बिक्री पर वसूली योग्य ब्याज (अब तक दावा नहीं किया गया)	(–)4.50
5.	अल्प देयकीकरण (विद्युत की बिक्री पर)	(–)47.79
6.	शुद्ध परिणाम (अधिशेष में कमी)	1955.29

1997-98 तक के तीन वर्षों के परिषद के कार्यचालन परिणामों के लेखा परीक्षा आंकलन के आधार पर, परिषद के वार्षिक लेखे पर पृथक लेखा परीक्षा प्रतिवेदन में इंगित मुख्य अनियमितताओं एवं चूकों को ध्यान में रखते हुये तथा राज्य सरकार से प्राप्य उपदान राज्य प्रदान पर विचार न करते हुये, परिषद का शुद्ध अधिशेष/घाटा तथा नियोजित पूँजी और निवेशित पूँजी पर प्रतिलाभ का प्रतिशत निम्नानुसार होगाः

(करोड़ रुपये में)

क्रम संख्या	विवरण	1995-96	1996-97	1997-98
1.	निवल अधिशेष/(–) घाटा–लेखा खातों के अनुसार	22.20	170.79	291.64
2.	राज्य सरकार से उपदान	1517.20	1556.77	1839.61
3.	निवल अधिशेष–राज्य सरकार से उपदान से पूर्व (1–2)	(–)1495.00	(–)1385.98	(–)1547.97
4.	निवल अधिशेष में निवल वृद्धि/कमी–परिषद के वार्षिक लेखे पर लेखापरीक्षा की टिप्पणियों के कारण	(–)128.73	(–)120..33	(–)116.39
5.	निवल अधिशेष/(–)घाटा–लेखापरीक्षा की टिप्पणियों के परिणाम को ध्यान में रखने के पश्चात किन्तु राज्य सरकार से उपदान के पूर्व (3–4)	(–)1623.73	(–)1506.31	(–)1664.36
6.	नियोजित पूँजी पर कुल प्रतिलाभ	(–)246.38	(–)44.65	(–)62.81
7.	नियोजित पूँजी के प्रतिलाभ का प्रतिशत	–	–	–

1.4.6 अग्रवर्ती तालिका, 1997-98 तक के तीन वर्षों का परिषद का संचालन सम्पादन इंगित करती है:

विवरण	1995-96	1996-97	1997-98
1. संस्थापित क्षमता (एम डब्ल्यू)			
(अ) तापीय	4544.00	4544.00	4544.00
(ब) जलीय	1504.75	1504.75	1504.75
योग	**6048.75**	**6048.75**	**6048.75**
2. उत्पादित विद्युत (एम के डब्ल्यू एच)			
(अ) तापीय	17813.00	18423.00	18379.82
(ब) जलीय	5014.00	5232.00	5427.78
योग	**22827.00**	**23655.00**	**23807.60**
(स) घटायाः आनुशंगिक उपभोग	1732.00	1812.00	1897.00
(द) निवल उत्पादित विद्युत	21095.00	21843.00	21910.60
(ई) क्रय की गई विद्युत	14014.00	14009.00	14540.00
(फ) बिक्री हेतु उपलब्ध कुल विद्युत (द+ई)	35109.00	35852.00	36450.60
3. बिक्री की गई विद्युत (एम के डब्ल्यू एच)	26771.00	27041.00	27130.00
4. पारेषण और वितरण हानियाँ (एम के डब्ल्यू एच)	8338.00	8811.00	9320.60
5. पारेषण और वितरण हानियों का प्रतिशत	23.75	24.58	25.57
6. संस्थापित क्षमता के प्रति के डब्ल्यू उत्पादित इकाईयाँ (एम के डब्ल्यू एच)	3774.84	3911.00	3935.95
7. संस्थापित क्षमता से उत्पादन का प्रतिशत	42.96	44.64	44.93

विवरण	1995-96	1996-97	1997-98
8. संयंत्र भार कारक का प्रतिशत	47.48	49.24	49.13
9. वर्ष के अन्त में विद्युतीकृत ग्राम/कस्बे (संख्या)	85657	87079	87930
10. वर्ष के अन्त में उर्जीकृत पम्पसेट/नलकूप (संख्या)			
(अ) निजी नलकूप	729356	746596	757911
(ब) राज्य नलकूप	32304	32093	अनुपलब्ध
11. संयोजित भार एम डब्ल्यू	13385	13954	14499
12. उपभेक्ताओं की संख्या (लाख में)	61.40	64.53	67.09
13. कर्मचारियों* की संख्या	96153	96053	92732
14. उपभोक्ता कर्मचारी अनुपात	64:1	64:1	72:1
15. प्रति एम के डब्ल्यू एच कर्मचारी लागत (लाख रुपये में)	2.18	2.62	2.97
16. उपभोक्ताओं की श्रेणी के अनुसार बिक्री की गई इकाइयों का विश्लेषण (एम के डब्ल्यू एच)			
(अ) कृषि	9507	9800	9420
(ब) उद्योग	6674	6290	6056
(स) वाणिज्यिक	2134	1902	1926
(द) घरेलू	6148	6555	7238
(ई) अन्य	2300	2494	2490
योग	26771	27041	27130
17. (अ) प्रति के डब्ल्यू एच राजस्व (पैसे)	143	148	177
(ब) प्रति के डब्ल्यू एच व्यय (पैसे)	210	221	245
(स) लाभ (+)/हानि प्रति के डब्ल्यू एच (पैसे)	(–) 67	(–) 73	(–) 68

* वर्ष के आरम्भ में कर्मचारियों की संख्या को इंगित करती है।

1.5 उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम

अधिनियम की धारा 23(1) की शर्तो में प्राविधान है कि राज्य और केन्द्र सरकार निगम द्वारा आवश्यक पूँजी को 4.1 के अनुपात में उपलब्ध कराते हैं जिसे जनवरी 1997 में 1.1 में संशोधित कर दिया गया। 31 मार्च 1998 को निगम की प्रदत्त अंश पूँजी, 31 मार्च 1997 की 314.69 करोड़ रुपये (राज्य सरकारः 245.44 करोड़ रुपये तथा केन्द्र सरकारः 69.25 करोड़ रुपये) के विरुद्ध 315.83* करोड़ रुपये थी (राज्य सरकारः 246.58 करोड़ रुपये तथा केन्द्र सरकारः 69.25 करोड़ रुपये)। इसके अतिरिक्त, 31 मार्च 1998 को 97.10 करोड़ रुपये की राशि के ऋण (राज्य सरकारः 17.61 करोड़ रुपये, भारतीय जीवन बीमा निगमः 44.27 करोड़ रुपये, भारतीय औद्योगिक विकास बैंकः 3511 करोड़ रुपये तथा अन्यः 0.11 करोड़ रुपये) बकाया थे। राज्य सरकार ने निगम द्वारा लिये गये ऋणों के पुनर्भुगतान और उस पर ब्याज के भुगतान की प्रत्याभूतियाँ भी दी थीं।

1.5.2 निगम ने वर्ष 1997-98 के लेखों को अब तक (अक्टूबर 1998) अन्तिम रूप नहीं दिया है। 1996-97 तक के तीन वर्षों में प्रत्येक के अन्त में निगम की वित्तीय स्थिति नीचे दी गई है:

(करोड़ रुपये में)

विवरण	1994-95	1995-96	1996-97
(क) देयतायें			
पूँजी	313.51	314.01	314.69
आरक्षित निधि एवं अधिशेष	0.95	0.29	0.30
ऋण	127.34	147.62	123.37
व्यापार देय एवं अन्य चालू देयतायें	122.25	163.42	241.66
योग–क	**564.05**	**625.34**	**680.02**
(ख) परिसम्पत्तियाँ			
कुल परिसम्पत्तियाँ	483.44	498.95	510.74
घटायाः मूल्य ह्रास	318.01	329.64	347.91

* प्रबन्धन द्वारा दिये गये आंकड़े

(करोड़ रुपये में)

विवरण	1994-95	1995-96	1996-97
निवल अचल परिसम्पत्तियाँ	165.43	169.31	162.83
पूँजीगत प्रगतिगत कार्य	4.88	3.29	2.57
निवेश	0.80	1.30	0.74
चालू परिसम्पत्तियों, ऋण एवं अग्रिम	52.71	63.14	76.55
संचित हानियाँ	340.23	388.23	437.30
योग–ख	**564.05**	**625.34**	**680.02**
(ग) नियोजित पूँजी*	101.57	73.62	0.29

1.5.3 निगम के 1996-97 तक के तीन वर्षों के कार्यचालन परिणामों को नीचे संक्षिप्त किया गया है:

(करोड़ रुपये में)

विवरण	1994-95	1995-96	1996-97
कुल राजस्व	457.91	505.91	540.62
कुल व्ययः			
(अ) ब्याज के अतिरिक्त	473.36	525.14	564.86
(ब) ब्याज	20.17	22.64	23.90
योग	493.53	547.78	588.76
निवल हानि	35.62	41.87	48.14
कुल प्रतिलाभः			
नियोजित पूँजी पर	(–)15.45	(–)19.23	(–)24.24
नियोजित पूँजी पर प्रतिलाभ का प्रतिशत	–	–	–

* नियोजित पूँजी निवल अचल परिसम्पत्तियों (पूँजीगत प्रगतिगत कार्य को सम्मिलित करते हुये) और कार्यशील पूँजी के योग को निरुपित करती है।

निगम ने वर्ष 1995-96 के दौरान उठाई गई 41.87 करोड़ रुपये की हानि की तुलना में वर्ष 1996-97 के दौरान 48.14 करोड़ रुपये की हानि उठाई। वर्ष 1995-96 की तुलना में, निगम की हानि वर्ष 1996-97 के दौरान 14.97 प्रतिशत बढ़ गई। 1996-97 के दौरान हानि, मुख्यतः संचालन व्यय, ईंधन और तेल, मरम्मत और अनुरक्षण, कल्याण और सामान्य प्रशासनिक व्यय के मूल्य में वृद्धि को आरोपणीय थी।

निगम ने अपनी पूँजी (314.69 करोड़ रुपये) का पूर्णतयः क्षरण कर दिया था क्योंकि 1996-97 के अन्त में संचित हानि 437.30 करोड़ रुपये की राशि की थी।

1.5.4 निम्न तालिका 1997-98 तक के तीन वर्षों के दौरान निगम के भौतिक सम्पादन को इंगित करती है:

(करोड़ रुपये में)

विवरण	1995-96	1996-97	1997-98
अधिकृत वाहनों की औसत संख्या (प्रभावी बेड़ा)	7753	7570	7352
चालू वाहनों* की औसत संख्या	6552	6432	6432
उपयोजन का प्रतिशत	85	85	87
कर्मचारियों की संख्या	54668	53539	52537
वाहन कर्मचारी अनुपात	8.34:1	8.32:1	8.17:1
तय किये गये किलोमीटर (लाख में)			
– कुल	6538	6224	6726
– प्रभावी	6377	6072	6560
– निष्प्रभावी	161	152	166
कुल किलो मीटरों से निष्प्रभावी किलो मीटरों का प्रतिशत	2.46	2.44	2.47

* वाहनों में बसें, टैक्सियाँ और ट्रकें सम्मिलित हैं।

(करोड़ रुपये में)

विवरण	1995-96	1996-97	1997-98
प्रति बस प्रतिदिन तय किये गये औसत किलोमीटर	211	206	218
प्रति किलोमीटर औसत राजस्व (पैसे)	793	883	914
प्रति किलोमीटर औसत व्यय (पैसे)	859	947	983
प्रति किलोमीटर हानि (पैसे)	66	64	69
कुल मार्ग किलोमीटर (लाख में)	5.94	5.62	5.03
संचालित डिपों की संख्या	110	110	113
प्रति लाख किलोमीटर पर व्यवधानों की औसत संख्या	4.83	5.70	5.50
प्रति लाख किलोमीटर पर दुर्घटनाओं की औसत संख्या	0.21	0.20	0.20
यात्री किलोमीटर			
– अनुसूचित (लाख में)	343235	327009	352496
– संचालित (लाख में)	236832	219096	225597
अधिभोग अनुपात (प्रतिशत)	69	67	64

1.6 उत्तर प्रदेश वित्तीय निगम

1.6.1 31 मार्च 1997 और 31 मार्च 1998 को निगम की प्रदत्त पूँजी 100 करोड़ रुपये थी (राज्य सरकारः 63.45 करोड़ रुपये भारतीय औद्योगिक बैंकः 34.55 करोड़ रुपये एवं अन्यः 2 करोड़ रुपये)।

1.6.2 31 मार्च 1998 को समाप्त हुये पाँच वर्षों की निगम की वित्तीय स्थिति और कार्यचालन परिणामों की इस प्रतिवेदन के प्रस्तर 3अ.5(क) और (ख) में विस्तार से चर्चा की गई है।

1.7 उत्तर प्रदेश राज्य भण्डारागार निगम

1.7.1 31 मार्च 1997 को 11.17 करोड़ रुपये की निगम की प्रदत्त पूँजी (राज्य सरकारः 5.99 करोड़ रुपये एवं केन्द्रीय भण्डारागार निगमः 5.18 करोड़ रुपये) के विरुद्ध 31 मार्च 1998 को प्रदत्त पूँजी 11.37 करोड़ रुपये थी (राज्य सरकार 6.19 करोड़ रुपये एवं केन्द्रीय भण्डारागार निगमः 5.18 करोड़ रुपये)।

1.7.2 31 मार्च 1998 तक के तीन वर्षों में प्रत्येक के अन्त में निगम की वित्तीय स्थिति निम्न तालिका में दी गई है:

(करोड़ रुपये में)

विवरण	1995-96	1996-97	1997-98
(क) देयतायें			
प्रदत्त पूँजी	10.27	11.17	11.37
आरक्षित निधि एवं अधिशेष	11.94	12.44	21.67
ऋण	2.67	2.57	1.82
व्यापार देय एवं अन्य चालू देयतायें	12.91	12.04	14.16
योग–क	**37.79**	**38.22**	**49.02**
(ख) परिसम्पत्तियाँ			
कुल परिसम्पत्तियाँ	38.53	39.39	39.56
घटायाः मूल्य ह्रास	14.15	14.72	9.76
निवल अचल परिसम्पत्तियाँ	24.38	24.67	29.80
पूँजीगत प्रगतिगत कार्य	0.49	0.77	1.38
चालू परिसम्पत्तियाँ, ऋण एवं अग्रिम	12.92	12.78	17.84
योग–ख	37.79	38.22	49.02
(ग) नियोजित पूँजी*	**24.88**	**26.18**	**34.86**

* नियोजित पूँजी, निवल अचल परिसम्पत्तियों (पूँजीगत प्रगतिगत कार्य को सम्मिलित करते हुये) और कार्यशील पूँजी के योग को निरुपित करती है।

1.7.3 1997-98 तक के तीन वर्षों के निगम के कार्यचालन परिणाम नीचे संक्षिप्त किये गये हैं:

(करोड़ रुपये में)

विवरण	1995-96	1996-97	1997-98
आय			
(अ) भण्डारण प्रभार	19.55	15.51	17.65
(ब) अन्य आय	0.54	5.04	6.51
योग	**20.09**	**20.55**	**24.16**
व्यय			
(अ) स्थापना प्रभार	10.57	10.83	12.17
(ब) ब्याज	0.42	0.27	0.28
(स) अन्य व्यय	3.63	7.39	9.46
योग	**14.62**	**18.49**	**21.91**
निबल लाभ (+)/हानि (–)	+ 5.47	+ 2.06	+ 2.25
पूर्व अवधि के समायोजन	– 1.23	– 1.35	+ 1.49
कर पूर्व लाभ	+ 4.24	+ 0.71	+ 3.74
लाभांश हेतु उपलब्ध धनराशि	4.24	0.71	3.74
सामान्य आरक्षित से/को अंतरण	3.75	0.50	9.21
प्रस्तावित लाभांश	0.47	0.21	0.21
(अ) नियोजित पूँजी पर कुल प्रतिलाभ	+ 4.66	+ 0.98	+ 4.02
(ब) नियोजित पूँजी पर लाभांश का प्रतिशत	18.73	3.74	11.53

1.7.4 1997-98 तक के तीन वर्षों का निगम का भौतिक सम्पादन नीचे संक्षिप्त किया गया है:

(करोड़ रुपये में)

विवरण	1995-96	1996-97	1997-98
प्रबन्धित केन्द्रों की संख्या	100	100	101
वर्ष के अन्त में सृजित भण्डारण क्षमता:	(लाख टनों में)		
(अ) अधिष्ठित	11.72	11.78	11.80
(ब) किराये पर	1.33	1.17	1.09
योग	**13.05**	**12.95**	**12.89**
उपयोजित औसत क्षमता	11.72	10.40	10.58
उपयोजन का प्रतिशत	89.80	80.25	82.08
	(रुपये प्रति टन)		
औसत राजस्व	166.81	195.50	227.06
औसत व्यय	124.74	177.78	207.09
औसत निबल आय	+ 42.07	+ 17.72	+ 19.97

1.8 उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद

1.8.1 उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद की पूँजीगत आवश्यकता को सरकार, बैंकों तथा अन्य वित्तीय संस्थाओं से ऋणों के माध्यम से पूर्ण किया जाता है।

परिषद द्वारा सरकार से लिये गये ऋण सहित दीर्घकालीन ऋणों का कुल योग और 31 मार्च 1998 को बकाया राशि 51.82 करोड़ रुपये की थी।

1.8.2 परिषद ने वर्ष 1994-95 के लेखे को अन्तिम रूप दे दिया है (अक्टूबर 1998)। 31 मार्च 1995 तक के तीन वर्षों की समाप्ति पर अपने लेखा खातों के आधार पर परिषद की वित्तीय स्थिति नीचे दी गई है।

(करोड़ रुपये में)

विवरण	1992-93	1993-94	1994-95
(क) देयतायें			
(i) अधिशेष	25.85	26.45	27.29
(ii) ऋण	289.54	248.32	249.78
(iii) जमा	29.36	32.35	38.90
(iv) चालू देयताये पंजीयन शुल्क सहित	186.41	221.19	218.13
योग (क)	**531.16**	**528.31**	**534.10**
(ख) परिसम्पत्तियाँ			
(i) निवल अचल परिसम्पत्तियाँ	1.08	1.04	1.06
(ii) निवेश	12.17	7.66	29.78
(iii) चालू परिसम्पत्तियाँ, ऋण एवं अग्रिम	517.91	519.61	503.26
योग (ख)	**531.16**	**528.31**	**534.10**
नियोजित पूँजी*	332.58	229.46	286.19

* नियोजित पूँजी, निवल अचल परिसम्पत्तियों (पूँजीगत प्रगतिगत कार्य सहित) और कार्यशील पूँजी के योग को निरुपित करती है।

1.8.3 1994-95 तक के तीन वर्षों के परिषद के कार्यचालन परिणाम निम्न तालिका में संक्षिप्त किये गये हैं:

(करोड़ रुपये में)

विवरण	1992-93	1993-94	1994-95
(क) आय			
(अ) सम्पत्ति से आय	48.09	59.03	47.71
(ब) अन्य आय	11.16	12.38	10.57
योग (क)	**59.25**	**71.41**	**58.28**
(ब) व्यय			
(अ) सीपना	15.42	16.95	19.14
(ब) वित्तीय प्रभार	32.16	28.47	24.65
(स) अन्य व्यय	10.80	25.39	13.65
योग (ख)	**53.38**	**70.81**	**57.44**
(स) व्यय पर आय की अधिकता	0.87	0.60	0.84
(द) नियोजित पूँजी पर कुल प्रति लाभ	32.36	28.88	25.12
(ई) नियोजित पूँजी पर प्रति लाभ का प्रतिशत	9.73	12.59	8.78

1.9 उत्तर प्रदेश जल निगम

1.9.1 उत्तर प्रदेश जल निगम के पास कोई प्रदत्त पूँजी नहीं है। 31 मार्च 1996 को 255.52 करोड़ रुपये (राज्य सरकार: 232.43 करोड़ रुपये एवं भारतीय जीवन बीमा निगम: 23.09 करोड़ रुपये) के विरुद्ध 31 मार्च 1997 को 273.24 करोड़ रुपये (राज्य सरकार: 252.07 करोड़ रुपये एवं भारतीय जीवन बीमा निगम: 21.17 करोड़ रुपये) की राशि के ऋण बकाया थे। राज्य सरकार ने निगम द्वारा लिये गये ऋणों के पुनर्भुगतान की प्रत्याभूति भी दी थी।

1.9.2 निगम ने वर्ष 1997-98 के अपने लेखे को अब तक (अक्टूबर 1998) अन्तिम रुप नहीं दिया था। 31 मार्च 1997 तक के तीन वर्षों के अन्त में निगम की वित्तीय स्थिति नीचे दी गई है:

(करोड़ रुपये में)

विवरण	1994-95	1995-96	1996-97
(क) देयतायें			
ऋण	229.89	255.52	273.24
सरकार से अनुदान	1713.18	1807.42	2127.72
जमा	536.13	755.48	808.55
चालू देयतायें	109.60	125.80	148.53
उपभोग की सामग्री पर सेन्टेज़	18.91	21.'42	23.88
पेन्शन और ग्रेच्यूटी	5.00	6.00	6.00
अवर्गीकृत आरक्षित निधि	20.51	20.51	20.51
योग (क)	2633.22	2992.15	3408.43
(ख) परिसम्पत्तियाँ			
कुल परिसम्पत्तियाँ	305.23	370.16	450.17
घटाया–मूल्य ह्रास	3.93	4.32	4.67
निवल अचल परिसम्पत्तियाँ	301.30	365.84	445.50
निवेश	106.14	172.30	166.06
चालू परिसम्पत्तियाँ	1958.28	2146.36	2436.87
खण्डवार अधिशेष	238.63	267.51	307.64
घाटा	28.87	40.14	52.36
योग (ख)	2633.22	2992.15	3408.43
(ग) नियोजित पूँजी*	2149.98	2386.40	2733.84

* नियोजित पूँजी शुद्ध अचल परिसम्पत्तियों (पूँजीगत प्रगतिगत कार्य को सम्मिलित करते हुए) एवं कार्यशील पूँजी को प्रदर्शित करती है।

1.9.3 1996-97 तक के तीन वर्षों के लेखा खातों पर आधारित, निगम के कार्यचालन परिणाम नीचे संक्षिप्त किये गये हैं :

(करोड़ रुपये में)

विवरण	1994–95	1995–96	1996–97
(क) आय			
सेन्टेज	24.70	37.75	38.31
पर्यवेक्षण एवं परियोजना शुल्क	—	7.60	11.38
ब्याज	26.29	20.80	16.43
अनुदान	30.73	20.02	42.10
अन्य	17.53	9.76	10.89
योग (क)	**99.25**	**95.93**	**119.11**
(ख) व्यय			
स्थापना प्रभार	54.04	62.00	68.50
अनुरक्षण व्यय	40.24	39.48	62.16
ब्याज	20.10	20.91	26.15
अन्य व्यय	13.38	13.28	14.30
मूल्य ह्रास	0.36	0.39	0.36
योग (ख)	**128.12**	**136.06**	**171.47**
(ग) घाटा	**28.87**	**40.13**	**52.36**
(घ) नियोजित पूँजी पर प्रतिलाभ	**(–) 8.77**	**(–) 19.22**	**(–) 26.21**

अध्याय II

सरकारी कम्पनी से सम्बन्धित समीक्षा

अध्याय – II

अनुच्छेद–2

उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम लिमिटेड

समाज के दुर्बल वर्गो के सामाजिक-आर्थिक स्तर का उत्थान

प्रस्तर	विवरण	पृष्ठ
1	प्रस्तावना	58
2	उद्देश्य और कार्यकलाप	59
3	संगठनात्मक ढांचा	59
4	लेखापरीक्षा का क्षेत्र	60
5	योजनाओं का क्रियान्वयन	60
5.1	स्वतः रोजगार योजना	60
5.1(i)	पात्र लाभार्थियों की दोषपूर्ण चयन प्रक्रिया	62
5.1(ii)	अलाभकारी परियोजनाओं का चयन	63
5.1(iii)	स्वतः रोजगार योजना के क्रियान्वयन में बैंकों की सहभागिता में असफलता	64
5.1(iv)	परियोजनाओं का विहित भौतिक सत्यापन न किया जाना	65
5.1(v)	ऋणों की वसूली की निराशाजनक स्थिति	66
5.2	स्वच्छकारों की विमुक्ति एवं पुनर्वास की राष्ट्रीय योजना	67
5.2.1(i)	लम्बित आवेदन पत्रों पर पुनर्विचार न किये जाने से योजना के लाभ से वंचित होना	68
5.2.1(ii)	अलाभकारी परियोजनाओं का चयन	68
5.2.1(iii)	एस एल आर एस के क्रियान्वयन में बैंकों की सहभागिता में असफलता	69

प्रस्तर	विवरण	पृष्ठ
5.2.1(iv)	निधि का दुर्विनियोग	70
5.2.1(v)	परियोजनाओं के भौतिक सत्यापन का अभाव	71
5.2.1(vi)	चयन के उपयुक्त ढंग का अभाव, अपर्याप्त चयन प्रक्रिया, अनुश्रवण और अनुगामी कार्यवाही	71
5.3	स्वच्छकारों हेतु प्रशिक्षण योजना	72
5.4	शहरी क्षेत्रों में दुकानों के निर्माण की योजना	74
5.5	एन एस एफ डी सी द्वारा वित्तपोषित अनुविनि योजनायें	76
5.5(i)	पम्प सेट योजना	77
5.5(ii)	आफिस सर्विस सेन्टर स्कीम निधियों का दुरुपयोग	81
	उपसंहार	82

अध्याय II

उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम लिमिटेड

समाज के दुर्बल वर्गों के सामाजिक-आर्थिक स्तर का उत्थान

मुख्य अंश

उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम लिमिटेड (यू पी एस एफ डी सी) की स्थापना मार्च 1975 में, गरीबी की रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले अनुसूचित जाति के परिवारों के सामाजिक-आर्थिक स्तर के उत्थान हेतु की गयी थी। लक्षित समूहों के सामाजिक-आर्थिक स्तर के उत्थान में अपने योगदान के मूल्यांकन और अनुश्रवण हेतु कम्पनी कोई पद्धति विकसित करने में असफल रही।

(प्रस्तर 2.1 और 2.5)

स्वतः रोजगार योजना (एस ई पी) और स्वच्छकार विमुक्ति एवं पुनर्वास योजना (एस एल आर एस) के अन्तर्गत कम्पनी ने 1992-93 से 1996-97 की अवधि में, बैंकों को 95.40 करोड़ रुपये प्रेषित किये, जिसमें से बैंक दस जिला कार्यालयों में 73.75 करोड़ रुपये, वितरित नहीं कर सके। पुनः, कम्पनी ने एस ई पी और एस एल आर एस के अन्तर्गत, लाभार्थियों को वास्तविक रूप से वितरित की गयी धनराशि के बजाय बैंकों में प्रेषित की गयी धनराशि सरकार को सूचित कर के अपनी उपलब्धियों को बढ़ाचढ़ा कर प्रस्तुत किया।

(प्रस्तर 2.5.1 और 2.5.2)

एस एल आर एस के अन्तर्गत चार जिला कार्यालयों ने 702 लाभार्थियों को 0.44 करोड़ रुपये का भुगतान किया जिससे पर्याप्त अभिलेखीय साक्ष्य के अभाव में निधि का सम्भावित दुर्विनियोग हुआ।

(प्रस्तर 2.5.2.1 (iv))

एस एल आर एस के अन्तर्गत, 6500 रुपये तक के बैंक ऋण पर चार प्रतिशत की रियायती दर और उसके पश्चात वाणिज्यिक दर पर ब्याज लेने के भारतीय रिजर्व बैंक के निर्देशों के विरुद्ध, बैंकों ने समस्त बैंक ऋण पर 12.5 प्रतिशत की वाणिज्यिक दर पर ब्याज प्रभारित किया। कम्पनी को लाभार्थियों के हित में इस चूक को बैंकों के समक्ष इंगित करना चाहिये था। इसके परिणामस्वरूप 1997-98 तक के छः वर्षों की अवधि में 23.87 करोड़ रुपये के ब्याज का अधिक प्रभारण किया गया जिससे लाभार्थियों का वित्तीय उत्पीड़न हुआ।

(प्रस्तर 2.5.2.1 (iii))

11 जिला कार्यालयों ने, अनुविनि योजना के अधीन पम्पसेट योजना के क्रियान्वयन में विहित प्रक्रियाओं का अनुपालन न करके कुल 3.47 करोड़ रुपये की निधि का अनियमित और कपटपूर्ण उपयोग किया।

(प्रस्तर 2.5.5(i))

कम्पनी ने अनुविनि योजना के अन्तर्गत, 0.97 करोड़ रुपये की लागत से 100 दोषपूर्ण एच सी एल फोटोकापियर खरीदे जिसके परिणामस्वरूप इस सीमा तक निधि का दुरुपयोग हुआ।

(प्रस्तर 2.5.5.(ii))

2.1 प्रस्तावना

सरकार के पूर्ण स्वामित्व वाली कम्पनी उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम (यू पी एस एफ डी सी), सरकार के पूर्ण स्वामित्व वाली कम्पनी, का निगमन 25 मार्च 1975 को, राज्य के अनुसूचित जाति के परिवारों के कल्याण हेतु उनके सामाजिक-आर्थिक स्तर में सुधार करते हुये केन्द्र तथा राज्य सरकार द्वारा प्रायोजित की गई योजनाओं को क्रियान्वित करने के लिये की गयी थी।

2.2 उद्देश्य और कार्यकलाप

कम्पनी के मुख्य उद्देश्य हैं:

(1) राज्य के अनुसूचित जातियों (एस सी) के परिवारों के सामाजिक-आर्थिक और शैक्षिक विकास के कार्य को प्रोन्नत, सहायता, सहयोग, संगठित वित्तपोषण और विकास करना;

(2) किसी भी अवस्थापना, उपक्रम या उद्यम को वित्तीय, तकनीकी, प्रबन्धकीय, विपणनात्मक, विकास या कोई अन्य सहायता या मार्ग दर्शन उपलब्ध कराना जो कम्पनी के मत में अनुसूचित जातियों के विकास को त्वरित करने अथवा उसमें सहायक हो;

(3) व्यापार अथवा व्यवसाय प्रारम्भ करने की इच्छा रखने वाले अनुसूचित जाति के सदस्यों को नकद अथवा वस्तु के रूप में ऋण उपलब्ध करना, किराया क्रय/किश्तों में आसान नियम व शर्तों पर प्राप्त करने में सहयोग करना अथवा प्रत्याभूति देना; तथा

(4) आसान शर्तों पर (ब्याज रहित या अन्यथा) ऋण उपलब्ध कराना, अनुदान स्वीकृत करना और अन्य ऋणों या उच्च ब्याज दरों को वहन करना।

समीक्षा की अवधि (1992-93 से 1997-98) में, कम्पनी ने कई योजनाओं जैसे, स्वतः रोजगार योजना (एस ई पी), राष्ट्रीय स्वच्छकार विमुक्ति एवं पुनर्वास योजना (एस एल आर एस), शहरी क्षेत्रों में दुकान के निर्माण की योजना, प्रशिक्षण योजनाओं, और अनुविनि टर्म लोन योजना के अन्तर्गत राष्ट्रीय अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम लिमिटेड (एन एस एफ डी सी) द्वारा वित्त पोषित योजनाओं को लागू किया।

2.3 संगठनात्मक ढांचा

कम्पनी का प्रबन्धन एक निदेशक मण्डल मे निहित हैं जिसमें राज्य सरकार द्वारा नियुक्त एक अध्यक्ष, एक पूर्णकालिक प्रबन्ध निदेशक और 6 अन्य निदेशक (केन्द्र सरकार के दो नामितों सहित) हैं।

स्थापना, योजना, वित्त एवं अनुश्रवण के कार्य हेतु प्रबन्ध निदेशक को चार महाप्रबन्धकों (जी एम) की सहायता प्राप्त है। अपर जिला विकास अधिकारी ए डी डी ओ समाज कल्याण जिला स्तर पर कम्पनी का पदेन जिलाप्रबन्धक है। विकास खण्ड स्तर पर (ए डी डी ओ) को प्रत्येक तीन विकास

खण्डों हेतु एक सहायक विकास अधिकारी (ए डी ओ) और प्रत्येक विकास खण्ड हेतु एक ग्राम विकास अधिकारी (वी डी ओ) की सहायता प्राप्त है।

2.4 लेखापरीक्षा का क्षेत्र

31 मार्च 1986 को समाप्त वर्ष हेतु भारत के नियन्त्रक एवं महालेखा परीक्षक के प्रतिवेदन (वाणिज्यिक), उत्तर प्रदेश सरकार में, कम्पनी के 1984-85 तक के पाँच वर्षों कार्यकलापों की समीक्षा की गयी थी। सितम्बर 1998 तक उक्त प्रतिवेदन पर सार्वजनिक उपक्रम समिति द्वारा विचार नहीं किया गया।

मार्च 1998 तक के छः वर्षों में अनुसूचित जातियों के दुर्बल वर्गों के सामाजिक-आर्थिक उत्थान के उद्देश्य वाले कम्पनी के कार्यकलापों, जैसा कि विभिन्न योजनाओं में प्रकल्पित है, की समीक्षा लेखापरीक्षा में की गयी है।

2.5 योजनाओं का क्रियान्वयन

ऐसा देखा गया कि कम्पनी, योजनाओं के परिणामों का अनुश्रवण व मूल्यांकन करने हेतु किसी पद्धति को निर्धारित नहीं कर सकी जिसका परिणाम यह हुआ कि निधि के भारी निवेश के बावजूद इन कल्याणकारी योजनाओं के प्रभाव ज्ञात नहीं हुये। जैसा कि उत्तरवर्ती प्रस्तरों में चर्चा की गई।

2.5.1 स्वतः रोजगार योजना (एस ई पी)

10 जिलों में, 1996-97 तक की दो वर्षों की अवधि में, बैंकों द्वारा मार्च 1998 तक 25.29 करोड़ रुपये में से, बैंक अंश को छोड़ते हुए, 19.80 करोड़ रुपये वितरित नहीं किये गये।

गरीबी की रेखा के नीचे जीवनयापन करने वाले अनुसूचित जाति के परिवारों द्वारा आय देने वाली परियोजनाओं को स्थापित करने में सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से, कम्पनी ने विशेष केन्द्रीय सहायता (एस सी ए) योजना के अन्तर्गत मार्जिन मनी (एम एम) ऋण तथा अनुदान के रूप में वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने का कार्य प्रारम्भ किया (अक्टूबर 1980)। तदनुसार, प्रत्येक वर्ष एक लाख अनुसूचित जाति के परिवारों को (ग्रामीण व शहरी क्षेत्रों के 85:15 के मिश्रण में 30 प्रतिशत महिलाओं सहित और कृषि व अकृषि क्षेत्रों की परियोजनाओं के 55:45 के मिश्रण सहित) चिन्हित करना और लाभ पहुंचाना था। ग्रामीण क्षेत्रों में

11000 रुपये और शहरी/नगर क्षेत्रों में 11850 रुपये वार्षिक से कम आय वाले सभी अनुसूचित जाति के परिवार जो पूर्व में किसी अन्य कल्याणकारी योजना के अन्तर्गत लाभान्वित नहीं हुए थे, 7 लाख रुपये लागत तक की परियोजनाओं को स्थापित करने और एस ई पी के अन्तर्गत लाभ प्राप्त करने के पात्र थे। प्रति लाभार्थी परियोजना लागत का 50 प्रतिशत, 6000 रुपये (1993-94 तक 5000 रुपये) की सीमा सहित अनुदान द्वारा, 25 प्रतिशत कम्पनी की ओर से एम एम ऋण के रूप में (4 प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर सहित) और शेष बैंक ऋण के रूप में वित्तपोषित होना था। कम्पनी को 'क्लस्टर कम सैचुरेशन ऐप्रोच' अपना कर परियोजना के अस्तित्व के लिये पर्याप्त इनपुट की उपलब्धता भी सुनिश्चित करना था।

सतत लाभकारी रोजगार उपलब्ध कराकर अनुसूचित जाति के परिवारों के उत्थान के घोषित उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु कम्पनी से, पात्र लाभार्थियों को परियोजना लागत का वितरण और उनके द्वारा परियोजना के क्रियान्वयन का सतत अनुश्रवण करने हेतु एक शक्तिशाली क्रियाविधि विकसित करने की अपेक्षा थी। 10 ज़िला कार्यालयों द्वारा 1996-97 तक दो वर्षों* की अवधि में बैंकों में प्रेषित धनराशि तथा बैंकों द्वारा वापस की गयी धनराशि के सम्प्रेक्षण द्वारा किये गये विश्लेषण से ज्ञात हुआ कि 33921 लाभार्थियों के सम्बन्ध में बैंकों में जमा किये गये 25.29 करोड़ रुपये (अनुदान व एम एम ऋण) में से 76 प्रतिशत का प्रतिनिधित्व करने वाले 25900 लाभार्थियों से सम्बन्धित 19.80 करोड़ रुपये, मार्च 1998 तक वितरित नहीं किये गये (क्योंकि जिला कार्यालयों के पास बैंकों द्वारा तैयार किया गया लेखा विवरण उपलब्ध नहीं था) जैसा कि संलग्नक–6 में विस्तृत रूप से दिया गया है।

बैंकों के पास अवितरित परिदान एवं एम एम ऋण की समयबद्ध स्थिति निम्नवत् थी:

(लाख रुपये में)

	लाभार्थियों की संख्या	**धनराशि**		**योग**
		परिदान	**एम एम ऋण**	
एक वर्ष तक	9707	579.02	197.04	776.06
एक वर्ष से अधिक तथा दो वर्षों तक	16193	994.97	208.61	1203.58
योग	**25900**	**1573.99**	**405.65**	**1979.64**

* अन्य जिलों व वर्षों की स्थिति कम्पनी के पास उपलब्ध नहीं है।

कम्पनी ने बैंकों को प्रेषित की गयी धनराशि को लाभार्थियों को वितरित मानते हुए शासन को असत्य सूचना दी।

पुनः यह देखा गया कि वित्तीय उपलब्धियों को सूचित करने में कम्पनी ने वास्तविक रूप से लाभार्थियों को वितरित धनराशि के बजाय, बैंकों में जमा की गयी धनराशि को वितरित मानते हुए गलत प्रकार से शासन को सूचित कर दिया। 1997-98 तक छः वर्षों की अवधि में भौतिक और वित्तीय लक्ष्य और उपलब्धियाँ (बैंकों में जमा की गयी धनराशि के आधार पर) परियोजना की औसत लागत सहित, संलग्नक–7 में विस्तृत रूप से दिये गये हैं।

(i) पात्र लाभार्थियों की दोषपूर्ण चयन प्रक्रिया

ग्रामीण क्षेत्रों (85 प्रतिशत) से लाभार्थियों के चयन का मानक सहायक विकास अधिकारी ग्राम विकास अधिकारी के माध्यम से व्यापक प्रचार के पश्चात आर्थिक रजिस्टर (ए आर) के आधाार पर प्रत्येक अप्रैल/मई में आयोजित ग्राम सभा की खुली बैठक में चयन को प्राविधनित करता है। पात्र लाभार्थियों को सुनिश्चित करने हेतु इस सूची को ब्लाक स्तर पर रखे जाने वाले समन्वित ग्राम विकास कार्यक्रम आई आर डी पी के मास्टर रजिस्टर से सत्यापित किया जाना था। शहरी क्षेत्रों के लिये, चयन का मानक प्रचार (तहसील/निगम/नगर पालिका के कार्यालयों में पम्फलेट चिपकाकर किया गया) के प्रत्युत्तर में प्राप्त प्रार्थनापत्रों के आधार पर जिला चयन समिति के माध्यम से चयन तथा उसके पश्चात साक्षात्कार को, प्राविधानित करता हैं।

सम्प्रेक्षण ग्रामीण क्षेत्रों के लाभार्थियों की पात्रता को सुनिश्चित नहीं कर सका क्योंकि जिला कार्यालयों ने खुली बैठकों में चयनित लाभार्थियों की सूची, आर्थिक रजिस्टर, आई आर डी पी का मास्टर रजिस्टर, भौतिक सत्यापन रिपोर्ट इत्यादि प्रस्तुत नहीं की। यह भी देखा गया कि इन अभिलेखों को जिला कार्यालयों द्वारा कभी नहीं माँगा गया और वी डी ओज़/ए डी ओज़ न तो ग्राम सभा की खुली बैठक, जहां लाभार्थियों का चयन होता है, में उपस्थित हुए और न ही उन्होंने ग्राम प्रधानों द्वारा हस्ताक्षरित और विधिवत अनुमोदित सूची ही प्राप्त की और इसलिये वे पात्र लाभार्थियों की प्रामाणिकता को सत्यापित करने में समर्थ नहीं थे। इसी प्रकार, शहरी क्षेत्रों के लाभार्थियों के चयन के प्रकरण में, योजना के विज्ञापन के पक्ष में साक्ष्य, प्राप्त आवेदन पत्रों की पंजिका, समिति की बैठक का कार्यवृत्त, लिए गये साक्षात्कार (मौलिक प्रक्रिया) इत्यादि, सम्प्रेक्षण को उपलब्ध नहीं कराये गये। अतः पात्र लाभार्थियों के चयन की सम्पूर्ण प्रक्रिया दोषपूर्ण थी।

(ii) अलाभकारी परियोजनाओं का चयन

1992-93 से 1995-96 की अवधि में स्वीकृत परियोजनाओं की औसत लागत 0.12 लाख रुपये से 0.14 लाख रुपये के मध्य थी। स्वीकृत की जा रही परियोजनाओं की इतनी असामान्य रुप से कम लागत से व्यवस्थित होकर कम्पनी ने जिला कार्यालयों को 1996-97 के लिये 0.25 लाख रुपये और 1997-98 के लिये 0.30 लाख रुपये की औसत लागत वाली परियोजनाओं की स्वीकृति के निर्देश दिये। तथापि, 1996-97 और 1997-98 की अवधि में परियोजनाओं की औसत लागत क्रमानुसार 0.17 लाख और 0.18 लाख रुपये थी जो 0.20 लाख रुपये तक की परियोजनाओं की स्वीकृति के लिये प्राधिकृत अपर जिला विकास अधिकारी की शक्तियों तक सीमित थी।

इस सम्बन्ध में सम्प्रेक्षण के संज्ञान में निम्न बिन्दु आये:

- 1997-98 तक छः वर्षों की अवधि में स्वीकृत की गयी आर्थिक रूप से अलाभकारी परियोजनाओं के सम्प्रेक्षण द्वारा किये गये विश्लेषण से स्पष्ट हुआ कि उपलब्ध करायी गयी परियोजनाओं के 61 प्रतिशत का प्रतिनिधित्व करने वाली 341459 परियोजनायें (मूल्य 502.32 करोड़ रुपये में) आर्थिक रूप से लाभकारी नहीं थीं जैसा कि संलग्नक–8 में दिया गया है।

  स्वतः रोजगार योजना के अन्तर्गत, 1997-98 तक छः वर्षों की अवधि में वित्तपोषित की गयी 560346 परियोजनाओं में से, 502.32 करोड़ रुपये की लागत वाली 341459 परियोजनायें आर्थिक रुप से अलाभकारी थीं।

- प्रचार हेतु माध्यम का चयन करते समय कम्पनी ने राज्य की निरक्षरता (58.4 प्रतिशत)* की प्रतिशतता को ध्यान में नहीं रखा जिसके परिणामस्वरूप सतत आय का स्रोत बनने की क्षमता रखने वाली परियोजनाओं की लाभकारिता के विषय में समाज के दुर्बल वर्गों के मध्य जानकारी का नितान्त अभाव रहा। 20 जिला कार्यालयों (80 में से) की सम्प्रेक्षण जाँच से स्पष्ट हुआ कि गांवों में घर-घर प्रचार-प्रसार और जानकारी शिविरों का आयोजन करने के बजाय समाचार

* उ प्र शासन द्वारा प्रकाशित समन्वित ग्राम विकास योजना की डायरेक्ट्री के अनुसार (पृष्ठ 305)

पत्र, पम्फलेट और नगर पालिका/निगम/तहसील इत्यादि के कार्यालयों में सूचना चिपका देने जैसा अपनाया गया प्रचार माध्यम, कम साक्षरता प्रतिशत के दृष्टि में रखते हुए, अपर्याप्त था।

(iii) स्वतः रोजगार योजना के क्रियान्वयन में बैंकों की सहभागिता में असफलता

योजनाओं के सफल क्रियान्वयन हेतु योजना की स्वीकृति और वितरण से लेकर उनके उपयोग तक प्रत्येक स्तर पर, बैंको से प्रभावी सहभागिता और अनुश्रवण के द्वारा एक सशक्त भूमिका निभाये जाने की अपेक्षा थी। इसमें यह देखने के लिये कि कमजोर वर्ग के कल्याणार्थ बैंकों में जमा की जा रही धनराशि उनके द्वारा लाभदायक रूप से लायी जा रही है, कम्पनी की सहभागिता भी सम्मिलित थी। लाभार्थियों को कुल परियोजना लागत (बैक के अंश सहित) का वितरण करने हेतु, कम्पनी मार्जिन मनी ऋण तथा अनुदान, बैंकों में जमा करती है। ए डी डी ओ (समाज कल्याण) से बैंक/शहर/विकास खण्ड के अनुसार योजना बनाने और प्रतिनिधि बैंकों द्वारा अपनी वार्षिक जिला योजना में सम्मिलित किये जाने हेतु प्रस्तुत करने और जिला संस्थागत समन्यव समिति द्वारा अनुमोदित किये जाने की अपेक्षा की जाती हैं। अनुदान/ऋण के वितरण में सम्प्रेक्षण द्वारा निम्नलिखित अनियमितताएं पायी गयीं :

- बैंकों ने लाभार्थियों को या तो बैंकों द्वारा अनियमित रूप से स्वयं चिन्हित की गयी व्यक्तिगत फर्मों से कोटेशन प्राप्त करने अथवा उन्हीं फर्मों से परिसम्पत्तियां क्रय करने हेतु बाध्य किया जिन्हें बैंकों ने परिसम्पत्तियों के क्रय करने हेतु चेक द्वारा सीधे भुगतान कर दिया था। इस प्रक्रिया में ऋण का प्रचुर भाग इन फर्मों/विचौलियों के माध्यम से व्ययगत कर लिया जा रहा है और लाभार्थियों को योजना से पूर्ण लाभ प्राप्त करने का अवसर नहीं मिल पा रहा है। यहाँ यह कहना अनुपयुक्त न होगा कि कम्पनी सहित सभी जिलों के अधिकारियों को निर्गत किया गया शासन का आदेश (अगस्त 1995) भी, कि भविष्य में चिन्हित फर्मों को भुगतान न कर कुल राशि सीधे लाभार्थियों के खातों में जमा कर दी जाए, का अनुपालन बैंकों द्वारा अब तक नहीं किया जा रहा था (मई 1998)।

- लाभार्थियों को ऋण का वितरण करने के पश्चात बैंकों से अपेक्षा की जाती है कि वे जिला कार्यालयों को 'लेखा विवरण (स्टेटमेन्ट आफ एकाउन्ट)' प्रस्तुत कर दें। तथापि, अधिकांश मामलों में न तो बैंकों द्वारा लेखा विवरण ही प्रस्तुत किये गये और न ही ए डी डी ओ/ए एम ने

इसे प्राप्त करने का कोई प्रयत्न ही किया। अतः, 1997-98 तक की छः वर्षों की अवधि में, कम्पनी के जिला कार्यालयों द्वारा बैंकों को प्रेषित किये गये 356.45 करोड़ रुपये के वितरण के विवरण कम्पनी के पास उपलब्ध नहीं थे।

- एम ई पी के अन्तर्गत बैंकों को प्रेषित 808135 ऋण प्रार्थना पत्रों में से 560346 प्रार्थना पत्रों पर स्वीकृति दी गयी और 56737 प्रार्थना पत्र निरस्त कर दिये गये। वर्ष 1997-98 के समापन तक 191052 (24 प्रतिशत) प्रार्थना पत्र बैंकों के पास लम्बित थे। इन लम्बित और निरस्त प्रार्थना पत्रों (31 प्रतिशत) को पुनः परीक्षित करने और उनकी कमियों को दूर करने हेतु इकाईयों को वापस नहीं किया गया है।

- भारतीय रिजर्व बैंक (आर बी आई) ने 15 दिनों के भीतर ऋणों को वितरण किये जाने हेतु निर्देश निर्गत किये थे (मार्च 1993), तथापि, कुछ बैंकों ने ऋणों के वितरण में 5 माह से एक वर्ष या अधिक का समय लिया। 1996-97 के समापन तक, 17.80 करोड़ रुपये (0.17 लाख रुपये की औसत परियोजना लागत की दर पर आगणित) के 10470 प्रकरणों में एक वर्ष से अधिक का समय व्यतीत हो जाने के उपरान्त भी ऋणों का वितरण नहीं किया गया था (अप्रैल 1998)। पुनः बैंकों ने 1992-93 से 1996-97 के मध्य, छः मास से 3 वर्ष व्यतीत हो जाने के उपरान्त, अवितरित अनुदान (17.36 करोड़ रुपये) तथा मार्जिन मनी ऋण (2.14 करोड़ रुपये) के मद में 19.50 करोड़ रुपये बिना कोई विशिष्ट कारण बताए, वापस कर दिये जिसके परिणामस्वरुप कम्पनी, बैंक के बचत खाते की दर से ब्याज प्राप्त करने के अवसर से भी वंचित रह गयी।

1996-97 के समापन तक, 17.80 करोड़ रुपये राशि के 10470 ऋण के प्रकरण अप्रैल 1998 तक एक वर्ष का समय व्यतीत हो जाने के उपरान्त भी वितरित नहीं किये गये थे।

(iv) परियोजनाओं का विहित भौतिक सत्यापन न किया जाना

सम्प्रेक्षण में पाया गया कि परिसम्पत्तियों का भौतिक सत्यापन, जैसा कि शासन द्वारा दिसम्बर 1990 में विहित किया गया था, नहीं किया गया। तथापि, जिला कार्यालयों और मुख्यालय द्वारा, मथुरा, आगरा और शाहजहांपुर में किये गये भौतिक सत्यापन

3 जिलों में किये गये भौतिक सत्यापन के परिणाम, 79.99 लाख रुपये की सीमा तक निधि के दुर्विनियोग की आशंका को इंगित करते हैं।

के परिणाम निम्नवत थे:

- सी डी ओ, मथुरा ने, 1996-97 हेतु, 10 विकास खण्डों के 570 लाभार्थियों के सम्बन्ध में भौतिक सत्यापन की व्यवस्था की (जनवरी 1998)। उनके द्वारा यह पाया गया कि 297 लाभार्थियों का प्रतिनिधित्व करने वाली 50.49 लाख रुपये मूल्य की 24 से 87 प्रतिशत परियोजनायें भौतिक रूप से उपलब्ध नहीं थी;

- शाहजहाँपुर के प्रकरण में, 1996-97 की 626 परियोजनाओं के भौतिक सत्यापन से स्पष्ट हुआ कि 150 लाभार्थियों का प्रतिनिधित्व करने वाली 25.50 लाख रुपये मूल्य की 3 से 80 प्रतिशत परियोजनाए स्थल पर उपलब्ध नहीं थीं; तथा

- आगरा इकाई में, 1992-93 की अवधि में, इण्डियन ओवरसीज बैंक आर वी एस कालेज शाखा, आगरा में जमा किया गया 17 लाभार्थियों का 0.79 लाख रुपये का अनुदान जून 1998 तक उन्हें वितरित नहीं किया गया। 1992-93 से 1995-96 की अवधि में वित्तपोषित, 25 परियोजनाओं की सांयोगिक जांच में, 4.00 लाख रुपये मूल्य (80 प्रतिशत) की 20 परियोजनाएं स्थल पर नहीं पायी गयीं।

(v) ऋणों की वसूली की निराशाजनक स्थिति

1997-98 के समापन तक वसूली हेतु देय 55.52 करोड़ रुपये में से, कम्पनी केवल 2.10 करोड़ रुपये वसूल कर सकी।

जिला और विकास खण्ड स्तर के अधिकारी वितरण के परवर्ती माह से लाभार्थियों को वितरित एम एम ऋण की वसूली, 4 प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर सहित, करने हेतु उत्तरदायी थे। सम्प्रेक्षण में पाया गया कि वसूली हेतु देय 55.52 करोड़ रुपये (11.80 करोड़ रुपये ब्याज सहित) में से, कम्पनी केवल 2.10 करोड़ रुपये (0.45 करोड़ रुपये ब्याज सहित) वसूल कर सकी जो कि 1997-98 के समापन तक देय वसूली योग्य धनराशि का 3.8 प्रतिशत थी। नमूना परीक्षण में पाया गया कि 60 प्रतिशत से अधिक प्रकरणों में 1 से 5 वर्ष की अवधि व्यतीत हो जाने के उपरान्त भी वसूली प्रारम्भ नहीं हो पायी है (मार्च 1998)।

ऋणों की वसूली न होने के लिये मुख्य रुप से उत्तरदायी कारण, जैसा कि सम्प्रेक्षण द्वारा विश्लेषित किया गया, निम्न थेः

- निधियों का बड़ा भाग बैंकों द्वारा लाभार्थियों को वितरित नहीं किया गया और काफ़ी समय व्यतीत हो जाने के पश्चात वापस किया गया। विस्तृत विवरण उपलब्ध न होने से विशिष्ट प्रकरणों को चिन्हित नहीं किया जा सका। जिला/विकास खण्ड स्तर के अधिकारियों ने, तथापि, बैकों द्वारा वापस की गयी धनराशि के विवरण से लाभार्थियों के खातों का मिलान किये बगैर इन राशियों को वसूली योग्य मान लिया।

- विहित समयान्तर पर वित्त पोषित परियोजनाओं का भौतिक सत्यापन न होना; और

- नोटिस और वसूली प्रमाणपत्रों का निर्गत न किया जाना।

2.5.2 स्वच्छकार विमुक्ति और पुनर्वास की राष्ट्रीय योजना (एस एल आर एस)

मल और कूड़ा-करकट उठाने के घृणित और अमानवीय व्यवसाय में लिप्त स्वच्छकारों और उनके परिवारों को मुक्ति दिलाने, और उन्हें पुनर्वासित करने के लिए वैकल्पिक सम्मानजनक व्यवसाय उपलब्ध कराने के उद्देश्य से, भारत सरकार ने आठवीं पंचवर्षीय योजना (1992-97) के अन्तर्गत एक राष्ट्रीय योजना प्रारम्भ की (मार्च 1992)। चूंकि इस योजना अवधि के अन्दर समस्त स्वच्छकार लाभान्वित नहीं किये जा सके, अतः भारत सरकार ने पुनः इस योजना को नवीं पंचवर्षीय योजना (1997-2002) तक के लिये बढ़ा दिया।

मई 1996 में पुनरीक्षित योजना में अभिकल्पित थाः

(i) शुष्क शौचालयों में लगे स्वच्छकारों और उनके परिवारों के चिन्हांकन हेतु समयबद्ध योजना,

(ii) क्लस्टर ऐप्रोच के साथ, ट्राइसेम पद्धति पर प्रशिक्षण, और

(iii) प्रशिक्षित स्वच्छकारों को, 50000 रुपये मूल्य तक की आर्थिक रूप से लाभकारी परियोजनाओं हेतु, एम एम व बैंक ऋण और अनुदान उपलब्ध कराकर उन्हें विभिन्न व्यवसायों और व्यापारों में पुनर्वासित करना।

1996-97 तक की पाँच वर्षों की अवधि में बैंकों को प्रेषित 70.11 करोड़ रुपये (अनुदान व मार्जिन मनी ऋण) में से 77 प्रतिशत का प्रतिनिधित्व करने वाले 53.95 करोड़ रुपये लाभार्थियों को वितरित नहीं किये गये।

1997-98 तक पाँच वर्षों की अवधि में, दस जिला कार्यालयों के प्रकरण में, बैकों को प्रेषित किये गये, वापस किये गये और लेखा-विवरण* के अनुसार वितरित किये गये ऋण के सम्प्रेक्षण द्वारा किये गये विश्लेषण से ज्ञात हुआ कि 1996-97 तक पांच वर्षो की अवधि में बैंकों को प्रेषित किये गये 53560 लाभार्थियों हेतु 70.11 करोड़ रुपये (अनुदान व एम एम ऋण) में से 77 प्रतिशत का प्रतिनिधित्व करने वाले 41000 लाभार्थियों से सम्बन्धित 53.95 करोड़ रुपये, मार्च 1998 तक वितरित नहीं किये गये जैसा कि संलग्नक–9 में विस्तृत रूप से दिया गया है।

सम्प्रेक्षण में सज्ञान में आया कि कम्पनी व बैंक, योजना को प्रभावी ढंग से कार्यान्वित करने में असफल रहे, जिसकी विवेचना नीचे की गयी है :

(i) लम्बित आवेदन पत्रों पर पुनर्विचार न किये जाने से योजना के लाभ से वंचित होना

1992-93 से 1997-98 तक की अवधि में बैंकों को प्रेषित कुल 234583 ऋण आवेदन पत्रों में से 81093 (35 प्रतिशत) आवेदन पत्र अभी भी अनुमोदनार्थ बैंकों के पास लम्बित हैं जो कि न तो आगे के वर्षों की प्रगति में सम्मिलित किये गये और न ही मार्च 1998 तक जिला कार्यालयों को वापस किये गये जिसके कारण योजना का लाभ हस्तान्तरित नहीं किया जा सका।

(ii) अलाभकारी परियोजनाओं का चयन

योजना को सफल बनाने के उद्देश्य से भारत सरकार ने समूहगत परियोजनाओं का वित्त पोषण स्वीकार किया और 50000 रुपये तक की केवल आर्थिक रूप से लाभकारी परियोजनाओं के वित्तपोषण हेतु निर्देश निर्गत किये ताकि पात्र स्वच्छकारों को सतत आय उपलब्ध करायी जा सके क्योंकि उन्हें व्यापार व व्यवसाय का बहुत अल्प अनुभव है।

* दूसरे वर्षों व दूसरे जिलों की स्थिति कम्पनी के पास उपलब्ध नहीं है।

1997-98 तक एस एल आर एस के अन्तर्गत वित्त पोषण हेतु ली गयी 143975 परियोजनाओं में से 83 प्रतिशत का प्रतिनिधित्व करने वाली 239.37 करोड़ रुपये की 119684 परियोजनाएँ आर्थिक रुप से लाभकारी नहीं थीं।

इन निर्देशों का उल्लघंन करते हुए, जिला कार्यालयों में सामान्य प्रकार की निम्न लागत वाली, अल्प आवधिक और आर्थिक रूप से अलाभकारी परियोजनाओं को, 0.20 लाख रुपये की औसत लागत पर, स्वीकृत करना प्रारम्भ (1992-93) से 1997-98 तक जारी रखा। परियोजनाओं में सिले-सिलाये वस्त्र, गारमेंट्स की छोटी दुकान, किराना/परचून की छोटी दुकान, पशुपालन, सुअर पालन, बकरी पालन, कुक्कुट पालन, डलिया बुनाई, लकड़ी की टाल, पान बीड़ी की दुकान इत्यादि सम्मिलित थी। भारत सरकार ने अभिमत दिया (मई 1996) कि ये परियोजनाएं न केवल अलाभकारी हैं बल्कि सतत आय उपलब्ध कराने में अक्षम भी हैं। इस आधार पर सम्प्रेक्षण द्वारा की गयी विवेचना से ज्ञात हुआ कि उक्त अवधि में स्वीकृत 143975 परियोजनाओं में से 239.37 करोड़ रुपये (परियोजना की औसत लागत 0़20 लाख रुपये के आधार पर आगणित) मूल्य की 119684 परियोजनाएं (83 प्रतिशत) आर्थिक रूप से लाभकारी नहीं थीं।

(iii) एस एल आर एस के क्रियान्वयन में बैंकों की सहभागिता में असफलता

आर बी आई के निर्देशों के विपरीत, 4 प्रतिशत की रियायती ब्याज दर के बजाय, वाणिज्यिक ब्याज दर (12.5 प्रतिशत) प्रभारित किये जाने के परिणामस्वरुप 23.87 करोड़ रुपये की सीमा तक ब्याज का अतिशय भारण हुआ जिससे लाभार्थियों का वित्तीय उत्पीड़न हुआ।

मार्च 1993 के आर बी आई के निर्देशों के अनुसार 6500 रुपये तक के ऋणों को, अन्तरात्मक ब्याज दर योजना (डी आर आई) के अन्तर्गत, 4 प्रतिशत की रियायती ब्याज दर पर और शेष को व्यावसायिक दर पर व्यवहृत किया जाना है। इसके विपरीत, बैंकों ने समस्त धनराशि पर 12.5 प्रतिशत वार्षिक की दर से ब्याज प्रभारित किया। तथापि, कम्पनी ने समय-समय पर होने वाली बैंकर्स की राज्य स्तरीय समिति की बैंठकों में, कभी-भी इस प्रकरण को, बैंकों के समक्ष नहीं उठाया। इसके परिणामस्वरूप 23.87 करोड़ रुपये का अतिशय ब्याज प्रभारित किया गया जिससे लाभार्थियों का वित्तीय उत्पीड़न हुआ। पुनः यह भी देखा गया कि बैकों ने 3820 लाभार्थियों से सम्बन्धित अवितरित अनुदान व एम एम ऋण को (1993-94 से 1996-97 की अवधि में 4.90 करोड़ रुपये), एक से तीन वर्षों की अवधि व्यतीत हो जाने के पश्चात्, वह भी बिना ब्याज के, वापस किया।

(iv) निधि का दुर्विनियोग

नीचे दिये गये प्रकरणों से, जिला कार्यालयों द्वारा योजना के क्रियान्वयन में अनुदान व ऋणों का किया गया दुरुपयोग और अनियमित भुगतान इंगित होता है:

तीन जिला कार्यालयों द्वारा 702 लाभार्थियों को किये गये अनुचित भुगतान से सम्भावित दुर्विनियोग हुआ।

इकाई का नाम	ऋण या अनुदान	अवधि	धनराशि (लाख रुपये में)	अनियमितता की प्रकृति
गाजियाबाद	अनुदान	1992–94	28.00 (579)*	अभिलेखीय साक्ष्य जैसे एस सी पी–5 रजिस्टर, लाभार्थियों की व्यक्तिगत ऋण पत्रावली, लेखा विवरण, लाभार्थियों से लिया गया उपयोग प्रमाण पत्र भी इकाई के पास उपलब्ध नहीं थं जिससे 280 लाभार्थियों से सम्बन्धित 28.00 लाख रुपये के अनुदान के दुर्विनियोग की आशंका उत्पन्न होती है।
मथुरा	अनुदान व मार्जिन मनी ऋण	1993–96	15.60 (120)	विवरण/अभिलेखीय साक्ष्य कि किन व्यक्यिों को धनराशि वितरित की गयी, उपलब्ध नहीं था।
मथुरा	अनुदान	1997–98	0.39 (3)	नाम व अन्य विवरण, 1996–97 के सर्वे प्रपत्रों में दिये गये विवरण के साथ मेल नहीं खाते जिससे इंगित होता है कि लाभार्थी जिन्हें अनुदान दिये गये, वे जाली थे।
योग			**43.99**	

* कोष्ठक में दी गयी संख्याएं लाभार्थियों की संख्या इंगित करती है।

(v) परियोजनाओं के भौतिक सत्यापन का अभाव

केवल मथुरा और आगरा जिला कार्यालयों में किये गये भौतिक सत्यापन में 0.64 करोड़ रुपये की 474 परियोजनाओं की अनुपलब्धता इस सीमा तक निधियों के दुर्विनियोग को इंगित करती है।

ए एम/वी डी ओज द्वारा, जैसा कि अपेक्षित था, समस्त मामलों में परियोजनाओं का भौतिक सत्यापन नहीं किया गया। तथापि, सी डी ओ, मथुरा के निर्देशों पर 1996-97 और 1997-98 की अवधि में 11 विकास खण्डों में स्वीकृत परियोजनाओं के जनवरी 1998 में और मुख्यालय द्वारा सितम्बर 1997 में आगरा इकाई के 1994-97 की अवधि के लिये किये गये भौतिक सत्यापन से ज्ञात हुआ कि 464 परियोजनाएं (मथुरा-435, आगरा 29 लागत 62.35 लाख रुपये) उपलब्ध नहीं थीं। और 1993-94 से 1996-97 के अवधि में आगरा शहर क्षेत्र में 2.00 लाख रुपये मूल्य की 10 परियोजनाएं एक ही व्यक्ति को अलग-अलग नामों से स्वीकृत/वित्त पोषित की हुई पायी गयी।

यह कुल 64.35 लाख रुपये के अनुदान व मार्जिन मनी ऋण के दुर्विनियोग की सम्भावना की ओर इंगित करता है।

(vi) चयन में उपयुक्त ढंग का अभाव, अपर्याप्त चयन प्रक्रिया, अनुश्रवण और अनुगामी कार्यवाही

सम्प्रेक्षण द्वारा देखा गया कि 20 जिला इकाईयों ने, योजना के क्रियान्वयन में एक वस्तुपरक प्रयास अपनाने के बजाय बड़े अव्यवस्थित ढंग से परियोजनाओं का क्रियान्वयन किया जिसके परिणामस्वरूप घोषित उद्देश्यों की प्राप्ति नहीं हो सकी जैसा कि निम्न में विस्तार से दिया गया है:-

- प्रशिक्षण और पुनर्वास हेतु लाभार्थियों के चयन के साथ-साथ शुष्क शौचालयों के फ्लश पद्धति में परिवर्तन की कार्यवाही तुरन्त करने में समर्थ बनाने हेतु जिला कार्यालयों को उनके द्वारा सेवित कालोनियों का विवरण नगर निगमों, नगर परिषदों/स्थानीय निकायों और जिलाधिकारी को सूचित करना था। तथापि, ऐसा नहीं किया गया जिसके परिणामस्वरूप इन क्षेत्रों के शुष्क शौचालयों को जल वाहित फ्लश पद्धति में परिवर्तित नहीं किया जा सका।

- एक बस्ती के समस्त पात्र सफाई कर्मचारियों के एक साथ प्रशिक्षण व पुनर्वास कार्यक्रम में

कम्पनी द्वारा 'क्लस्टर एप्रौच' अपनायी जानी थी। तथापि, जिला कार्यालयों ने लाभार्थियों का चयन केवल 'पिक एण्ड चूज' के आधार पर किया।

- 1992-93 और 1996-97 के मध्य किये गये सर्वेक्षण के सर्वे रजिस्टर जिला कार्यालयों द्वारा नहीं बनाये गये जो कि एक अनिवार्य प्राविधान था। केवल सर्वे प्रपत्र ही अव्यवस्थित ढंग से उपलब्ध थे। 1996-97 से सम्बन्धित इन प्रारूपों की एक जाँच से ज्ञात हुआ कि इनमें से अधिकतर में मौलिक विवरण ही उपलब्ध नहीं थे।

- योजना के लाभों से स्वच्छकारों को अवगत कराने हेतु कम्पनी द्वारा अपनाया गया प्रचार का माध्यम, पर्याप्त नहीं था।

- इस तथ्य के बावजूद कि हस्त स्वच्छकारिता में अधिकांशतः महिलायें संलग्न हैं, कम्पनी द्वारा कोई भी महिला केन्द्रित कार्यक्रम नहीं कार्यान्वित किया गया।

- 1997-98 के समापन तक वसूली हेतु देय 19.61 करोड़ रुपये तथा 2.17 करोड़ रुपये का ब्याज सम्मिलित करते हुए, कम्पनी 8.36 प्रतिशत का प्रतिनिधित्व करने वाले केवल 1.64 करोड़ रुपये की वसूली ही कर सकी। ऋणों की अपर्याप्त वसूली के कारण वही थे जिनकी चर्चा स्वतः रोजगार योजना के अन्तर्गत ऊपर प्रस्तर 2.5.1 (अ) में की गयी है।

- योजना के लाभार्थियों का असंदिग्ध पुनर्वास सुनिश्चित करने हेतु कम्पनी से मासिक आधार पर योजनाओं के प्रभाव का मूल्यांकन और अनुश्रवण करने की अपेक्षा थी। तथापि कम्पनी योजना के प्रभाव का मूल्यांकन और अनुश्रवण करने में असफल रही।

2.5.3 स्वछकारों हेतु प्रशिक्षण योजना

मई 1996 में पुनरीक्षित स्वच्छकार विमुक्ति एवं पुनर्वास योजना में, ट्राइसेम योजना के प्राविधानों के अनुसार 15 से 50 वर्ष आयु वर्ग के स्वच्छकारों और उनके आश्रितों को शासकीय और अशासकीय संगठनों* (एन जी ओज) के समीपस्थ प्रशिक्षण केन्द्रों में प्रशिक्षण दिये जाने की संकल्पना थी। प्रशिक्षण योजना की मुख्य विशेषताएं थीं :

* केवल उन गैर सरकारी संगठनों का चुनाव किया जाना था जिनके पास प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाने का अनुभव था और जिनके 75 प्रतिशत अशिक्षित व्यक्ति स्वतः रोजगार में लग गये थे।

(i) प्रशिक्षण उक्त उद्देश्यों हेतु चिन्हित स्वच्छकारों को दिया जाना था जिनके नाम सर्वे प्रपत्रों में उपलब्ध थे।

(ii) आठवीं पंचवर्षीय योजना के प्रथम चार वर्ष में लगभग 3.5 लाख स्वच्छकारों और उनके आश्रितों को प्रशिक्षण कार्यक्रम के अर्न्तगत लाभान्वित किया जाना था।

(iii) समस्त प्रशिक्षित स्वच्छकारों को, उन परियोजनाओं के वित्तपोषण द्वारा, जिनमें उन्हें प्रशिक्षण दिया गया था, पुनर्वासित किया जाना था।

1997-98 तक छः वर्षों में लक्ष्यों की प्राप्ति 5.32 और 57.78 प्रतिशत के मध्य थी।

इस सम्बन्ध में सम्प्रेक्षण की निम्न टिप्पणियाँ दी जाती हैं :

- 1997-98 तक छः वर्षों की अवधि में भारत सरकार ने 12.89 करोड़ रुपये अवमुक्त किये जिसके विरुद्ध कम्पनी मार्च 1998 तक, 7.53 करोड़ रुपये का अनुपयोजित अवशेष को छोड़ते हुए, मात्र 5.36 करोड़ रुपये का उपयोग ही कर सकी। उद्दिष्ट निधि का उपयोग न किये जाने के कारण उस सीमा तक स्वच्छकार प्रशिक्षित और पुनर्वासित नहीं किये जा सके,

- 1997-98 तक पिछले छः वर्षों में 10600 स्वच्छकारों को प्रशिक्षित करने के लक्ष्य के विरुद्ध, कम्पनी केवल 35204 स्वच्छकारों को ही प्रशिक्षण उपलब्ध करा सकी जो कि निश्चित लक्ष्य का 33 प्रतिशत मात्र था। निधि की उपलब्धता के बावजूद लक्ष्य की प्राप्ति न होने के कारणों का विश्लेषण प्रबन्धन द्वारा नहीं किया गया। प्राप्ति में अवनति का मुख्य कारण, जैसा कि सम्प्रेक्षण द्वारा विश्लेषित किया गया, जिला कार्यालयों द्वारा प्रशिक्षण संस्थानों और प्रशिक्षणार्थियों का चयन न किया जाना था।

13 जिला कार्यालयों के अभिलेखों की नमूना जाँच में पाया गया कि:

- योजना के प्राविधानों का उल्लंघन करते हुए एन जी ओज़ का चयन किया गया;

- 14421 प्रशिक्षित स्वच्छकारो के विरुद्ध, 13 जिला इकाईयों में केवल 3178 (केवल 22 प्रतिशत) को ही वित्तपोषित किया गया। अतः 11243 स्वच्छकारों के प्रशिक्षण पर किया गया 3.37 करोड़ रुपये का व्यय निष्फल हो गया;

- प्रशिक्षण के दौरान 75 प्रतिशत और शेष वित्त पोषण के समय वृत्ति के निर्दिष्ट भुगतान के विरुद्ध 8 जिला कार्यालयों में प्रशिक्षण के दौरान शत प्रतिशत वृत्ति का भुगतान कर दिया गया। इसके कारण, निश्चित प्रतिमानों से अधिक 11.03 लाख रुपये का भुगतान कर दिया गया; और

- 13 जिला कार्यालयों में, प्रशिक्षणार्थियों का भाग भी प्रशिक्षण संस्थानों के पास ही रखने की छूट देकर, अनुचित लाभ पहुँचाया गया। अतः प्रशिक्षणार्थी, उनके लिए नियत लाभ से वंचित रह गये।

उपरोक्त के अतिरिक्त, 6 इकाईयों की नमूना जाँच में 1.68 करोड़ रुपये की उदि्दष्ट निधि का दुरुपयोग/अनुपयोग संज्ञान में आया जैसा कि संलग्नक–9(अ) में विस्तार से दिया गया है।

छः इकाईयों की नमूना जाँच में 1.68 करोड़ रुपये की सीमा तक उदि्दष्ट निधि का दुरुपयोग/अनुपयोग संज्ञान में आया।

2.5.4 शहरी क्षेत्रों में दुकानों के निर्माण की योजना

मैदानी क्षेत्रों की सामान्य मिट्टी, काली मिट्टी और पहाड़ी क्षेत्रों पर स्थित लाभार्थियों के प्लाटों पर दुकान निर्माण हेतु 1992-93 में निर्माण लागत 10,000 रुपये (भूमि की लागत 2000 रुपये जोड़ते हुए) को संशोधित कर क्रमशः 14000 रुपये, 16500 रुपये और 22500 रुपये कर दी गयी। इसमें से 5000 रुपये अनुदान के रूप में और शेष ब्याज रहित ऋण के रूप में उपलब्ध कराया जाना था। निर्माण पूर्ण हो जाने के पश्चात, शत-प्रतिशत लाभार्थियों को व्यवसाय चलाने हेतु स्वतः रोजगार योजना के अन्तर्गत कार्यशील पूँजी उपलब्ध करायी जानी थी।

अगले पृष्ठ पर दी गयी सारिणी, 1997-98 तक की छः वर्षों की अवधि में लक्ष्य की प्राप्ति को इंगित करती है:

(लाख रुपये में)

वर्ष	भौतिक		वित्तीय	
	लक्ष्य	प्राप्ति	लक्ष्य	प्राप्ति
1992–93	2000	1440	254.52	168.05
1993–94	2500	1486	401.59	207.49
1994–95	2000	1096	370.42	224.10
1995–96	2000	1254	453.52	180.42
1996–97	——	1656	——	175.51
1997–98	——	242	——	12.99
योग	**8500**	**7174**	**1480.05**	**968.56**

जैसा कि उपरोक्त से स्पष्ट है, निधियों की उपलब्धता के बावजूद कम्पनी लक्ष्यों को प्राप्त न कर सकी और 70.42 लाख रुपये की राशि छः वर्ष से अधिक समय से निष्प्रयोज्य पड़ी रही जिससे 600 लाभार्थ योजना का लाभ उठाने से वंचित रह गये। कम्पनी ने लक्ष्यों की प्राप्ति में अवनति के कारणों का विश्लेषण नहीं किया।

16 जिला कार्यालयों के अभिलेखों की नमूना जाँच में निम्न अनियमितताएँ/चूकें सज्ञान में आयीं

- 1992-93 से 1996-97 की अवधि में निर्मित 2084 दुकानों में से, केवल 82 प्रकरणों में स्वतः रोजगार योजना के अन्तर्गत वित्तीय सहायता उपलब्ध करायी गयी। शेष 2002 लाभार्थियों को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने में असफलता से वैधानिक प्राविधानों का उल्लंघन हुआ जो लाभार्थियों की दुकान संचालन में असमर्थता के रूप में परिणामित हुआ। अतः इन दुकानों के निर्माण में व्यय किया गया 2.80 करोड़ रुपया (14000 रुपये प्रति दुकान की दर से आगणित) निष्फल हो गया।

- दिशा निर्देशों के अनुसार, लाभार्थियों के चयन से पूर्व स्थल सर्वेक्षण और प्रस्तावित दुकान की स्थल जांच, ए डी डी ओ/ए एम द्वारा की जानी थी। यह पाया गया कि इकाईयों द्वारा प्रक्रिया का पालन नहीं किया जा रहा था। वाराणसी जिले में, 110 स्थलों में से 106 स्थलों का चयन गलत किया गया क्योंकि स्थलों का स्वामित्व विवादास्पद था और उनकी स्थिति आर्थिक रूप से लाभकारी नहीं थी। परिणामस्वरूप, तृतीय और अन्तिम किश्त अवमुक्त नहीं की जा सकी और इन दुकानों के लिये अवमुक्त किये गये 8.85 लाख रुपये, उस प्रयोजन हेतु जिसके लिये वे उद्दिष्ट थे, प्रयुक्त नहीं किये जा सके।

- शाहजहाँपुर की दुकानों के शून्य वसूली वाले 96 प्रकरणों में की गयी जांच से स्पष्ट हुआ कि यद्यपि 48 दुकानें निर्मित ही नहीं की गयी थीं फिर भी सभी तीनों किस्तों का भुगतान, ए डी डी ओ/ए एम/ जे सी के प्रमाण पत्र पर कि निर्माण कार्य प्रगति पर है; अवमुक्त कर दिये गये। अतः अवमुक्त अनुदान व मार्जिन मनी के 6.21 लाख रुपये का दुरुपयोग हो गया। दोषी ए डी डी ओ/ए एम/जे सी के विरुद्ध अब तक कोई कार्यवाही नहीं की गयी; और

- कानपुर (शहर), इलाहाबाद व बाराबंकी जिला कार्यालयों में कुल 3.29 लाख रुपये की अवमुक्त की गयी प्रथम और/व दूसरी किश्तों का लाभार्थियों द्वारा दुरुपयोग कर लिया गया और पश्चातवर्ती किश्तों को अवमुक्त नहीं किया गया। तथापि, उक्त राशि को दोषी लाभार्थियों से वसूल करने हेतु अब तक कोई कार्यवाही प्रारम्भ नहीं की गयी है।

2.5.5 एन एस एफ डी सी द्वारा वित्तपोषित अनुविनि योजनाएं

1992-93 में प्रारम्भ की गयी अनुविनि योजना के क्रियान्वयन हेतु कम्पनी, एन एस एफ डी सी की चैनलाइजिंग एजेन्सी के रूप में काम कर रही है। योजना के अनुसार लघु सिंचाई, ट्रान्सपोर्ट, उद्योग, सेवा और व्यवसाय (आई एस बी) के क्षेत्रों की लाभकारी योजनाओं हेतु राज्य सरकार की प्रत्याभूति के विरुद्ध कम्पनी को अनुविनि से निधि उधार लेनी थी और गरीबी की रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले अनुसूचित जातियों के सदस्यों को कम ब्याज दर पर ऋण उपलब्ध कराना था।

मार्च 1998 तक एन एस एफ डी सी से प्राप्त की गयी, उपयोग की गयी और वापस की गयी निधियों की योजनावार स्थिति का विवरण संलग्नक 10 में दिया गया है।

मार्च 1997 तक पाँच वर्षों की अवधि में (उसके पश्चात योजना परित्यक्त कर दी गयी) कम्पनी ने परियोजनाओं के वित्तपोषण हेतु टर्म लोन के रूप में अनुविनि से 36.82 करोड़ रुपये प्राप्त किये। जिसके विरुद्ध, इसने 24060 लाभार्थियों को केवल 33.23 करोड़ रुपये वितरित किये और 3.58 करोड़ रुपये अनुविनि ऋण का उपयोग नहीं कर सकी, जिसके कारणों का विश्लेषण प्रबन्धन द्वारा नहीं किया गया। पुनः अनुविनि को पुनर्भुगतान की जाने वाली 12.76 करोड़ रुपये की मूल धनराशि और उस पर उपचयित 4.21 करोड़ रुपये के ब्याज के विरुद्ध कम्पनी मूल धन के रूप में 6.40 करोड़ रुपये और ब्याज के रूप में 1.89 करोड़ रुपये ही मार्च 1998 तक, लाभार्थियों से वसूल कर सकी। इससे स्पष्ट होता है कि अनुविनि को भुगतान अन्य योजनाओं की निधि का विपथन कर किया गया।

लघु सिंचाई, ट्रान्सपोर्ट, उद्योग, सेवा और व्यवसाय क्षेत्रों के अन्तर्गत योजनाओं की सम्प्रेक्षण द्वारा नमूना जाँच की गयी जिसके परिणाम निम्न में विवेचित है:-

(i) पम्प सेट योजना

समाज कल्याण विभाग द्वारा 1986-87 में प्रारम्भ की गयी योजना, अनुसूचित जाति के परिवारों को सिंचाई के प्रयोजन हेतु पम्पसेट सुविधा उपलब्ध कराने की संकल्पना करती है। चूँकि सभी पात्र लाभार्थी (संख्या 15000) 31 मार्च 1990 तक ऋण प्राप्त नहीं कर सके थे, मार्च 1992 में एन एस एफ डी सी की वित्तीय सहायता से कम्पनी द्वारा डीजल पम्पसेट की आपूर्ति (नकद राशि उपलब्ध कराने के स्थान पर) की एक योजना मार्च 1992 से प्रारम्भ की गयी। पम्पसेट की अधिकतम लागत 13000 रुपये थी, जो 6000 रुपये अनुदान (1993-94 तक 5000 रुपये) और 6 प्रतिशत की दर से टर्म लोन सहायता द्वारा वित्तपोषित की जानी थी। आई एस आई पम्पसेटों की दर 1992-93 से दिसम्बर 1994 तक 12625 रुपये की इकाई लागत के अन्दर और उसके पश्चात 12600 रुपये दर अनुमोदित थी। चूंकि पम्पसेट अच्छी गुणवत्ता के नहीं पाये गये, एक समिति ने, दिसम्बर 1995 में विशिष्ट मेक हेतु इकाई लागत 16360 रुपये तक बढ़ाने का निर्णय लिया, जो केवल 1995-96 के लक्ष्यों के सम्बन्ध में मार्च 1996 तक लागू थी। उसके पश्चात लागत दर केवल 12600 रुपये प्रति पम्पसेट थी। संशोधित योजना के अन्तर्गत, 1995-96 के किसी अनुपयोजित शेष का उपयोग इकाईयों के लिये प्रतिबंधित कर दिया गया था जो कि कम्पनी को वापस किया जाना था।

योजना के क्रियान्वयन में जिला कार्यालयों ने विहित प्रक्रिया का पालन नहीं किया। इसके परिणामस्वरूप, 11 जिला कार्यालयों द्वारा कुल 3.47 करोड़ रुपये की निधि का कपटपूर्ण और अनियमित उपयोग कर लिया गया जिसका विवरण निम्न सारिणी में दिया गया है :

विहित प्रक्रिया का पालन न किये जाने के परिणामस्वरूप पम्पसेट योजना में, 11 जिला कार्यालयों द्वारा कुल 3.47 करोड़ रुपये की निधि का कपटपूर्ण और अनियमित उपयोग कर लिया गया।

इकाईयों का नाम	अवधि	धनराशि (लाख रुपये में)	अनियमितता की प्रकृति
सीतापुर, शाहजहाँपुर, बुलन्दशहर व रामपुर	1982–86 और 1993–94	12.75	ऋण आवेदन पत्रों के साथ समाज कल्याण विभाग के जाली बोरिग प्रमाण पत्र संलग्न थे जबकि इस प्रकार की योजना उस समय अस्तित्व में ही नहीं थी। इसके परिणामस्वरूप 101 पम्प सेट से सम्बन्धित 12.75 लाख रुपये का कपटपूर्ण भुगतान हो गया।
गाजियाबाद	1994–96	21.67	वी डी ओज़ द्वारा प्रमाण–पत्र निश्चित प्रारुप में जारी नहीं किये गये और उनमें वर्ष और बोरिंग का स्थान इंगित नहीं किया गया जिसके परिणामस्वरूप 172 पम्पसेटों से सम्बन्धित 21.67 लाख रुपये का दुरुपयोग हो गया।

इकाईयों का नाम	अवधि	धनराशि (लाख रुपये में)	अनियमितता की प्रकृति
प्रतापगढ़	1995–96	32.72	अप्रैल 1993 से जुलाई 1996 की अवधि में निःशुल्क बोरिग योजना के अन्तर्गत जिला विकास एवं सहायता समिति द्वारा 200 पम्पसेटों हेतु बोरिंग प्रमाण पत्र निर्गत किये गये, जबकि निःशुल्क बोरिंग योजना अपने आप में उस समय स्थगित थी। इसके परिणामस्वरूप 32.72 लाख रूपये का कपटपर्ण भुगतान हुआ।
बरेली	1995–96	4.25	12600 रुपये की स्वीकार्य दर के विरुद्ध 196 पम्पसेट (511 में से) 14000 से 15690 रुपये प्रति पम्प सेट की दर से स्थापित किये गये जिसके परिणामस्वरूप 4.25 लाख रुपये का अमान्य भुगतान हुआ।
प्रतापगढ़, बाराबंकी, हरदोई, मथुरा, और शाहजहांपुर	अप्रैल से सितम्बर 1996	104.70	1995–96 की अव्ययित धनराशि, 1996–97 की अवधि में 16360 रुपये प्रति सेट की दर से 640 पम्पसेटों के स्थापन पर प्रयुक्त की गयी। परिणामतः 104.70 लाख रुपये के अनाधिकृत ऋण का भुगतान हुआ।

इकाईयों का नाम	अवधि	धनराशि (लाख रुपये में)	अनियमितता की प्रकृति
प्रतापगढ़, बाराबंकी, हरदोई, मथुरा, शाहजहांपुर, आगरा, रामपुर और बरेली	1995–96	55.84	अपंजीकृत फर्मों से 16360 रुपये (12600 रुपये प्रति पम्पसेट के बजाय) की उच्चतर दर पर 1485 अधोमानक स्तर के पम्पसेट बिना जांच प्रमाणपत्र के क्रय किये गये। परिणामस्वरूप 55.84 लाख रुपये का अमान्य भुगतान हुआ।
रामपुर और शाहजहाँपुर	1995–96	80.98	पम्पसेट उपलब्ध कराने के निर्देशों के बावजूद, वर्ष 1996–97 हेतु अधिप्राप्ति के विरुद्ध 16360 रुपये की उच्चतर दर पर रामपुर इकाई द्वारा 495 लाभार्थियों को कुल 80.98 लाख रुपये की धनराशि के चेक निर्गत किये गये। पुनः शाहजहाँपुर इकाई ने अपंजीकृत फर्मों से उच्चतर दर पर 160 पम्पसेटों की अधिप्राप्ति की।
बरेली	1995–96	30.59	1995–96 की अवधि में स्थापित किये गये 187 पम्पसेटों की अधिप्राप्ति में, 7 से 26 अप्रैल की अवधि में निर्गत जाँच प्रमाण पत्रों के विरुद्ध 30 मार्च 1996 के बीजक संलग्न थे। इससे 30.59 लाख की धनराशि के दुरुपयोग की आशंकाओं का आभास होता है।

इकाईयों का नाम	अवधि	धनराशि (लाख रुपये में)	अनियमितता की प्रकृति
शाहजहाँपुर	1997–98	3.50	1996–97 की अवधि में योजना बन्द कर दी गयी। तथापि, 1996–97 के अव्ययित शेष 27 पम्पसेटों से सम्बंधित 3.50 लाख रुपये, 1997–98 की अवधि में इस हेतु बिना किसी लक्ष्य के, उपयोजित कर लिये गये। अतः उक्त व्यय अनाधिकृत और अनियमित था।

कम्पनी ने उक्त अनियमितताओं के लिये अब तक कोई उत्तरदायित्व निश्चित नहीं किया है (अक्टूबर 1998)।

(ii) आफिस सर्विस सेन्टर स्कीम निधियों का दुरुपयोग

आफिस सर्विस सेन्टर स्कीम के अन्तर्गत दोषयुक्त फोटो कापियरों की अधिप्राप्ति के परिणामस्वरुप 0.97 करोड़ रुपये की सीमा तक निधि का दुरुपयोग हुआ।

स्वतः रोजगार उत्पन्न कराने हेतु अवसंरचनात्मक सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए, कम्पनी ने अनुसूचित जाति के 100 लाभार्थियों को 100 फोटोकापी मशीनें उपलब्ध कराने का निर्णय लिया। तदनुसार इसने, 90 मोदी जेराक्स फोटो कापी मशीनों के हेतु 59.40 लाख रुपये (मई 1994 मे 26.40 लाख रुपये और फरवरी 1995 में 33 लाख रुपये) का टर्म लोन का अनुविनि अंश, 4.5 प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर से प्राप्त किया जिसका पुर्नभुतान 20 समान त्रैमासिक किस्तों में किया जाना था। अनुविनि से किये गये समझौते की शर्तों के विरुद्ध कम्पनी ने जनवरी 1995 में मेसर्स एच सी एल लिमिटेड नई दिल्ली के साथ 31 मार्च 1995 तक 96658 रुपये प्रति की दर से 100 एच सी एल फोटो कापी मशीनों की आपूर्ति हेतु समझौता निष्पादित किया। फोटो कापी मशीनों को, कम्पनी द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूची और प्राधिकार पत्र

के अनुसार, सीधे लाभार्थियों को उपलब्ध कराया जाना था। 100 फोटो कापी मशीनों में से आपूर्तिकर्ता केवल 55 फोटो कापी मशीनों (मूल्यः 53.16 लाख रुपये) को सीधे लाभार्थियों को आपूर्त कर सका और शेष 45 फाटो कापी मशीनें (मूल्यः 43.50 लाख रुपये) अप्रैल 1995 में, कम्पनी को (लाभार्थियों को नहीं) आपूर्ति कर दी गयी। कम्पनी को सीधे आपूर्त की गई मशीनें दोषपूर्ण थीं और लाभार्थियों को आपूर्त नहीं की जा सकीं। ये मशीनें जून 1998 तक निगम कार्यालय और जिला कार्यालयों में पड़ी हुई थीं।

पुनः सीधे लाभार्थियों को आपूर्त की गयी 55 फोटो कापी मशीनें दोषपूर्ण और निम्न गुणवत्ता वाली पायी गयीं। जिसके परिणामस्वरूप लाभार्थियों ने ऋणों का पुनर्भुगतान करना बन्द कर दिया। मार्च 1998 तक अनुविनि को किये गये 40.19 लाख रुपये के टर्म लोन और ब्याज के पुर्नभुगतान के विरुद्ध कम्पनी लाभार्थियों से मात्र 0.98 लाख रुपये ही वसूल सकी।

मोदी जेराक्स फोटो कापी मशीनों के स्थान पर एस सी एल मेक की फोटो कापी मशीनों का आदेश निर्गत करने और दोषयुक्त आपूर्ति स्वीकार करने के कारण अभिलेखों में उपलब्ध नहीं थे। इसके परिणामस्वरूप 96.95 लाख रुपये की निधि का दुरुपयोग हुआ। कम्पनी ने अब तक दोषी अधिकारियों/कर्मचारियों के विरुद्ध कोई उत्तरदायित्व निश्चित नहीं किया है (सितम्बर 1998) तथापि कम्पनी ने मार्च 1997 में लखनऊ पुलिस कार्यालय में एक एफ आई आर लिखवा दी थी।

उपसंहार

राज्य सरकार ने राज्य के गरीबी की रेखा के नीचे जीवनयापन करने वाले अनुसूचित जाति से सम्बन्धित व्यक्तियों के सामाजिक-आर्थिक उत्थान को त्वरित करने के उद्देश्य से यू पी एस एफ डी सी की स्थापना की थी। योजनाओं के क्रियान्वयन में, सम्प्रेक्षण द्वारा किये गये विश्लेषण से, कम्पनी के उद्देश्यों की असफलता, हानियाँ, कपटपूर्ण भुगतान, और दूसरी अनियमिततायें प्रकाश में आयीं जिसका कुल वित्तीय प्रभाव 112.06 करोड़ रुपये है।

शासन द्वारा उचित आन्तरिक नियन्त्रण युक्ति सहित निगम कार्यालय पर उचित अनुश्रवण एवं विश्लेषण के साथ एक अत्यन्त विश्वसनीय सूचना तन्त्र उपलब्ध कराने के अतिरिक्त क्षेत्र के कर्मचारियों पर कम्पनी के सीधे नियन्त्रण को सुनिश्चित करने के लिए एक तर्कसंगत प्रशासनिक ढ़ाँचा उपलब्ध कराके योजनाओं के कार्यान्वयन में आने वाली कमियों को समाप्त किये जाने की आवश्यकता है। लाभार्थियों को निधियों के वितरण (बैंक अंश सम्मिलित करते हुए) को सुनिश्चित करने के लिए बैंकों सहित, क्रियान्वयन करने वाले अभिकरण, के कार्य सम्पादन की आवधिक रूप से समीक्षा की जानी

चाहिए। विहित भौतिक सत्यापन सावधानीपूर्वक सभी स्तर पर किया जाना चाहिए और निधि से सृजित सम्पत्तियों की उपलब्धता तथा स्थल पर इसके संचालन को सुनिश्चित करने हेतु, परिणाम को शासन/कम्पनी स्तर पर अनुश्रवित किया जाना चाहिए।

मामले को प्रबन्धन को जून 1998 और शासन को जुलाई 1998 से सूचित किया गया था; उनके प्रत्युत्तर प्रतीक्षित हैं (अक्टूबर 1998)।

अध्याय III

उत्तर प्रदेश वित्तीय निगम

अध्याय - III

अनुच्छेद - 3 अ

उत्तर प्रदेश वित्तीय निगम

प्रस्तर	विवरण	पृष्ठ
	मुख्य अंश	89
1.	प्रस्तावना	90
2.	क्रियाकलाप	91
3.	संगठनात्मक ढांचा	91
4.	लेखापरीक्षा का क्षेत्र	91
5.	वित्तीय स्थिति तथा कार्य चालन परिणाम	92
5(क)	वित्तीय स्थिति	92
5(ख)	कार्य चालन परिणाम	93
5(ग)	ऋण वितरण हेतु स्रोत-मिश्रण	95
6.	व्यवसाय चालन	96
7.	ऋण का आंकलन एवं स्वीकृति	98
7.1	पर्याप्त आंकलन प्रणाली का अस्तित्व में न होना	98
7.2.1	कृष्णा फर्टिलाइजर्स (प्रा.) लिमिटेड	101
7.2.2	दीपक राइस मिल्स (प्रा.) लिमिटेड	103
7.2.3	सूरज इलेक्ट्रानिक्स (प्रा.) लिमिटेड	104
7.2.4	काम्पीटेन्ट मेटलाइजर्स (प्रा.) लिमिटेड	105
8.	ऋण का वितरण एवं इकाईयों का अनुगमन	107
8.1	अपर्याप्त एवं अप्रभावी अनुगमन प्रणाली	107
8.2.1	जैगुआर स्टील्स (प्रा.) लिमिटेड	110

प्रस्तर	विवरण	पृष्ठ
8.2.2	विमला आयल मिल्स (प्रा.) लिमिटेड	111
8.2.3	प्रतीक सीमेन्ट ऐण्ड लाइम (प्रा.) लिमिटेड	112
8.2.4	हैदर स्टील रोलिंग मिल्स (प्रा.) लिमिटेड	113
8.2.5	सुभाष आयल मिल (प्रा.) लिमिटेड	114
8.2.6	एल्सन केबिल्स (प्रा.) लिमिटेड	115
9.	देयों की वसूली	116
9.1	वसूलियाँ तथा अतिदेय	117
9.2	प्राप्यों की अप्रभावशील वसूली	118
9.3.1	नाइट टैनर्स (प्रा.) लिमिटेड	121
9.3.2	भगवान आयल इन्डस्ट्रीज़ (प्रा.) लिमिटेड	122
9.3.3	भगवान फूड्स (प्रा.) लिमिटेड	123
9.3.4	काशीपुर फ्यूएल ऐण्ड केमिकल्स (प्रा.) लिमिटेड	124
9.3.5	श्री नाथजी जिंक (प्रा.) लिमिटेड	125
9.4	एकमुश्त भुगतान योजना	126
10.	आन्तरिक लेखापरीक्षण	127
11.	अन्य रोचक विषय	128
11.1	देयक बट्टा योजना	128
11.2	लेखांकन नीति में परिवर्तन	129
	उपसंहार	129

अनुच्छेद 3अ

उत्तर प्रदेश वित्तीय निगम

मुख्य अंश

राज्य में लघु तथा मध्यम स्तरीय औद्योगिक इकाईयों को ऋण सहायता उपलब्ध कराने के उद्देश्य से 1 नवम्बर 1954 को निगम संस्थापित किया गया था। 31 मार्च 1998 को निगम की प्रदत्त पूँजी 100 करोड़ रुपए थी जो इसके 234.97 करोड़ रुपये की संचित हानि से पूर्णतया क्षरित हो चुकी है।

(प्रस्तर 3अ.1, 3अ.5)

निगम 2.39 करोड़ रुपये के देयों को वसूल नहीं कर सका क्योंकि इसने एक इकाई को उसकी लाभदायकता की गणना सीमेन्ट का विक्रय मूल्य बाजार भाव से काफी अधिक दर्शाते हुए तथा विद्युत की उपलब्धता सुनिश्चित किए बिना ऋण स्वीकृत किया था।

(प्रस्तर 3अ.7.2.1)

एक चावल मिल को भविष्य प्रायोजना के आधार पर कार्यशील पूँजी सावधि ऋण की स्वीकृति, निगम की नीति का अतिक्रमण कर उसकी पुनर्स्वीकृति तथा बकायेदार इकाई के अधिग्रहण में विलम्ब के कारण 2.42 करोड़ रुपये की हानि हुई।

(3अ.7.2.2)

प्लाण्ट की क्षमता/कुशलता, बाजार मांग एवं आबकारी शुल्क की अनुप्रयोज्यता का स्वतंत्र रूप से सत्यापन किए बिना एक टेलीविजन पिक्चर ट्यूब रिकंडीशनिंग इकाई के आंकलन के कारण आरम्भ से ही अलाभकारी इकाई को ऋण स्वीकृत हो गया जिसके कारण 1.66 करोड़ रुपये की हानि हुई।

(प्रस्तर 3अ.7.2.3)

यह सज्ञान में होते हुए भी कि इकाई ने अपने नाम तथा अपनी स्थिति को निजी से सार्वजनिक कम्पनी के रूप में परिवर्तित करने के सम्बन्ध में निगम को अन्धकार में रखा फिर भी उसे बढ़ाये गये टर्न ओवर के आधार पर कार्यशील पूँजी सावधि ऋण स्वीकृत किया गया जिससे 1.51 करोड़ रुपये की हानि हुई।

(प्रस्तर 3अ.7.2.4)

कई वितरण पूर्व शर्तो का अनुपालन सुनिश्चित किए बिना एक री-रोलिंग मिल को ऋण वितरण के कारण 2.82 करोड़ रुपये की हानि हुई क्योंकि मुख्यतः नियमित विद्युत आपूर्ति के लिए आवश्यक औद्योगिक फीडर की अनुपलब्धता के कारण इकाई लाभदायक ढंग से नहीं चल पायी।

(प्रस्तर 3अ.8.2.1)

निगम 2.65 करोड़ रुपये के देयों की वसूली नहीं कर पाया क्योंकि वह प्रवर्तक के राज्य सरकार पर प्रभाव तथा तत्कालीन मुख्यमंत्री के हस्तक्षेप के कारण प्रभावी वसूली कार्यवाही नहीं कर सका।

(प्रस्तर 3अ.9.3.1)

चेकों के भुगतान की प्राप्ति में विलम्ब के कारण निगम को वर्ष 1996-97 तथा 1997-98 में 1.81 करोड़ रुपये के ब्याज की हानि हुई तथा लेखाकरण नीति में परिवर्तन के कारण इन दो वर्षों में वृद्धिगत आय दर्शाने के अतिरिक्त इसने अपने ग्राहक को अनुचित लाभ भी पहुंचाया।

(प्रस्तर 3अ.11.2)

3अ.1 प्रस्तावना

राज्य में लघु तथा मध्यम स्तरीय औद्योगिक इकाईयों को ऋण सहायता प्रदान करने हेतु उत्तर प्रदेश वित्तीय निगम की संस्थापना 1 नवम्बर 1954 को राज्य वित्तीय निगम अधिनियम, 1951 की धारा 3(1) के अन्तर्गत की गयी थी।

3अ.2 क्रियाकलाप

निगम मुख्यतः निम्न क्रिया कलापों में संलग्न रहाः

- परियोजनाओं की स्थापना के लिए सावधि ऋणों की स्वीकृति व वितरण;
- उद्यमियों तथा ग्राहकों को मर्चेन्ट बैंकिंग सुविधा के अन्तर्गत निगम सार्वजनिक निर्गम का प्रबन्धन तथा परियोजनाओं का प्रमाणन संचालित करता है तथा औद्योगिक संस्थाओं को पट्टा सहायता भी प्रदान करता है; और
- कार्यशील पूँजी सावधि ऋण सहायता।

3अ.3 संगठनात्मक ढांचा

निगम का प्रबन्धन एक अंशकालिक अध्यक्ष तथा एक प्रबन्ध निदेशक सहित 12 निदेशकों वाले एक निदेशक मण्डल में निहित है। प्रबन्ध निदेशक निगम का मुख्य कार्यकारी होता है जिसकी दिन प्रतिदिन के प्रबन्धन में एक महाप्रबन्धक सहायता करता है। निगम के 19 क्षेत्रीय कार्यालय हैं जिनका संचालन क्षेत्रीय/सहायक महाप्रबन्धक द्वारा तथा 2 शाखा कार्यालय है जिनका संचालन शाखा प्रबन्धकों द्वारा होता है।

3अ.4 लेखा परीक्षा का क्षेत्र

निगम की वसूली निष्पादन पर एक खण्डीय समीक्षा भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन वर्ष 1988-89 में प्रस्तुत की गयी थी। समीक्षा पर राज्य सार्वजनिक उपक्रम समिति द्वारा चर्चा अभी (अक्टूबर 1998) पूर्ण नहीं हुई।

प्रस्तुत समीक्षा में निगम की मार्च 1998 तक, पाँच वर्षों के समग्र निष्पादन की व्याख्या की गयी है। जुलाई 1997 से मार्च 1998 की अवधि में सम्पादित लेखापरीक्षा में अपेक्षित महत्वपूर्ण टीका-टिप्पणियों पर चर्चा आगामी प्रस्तरों में की जा रही है।

3अ.5 वित्तीय स्थिति तथा कार्य चालन परिणाम

3अ.5(क) वित्तीय स्थिति

राज्य वित्तीय निगम अधिनियम 1951 की धारा 37(5) का अतिक्रमण करते हुए निगम सामान्य वार्षिक सभा के एक माह पूर्व लेखापरीक्षकों के प्रतिवेदन सहित अपने लेखे नहीं उपलब्ध कराता है।

निगम वर्ष 1996-97 तक के लेखे पूर्ण कर चुका है। वर्ष 1997-98 के अनन्तिम लेखे निदेशक मण्डल द्वारा अभी (अक्टूबर 1998) अनुमोदित नहीं किये गये है। निम्न तालिका 1997-98 तक निगम के पाँच वर्षों की वित्तीय स्थिति इंगित करती है:

(करोड़ रुपये में)

विवरण	1993-94	1994-95	1995-96	1996-97	1997-98 (अनन्तिम)
देयतायें					
(अ) प्रदत्त पूँजी	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
(ब) अर्ध समता ऋण	18.60	18.60	18.60	18.60	18.60
(स) संचय व आधिक्य	15.87	9.64	23.95	20.85	20.72
(द) बॉड सहित ऋण	822.74	869.66	1045.10	1267.37	1372.62
(ड) अन्य देयतायें व प्राविधान	76.62	86.43	22.10	157.50	221.91
योग	**1033.83**	**1084.33**	**1209.75**	**1564.32**	**1733.85**
परिसम्पत्तियाँ					
(अ) निबल अचल परिसम्पत्तियाँ	2.90	11.33	21.86	41.05	52.49
(स) निवेश	0.37	0.86	2.36	2.73	24.24

(करोड़ रुपये में)

विवरण	1993-94	1994-95	1995-96	1996-97	1997-98 (अनन्तिम)
(द) चालू परिसम्पत्तियाँ, ऋण व अग्रिम					
1) ऋण व अग्रिम	864.60	921.65	1105.78	1254.38	1287.23
2) रोकड़ व बैंक शेष	47.62	32.98	38.20	73.67	106.00
3) अन्य	27.11	930.30	41.56	39.18	28.92
योग (स)	**939.30**	**984.93**	**1185.53**	**1367.23**	**1422.15**
(द) संचित हानि	91.23	87.21	——	153.31	234.97
योग	**1033.83**	**1084.33**	**1209.75**	**1564.32**	**1733.85**
नियोजित पूँजी*	941.06	977.56	1092.78	1297.24	1459.38
निबल परिसम्पत्तियाँ**	24.64	22.44	123.49	(–)32.46	(–)114.25

3अ.5 (ख) कार्य चालन परिणाम

वर्ष 1997-98 तक पाँच वर्षों में निगम के कार्य चालन परिणाम निम्नवत् थे:

(करोड़ रुपये में)

विवरण	1993-94	1994-95	1995-96	1996-97	1997-98 (अनन्तिम)
(क) आय					
(अ) ब्याज	82.92	104.97	149.61	162.63	172.35

* यह प्रदत्त पूँजी, आरक्षित निधि एवं अधिशेष, ऋणों तथा अर्ध अंशपूँजी ऋणों के प्रारंभिक एवं अंतिम शेषों के योग का औसत दर्शाता है।

** प्रदत्त पूँजी तथा मुक्त आरक्षित निधि संचित हानियों को छोड़ते हुये।

(करोड़ रुपये में)

विवरण	1993-94	1994-95	1995-96	1996-97	1997-98 (अनन्तिम)
(ब) पट्टा किराया आय			2.43	6.98	16.33
(स) अन्य आय	4.09	4.98	10.43	10.24	7.29
योग	**87.02**	**109.95**	**162.47**	**179.85**	**195.97**
(ख) व्यय					
(अ) वित्तीय लागत	95.28	72.40	111.97	151.21	178.72
(ब) प्रशासनिक व अन्य व्यय					
1. वेतन तथा मजदूरी	6.79	7.31	8.29	11.09	10.69
2. प्रशासनिक व्यय	6.53	6.69	10.95	18.01	19.67
योग	**108.60**	**86.40**	**131.21**	**180.31**	**209.08**
(ग) कर पूर्व लाभ (+)/हानि(–)	(+)21.58	(+)23.55	(+)31.26	(–)0.46	(–)13.11
(घ) अपलिखित अशोध्य ऋण	0.12	0.23	0.33	13.80	——
(ड.) अन्य समायोजन	(–)36.85	(–)19.30	(+)59.26	(–)142.03	(–)68.55
(च) वर्ष का शुद्ध लाभ (+)/हानि(–)	(–)58.55	(–)4.02	(–)90.19	(–)156.29	(–)81.66
(छ) पिछले आर्थिक चिट्ठे की संचित हानि (–)/लाभ (+)	(–) 32.68	(–) 91.23	(–) 87.21	(+) 2.98	(–) 153.31
(ज) वर्ष के अंत में संचित हानि (–)/लाभ (+)	(–) 91.23	(–) 87.21	(+) 2.98	(–) 153.31	(–) 234.97

इस सम्बन्ध में निम्न टिप्पणियाँ दी जाती है:

(i) निगम की संचित हानि मार्च 1994 के अन्त में 9123.09 लाख रुपये की तुलना में बढ़कर मार्च 1998 के अन्त में 23497.44 लाख रुपये हो गयी जिसने निगम की प्रदत्त पूँजी का पूर्णतया क्षरण कर दिया। वर्ष 1995-96 के लेखे में परिलक्षित शुद्ध लाभ के कारण थे- प्राविधान का राइट बैक करना (7069.71 लाख रुपये), प्राविधान न करना (3021 लाख रुपये), अक्रियाशील परिसम्पत्तियों के लिए प्राविधान न करना (3021 लाख रुपये) तथा ऋण प्राप्ति की अधिक लागत।

(ii) हानियों का मुख्य कारण निगम की निम्न वसूली की स्थिति थी जैसा कि आगामी प्रस्तर 3अ.9 में चर्चा की गयी है:

3अ.5(ग) ऋण वितरण हेतु स्रोत-मिश्रण

निम्न तालिका मार्च 1998 तक पाँच वर्षों में निगम द्वारा ऋण वितरण हेतु प्रयोग किये गये स्रोत-मिश्रण को दर्शाती है:

(करोड़ रुपये में)

विवरण	1993-94	1994-95	1995-96	1996-97	1997-98 (अनन्तिम)
(क) वितरित सावधि ऋण की धनराशि	75.25	175.89	389.39	423.14	269.89
(ख) स्रोत					
(i) अंश पूँजी	7.00	——	——	——	——
(ii) पुनर्वित्तपोषण	79.99	73.04	171.19	101.56	142.85
(iii) बॉड (निबल)	50.00	50.00	63.17	203.26	82.85
(iv) नया ऋण पत्र (निबल)	(–)6.75	3.51	17.75	4.63	(–)9.75

(करोड़ रुपये में)

विवरण	1993-94	1994-95	1995-96	1996-97	1997-98 (अनन्तिम)
(v) प्लाउ बैंक*	(–)63.37	26.78	128.85	126.19	362.65
(vi) अन्य	8.38	22.56	8.43	(–)12.50	(–)309.71
योग	**75.25**	**175.89**	**389.39**	**423.14**	**268.89**

इस सम्बन्ध में यह अवलोकित हुआ कि:

- निगम ने बॉड निर्गम द्वारा प्राप्त निधि को बैंक के सावधि जमा में निवेश कर डाला जिस पर प्राप्त ब्याज दर बॉड पर देय ब्याज दर से 1 से 5.85 प्रतिशत कम थी और उससे वर्ष 1992-93 तथा 1996-97 में क्रमशः 18.50 लाख रुपये तथा 6.35 लाख रुपये के ब्याज का अतिरिक्त भार वहन करना पड़ा।

- समीक्षा अवधि में निगम का प्लाऊ बैंक असंगत रहा और यह 1995-96 में वितरित सावधि ऋण का 33.1 प्रतिशत से घटकर 1996-97 में 29.8 प्रतिशत हो गया। प्लाऊ बैंक से कम अंशदान न केवल बाहरी स्रोतों पर अधिक निर्भर रहने तथा ऋण वितरण के लक्ष्य की अप्राप्ति के रूप में परिणामित हुआ बल्कि इसने निगम के वित्तीय स्थिति पर प्रतिकूल प्रभाव भी डाला।

- 1997-98 में स्थिति और भी खराब हो गयी क्योंकि निगम 362.65 करोड़ रुपये के प्लाऊ बैंक के बावजूद मात्र 268.89 करोड़ रुपये के सावधि ऋण वितरित कर सका यद्यपि वित्तीय वर्ष के अन्त में 586.92 करोड़ रुपये के अवितरित स्वीकृत ऋण थे (प्रस्तर 3अ.6)।

3अ.6 व्यवसाय चालन

भारतीय औद्योगिक विकास बैंक राज्य वित्तीय निगमों को उनके निष्पादन के आधार पर 'अ', 'ब', 'स' श्रेणियों में वर्गीकृत करता है। निगम, मार्च 1998 तक 'अ' श्रेणी के निगम के रूप में व्यवसाय

* असिस्टेड इकाईयों से वसूले गये मूलधन से आई डी बी आई/सिडबी को किये गये मूलधन के पुनर्भुगतान को घटाते हुये एवं राजस्व अधिशेष का योग।

संचालित करता रहा। लेकिन भारतीय औद्योगिक विकास बैंक ने, अगस्त 1998 में, निगम के खराब प्रदर्शन के कारण 'स' श्रेणी में वर्गीकृत कर दिया।

ऋण की स्वीकृति तथा वितरण

मार्च 1998 तक पाँच वर्षो में ऋण के प्रार्थना पत्रों की प्राप्ति एवं निस्तारण तथा उनके विरुद्ध ऋण वितरण, साथ ही साथ निर्धारित लक्ष्यों की स्थिति नीचे दर्शायी गई है।

(करोड़ रुपये में)

विवरण	1993-94	1994-95	1995-96	1996-97	1997-98 (अनन्तिम)
1. वर्षारम्भ में लम्बित	1526.29 (107) *	767.07 (72)	5894.70 (145)	11046.17 (261)	6842.75 (9175)
2. वर्ष के दौरान प्राप्ति	7642.23 (458)	44197.79 (1193)	86022.01 (1939)	99411.19 (2982)	58187.33 (2077)
3. स्वीकृति का लक्ष्य	12000.00	17500.00	60000.00	60000.00	50000.00
4. वर्ष के दौरान स्वीकृति	4639.87 (273)	33314.25 (974)	62033.72 (1593)	70745.06 (2687)	36026.06 (1741)
5. वर्षारम्भ में अवितरित स्वीकृति	19907.71	8761.24	19516.58	35109.46	49555.12
6. वितरण योग्य सकल धनराशि	24547.58	42075.49	81550.30	105854.52	85581.18
7. वर्ष के दौरान वितरित ऋण	7524.74	17588.82	38939.44	42314.41	26888.78
8. वितरण का लक्ष्य	16000.00	12000.00	40000.00	40000.00	40000.00
9. वर्ष के दौरान रद्द/व्ययगत ऋण	8261.60	4970.09	7501.40	13984.99	27126.58
10.वर्षान्त में अवितरित ऋण	8761.24	19516.58	35109.46	49555.12	58692.40
11.मासिक वितरण के बराबर अवितरित ऋण	14	13	11	14	26

* कोष्ठक की संख्या आवेदन की संख्या बताती है।

उपरोक्त से निम्न बिन्दु देखे गये :

- निगम द्वारा ऋण स्वीकृति के निर्धारित लक्ष्य वास्तविकता से परे थे क्योंकि ये न तो पूर्व के निष्पादन पर आधारित थे और न ही वितरण, भारतीय औद्योगिक विकास बैंक/भारतीय राज्य औद्योगिक विकास बैंक से पुनर्वित्तपोषण, प्राप्ति तथा देयों की वसूली हेतु निर्धारित अन्य लक्ष्यों सें इनकी प्रासंगिकता थी।

- प्रत्येक वर्ष के अन्त में भारी अवितरित स्वीकृत ऋण पड़े रहने के कारणों में से एक मुख्य कारण यह था कि निगम ने लक्ष्यों को पूर्ण करने के प्रयास में अधिकतर ऋण प्रार्थना पत्रों को मार्च महीने में स्वीकृत किया जो कि 1992-93 में कुल स्वीकृत ऋण के 7.8 प्रतिशत की तुलना में मार्च 1997 तक प्रत्येक चार वर्षो में 25 से 35 प्रतिशत तक था। प्रबन्धन ने उत्तर में कहा (अक्टूबर 1998) कि वर्ष भर समान रूप से ऋण स्वीकृत करने का प्रयास किया जायेगा।

निगम का व्यवसाय संचालन में प्रदर्शन तथा ऋण के आंकलन, वितरण व इकाई के अनुगमन के लिए निर्धारित प्रणालियों की अपर्याप्तता तथा त्रुटियाँ, उनके अनुपालन न होने के उद्धरणों सहित आगामी प्रस्तरों में चर्चित की गयी हैं।

3अ.7 ऋण का आंकलन एवं स्वीकृति

3अ.7.1 पर्याप्त आंकलन प्रणाली का अस्तित्व में न होना

निगम अपने अस्तित्व के 44 वर्ष बीत जाने पर भी, विभिन्न ऋण प्रस्तावों पर स्वतन्त्र एवं प्रभावी तकनीकी आर्थिक आंकलन को सुविधाजनक बनाने हेतु, प्रभावी आंकलन प्रणाली तथा आंकड़ा बैंक विकसित नहीं कर पाया। निगम कच्चे माल, तैयार माल व अन्य महत्वपूर्ण आयतों के मूल्यों में परिवर्तनशीलता के आधार पर कोई संवेदनशील विश्लेषण नहीं कर रहा था। इस प्रकार की प्रणाली एवं आंकड़ा बैंक के अभाव में निगम परियोजनाओं के आंकलन के समय निम्न तथ्यों को सुनिश्चित करने में असफल रहा:

- कच्चे माल की वास्तविक उपलब्धता एवं बाजार भाव;

- उत्पाद के विक्रय की संभाव्यता तथा युक्तिसंगत विक्रय मूल्य;

- क्रय किए गये प्लाण्ट व मशीनरी की वास्तविक क्षमता तथा सम्भावित क्षमता उपयोग साथ ही साथ प्रक्षेपित क्षमता;
- विद्युत की वास्तविक आवश्यकता एवं राज्य विद्युत परिषद से उपलब्धता;
- कार्यशील पूँजी की वास्तविक आवश्यकता तथा बैंकों से प्राप्त होने की सम्भावना।

3.अ.7.2 लेखा परीक्षा की नमूना जाँच में परीक्षित कुछ मामलें जिनमें निगम अपने प्राप्यों की वसूली मुख्य रूप से गलत आंकलन के कारण नहीं कर पाया, नीचे तालिका में दिए गए है:

निगम मुख्यतः गलत आंकलन के कारण 10 इकाईयों से 16.82 करोड़ रुपये नहीं वसूल कर पाया ।

(लाख रुपये में)

क्रम सं.	इकाई का नाम	स्वीकृत धनराशि	वसूल न की गयी धनराशि			कारण
			मूल	ब्याज एवं अन्य	योग	
1	कृष्णा फर्टिलाइजर्स	60.00	59.13	179.54	238.67	प्रस्तर 3अ.7.2.1 में विस्तृत चर्चा की गयी है।
2.	दीपक राइस मिल्स	233.15	169.57	72.38	241.95	प्रस्तर 3अ.7.2.2 में विस्तृत चर्चा की गयी है।
3.	सूरज इलेक्ट्रानिक्स	73.20	47.25	118.93	166.18	प्रस्तर 3अ.7.2.3 में विस्तृत चर्चा की गयी है।
4.	काम्पीटेन्ट मेटलाइजर्स	140.00	104.67	46.67	151.34	प्रस्तर 3अ.7.2.4 में विस्तृत चर्चा की गयी है।

(लाख रुपये में)

क्रम सं.	इकाई का नाम	स्वीकृत धनराशि	वसूल न की गयी धनराशि			कारण
			मूल	ब्याज एवं अन्य	योग	
5.	अन्जली मेन्थाल	85.00	80.98	71.22	152.20	प्लाण्ट व मशीनरी जोकि पूर्व में पानी में डूबी पायी गयी थी, की वास्तविक क्षमता व दशा सुनिश्चित किए बिना अतिरिक्त ऋण की स्वीकृति। उपकरणों की आपूर्ति सम्बन्धी प्रपत्र प्राप्त किए बिना तथा वितरण पूर्व शर्तो का अनुपालन सुनिश्चित किए बिना ऋण का वितरण।
6.	जे एन वोवेन पैक्स	54.50	18.42	158.26	176.68	कच्चे माल की लागत व उपलब्धता सुनिश्चित किए बिना ऋण की स्वीकृति, इकाई के अनुश्रवण का अभाव तथा इकाई के बन्द हो जाने के बाद भी उसके अग्रिहण में विलम्ब।
7.	कानपुर स्पन पाईप	30.50	23.68	89.50	113.18	उत्पाद का बाजार तथा मुख्य उपभोक्ता की माँग सुनिश्चित करने में असफलता तथा देयों की वसूली में निष्क्रियता।
8.	आनन्द फोर्जिंग्स	35.70	31.52	103.39	134.91	इकाई की सक्षमता की तुलना प्रर्वतक की वर्तमान इकाई (सुशीला फोर्जिंग्स) के परिणामों से नहीं की गयी। ऋण का वितरण प्रवर्तक की विश्वसनीयता सत्यापित किए बिना तथा विद्युत की उपलब्धता सुनिश्चित किए बिना किया गया। उपकरणों के क्रय व संस्थापन सम्बन्धी गलत निरीक्षण प्रतिवेदन।

(लाख रुपये में)

क्रम सं.	इकाई का नाम	स्वीकृत धनराशि	वसूल न की गयी धनराशि			कारण
			मूल	ब्याज एवं अन्य	योग	
9.	कृष्णा कन्डुइट पाईप	17.00	10.88	94.98	105.86	एक सुदूर स्थापित इकाई को बिना मूलभूत सुविधाओं की उपलब्धता सुनिश्चित किए ऋण की स्वीकृति। इकाई को जनरेटर से चलाना पड़ा।
10.	टैमो प्लास्टिक	43.48	28.12	172.70	200.82	उत्पाद की माँग के साथ–साथ आपूर्ति की स्थिति तथा उसकी विपणनता के आंकलन में असफलता। निगम को अपने देयों की वसूली की कार्यवाही में निष्क्रियता।
	योग	—	574.22	1107.57	1681.79	

3अ.7.2.1 कृष्णा फर्टिलाइजर्स (प्रा.) लिमिटेड

निगम ने जून 1986 में कम्पनी को घाटमपुर, कानपुर (देहात) में 30 टन (प्रतिदिन) क्षमता का एक लघु सीमेन्ट प्लाण्ट स्थापित करने हेतु 30 लाख रुपये सावधि ऋण स्वीकृत किया। एक के अतिरिक्त, कम्पनी के सभी चार प्रवर्तक निदेशक अन्डरग्रैजुएट थे और उनकी

निगम 2.39 करोड़ रुपये के देयों की वसूली नहीं कर पाया क्योंकि इसने सीमेण्ट के बाजार भाव से काफी अधिक विक्रय मूल्य के आधार पर लाभदायकता आगणित की तथा समय से विद्युत की उपलब्धता सुनिश्चित किए बिना इकाई को ऋण स्वीकृत किया।

व्यावसायिक दक्षता किराना दुकानदारी व होटल संचालन तक सीमित थी। निगम ने जुलाई 1988 तक 39.85 लाख रुपये की धनराशि वितरित करने के पश्चात भू-स्वामित्व सम्बन्धी शिकायत के आधार पर पुनः वितरण बन्द कर दिया। कम्पनी के नाम में बैनामा प्राप्त करने के बाद शेष ऋण (19.28 लाख रुपये) का वितरण पुनः सितम्बर 1989 में प्रारम्भ कर दिया गया। फिर भी, कम्पनी के प्रबन्ध निदेशक द्वारा स्वयं फरवरी 1988 में किये गये निधि के दुरुपयोग व विपथन सम्बन्धी शिकायत पर निगम द्वारा शेष ऋण वितरण के पूर्व जाँच नहीं की गयी।

लेखा परीक्षा ने पाया कि परियोजना आरम्भ से ही लाभकारी नहीं थी और ऋण की स्वीकृत गलत आंकलन के कारण हो गयी थी क्योंकिः

- प्रवर्तकों की तकनीकी-आर्थिक पृष्ठभूमि और योग्यता का उचित परीक्षण नहीं किया गया था।
- एक्स-फैक्ट्री विक्रय मूल्य (आबकारी शुल्क सहित) 1200 प्रति टन आंकलित किया गया जबकि उत्तर प्रदेश सीमेण्ट निगम द्वारा निर्धारित एक्स-डम्प विक्रय मूल्य फरवरी व अप्रैल 1986 में क्रमशः 852 रुपये व 937 रुपये प्रति टन था।
- विद्युत की आवश्यकता कम आंकी गयी और उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद द्वारा लगाये गये डिमाण्ड चार्जेज़ लेखों में शामिल नहीं किये गये और यह माना गया कि विद्युत आसानी से उपलब्ध हो जायेगी, जबकि ग्रामीण क्षेत्र में जहाँ इकाई स्थापित की जा रही थी, विद्युत उपलब्ध नहीं थी। तथ्य यह है कि उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद द्वारा मई 1992 में विद्युत कनेक्शन दिया गया क्योंकि फीडर लाइन कानपुर-बांदा रेलवे लाइन पार करते हुए बनानी थी।
- भू-स्वामित्व सुनिश्चित किए बिना ऋण स्वीकृत किया गया था।
- परियोजना की तुलना किसी चालू इकाई से नहीं की गयी। वास्तव में, जब इस इकाई को ऋण वितरित किया जा रहा था, शाकुम्बरी सीमेण्ट, सहारनपुर नाम की एक अन्य इकाई अलाभकारी सिद्ध हो रही थी।

3अ.7.2.2 दीपक राइस मिल्स (प्रा.) लिमिटेड

निगम ने कम्पनी को मथुरा में एक चावल मिल स्थापित करने, इसकी क्षमता में विस्तार करने तथा पोहा निर्माण इकाई स्थापित करने हेतु मई 1992 दिसम्बर 1994 के मध्य कुल 67 लाख रुपये के 4 सावधि ऋण स्वीकृत किये।

एक चावल मिल को भविष्य-प्रायोजना के आधार पर कार्यशील पूँजी सावधि ऋण की स्वीकृति निगम की नीति का अतिक्रमण कर ऋण की पुनस्वीकृति तथा बकायेदार इकाई के अधिग्रहण में विलम्ब के कारण 2.42 करोड़ रुपये की हानि हुई।

पुनः, निगम ने कम्पनी को चार कार्यशील पूँजी सावधि ऋण स्वीकृत किया; फरवरी 1995 में 50 लाख रुपये (बैंक से कार्यशील पूँजी की 20 लाख रुपये की सीमा के अतिरिक्त); अक्टूबर 1995 में 30 लाख रुपये (बैंक से 40 लाख रुपये के अतिरिक्त); दिसम्बर 1995 में 40 लाख रुपये; तथा जनवरी 1997 में 46.15 लाख रुपये। कम्पनी के प्रवर्तक ने जो कार्यशील पूँजी सावधि ऋण के अन्तिम वितरण तक नियमित भुगतान करते रहे, तत्पश्चात् कोई भुगतान नहीं किया। यद्यपि, अगस्त 1997 में यह पाया गया कि उपरोक्त ऋण प्रवर्तको द्वारा दुर्विनियोजित कर दिया गया, फिर भी इकाई का अधिग्रहण विलम्बतः जनवरी 1998 में किया गया जब कि 120 लाख रुपये मूल्य के कार्यशील पूँजी सावधि ऋण के विरुद्ध गिरवी थी, 10 लाख रुपये मूल्य के प्लाण्ट, मशीनरी व कच्चा माल, अर्ध प्रसंस्कृत माल और तैयार माल गायब पाये गये। अक्टूबर 1998 तक कम्पनी से वसूल की जाने वाली सकल धनराशि (ब्याज व अन्य व्यय 72.38 लाख रुपये सहित) 241.95 लाख रुपये थी।

इस सम्बन्ध में निम्नावलोकन किये जाते हैं :

- दोनों चावल तथा पोहा इकाईयों की 70 प्रतिशत क्षमता उपयोग के लिए प्रक्षेपण (107.66 लाख रुपये) के आधार पर फरवरी 1995 में 50 लाख रुपये का कार्यशील पूँजी सावधि ऋण स्वीकृत किया गया था, जबकि चावल मिल उस समय मात्र 22.7 प्रतिशत क्षमता पर कार्यरत थी।

- अक्टूबर 1995 में 30 लाख रुपये का कार्यशील पूँजी सावधि ऋण इस आधार पर स्वीकृत किया गया था कि कम्पनी ने 1994-95 के दौरान 6.54 लाख रुपये का लाभ अर्जित किया था और उसे 197.48 लाख रुपये की कार्यशील पूँजी की आवश्यकता होगी। किन्तु लाभ अन्तिम भण्डार की लागत को 47.52 लाख रुपये वृद्धिगत कर दर्शाया गया था।

- जब चावल मिलिंग का सीजन अर्धसमाप्ति पर था और निगम की इस नीति का, कि जब तक वर्तमान ऋण का 50 प्रतिशत भुगतान न मिल जाय और पिछले वर्ष का चिट्ठा, कार्यशील पूँजी का उपयोग प्रमाण-पत्र व क्षेत्रीय खाद्य नियंत्रक से नवीनीकृत लाइसेंस प्राप्त न हो जाये, कार्यशील पूँजी सावधि ऋण की पुनर्स्वीकृति न की जाय, अतिक्रमण करते हुए जनवरी 1997 में 46.15 लाख रुपये का कार्यशील पूँजी सावधि ऋण स्वीकृत किया गया था।

निगम ने अभी तक (अक्टूबर 1998) उपरोक्त 241.95 लाख रुपये की हानि के लिए न तो किसी का दायित्व निर्धारित किया और न ही अनुषंगिक प्रतिभूति का कब्जा लिया।

3अ.7.2.3 सूरज इलेक्ट्रानिक्स (प्रा.) लिमिटेड

प्लाण्ट की क्षमता, बाजार-मांग और आबकारी शुल्क की अनुप्रयोज्यता की स्वतंत्र जाँच किये बिना, एक टेलीविजन पिक्चर ट्यूब रिकंडीशनिंग इकाई के आकंलन के आधार पर, आरम्भ से ही एक अलाभकारी ईकाई को ऋण स्वीकृत हो गया जिससे 1.66 करोड़ रुपये की हानि हुई।

निगम ने कम्पनी को गाजियाबाद में एक टेलीविजन पिक्चर ट्यूब रिकंडीशनिंग इकाई की स्थापना हेतु अगस्त 1988 में 45 लाख रुपये का सावधि ऋण स्वीकृत किया। आंकलन नोट में प्लाण्ट व मशीनरी के आयातित रिकंडीशंड रंगीन पिक्चर ट्यूब की कम परन्तु ब्लैक ऐण्ड व्हाइट टयूब की प्रचुर माँग परिकल्पित थी। कम्पनी के पास 10000 रंगीन व 3000 ब्लैक ऐण्ड व्हाइट ट्यूब के लिए विदेशी फर्म के आपूर्ति आदेश थे, और इकाई की प्रत्येक रंगीन व ब्लैक ऐण्ड व्हाइट ट्यूब की स्थापित क्षमता 12500 थी। कम्पनी ने जून 1991 में सूचित किया कि उनके द्वारा प्रयोग में लाया जाने वाला बैंक ऐण्ड प्रासेस 30 से 50 प्रतिशत ट्यूबों को रिकंडीशन करने में ही सक्षम था। फिर भी, निगम ने नवम्बर 1991 में 28.20 लाख रुपये का अतिरिक्त ऋण स्वीकृत किया।

कम्पनी तब भी नहीं चल पायी क्योंकि इसके रिकन्डीशन्ड ट्यूब के विक्रय मूल्य, नये ट्यूब की तुलना में, अप्रतिस्पर्धात्मक एवं अमित्व्ययी पाये गये। कम्पनी द्वारा लगातार भुगतान की उपेक्षा किये जाने के बावजूद निगम ने फरवरी 1997 में; उसका अधिग्रहण किया। निगम द्वारा कम्पनी की भूमि व भवन का विक्रय, 24 लाख रुपये में मार्च 1997 में एक व्यक्तिगत फर्म को कर दिया गया। क्रेता ने अब तक (अक्टूबर 1998) मात्र 9.60 लाख रुपये का भुगतान किया है।

इस सम्बन्ध में लेखा परीक्षा ने निम्नावलोकन किया:

- प्रासेस, रिकंडीशन्ड ट्यूब की मांग और आबकारी शुल्क की अनुप्रयोज्यता सम्बन्धी दावों का सत्यापन किये बिना, प्रवर्तकों द्वारा उपलब्ध कराये गये आंकड़ों के आधार पर, ऋण स्वीकृत कर दिया गया था।

- अतिरिक्त ऋण के लिए लाभदायकता की गणना 12500 रंगीन ट्यूब की कंडीशनिंग से प्राप्य लाभ मार्जिन को सम्मिलित करके की गयी थी। यद्यपि इकाई एक भी रंगीन ट्यूब को रिकंडीशन नहीं कर सकी और न हीं इसके लिए बाजार था।

- कम्पनी का यह वक्तव्य कि बैंक ऐण्ड प्रासेस की वर्तमान क्षमता मात्र 30 से 50 प्रतिशत ट्यूब रिकंडीशन करने की थी, का सत्यापन किए बिना, अतिरिक्त ऋण स्वीकृत व वितरित कर दिया गया था। वास्तव में कम्पनी द्वारा पहले दो सालों में केवल 3.8 और 10.9 प्रतिशत क्षमता का उपयोग ही किया जा सका था।

इस प्रकार, गलत आंकलन तथा वसूली कार्यवाही के क्रियान्वयन में शिथिलता के कारण निगम अपने 166.18 लाख रुपये के देयों (अगस्त 1998 तक ब्याज व अन्य व्ययों की धनराशि 118.93 लाख रुपये सहित) की वसूली नहीं कर सका। शेष सम्पत्तियों को विखण्डित कर अन्य परिसर में स्थानान्तरित कर दिया गया था और विखंडित प्लाण्ट व मशीनरी की जंक कीमत के सिवाय, किसी अन्य वसूली के अवसर क्षीण थे।

निगम ने अभी (अक्टूबर 1998) न तो कम्पनी/प्रवर्तको या क्रेता के विरुद्ध कोई वसूली प्रमाण पत्र/व्यक्तिगत वसूली प्रमाण पत्र निर्गत किया और न ही गलत आंकलन और वसूली कार्यवाही में शिथिलता बरतने के लिए कोई दायित्व निर्धारित किया जिससे उपरोक्त हानि हुई।

3अ.7.2.4 काम्पीटेन्ट मेटालाइजर्स (प्रा.) लिमिटेड

निगम ने कम्पनी के कांच की चूड़ियों का धातुकरण करने वाली एक इकाई की स्थापना हेतु अप्रैल 1991 में 16 लाख रुपये का सावधि ऋण और क्षमता को दो गुना करने के लिए नवम्बर 1992 में 10 लाख रुपये का अतिरिक्त ऋण स्वीकृत किया। आंकलन नोट (नवम्बर 1992) में परिकल्पित था कि

पूर्ण क्षमता पर सकल बिक्री मात्र 68.04 लाख रुपये की होगी और संचालन के दूसरे वर्ष में 70 प्रतिशत क्षमता उपयोग पर, कार्यशील पूँजी की आवश्यकता 6.35 लाख रुपये की होगी जिसके लिए किसी वित्त पोषण की आवश्यकता नहीं होगी।

उपरोक्त के बावजूद निगम ने जुलाई/नवम्बर 1995 में 50 लाख रुपये का कार्यशील पूँजी सावधि ऋण, इस आधार पर स्वीकृत कर दिया कि कम्पनी ने चूड़ियाँ बाहर से क्रय कर तथा उन्हें धातुकृत करके 1994-95 में सकल बिक्री को 503 लाख रुपये तक बढ़ा लिया था। निगम ने ग्लासवेयर की कटिंग व सजावट वाली एक इकाई की स्थापना हेतु जून 1996 में पुनः 50 लाख रुपये का कार्यशील पूँजी सावधि ऋण एवं 14 लाख रुपये का अतिरिक्त ऋण स्वीकृत किया। उपरोक्त ऋण के वितरण के पश्चात् कम्पनी ने भुगतान की उपेक्षा करना शुरू कर दी और नवम्बर 1996 से उसके द्वारा दिये गये चेकों में से कोई भी उसके बैंकर द्वारा आदृत नहीं किया गया। निगम ने जनवरी 1998 में इकाई का अधिग्रहण कर लिया।

लेखा परीक्षा ने अवलोकन किया कि उपरोक्त कपट इसलिए आसान हुआ क्योंकि:

- बिना क्षमता व बिक्रय मूल्य में वृद्धि के सकल बिक्री 503 लाख रुपये तक कैसे बढ़ गयी इसका बिना आलोचनात्मक परीक्षण किए 50 लाख रुपये का कार्यशील पूँजी सावधि ऋण स्वीकृत किया गया। दूसरा कार्यशील पूँजी सावधि ऋण स्वीकृत करते समय पूर्व में प्रतिवेदित किए गये 503 लाख रुपये की सकल बिक्री के विरुद्ध 1994-95 में 223 लाख रुपये की सकल बिक्री प्रतिवेदित की गयी, लेकिन इस चालबाजी पर ध्यान दिये बिना निगम ने 14 लाख रुपये का एक अतिरिक्त सावधि ऋण एवं 50 लाख रुपये का एक अतिरिक्त कार्यशील पूँजी सावधि ऋण स्वीकृत कर दिया।

- निगम ने इस तथ्य पर उचित ध्यान नहीं दिया कि कम्पनी ने उसे अपने नाम, प्रबन्ध मण्डल तथा स्थिति (व्यक्तिगत से सार्वजनिक लिमिटेड कम्पनी) में किये गये महत्वपूर्ण परिवर्तनों के विषय में सूचित नहीं किया था।

- नवम्बर 1996 से लगातार चेक अनादृत होने के बावजूद, निगम ने अगस्त 1997 में धारा-29 के अन्तर्गत नोटिस जारी किया और इकाई का अधिग्रहण काफी विलम्ब से किया जब सम्पूर्ण

गिरवी रखी सामग्री और प्लाण्ट व मशीनरी (मूल्य 29.07 लाख रुपये) गायब पाये गये।

निगम ने न तो अनुषंगिक प्रतिभूति जब्त की, न पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करायी, न वैयक्तिक वसूली प्रमाण पत्र निर्गत किया और न ही ऋण प्रस्ताव के गलत आंकलन और इकाई के अप्रभावी अनुश्रवण के लिए किसी के दायित्व का निर्धारण किया जिससे 151.34 लाख रुपये (अगस्त 1998 तक ब्याज व अन्य व्यय 46.67 लाख रुपये सहित) की हानि हुई। उपरोक्त की वसूली के अवसर क्षीण है क्योंकि भूमि व भवन के अतिरिक्त सभी सम्पत्तियाँ मौके से हटा दिये गये है।

3अ.8 ऋण का वितरण एवं इकाईयों का अनुगमन

आवश्यक कानूनी प्रपत्रों की पूर्ति तथा निगम के अधिकारियों द्वारा स्थल-निरीक्षण के पश्चात् ऋण स्वीकृत किया जाता है और किश्तों में वितरित किया जाता है। वितरण पूर्व निरीक्षण अधिकारी से, पूर्व में वितरित ऋण का उपयोग, उचित प्रतिभूति का सृजन सहायतित इकाई द्वारा किया गया ढंग से परियोजना क्रियान्वयन सारणी का अनुपालन/विचलन आदि सुनिश्चित किये जाने की अपेक्षा की जाती है।

3.अ.8.1 अपर्याप्त एवं अप्रभावी अनुगमन प्रणाली

लेखा परीक्षा द्वारा यह देखा गया कि प्रचलित अनुगमन प्रणाली न तो प्रभावी थी और न ही निगम द्वारा वित्त पोषित इकाईयों की संख्या व प्रकार के अनुरूप थी। कई महत्वपूर्ण वितरण पूर्व शर्तों के अनुपालन, जैसे राज्य विद्युत परिषद से विद्युत की स्वीकृति, बैंकों से कार्यशील पूँजी के लिए गठबंधन, प्रवर्तकों द्वारा न्यूनतम प्रारम्भिक निवेश, न्यूनतम सिक्योरिटी मार्जिन बनाये रखने इत्यादि, में सामान्य तौर पर छूट प्रदान की गयी थी। पुनः, वितरण-पूर्व निरीक्षण टिप्पणियाँ नाम, स्वामित्व, स्थिति, क्षमता, उत्पाद-मेल में परिवर्तन का सज्ञान लेने में असफल रहीं। परियोजनाओं, विशेषतः अर्थगर्भित समय/लागत आधिक्य वाले प्रकरणों में अध्यावधिक आंकलन की कोई प्रणाली नहीं थी। महत्वपूर्ण शर्तों का अनुपालन जैसे ऋण की चालू अवधि में गिरवी परिसम्पत्तियों का बीमा, सम्प्रेक्षित लेखों की नियमित प्रस्तुति और वित्तपोषित इकाई के प्रबन्ध मण्डल में निदेशक के नामांकन का प्रविधान भी ऋण वितरण के उपरान्त निगम द्वारा सुनिश्चित नहीं किया जाता रहा।

प्रबन्धन ने उत्तर में कहा (अक्टूबर 1998) कि चुनाव के आधार के बजाय वे इकाईयों के व्यवस्थित ढंग से आवधिक व समयबद्ध निरीक्षण हेतु मार्गनिदेशिका को अन्तिम रूप देने की प्रक्रिया में है।

उत्तर में निगम की स्पष्ट स्वीकारोक्ति है कि इसके अस्तित्व के पिछले 44 वर्षों में अनुगमन प्रणाली अप्रभावी थी और प्रबन्धन इसके प्रति उदासीन रहा।

3.अ.8.2 लेखा परीक्षा की नमूना जाँच में लिये गये कुछ प्रकरण जिनमें निगम मुख्यतः पोषित इकाईयों के अपर्याप्त अनुगमन के कारण अपने देयों की वसूली नहीं कर सका, नीचे तालिका में दिये गये हैं :

निगम वित्तपोषित इकाईयों के अपर्याप्त अनुगमन के कारण 10 इकाईयों से 13.52 करोड़ रुपये के देयों की वसूली नहीं कर सका।

(लाख रुपये में)

क्रम सं.	इकाई का नाम	स्वीकृत धनराशि	वसूल न की गयी धनराशि			कारण
			मूल धन	ब्याज एवं अन्य	योग	
1.	जैगुआर स्टील	55.37	69.77	212.51	282.28	प्रस्तर 3अ.8.2.1 में विस्तृत चर्चा की गयी है।
2.	विमला आयल मिल	55.85	52.42	123.04	175.46	प्रस्तर 3अ.8.2.2 में विस्तृत चर्चा की गयी है।
3.	प्रतीक सीमेण्ट ऐण्ड लाइम	60.00	38.40	97.79	136.19	प्रस्तर 3अ.8.2.3 में विस्तृत चर्चा की गयी है।
4.	हैदर स्टील रोलिंग मिल्स	52.00	46.78	167.31	214.09	प्रस्तर 3अ.8.2.4 में विस्तृत चर्चा की गयी है।
5.	सुभाष आयल मिल	66.75	49.63	28.92	78.55	प्रस्तर 3अ.8.2.5 में विस्तृत चर्चा की गयी है।

(लाख रुपये में)

क्रम सं.	इकाई का नाम	स्वीकृत धनराशि	वसूल न की गयी धनराशि			कारण
			मूल धन	ब्याज एवं अन्य	योग	
6.	एल्सन केबिल्स	40.50	35.34	45.89	81.23	प्रस्तर 3अ.8.2.6 में विस्तृत चर्चा की गयी है।
7.	लक्ष्मी इण्टरप्राइजेज	4.14	3.85	14.44	18.29	जाली प्रपत्रों व गलत प्रतिवेदन के विरूद्व ऋण का वितरण और वसूली की कार्यवाही में अतिशय बिलम्ब।
8.	रनिया केमिकल्स	30.00	25.13	159.89	185.02	कई वितरण पूर्व शर्तो का अनुपालन और प्लाण्ट व मशीनरी के आपूर्तिकर्त्ता का प्रदर्शन सुनिश्चित किए बिना ऋण का वितरण। अपने देयो की वसूली हेतु पिछले 10 वर्षो से कोई प्रभावी कार्यवाही नहीं की गयी है।
9.	आदर्श क्ले ऐण्ड क्राफ्ट	44.40	35.26	64.97	100.23	विद्युत की उपलब्धता सुनिश्चित किए बिना ऋण का वितरण। इकाई का संचालन जनरेटर से करना पड़ा और इकाई अलाभकारी हो गयी। बिलम्बित वसूली कार्यवाही से प्लाण्ट व मशीनरी का हटाना आसान हो गया।

(लाख रुपये में)

क्रम सं.	इकाई का नाम	स्वीकृत धनराशि	वसूल न की गयी धनराशि			कारण
			मूल धन	ब्याज एवं अन्य	योग	
10.	सुजना सीमेन्ट्स	60.00	29.88	50.50	80.38	कई वितरण–पूर्व शर्तो के अनुपालन में अतिशय बिलम्ब के बावजूद परियोजना का पुनराकलन किए बिना ऋण का वितरण, हुआ। इकाई को कार्यशील पूँजी प्राप्त करने में सहायता नहीं की गयी। बिलम्बित वसूली कार्यवाही परिसम्पत्तियों को हटाने में सहायक हुई।
	योग		**386.46**	**965.26**	**1351.72**	

कतिपय प्रकरणों पर अगामी प्रस्तरों में विस्तृत चर्चा की जा रही है;

3.अ.8.2.1 जैगुआर स्टील्स (प्रा.) लिमिटेड

बिल्हौर, कानपुर (देहात) में एक रिरोलिंग मिल की स्थापना हेतु और 9000 से 18000 टन की वृद्धि हेतु, निगम ने विद्युत कनेक्शन की स्वीकृति तथा कार्यशील पूँजी की व्यवस्था सम्बन्धी वितरण-पूर्व शर्तो का अनुपालन सुनिश्चित किए बिना, नवम्बर 1989 तक कुल 55.37 लाख रुपये का ऋण वितरित कर दिया।

प्रवर्तकों ने, वसूली कार्यवाही स्थगित रखने के लिए, मार्च 1993 से मार्च 1997 तक बार-बार एक मुश्त भुगतान का प्रस्ताव प्रस्तुत किया परन्तु कभी भी अनुक्रिया नहीं दिखायी गई तथा एकमुश्त भुगतान/समझौता प्रस्ताव के साथ मार्च 1997 में प्रस्तुत किए गये चेक बैंक द्वारा अनादृत कर दिये गये। निगम ने कड़ी वसूली कार्यवाही करने के बजाय विलम्बतः सितम्बर 1997 मे 282.28 लाख रुपये (212.51 लाख रुपये के ब्याज व अन्य वसूली योग्य व्यय सहित) का वसूली प्रमाण-पत्र निर्गत किया।

इस सम्बन्ध में लेखा परीक्षा ने अवलोकित किया कि:

- रिरोलिंग जैसे क्रियाकलाप के लिए बिल्हौर में इकाई की स्थापना के लिए स्वीकृति विवेकपूर्ण नहीं थी, विशेषतः इस तथ्यपरक दृष्टिकोण से कि वहां औद्योगिक फीडर नहीं था और इस

तरह की इकाईयाँ भारतीय औद्योगिक विकास बैंक की नकारात्मक सूची में थी।

- प्लाण्ट व मशीनरी की स्थापना तक विद्युत तथा कार्यशील पूँजी की उपलब्धता सुनिश्चित किए बिना मुख्य व अतिरिक्त ऋण के विरुद्ध वितरण किया गया।

- निगम ने कम्पनी द्वारा प्रस्तुत चेकों के अनादृत हो जाने पर निगोशियेबुल इन्स्ट्रूमेन्ट्स एक्ट की धारा 138 के अन्तर्गत कोई कार्यवाही नहीं शुरू की।

प्रबन्धन ने अक्टूबर 1998 में कहा कि उपरोक्त देयों के विरुद्ध मार्च 1998 में 118 लाख रुपये पर एकमुश्त भुगतान समझौता कर लिया गया था परन्तु प्रवर्तको ने अब तक (अक्टूबर 1998) 4 लाख रुपये के अतिरिक्त कोई भुगतान नहीं किया है। फिर भी, अप्रभावी अनुगमन और परिणामी हानि के लिए दायित्व को निर्धारण न करने का कोई कारण नहीं बताया गया।

3अ.8.2.2 विमला आयल मिल्स (प्रा.) लिमिटेड

निगम ने रूनक्ता, आगरा में एक तेल प्रसंस्करण इकाई की स्थापना हेतु कम्पनी को जुलाई 1988 में 55.85 लाख रुपये का एक सावधि ऋण स्वीकृत किया। कम्पनी द्वारा कार्यशील पूँजी की अनुपलब्धता तथा अल्प क्षमता उपयोग के आधार पर भुगतान में लगातार उपेक्षा के कारण निगम ने अक्टूबर 1992 में धारा–29 के अन्तर्गत एक नोटिस निर्गत किया जो कि डाक विभाग द्वारा प्राप्त नहीं करायी जा सकी क्योंकि ऋणी दिये गये पते पर उपलब्ध नहीं थे। तो भी निगम ने विलम्बतः मार्च 1993 में इकाई का अधिग्रहण किया और बिना प्रचार किए दिसम्बर 1993 में 5 लाख रुपये व जनवरी 1996 में 4 लाख रुपये की प्लाण्ट व मशीनरी को बेच डाला। जब मार्च 1996 में निगम ने इकाई की भूमि व भवन की सार्वजनिक नीलामी हेतु विज्ञापन दिया तो भारतीय स्टेट बैंक, आगरा ने मार्च 1996 में सूचित किया कि नीलाम की जाने वाली भूमि विमला आयल मिल्स (एक फर्म) द्वारा पहले ही 1982 में उनके यहाँ बंधक रखी गयी है।

लेखा परीक्षा ने अवलोकन किया कि कपट का अवसर इसलिए मिला कि निगम ने विधिक प्रपत्रीकरण के समय विमला आयल मिल्स (प्राइवेट) लिमिटेड नाम की कम्पनी के पक्ष में बैनामा नहीं प्राप्त किया।

निगम ने अक्टूबर 1998 तक फर्जी प्रपत्रों के विरुद्ध ऋण वितरण के लिए दायित्व निर्धारण

हेतु कोई जाँच नहीं की जिससे 175.46 लाख रुपये (अगस्त 1998 तक 123.04 लाख रुपये के ब्याज व अन्य व्यय सहित) की हानि हुई।

3अ.8.2.3 प्रतीक सीमेन्ट ऐण्ड लाइम (प्रा.) लिमिटेड

निगम ने रूद्रपुर, नैनीताल में 30 टन प्रतिदिन की क्षमता के एक लघु सीमेन्ट प्लाण्ट की स्थापना हेतु कम्पनी को जनवरी 1990 में 60 लाख रुपये का एक सावधि ऋण स्वीकृत किया। अक्टूबर 1991 में, जब निगम ने मात्र 20.65 लाख रुपये का ऋण वितरण किया था, एक प्रवर्तक (श्री विजेन्द्र त्यागी) ने प्रबन्ध मण्डल से अपने त्याग पत्र व मुख्य प्रवर्तक (श्री दुषयन्त कुमार) द्वारा किये जा रहे अनियमिताओं के बारे में सूचित किया। परन्तु निगम ने, शिकायत पर ध्यान दिए बिना तथा वितरण-पूर्व शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित किए बिना पुनः जून 1992 तक 29.68 लाख रुपये की धनराशि वितरित कर दी।

मई 1994 में किये गये निरीक्षण के दौरान 6.13 लाख रुपये मूल्य के प्लाण्ट व मशीनरी गायब पाये गये किन्तु पुलिस में रिपोर्ट विलम्बतः फरवरी 1995 में दर्ज करायी गयी। अगस्त 1995 में पुनः निरीक्षण के दौरान जनरेटर और ट्रान्सफार्मर के अतिरिक्त 18.88 लाख रुपये मूल्य की प्लाण्ट व मशीनरी गायब पायी गयी। अवशेष परिसम्पत्तियों का मूल्य 34.78 लाख रुपये अनुमानित किया गया जो कि सितम्बर 1996 में 12 लाख रुपये में विक्रय की गयी।

इस सम्बन्ध में निम्नलिखित बिन्दु देखे गयेः

- वितरण-पूर्व की महत्वपूर्ण शर्तों के अनुपालन के बिना ऋण वितरित किया गया।
- प्रवर्तक की शिकायत (अक्टूबर 1991) पर ध्यान दिए बिना 29.68 लाख रुपये का ऋण पुनः वितरित किया गया।
- निगम ने अपने हितों के रक्षार्थ समय से व समुचित कार्यवाही आरम्भ नहीं की। मई 1994 में प्रथम बार प्लाण्ट व मशीनरी हटाये जाने का सज्ञान होने के बावजूद निगम द्वारा कार्यवाही न किये जाने से प्रवर्तकों को पुनः 18.88 लाख रुपये मूल्य की प्लाण्ट व मशीनरी हटाये जाने में सहायता मिली जो कि सरलता से रोकी जा सकती थी।

चूँकि प्रवर्तको को भेजे गये सभी प्रपत्र व नोटिसें उन्हें प्राप्त नहीं हुई। अतएव 136.19 लाख रुपये के शेष देयों (अगस्त 1998 तक 97.79 लाख रुपये के ब्याज व अन्य व्यय सहित) की वसूली के अवसर क्षीण हैं।

3अ.8.2.4 हैदर स्टील रोलिंग मिल्स (प्रा.) लिमिटेड

निगम ने कम्पनी को रूद्रपुर, नैनीताल में एम एस राउण्ड्स, एंगिल व प्लेट इत्यादि के निर्माण के लिये एक इकाई की स्थापना हेतु दिसम्बर 1985 में 43 लाख रुपये का एक सावधि ऋण स्वीकृत किया। जनरेटर क्रय करने हेतु कम्पनी को 9 लाख रुपये का एक अतिरिक्त ऋण भी जनवरी 1990 में स्वीकृत किया गया। निगम ने अप्रैल 1986 से अप्रैल 1990 की अवधि में, इस तथ्य के बावजूद कि प्रवर्तकों ने राज्य विद्युत परिषद से विद्युत एवं बैंक से कार्यशील पूँजी की स्वीकृति जैसी महत्वपूर्ण वितरण-पूर्व शर्तों का अनुपालन नहीं किया, 46.78 लाख रुपये की धनराशि वितरित कर दी। उपरोक्त ऋण वितरण के समय निगम ने जून/जुलाई 1988 में प्राप्त मुख्य प्रवर्तक की संदिग्ध पृष्ठभूमि व कदाचार सम्बन्धी शिकायत पर भी उचित ध्यान नहीं दिया।

जब कम्पनी ने जनवरी 1991 में धारा-29 के अन्तर्गत नोटिस जारी होने के बावजूद 74.89 लाख रुपये के देयों का भुगतान नहीं किया तब निगम ने जनवरी 1991 में इकाई का अधिग्रहण किया जिसमें 10.17 लाख रुपये मूल्य के प्लाण्ट व मशीनरी गायब पायी गयी। निगम द्वारा शेष प्लाण्ट व मशीनरी को मई 1995 में 8.10 लाख रुपये और भूमि व भवन को मार्च 1996 में 9 लाख रुपये में बेच दिया गया। जब शेष 182.99 लाख रुपये की वसूली हेतु मई 1996 में वैयक्तिक वसूली प्रमाण-पत्र निर्गत किया गया तो उसका कोई परिणाम न निकला। निगम ने मार्च 1997 में 167.31 लाख रुपये का अधित्याग तथा 46.78 लाख रुपये का अपलेखन कर दिया।

लेखा परीक्षा ने यह अवलोकन किया कि निगम को उपरोक्त हानि वहन करनी पड़ी क्योंकि:

- रिरोलिंग क्रिया कलाप के भारतीय औद्योगिक विकास बैंक की नकारात्मक सूची में होने के बावजूद कम्पनी को उसके प्रवर्तको की तकनीकी आर्थिक पृष्ठभूमि व साख का परीक्षण किए बिना ऋण स्वीकृत किया गया था।

- मुख्य प्रवर्तक के विरुद्ध गंभीर शिकायत प्राप्त होने के बावजूद और राज्य विद्युत परिषद से विद्युत कनेक्शन तथा बैंक से कार्यशील पूँजी प्राप्त करने के लिए कम्पनी के प्रयासों पर नजर

रखे बिना ऋण का वितरण जारी रखा गया।

निगम ने अब तक (अक्टूबर 1998) ऋण के अनियमित वितरण के लिए उत्तर दायित्व का निर्धारण नहीं किया।

3अ.8.2.5 सुभाष आयल मिल (प्रा.) लिमिटेड

निगम ने कम्पनी को छाता, मथुरा में एक तेल मिल स्थापित करने हेतु सितम्बर 1989 में 57.75 लाख रुपये का एक सावधि ऋण और फरवरी 1992 में 9 लाख रुपये का एक अतिरिक्त ऋण स्वीकृत किया। चूँकि आरम्भ से ही कम्पनी देयों के भुगतान में नियमित नहीं रही इसलिए निगम ने (जब 12.68 लाख रुपये तक देय संचित हो गये) फरवरी 1996 में धारा-29 के अन्तर्गत नोटिस निर्गत किया। कम्पनी के दो प्रवर्तको द्वारा मई 95 में छह अन्य निदेशकों की सेवा निवृत्ति के लिये अनुमति देने हेतु निवेदन करने तथा देयों के भुगतान और अपने शीतगृह को बेचकर इकाई के सामान्य संचालन हेतु पर्याप्त निधि निवेश करने के आश्वासन पर निगम ने जुलाई 1995 में छह निदेशकों की सेवा निवृत्ति के लिए अनुमन्य कर दिया और ऋण के पुर्नभुगतान के लिए उन्हें उनकी वैयक्तिक गारण्टी से अवमुक्त कर दिया तथा पूर्व में धारा-29 के अन्तर्गत निर्गत नोटिस को भी रद्द कर दिया।

कम्पनी ने, यद्यपि वचनबद्ध देयों का भुगतान कर दिया पर इकाई के सामान्य संचालन हेतु किसी निधि का निवेश नहीं किया। बल्कि, इसने जुलाई 1995 में 20 लाख रुपये की कार्यशील पूँजी ऋण के लिए आवेदन किया। निगम ने पूर्व इकाई के सामान्य संचालन न हो पाने और वचनबद्ध निधि का निवेष न कर पाने के कारणों का उचित विश्लेषण किए बिना और यह कि इकाई चालू हालत में थी या नहीं को सुनिश्चित किए बिना जुलाई 1995 में 20 लाख रुपये का कार्यशील पूँजी ऋण स्वीकृत कर दिया। कम्पनी ने कार्यशील पूँजी ऋण वितरण के बाद भी दिसम्बर 1995 से कोई भुगतान नहीं किया।

कम्पनी ने मई 1996 में सूचित किया कि उसके लिए, विशेषतः बिक्री कर छूट समाप्त होने के कारण, उत्पादन पुनः आरम्भ करना सम्भव नहीं था। जून 1996 में धारा-29 के अन्तर्गत नोटिस निर्गत की गयी किन्तु, इकाई का अधिग्रहण मार्च 1998 तक नहीं किया गया जिसका कारण अभिलेखों में उपलब्ध नहीं था। इस सम्बन्ध में यह देखा गया कि निगम द्वारा नवम्बर 1996 में की गयी जाँच-पड़ताल में पाया गया था कि इकाई पिछले लगभग दो वर्ष (अर्थात दिसम्बर 1994) से बन्द पड़ी थी।

इस सम्बन्ध में निम्न बिन्दु देखे गये;

- शेष निदेशकों द्वारा पर्याप्त निधि निवेश के लिए स्पष्ट वचनबद्धता के बावजूद यह सुनिश्चित किये बिना कि क्या बिक्री कर छूट के बिना इकाई लाभदायक ढंग से संचालित हो पायेगी और कार्यशील पूँजी सावधि ऋण स्वीकृति के समय इकाई चल रही थी या नहीं, कार्यशील पूँजी सावधि ऋण स्वीकृत कर दिया गया था।

- यद्यपि फरवरी 1996 में बन्धक रखी गयी सामग्री गायब पायी गयी फिर भी निगम ने दो वर्ष की अवधि समाप्त हो जाने के बाद भी अवशेष परिसम्पत्तियों का मूल्यांकलन तथा उसकी सुरक्षा हेतु इकाई का अधिग्रहण नहीं किया।

इस तथ्य को दृष्टिगत रखते हुए कि ऋण के पुनर्भुगतान हेतु छः सेवानिवृत्त निदेशकों की वैयक्तिक गारण्टी और बन्धक सामग्री उपलब्ध नहीं थी और यह कि प्रवर्तक अक्टूबर 1998 तक ढूँढे नहीं जा सके, निगम के 78.55 लाख रुपये (28.92 लाख रुपये के ब्याज व अन्य व्यय सहित) के देयो की वसूली की सम्भावना क्षीण थी।

3अ.8.2.6 एल्सन केबिल्स (प्रा.) लिमिटेड

निगम ने कम्पनी को एक केबिल निर्माण इकाई की स्थापना हेतु अक्टूबर 1990 में 40.50 लाख रुपये का एक सावधि ऋण स्वीकृत किया। ऋण भुगतान में लगातार उपेक्षा के कारण निगम ने जनवरी 1993 में इकाई का अधिग्रहण कर लिया जिसमें 42.92 लाख रुपये मूल्य की प्लाण्ट व मशीनरी गायब पायी गयी। पुलिस प्रवर्तकों से मात्र जनरेटर ही बरामद कर सकी और अन्य प्लाण्ट व मशीनरी प्रवर्तकों को गिरफ्तार करने के बावजूद बरामद नहीं कर पायी। बाद में (अप्रैल 1993) बैंक व आपूर्तिकर्ता ने निगम को सूचित किया कि उन्होंने कभी भी भुगतान प्रमाण-पत्र निर्गत या आपूर्ति नहीं की थी। निगम ने नवम्बर 1996 में 9.15 लाख रुपये में इकाई की भूमि व भवन बेच दिया और शेष 81.23 लाख रुपये (45.89 लाख रुपये के ब्याज व अन्य प्राप्य व्यय सहित) के देयों की वसूली हेतु मार्च 1997 में वैयक्तिक वसूली प्रमाण-पत्र निर्गत किया।

लेखा परीक्षा ने अवलोकन किया कि कपट सुविधाजनक हुआ क्योंकिः

- निगम ने प्लाण्ट व मशीनरी के आपूर्तिकर्ता को पहले ही कर दिये गये अग्रिम भुगतान, जो कि

सम्भवतः पहले ही सम्बन्धी दावे की पुष्टि में उपलब्ध कराये गये बैंक प्रमाण-पत्र के आधार पर बैंक या आपूर्तिकर्ता से तथ्यों की पुष्टि किये बिना प्रवर्तकों को 30.83 लाख रुपये की धनराशि सीधे अवमुक्त कर दी।

- निगम ने इस तथ्य की उपेक्षा की कि प्रवर्तकों द्वारा प्रस्तुत आपूर्तिकर्ताओं के देयक/बीजकों के साथ फार्म-31 नहीं संलग्न किये गये थे और अग्रिम का समायोजन, जिसे आपूर्तिकर्ता को पहले ही कर दिये जाने का दावा किया गया था, नहीं दर्शाया गया था।

- निगम ने बैंक की इस सूचना (अक्टूबर 1991) पर कोई ध्यान नहीं दिया कि प्रर्वतको द्वारा कार्यशील पूँजी गठबन्धन की पुष्टि में प्रस्तुत जून 1991 का पत्र उनके द्वारा कभी भी निर्गत नहीं किया गया। समय से की गयी कार्यवाही न केवल निगम को बाद में किये गये 7.39 लाख रुपये के वितरण से बचाती बल्कि सम्भवतः बाद में प्रवर्तकों द्वारा हटा दिये गये प्लान्ट्स का अधिग्रहण करने में भी उसे समर्थ बनाती।

प्रबन्धन का यह दावा (अक्टूबर 1998) कि वितरण मानक के अनुसार था, उसके अपने ही उत्तर (अक्टूबर 1998) कि निरीक्षण अधिकारी को मई 1998 में निलम्बित कर दिया गया है, के विपरीत था। फिर भी, प्रवर्तकों से किसी धनराशि की वसूली की सम्भावना क्षीण थी क्योंकि वैयक्तिक वसूली प्रमाण-पत्र में उनके नाम में कोई सम्पत्ति नहीं दर्शायी गयी थी।

3अ.9 देयों की वसूली

पुनर्भुगतान में उपेक्षा या नियम व शर्तों के उल्लंघन की दशा में राज्य वित्तीय निगमों को राज्य वित्तीय निगम अधिनियम के निम्नलिखित प्राविधानों के अन्तर्गत वसूली के अधिकार प्राप्त हैं:

- इकाई का प्रबन्धन अपने हाथ में ले लेना या उसका अधिग्रहण कर लेना या दोनों, साथ ही बन्धक रखी सम्पत्तियों का विक्रय करना।

- यदि यह अवबोध युक्तिसंगत हो कि सहाय्यित इकाई अपने देयों के भुगतान में असमर्थ है तो अनुबंधित अवधि के पूर्व सम्पूर्ण ऋण की वापसी कर लेना।

- वसूली के अन्य किसी प्रकार पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, राजस्व अधिकारियों को वसूली

प्रमाण-पत्र निर्गत कर भू-राजस्व बकाये की तरह प्राप्यों को वसूल करना।

इसके अतिरिक्त निगम अपने प्राप्यों के वसूल न होने की दशा में वैयक्तिक वसूली प्रमाण-पत्र निर्गत कर प्रवर्तकों की वैयक्तिक गारण्टी का आह्वान भी कर सकता है।

3अ.9.1 वसूलियाँ तथा अतिदेय

मार्च 1998 तक पाँच वर्षों में देयों तथा उसके विरुद्ध वसूली की स्थिति निम्नवत् थी:

(लाख रुपये में)

विवरण	1993-94	1994-95	1995-96	1996-97	1997-98 (अनन्तिम)
(अ) देय					
1. वर्षारम्भ में बकाया	25036.41	32200.74	46725.70	52942.00	50817.23
2. चालू देय	22702.90	36905.64	39837.12	37025.69	39400.59
योग	47739.31	69106.38	86562.82	89967.69	90217.82
वसूली के लक्ष्य	21070.00	16500.00	30000.00	38000.00	41500.00
(ब) वसूली					
1. बकाये के विरुद्ध	5229.068	7577.33	13150.34	15780.41	12918.71
2. चालू देय के विरुद्ध	10308.89	14803.35	20470.48	23370.05	27423.29
योग	15538.57	22380.68	33620.82	39150.46	40341.99
ब (1) का अ (1) से प्रतिशत	20.9	23.5	28.1	29.8	25.4
ब (2) का अ (2) से प्रतिशत	45.4	40.1	51.4	63.1	69.6
ब का अ से प्रतिशत	32.6	32.4	38.8	43.5	44.7

इस सम्बन्ध में निम्न बिन्दु देखे गये:

- एक मुश्त भुगतान योजना (प्रस्तर 3अ.9.4) के क्रियान्वयन के बावजूद मार्च 1998 में समाप्त होने वाले पाँच वर्षों के दौरान देय के बकाये की वसूली का प्रतिशत अत्यधिक कम था जो कि 20.9 से 29.8 प्रतिशत के मध्य रहा।

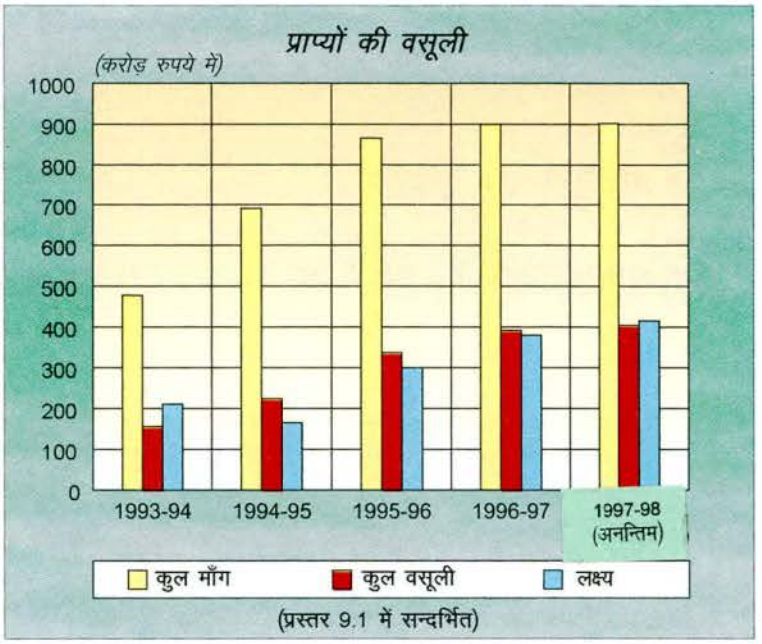

- 31 मार्च 1998 को 128722.90 लाख रुपये के कुल बकाया मूल ऋण में से 11542.21 लाख रुपये 604 इकाईयों, जिनका अधिग्रहण देयों का भुगतान न करने के कारण निगम ने कर लिया था, के विरुद्ध बकाया था।

3.अ.9.2 प्राप्यों की अप्रभावशील वसूली

लेखा परीक्षा के नमूना जाँच में लिये गये कुछ प्रकरण जिनमें निगम मुख्यतः अप्रभावी वसूली कार्यवाही के कारण देयों की वसूली नहीं कर सका, निम्न तालिका में दर्शाये गये हैं:

निगम, मुख्यतः अप्रभावी वसूली कार्यवाही के कारण, 12 इकाईयों से 13.24 करोड़ रुपये वसूल नहीं कर सका।

(लाख रुपये में)

क्रम सं.	इकाई का नाम	स्वीकृत धनराशि	वसूल न की गयी धनराशि			कारण
			मूल	ब्याज एवं अन्य व्यय	योग	
1.	नाइट टैनर्स	74.19	59.05	205.88	264.93	प्रस्तर 3अ.9.3.1 में विस्तृत चर्चा की गयी है।

(लाख रुपये में)

क्रम सं.	इकाई का नाम	स्वीकृत धनराशि	वसूल न की गयी धनराशि			कारण
			मूल	ब्याज एवं अन्य व्यय	योग	
2.	भगवान आयल इण्डस्ट्रीज़	65.40	00.00	13.24	13.24	प्रस्तर 3अ.9.3.2 में विस्तृत चर्चा की गयी है।
3.	भगवान फूड इण्डस्ट्रीज़	78.93	00.00	84.38	84.38	प्रस्तर 3अ.9.3.3 में विस्तृत चर्चा की गयी है।
4.	काशीपुर फ्यूल ऐण्ड केमिकल्स	54.64	38.31	141.96	180.27	प्रस्तर 3अ.9.3.4 में विस्तृत चर्चा की गयी है।
5.	श्री नाथ जी जिंक	84.80	75.01	69.30	144.31	प्रस्तर 3अ.9.3.5 में विस्तृत चर्चा की गयी है।
6.	नाथ ट्यूब्स	45.00	37.26	122.38	159.64	इकाई के विक्रय, वह भी अल्प दर पर प्रस्ताव स्वीकार करने के कारण हानि उठाने के अतिरिक्त प्रवर्तको के विरूद्ध वसूली की कोई कार्यवाही नहीं की गयी
7.	होटल एनी	19.90	17.07	90.43	107.50	निगम के मुख्यालय के निर्देशों के अधीन कोई कार्यवाही नहीं की गयी
8.	नागेन्द्र पेपर ऐण्ड बोर्ड मिल	10.00	8.64	38.81	47.45	प्रवर्तकों की सम्पत्ति से वसूली के प्रयास के बिना एक मुश्त भुगतान योजना के अन्तर्गत समझौता।

(लाख रुपये में)

क्रम सं.	इकाई का नाम	स्वीकृत धनराशि	वसूल न की गयी धनराशि			कारण
			मूल	ब्याज एवं अन्य व्यय	योग	
9.	पारस सिरैमिक्स	28.95	18.03	148.86	166.89	बिना किसी वसूली कार्यवाही के एक मुश्त भुगतान योजना के अन्तर्गत देयों का बिलम्ब से समझौता जिसका लाभ उठाकर प्रवर्तकों ने सम्पत्तियों को बेच डाला
10.	मांगलिक स्टील्स	49.78	24.66	12.85	37.51	प्रवर्तकों का कपट–पूर्ण व्यवहार सज्ञान में होते हुये भी विलम्बित वसूली कार्यवाही,अपर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था के कारण निर्माण सामग्री का हटाया जाना तथा शेष परिसम्पत्तियों का विलम्ब से विक्रय।
11.	पोषक इण्डस्ट्रीज़	21.60	15.41	60.98	76.39	विलम्बित वसूली कार्यवाही के परिणामस्वरूप प्लाण्ट व मशीनरी का हटाया जाना।
12.	मोनाक्र फाइबर्स	17.50	13.69	27.56	41.25	विलम्बित कार्यवाही के परिणामस्वरूप प्लाण्ट व मशीनरी का हटाया जाना।
	योग		**307.13**	**1016.63**	**1323.76**	

3अ.9.3 इनमें से कुछ प्रकरणों पर आगामी प्रस्तरों में विस्तार से चर्चा की जा रही है:

3अ.9.3.1 नाइट टैनर्स (प्रा.) लिमिटेड

निगम 2.65 करोड़ रुपये के अपने देयों की वसूली नहीं कर सका क्योंकि प्रवर्तकों के राज्य सरकार में प्रभाव तथा तत्कालीन मुख्यमंत्री के हस्तक्षेप के कारण प्रभावी वसूली कार्यवाही नहीं कर सका।

निगम ने कम्पनी को रनिया, कानपुर (देहात) में चमड़ा निर्माण के लिए एक इकाई की स्थापना हेतु मार्च 1987 में 50.90 लाख रुपये का एक सावधि ऋण स्वीकृत किया। निगम ने मई 1987 में 14.19 लाख रुपये का एक ब्रिजिंग लोन तथा प्रवर्तकों द्वारा पूर्व में किए गये व्यय के विरुद्ध मई 1987 में 5.10 लाख रुपये का अतिरिक्त ऋण स्वीकृत किया।

यद्यपि इकाई ने मार्च 1989 से व्यावसायिक उत्पादन प्रारम्भ कर दिया फिर भी 20 लाख रुपये प्रति वर्ष लाभार्जन के बावजूद इसने जान-बूझकर शुरू से ही अपने देयों का भुगतान नहीं किया। इसने निगम की वित्तीय सहायता से संस्थापित अपनी एक अन्य इकाई (कानपुर स्पन पाइप प्रा. लिमिटेड) के विरुद्ध देयों के भुगतान में भी उपेक्षा की थी। परन्तु निगम ने मुख्यतः प्रवर्तकों के राज्य सरकार में प्रभाव के कारण साढ़े तीन वर्ष तक कोई प्रभावी वसूली कार्यवाही नहीं की। जब कुल देय 88.45 लाख रुपये के संचित हो गये तब निगम ने सितम्बर 1992 में धारा-29 के अन्तर्गत उपरोक्त देयों की वसूली हेतु नोटिस निर्गत किया।

निगम ने, फिर भी, अगले 28 महीनों तक कोई प्रभावशील वसूली कार्यवाही नहीं किया और जनवरी 1995 में इकाई का अधिग्रहण किया। अपने प्रभाव का प्रयोग करते हुए प्रवर्तकों ने तत्कालीन मुख्यमंत्री से सिफारिश की जिन्होंने प्रवर्तकों को कब्जा वापस करने के लिए जनवरी 1995 में निगम को निर्देश दिये थे। परिणामस्वरूप निगम ने 119.19 लाख रुपये के बकाये के विरुद्ध दो लाख रुपये की धनराशि लेकर तुरन्त कब्जा वापस कर दिया।

निगम ने प्रवर्तकों द्वारा पुनः भुगतान त्रुटि करने पर जून 1995 में पुनः कब्जा कर लिया परन्तु इकाई का विक्रय नहीं हो पाया क्योंकि प्रवर्तकों ने इकाई के विक्रय के विरुद्ध जुलाई 1995 में स्थगनादेश प्राप्त कर लिया था।

स्थगनादेश, एक तरफा एवं निगम द्वारा पहले ही निषेधाज्ञा के लिए दर्ज मुकदमें को ध्यान दिये बिना, दिया गया था। निगम ने स्पष्ट कानूनी सलाह के बावजूद, इस आधार पर कि निगम द्वारा दर्ज निषेधाज्ञा पर विचार किए बिना एकतरफा स्थगनादेश दे दिया गया था, इसे रद्द कराने के लिए आवेदन नहीं किया।

इस प्रकार निगम ने अपने प्रकरण की उचित ढंग से पैरवी नहीं की और अपने देयों की वसूली हेतु प्रवर्तकों के विरुद्ध वैयक्तिक वसूली प्रमाण-पत्र नहीं निर्गत किया जिससे अक्टूबर 1998 तक देय 264.93 लाख रुपये (205.88 लाख के ब्याज सहित) के हो गये।

3अ.9.3.2 भगवान आयल इण्डस्ट्रीज़ (प्रा.) लिमिटेड

निगम को 1.01 करोड़ रुपये की हानि उठानी पड़ी क्योंकि प्रवर्तकों की एक इकाई के विरूद्ध प्राप्यों के एकमुश्त भुगतान अनाधिकृत समझौते के दबाब में, उनकी सम्पत्तियों से वसूली के बजाय उनकी दूसरी इकाई के विरूद्ध प्राप्यों के लिए भी एकमुश्त भुगतान स्वीकार करना पड़ा।

निगम ने कम्पनी को मथुरा में एक तेल मिल की स्थापना हेतु मार्च 1987 में 59.40 लाख रुपये का सावधि ऋण तथा मार्च 1990 में 6 लाख रुपये का एक अतिरिक्त ऋण स्वीकृत किया। 1992 के मध्य से लगातार भुगतान में उपेक्षा करने पर निगम ने प्रवर्तकों से अपने देयों का एकमुश्त भुगतान योजना के अन्तर्गत 41 लाख रुपये में समझौता करने के लिए मार्च 1994 में कहा परन्तु वह उनके द्वारा आदृत नहीं किया गया। राज्य वित्तीय निगम अधिनियम की धारा-29 या 32 के अन्तर्गत कोई कार्यवाही करने के बजाय, निगम की वार्ता समिति ने, एक वर्ष बाद मार्च 1995 में 48.74 लाख रुपये के देयों के विरुद्ध प्रवर्तकों के एकमुश्त भुगतान योजना के अन्तर्गत मात्र 35.50 लाख रुपये पर समझौते के प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया। तथापि, अशोध्य ऋण वसूली समिति से अनुमोदन प्राप्त किये जाने के पूर्व ही क्षेत्रीय प्रबन्ध ने एकमुश्त समाधान योजना के निर्णय को प्रवर्तकों को तुरन्त सूचित कर दिया मार्च 1995 जिन्होंने उक्त धनराशि का तुरन्त भुगतान कर दिया। अशोध्य ऋण वसूली समिति ने, तथापि, उक्त प्रस्ताव का अनुमोदन नहीं किया और प्रवर्तकों के विरुद्ध कठोर वसूली कार्यवाही करने का आदेश दिया। निगम द्वारा जूलाई 1995 में किये गये इकाई के अधिग्रहण को, उच्च न्यायालय के अन्तरिम आदेश के अन्तर्गत अगले दिन वापस करना पड़ा। अन्तिम निर्णय की प्रतीक्षा किये बिना, निगम द्वारा वित्तपोषित (प्रस्तर 3अ.9.3.3) एक अन्य इकाई के सम्बन्ध में एकमुश्त समाधान योजना के

प्रस्ताव पर विचार करते समय प्रवर्तकों द्वारा रखी गयी एक शर्त को, कि उन्हें (मार्च 1995) में पहले ही भुगतान की गयी एक मुश्त समाधान योजना की धनराशि के विरुद्ध तेल मिल के सम्बन्ध में उक्त समस्त दायित्वों से मुक्त कर दिया जाये, निगम ने स्वीकार कर लिया (दिसम्बर 1996)।

निगम ने क्षेत्रीय प्रबन्धक के विरुद्ध, एकमुश्त भुगतान समझौते के निर्णय को प्रवर्तकों को सूचित करने और प्राधिकारी की सहमति के बिना जमा स्वीकार करने, के लिये कोई कार्यवाही नहीं की गयी (अक्टूबर 1998) जिसमें दिसम्बर 1994 से दिसम्बर 1996 की अवधि में देय और जमा धनराशि पर अन्तरात्मक ब्याज (3.46 लाख रुपये) की हानि के अतिरिक्त, निगम को 13.24 लाख रुपये की परिहार्य हानि हुई।

3अ.9.3.3 भगवान फूड्स (प्रा.) लिमिटेड

निगम ने कम्पनी को मथुरा में एक रोलर आटा मिल की स्थापना हेतु अगस्त 1989 में 50.23 लाख रुपये का एक सावधि ऋण और सितम्बर 1990 में 28.70 लाख रुपये का एक अतिरिक्त ऋण स्वीकृत किया। प्रवर्तकों ने, जिन्हें उसी स्थल पर एक तेल मिल की स्थापना हेतु मार्च 1987 से मार्च 1990 के मध्य कुल 65.40 लाख रुपये का ऋण स्वीकृत किया गया था (प्रस्तर 3अ.9.3.2), अपने देयो का भुगतान नहीं किया था। प्राप्यों (160.20 लाख रुपये) के संचय हो जाने पर, निगम ने जुलाई 1995 में इकाई का अधिग्रहण कर लिया और अप्रैल 1990 में उसे मात्र 50.01 लाख रुपये में बेच डाला। 110.19 लाख रुपये के शेष की वसूली हेतु निगम ने वैयक्तिक गारण्टर/निदेशक के विरुद्ध जून 1996 में वैयक्तिक वसूली प्रमाण-पत्र निर्गत किया जिन्होंने धारा-29 के अन्तर्गत इकाई के विक्रय को चुनौती देते हुए वैयक्तिक वसूली के क्रियान्वयन को स्थगित करने के लिए वाद दायर कर दिया।

निगम ने न्यायालय में प्रकरण पर प्रतिरोध करने के बजाय प्रवर्तकों से एकमुश्त भुगतान योजना के अन्तर्गत समझौता करने को कहा। प्रवर्तक न्यायालय से प्रकरण वापस लेने हेतु सहमत (नवम्बर 1996) हो गये बशर्ते कि निगम उनके 110.19 लाख रुपये के देयों के विरुद्ध 25.81 लाख रुपये की राशि पर समझौता करने पर और पहले से जमा राशि के विरुद्ध भगवान तेल मिल से सम्बन्धित समस्त दायित्वों से उन्हें अवमुक्त करने पर सहमत हों। प्रवर्तकों द्वारा रखी गयी शर्तो को अशोध्य ऋण वसूली समित ने दिसम्बर 1996 में स्वीकार कर लिया और 1.13 लाख रुपये का अपलेखन एवं 83.25 लाख रुपये का अधित्याग कर दिया।

लेखा परीक्षा ने अवलोकन किया कि उपरोक्त एकमुश्त भुगतान समझौते को वैधानिक स्वरूप देने के लिए अभिलेखों में यह दर्ज किया गया कि आंकलन टिप्पणियों में दर्शाये गये निदेशकों के नाम के गृह वास्तव में उनके पत्नियों/पारिवारिक सदस्यों के नाम थे और प्रवर्तकों के पास अन्य सम्पत्ति नहीं थी जिससे निगम के देयों की वसूली हो सकती। परन्तु वैयक्तिक वसूली प्रमाण-पत्र के निरीक्षण से पता चला कि उपरोक्त गृहों के अतिरिक्त प्रवर्तकों के पास अन्य सम्पत्तियों जैसे आर के साल्वेन्ट, भगवान टाकीज, हीरा टाकीज, जूली टाकीज तथा भगवान आयल मिल आदि में पर्याप्त अंश हैं।

इस प्रकार राज्य वित्तीय निगम अधिनियम के अन्तर्गत वसूली प्रक्रिया शुरू करने के बजाय एकमुश्त भुगतान योजना के अन्तर्गत देयों का समझौता करके निगम ने न केवल अपने को हानि पहुंचायी है बल्कि उस अधिकारी (तकनीकी प्रबन्धक) का बचाव भी किया जिसने ऋण स्वीकृति के समय निदेशकों के नाम में गृह सम्पत्तियों का सत्यापन किया था।

3अ.9.3.4 काशीपुर फ्यूअल ऐण्ड केमिकल्स (प्रा.) लिमिटेड

निगम ने कम्पनी को काशीपुर, नैनीताल में स्टील रिरोलिंग इकाई की स्थापना हेतु मार्च 1986 में 43 लाख रुपये के एक सावधि ऋण और केन्द्रीय निवेश अनुदान के विरुद्ध नवम्बर 1987 में 11.64 लाख रुपये के एक ब्रिजिंग लोन की स्वीकृति प्रदान की, यद्यपि इस प्रकार की इकाईयाँ भारतीय औद्योगिक विकास बैंक तथा निगम की नकारात्मक सूची में थी।

कम्पनी द्वारा कोई भी भुगतान जो अगस्त 1988 से प्रारम्भ होना था, न कर पाने पर, निगम ने धारा-29 के अन्तर्गत मार्च 1989 में नोटिस निर्गत किया प्रत्युत्तर में, इकाई ने दो दिवंगत निदेशकों के स्थान पर पाँच नये निदेशकों, जिनकी वित्तीय सामर्थ्य 57.69 लाख रुपये बतायी गयी थी, को शामिल करने की अनुमति प्रदान करने हेतु मार्च 1989 में निवेदन किया। निगम ने निवेदन स्वीकार (जनवरी 1990) कर लिया और धारा-29 की नोटिस वापस ले ली। इकाई द्वारा पुनः उपेक्षा करने पर, निगम ने पुनः समग्र 62.38 लाख रुपये के देयों का भुगतान करने तथा इकाई के विक्रय हेतु विज्ञापन के लिए धारा-29 के अन्तर्गत नोटिस निर्गत (नवम्बर 1990) किया।

39 लाख रुपये में इकाई के क्रय हेतु तीन व्यक्तियों द्वारा दिये गये (मार्च 1991) सयुंक्त प्रस्ताव को निगम द्वारा इस आधार पर अस्वीकार (मार्च 1991) कर दिया गया कि क्रेताओं में से एक दिवंगत निदेशकों में से एक का पुत्र था। यद्यपि प्रस्ताव परिसम्पत्तियों के मूल्य के 75 प्रतिशत तथा सावधि

ऋण के मूलधन दोनों को आवरित कर रहा था (जैसा कि निगम की अनुमोदित नीति के अन्तर्गत आवश्यक है) तथा निगम के नियमों के अन्तर्गत ऐसी इकाईयों का दिवंगत निदेशक के सम्बन्धियों को बेचना निषिद्ध नहीं था।

निगम ने, इकाई की सुरक्षा में 4.45 लाख रुपये व्यय करने के पश्चात्, मई 1995 में 9 लाख रुपये में प्लाण्ट व मशीनरी तथा मार्च 1996 में 10.75 लाख रुपये में (40 प्रतिशत नकद भुगतान व शेष 6 मासिक किश्तों में) भूमि व भवन का विक्रय कर दिया। शेष 145.45 लाख रुपये की वसूली हेतु इकाई के प्रवर्तकों के विरुद्ध निर्गत (जुलाई 1996) वैयक्तिक वसूली प्रमाण-पत्र राजस्व प्राधिकारियों द्वारा इस टिप्पणी के साथ लौटा दिये गये कि निदेशकों के नाम में कोई सम्पत्ति उपलब्ध नहीं थी। निगम ने, हानि के लिए बिना किसी उत्तरदायित्व का निर्धारण किए मार्च 1997 में 38.31 लाख रुपये के मूल ऋण का अपलेखन तथा 141.96 लाख रुपये के ब्याज का अधित्याग कर दिया।

इस सम्बन्ध में निम्न बिन्दु देखे गये:

- नये निदेशकों को उनकी वित्तीय सामर्थ्य की पुष्टि में प्रपत्र प्राप्त किए बिना सम्मिलित करने की अनुमति प्रदान की गयी।

- मार्च/मई 1991 में दिये गये 39 लाख रुपये के विक्रय प्रस्ताव को अस्वीकार करने का कोई औचित्य नहीं था, यद्यपि प्रस्ताव निगम की निर्धारित नीति/मानक के अन्तर्गत था।

निगम ने अब तक (अक्टूबर 1998) उपरोक्त चूकों के लिए किसी उत्तरदायित्व का निर्धारण नहीं किया।

3अ.9.3.5 श्रीनाथ जी जिंक (प्रा.) लिमिटेड

निगम ने कम्पनी को शिकोहाबाद में एक जिंक इकाई की स्थापना हेतु 59.35 लाख रुपये का एक सावधि ऋण स्वीकृत (सितम्बर 1989) किया। राज्य विद्युत परिषद से विद्युत की स्वीकृति, अल्पतम आरम्भिक निवेश में विलम्ब आदि के कारण व्यावसायिक उत्पादन विलम्बित हुआ। निगम ने लगभग दो वर्ष के अतिकाल के प्रभाव तथा परियोजना की लाभकारिता का पुनरांकलन किए बिना जून 1991 से ऋण का वितरण प्रारम्भ कर दिया।

निगम ने विद्युत स्वीकृति तथा कार्यशील पूँजी गठबन्धन की वितरण-पूर्व आवश्यक शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित किए बिना पुनः मार्च 1992 में 25.45 लाख रुपये का एक अतिरिक्त ऋण स्वीकृत किया। कम्पनी नवम्बर 1994 तक 75.01 लाख रुपये का ऋण प्राप्त कर सकी और शेष ऋण (9.79 लाख रुपये) निगम द्वारा रद्द कर दिया गया।

यद्यपि निगम के सज्ञान में था कि इकाई बन्द पड़ी थी, इसने 95.56 लाख रुपये के देयों का भुगतान करने हेतु अगस्त 1995 में निर्गत धारा-29 की नोटिस को 1.50 लाख रुपये के नगण्य भुगतान पर वापस (सितम्बर 1995) ले लिया। उसके बाद बिना कोई कार्यवाही किए, निगम ने 143.42 लाख रुपये के समग्र देयों के विरुद्ध, 85 लाख रुपये के एकमुश्त भुगतान का प्रस्ताव इस बहाने स्वीकार (मार्च 1997) कर लिया कि रसायनिक प्रसंस्करण हेतु प्रयोग की जाने वाली प्लाण्ट व मशीनरी बुरी तरह क्षत-विक्षत हो गयी थी। परन्तु, निगम का यह मत पूर्णतया आधारहीन था क्योंकि इकाई में कभी भी उत्पादन नहीं हुआ।

प्रवर्तकों ने, 12 लाख रुपये के आरम्भिक भुगतान के अतिरिक्त, कोई भुगतान नहीं किया, यद्यपि एकमुश्त भुगतान समझौते की समग्र राशि का भुगतान फरवरी 1998 तक कर देना था। निगम ने निगोशियेबुल इन्ट्रूमेन्ट्स ऐक्ट के अन्तर्गत भी कोई कार्यवाही नहीं शुरू की क्योंकि प्रवर्तकों द्वारा प्रस्तुत चेक, आरम्भिक एकमुश्त भुगतान के पश्चात्, बैंक द्वारा आदृत नहीं किए गये।

निगम ने शेष 144.31 लाख रुपये (अक्टूबर 1998 तक 69.30 लाख रुपये के ब्याज सहित) के देयों की वसूली हेतु इकाई के विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं की।

3अ.9.4 एकमुश्त भुगतान योजना

निगम एकमुश्त भुगतान योजना का संचालन करता रहा है। लेखा परीक्षा में यह देखा गया कि एकमुश्त भुगतान प्रस्ताव इन इकाईयों द्वारा अक्सर नहीं आदृत किये गये और निगम ने, समग्र प्राप्यों की वसूली हेतु कड़ी कार्यवाही करने के बजाय, जब कभी बाद में इन इकाईयों द्वारा निवेदन किया गया इनके देयों के एकमुश्त भुगतान प्रस्तावों को स्वीकार किया। निगम ने इस योजना के अन्तर्गत 1996-97 में 1380.08 लाख रुपये की लेनदारियों का अपलेखन किया। इस अवलोकन की पुष्टि अगले पृष्ठ पर दी गयी तालिका से हो जायेगी जो यह दर्शाती है कि एकमुश्त भुगतान समझौते के समग्र प्रकरणों का 53.7 प्रतिशत मात्र ही पूर्णतया आदृत हुआ।

(लाख रुपये में)

वर्ष	पूर्णतया आदृत			शर्तानुसार भुगतान			आंशिक आदृत			रद्द एकमुश्त भुगतान समझौता		
	अ*	ब	स	अ	ब	स	अ	ब	स	अ	ब	स
31.03.94 तक	757	36.81	36.81	0	0	0	38	4.67	2.97	162	10.62	1.26
1994–95	485	41.23	41.23	0	0	0	105	15.26	8.06	163	24..01	3.07
1995–96	269	17.91	17.91	0	0	0	176	19.07	8.06	163	24.01	3.07
1996–97	242	7.55	7.55	159	13.01	4.73	533	44.87	7.94	50	5.45	0.18
योग	**1753**	**103.50**	**103.50**	**159**	**13.01**	**4.73**	**852**	**83.87**	**27.61**	**498**	**53.89**	**5.62**

3अ.10 आन्तरिक लेखा परीक्षण

वर्तमान में आन्तरिक लेखा परीक्षा विभाग एक मुख्य प्रबन्धक के अधीन है जिनकी सहायता एक वरिष्ठ प्रबन्धक, एक उप वरिष्ठ प्रबन्धक एवं तीन प्रबन्धक करते हैं। आन्तरिक लेखा परीक्षा से प्रत्येक वर्ष सभी इकाईयों की लेखापरीक्षा पूर्ण करने की अपेक्षा की जाती है तथा जिसके परिणाम उप महाप्रबन्धक को प्रस्तुत किये जाते है। इसके अतिरिक्त आन्तरिक लेखा परीक्षा विभाग मुख्यालय के निश्चित व्ययों का पूर्व सम्प्रेक्षण भी करता है। आन्तरिक लेखा परीक्षा विभाग के क्रिया-कलापों की सम्पूर्ति मुख्यालय द्वारा नियुक्त विशिष्ट सम्प्रेक्षकों (स्वतंत्र चार्टर्ड एकाउन्टैण्ट्स) द्वारा की जाती है। विशिष्ट सम्प्रेक्षकों के कार्य-क्षेत्र में मुख्यतः ब्याज की जाँच, चेकों का भुगतान इत्यादि सम्मिलित है।

यह अवलोकन किया गया कि भारतीय औद्योगिक विकास बैंक द्वारा 1994 में दिये गये सुझाओं के विरुद्ध आन्तरिक लेखा परीक्षा विभाग के प्रतिवेदन वर्ष में दो बार निदेशक मण्डल में प्रस्तुत नहीं किए जा रहे हैं।

* 'अ' समझौता किये हुए प्रकरणों को इंगित करता है, 'ब' एक मुश्त भुगतान समझौते की धनराशि इंगित करता है तथा 'स' भुगतान की रकम दर्शाता है।

प्रबन्धन ने सूचित किया (अक्टूबर 1998) कि वह आन्तरिक सम्प्रेक्षा को सुदृढ़ बनाने के लिए कदम उठायेगें।

उत्तर, लेखा परीक्षा की आपत्ति कि निगम में प्रभावी आन्तरिक लेखा परीक्षण प्रणाली नहीं थी, की पुष्टि करता है।

3अ.11 अन्य रोचक विषय

3अ.11.1 देयक बट्टा योजना

निगम ने, राज्य वित्तीय निगम अधिनियम, 1951 की धारा 25 (1) (ग) का अतिक्रमण करते हुए नवम्बर 1995 में 'देयक बट्टा योजना' प्रस्तुत की जिसके अन्तर्गत माल के उत्पादन और विक्रय के लिए कच्चे माल, सामग्री की आपूर्ति के लिए प्रस्तुत विनिमय पत्र को भुनाने का प्रस्ताव रखा गया था। योजना का, बिना पुरानी योजना में कोई परिवर्तन किए 'फैक्टरिंग लिमिट स्कीम' के रूप में पुनः नामकरण कर दिया गया था।

नमूना जाँच से पता चला कि निगम ने उपरोक्त योजनायें जो कि राज्य वित्तीय अधिनियम, 1951 के अतिक्रमण में थी, के अन्तर्गत मात्र दो फर्मो को (रुपये 25 लाख एवं रुपये 100 लाख) ही सहायता उपलब्ध करायी गई थी। सैमकीन कारसिन लिमिटेड, नई दिल्ली के प्रकरण में यह देखा गया कि 100 लाख रुपये की सहायता उपलब्ध (नवम्बर 1995) करायी गयी जो न केवल योजना का अतिक्रमण था बल्कि फरवरी 1997 में नवीनीकृत भी की गयी। चूँकि कम्पनी की प्रदत्त पूँजी 12 करोड़ रुपये से अधिक थी, उपरोक्त नवीनीकरण राज्य वित्तीय निगम अधिनियम की धारा 28(1)(द) का अतिक्रमण करता है जिसके अन्तर्गत 10 करोड़ रुपये से अधिक निबल सम्पत्तियों वाले किसी भी संस्थान को किसी प्रकार की सहायता निषिद्व है। यद्यपि भुनाए गये विनिमय पत्रों का भुगतान 90 दिन के अन्दर कराना आवश्यक था फिर भी निगम ने अब तक (सितम्बर 1998) 59.28 लाख रुपये के देयों की वसूली हेतु कोई कार्यवाही नहीं की है।

प्रबन्धन ने सूचित किया (अक्टूबर 1998) कि निगम योजना को समाप्त कर देगा।

3अ.11.2 लेखांकन नीति में परिवर्तन

चेकों के भुगतान की विलम्बित प्राप्ति के कारण, निगम ने वर्ष 1996-97 व 1997-98 में 1.81 करोड़ रुपये की हानि उठायी तथा लेखांकन नीति में परिवर्तन के कारण इसने इन दो वर्षों में बढ़ी हुई आय दर्शाने के अतिरिक्त अपने ग्राहकों को अनुचित लाभ प्रदान किया।

निगम मार्च 1995 के अन्त तक अपने लेखे नकद लेनदेन के आधार पर बनाता रहा और बैंक द्वारा जमा चेकों के भुगतान के पश्चात् ही ब्याज, अर्थदण्ड व अन्य शुल्क को आय मानता रहा। परन्तु वर्ष 1995-96 से निगम ने अपनी लेखांकन नीति में परिवर्तन कर दिया और वर्षान्त के पहले प्राप्त चेकों/ड्राफ्टों के आधार पर बाद में उनके भुगतान का विचार किए बिना आय मानने लगा। मार्च 1996, 1997 तथा 1998 को संग्रहण के अधीन चेकों में से क्रमशः 1.90 करोड़, 13.72 करोड़ तथा 26.64 करोड़ रुपये के चेक बैकों द्वारा बाद में अनादृत कर दिये गये थे। लेखांकन नीति में परिवर्तन, जोकि लेखांकन मानको के असंगत था, के परिणामस्वरूप अपनायी गयी लेखांकन की वर्णसंकर प्रणाली के कारण लेखों में बढ़ी हुई आय दर्शानी पड़ी और अप्राप्त ब्याज की आय पर ब्याज कर का भुगतान करना पड़ा। पुनः, इसके परिणामस्वरूप वर्ष 1996-97 तथा 1997-98 में क्रमशः बैंक खाते में विलम्ब से जमा 80.04 करोड़ तथा 84.37 करोड़ रुपये के चेकों पर 0.98 करोड़ तथा 0.83 करोड़ रुपये ब्याज की हानि हुई।

निगम ने अब तक (अक्टूबर 1998) न तो ब्याज नुकसान की प्रतिपूर्ति के लिए बैंकों के समक्ष मामलों को उठाया और न ही कारणों की जाँच पड़ताल की और न ही चेकों को विलम्ब से जमा करने के लिए कोई उत्तरदायित्व का निर्धारण किया।

उपसंहार

निगम को भारी हानि हुई जोकि 31 मार्च 1998 को 234.97 करोड़ रुपये थी तथा भारतीय औद्योगिक विकास बैंक ने इसे 'अ' से 'ब' श्रेणी के निगम में वर्गीकृत कर दिया है। इसने लेखांकन मानक से असंगत लेखांकन नीति अपनाकर आय के साथ ही ऋण की वसूली में वृद्धि दर्शाई है। निगम के खराब प्रदर्शन के मुख्य कारण थेः

- लाभकारी तथा अलाभकारी परियोजनाओं के चिन्हांकन हेतु आंकलन प्रणाली तथा आंकड़ा बैंक की अपर्याप्तता जिसके परिणामस्वरूप आरम्भ से ही अलाभकारी इकाईयों को ऋण की

स्वीकृति दी गई।

- सहाय्यित इकाईयों का अप्रभावी अनुगमन तथा वितरणपूर्व शर्तो के अनुपालन में बार-बार शिथिलीकरण की अनुमति।

- पुनरूद्धरणीय/अपुनरूद्धरणीय इकाईयों तथा स्वैच्छिक बकायेदारों के चिन्हांकन में इसकी वसूली प्रणाली की असफलता और कड़ी, प्रभावी व सामयिक वसूली कार्यवाही प्रारम्भ करने के साथ ही एक मुश्त भुगतान योजना के अन्तर्गत उदार समझौते।

- निगम के कार्यो में राज्य सरकार का अनुचित हस्तक्षेप।

निगम को अपनी आंकलन प्रणाली को सुदृढ़ तथा आंकड़ा बैंक को समृद्ध करना चाहिए जो समीक्षाधीन विभिन्न परियोजनाओं के आलोचनात्मक मूल्यांकन में सहायक होगा; सहाय्यित इकाई का सघन, सतत एवं प्रभावी अनुश्रवण करना चाहिए जिससे इकाई की प्रारंभिक रूग्णता का समय से ज्ञान हो जाय और पुनरुद्धरणीय इकाईयों का पुनर्वास किया जा सके। स्वैच्छिक बकायेदारों के विरुद्ध समय से तथा कड़ी वसूली कार्यवाही आरम्भ की जानी चाहिए तथा एक मुश्त भुगतान प्रस्तावों को अन्तिम उपाय मात्र के रूप में स्वीकार करना चाहिए।

प्रकरण, शासन को जून 1998 में प्रतिवेदित किये गये थे, उत्तर प्रतीक्षित थे (अक्टूबर 1998)।

अध्याय - III

अनुच्छेद–3 ब

छिब्रो एवं खोदरी जल विद्युत परियोजना के कार्यकलाप

प्रस्तर	विवरण	पृष्ठ
	मुख्य अंश	133
1.	प्रस्तावना	134
2.	संगठनात्मक ढाँचा	134
3.	लेखा परीक्षा का क्षेत्र	134
4.	उत्पादन इकाईयों का निष्पादन परिणाम	135
4.1	मानसून अवधि में सुरंगों से अल्प जल प्रवाह के कारण हानि	138
4.2	जल का अधिप्लवन	139
4.3	इच्छित टरबाइन दक्षता की प्राप्ति में विफलता	140
5.	बन्दियाँ	140
5.1	वार्षिक मरम्मत में अत्यधिक समय का लगना	142
5.2	ट्रैश रैक उपकरण की अकार्यशीलता	143
5.3	पूँजीगत मरम्मत कार्य में विलम्ब	143
6.	टरबाइन तेल की खपत	144
7.	मानसून परे अवधि में समयोपरि कार्य के लिये भुगतान	144
8.	उत्पादन लागत	145
9.	बस बार हानियाँ	147
10.	भण्डार नियन्त्रण	148
	अन्य रोचक विषय	
11.	सामुच्य उत्पादन लागत के विलम्बित निर्धारण के कारण हानि	150
	उपसंहार	151

अनुच्छेद 3ब

छिब्रो एवं खोदरी जल विद्युत परियोजना के कार्यकलाप

मुख्य अंश

परिषद ने 1975 में टोन्स नदी के जल के उपयोग के लिये छिब्रो में 60 मेगावाट प्रत्येक की चार इकाईयों की संस्थापना की। छिब्रो से उन्मुक्त जल के उपयोग के लिये 1984-85 में 30 मेगावाट प्रत्येक की चार इकाईयों की संस्थापना खोदरी में की गई।

(प्रस्तर 3ब.1)

सुरंगों में जल प्रवाह के कम आगमन के कारण उपलब्ध जल शक्ति का कम उपयोग, जल के अधिप्लवन एवं टरबाईन की निम्न क्षमता के कारण 1997-98 तक पाँच वर्षो में 1177.630 एम यू विद्युत जिसका मूल्य 164.87 करोड़ रुपये था, कम उत्पादन हुआ।

(प्रस्तर 3ब.4)

प्रबन्धन द्वारा इकाईयों के वार्षिक अनुरक्षण एवं पूँजीगत मरम्मत में अत्यधिक समय लेने के कारण 1997-98 तक के पाँच वर्षों में 79.731 एम यू जिसका मूल्य 11.16 करोड़ रुपये था एवं 43.491 एम यू जिसका मूल्य 5.74 करोड़ रुपये था, की विद्युत उत्पादन हानि हुईं।

(प्रस्तर 3ब.5.1 एवं 3ब.5.3)

परियोजना के संस्थापन (1975) के आरम्भ से ट्रैश रैक उपकरण के असंचालन के कारण विद्युत गृह 1702 घंटे बन्द रहा जिसके कारण 1997-98 तक के पाँच वर्षों में 62.481 एम यू जिसका मूल्य 8.75 करोड़ रुपये था, की हानि हुई।

(प्रस्तर 3ब.5.2)

समुच्य उत्पादन लागत के विलम्बित निर्धारण के कारण हिमाचल प्रदेश को निर्यातित बिजली के बीजकों को देर से जारी करने से 9.60 करोड़ रुपये ब्याज की हानि हुई।

(प्रस्तर 3ब.11)

3ब.1 प्रस्तावना

हिमाचल प्रदेश की पहाड़ियों से उद्गमित टोन्स नदी के जल के उपयोग के उद्देश्य से यमुना जल योजना, खण्ड 2 भाग–1 इकाई (प्रथम फेज) के अन्तर्गत 60 मेगावाट प्रत्येक (कुल क्षमता 240 मेगावाट) की चार इकाईयों की स्थापना भूतल के नीचे कर, छिब्रो विद्युत गृह (छि वि गृ) का निर्माण 1975 में किया गया। इसके अर्न्तगत इछारी स्थित टोन्स नदी पर परिवर्तन बांध, जिसमें एक छोटा तालाब समाविष्ट है, के द्वारा दिन के बदलते विद्युत माँग के अनुरूप जल निर्गत को व्यवस्थित किया जाता है।

योजना के दूसरे क्रम में छि वि गृ से निर्गत जल का उपयोग 5.6 किमी लम्बी सुरंग का निर्माण कर 30 मेगावाट प्रत्येक (कुल क्षमता 120 मेगावाट) की चार इकाईयों से डाकपत्थर पर स्थित खोदरी विद्युत गृह (खो वि गृ) को 1984-85 में संस्थापित कर किया गया। इस प्रकार खो वि गृ, छि वि गृ के साथ कार्य करता है।

3ब.2 संगठनात्मक ढाँचा

दोनों विद्युत गृहों का सम्पूर्ण प्रबन्धन, सामान्य प्रबन्धक जल विद्युत परियोजना, देहरादून जो दो मुख्य अभियन्ताओं (ओ एवं एम) द्वारा सहयोग प्राप्त करता है, में सन्निहित है। दोनों विद्युत गृहों का स्थानीय प्रबन्धन अधीक्षण अभियंता, विद्युत उत्पादन मण्डल, डाकपत्थर द्वारा प्रत्येक विद्युत गृहों पर दो अधिशासी अभियन्ताओं के सहयोग से किया जाता है। लेखा का कार्य उप मुख्य लेखाधिकारी, जल विद्युत परियोजना देहरादून के द्वारा किया जाता है।

3ब.3 लेखापरीक्षा का क्षेत्र

जुलाई से सितम्बर 1997 एवं सितम्बर 1998 में दोनों विद्युत गृहों के 1997-98 तक 5 वर्षो के कार्य का पुनर्निरीक्षण किया गया, जिसका परिणाम अग्रिम प्रस्तरों में उल्लिखित हैं।

3ब.4 उत्पादन इकाईयों का निष्पादन परिणाम

दोनों विद्युत गृह (छि वि गृ एवं खो वि गृ) सभी इकाईयों को चलाने के लिये अधिकतम 225 क्यूमसेक्स नदी जल मात्रा पर आधारित हैं। यह मात्रा केवल मानसून अवधि (जुलाई से सितम्बर) में उपलब्ध होती है। इसलिए मानसून एवं मानसून परे अवधियों का अलग-अलग विश्लेषण अग्रिम प्रस्तरों में किया गया है।

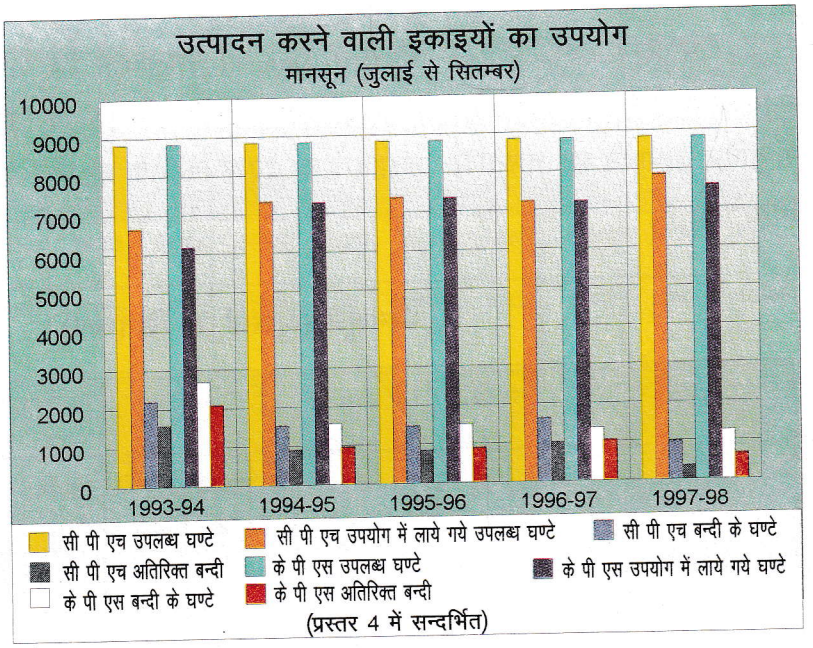

दोनों विद्युत गृहों का रूपांकन अधिकतम् 225 क्यूमसेक्स (घन मीटर सेकेण्ड) जल प्रवाह पर 240 मेगावाट (छि वि गृ) और 120 मेगावाट (खो वि गृ) उत्पादन का है जो मुख्य जल सुरंग द्वारा पेनस्टाक, जनरेटर एवं टरबाइन की क्रमशः 1.00, 0.93 एवं 0.96 दक्षता पर आधारित है।

टोन्स नदी में वर्ष में जल का प्रवाह 30 क्यूमसेक्स (मानसून परे) से अधिकतम् 2830 क्यूमसेक्स (मानसून) एवं उससे अधिक, होता है। इस प्रकार दोनों विद्युत गृहों पर विद्युत उत्पादन, पूर्ण रूप से, अन्तर्ग्रहण सुरंग के वास्तविक जल प्रवाह पर निर्भर करता है। छि वि गृ को 2830 क्यूमसेक्स से अधिक जल प्रवाह की अवस्था में

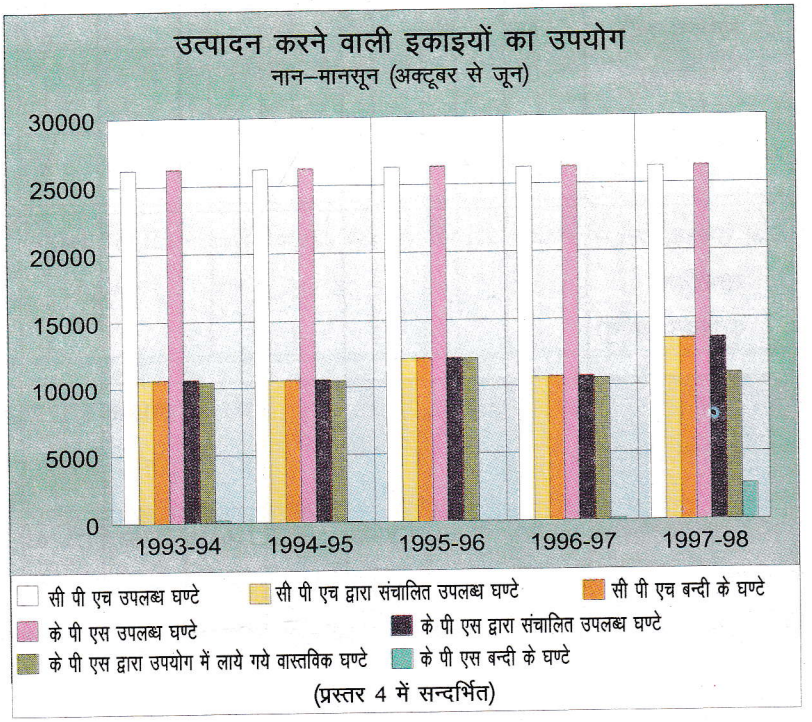

बन्द कर देना पड़ता है जिसके कारण खो वि गृ भी बन्द हो जाता है।

मानसून अवधि में 225 क्यूमसेक्स जल की उपलब्धता एवं मानसून परे अवधि में 79 से 97 क्यूमसेक्स जल की उपलब्धता के आधार पर उत्पादन इकाईयों के उपयोग के लिये उपलब्ध घंटों, संभावित उत्पादन एवं वास्तविक उत्पादन का 1997-98 तक के पाँच वर्षो का ब्यौरा निम्न सारणी में दिया गया है:

मानसून (जुलाई से सितम्बर)

विवरण	1993-94		1994-95		1995-96		1996-97		1997-98		योग
	छि वि गृ	खो वि गृ	छि वि गृ	खो वि गृ	छि वि गृ	खो वि गृ	छि वि गृ	खो वि गृ	छि वि गृ	खो वि गृ	
1. अ. उपलब्ध घंटे	8832	8832	8832	8832	8832	8832	8832	8832	8832	8832	88320
ब. वास्तविक घंटो का उपयोग	6642	6150	7312	7267	7366	7337	7216	7196	7864	7575	71138
स. बन्दी घंटे	2190	2682	1520	1565	1466	1495	1616	1636	968	1257	17182
द. अनुमन्य बन्दी (7 प्रतिशत)	618	618	618	618	618	618	618	618	618	618	6180
घ. अधिक बन्दी	1572	2064	902	947	848	877	998	1018	350	639	11002
2.अ. उपलब्ध घंटो में सम्भावित उत्पादन (एम यू)	498.859	221.307	498.859	221.307	498.859	221.307	498.859	221.307	498.859	221.307	3600.830
ब. वास्तविक उत्पादन (एम यू)	337.058	150.712	370.821	165.419	369.944	163.800	377.156	167.603	379.856	168.179	2650.548
स. उत्पादन हानि (एम यू)	161.801	70.595	128.038	55.888	128.915	57.507	121.703	53.704	119.003	53.128	950.282

मानसून परे (अक्टूबर से जून)

विवरण	1993-94		1994-95		1995-96		1996-97		1997-98		योग
	छि वि गृ	खो वि गृ	छि वि गृ	खो वि गृ	छि वि गृ	खो वि गृ	छि वि गृ	खो वि गृ	छि वि गृ	खो वि गृ	
1अ. उपलब्ध घंटे	26208	26208	26208	26208	26304	26304	26208	26208	26208	26208	262272
ब. वास्तविक उपलब्ध घंटे	10575	10575	10516	10516	12053	12053	10639	10639	13445	13445	110366
स. वास्तविक घंटो का उपयोग	10575	10383	10516	10467	12053	12053	10639	10518	13445	10824	108344
द. ख वि गृ पर बन्दी घंटे	--	192	--	49	--	--	--	121	--	2621	2022
2अ व्यवस्थित उपलब्ध घंटों में संभावित उत्पादन (एम यू)	521.942	267.792	516.550	265.261	604.853	310.621	533.894	274.180	548.108	283.825	4127.026
ब. वास्तविक उत्पादन (एम यू)	503.250	236.959	507.821	241.260	579.972	279.845	523.401	248.333	523.799	255.038	3899.678
स. उत्पादन हानि (एम यू)	18.692	30.833	8.729	24.001	24.881	30.776	10.493	25.847	24.309	28.787	227.348

उपरोक्त सारणी से यह पता चलता है कि उपलब्ध जल क्षमता जो शुद्व 7727.856 एम यू विद्युत उत्पादन कर सकती थी, की तुलना में दोनों विद्युत गृहों ने वास्तव में केवल 6550.226 एम यू विद्युत का उत्पादन किया जिससे 164.87 करोड़ रुपये की

उपलब्ध जल क्षमता के कम उपयोग से विद्युत उत्पादन में 164.87 करोड़ रुपये की हानि हुयी।

1177.630 एम यू विद्युत का कम उत्पादन हुआ जो कि 1997-98 तक पाँच वर्ष के औसत विद्युत विक्रय दर 1.40 रुपया प्रति इकाई पर आंका गया है। पुनश्च, परिषद को तापीय विद्युत गृहों पर उपरोक्त सीमा तक विद्युत उपलब्ध करना पड़ा जहाँ औसत प्रति इकाई खपत 0.81 कि. ग्रा कोयला एवं 7.47 मि. ली. तेल थी। इस प्रकार, जल विद्युत गृहों के उद्देश्य जो इन मँहगी सामग्रियों का संरक्षण भी है, को पूर्ण क्षमता तक पूरा नही किया जा सका, तथा वर्ष 1997-98 तक पाँच वर्षो में 9.5348 मी0 टन कोयला (मूल्य 10.23 करोड़ रुपये) एवं 8793 कि. ली. तेल (मूल्य 4.70 करोड़ रुपये) का संरक्षण नहीं हो पाया।

प्रबन्धन ने कम विद्युत उत्पादन के कारणों का विश्लेषण नहीं किया। फिर भी संप्रेक्षण में कम उत्पादन के कारण थे (i) सुरंगों में मानसून अवधि में कम जल का प्रवाह, (ii) मशीनों की बन्दी के कारण पानी का अधिप्लवन एवं (iii) टरबाइन की निर्धारित दक्षता से कम का उपयोग जिसके कारण 164.87 करोड़ रुपये की कुल विद्युत उत्पादन हानि में से 153.56 करोड़ रुपये की हानि थी। इन बिन्दुओं का उल्लेख अग्रिम प्रस्तरों में किया गया है।

प्रबन्धन नै जून 1998 में कहा कि संप्रेक्षण ने कार्य में आने वाली रुकावटों एवं जल प्रवाह प्रणाली में वास्तविक शीर्ष हानि को ध्यान में लिए बिना संचालन परिणाम का पुनर्निरीक्षण किया है क्योंकि मानसून अवधि में 900 क्यूमसेक्स से अधिक नदी के जल प्रवाह पर दोनों विद्युत गृह बन्द कर दिये जाते हैं और शीर्ष हानि वास्तव में अधिक होती है।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि विद्युत उत्पादन में कमी को संप्रेक्षा में परियोजना प्रतिवेदन के आधार पर मूल्यांकन किया गया है जिसमें विद्युत गृहों को 2830 क्यूमसेक्स से अधिक जल प्रवाह पर ही बन्द करने को कहा गया है। इसके अतिरिक्त विभिन्न जल प्रवाहों पर शीर्ष हानि को परियोजना प्रतिवेदन में दिये गये आधारों पर ही लिया गया है।

3ब.4.1 मानसून अवधि में सुरंगों से अल्प जल प्रवाह के कारण हानि

लेखा परीक्षा द्वारा विश्लेषण से ज्ञात हुआ कि मानसून अवधि में सुरंगों से अनुमन्य 225 क्यूमसेक्स जल

मानसून अवधि में 225 क्यूमसेक्स प्रवाह के विपरीत केवल 166 से 185 क्यूमसेक्स जल के प्रवाह का उपयोग करने से परिषद को 208.842 एम यू के उत्पादन की हानि हुयी जिसका मूल्य 29.24 करोड़ रुपये था।

प्रवाह के विपरीत विद्युत उत्पादन हेतु वास्तविक जल प्रवाह उपयोग 166 से 185 क्यूमसेक्स के मध्य किया गया जो अनुमन्य प्रवाह से 20 से 22 प्रतिशत कम था। फलस्वरूप 1997-98 तक के 5 वर्षो में विद्युत उत्पादन में 208.842 एम यू की हानि हुयी जिसका मूल्य 29.24 करोड़ रुपये था।

विद्युत हानि से बचाव के लिये प्रबन्धन ने उपलब्ध जल प्रवाह के उपयोग न करने के कारणों का विश्लेषण नहीं किया।

तथापि, लेखापरीक्षा में पाया गया कि 225 क्यूमसेक्स जल का पूर्ण उपयोग न करने का कारण प्रबन्धन द्वारा लम्बें समय से अवरुद्ध एक फ्लैश कन्ड्यूट की सफाई की विफलता थी, जिसके रख-रखाव की जिम्मेदारी सिंचाई विभाग की थी।

3ब.4.2 जल का अधिप्लवन

परिषद को जल के अधिप्लवन के कारण 462.575 एम यू विद्युत उत्पादन की हानि हुयी जिसका मूल्य 64.76 करोड़ रुपये था।

उपलब्ध जल प्रवाह से अधिकतम विद्युत उत्पादन सभी विद्युत इकाईयों की हर समय संचालन के लिये उपलब्धता से की जा सकती है। उत्पादन इकाईयों की अनुपलब्धता के कारण, विद्युत उत्पादन के लिए उपलब्ध जल को नदी में प्रवाहित कर दिया जाता है इसे अधिप्लवन कहते है जिससे विद्युत उत्पादन की हानि होती है। इस स्थिति से बचाव के लिये इकाईयों की समय सारणी इस प्रकार निर्धारित हो जिससे कि वे उत्पादन के लिये सदैव उपलब्ध हों। यह पाया गया कि छि वि गृ में 4676 घंटे एवं खो वि गृ में 8528 घंटे इकाईयों की अनुपलब्धता रही जिसके कारण 1997-98 तक पाँच वर्षो में क्रमशः 263.759 एम यू (मूल्य 36.93 करोड़ रुपये) एवं 198.816 एम यू (मूल्य 27.83 करोड़ रुपये) का उत्पादन में ह्रास हुआ।

प्रबन्धन ने उत्तर में कहा कि जल का नदी में अधिप्लवन केवल मानसून अवधि में होता है जब नदी जल का प्रवाह विद्युत उत्पादन के लिए आवश्यक प्रवाह से अधिक हो जाता है।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि (i) खो वि गृ पर मानसून परे अवधि में अनुपयोगी जल प्रवाह रहा और (ii) उत्पादन इकाईयों के 49 से 2621 घंटे तक अनुपलब्ध रहने से, जो प्रस्तर 3ब.4 के सारणी में दर्शाया गया है, दोनों विद्युत गृहों ने 225 क्यूमसेक्स से कम प्रवाह का उपयोग किया और

जल का अधिप्लवन किया जब कि मानसून अवधि में 225 क्यूमसेक्स आपूर्ति के लिये पर्याप्त मात्रा में जल उपलब्ध था।

3ब.4.3 इच्छित टरबाइन दक्षता की प्राप्ति में विफलता

इच्छित टरबाइन दक्षता की प्राप्ति में विफलता के कारण परिषद को 439.693 एम यू विद्युत जिसका मूल्य 61.56 करोड़ रुपये था, की हानि हुई।

उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा संस्थापित ऊर्जा तकनीकी समिति ने 1972 में अनुसंशा दिया कि टरबाइन दक्षता का आंकलन समय-समय पर किया जाना चाहिए और टरबाइन के कार्य संपादन में परिवर्तन की स्थिति में, आये दोषों को मरम्मत या सुधार द्वारा दूर करने की दिशा में कदम उठाना चाहिए। यद्यपि, यह पाया गया कि प्रस्तावित टरबाइन दक्षता दोनों विद्युत गृहों के लिए 0.93 के विरुद्ध वास्तव में मार्च 1998 तक पाँच वर्षो में 0.80 और 0.91 के मध्य छि वि गृ और 0.84 और 0.90 के मध्य खो वि गृ में थी। इसके कारण उपरोक्त अवधि में 439.693 एम यू विद्युत उत्पादन की हानि हुयी जिसका मूल्य 61.56 करोड़ रुपया था।

लेखा परीक्षा में पाया गया कि टरबाइन दक्षता में कमी का कारण था (i) उत्पादन इकाईयों को कम माँग पर चलाया जाना एवं (ii) सुरंगों से अल्प जल प्रवाह।

प्रबन्धन ने जून 1998 में कहा कि टरबाइन की दक्षता स्थिर नहीं होती वरन् यह माँग के अनुरूप बदलती रहती है।

उत्तर टालनेवाला है एवं बिन्दुसंगत नहीं है क्योंकि इससे यह पता नही चलता कि प्रबन्धन ने टरबाइन दक्षता में कमी के कारणों का विश्लेषण समय-समय पर किया है और यदि कोई कमी है तो उसको दूर करने का उपाय किया जिससे ऊर्जा तकनीकी समिति के सुझावों के अनुरूप इच्छित दक्षता बनाये रखी जा सके।

3ब.5 बन्दियाँ

परियोजना में मानसून अवधि में 7 प्रतिशत बन्दियों की व्यवस्था है। दोनों विद्युत परियोजनायें मानसून परे अवधि में केवल एक या दो मशीनों को चलाने लायक जल प्राप्त करते हैं और दो या तीन मशीनें सहयोगी के रूप में रहती हैं। इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए मानसून अवधि में बन्दियों को

कम से कम रखा जाना चाहिए जिससे कि विद्युत उत्पादन हानि से बचा जा सके। निम्न सारणी मानसून एवं मानसून परे अवधि में 1997-98 तक पाँच वर्षो की बन्दियाँ दर्शाती है:

विवरण	1993-94		1994-95		1995-96		1996-97		1997-98	
	छि वि गृ	खो वि गृ	छि वि गृ	खो वि गृ	छि वि गृ	खो वि गृ	छि वि गृ	खो वि गृ	छि वि गृ	खो वि गृ
वर्ष में उपलब्ध घंटे	35040	35040	35040	35040	35136	35136	35040	35040	35040	35040
मानसून अवधि में उपलब्ध घंटे	8832	8832	8832	8832	8832	8832	8832	8832	8832	8832
मानसून परे अवधि में उपलब्ध घंटे	26208	26208	26208	26208	26304	26304	26208	26208	26208	26208
वास्तविक परिचालन के घंटे										
मानसून	6642	6150	7312	7267	7366	7337	7216	7196	7864	7575
मानसून परे बन्दियाँ	10575	10383	10516	10467	12053	12053	10639	10518	13445	10824
मानसून	2190	2682	1520	1565	1466	1435	1616	1636	968	1257
मानसून परे	15633	15825	15692	15741	14251	14251	15569	15690	12763	15384
उपलब्ध घंटों में बन्दियों का प्रतिशत										
मानसून	24.8	30.4	17.2	17.7	16.6	16.2	18.3	18.5	10.9	14.0
मानसून परे	59.6	56.6	52.4	60.1	54.2	54.2	59.4	59.9	48.7	58.7
मानसून अवधि में बन्दियों की प्रकृति										
आरक्षित*	1810	2459	1153	1262	964	1103	932	1425	754	776
अवरुद्धता	144	144	248	248	245	245	100	100	114	114
मशीन की गारण्टी	236	79	119	55	257	87	584	111	100	367
योग	**2190**	**2682**	**1520**	**1565**	**1466**	**1435**	**1616**	**1636**	**968**	**1259**
मानित बन्दी 7 प्रतिशत	618	618	618	618	618	618	618	618	618	618
मानक से अधिक बन्दी	1572	2064	902	947	848	817	998	1018	350	636
उत्पादन हानि (एम यू)	69.307	46.833	45.744	21.556	42.589	18.239	52.162	23.710	16.906	14.120

* वह अवधि जिसमें उत्पादक इकाईयाँ यद्यपि उपलब्ध थीं परन्तु पद्धति की बाध्यताओं के कारण न चल सकी।

अत्याधिक बन्दियों के कारण 351.166 एम यू विद्युत उत्पादन (मूल्य 49.16 करोड़ रुपये) की हानि हुई जिसके कारणों का प्रबन्धन ने विश्लेषण नहीं किया। लेखा परीक्षा में विश्लेषित कारणों का अग्रिम प्रस्तरों में उल्लेख किया गया है।

3ब.5.1 वार्षिक मरम्मत में अत्यधिक समय का लगना

उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा संस्थापित ऊर्जा तकनीकी समिति की अनुसंशा (1972) के अनुसार वार्षिक मरम्मत की समय सारणी इस प्रकार निश्चित की जानी चाहिए जिससे कार्य कम से कम समय में पूरा किया जा सके अर्थात यह दो सप्ताह (प्रत्येक मशीन के लिए 336 घंटे) से अधिक न हो। तथापि, यह पाया गया कि 1997-98 तक पाँच वर्षों में दोनों विद्युत गृहों ने अत्याधिक समय लिया जो 1296 से 3528 घंटों के बीच खो वि गृ में और 2184 से 5026 घंटों के बीच खो वि गृ में था जिससे 79.731 एम यू विद्युत उत्पादन की हानि हुयी जिसका मूल्य 1.40 रुपया प्रति यूनिट की दर से 11.16 करोड़ रुपये था जैसा कि निम्न सारणी में दर्शाया गया है:

वार्षिक मरम्मत में अत्यधिक समय लगने से, परिषद को 79.731 एम यू जिसका मूल्य 11.16 करोड़ रुपये था, की उत्पादन हानि हुयी।

विवरण	1993-94		1994-95		1995-96		1996-97		1997-98	
	छि वि गृ	खो वि गृ	छि वि गृ	खो वि गृ	छि वि गृ	खो वि गृ	छि वि गृ	खो वि गृ	छि वि गृ	खो वि गृ
वास्तविक घंटे	4536	3755	3904	3949	4008	5220	2328	6034	2304	3528
मरम्मत मशीनों की संख्या	3	3	3	4	4	4	2	3	3	4
मानक के अनुसार घंटे	1008	1008	1008	1344	1344	1344	672	1008	1008	1344
अत्याधिक लिये घंटे	3528	2747	2086	2605	2664	3876	1656	5026	1296	2184
उत्पादन हानि एम यू में	29.130	6.635	(-) 7.109	12.088	(-)5.219	(-)2.519	35.591	15.151	(-) 6.513	12.496

प्रबन्धन ने जून 1998 में कहा कि मशीनों की पूरी मरम्मत दो सप्ताह (336 घंटे) में सम्भव नहीं हैं क्योंकि पूर्ण मरम्मत के लिए 40 दिन (960 घंटे) से अधिक समय लगेगा जिसके लिए मानसून परे अवधि में काफी समय रहता है क्योंकि उस अवधि में पानी का प्रवाह केवल एक या दो मशीनों के चलाने के लिए ही प्रर्याप्त होता है।

उत्तर विश्वासप्रद नहीं है क्योंकि मरम्मत के लिए ऊर्जा तकनीकी समिति की अनुशंसा में प्रत्येक मशीन के लिए दो सप्ताह का प्राविधान किया गया है। प्रबन्धन के प्रत्येक इकाई के लिए 960 घंटे के मानक के आधार पर भी, 109 से 3154 घंटे अधिक समय लिया गया जिससे 29.862 एम यू विद्युत उत्पादन जिसका मूल्य 4.18 करोड़ रुपये था, की हानि हुई।

3ब.5.2 ट्रैश रैक उपकरण की अकार्यशीलता

नदी जल में बहते वनस्पति एवं लकड़ियों द्वारा अवरुद्धता से विद्युत गृह को बन्द होने से बचाने के उद्देश्य से छि वि गृ में 3.33 लाख रुपये लागत से मुख्य सुरंग पर बिजली चलित एक ट्रैश रैक उपकरण की व्यवस्था की गयी थी। यह उपकरण वनस्पति एवं लकड़ियों को, विद्युत गृह को बिना बन्द किये हुए हटाता है, लेकिन, यह उपकरण वर्ष 1975 के प्रारम्भ से ही अकार्यशील हो गया। प्रबन्धन द्वारा इसके मरम्मत या व्यवस्थापन के लिये कोई कार्यवाही नहीं की गयी। इस तरह के प्राविधान के अभाव में अवरुद्धता को साफ करने का कार्य हाथ से किया जाता है जिसके दौरान विद्युत गृहों को बन्द करना पड़ता है। इसके कारण 1997.98 तक पाँच वर्षो में विद्युत गृहों को 1702 घंटे बन्द करने से 62.481 एम यू विद्युत उत्पादन, जिसका मूल्य 8.75 करोड़ रुपये था, की हानि हुई।

संप्रेक्षा टिप्पणी को मानते हुए प्रबन्धन ने जून 1998 में कहा कि ट्रैश रैक उपकरण के रख.रखाव का कार्य सिंचाई विभाग द्वारा किया जाता है पर यह उपकरण अत्याधिक चूषण बल के कारण ट्रैश रैक के मुँह पर जमा ट्रैश को साफ करने में असफल रहा है। वर्तमान में ट्रैश की सफाई विद्युत गृहों को बन्द करके हाथ से की जाती है। सिंचाई विभाग द्वारा हाथ से की गई सफाई पर हुये खर्च का कोई विवरण उपलब्ध न था।

3ब.5.3 पूँजीगत मरम्मत कार्य में विलम्ब

मशीनों के पूँजीगत मरम्मत के दौरान आने वाले आकस्मिकताओं को ध्यान में रखते

पूँजीगत मरम्मत कार्य में विलम्ब के कारण परिषद को 12.006 एम यू बिजली के कम उत्पादन से 5.74 करोड़ रुपये की हानि हुई।

हुये अग्रिम योजना अक्टूबर माह के प्रारम्भ में ही बना लेनी होती है ताकि कार्य मानसून से पहले ही पूर्ण किया जा सके। छि वि गृ की इकाई संख्या 4 के पूँजीगत मरम्मत के कार्य को करवाने के लिए प्रबन्धन ने दो माह का समय तकनीकी विवरणों की प्रशासनिक संस्तुति एवं टेन्डर को अन्तिम रूप देने में लिया। इकाई के मरम्मत का कार्य सेफ इन्जिनियरिंग कम्पनी प्राइवेट लिमिटेड, देहरादून को जनवरी 1993 में दिया गया जिन्हें 10 जुलाई 1993 तक कार्य पूर्ण करना था। संप्रेक्षा के दौरान यह देखा गया कि टरबाइन की स्टील लाइनर प्लेट, जिसका मरम्मत 14 मार्च 1993 तक हो जाना था, तीन माह से अधिक विलम्ब से 6 अगस्त 1993 तक किया जा सका। इकाई को 12 अगस्त 1993 में चलाया जा सका जो कि अनुबन्ध के अनुसार कार्य समाप्ति के दिन से 33 दिन विलम्ब से हुआ। इस कारण, परियोजना पूर्ण 225 क्यूमसेक्स जल के प्रवाह का उपयोग 11 जुलाई से 12 अगस्त 1993 तक नहीं कर सकी जिसके परिणामतः 31.485 एम यू छि वि गृ में एवं 12.00 एम यू खो वि गृ में विद्युत उत्पादन की हानि हुई जिसका मूल्य 5.74 करोड़ रुपये था।

प्रबन्धन ने बताया (जून 1998) कि विलम्ब के लिए कोई भी जिम्मेदार नहीं था। उत्तर विश्वासप्रद नहीं है क्योंकि भारी मरम्मत के कार्य को प्रारम्भ करने में ही विलम्ब हुआ जिसके लिये दायित्व निर्धारित होना चाहिए था।

3ब.6 टरबाइन तेल की खपत

दोनों विद्युत गृहों के जलीय उत्पादन इकाईयों पर टरबाइन तेल की खपत 0.32 (1995-96) एवं 0.80 लीटर (1993-94) के मध्य छि वि गृ में और 0.31 (1993-94) एवं 0.37 लीटर (1995-96) प्रति घंटा खो वि गृ में थी। टरबाइन तेल की अधिक खपत का निर्धारण लेखा परीक्षा में नहीं किया जा सका क्योंकि तेल की खपत को न्यूनतम रखने के उद्देश्य से प्रबन्धन ने टरबाइन तेल की खपत के लिये कोई भी मानक नहीं बनाया था और न ही खपत में अन्तर के कारणों का विश्लेषण ही किया था।

3ब.7 मानसून परे अवधि में समयोपरि कार्य के लिए भुगतान

यद्यपि दोनों विद्युत गृहों पर कार्यरत कर्मचारियों के पास मानसून परे अवधि में अर्थात् अक्तूबर से जून तक पूरा कार्य नहीं रहता है, दोनों विद्युत गृह अपने सभी कर्मचारियों को समयोपरि कार्य के लिये भुगतान करते रहे। समयोपरि कार्य के लिये भुगतान की मात्रा मानसून अवधि की तुलना में मानसून

परे अवधि में अधिक थी जबकि मानसून परे अवधि में केवल दो इकाईयां ही कार्यरत थी और मानसून अवधि में 3 या 4 इकाईयां कार्यरत थी। इस कारण से 1997-98 तक पाँच वर्षो में 0.45 लाख रुपये का परिहार्य व्यय हुआ।

प्रबन्धन ने जून 1998 में कहा कि कर्मचारियों को मानसून परे अवधि में समयोपरि भुगतान वार्षिक मरम्मत कार्य के लिये किया जाता है। फिर भी, उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि जैसा कि पहले ही कहा जा चुका है कि मानसून परे अवधि में निष्क्रिय इकाईयाँ थीं जिनके कर्मचारियों को मरम्मत के कार्य में लाभप्रद तरीके से उपयोग किया जा सकता था।

3ब.8 उत्पादन लागत

दोनों विद्युत गृहों के परियोजना प्रतिवेदन में उत्पादन लागत 8.73 पैसे छि वि गृ के लिये एवं 15.22 पैसे खो वि गृ के लिये थी। अगले पृष्ठ पर दी गयी सारणी 1997-98 तक पाँच वर्षो के उत्पादन लागत को दर्शाती है:

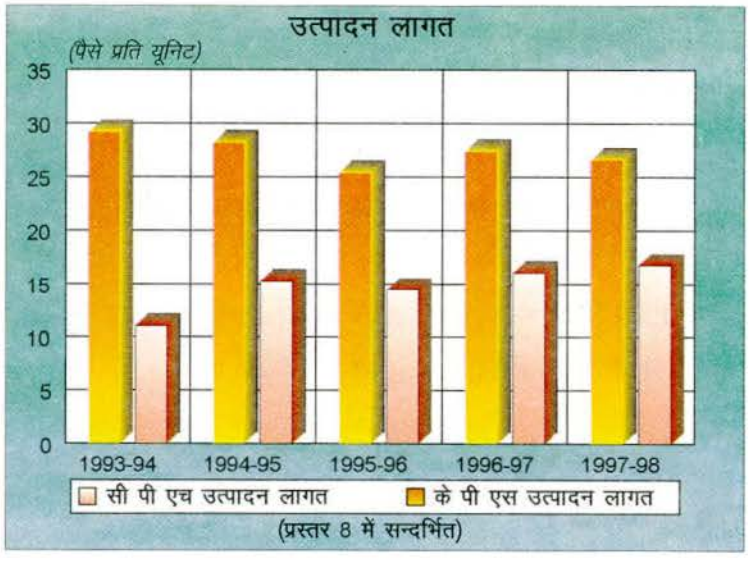

विवरण	1993-94		1994-95		1995-96		1996-97		1997-98	
	छि वि गृ	खो वि गृ	छि वि गृ	खो वि गृ	छि वि गृ	खो वि गृ	छि वि गृ	खो वि गृ	छि वि गृ	खो वि गृ
1. शुद्ध उत्पादन* (एम यू)	837.295	386.855	875.605	405.822	946.947	442.766	895.981	465.198	899.136	422.538

* शुद्ध उत्पादन सफल उत्पादन एवं सहायिकी खपत के अन्तर के बराबर है।

विवरण	1993-94		1994-95		1995-96		1996-97		1997-98	
	छि वि गृ	खो वि गृ	छि वि गृ	खो वि गृ	छि वि गृ	खो वि गृ	छि वि गृ	खो वि गृ	छि वि गृ	खो वि गृ
2. कुल उत्पादन लागत (लाख रुपये में)	923.89	1131.25	1335.95	1145.13	1369.28	1124.89	1437.18	1137.54	1508.430	1124.969
3. उत्पादन लागत (पैसे प्रति इकाई)	11.03	29.24	15.26	28.22	14.46	25.41	16.04	27.40	16.78	26.62
4. प्रतिवेदित लागत में वृद्धि प्रतिशत	26.3	92.1	74.8	85.4	65.6	66.9	83.7	80.0	92.2	74.9

उपरोक्त सारणी से यह देखा जा सकता है कि 1997-98 तक पाँच वर्षो में उत्पादन लागत 11.03 पैसे एवं 16.78 पैसे प्रति इकाई के मध्य छि वि गृ में और 25.41 पैसे एवं 29.24 पैसे प्रति इकाई के मध्य खो वि गृ में थी। यह 26.3 से 92.2 प्रतिशत और 66.9 से 92.1 प्रतिशत क्रमशः छि वि गृ एवं खो वि गृ के लिए प्रतिवेदित लागत से अधिक था।

अधिक लागत के लिए लेखा परीक्षा के विश्लेषण के आधार पर निम्न कारणों को जिम्मेदार कहा जा सकता है:

(i) उपलब्ध जलशक्ति के कम उपयोग से विद्युत उत्पादन में गिरावट

(संदर्भ प्रस्तर 3ब.4)

(ii) मानसून अवधि में सुरंगों में अल्प जल बहाव के कारण हानि, एवं

(संदर्भ प्रस्तर 3ब.4.1)

(iii) मानसून परे अवधि में समयोपरि कार्य के लिए भुगतान।

(संदर्भ प्रस्तर 3ब.7)

प्रबन्धन ने मंहगाई को अधिक उत्पादन लागत का कारण बताया परन्तु उत्तर संप्रेक्षा में मान्य नहीं है क्योंकि जैसा कि ऊपर कहा गया है उत्पादन बढ़ाकर एवं कर्मचारियों पर खर्चे को कम कर उत्पादन लागत घटाया जा सकता था।

3ब.9 बस बार हानियाँ

परिषद को बस बार पर मानक से ऊपर 127.568 एम यू की हानि हुयी जिसका मूल्य 22.35 करोड़ रुपया था।

बस बार हानियाँ उत्पादित विद्युत और बाहर प्रेषित विद्युत का अन्तर बतलाती है। इन हानियों को न्यूनतम रखने के उद्देश्य से केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण ने (जुलाई 1991) उपलब्ध विद्युत का 0.5 एवं 1 प्रतिशत के मध्य मानक निर्धारित किया है। मुख्य अभियन्ता थर्मल परिचालन एवं अनुश्रवण (टी ओ एम) ने हानियों की मात्रा का समय-समय पर समीक्षा करते समय निर्देश दिया (जनवरी 1995) कि हर प्रकार की कोशिश जैसे मीटरों का पुनःशोधन, बिना मीटर के आपूर्ति की जांच आदि द्वारा हानियों को 0.8 प्रतिशत के अन्दर नियंत्रित किया जाय।

यह पाया गया कि अनुमन्य 0.8 प्रतिशत सीमा के विरुद्ध बस बार हानियाँ 1.16 से 3.08 प्रतिशत के मध्य (छि वि गृ) और 0.16 से 4.73 प्रतिशत के मध्य (खो वि गृ) 1997-98 तक पाँच वर्षो में रही जैसा कि निम्न सारणी में दिखाया गया है:

विवरण	1993-94		1994-95		1995-96		1996-97		1997-98	
	छि वि गृ	खो वि गृ	छि वि गृ	खो वि गृ	छि वि गृ	खो वि गृ	छि वि गृ	खो वि गृ	छि वि गृ	खो वि गृ
उपलब्ध विद्युत (एम यू)	839.679	1397.232	877.620	1475.375	948.694	1556.016	899.498	1543.999	899.991	1503.148
भेजी गयी विद्युत (एम यू)	825.000	1331.170	885.856	1455.954	937.674	1553.526	871.756	1497.957	901.040	1542.130
बस बार हानियाँ (एम यू)	14.674	66.062	(-)8.236	19.421	11.020	2.49	27.742	46.042	(-)1.049	38.982

विवरण	1993-94		1994-95		1995-96		1996-97		1997-98	
	छि वि गृ	खो वि गृ	छि वि गृ	खो वि गृ	छि वि गृ	खो वि गृ	छि वि गृ	खो वि गृ	छि वि गृ	खो वि गृ
प्रतिशत हानि	1.75	4.73	(-)0.94	1.32	1.16	0.16	3.08	2.98	(-) 0.12	(-) 2.59
0.8 प्रतिशत मानक से ऊपर हानियाँ (एमयू)	7.975	54.884	--	7.618	2.941	--	20.509	33.659	--	--

इस प्रकार बस बार पर विद्युत हानि 31.407 एम यू जिसका मूल्य 4.40 करोड़ रुपये था छि वि गृ पर एवं 96.161 एम यू जिसका मूल्य 17.95 करोड़ रुपये था खो वि गृ पर, 1997-98 तक पाँच वर्षो में हुयी। सारणी से यह भी देखा जा सकता है कि कुछ वर्षो में बस बार हानियां ऋणात्मक थी जो बस बार द्वारा अधिक विद्युत पारेषण दर्शाती है जबकि ऐसा संभव नही है और ऋणात्मक अंक केवल मीटर के गलत मापन/दोषयुक्तता के कारण थी।

उत्तर में कहा गया कि इन्डक्शन मीटर जिनकी विशुद्धता-3 प्रतिशत होती है लगाये गये थे, जिसके कारण सही बस बार हानियों का मापन संभव नहीं था।

उत्तर विश्वासप्रद नही है क्योंकि एक ही विशुद्धता वाले मीटर आयात व निर्यात बिन्दुओं पर लगाये गये है जो त्रुटि का प्रतिकार कर देते है और बस बार हानियाँ यथावत रहती है।

3ब.10 भण्डार नियन्त्रण

दोनों विद्युत गृहों पर भण्डार सामग्री के लिए क्रय, क्रय समिति द्वारा जल विद्युत उत्पादन मण्डल और मुख्य प्रबन्धक स्तर पर होता है। 1997-98 तक पाँच वर्षो में परिचालन एवं रख-रखाव के लिये भण्डार का प्रत्येक वर्ष के अन्त का विवरण अगले पृष्ठ पर सारणी में दर्शाया गया है:

(लाख रुपये में)

विवरण	1993-94		1994-95		1995-96		1996-97		1997-98	
	छि वि गृ	खो वि गृ	छि वि गृ	खो वि गृ	छि वि गृ	खो वि गृ	छि वि गृ	खो वि गृ	छि वि गृ	खो वि गृ
(i) आरम्भिक शेष	51	46	41	40	57	39	105	43	56	37
(ii) क्रय/प्राप्ति	62	21	57	22	97	20	134	16	172	23
(a) **योग** (i) + (ii)	113	67	98	62	154	59	239	59	228	60
(iii) निर्गत/स्थानान्तरण	81	16	31	23	49	17	183	22	140	18
(b) अन्तिम शेष	32	51	67	39	105	42	56	37	88	42
(iv) अन्तिम शेष महीने के खपत के रूप में	4.6	38.2	25.9	21.0	25.8	29.9	3.6	20.0	7. 3	28
(v) 18 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से भण्डारण लागत	5.76	9.18	12.06	7.02	18.90	7.56	10.08	3.60	15.84	5.04

उपरोक्त सारणी से यह देखा जा सकता है कि सामग्री का भण्डारण 3.6 महीने से 25.9 महीने के खपत के बराबर छि वि गृ में और 20 महीने से 38.2 महीने के खपत के बराबर खो वि गृ में थी। इसके कारण भण्डारण लागत 0.63 करोड़ रुपये छि वि गृ में और 0.32 करोड़ रुपये खो वि गृ में 1997-98 तक पाँच वर्षो में रही। भण्डार के विश्लेषण से ज्ञात हुआः

- अधिकतम, न्यूनतम और पुनः आदेश की सीमा का निर्धारण नहीं किया गया था,
- सामग्री का वर्गीकरण, संकटकालीन, सामान्य, अधिक एवं कम खपत वाले सामान के रूप में नही किया गया, और
- भण्डार खातों को अर्धवार्षिक/वार्षिक आधार पर बन्द करना चाहिए, परन्तु उनके बन्द करने की प्रक्रिया सितम्बर 1986 से लम्बित है, जिसके कारण कमी/अधिकता/अनुपयोगी/ अप्रचलित भण्डार यदि कोई हो, का पता न लग सका।

प्रबन्धन ने जून 1998 में कहा कि 80 प्रतिशत सामग्री संकटकालीन है जिसको देखते हुए, भण्डारण अधिक नहीं था।

प्रबन्धन ने संकटकालीन एवं सामान्य सामग्री को दर्शाने वाले किसी लेखे को नहीं बनाया है, इस तथ्य के दृष्टिगत उत्तर मान्य नहीं है।

अन्य रोचक विषय

3ब.11 सामुच्य उत्पादन लागत के विलम्बित निर्धारण के कारण हानि

हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत परिषद को विलम्ब से बीजक जारी करने से परिषद को 9.60 करोड़ रुपये की हानि हुयी।

टोन्स नदी के जल का विद्युत उत्पादन हेतु उपयोग का अनन्य अधिकार प्राप्त करने हेतु, उत्तर प्रदेश सरकार ने नवम्बर 1972 में छि वि गृ एवं खो वि गृ पर शुद्ध उत्पादित बिजली का 25 प्रतिशत हिमाचल प्रदेश सरकार को यमुना जल विद्युत योजना खण्ड- II के सामुच्य उत्पादन लागत पर निर्यात करने पर सहमति दी। लेकिन, पारेषण लाइन के निर्माण होने तक, प्रदेश सरकार ने 2 पैसे प्रति यूनिट की दर से उत्पादन पर टोन्स नदी के पानी के उपयोग करने के लिए रायलटी देने की सहमति दी। पारेषण लाइन का निर्माण जनवरी 1990 में पूरा हुआ और उसके बाद रायल्टी देय नही थी एवं 25 प्रतिशत उत्पादित बिजली सामुच्य उत्पादन लागत पर निर्यात की गई जिसका निर्धारण समय-समय पर करना था।

लेखा परीक्षा में निम्न बिन्दु दृष्टिगोचर हुए:

(क) निर्यात मीटर की जाँच रिपोर्ट (फरवरी 1994) के आधार पर, जो खोदरी विद्युत गृह पर संस्थापित था, मीटर फरवरी 1994 में 20 प्रतिशत धीमा चल रहा था। इसके दृष्टिगत, 6.933 एम यू निर्यातित बिजली जिसका मूल्य 0.92 करोड़ रुपया था, के कम आंकलन का समायोजन छूट गया था। लेखा परीक्षा के बताने पर उपरोक्त बिजली के लिये अक्टूबर 1997 में बीजक प्रेषित किया गया जिसका समायोजन प्रतीक्षित था।

(ख) नवम्बर 1990 में अन्तरिम रूप से सामुच्य उत्पादन लागत 10.1 पैसे प्रति इकाई निर्धारित की

गयी थी जोकि वास्तविक सामुच्य लागत के आधार पर आंकलित होनी थी।

लेखापरीक्षा के दौरान पाया गया कि परिषद ने सामुच्य उत्पादन लागत वर्ष 1984-85 से 1993-94 के लिए निर्धारित किया जो 10.28 पैसे से 29.3 पैसे प्रति इकाई दिसम्बर 1996 में थी एवं वर्ष 1994-95 तथा 1995-96 के लिए 30.73 पैसे से 29.21 पैसे प्रति यूनिट जून 1997 में थी। इस प्रकार, विलम्ब से सामुच्य उत्पादन लागत के विलम्बित निर्धारण से, ह रा वि प को 10.1 पैसे प्रति इकाई के कम दर से बीजक जारी होते रहे। इसके कारण 1996-97 तक पाँच वर्षो में 25.26 करोड़ रुपये के कम बीजक जारी हुए।

रकम के अवरुद्ध होने के अतिरिक्त, कम राशि के बीजक पर 9.60 करोड़ रुपये की ब्याज की हानि हुई जिसकी वसूली हि रा वि प से नहीं हो सकती है क्योंकि करारनामें में इसका प्राविधान नहीं था।

लेखा परीक्षा द्वारा बताये जाने पर परियोजना प्रबन्धन ने फरवरी 1998 में अप्रैल 1989 से सितम्बर 1997 की अवधि का पूरक बीजक निर्गत किया जिसकी वसूली आज तक प्रतीक्षित थी (सितम्बर 1998)।

उपसंहार

दोनों विद्युत गृहो का संचालन परिणाम मुख्य रूप से उत्पादन ह्रास/हानि से परिलक्षित रहा। यह उपलब्ध जल शक्ति का कम उपयोग, वार्षिक एवं भारी मरम्मत कार्य में अत्यधिक समय का लगना, बस बार हानियाँ आदि कारणों से रही। इसके अलावा सामुच्य उत्पादन लागत के विलम्ब से निर्धारण के कारण हिमाचल प्रदेश को निर्यातित बिजली पर निर्गत बीजकों पर हानि हुयी।

परिषद एवं विद्युत गृह के प्रबन्धन को अपने कार्य शैली में सुधार कर तकनीकी कमियों के कारण होने वाली हानियों को रोकने की आवश्यकता है। सामुच्य उत्पादन लागत के विलम्ब से निर्धारण के कारण होने वाले परिहार्य हानियों एवं अन्य कारणों को उपयुक्त अनुश्रवण, नियन्त्रण और द्रुत कार्यवाही द्वारा दूर किया जा सकता है।

इन तथ्यों से परिषद को फरवरी 1998 में और सरकार को जून 1998 में अवगत कराया गया, उनके उत्तर प्रतीक्षित थे (अक्टूबर 1998)।

अध्याय - III

अनुच्छेद–3 स
वितरण क्षेत्र, लखनऊ के कार्यकलाप

प्रस्तर	विवरण	पृष्ठ
	मुख्य अंश	**155**
1.	प्रस्तावना	156
2.	संगठनात्मक ढाँचा	157
3.	लेखापरीक्षा का क्षेत्र	157
4.	क्षेत्र के कार्यचालन परिणाम	157
5.1	दोषपूर्ण उपभोग स्वरूप	159
5.2	शीतगृहों के उपभोग स्वरूप में भिन्नता	160
6.	तन्त्र में कमियाँ	161
6.1.1	अतिशय वितरण हानियाँ	162
6.1.2	विद्युत शक्ति का कम लेखाकरण	163
6.2	कैपेसिटर बैंको का अपर्याप्त अधिष्ठापन	163
7.	वाणिज्यिक हानियाँ	164
7.1	विद्युत की चोरी पर बिलों का जारी न किया जाना	165
7.2	उपभोक्ताओं से अवप्रभारण	165
7.3	अल्प देयकीकरण	166
7.4	संशोधित दरसूची को लागू न करने के कारण अल्पप्रभारण	167
7.4.1	राज्य नलकूप	167
7.4.2	विश्व बैंक नलकूप	168
7.4.3	पम्पिंग सेट एवं शीतगृह	168

प्रस्तर	विवरण	पृष्ठ
7.5	हरिजन बस्तियाँ	169
7.6	अस्थाई विसंयोजित उपभोक्ताओं के प्रकरण में निर्धारण न किया जाना	169
7.7	विलम्बित भुगतान अधिभार का आरोपण न किया जाना	170
7.8	दोषयुक्त मीटरों के कारण राजस्व की हानि	170
7.8.1	बड़े और भारी विद्युत शक्ति उपभोक्ताओं के प्रकरण में अल्पप्रभारण	170
7.8.2	विश्व बैंक/इण्डो–डच नलकूपों का अल्पप्रभारण	172
8.	जाँच मीटरों को अन्तिम रूप देने में संदिग्ध हेराफेरी	173
9.	आरम्भिक प्रतिभूति की बिलकुल नहीं/कम वसूली	174
10.	बकायों का जमा होना	176
10.1	बकायों की तीव्र वृद्धि	177
10.2	बकायों का संचयन	178
10.3	वसूली प्रमाण पत्रों का जारी न किया जाना	179
11.1	परिषद की परिसम्पत्तियों की चोरी	180
11.2	बेकार हुई लाइनों को उखाड़े न जाने कारण लाइन सामग्री की चोरी	181
12.1	वितरण ट्रान्सफार्मरों की अतिशय क्षति	182
12.2	विद्युत ट्रान्सफार्मर की वापसी न होना	183
13.	निधियों को अवरोधित करने वाली अपूर्ण लाइनें और उपकेन्द्र	183
14.	खण्ड द्वारा बैंको की स्थानीय शाखाओं को किये गये प्रेषणों को परिषद के ब्रान्च रिसीट एकाउन्ट में न लाया जाना	184
15.	अन्य रोचक विषय	184
15.1	क्रय की गई विद्युत पर अतिरिक्त भुगतान	184
	उपसंहार	**185**

अनुच्छेद 3स

वितरण क्षेत्र, लखनऊ के कार्यकलाप

मुख्य अंश

लखनऊ वितरण क्षेत्र, उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद (परिषद) के तेरह क्षेत्रों में से एक है, जिसकी स्थापना विद्युत के वितरण एवं देयकीकरण की योजना और अनुश्रवण पर प्रभावी नियंत्रण किये जाने के दृष्टिकोण से की गई थी और जो एक मुख्य क्षेत्रीय अभियन्ता द्वारा शीर्षित है।

(प्रस्तर 3स.1)

मार्च 1998 तक के पाँच वर्षों के दौरान, क्षेत्र की राजस्व हानि, मुख्यतः अतिशय संप्रेषण हानियों, विद्युत प्रभारों के बिलकुल नहीं/अल्प निर्धारण एवं वितरण ट्रान्सफार्मरों की अतिशय क्षति के कारण, कुल 586.81 करोड़ रुपये की थी।

(प्रस्तर 3स.4)

केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण द्वारा निर्धारित 11.5 प्रतिशत वितरण हानियों के मानक के विरुद्ध, वास्तविक हानियाँ 16.89 और 20.95 प्रतिशत के मध्य श्रेणीबद्ध रहीं। 1997-98 तक के पाँच वर्षों की अवधि के दौरान, मानक से अधिक विद्युत हानि की मात्रा, 133.69 करोड़ रुपये के मूल्य की 906.362 एम यू आगणित की गई।

(प्रस्तर 3स.6.1.1)

कैपेसिटर बैंकों का अपेक्षित सीमा तक अधिष्ठापन न किया जाना, 2.67 करोड़ रुपये प्रति वर्ष के मूल्य की 15.107 एम यू की तन्त्र हानियों की बचत की हानि में परिणामित हुआ।

(प्रस्तर 3स.6.2)

मीटर रहित आपूर्ति/दोषयुक्त मीटरों आदि के कारण विद्युत अपभोग का गलत निर्धारण, 10.84

करोड़ रुपये की सीमा तक के राजस्व के अवप्रभारण में परिणामित हुआ।

(प्रस्तर 3स.7)

राजस्व बकाये 1993-94 में 120.55 करोड़ रुपये से 1997-98 में 315.75 करोड़ रुपये तक वृद्धिगत हो गये। क्षेत्रीय प्रबन्धन, वसूली की प्रक्रिया का तीव्रता से अनुश्रवण, नियोजन एवं प्रशासित करने में विफल हो गया और यहाँ तक कि भू-राजस्व के रूप में वसूली किये जाने हेतु 15.65 करोड़ रुपये की राशि के वसूली प्रमाण पत्र भी निर्गत नहीं कर पाया।

(प्रस्तर 3स.10 एवं 3स.10.3)

बेकार लाइनों को उखाड़ने हेतु तत्काल कार्यवाही किये जाने में असफलता के परिणामस्वरूप 0.33 करोड़ रुपये के मूल्य की लाइन सामग्रियों की चोरी हो गई।

(प्रस्तर 3स.11.2)

वितरण ट्रान्सफार्मरों की क्षति, परिषद द्वारा नियत एक वर्ष में 2 प्रतिशत के मानक से कहीं अधिक थी। 1993-94 से 1997-98 तक की अवधि के दौरान, इसका मूल्य 61.39 करोड़ रुपये आगणित किया गया।

(प्रस्तर 3स.12.1)

विद्युत क्रय समझौते के विरुद्ध, प्राप्ति के छोर पर कम आलेखित विद्युत से सम्बन्धित, 3.50 करोड़ रुपये का अतिरिक्त भुगतान किया गया।

(प्रस्तर 3स.15.2)

3स.1 प्रस्तावना

1987 की पुनर्गठन योजना के अन्तर्गत, उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद (परिषद) ने अपनी वितरण शाखा को तीन प्रक्षेत्रों (पूर्व, पश्चिम एवं केन्द्रीय) तथा तत्पश्चात प्रत्येक एक मुख्य क्षेत्रीय अभियन्ता द्वारा शीर्षित 13 क्षेत्रों में विभाजित किया। परिषद की वितरण शाखा का समग्र प्रबन्ध सदस्य (वितरण) के नियंत्रण में है। परिषद के विद्युत वितरण संजाल को संचालित करने के उत्तरदायित्व से

प्रदत्त 13 क्षेत्रों में से वितरण क्षेत्र, लखनऊ एक है। क्षेत्रों के कार्यों में मितव्ययिता एवं दक्षता लाने के लिये, मुख्य क्षेत्रीय अभियन्ता को निर्देशन, नियोजन, अनुश्रवण तथा परिषद की परिसम्पत्तियों एवं विद्युत की चोरी, राजस्व के निर्धारण एवं वसूली वितरण हानियों, संयंत्र एवं उपस्करों के रख रखाव एवं अनुरक्षण पर नियंत्रण, संपादन/सेवा सूचकांकों में सुधार तथा तन्त्र उननयन योजनाओं के निर्माण और क्रियान्वयन के उत्तरदायित्व से संपन्न किया गया था।

3स.2 संगठनात्मक ढाँचा

लखनऊ क्षेत्र, पाँच वितरण एवं एक निर्माण वृत, प्रत्येक एक अधीक्षण अभियन्ता से शीर्षित, में विभाजित है। इन्हें पुनः 16 विद्युत वितरण खण्डों (ई डी डी), 5 विद्युत परीक्षण खण्डों, 1 विद्युत द्वितीयक (सेकेन्डरी) निर्माण खण्ड एवं 1 विद्युत कार्यशाला खण्ड में विभाजित किया गया है। मुख्य क्षेत्रीय अभियन्ता, मुख्यालय पर दो अधीक्षण अभियन्तओं, एक वाणिज्यिक तथा दूसरा तकनीकी मामलों के लिये तथा लखनऊ स्थित एक उप मुख्य लेखाधिकारी द्वारा सहायित है।

3स.3 लेखापरीक्षा का क्षेत्र

जनवरी 1998 से जून 1998 के मध्य, 1993-94 से 1997-98 तक के पाँच वर्षों की अवधि को समाहित करते हुये, क्षेत्र के 23 खण्डों में से 16 खण्डों के अभिलेखों की जाँच परीक्षा की गई। जाँच परीक्षण के परिणाम अनुवर्ती प्रस्तरों में व्यवस्थित किये गये हैं।

3स.4 क्षेत्र के कार्य चालन परिणाम

31 मार्च 1998 तक के पिछले पाँच वर्षों के, क्षेत्र के कार्यचालन परिणाम निम्न सारणी में वर्णित हैं:

क्रम संख्या	विवरण	1993-94	1994-95	1995-96	1996-97	1997-98 (अनन्तिम)
i	प्राप्त विद्युत (मिलियन इकाईयों में)	2214.853	2417.398	2470.878	2497.508	2452.758

क्रम संख्या	विवरण	1993-94	1994-95	1995-96	1996-97	1997-98 (अनन्तिम)
ii	विक्रीत विद्युत (मिलियन इकाइयों में)	1840.575	1992.156	1984.000	1974.214	1969.949
iii	वितरण में विद्युत हानि (मिलियन इकाइयों में)	374.278	425.242	486.878	523.294	482.809
iv	विक्रीत विद्युत का कुल मूल्य* (करोड़ रुपये में)	307.37	342.65	416.64	430.38	470.82
v	निर्धारित राजस्व (करोड़ रुपये में)	203.84	247.23	278.31	284.20	367.47
vi	कुल हानि (करोड़ रुपये में)	103.53	95.42	138.33	146.18	103.35
vii	प्रति के डब्ल्यू एच विद्युत का मूल्य (करोड़ रुपये में)	1.67	1.72	2.10	2.18	2.39
viii	प्रति के डब्ल्यू एच राजस्व (करोड़ रुपये में)	1.11	1.24	1.40	1.44	1.87
ix	प्रति के डब्ल्यू एच हानि (करोड़ रुपये में)	0.56	0.48	0.70	0.74	0.52

उपरोक्त से यह दृष्टिगत होगा कि क्षेत्र, उपभोक्ताओं से विद्युत मूल्य की ही वसूली नहीं कर सका और इन पॉच वर्षों के दौरान हानि 95.42 करोड़ रुपये और 146.18 करोड़ रुपये के मध्य श्रेणीबद्ध रही तथा पाँच वर्षों के दौरान कुल हानि 586.81 करोड़ रुपये की थी।

* विद्युत का उत्पादन, क्रय, पारेषण एवं वितरण व्यय सम्मिलित है।

हानि के मुख्य कारण, जैसा कि लेखा परीक्षण में विश्लेषित किये गये और अनुवर्ती प्रस्तरों में चर्चित किये गये, थेः

(i) अतिशय वितरण हानियाँ जिससे बिक्री हेतु विद्युत की उपलब्धता निम्न हो गई;

(प्रस्तर 3स.6.1)

(ii) भारी वाणिज्यिक हानियाँ; एवं

(प्रस्तर 3स.7)

(iii) वितरण ट्रान्सफार्मरों की अतिशय क्षति जिससे वितरण की लागत उच्च हो गई।

(प्रस्तर 3स.12.1)

3स.5.1 दोषपूर्ण उपभोग स्वरूप

छोटे और मध्यम तथा बड़े एवं भारी विद्युत उपभोक्ताओं के सम्बन्ध में, जैसा कि बिना मीटर की आपूर्ति के प्रकरण में लागू होता है, 16 घण्टे की आपूर्ति और 0.50 तथा 0.75 भार उपभोग कारक को मानते हुये, उपभोक्ताओं की इन श्रेणियों के लिये प्रतिदिन/के डब्ल्यू एच उपभोग क्रमशः 8 के डब्ल्यू एच एवं 12 के डब्ल्यू एच होना चाहिये। लेखापरीक्षण में एक विश्लेषण ने प्रगट किया कि (i) 1994-95 से 1997-98 के दौरान प्रतिदिन/के डब्ल्यू एच उपभोग जो छोटे और मध्यम औद्योगिक उपभोक्ताओं के प्रकरण में 1.9 और 2.2 के डब्ल्यू एच तथा बड़े एवं भारी उपभोक्ताओं के प्रकरण में 4.8 और 6.4 के डब्ल्यू एच के मध्य श्रेणीबद्ध रहा, कम था; (ii) 3.5 और 13.7 के डब्ल्यू एच के मध्य श्रेणीबद्ध सरकारी उपभोग की तुलना में गैर सरकारी उपभोक्ताओं के प्रकरण में उपभोग 1.9 और 6.4 के डब्ल्यू एच की निम्न श्रेणी में था तथा (iii) 1993-94 से 1997-98 की अवधि के दौरान लघु उद्योगों और बडे एवं भारी उद्योगों में प्रति दिन प्रति के डब्ल्यू संयोजित भार का औसत विद्युत उपभोग क्रमशः 2.0 से 1.9 तथा 6.4 से 5.1 तक गिर गया।

तथापि, जाँच परीक्षण में देखे गये, बड़े एवं भारी विद्युत उपभोक्ताओं द्वारा उपभोग में तीव्र गिरावट के प्रकरणों की जाँच खण्डीय अधिकारियों द्वारा नहीं की गई जैसा कि अगले पृष्ठ पर विस्तारित किया गया है :

(i) विद्युत वितरण खण्ड बाराबंकी में, मेसर्स सोमैया आर्गनिक्स लिमिटेड से सम्बन्धित उपभोग, 1995-96 में 57.30 लाख इकाईयों से 1997-98 में 33.06 लाख इकाईयों तक गिर गया। उपभोग में गिरावट नवम्बर 1996 से आरम्भ हो गई जब 15 माह पूर्व जाँच मीटर के रूप में लगाये गये विद्यमान मीटर को दोषपूर्ण होने के बहाने से प्रतिस्थापित कर दिया गया था। उपभोग में गिरावट के कारणों का पता लगाने अथवा प्रतिस्थापित मीटर की शुद्धता की जाँच करने हेतु कोई कार्यवाही नहीं की गई।

(ii) विद्युत वितरण खण्ड-II, फैजाबाद में मेसर्स जे.आर. ऐग्रो का उपभोग जो 1993-94 से 1996-97 के दौरान 13.19 लाख और 14.7 लाख इकाईयों के मध्य श्रेणीबद्ध रहा, 1997-98 के दौरान 9.55 लाख इकाईयों तक गिर गया। उपभोक्ता के परिसर की जाँच के दौरान, मुख्य अभियन्ता (केन्द्रीय प्रक्षेत्र) ने, उस चौखट के, जिस पर मीटर जड़ा हुआ था, पृष्ठ पार्श्व में एक छेद पाया। इसके बावजूद भी, विद्युत चोरी का पता लगाने के लिये कोई जाँच नहीं की गई।

(iii) विद्युत वितरण खण्ड जगदीशपुर में जगदीशपुर सीमेन्ट इण्डस्ट्रीज़ के प्रकरण में उपभोग में 1990-91 में 9.68 लाख इकाईयों से 1995-96 में 1.17 लाख इकाईयों तक की क्रमिक गिरावट थी। उपभोग में गिरावट के कारणों का पता नहीं लगाया गया।

बिना किसी प्रत्यक्ष कारण के उपभोग में गिरावट को देखते हुये, उपभोक्ताओं द्वारा विद्युत चोरी की सम्भावना को नकारा नहीं जा सकता।

3स.5.2 शीतगृहों के उपभोग स्वरूप में भिन्नता

परिषद द्वारा निर्धारित (फरवरी 1997) मानक के अनुसार, 15 फरवरी से 30 नवम्बर के दौरान शीतगृहों में विद्युत का उपभोग 12 के डब्ल्यू एच प्रति क्विंटल अथवा 9.6 के डब्ल्यू एच प्रति बोरा प्रति मौसम होना चाहिये।

अगले पृष्ठ पर सारणी विद्युत वितरण खण्ड सीतापुर, विद्युत वितरण खण्ड-II लखीमपुर, विद्युत वितरण खण्ड गोण्डा तथा विद्युत वितरण खण्ड-II फैजाबाद में शीतगृहों द्वारा प्रत्येक के सम्मुख इंगित अवधि के दौरान विद्युत के उपभोग तथा उपभोग में कमी को प्रदर्शित करती है:

(लाख के डब्ल्यू एच में)

क्रम संख्या	खण्ड	शीत गृहों की संख्या	भण्डारण क्षमता	उपभोग की अवधि	मानक के अनुसार उपभोग	वास्तविक उपभोग	उपभोग में कमी
1.	विद्युत वितरण खण्ड सीतापुर	4	134000 बोरे	फरवरी 1997 से नवम्बर 1997 (1 मौसम)	12.86	4.80	8.06
2.	विद्युत वितरण खण्ड–I लखीमपुर	1	40000 क्विंटल	फरवरी 1996 से नवम्बर 1997 (2 मौसम)	9.60	2.86	6.74
3.	विद्युत वितरण खण्ड गोण्डा	3	55000 क्विंटल	फरवरी 1996 से नवम्बर 1997 (1 शीतगृह 2 मौसम तथा 2 शीतगृह 1 मौसम)	9.00	4.87	4.13
4.	विद्युत वितरण खण्ड–II फैजाबाद	4	261000 बोरे	फरवरी 1995 से नवम्बर 1997 (3 मौसम)	75.17	40.93	34.24
	योग				**106.63**	**53.46**	**53.17**

चार खण्डों से सम्बन्धित उपभोग में 138.24 लाख रुपये पर मूल्यांकित 53.17 लाख के डब्ल्यू एच इकाईयों की कमी के कारणों की जाँच नहीं की गई।

3स.6 तन्त्र में कमियाँ

वितरण क्षेत्र, लखनऊ के पास 690758 उपभोक्ताओं का पोषण करने हेतु 1531.74 एम वी ए का संयोजित भार है और आपूर्ति 1729.78 एम वी ए की क्षमता के 42973 वितरण ट्रान्सफार्मरों के माध्यम से की जाती है। विद्युत का पारेषण, 132/220 के वी के 22 उपकेन्द्रों (क्षमता 762.50 एम वी ए) से 33 के वी के 173 उपकेन्द्रों (क्षमता 782.55 एम वी ए) को किया जाता है। अतः, क्षेत्र की 1531.74 एम वी ए की माँग के विरुद्ध, 132/220 के वी उपकेन्द्रों की पारेषण क्षमता मात्र 762.50 एम वी ए थी जो तन्त्र पर अतिरिक्त भार का सूचक है। यह, ट्रान्सफार्मरों की क्षति की उच्च दर तथा उच्च लाइन

हानियों में परिणामित हुआ। तथापि, उपभोक्ताओं की माँग की पूर्ति करने हेतु 132 के वी उपकेन्द्रों के भार में वृद्धि करने और भारी विद्युत उपभोक्ताओं से, 33 के वी और 11 के वी उपकेन्द्रों पर दबाव कम करने से बचने के लिये 132 के वी और 220 के वी वोल्टेज पर आपूर्ति लेने के लिये आग्रह करने हेतु कोई प्रभावी कदम नहीं उठाये गये।

3स.6.1.1 अतिशय वितरण हानियाँ

वितरण हानियों को मानक सीमा के अन्दर रखे जाने में विफल होने के फलस्वरूप, मार्च 1998 के अन्त तक के पाँच वर्षों के दौरान 133.69 करोड़ रुपये पर मूल्यांकित 906.362 एम यू विद्युत की अतिशय हानि हुई।

वितरण हानियों में, बिक्री के लिये उपलब्ध विद्युत एवं विद्युत की वास्तविक बिक्री के मध्य अन्तर होने के नाते, तन्त्र में अपव्यय हुई तकनीकी हानियों तथा चोरी, अवैध निष्कर्षण एवं दोषपूर्ण मीटरिंग स्वरूप के कारण वाणिज्यिक हानियाँ सम्मिलित होती हैं। प्रबन्धन ने, सुधारात्मक कार्यवाही हेतु उच्च हानि के क्षेत्रों की पहचान करने के लिये फीडर वार विद्युत लेखे तैयार नहीं किये जैसा कि विद्युत की तकनीकी समिति द्वारा अनुमोदित (1972) किया गया था।

जुलाई 1991 में, केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण (सी ई ए) ने अनुमोदित किया कि उप पारेषण एवं वितरण हानियाँ 11.5 प्रतिशत से अधिक नहीं होनी चाहियें। इन मानकों के विरुद्ध, क्षेत्रीय वितरण हानियाँ मार्च 1988 तक के पाँच वर्षों की अवधि के दौरान 16.89 और 20.95 प्रतिशत के मध्य श्रेणीबद्ध रहीं। मानक से अधिक चोरी हुई विद्युत की मात्रा, 1997-98 के अन्त तक के पाँच वर्षों की अवधि के दौरान 133.69 करोड़ रुपये पर मूल्यांकित 906.362 एम यू आगणित की गई।

लेखा परीक्षण द्वारा किये गये एक विश्लेषण ने प्रगट किया कि क्षेत्र के 16 खण्डों में से केवल 4 खण्डों जैसे विद्युत वितरण खण्ड अम्बेदकर नगर, विद्युत वितरण खण्ड बाराबंकी, विद्युत वितरण खण्ड-I रायबरेली तथा विद्युत वितरण खण्ड सीतापुर में मार्च 1998 तक के पाँच वर्षों के दौरान वितरण हानियाँ, जो 13.48 से 45.27 प्रतिशत तक श्रेणीबद्ध थीं, 67.27 करोड़ रुपये पर मूल्यांकित कुल 452.595 एम यू की थीं और कुल अतिरिक्त हानि के 50 प्रतिशत को प्रतिनिधानित करती थीं।

वितरण हानियों की उच्च आपाती स्थिति के बावजूद, क्षेत्रीय प्राधिकारियों द्वारा उपचारी उपाय करने के लिये उन फीडरों की पहचान करने हेतु जहाँ हानियाँ अत्यधिक थीं, कोई कदम नहीं उठाये गये।

3स.6.1.2 विद्युत शक्ति का कम लेखाकरण

6 जून 1996 से 11 के वी आपूर्ति वोल्टेज पर 825 के वी ए के संविदागत भार वाले एग्रो पल्प पेपर्स लिमिटेड को, 33 के वी उपकेन्द्र औद्योगिक क्षेत्र, जगदीशपुर से निकलने वाले स्वतन्त्र फीडर के माध्यम से पोषित किया गया था। फीडर के आरम्भ में लगा हुआ के डब्ल्यू एच मीटर दोषयुक्त पड़ा हुआ था। तथापि, उपभोक्ता के फीडर को पोषित ऐम्पियर आवर भार को आधार मानते हुये अक्टूबर 1997 से फरवरी 1998 के दौरान 33 के वी उपकेन्द्र की लौग शीट में प्रविष्टियों पर आधारित विद्युत उपभोग 665149 के डब्ल्यू एच आगणित किया गया जिसके विरुद्ध उपभोक्ता के छोर पर मात्र 382561 के डब्ल्यू एच अभिलेखित किये गये। इसके फलस्वरूप 282588 के डब्ल्यू एच का कम लेखाकरण तथा 10.68 लाख रुपये के राजस्व की परिणामी हानि हुई।

3स.6.2 कैपेसिटर बैंकों का अपर्याप्त अधिष्ठापन

अपेक्षित सीमा तक के कैपेसिटर बैंको का अधिष्ठापन न किये जाने के फलस्वरुप प्रतिवर्ष 2.67 करोड़ रुपये पर मूल्यांकित 15.107 एम यू की तन्त्र हानियाँ हुई।

विद्युत कारक को उन्नत करने, तन्त्र की भार वहन क्षमता में वृद्धि करने एवं तकनीकी हानियों को कम करने के लिये कैपेसिटर बैंकों को भार प्रेषण एवं उपभोक्ता के अधिष्ठापन दोनों पर अधिष्ठापित किया जाता है। अधिष्ठापन एवं कैपेसिटर बैंको का उचित अनुरक्षण सुनिश्चित करने के लिये, मई 1991 में परिषद ने सभी मुख्य क्षेत्रीय अभियन्ताओं को विस्तृत निर्देश जारी किये थे जिसमें उचित श्रेणी के कैपेसिटर बैंको के अधिष्ठापन की आवश्यकता पर बल दिया गया था क्योंकि यह विद्युत कारक को 0.7 से 0.9 तक उन्नत करेगा, ट्रान्सफार्मरों की भार वहन क्षमता को 28 प्रतिशत तक वृद्धिगत करेगा, लाइन हानियों को 40 प्रतिशत तक कम करेगा तथा तन्त्र के वोल्टेज में भी सुधार करेगा।

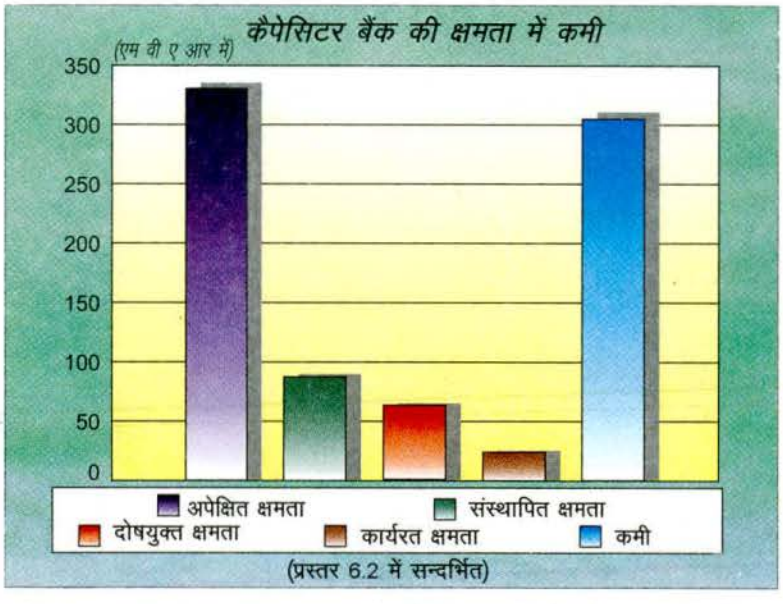

(प्रस्तर 6.2 में सन्दर्भित)

परिषद ने पुनः निर्धारित किया कि प्रत्येक 2.4 एम वी ए आर क्षमता के कैपेसिटर बैंको के 10 सेटों के अधिष्ठापन के फलस्वरूप 1.19 एम यू विद्युत की बचत होगी।

लेखा परीक्षण में देखा गया (मार्च 1998) कि कैपेसिटर बैंक या तो अधिष्ठापित नहीं किये गये थे अथवा जहाँ अधिष्ठपित थे, क्षतिग्रस्त पड़े थे जिसके परिणामस्वरूप अपेक्षित क्षमता में कमी हुई जैसा कि निम्न सारणी में विस्तारित किया गया है:

वृत का नाम	पूर्ण परिवर्तन की क्षमता	अपेक्षित	अधिष्ठा–पित	दोषपूर्ण	कार्यशील	कमी
	(एम वी ए मे)	कैपेसिटर बैंको की क्षमता (एम वी ए आर में)				
वि वि मण्डल रायबरेली	209.100	87.822	27.600	25.500	2.100	85.722
वि वि मण्डल सीतापुर	187.250	78.645	26.790	15.990	10.800	67.845
वि वि मण्डल फैजाबाद	139.000	58.380	12.600	9.300	3.300	55.080
वि वि मण्डल सुल्तानपुर	143.500	60.270	13.789	8.000	5.789	54.481
वि वि मण्डल गोण्डा	103.700	43.554	6.638	4.635	2.003	41.551
योग	**782.550**	**328.671**	**87.417**	**63.425**	**23.992**	**304.679**

अतः, 328.671 एम वी ए आर की अपेक्षित क्षमता के विरुद्ध अधिष्ठपित क्षमता 87.417 एम वी ए आर थी जो 26.60 प्रतिशत आगणित हुई। कैपेसिटर बैंको की दोषपूर्ण क्षमता 63.425 एम वी ए आर थी अर्थात अधिष्ठापित क्षमता का 72.55 प्रतिशत। 23.992 एम वी ए आर की कार्यशील क्षमता अपेक्षित क्षमता की 7.30 प्रतिशत थी। तन्त्र प्रतिपूरण में कमी 304.679 एम वी ए आर आगणित की गई जिसके परिणामस्वरूप 2.67 करोड़ रुपये पर मूल्यांकित 15.107 एम यू की तन्त्र हानियों में बचत की हानि हुई।

3स.7 वाणिज्यिक हानियाँ

दोषपूर्ण मीटर लगाने, विद्युत की तस्करी अथवा चोरी आदि के कारण, निर्धारण योग्य विद्युत का एक महत्वपूर्ण भाग अनभिलेखित रह जाता है और परिषद की हानि में परिणामित होता है। उच्च शुद्धता

क्षेत्र, जनवरी 1992 से मई 1998 की अवधि के दौरान कुल 10.84 करोड़ रुपये की वाणिज्यिक हानियों को कम करने में असफल रहा।

के मीटरों का अधिष्ठापन, इनकी आवधिक जाँच एवं परीक्षण, सही निर्धारण बिलों को जारी करना तथा बिलों का सभी प्रकरणों में जारी किये जाने से वाणिज्यिक हानियों को काफी हद तक कम किया जा सकता है।

तथापि, क्षेत्र वाणिज्यिक हानियों को कम करने में सक्षम नहीं था। जाँच परीक्षित प्रकरणों में ही ऐसी हानियों की मात्रा कुल 10.82 करोड़ रुपये की थी जैसा कि अनुवर्ती प्रस्तरों में चर्चा की गई है।

3स.7.1 विद्युत की चोरी पर बिलों का जारी न किया जाना

परिषद ने दिसम्बर 1993 में क्षेत्रीय अधिकारियों को निर्देश दिये कि छापों के दौरान पकड़े गये विद्युत की चोरी के प्रकरणों में पुलिस के पास प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराने के साथ-साथ विद्युत की चोरी के लिये राजस्व निर्धारण किया जाय और भुगतान किये जाने में दोषी होने के प्रकरण में धनराशि की वसूली यू पी गवर्नमेन्ट इलेक्ट्रिकल अण्डरटेकिंग (डयूज़ रिकवरी) ऐक्ट, 1958 के अन्तर्गत की जानी चाहिये।

विद्युत वितरण खण्ड हरदोई, जगदीशपुर और गोण्डा के अभिलेखों के जाँच परीक्षण ने प्रगट किया कि छापों के दौरान पकड़ी गई 129 चोरियों में 10.94 लाख रुपये का निर्धारण नहीं किया गया।

3स.7.2 उपभोक्ताओं से अवप्रभारण

(क) माल्विका स्टील, जगदीशपुर, निर्माण विद्युत हेतु अस्थायी भार की स्वीकृति के विरुद्ध दिसम्बर 1993 से 1500 के वी ए का भार आहरित कर रहा था। अक्टूबर 1994 से उपभोग का स्वरूप पूर्व अवधि में (दिसम्बर 1993 से जुलाई 1994 तक) जब यह 0.09 से 0.27 लाख के डब्ल्यू एच प्रतिमाह तक श्रेणीबद्ध थी, की तुलना में जब यह 2.97 लाख (नवम्बर 1994) से 4.98 लाख (अप्रैल 1995) के डब्ल्यू एच प्रति माह तक श्रेणीबद्ध रही, इंगित करती थी कि वाणिज्यिक उत्पादन अक्टूबर 1994 में आरम्भ हो चुका था। ऐसे में उचित दर अनुसूची (एच वी-I) के अन्तर्गत अस्थाई संयोजन के रूप में उपभोक्ता की बिलिंग अक्टूबर 1994 से आरम्भ हो जाना चाहिये था। तथापि, उचित दर सूची पर उपभोक्ता की बिलिंग जून 1995 से आरम्भ की गई जब उपभोक्ता ने उसी माह संशोधित समझौता निष्पादित करने के पश्चात अपने अस्थाई संयोजन को स्थाई में परिवर्तित कराया।

अतः सही दरसूची पर उपभोक्ता की बिलिंग करने में खण्डीय अधिकारी की असफलता से अक्टूबर 1994 से मई 1995 के दौरान 15.45 लाख रुपये का अवप्रभारण हुआ।

(ख) 1500 के वी ए के भार के अतिरिक्त, माल्विका स्टील, जगदीशपुर को परिषद की जनवरी 1994 की स्वीकृति पर अक्टूबर 1995 में 5000 के वी ए का एक भार उसी फीडर से निर्मुक्त किया गया जबकि परिषद के नियम के अनुसार उपभोक्ता को उसी परिसर में तथा उसी फीडर से दो संयोजनों की स्वीकृति नहीं देते हैं। पुनः, यद्यपि उपभोक्ता को निर्मुक्त किये गये 6500 के वी ए के समस्त भार की स्वीकृति, परिषद द्वारा अप्रैल 1995 में संरक्षणात्मक भार* के रूप में दी गई थी। तथापि, खंडीय अधिकारी ने केवल 1500 के वी ए का संरक्षणात्मक भार का समझौता प्रतिपादित (जून 1995) किया। इस दृष्टिकोण से कि जब उपभोक्ता ने समस्त भार के लिये (क्योंकि 1500 और 5000 के वी ए के दोनों संयोजन एक ही फीडर से थे) संरक्षणात्मक भार की सुविधा का उपभोग किया, उपभोक्ता पर केवल 1500 के वी ए के लिये ही संरक्षणात्मक भार के प्रभारों की बिलिंग की गई। इससे नवम्बर 1995 से दिसम्बर 1997 के दौरान (जब उपभोक्ता का संयोजन विच्छेदित किया गया) 1.84 करोड़ रुपये का अवप्रभारण हुआ।

(ग) परिषद द्वारा भारों की स्वीकृति में, 1500 के वी ए एवं 5000 के वी ए के दोनों भारों के लिये लागू दरसूची के रूप में एच वी.I दर अनुसूची के उल्लेख के बावजूद खण्ड बिना किसी आधार के दर अनुसूची एच वी.II के अन्तर्गत बिलों को जारी करता रहा। अतः, गलत दर सूची के लागू किये जाने से जून 1995 से अप्रैल 1998 के दौरान 2.16 करोड़ रुपये के राजस्व का अवप्रभारण हुआ।

3स.7.3 अल्प देयकीकरण

लेखा परीक्षण में जाँच परीक्षित खण्डों के अभिलेखों की संवीक्षा ने मार्च 1994 से मई 1998 के दौरान 10 विद्युत वितरण खण्डों में 86 उपभोक्ताओं के प्रकरण में 133.87 लाख रुपये के अल्प/अवदेयकीकरण को प्रगट किया जैसा कि संलग्नक 11 में विस्तारित किया गया है।

---

* संरक्षणात्मक भार, निरंतर उपक्रम उपभोक्ताओं को 100 प्रतिशत मांग प्रभार प्रति माह की दर पर अतिरिक्त प्रभार सहित स्वतन्त्र फीडर से आपूर्ति प्राप्त करने की, विशेष परिस्थितियों में दी गई सुविधा है। संरक्षणात्मक भार, आकस्मिक रोस्टरिंग के आधीन नही है तथा प्रकाश और पंखे एवं पेयजल प्रयोजन हेतु उपयोग किया जा सकता है।

लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किये जाने पर (जनवरी से जून 1998), 98.67 लाख रुपये के उपभोक्ताओं के बिल (संलग्नक 11 की क्रम संख्या 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 12, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 24 एवं 26 पर संदर्भित 17 प्रकरणों में) संबन्धित खण्डीय अधिकारियों द्वारा जारी किये गये, तथापि उनकी वसूली प्रतीक्षित थी (अक्टूबर 1998)।

3स.7.4 संशोधित दर सूची के लागू न किये जाने के कारण अल्पप्रभारण

3स.7.4.1 राज्य नलकूप

3 जनवरी 1997 से दर सूची के संशोधन के साथ, दर अनुसूची एल एम वी-8 के अन्तर्गत राज्य नलकूपों की प्रभार दर को 192 रुपये प्रति बी एच पी से 230 रुपये प्रति बी एच पी तक बढ़ा दिया गया था।

दो विद्युत वितरण खण्डों यथा वि वि ख, जगदीशपुर एवं वि वि ख-II, फैजाबाद में राज्य नलकूपों की बिलिंग से सम्बन्धित अभिलेखों की संवीक्षा (मई/जून 1998) ने प्रगट किया कि जनवरी, फरवरी एवं मार्च 1997 के बिलों को अनन्तिम दरों पर जारी किया गया था। इसके फलस्वरूप निम्न तालिका के अनुसार 11.05 लाख रुपये (वि वि ख, जगदीशपुर 4.16 लाख रुपये तथा वि वि ख-II, फैजाबाद 6.89 लाख रुपये) का अल्पप्रभारण हुआ।

(लाख रुपये में)

			विद्युत प्रभार		
क्रम संख्या	**खण्ड**	**संयोजित भार (बी एच पी)**	**प्रभारण योग्य**	**प्रभारित**	**अल्पप्रभारण**
1.	वि वि ख जगदीशपुर	3727.5	25.63	21.47	4.16
2.	वि वि ख–II फैजाबाद	5752.5	41.68	34.79	6.89
	योग				**11.05**

लेखा परीक्षा द्वारा इंगित किये जाने पर (अप्रैल 1998), वि वि ख-II, फैजाबाद ने मई 1998 में बिल जारी किये, जिनकी वसूली प्रतीक्षित थी (अक्टूबर 1998)।

3स.7.4.2 विश्व बैंक नलकूप

जनवरी 1997 से दरसूची के संशोधन के परिणामस्वरूप, अब तक उपभोग एवं माँग के आधार पर दर अनुसूची एच वी-4 के अन्तर्गत बिल किये गये विश्व बैंक नलकूपों को 440 रुपये प्रति बी एच पी के निश्चित प्रभार पर दर अनुसूची एल एम वी-8 के अन्तर्गत लाये गये थे।

तथापि, वि वि ख, जगदीशपुर जुलाई 1997 तक विश्व बैंक नलकूपों की बिलिंग दर अनुसूची एच वी-4 के अन्तर्गत करता रहा। पुनः, अगस्त 1997 से मई 1998 तक के बिलों को बिलकुल भी जारी नहीं किया गया। इसके परिणामस्वरूप 65.62 लाख रुपये की बिलिंग नहीं हुई और अल्पप्रभारण हुआ जैसा कि निम्न सारणी में प्रदर्शित किया गया है:

(लाख रुपये में)

			विद्युत प्रभार		
क्रम संख्या	समूह	अवधि	प्रभारणीय	प्रभारित	अल्पप्रभारित/ अप्रभारित
1.	अमेठी	जनवरी 1997 से जुलाई 1997	40.03	22.52	17.51
		अप्रैल–मई 1998	11.44	——	11.44
2.	रामगंज	जनवरी 1997 से जुलाई 1997	19.66	11.08	8.58
		अगस्त 1997 से मई 1998	28.09	——	28.09
	योग		**99.22**	**33.60**	**65.62**

3स.7.4.3 पम्पिंग सेट एवं शीतगृह

(i) 16 जुलाई 1994 से, ग्रामीण आपूर्ति अनुसूची से अलग आपूर्ति प्राप्त करते हुये पम्पिंग सेटों पर दर अनुसूची एल एम वी-6 लागू होती है। वि वि ख-I, फैजाबाद के अभिलेखों की संवीक्षा ने प्रगट किया कि शहरी फीडर से आपूर्ति प्राप्त करने वाले 279 पम्पिंग सेट उपभोक्ताओं के बिल, दर अनुसूची एल एम वी-6 के बजाय दर अनुसूची एल एम वी-5 के अन्तर्गत जारी किये

गये जिसका परिणाम यह हुआ कि उपभोक्ताओं से अगस्त 1994 से मार्च 1998 के दौरान 19.84 लाख रुपये की सीमा तक का अल्पप्रभारण हुआ।

(ii) शीतगृह उपभोक्ताओं के बिल निरंतर प्रक्रम के लिये लागू दरसूची के अन्तर्गत जारी किये जाते हैं क्योंकि वे शीर्ष समय के प्रतिबंध से मुक्त रहते हैं। तथापि, ऐसे उपभोक्ताओं के बिल अनिरंतर प्रक्रम को लागू दरों पर जारी किये जाने होते हैं, यदि ये ग्रामीण फीडरों पर संयोजित हों जैसा कि दर अनुसूची एल एम वी-6 के नोट (बी) (iv) तथा दर अनुसूची एच वी-2 के सदृश नोट में व्यवस्था थी। वि वि ख, गोण्डा के अभिलेखों की संवीक्षा ने प्रगट किया कि तीन शीतगृहों के बिल यद्यपि वे शहरी फीडरों से आपूर्ति प्राप्त कर रहे थे, निरंतर प्रक्रम के स्थान पर अनिरंतर प्रक्रम को लागू दरों पर जारी किये गये जिसके परिणास्वरूप अप्रैल 1995 से जनवरी 1998 के दौरान 3.79 लाख रुपये का अल्पप्रभारण हुआ।

3स.7.5 हरिजन बस्तियाँ

विद्युतीकृत ग्रामों तथा हरिजन बस्तियों से सम्बन्धित बिल, निदेशक, पंचायत राज के विरुद्ध केन्द्रीय रूप से, प्रत्येक ग्राम के लिये 40 वाट के 10 मार्ग प्रकाश बिन्दुओं तथा प्रत्येक हरिजन बस्ती के लिये 2 प्रकाश बिन्दुओं के आधार पर मुख्य अभियन्ता (वाणिज्यिक), लखनऊ द्वारा जारी किये जाते हैं। इस व्यवस्था का विकेन्द्रीकरण मार्च 1990 में कर दिया गया जब यह निर्णय लिया गया कि विद्युतीकृत ग्रामों और हरिजन बस्तियों से सम्बन्धित सभी बकायों की वसूली खण्डीय स्तर पर सम्बन्धित ग्राम प्रधानों से की जानी चाहिये। दोषी ग्रामों एवं बस्तियों को विद्युत सुविधा प्रदान नहीं की जानी चाहिये।

विद्युत वितरण खण्ड-I, रायबरेली के अभिलेखों के जाँच परीक्षण ने प्रगट किया कि संशोधित प्रक्रिया का क्रियान्वयन नहीं किया गया था जिसका परिणाम यह हुआ कि अप्रैल 1990 से दिसम्बर 1997 की अवधि के 186.05 लाख रुपये की सीमा तक के (19.97 लाख रुपये के विद्युत शुल्क सहित) बिल जारी नहीं किये गये (अक्टूबर 1998)।

3स.7.6 अस्थाई विसंयोजित उपभोक्ताओं के प्रकरण में निर्धारण न किया जाना

विद्युत आपूर्ति (उपभोक्ता) विनियम, 1984 की धारा 17 (III) में व्यवस्था है कि यदि किसी उपभोक्ता का संयोजन विद्युत देयों के भुगतान करने में दोषी होने पर विसंयोजित किया जाता है और उपभोक्ता अपना संयोजन छः माह के अन्दर पुनर्संयोजित कराने में असफल रहता है, आपूर्तिकर्ता द्वारा

उपभोक्ता को अपना संयोजन पुनर्संयोजित कराने के लिये एक माह का नोटिस देना चाहिये जिसमें विफल होने पर सेवा को स्थाई रूप से विसंयोजित किया जा सकता था।

लेखा परीक्षण में अभिलेखों के जाँच परीक्षण ने प्रगट किया (जून 1998) कि 1700 के वी ए के भार वाले मेसर्स अमेठी टेक्सटाइल्स लिमिटेड, जगदीशपुर का संयोजन, भुगतान में दोषी होने के कारण 5 जुलाई 1997 को विसंयोजित कर दिया गया। उपभोक्ता ने छः माह में संयोजन संयोजित नहीं कराया। ऐसे में उपभोक्ता को स्थाई रूप से विसंयोजित घोषित किया जाना चाहिये था और जुलाई 1998 तक (अर्थात छः माह) बिल जारी किया जाना चाहिये था जो नहीं किया गया। इसके परिणामस्वरूप, 28.05 लाख रुपये का बिल जारी नहीं किया गया।

3स.7.7 विलम्बित भुगतान अधिभार का आरोपण न किया जाना

दर अनुसूची एच वी-2 सपठित अप्रैल 1981 के परिषद आदेश के अनुसार स्थाई रूप से विसंयोजित उपभोक्ताओं के प्रकरण में उस अवधि के बिल की राशि पर जिसका भुगतान उपभोक्ता द्वारा विलम्बित किया गया, 7 पैसे प्रति सौ रुपये प्रति दिन की दर पर वास्तविक भुगतान की तिथि तक विलम्बित भुगतान अधिभार आरोपणीय होता है।

लेखा परीक्षण में अभिलेखों के जाँच परीक्षण ने प्रगट किया (मार्च 1998) कि वि वि ख रायबरेली के एक उपभोक्ता (राजेन्द्र पेपर मिल) और वि वि ख हरदोई के दो उपभोक्ताओं के प्रकरण में (सहकारी वनस्पति मिल तथा यू पी मेटल इण्डस्ट्रीज), 19 से 23 महीनों तक श्रेणीबद्ध अवधि हेतु भुगतान में विलम्ब के लिये 32.69 लाख रुपये का विलम्बित भुगतान अधिभार का आरोपण नहीं किया गया।

3स.7.8 दोषयुक्त मीटरों के कारण राजस्व की हानि

गलत उपभोग के बावजूद मीटरों का दोषपूर्ण घोषित न किया जाना/देर से किया जाना जिससे गलत निर्धारण एवं परिणामी अल्पप्रभारण हुआ, निम्न प्रकरणों में देखे गये:

3स.7.8.1 बड़े और भारी विद्युत शक्ति उपभोक्ताओं के प्रकरण में अल्पप्रभारण

(i) 3 नवम्बर 1992 को मीटर पाठ्यांकन विवरणी पर अभिलेखित टिप्पणी के अनुसार, मेसर्स इण्डियन टेलीफोन इण्डस्ट्रीज, स्ट्राउजर इकाई, रायबरेली के प्रकरण में के डब्ल्यू एच मीटर

धीमा प्रतीत होता था और मीटर को जाँच के लिये संस्तुत किया गया था। चूँकि औसत विद्युत कारक 0.55 था, उपभोक्ता ने स्वयं अपने विचार अभिलेखित किये थे कि मीटर दोषयुक्त प्रतीत होता था। वि वि ख-I, रायबरेली ने न तो मीटर की जाँच की व्यवस्था की और न ही उसका प्रतिस्थापन किया और फरवरी 1993 तक के डब्ल्यू एच पाठ्यांकन के आधार पर बिलों को जारी करता रहा। तथापि, मीटर सितम्बर 1993 में प्रतिस्थापित किया गया।

अक्टूबर 1992 से पूर्व अभिलेखित उपभोग के स्वरूप की एक छानबीन ने प्रगट किया कि उपभोग जो 654720 के डब्ल्यू एच (जुलाई 1992) और 497280 के डब्ल्यू एच (सितम्बर 1992) की श्रेणी में था, अक्टूबर 1992 में 220640 के डब्ल्यू एच तक गिर गया और नवम्बर 1992 में 190160 के डब्ल्यू एच तथा दिसम्बर 1992 में 187200 के डब्ल्यू एच तक पुनः घट गया। इसने इंगित किया कि मीटर अक्टूबर 1992 से दोषयुक्त हो गया और उपभोक्ता का निर्धारण, जब मीटर ठीक था उसके पूर्ववर्ती माह के औसत उपभोग के आधार पर किया जाना चाहिये था। इसके परिणामस्वरूप अक्टूबर 1992 से अगस्त 1993 के दौरान 77.71 लाख रुपये का अल्पप्रभारण हुआ।

(ii) एस ए एफ यीस्ट लिमिटेड के परिसर में अधिष्ठापित पुराना ट्राइवेक्टर मीटर (सी टी औसत 25/5 ए) 24.12.1996 को इलेक्ट्रानिक मीटर (सी टी औसत 50/5 ए) द्वारा प्रतिस्थापित किया गया। तथापि, नये मीटर ने अत्यन्त निम्न उपभोग अभिलेखित किया। इस मीटर द्वारा अभिलेखित उपभोग के आधार पर विद्युत कारक 0.66 होते हुये असामान्य रूप से कम था जबकि पूर्व में यह 0.90 था। निम्न विद्युत कारक, के डब्ल्यू एच भाग के अभिलेखन में त्रुटि के कारण था। 28 फरवरी 1997 को मीटर की जाँच के उपरान्त पुराने सी टी को पुनर्स्थापित कर दिया गया जिसके परिणामस्वरूप उपभोग एवं विद्युत कारक दोनों में सुधार हो गया। अतः, 24 दिसम्बर 1996 से 28 फरवरी 1997 के दौरान मीटर दोषयुक्त रहा। इस अवधि का निर्धारण पूर्ववर्ती तीन महीनों अर्थात 24 दिसम्बर 1996 से औसत उपभोग के आधार पर किया जाना चाहिये था। इसके विपरीत, खण्डीय अधिकारी ने मीटर के अभिलेखित उपभोग के आधार पर उपभोक्ता के बिल जारी किये। यह, 7.37 लाख रुपये की सीमा तक के राजस्व के अल्पप्रभारण में परिणामित हुआ।

(iii) मीटर को दोषयुक्त घोषित न किये जाने/विलम्ब से किये जाने के कुछ प्रकरण जिनके परिणामस्वरूप गलत निर्धारण एवं 21.98 लाख रुपये का अल्पप्रभारण हुआ, संलग्नक "12" में दिये गये हैं। मई 1998 और सितम्बर 1998 में 16.39 लाख रुपये के बिल लेखा परीक्षा द्वारा इंगित किये जाने पर जारी किये गये।

3स.7.8.2 विश्व बैंक/इण्डो डच नलकूपों का अल्पप्रभारण

विश्व बैंक नलकूपों पर 2 जनवरी 1997 तक लागू दर अनुसूची एच वी-4 में व्यवस्था थी कि विश्व बैक नलकूपों को पोषित करते हुये स्वतन्त्र फीडर के प्रारम्भ पर यथोचित ट्राइवेक्टर मीटर/दो भाग दर अनुसूची मीटर के अधिष्ठापन प्रतीक्षित रहने की दशा में, प्रभार की दर सभी संयोजित भार पर मांग प्रभार के रूप में 70 रुपये प्रति बी एच पी तथा एक माह में उपभोग किये गये के डब्ल्यू एच के लिये 1.77 रुपये प्रति के डब्ल्यू एच होगा। दोषपूर्ण मीटर के प्रकरण में गलत भार एवं गलत निर्धारण के कारण निर्धारण के संशोधन में अल्पप्रभारण के प्रकरणों की चर्चा नीचे की गई है:

(i) वि वि ख-II, रायबरेली के अन्तर्गत विश्व बैंक नलकूपों के सलोन समूह के फीडरों के आरम्भ पर अधिष्ठापित मीटर अक्टूबर 1995 में दोषयुक्त हो गया। खण्ड ने पूर्ववर्ती तीन महीनों के औसत उपभोग के आधार पर अक्टूबर 1995 से दिसम्बर 1996 तक की अवधि के बिल जारी कर दिये। तथापि, पूर्ववर्ती महीनों जुलाई, अगस्त और सितम्बर 1995 होने के नाते निम्न सिंचाई माँग सहित बरसाती मौसम में पड़ते थे। चूँकि मीटर के दोषयुक्त रहने की अवधि के दौरान स्थितियाँ समरूप नहीं थीं, विद्युत का निर्धारण, संयोजित भार और उपयोग के घण्टों के आधार पर बिना मीटर की आपूर्ति पर बिल जारी किये जाने के लिये अपेक्षित विद्युत आपूर्ति (उपभोक्ता) विनियम, 1984 की धारा 21(iii)(बी) के प्राविधान को आमंत्रित करता था। अतः, अक्टूबर 1995 से दिसम्बर 1996 के दौरान किया गया गलत निर्धारण 45.87 लाख रुपये के अल्पप्रभारण में परिणामित हुआ।

(ii) वि वि ख-II, फैजाबाद के अन्तर्गत इण्डो-डच नलकूप हैरिंगटनगंज के फीडर पर अधिष्ठापित मीटर अनिश्चित अवधि से दोषयुक्त पड़ा था (वास्तविक तिथि अभिलेख पर नहीं थी)। खण्ड, मीटर के दोषयुक्त पड़े रहने की अवधि के लिये एल एफ एच डी* सूत्र पर आधारित निर्धारण के आधार पर बिल जारी कर रहा था। तथापि, दिसम्बर 1996 के माह का बिल, दोषयुक्त मीटर के प्रतिस्थापन के बहाने से 93000 इकाईयों का जारी किया गया, हालांकि मीटर के प्रतिष्ठापन/प्रतिस्थापन से सम्बन्धित सीलिंग प्रमाण-पत्र उपलब्ध नहीं था। खण्ड ने जून 1996 से नवम्बर 1996 का बिल, दिसम्वर 1996 के उपभोग के आधार पर उपांतरित कर दिया जिसने विद्युत आपूर्ति (उपभोक्ता) विनियम, 1984 के प्राविधानों का उल्लंघन किया। दिसम्बर 1996

* बिना मीटर की आपूर्ति के प्रकरण में, उपभोग के निर्धारण हेतु उपयोग किये गये भार x कारक x दिनों को प्रदर्शित करता है।

के उपभोग के आधार पर जून 1996 से नवम्बर 1996 तक सम्बन्धित बिलों के उपांतरण एवं जारी किये जाने से 25.22 लाख रुपये का अवप्रभारण हुआ।

3स.8 जाँच मीटरों को अन्तिम रूप देने में संदिग्ध हेराफेरी

विद्युत आपूर्ति (उपभोक्ता) विनियम, 1984 की धारा 21 (II) में अन्य बातों सहित यह भी प्राविधान है कि यदि उपभोक्ता किसी मीटर की शुद्धता को विवादित करता है, वह निर्धारित शुल्क के भुगतान के साथ-साथ नोटिस देकर, आपूर्तिकर्ता द्वारा मीटर की जाँच करवा सकता है। ऐसी जाँच में, अधिनियम अथवा नियमों के अन्तर्गत अनुमत त्रुटि सीमा से अधिक अशुद्ध पाये गये मीटर की दशा में, पूर्ववर्ती तीन महीनों के बिलों की जाँच परिणामों के अनुसार उपांतरण किया जाएगा।

जाँच परीक्षण के दौरान देखे गये प्रकरणों, जहाँ जाँच मीटरों के संदिग्ध परिणामों के आधार पर उपभोक्ताओं को विद्युत प्रभारों का समायोजन अनुमत किये गये, की चर्चा निम्नानुसार की गई है:

(i) विद्यमान 250 के वी ए भार के ऊपर 200 के वी ए के अतिरिक्त भार की विमुक्ति एवं आपूर्ति वोल्टेज़ में 400 वोल्ट से 11 के वी के परिवर्तन के फलस्वरूप, मेसर्स जे आर ऐग्रो, बाराबंकी के परिसर में अधिष्ठापित एल टी ट्राइवेक्टर मीटर को 4 नवम्बर 1995 को एच टी मीटर से प्रतिस्थापित किया गया। यद्यपि, नये मीटर द्वारा अभिलेखित उपभोग संतोषजनक था, तो भी खण्डीय अधिकारी ने 'एक जाँच मीटर के अधिष्ठापन की सलाह दी' का अभिलेखन इस आधार पर कर दिया कि जाँच करने पर सी टी अनुपात गलत पाया गया। 11 जनवरी 1996 को एक जाँच मीटर का अधिष्ठापन, पुराने मीटर के क्रम में कर दिया गया और जाँच मीटर के परिणाम के आधार पर पुराना मीटर असामान्य रूप से के डब्ल्यू एच भाग में 40.15 प्रतिशत तथा के वी ए भाग में 41.47 प्रतिशत तेज माना गया। खण्डीय अधिकारी ने, तथापि, एक अन्य जाँच मीटर को अधिष्ठापित करके जाँच परिणाम की शुद्धता की छानबीन किये बिना ही, 4 नवम्बर 1995 से 28 दिसम्बर 1995 तक अभिलेखित उपभोग को उपांतरित करने के पश्चात 4.66 लाख रुपये का समायोजन अनुमत कर दिया। विद्यमान मीटर को 24 जनवरी 1996 को हटाये जाने के पश्चात, जाँच मीटर के चलते रहने के परिणामस्वरूप अप्रैल 1998 तक पुनः 68.64 लाख रुपये की हानि हुई।

जाँच मीटर का अधिष्ठापन निम्नलिखित दृष्टिकोण से अनियमित एवं अप्रयोजनीय था:

- यह इंगित करने के लिये कि मात्र दो माह पूर्व अधिष्ठापित एच टी मीटर दोषपूर्ण था और इस अवधि के दौरान अभिलेखित उपभोग गलत था, कोई अभिलेख नहीं था।

- सी टी में दोष होने के दृष्टिकोण से जाँच मीटर का अधिष्ठापन औचित्यपूर्ण नहीं था। इसके बजाय, सी टी को पुर्नस्थापित किया जाना चाहिये था।

(ii) मेसर्स जगदीशपुर सीमेन्ट इण्डस्ट्रीज, जगदीशपुर के परिसर में आरम्भ से ही (12 जनवरी 1989) अधिष्ठापित मीटर की जाँच 13 नवम्बर 1992 को सहायक अभियन्ता द्वारा की गई और उसे 25.4 प्रतिशत धीमा चलता पाया गया। सहायक अभियन्ता ने दोषयुक्त मीटर को प्रतिस्थापित करने के स्थान पर, एक जाँच मीटर के अधिष्ठापन को सलाह दी। 29 दिसम्बर 1992 को, 15 दिनों से एक माह की सामान्य अवधि के बजाय एक घंटे के लिये एक जाँच मीटर अधिष्ठापित किया जिसमें त्रुटि का प्रतिशत मात्र 0.54 प्रतिशत ही पाया गया। पुराना मीटर अब तक (जून 1998) चल रहा है जिससे परिषद को स्थायीरूप से राजस्व की हानि हो रही है। केवल एक घण्टे के लिये जाँच मीटर के अधिष्ठापन पर आधारित परिणामों को स्वीकार करने का खण्डीय अधिकारी का निर्णय निम्नलिखित दृष्टिकोण से औचित्यपूर्ण नहीं था:

- दिनांक 13 नवम्बर 1992 के सीलिंग प्रमाणपत्र पर, मीटर में किसी अनियमितता/विसंगति का अभिलेखन नहीं किया गया था,

- मीटर की जाँच 13 नवम्बर 1992 को की गई तथा जाँच मीटर को 46 दिनों के पश्चात् उपभोक्ता द्वारा हेराफेरी के लिये पर्याप्त गुंजाइश छोड़ते हुये मात्र एक घण्टे के लिये अधिष्ठापित किया गया।

एक ऐसे मीटर पर आधरित जो 25.4 प्रतिशत धीमा पाया गया था, बिल जारी किये जाने के कारण जनवरी 1993 से मार्च 1998 तक राजस्व की हानि 8.58 लाख रुपये आगणित की गई।

3स.9 आरम्भिक प्रतिभूति की बिलकुल नहीं/कम वसूली

सभी पूर्ववर्ती आदेशों को स्थानच्युत करते हुये, परिषद ने 7 मार्च 1994 को उपभोक्ताओं की विभिन्न श्रेणियों से प्रभारणीय आरम्भिक प्रतिभूति को निर्धारित करते हुये एक ज्ञापन जारी किया।

यह देखा गया कि कुल 97.09 लाख रुपये की आरम्भिक प्रतिभूति की नीचे दिये गये विवरण के अनुसार 5 खण्डों से बिलकुल भी नहीं/कम माँग की गई:

क्रम संख्या	खण्ड	उपभोक्ताओं की संख्या	श्रेणी	भार	वसूल की जाने वाली प्रतिभूति	माँग की गई प्रतिभूति	कम माँग की गई प्रतिभूति
1.	वि वि ख जगदीशपुर	12	एच वी–2	11290 के वी ए	59.36	38.62	20.74
2.	वि वि ख हरदोई	1	एच वी–2	400 के वी ए	2.20	1.20	1.00
3.	वि वि ख–I रायेबरेली	2	एल एम वी–3	90 के डब्ल्यू	0.90	—	0.90
4.	वि वि ख सीतापुर	13	एल एम वी–2 (रेलवे)	597 के डब्ल्यू	1.79	—	1.79
5.	वि वि ख उन्नाव	—	पम्प कैनाल	11654 एच पी	34.96	—	34.96
		—	विश्व बैंक नलकूप	4643 एच पी	13.99	—	13.93
		—	राज्य नलकूप	2326 एच पी	6.98	—	6.98
		—	लिफ्ट सिंचाई	830 एच पी	2.49	—	2.49
		—	रेलवे	574 के डब्ल्यू	1.72	—	1.72
		—	जल कार्य	650 के डब्ल्यू	6.50	—	6.50
		—	मार्ग प्रकाश	608 के डब्ल्यू	6.08	—	6.08
	योग						**97.09**

अतः 97.07 लाख रुपये की कुल आरम्भिक प्रतिभूति की मांग के जारी न किये जाने से परिषद न केवल इस सीमा तक की निधियों से वंचित हो गया, अपितु नकद उधार पर ब्याज दर तथा प्रतिभूति जमा पर प्राविधानित किये जाने वाले ब्याज के अन्तर के रूप में 15 प्रतिशत की दर पर 14.56 लाख रुपये प्रति वर्ष के ब्याज की हानि भी उठाई।

3स.10 बकायों का जमा होना

1997-98 तक के पिछले पाँच वर्षो में राजस्व के निर्धारण एवं वसूली से सम्बन्धित विवरण निम्नानुसार हैं:

(लाख रुपये में)

विवरण	1993-94	1994-95	1995-96	1996-97	1997-98
वर्ष के आरम्भ में बकाया अधिशेष	9190.10	12054.56	15473.68	18749.21	22278.01
वर्ष के दौरान निर्धारित राजस्व	20384.37	24722.86	27830.51	28419.59	36747.31
वसूली के लिये बाकी कुल धनराशि	29574.47	36777.42	43304.19	47168.80	59025.32
वर्ष के दौरान वसूल की गई धनराशि	17519.91	21303.74	24554.98	24890.79	27449.95
वर्ष के अन्त में बकाया अधिशेष	12054.56	15473.68	18749.21	22278.01	31575.37
कुल बकाये से वसूली का प्रतिशत	59.24	57.93	56.70	52.77	46.51
मासिक वसूली के रूप में अनिस्तारित बकाये	7	7.5	4.3	9.4	10.3

उपरोक्त सारणी से यह देखा जा सकता है कि कुल बकायें की तुलना में वसूली का प्रतिशत 1993-94 में 59.24 प्रतिशत से 1997-98 में 46.51 प्रतिशत तक गिर गया था। परिणामस्वरूप, बकाया

अधिशेष मार्च 1994 के अन्त पर 120.55 करोड़ रुपये से मार्च 1998 के अन्त पर 315.75 करोड़ रुपये तक महत्वपूर्ण रूप से बढ़ गया था। मार्च 1998 तक के पाँच वर्षो के अन्त पर मासिक वसूली के रूप में अनिस्तारित बकाये 4.3 और 10.3 माहों के मध्य श्रेणीबद्ध रहे।

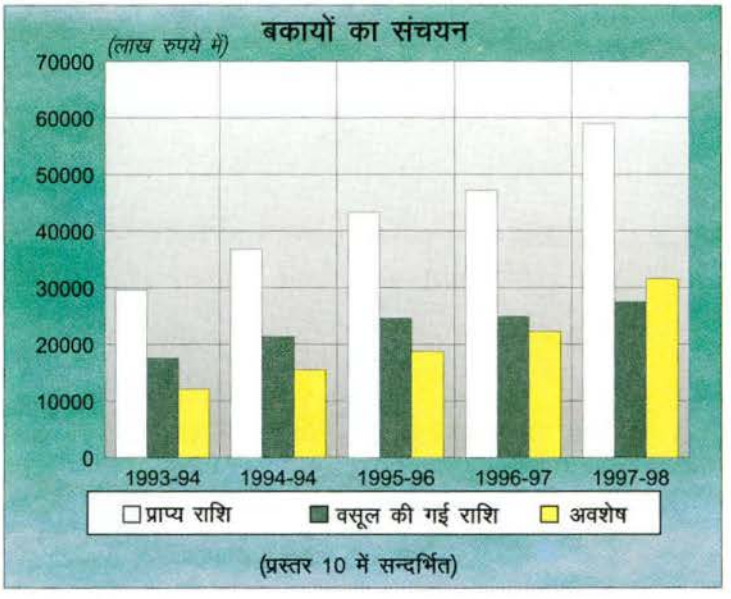

3स.10.1 बकायों की तीव्र वृद्धि

मार्च 1994 के अन्त पर 120.55 करोड़ रुपये के विद्युत प्रभारों के श्रेणीवार बकाये मार्च 1998 के अन्त पर 315.75 करोड़ रुपये तक लगभग ढाई गुना बढ़ गये जैसा कि परिशिष्ट ''13'' में दिये गये हैं:

परिशिष्ट से यह दृष्टिगत होगा कि बकाये की धनराशि में अधिकतम वृद्धि बड़े एवं भारी विद्युत उपभोक्ताओं के प्रकरण में थी जो गैर सरकारी श्रेणी के उपभोक्ताओं के प्रकरण में 1993-94 के अन्त के बकायों से 1997-98 तक 792.00 प्रतिशत तक बढ़ गये थें तथा सरकारी श्रेणी के उपभोक्ताओं के प्रकरण में बकाये की धनराशि में अधिकतम वृद्धि विश्व बैंक नलकूपों के प्रकरण में थी जो 1993-94 के अन्त के बकायों से 1997-98 तक 223.99 प्रतिशत तक बढ़ गये थें। बकायों में वृद्धि करने वाले प्रमुख दोषियों में बड़े तथा भारी विद्युत उपभोक्ता (27.71 प्रतिशत), राज्य सिंचाई (24.20 प्रतिशत) तथा स्थानीय निकाय (18.23 प्रतिशत) सहित औद्योगिक उपभोक्ता थे।

लेखापरीक्षा द्वारा किये गये एक विश्लेषण ने प्रगट किया कि बकाये में वृद्धि मुख्यतः निम्न कारणों से थी:

(i) मेसर्स सोमानी आयरन ऐण्ड स्टील द्वारा वर्ष के दौरान जारी किये गये एम सी जी तथा विलम्बित

भुगतान अधिभार (24.08 करोड़ रुपये) तथा विद्युत की चोरी (38.46 करोड़ रुपये) से सम्बन्धित बिलों के 63.54 करोड़ रुपये का भुगतान न किया जाना। संयोजन (45 एम वी ए) 6 अक्टूबर 1997 से विसंयोजित पड़ा है जैसा कि प्रस्तर 4स.1 में चर्चा की गई है।

(ii) मेसर्स ओम स्टील, फैजाबाद द्वारा 1995-96 के दौरान विद्युत की चोरी के निर्धारण से सम्बन्धित 4.92 करोड़ रुपये का भुगतान न किया जाना। संयोजन 5 अक्टूबर 1995 को विसंयोजित किया गया था।

(iii) मेसर्स रावल पेपर मिल, रायबरेली के संयोजन का, उनके चेक के बारम्बार लौटाये जाने तथा भुगतान सारणी का पालन करने में उनकी असफलता पर किस्तों के निर्धारण एवं पुनर्निर्धारण के बावजूद विसंयोजन न किया जाना। संयोजन का विसंयोजन नवम्बर 1997 में किया गया जब अक्टूबर 1997 तक देय 2.37 करोड़ रुपये तक बढ़ गये थे जैसा प्रस्तर 3स.10.2(क) में चर्चा की गई है।

(iv) 1.55 करोड़ रुपये की राशि के देयों का मेसर्स अमेठी टेक्सटाइल, जगदीशपुर (0.28 करोड़ रुपये) एवं मेसर्स राजेन्द्र पेपर मिल, रायबरेली (0.33 करोड़ रुपये) द्वारा भुगतान न किया जाना एवं जुलाई 1997 और फरवरी 1994 में क्रमशः परिणामी विसंयोजन (प्रस्तर 3स.7.6 एवं 3स.7.7)।

(v) स्थानीय निकायों द्वारा मार्ग प्रकाश एवं जल कार्यों के संयोजनों से सम्बन्धित देयों का भुगतान न किया जाना।

3स.10.2 बकायों का संचयन

(क) परिषद के परिपत्र दिनांक 29 सितम्बर 1997 सपठित विद्युत आपूर्ति (उपभोक्ता) नियमन, 1984 तथा परिषद आदेश दिनांक 21 अप्रैल 1982 में प्राविधान है कि चेक द्वारा विद्युत बिलों के भुगतान ऐसे उपभोक्ताओं से स्वीकार नहीं किये जाने चाहिये जिनके पहले के चेक एक बार भी लौटाये जा चुके थे, विसंयोजित पड़े सेवा संयोजनों का पुनर्संयोजन सभी अनिस्तारित बकायों के भुगतान के पश्चात ही अनुमत किये जाएंगे और उपभोक्ता द्वारा किसी भी किस्त के भुगतान न किये जाने की दशा में, उसकी आपूर्ति विसंयोजित कर दी जाएगी तथा किस्त में भुगतान करने की सुविधा स्वतः ही समाप्त हुई मान ली जाएगी। वि वि ख-I, रायबरेली के अभिलेखों

की संवीक्षा ने प्रगट किया कि 1000 के वी ए की अनुबन्धित माँग वाली रावल पेपर मिल, नवम्बर 1992 तक विद्युत बिलों का नियमित भुगतान कर रहा था। दिसम्बर 1992 में उपभोक्ता के परिसर की जाँच की गई जिसके परिणामस्वरूप जाँच में पाई गई अनियमितताओं के लिये 68.49 लाख रुपये का निर्धारण जारी किया गया। यद्यपि, उपभोक्ता द्वारा जनवरी और जुलाई 1993 में जमा किये गये पहले के दो चेक अस्वीकार किये जा चुके थे, खण्ड ने फरवरी 1994 से जून 1996 के दौरान समय-समय पर 63.64 लाख रुपये के 12 चेक स्वीकार किये जो बैंक द्वारा अस्वीकार किये गये।

चेकों के लौटाये जाने के फलस्वरूप मई 1994 के अन्त में 87.17 लाख रुपये, अक्टूबर 1994 के अन्त में 115.15 लाख रुपये तथा जुलाई 1996 के अन्त में 148.51 लाख रुपये के बकाये के संचय होने के बावजूद, उपभोक्ता की आपूर्ति जुलाई 1996 तक विसंयोजित नहीं की गई। 1 अगस्त 1996 को विसंयोजित, उपभोक्ता की आपूर्ति उसके द्वारा 10 लाख रुपये के आंशिक भुगतान तथा शेष धनराशि की किस्तों के निर्धारण एवं पुनर्निधारण के पश्चात् 13 अक्टूबर 1996 को पुनर्संयोजित कर दी गई। उपभोक्ता पुनः, देय किस्तों की भुगतान सारणी का पालन नहीं कर सका जिसे जून 1997 में नियत किया गया था। संयोजन 5 नवम्बर 1997 से विसंयोजित पड़ा है और 237.04 लाख रुपये के संचित बकाये के मुख्य कारण थे (i) अप्रैल/मई 1994 से उपभोक्ता की आपूर्ति को विसंयोजित न किया जाना जब 39.64 लाख रुपये के चेक लौटा दिये गये थे, (ii) किस्तों का निर्धारण एवं पुनर्निधारण तथा (iii) सदस्य (वितरण) के संयोजन को विसंयोजित न किये जाने के निर्देश।

(ख) जनवरी 1997 से संशोधित दरसूची के अनुसार, विश्व बैंक नलकूपों के बिल दर अनुसूची एल एम वी-8 के अन्तर्गत 440 रुपये प्रति बी एच पी प्रति माह की दर से जारी किये जाने है। वि वि ख-II, लखीमपुर के अभिलेखों की संवीक्षा ने प्रगट किया कि मोहम्मदी समूह (भारः 527.5 बी एच पी) और बरवार समूह (भारः 680 बी एच पी) के विश्व बैंक नलकूपों के बिल दर अनुसूची एच वी-4 के अन्तर्गत उच्च दरों पर जारी किये जाते रहे थे जो अनियमित था और जिससे 39.10 लाख रुपये तक के बकायों का संचय हुआ।

3स.10.3 वसूली प्रमाण पत्रों का जारी न किया जाना

(i) उत्तर प्रदेश सरकार विद्युत उपक्रम (बकाया वसूली) अधिनियम, 1958 के अन्तर्गत भुगतान न किये गये विद्युत बकायों की वसूली भू-राजस्व के बकायों की भांति की जा सकती है, बशर्ते

अधिनियम की धारा-3 के अन्तर्गत उपभोक्ता को बकाये का भुगतान करने के लिये कहते हुये एक माँग पत्र जारी किया जाय। धारा-3 के अन्तर्गत नोटिस के जारी किये जाने के पश्चात् भी दोषी होने के प्रकरण में, धारा-5 के अन्तर्गत एक वसूली प्रमाण पत्र, बकाये की वसूली हेतु जिलाधीश को जारी करना होता है। लेखा परीक्षण में यह देखा गया कि धारा-3 के अन्तर्गत जारी 27.12 करोड़ रुपये के मांग पत्र के विरुद्ध मात्र 3.33 करोड़ रुपये की वसूली की गई और मार्च 1998 के अन्त में 8.14 करोड़ रुपये के वसूली प्रमाण पत्र जारी किये गये। 15.65 करोड़ रुपये की शेष धनराशि के बकाये के लिये वसूली प्रमाण-पत्र जारी न किये जाने के कारण, लेखापरीक्षा को सूचित नहीं किये गये।

(ii) जाँच परीक्षित आठ खण्डों में 311 लाख रुपये की धनराशि सन्निहित करते हुये 522 वसूली प्रमाण-पत्र, जिला प्राधिकारियों द्वारा अपूर्ण एवं गलत पते तथा उपभोक्ताओं के बारे में जानकारी के अभाव (35.46 लाख रुपये), मृत्यु एवं उत्तराधिकारी विहीन (20.44 लाख रुपये) तथा अन्य कारणों (255.10 लाख रुपये) के आधार पर वापस कर दिये गये। खण्ड इन प्रमाण-पत्रों को जिला प्राधिकारियों को पुनः वापस करने में असफल रहा क्योंकि वह सही पतें उपलब्ध कराने, उपभोक्ताओं और सम्पत्ति के बारे में जानकारी प्राप्त करने तथ अन्य आवश्यकताओं को पूर्ण करने में अक्षम थे जिससे वसूली की संभावनायें संदिग्ध हो गई।

3स.11.1 परिषद की परिसम्पत्तियों की चोरी

दिसम्बर 1995 में जारी परिषद के आदेशों के अनुसार, 6000 रुपये तक की एकल हानियों को सन्निहित करते हुये प्रकरणों की जाँच, उप खण्डीय अधिकारियों तथा 6000 रुपये से अधिक के प्रकरणों की जाँच, खण्डों के प्रभारी अधिशाषी अभियन्ताओं को, एक ही स्थानों पर बारम्बार चोरियों के कुछ प्रकरणों सहित उप खण्डीय अधिकारियों के अधिकार क्षेत्र के अन्तर्गत आने वाले प्रकरणों के 10 प्रतिशत को स्वतन्त्र रूप से भी जाँच करना चाहिये था।

नौ खण्डों की लेखा परीक्षा में यह देखा गया कि अप्रैल 1993 से मार्च 1998 की अवधि के दौरान यद्यपि ट्रान्सफार्मरों (मूल्य 33.27 लाख रुपये) एवं संवाहकों (मूल्य 159.68 लाख रुपये) की चोरी हुई, परन्तु न तो लाइनों और उपकेन्द्रों की सघन गश्त एवं चोरियाँ रोकने के लिये चोरी हो जाने वाली लाइनों को विद्युत धारा युक्त रखने जैसे रोकथाम के उपाय किये गये और न ही सम्बन्धित अधिकारियों द्वारा आवश्यक जाँच पड़ताल सम्पन्न की गई। यहाँ तक कि चोरियों के लिये दर्ज की गई

प्रथम सूचना रिपोर्टो पर पुलिस द्वारा की गई कार्यवाही की प्रगति पर दृष्टि नहीं रखी गई और अनुश्रवण नहीं किया गया।

3.स.11.2 बेकार हुई लाइनों को उखाड़े न जाने के कारण लाइन सामग्री की चोरी

(i) गोण्डा-इटियाठोक-बलरामपुर लाइन का एक भाग 33 के वी गोण्डा-इटियाठोक 21.34 किमी लाइन, मार्च 1979 में बलरामपुर में 132 के वी उपकेन्द्र के आरम्भ होने के बाद बेकार हो गई। अक्टूबर 1992 में वि वि ख, गोण्डा द्वारा लाइन के भौतिक सत्यापन पर 13.35 लाख रुपये मूल्य का 49.33 किमी. ए सी एस आर डाग संवाहक तथा 8 रेल खम्भे गायब पाये गये। सितम्बर 1994 में खण्ड ने पुनः लाइन का भौतिक सत्यापन किया और 3.79 लाख रुपये की अन्य सामग्रियाँ (2.70 लाख रुपये के 43 रेल खम्भे तथा 1.09 लाख रुपये का 2.09 किमी. ए सी एस आर संवाहक) गायब पाई गईं।

इन चोरियों के बावजूद, 14.09 लाख रुपये के मूल्य की शेष लाइन सामग्री को बेकार लाइन से हटाया नहीं गया।

(ii) अधीक्षण अभियन्ता एवं मुख्य अभियन्ता, लखनऊ वितरण क्षेत्र, अधीक्षण अभियन्ता (पारेषण) एवं मुख्य अभियन्ता, पारेषण (केन्द्रीय) से बनी क्षेत्रीय तकनीकी समिति ने जनवरी 1995 में 33 के वी जगदीशपुर-जायस लाइन (5.7 किमी.) को उखाड़े जाने का अनुमोदन किया। यह लाइन 10 वर्षों से अधिक से विद्युत विहीन थी और बेकार पड़ी थी और परिषद समय-समय पर सामग्री की चोरी के कारण हानियाँ उठा रहा था जो कुल 10.65 लाख रुपये की थी।

(iii) रिसिया-नानपारा लाइन उस पर लगी हुई 12.15 लाख रुपये के मूल्य की लाइन सामग्री सहित अपूर्ण अवस्था में पड़ी थी। जुलाई 1989 में लाइन को उखाड़े जाने के आदेश किये गये। तथापि, अभिलेख पर बिना किसी कारण के लाइन को अब तक (अक्टूबर 1998) उखाड़ा नहीं गया। इसी बीच, 5.29 लाख रुपये के मूल्य की लाइन सामग्री गायब पाई गई। अतः, समय पर लाइन को उखाड़े न जाने के परिणास्वरूप एक ओर सामग्री की हानि हुई और दूसरी ओर वापस प्राप्त न की गई सामग्री पर निधियों का निरोधन हुआ।

3स.12.1 वितरण ट्रान्सफार्मरों की अतिशय क्षति

वितरण ट्रान्सफार्मर (25 के वी ए से 1000 के वी ए), उपभोक्ताओं को आपूर्ति हेतु वोल्टेज को निम्न करने के लिये एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। वितरण ट्रान्सफार्मरों का जीवन काल 25 वर्ष आंकलित किया गया है बशर्ते अनुरक्षण सारणी का पालन और अभिरक्षक उपकरणों को अधिष्ठापित किया जाय।

1997–98 तक के पाँच वर्षों की अवधि के दौरान, मानकों से अधिक 61.39 करोड़ रुपये मूल्य के 17941 ट्रान्सफार्मर क्षतिग्रस्त थे।

मई 1982 में परिषद ने निर्धारित किया कि ट्रान्सफार्मरों की क्षति, अधिष्ठापित ट्रान्सफार्मरों की लगभग 2 प्रतिशत होनी चाहिये। क्षति दर को 2 प्रतिशत तक घटाने के लिये ऐसा आवश्यक समझा गया कि:

(i) क्षति के कारणों की छानबीन करने के साथ-साथ विस्तृत अनुश्रवण किया जाय;

(ii) प्रत्येक ट्रान्सफार्मर से सम्बन्धित हिस्ट्री कार्ड अवस्थित किये जायें;

(iii) 11 के वी रेटिंग पर ड्राप आउट फयूज़ो का प्रयोग किया जाय;

(iv) क्रिम्पिंग टूल्स और कापर लग्स सहित संयुक्त एल टी टर्मिनल्स; तथा

(v) एल टी टर्मिनल्स आदि पर दबाव अथवा भार देने से बचा जाय।

तथापि, खण्ड ने परिषद द्वारा संस्तुत रोकथाम के उपायों का अनुसरण नहीं किया जिसके कारण क्षति दर सदैव मानकों से अधिक रही और 2.9 से 36.41 प्रतिशत के मध्य श्रेणीबद्ध रही।

1993-94 से 1997-98 की अवधि के दौरान मानकों से अधिक क्षतिग्रस्त ट्रान्सफार्मरों की कुल संख्या 17941 थी, जिनका मूल्य 61.39 करोड़ रुपये आगणित किया गया।

परिषद द्वारा ट्रान्सफार्मरों के उनके विद्यमान मूल्य के 60 प्रतिशत तक के मरम्मत कार्य को मितव्ययी माना गया है। अत:, उनके मूल्य के 50 प्रतिशत तक के मरम्मत कार्य पर व्यय को ध्यान में

रखते हुये, पाँच वर्षों के दौरान, क्षतिग्रस्त ट्रान्सफार्मरों के मरम्मत का मूल्य 30.70 करोड़ रुपये आगणित किया गया।

3स.12.2 विद्युत ट्रान्सफार्मर की वापसी न होना

वि वि ख-I, फैजाबाद ने जनवरी 1987 में उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड (यू पी आर वी यू एन), ऊंचाहार को एक 7.5 एम वी ए का ट्रान्सफार्मर निर्गत किया और 7.21 लाख रुपये का बिल जारी कर दिया। यू पी आर वी यू एन ने भुगतान करने के बजाय परिषद से उसे वापस लिये जाने का आग्रह किया (अक्टूबर 1988)। इस बीच फरवरी 1992 में यू पी आर वी यू एन द्वारा ऊंचाहार विद्युत गृह को राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम (एन टी पी सी) को अन्तरित कर दिया गया। एन टी पी सी से अब तक (अक्टूबर 1998) ट्रान्सफार्मर वापस नहीं लिया गया। यद्यपि, एन टी पी सी उसे अक्टूबर 1996 में ही हस्तांतरित करने के लिये सहमति दे चुका था। इसके परिणामस्वरूप 7.21 लाख रुपये निरुद्ध हो गये।

3स.13 निधियों को अवरोधित करने वाली अपूर्ण लाइनें और उपकेन्द्र

अभिलेखो की एक समीक्षा ने प्रगट किया (मई 1998) कि अधोउल्लेखित लाइनें और उपकेन्द्र, 908 लाख रुपये का व्यय किये जाने के पश्चात् अपूर्ण रहीं :

(i) अक्टूबर 1989 में बड़ागाँव (सुल्तानपुर) में, 24.94 लाख रुपये की आंकलित लागत पर 3 एम वी ए क्षमता के एक 33/11 के वी उपकेन्द्र की स्वीकृति दी गई। प्रस्तावित उपकेन्द्र 4.44 लाख रुपये का व्यय किये जाने के पश्चात् भी अपूर्ण पड़ा था। कार्य का पुनरारम्भ करने के लिये कोई कार्य योजना नहीं बनाई गई (अक्टूबर 1998)।

(ii) 1989-90 में 33 के वी भेटुआ उपकेन्द्र से 33 के वी भदर उपकेन्द्र तक, एक 33 के वी लाइन की 19.97 लाख रुपये के आंकलित मूल्य पर स्वीकृति दी गई। प्रस्तावित लाइन पूर्ण नहीं की गईं। जून 1995 तक किया गया 4.64 लाख रुपये का व्यय व्यर्थ जा सकता है क्योंकि कार्य को पूर्ण करने के लिये अब तक (अक्टूबर 1998) कोई प्रस्ताव नहीं था।

3स.14 खण्ड द्वारा बैंको की स्थानीय शाखाओं को किये गये प्रेषण को परिषद के ब्रान्च रिसीट एकाउन्ट में न लाया जाना

उपभोक्ताओं को विद्युत की बिक्री करके राजस्व एकत्र करते हुये तथा इसे सम्बन्धित बैंकों में परिषद के ब्रान्च रिसीट एकाउन्ट में प्रेषित करने वाले उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद के कार्यालयों को, यह सुनिश्चित करने के लिये कि बैंक को प्रेषित सम्पूर्ण धन परिषद के ब्रान्च रिसीट एकाउन्ट में क्रेडिट कर दिया गया था, बैंक मिलान विवरण तैयार करना होता है।

यह देखा गया कि वि वि ख, जगदीशपुर के प्रकरण में मार्च 1993 से दिसम्बर 1996 की अवधि के दौरान, बैंक मिलान नहीं किया गया। वि वि ख, रायबरेली में अगस्त 1996 से फरवरी 1997 के दौरान बैंक द्वारा ब्रांच रिसीट एकाउन्ट को डेबिट की गई 33.50 लाख रुपये की एक धनराशि को ढूँढ़ा नहीं जा सका (अक्टूबर 1998)।

3स.15 अन्य रोचक विषय

3स.15.1 क्रय की गई विद्युत पर अतिरिक्त भुगतान

प्राप्ति के छोर पर प्राप्त की गई कम विद्युत के लिये 3.50 करोड़ रुपये का अतिरिक्त भुगतान किया गया।

परिषद ने मेसर्स धामपुर शुगर मिल लिमिटेड, रौजागाँव (बाराबंकी) के साथ 15 मेगा वोल्ट ऐम्पियर (एम वी ए) की सीमा तक की विद्युत के क्रय हेतु विद्युत क्रय समझौता निष्पादित किया (15 नवम्बर 1995)। परिषद द्वारा विद्युत के क्रय हेतु वित्तीय वर्ष 1995-96 के दौरान लागू दर 2.25 रुपये प्रति के डब्ल्यू एच थी जिसे अनुवर्ती वर्ष के लिये दर अनुसूची (पूर्ववर्ती वर्ष में बड़े और भारी विद्युत उपभोक्ताओं एच वी-I को लागू) में वृद्धि के अनुपात में संशोधित किया जाना था और तद्नुसार 1997-98 के दौरान यह 2.475 रुपये प्रति के डब्ल्यू एच आगणित किया गया। परिषद ने 4 जून 1997 से अप्रैल 1998 तक किये गये विद्युत क्रय के सम्बन्ध में 2.475 रुपये प्रति के डब्ल्यू एच पर उक्त अवधि के दौरान प्राप्ति के छोर पर प्राप्त 71.27 लाख इकाईयों के विरुद्ध 5.26 करोड़ रुपये मूल्य की 212.57 लाख इकाईयों (5 प्रतिशत लाइन हानि को घटाने के पश्चात्) के लिये भुगतान कर दिया। इस सम्बन्ध में यह उल्लेख करना उचित होगा कि अधिशासी अभियन्ता, वि वि ख बाराबंकी द्वारा इंगित किये जाने (दिसम्बर 1997) के पश्चात भी प्राप्ति के छोर पर (132 के वी उपकेन्द्र

चन्दौली, बाराबंकी) अभिलेखित विद्युत, पारेषित विद्युत से 40 से 50 प्रतिशत तक कम थी। प्रेषण और प्राप्ति के मीटरों में भारी अन्तर के कारणों की खोज करने के लिये अब तक (जुलाई 1998) कोई कदम नहीं उठाये गये। प्रेषण छोर के मीटर पाठ्यांकनों के आधार पर भुगतान किये जाने के परिणामस्वरूप जून 1997 से अप्रैल 1998 के दौरान क्रय की गई विद्युत के विरुद्ध 141.31 लाख इकाईयों के लिये 3.50 करोड़ रुपये की धनराशि का आतिरिक्त भुगतान हुआ (5 प्रतिशत की लाइन हानि के समायोजन के पश्चात्)।

उपसंहार

वितरण क्षेत्र की स्थापना, प्रभावी ढंग से योजना, अनुश्रवण, विद्युत वितरण तथा विद्युत बिल जारी करने पर नियंत्रण रखने के दृष्टिकोण से की गई थी। तथापि, उपरोक्त समीक्षा से यह देखा जा सका कि अप्रभावी अनुश्रवण और नियंत्रण के कारण क्षेत्र के राजस्व के बकायों में अत्यधिक वृद्धि हुई, वितरण हानियों पर नियंत्रण नहीं रखा जा सका तथा बिलकुल नहीं/कम राशि के बिल जारी किये जाने एवं गलत और त्रुटिपूर्ण मीटरिंग के कारण वाणिज्यिक हानियों को भी रोका नहीं जा सका जिसके परिणामस्वरूप विद्युत प्रभारों का कम निर्धारण हुआ। इसके अतिरिक्त, प्रबन्धन की असफलता के कारण नकद एवं परिसम्पत्तियों की हानि/चोरी की घटनाओं पर नियंत्रण नहीं रखा जा सका। ऐसी स्थिति को ध्यान में रखते हुये खण्डों में राजस्व पक्ष को सुदृढ़ करने की आवश्यकता है ताकि विद्युत का सही निर्धारण हो और वाणिज्यिक हानियाँ न्यूनतम हो जाएं। वितरण ट्रान्सफार्मरों की बारम्बार क्षति को रोकने के लिये सघन अनुश्रवण भी आवश्यक है। दोषी उपभोक्ताओं का विसंयोजन तथा वसूली प्रमाण-पत्र जारी करके प्रभावी कार्यवाही भी की जानी होगी जिससे राजस्व के बकायों को कम किया जा सके।

उपरोक्त मामले परिषद और सरकार को जुलाई 1998 में सूचित किये गये; उत्तर प्राप्त नहीं हुये थे (अक्टूबर 1998)।

अध्याय - III

अनुच्छेद - 3 द

वितरण पक्ष में सामग्रियों का प्रबन्धन

प्रस्तर	विवरण	पृष्ठ
	मुख्य अंश	189
1.	प्रस्तावना	191
2.	संगठनात्मक ढांचा	192
3.	लेखापरीक्षा का क्षेत्र	192
4.	सामग्री की अधिप्राप्ति की कार्यविधि	192
4.1	आवश्यकता निर्धारण हेतु अपूर्ण पद्धति	193
4.2	सामग्री की अधिप्राप्ति में अनियमिततायें	195
4.3	गलत मूल्यांकन	196
4.3.1	एक्स–वर्क्स मूल्य के गलत आगणन के कारण अतिरिक्त व्यय	196
4.3.2	ट्रान्सफार्मरों का अविवेकपूर्ण क्रय	197
4.4	आपूर्ति अवधि के विस्तार के कारण आपूतिकर्ताओं को अनुचित लाभ	198
4.5	मूल्य अन्तर का गलत आगणन	199
4.5.1	मूल्य अन्तर के विरुद्ध वसूली न की जानी	199
4.5.2	मूल्य अन्तर का अनियमित भुगतान	200
4.6	आदेशित मात्रा में वृद्धि के कारण अतिरिक्त व्यय	200
4.7	आपूर्ति अवधि में संशोधन के कारण अतिरिक्त व्यय	201
4.8	परिवहन प्रभारों का परिहार्य भुगतान	202
5.	गुणवत्ता नियंत्रण	202
5.1	केबिल्स एवं बाईवेक्टर मीटरों की दोषपूर्ण आपूर्ति	203

प्रस्तर	विवरण	पृष्ठ
6.	सामग्री नियंत्रण	205
6.1	भण्डार सामग्री	205
6.2	निधियों का निरोधन	207
6.3	अनुपयोगी विद्युत ट्रान्सफार्मरों का अनिस्तारण	207
6.4	अनुपयोग्य, प्रयोगातीत एवं स्क्रैप सामग्रियाँ	208
6.4.1	क्षतिग्रस्त ट्रान्सफार्मरों का अवयवों विखण्डन न किया जाना	208
6.4.2	ट्रान्सफर्मर आयल की कम/शून्य पुनर्प्राप्ति	209
6.4.3	एल्यूमिनियम/तांबे के लेग क्वायलों की कम पुनर्प्राप्ति	209
6.4.4	क्षतिग्रस्त ट्रान्सफार्मरों का मरम्मत के उपरान्त वापस न किया जाना	211
7.	सामग्रियों का निर्गम	212
7.1	सामग्रियों का आंकलनों के बिना निर्गम	212
7.2	भण्डार सामग्रियों में कमी	212
	अन्य रोचक विषय	213
8.	मरम्मत के उपरान्त गारण्टी अवधि के अन्दर असफल हुये ट्रान्सफार्मरों से निधि का अवरोधन	213
	उपसंहार	214

अनुच्छेद 3द

वितरण पक्ष में सामग्रियों का प्रबन्धन

मुख्य अंश

उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद (परिषद) ने प्राप्ति, भण्डारण, निर्गम तथा अपने समस्त सामग्रियों के भण्डारण पर नियंत्रण रखने के लिये, अप्रैल 1975 में सामग्री प्रबन्धन एवं नियंत्रण संगठन (आई एम सी ओ) का गठन किया। तथापि, आई एम सी ओ ने अपनी गतिविधियों को वितरण पक्ष तक ही सीमित रखा।

(प्रस्तर 3द.1)

परिषद ने अधिप्राप्ति होने वाली सामग्रियों की आवश्यकता का आंकलन करने के लिये कोई कार्यविधि निर्धारित नहीं की। 1995-96 और 1996-97 के दौरान स्विच गियर, 11 के वी टी पी एम ओ एवं 33 के वी पिन इन्सुलेटर की अधिप्राप्ति में आवश्यकता के अन्तरिम और बेतुके आंकलन के कारण 0.95 करोड़ रुपये का अतिरिक्त व्यय हुआ।

(प्रस्तर 3द.4.1)

तकनीकी रूप से उचित, न्यूनतम प्रस्तावों पर आदेशों का प्रेषण करने में विफलता के कारण, 2.42 करोड़ रुपये का अतिरिक्त व्यय हुआ।

(प्रस्तर 3द.4.2)

निविदा विनिर्देश में, निवेशों (इनपुट) के कम भार के लिये वसूली प्रभावी करने हेतु एक समुचित धारा सम्मिलित न करने के कारण, परिषद 65.61 लाख रुपये की वसूली नहीं कर सका। इसके अतिरिक्त, उच्च सम्पादन गारण्टी अवधि के असमर्थनीय आधार पर ट्रान्सफार्मरों की उच्च दरों पर अधिप्राप्ति के कारण 47.99 लाख रुपये की हानि हुई।

(प्रस्तर 3द.4.3)

समझौते की शर्तों से अनाच्छादित, असमर्थनीय आधार पर आपूर्ति अवधि का विस्तार, 106.14 लाख रुपये के मूल्य अन्तर तथा 28.36 लाख रुपये के अर्थ दण्ड के न लगाये जाने में परिणामित हुआ।

(प्रस्तर 3द.4.7)

परिषद मुख्यालय की नियमित निरीक्षण इकाई तथा सम्बन्धित प्रेषतियों द्वारा सामग्री की अनुमोदित गुणवत्ता के बावजूद, महानिदेशक, इलेक्ट्रिसिटी क्वालिटी एश्योरेन्स ऐण्ड टेक्निकल रिसर्च आर्गेनाइज़ेशन ने पाया कि 48.71 लाख रुपये की सामग्री अनुबन्धित विनिर्देशों के अनुरुप नहीं थी।

(प्रस्तर 3द.5)

2.50 करोड़ रुपये पर मूल्यांकित सामग्री, 2 से 18 वर्षों तक श्रेणीबद्ध अवधि के लिये अनुपयोजित पड़ी रही। इसी प्रकार, 3.70 करोड़ रुपये के मूल्य की अनुपयोग्य और स्क्रैप सामग्री अनिस्तारित पड़ी रहीं।

(प्रस्तर 3द.6.2 एवं 3द.6.4)

2.71 करोड़ रुपये के स्क्रैप मूल्य वाले अनुपयोगी विद्युत ट्रान्सफार्मर 1 से 20 वर्षों तक अनिस्तारित पड़े रहे जिसके परिणामस्वरूप 48.68 लाख रुपये इन्वेन्ट्री कैरींग कास्ट के रूप में लगे। ट्रान्सफार्मर आयल की मानक से कम पुनर्प्राप्ति के कारण 24.19 लाख रुपये की हानि हुई।

(प्रस्तर 3द.6.3 एवं 3द.6.4.2)

ट्रान्सफार्मरों की मरम्मत हेतु एक रुग्ण औद्योगिक इकाई को आदेश प्रेषित किये जाने के परिणामस्वरूप आपूर्ति अवधि का बारम्बार विस्तार किया गया जिससे 20.45 लाख रुपये के मूल्य के ट्रान्सफार्मरों के विरुद्ध होने के साथ-साथ 3.44 लाख रुपये के मूल्य अन्तर का भी भुगतान हुआ।

(प्रस्तर 3द.6.4.4)

भण्डार लेखों की विलम्बित/बिलकुल नहीं बन्दी के परिणामस्वरूप अधिकतर प्रकरणों में अनखोजी सामग्री की कमी हुई। जब इन लेखों को बन्द किया गया और भौतिक सत्यापन किया गया तो 1.28 करोड़ रुपये के गबन का पता चला जिसके लिये उत्तरदायित्व नियत नहीं किया गया।

(प्रस्तर 3द.7.2)

3द.1 प्रस्तावना

सामग्री प्रबन्धन, सामग्री के उपयोजन, अधिप्राप्ति एवं नियोजन की आवश्यकताओं, उनकी प्राप्ति, भण्डारण, उपयोगकर्ता इकाईयों को उनका अन्तरण तथा अधिप्राप्ति एवं सामग्री भण्डारण व्ययों को न्यूनतम रखने के लिये सामग्री भण्डारण पर नियंत्रण रखने के दृष्टिकोण से अतिसर्तक पूर्वानुमान को सन्निहित करता है। इस उददेश्य से परिषद ने 1 अप्रैल 1975 से सामग्री प्रबन्धन एवं नियंत्रण संगठन (आई एम सी ओ) का गठन किया। तथापि, आई एम सी ओ की गतिविधियाँ, परिषद के केवल वितरण पक्ष के लिये आवश्यक सामग्री की अधिप्राप्ति और प्रबन्धन तक ही सीमित हैं। 1997-98 तक पाँच वर्षो में प्रारम्भिक अवशेष क्रय, निर्गम तथा अन्तिम अवशेष निम्नवत थेः

(लाख रुपये में)

वर्ष	प्रारम्भिक अवशेष	क्रय	योग	निर्गम	अन्तिम अवशेष
1993-94	2995.58	45287.79	48283.37	46347.79	1935.58
1994-95	1935.58	50076.50	52012.08	48478.68	3533.40
1995-96	3533.40	55328.96	58862.36	57712.03	6150.33
1996-97	6150.33	59825.43	65975.76	61169.82	4805.94
1997-98	4805.94	72800.73	77606.67	72238.04	5368.63

3द.2 संगठनात्मक ढाँचा

सामग्री प्रबन्धन और नियंत्रण संगठन, परिषद के सदस्य (वितरण) के समग्र प्रभार के अन्तर्गत एक मुख्य अभियन्ता, सामग्री प्रबन्धन (सी ई एम एम) द्वारा शीर्षित है। सामग्री की अधिप्राप्ति और उसका निरीक्षण, प्रत्येक एक अधीक्षण अभियन्ता द्वारा शीर्षित तीन विद्युत भण्डार अधिप्राप्ति मंडलों (ई एस पी सीज़) और एक भण्डार निरीक्षण वृत को सौंपा गया है। ई एस पी सीज़ द्वारा अधिप्राप्त सामग्री की प्राप्ति एवं उपभोगकर्ता खण्डों को उनके निर्गमों का नियंत्रण, मुख्य अभियन्ता एवं भण्डार नियंत्रक (सी ई सी ओ एस), सी ई एम एम तथा सी ई सी ओ एस के प्रभार के अन्तर्गत एक-एक अधिशाषी अभियन्ता द्वारा शीर्षित तेरह विद्युत भण्डार खण्डों (ई एस डीज़) सहित एक-एक अधीक्षण अभियन्ता द्वारा शीर्षित चार विद्युत भण्डार मंडलो (ई एस सीज़) द्वारा किया जाता है।

3द.3 लेखापरीक्षा का क्षेत्र

नवम्बर 1997 से मई 1998 के मध्य की गई समीक्षा, मार्च 1998 तक के पाँच वर्षों की अवधि में आवश्यकता के आंकलन की पद्धति, सामग्री की अधिप्राप्ति, सामग्री भण्डार, उपयोजन तथा परिषद के वितरण पक्ष के केन्द्रीय* रूप से अधिप्राप्ति भण्डारों की लेखाबन्दी सहित सामग्री प्रबन्धन के कार्यों को सम्मिलित करती है।

भण्डार खण्डों, अधिप्राप्ति वृत, भण्डार निरीक्षण मंडलों, सी ई एम एम तथा सी ई सी ओ एस में अवस्थित अभिलेखों की जाँच के दौरान देखे गये बिन्दुओं की चर्चा अनुवर्ती प्रस्तरों में की गई है।

3द.4 सामग्री की अधिप्राप्ति की कार्यविधि

यद्यपि, परिषद ने आई एम सी ओ का गठन बहुत पहले ही अप्रैल 1975 में कर दिया था, इसने आवश्यकताओं के आंकलन, निविदाओं को आमंत्रित करने, मूल्यांकन करने तथा अन्तिम रूप देने, निरीक्षण, सामग्री की प्राप्ति, निर्गम एवं लेखा बन्द करने की कार्यविधि को नियमबद्ध नहीं किया। परिषद के क्रय को, सम्बन्धित अधीक्षण अभियन्ता/ई एस पी सीज़ की हर निविदा पर दी गई संस्तुतियों के आधार पर तीन समितियों द्वारा अन्तिम रूप दिया जाता है, उदाहरणार्थ मुख्य अभियन्ताओं की समिति

* इकाईयों द्वारा तत्काल आवश्यकताओं पर आधारित सामग्री की अधिप्राप्ति को समीक्षा में सम्मिलित नहीं किया गया।

(50 लाख रुपये तक के आदेशों के लिये), सदस्यों की समिति (50 लाख रुपये से अधिक तथा 150 लाख रुपये तक) तथा अध्यक्ष द्वारा शीर्षित केन्द्रीय भण्डार क्रय समिति (150 लाख रुपये से अधिक)।

3द.4.1 आवश्यकता निर्धारण हेतु अपूर्ण पद्धति

परिषद ने अधिप्राप्त करने वाली सामग्रियों की आवश्यकता का निर्धारण करने के लिये कोई कार्यविधि निर्धारित नहीं की। आवश्यकताओं का निर्धारण, वर्ष के दौरान प्राप्त किये जाने वाले लक्ष्यों तथा गैर योजनागत कार्यों में पहले के उपभोग के आधार पर सी ई सी ओ एस द्वारा अन्तरिम रूप से किया जाता है। निर्धारित की गई ऐसी आवश्यकताओं को, वर्ष के लिये संशोधित लक्ष्यों के आधार पर पुनः संशोधित किया जाता है। तथापि, आवश्यकता निर्धारण की इस पद्धति में कुछ कमियाँ हैं क्योंकि यह असफल होती हैं:-

(i) अनुमोदित/चिन्हित योजनाओं के आंकलनों पर आधारित वास्तविक आवश्यकताओं का निर्धारण करने में,

(ii) क्रय बजट तैयार करने की किसी पद्धति के अभाव के कारण, अधिप्राप्ति की वित्तीय आवश्यकता को पूर्ण करने हेतु निधियों की उपलब्धता के साथ सम्बन्ध जोडने में, तथा

(iii) उपयोगकर्ता खण्डों से फीड बैक प्राप्त करने के लिये किसी पद्धति के अभाव में वितरण खण्डों के पास उपलब्ध सामग्री को खाते में लेने में।

पद्धति की अपूर्णता के कारण, मात्राओं के पुनर्निर्धारण में परिणामित, आवश्यकताओं का गलत निर्धारण तथा क्रय आदेशों की आपूर्ति अवधि में बारम्बार विस्तार किया गया जिससे 95.21 लाख रुपये का अतिरिक्त व्यय हुआ, जैसा नीचे वर्णित है:

3द.4.1.1 सी ई सी ओ एस द्वारा सूचित (नवम्बर 1995), वर्ष 1996-97 हेतु स्विच गियर की निर्धारित मात्रा (11 के वी, 350 एम वी ए, 800 एम्पियर) के आधार पर ई एस पी सी-I, लखनऊ द्वारा फरवरी 1996 में 30 अदद इनकमर तथा 90 अदद फीडर स्विच गियरों के लिये निविदायें आमंत्रित की गई।

सामग्रियों की आवश्यकता का निर्धारण करने के लिए एक पद्धति विकसित करने की असफलता के परिणामस्वरूप 95.21 लाख रुपये का अतिरिक्त व्यय हुआ।

तथापि, मई 1996 में इस मात्रा में 100 अदद इनकमर तथा 300 अदद फीडर स्विच गियरों तक की वृद्धि कर दी गई। निविदा की शर्तो के अनुसार, परिषद मात्रा में 50 प्रतिशत तक की वृद्धि कर सकता था। तदनुसार, परिषद ने 45 अदद इनकमर और 135 अदद फीडर स्विचगियरों की वृद्धिगत मात्रा के लिये, क्रमशः 2,28,476.57 रुपये और 1,58,720.05 रुपये प्रति की अभिगणित दर पर आदेश दे दिया। 55 अदद और 165 अदद की शेष मात्रा के लिये, परिषद ने नवम्बर 1996 में नई निविदा आमंत्रित की और क्रमशः 2,71,348 रुपये एवं 1,91,307.20 प्रति के अभिगणित दर पर आदेश प्रेषित किया। अतः, पहली बार में आवश्यकता के गलत निर्धारण के कारण, 55 अदद इनकमर तथा 165 अदद फीडर स्विच गियरों की अधिप्राप्ति पर 57.80 लाख रुपये का अतिरिक्त व्यय किया गया।

3.द.4.1.2 सी ई सी ओ एस द्वारा वर्ष 1995-96 हेतु सूचित (नवम्बर 1994) 11 के वी ट्रिपिल पोल मैनुअली आपरेटेड स्विच (टी पी एम ओ) की आवश्यकता के आधार पर, ई एस पी सी-। लखनऊ ने विनिर्देश संख्या ई एस पी सी-1/248/95 के विरूद्ध 5000 अदद 11 के वी टी पी एम ओ की अधिप्राप्ति हेतु निविदायें आमंत्रित की। सी एस पी सी के निर्णय (अगस्त 1995) के अनुसार, 2827.75 रुपये प्रति के न्यूनतम अभिगणित एफ ओ आर गंतव्य मूल्य पर 7500 अदद टी पी एम ओ की आपूर्ति हेतु आदेश प्रेषित किये गये। इसी बीच जुलाई 1995 में, टी पी एम ओ की निर्धारित आवश्यकता को 15200 अदद तक पुनर्निर्धारित कर दिया गया। वृद्धिगत आवश्यकता को पूर्ण करने के लिये, वृत ने 5000 अदद टी पी एम ओ हेतु विनिर्देश संख्या 254/95 के अन्तर्गत नई निविदायें आमंत्रित की जो अक्टूबर 1995 में खोली गई। तथापि, सी एस पी सी ने 3192.35 रुपये प्रति के न्यूनतम अभिगणित एफ ओर आर गंतव्य मूल्य पर 7500 अदद टी पी एम ओ की अधिप्राप्ति करने का निर्णय लिया(अगस्त 1996)। अतः, आवश्यकता के गलत निर्धारण के कारण, परिषद द्वारा 7500 अदद टी पी एम ओ की अधिप्राप्ति के लिए 27.35 लाख रुपये का अतिरिक्त व्यय किया गया।

3द.4.1.3 ई एस पी सी III, लखनऊ ने, फरवरी 1996 में सी ई सी ओज द्वारा सूचित वर्ष 1996-97 की आवश्यकता के अनुसार, 6000 अदद 33 के वी पिन इन्सुलेटरों की अधिप्राप्ति के लिये विनिर्देश संख्या 13/96 के अन्तर्गत निविदायें आमंत्रित की (अप्रैल 1996)। न्यूनतम मूल्यांकित दर 263.36 रुपये प्रति की थी और अगस्त 1996 में क्रय समिति के निर्णय के अनुसार 12000 अदद के लिये आदेश प्रेषित किये गये (फरवरी 1997)। निर्धारित आवश्यकता को 60000 अदद तक पुनर्निर्धारित कर दिया गया जिसके लिये विनिर्देश संख्या 17/96 के अन्तर्गत, बढ़ी हुई मांग को पूर्ण करने के लिये 48000 अदद की अधिप्राप्ति हेतु नई निविदायें आमंत्रित की गई (सितम्बर 1996)। इस निविदा के विरुद्ध न्यूनतम अभिगणित दर 284.32 रुपये प्रति थी जिसके आधार पर फरवरी 1997 में 48000 अदद के लिये आदेश

प्रेषित कर दिये गये। अतः, फरवरी 1996 में आवश्यकता के गलत निर्धारण के कारण, परिषद द्वारा 10.06 लाख रुपये का अतिरिक्त व्यय किया गया।

3द.4.2 सामग्री की अधिप्राप्ति में अनियमिततायें

सामग्री प्रबन्धन की प्रभावकारी और सफल पद्धति के लिये आवश्यक हैं (i) क्रयों को, एक औचित्यपूर्ण समय अवधि के अन्दर प्रयोग हेतु वास्तविक रूप से आवश्यक मदों तक सीमित रखना, तथा (ii) यह सुनिश्चित करना कि यह क्रय अत्यन्त प्रतिस्पर्धा मूल्यों पर किये जायें। जैसा कि जाँच परीक्षण में देखे गये, वे प्रकरण जिनमें क्रय उच्चतर दरों पर किये गये, चर्चा अनुवर्ती प्रस्तरों में की गई है :

तकनीकी रूप से उपयुक्त निम्न प्रस्तावों पर आदेशों का प्रेषण करने में विफल होने के कारण 2.42 करोड़ रुपये का अतिरिक्त व्यय हुआ।

3द.4.2.1 विनिर्देश संख्या ई एस पी सी-I/223/93 के विरुद्ध 60 अदद 5 एम वी ए ट्रान्सफार्मरों के क्रय हेतु निविदायें अगस्त 1993 में खोली गई। सी एस पी सी को प्रस्ताव भेजते समय, सी ई एम एम ने विशेष रूप से संस्तुति की कि टेक्निकल एसोशियेट्स, लखनऊ (12.60 लाख रुपये प्रति ट्रान्सफार्मर की न्यूनतम अभिगणित दर सहित) सहित उत्तर प्रदेश की फर्मों की तकनीकी और वित्तीय सामर्थ्य, एक समिति द्वारा विनिश्चित की जाये। उसने, भविष्य में निम्न दर प्राप्त करने में सक्षम होने के लिये 2 ट्रान्सफार्मरों के एक परीक्षण आदेश दिये जाने की पुनः संस्तुति की, बशर्ते परीक्षण आदेश के विरुद्ध की गई आपूर्तियाँ तकनीकी मानकों के अनुरूप हों। तथापि, सी एस पी सी ने संस्तुतियों पर विचार नहीं किया और न्यूनतम तकनीकी रूप से उपयुक्त प्रस्ताव को, अपेक्षित अनुभव की कमी होने के आधार पर उपेक्षित कर दिया। परिणामस्वरूप समस्त मात्रा के लिये आदेश, द्वितीय न्यूनतम निविदाकर्ता (मेसर्स मारसन्स, कलकत्ता, 14.86 लाख रुपये) की दर पर कर दिये गये। अतः, न्यूनतम उद्धरित दर पर आपूर्ति के लिये एक जवाबी प्रस्ताव किये बिना, द्वितीय न्यूनतम दरों पर 65 अदद ट्रान्सफार्मरों के आदेश का प्रेषण, 146.90 लाख रुपये के अतिरिक्त व्यय में परिणामित हुआ। यह कहना अन्योक्ति नहीं होगी कि सामग्री की अधिप्राप्ति के लिये राज्य के निर्माताओं को, पूर्वकाल के अनुभव से सम्बन्धित शर्त को शिथिल करते हुये भी, प्राथमिकता देने की परिषद की नीति थी।

3द.4.2.2 250 के वी ए क्षमता के 750 अदद ट्रान्सफार्मरों (विनिर्देश संख्या ई एस पी सी-I/178/90) के क्रय हेतु निविदायें जुलाई 1990 में खोली गई। राजस्थान ट्रान्सफार्म ऐण्ड स्विच गियर (आर टी

एस), जयपुर द्वारा उद्धरित 69002 रुपये के न्यूनतम प्रस्ताव को इस आधार पर निरस्त कर दिया गया कि प्रस्तावित ट्रान्सफार्मरों की पूरी तरह से परीक्षा नहीं की गई थी। अन्य चार निम्न प्रस्तावों को भी इस आधार पर निरस्त कर दिया गया था कि फर्मो के पास तीन वर्षों का संचालन अनुभव तथा ट्रांसफार्मरों की विनिर्दिष्ट मात्रा के 20 प्रतिशत के बराबर निर्माण क्षमता नहीं थी। परिणामस्वरूप, सी एस पी सी ने मारसन्स, कलकत्ता द्वारा उद्धरित 79487 रुपये की छठी न्यूनतम दर को स्वीकार कर लिया (नवम्बर 1990)। तथापि, यह देखा गया कि आर टी एस, जयपुर ने निविदा अभिलेखों के साथ पूर्व काल सम्पादन प्रमाणपत्र प्रस्तुत किया था जिसके अनुसार फर्म, अप्रैल 1976 से राजस्थान राज्य विद्युत परिषद (आर एस ई बी) को 250 के वी ए/500 के वी ए ट्रान्सफार्मरों की लगातार आपूर्ति कर रही थी और उनके संतोषप्रद सम्पादन को आर एस ई बी द्वारा सितम्बर 1990 में प्रमाणित किया गया था। पुनः यह देखा गया कि सफल निविदाकर्ताओं के प्रकरण में, टाइप टेस्ट* की शर्त का अधित्याग किया गया था। अतः, पूर्णतया परीक्षित न होने के आधार पर न्यूनतम प्रस्ताव के निरस्त किये जाने के फलस्वरूप, मार्च 1991 से अगस्त 1994 की अवधि के दौरान 250 के वी ए क्षमता के 908 ट्रान्सफार्मरों के क्रय पर 95.20 लाख रुपये का अतिरिक्त व्यय हुआ।

3द.4.3 गलत मूल्यांकन

3द.4.3.1 एक्स-वर्क्स मूल्य के गलत आगणन के कारण अतिरिक्त व्यय

निविदा विनिर्देश में, निवेशों (इन्पुटस) के कम भार के लिये वसूली प्रभावी करने हेतु एक उपयुक्त धारा के सम्मिलित न किये जाने के कारण, परिषद 65.61 लाख रुपये की वसूली नहीं कर सका।

एक ट्रान्सफार्मर, कोर लैमिनेशन्स, एच वी और एल वी लेग क्वायलों, ट्रान्सफार्मर आयल, मृदु इस्पात, विद्युत रोधन तथा उपस्करों से युक्त होता है। तदनुसार, एक ट्रान्सफार्मर का मूल्य, उत्पादन में प्रयुक्त इन सामग्रियों की मात्रा पर निर्भर करता है। उसके तुलनात्मक मूल्य का मूल्यांकन करते समय, निविदा देने वाली इकाई को तुलनात्मक निवेश (इनपुट)आवश्यकताओं, उनकी प्रचलित इकाई दरों, छीजन, श्रम उपरिव्यय तथा लाभ घटकों सहित मूल्य अवयवों की रूपरेखा बनानी होती है। तथापि, मूल्य के तुलनात्मक मूल्यांकन को सुगम बनाने के लिये उद्धरित होने वाले निवेशों के भार के विनिर्देश को निविदा में इंगित किये बिना, परिषद ने विनिर्देश संख्या 223/93 के विरुद्ध 50 अदद 5 एम वी ए

* ट्रान्सफार्मर की विनिर्दिष्ट क्षमता को विनिश्चित करने के लिये परीक्षण

(33/11 के वी) ट्रान्सफार्मरों के क्रय हेतु निविदायें आमंत्रित की जिन्हें अगस्त 1993 में खोला गया। मारसन्स, कलकत्ता द्वारा उद्धरित नयूनतम एफ ओ आर गंतव्य दर 14.66 लाख रुपये थी जिसके आधार पर तीन फर्मों यथा मारसन्स, कलकत्ता, मारसन्स, आगरा एवं एम ई आई, मिर्जापुर को 65 अदद ट्रान्सफार्मरों की आपूर्ति हेतु आदेश प्रेषित कर दिये गये।

कलकत्ता और मिर्जापुर की फर्मों द्वारा प्रस्तुत निविदाओं की संवीक्षा ने प्रगट किया कि मेसर्स एम ई आई, मिर्जापुर को मारसन्स, कलकत्ता के दर की अनुमति दी गई यद्धपि उसके द्वारा प्रस्तावित ट्रान्सफार्मरों के तुलनात्मक भार, कोर, एच वी/एल वी लेग क्वायलों, टैंक उपस्करों और ट्रान्सफार्मर आयल आदि की न्यूनतम मात्रा के कारण 2202 कि ग्रा कम था। कम प्रयोग की गई सामग्री का मूल्य 2.43 लाख रुपये प्रति ट्रान्सफार्मर आगणित की गई। एम ई आई, मिर्जापुर को अनुमत होने वाली एक्स-वर्क्स दरों की गणना करते समय, प्रयोग की गई सामग्री की कम मात्रा के कारण 2.43 लाख रुपये के अनुरूप कटौती, तथापि, इस सम्बन्ध में निविदा विनिर्देश में एक उपयुक्त धारा के सम्मिलित न किये जाने के कारण नहीं की जा सकी जिससे 27 अदद 5 एम वी ए ट्रान्सफार्मरों की आपूर्ति पर 65.61 लाख रुपये का अतिरिक्त व्यय हुआ।

3द.4.3.2 ट्रान्सफार्मरों का अविवेकपूर्ण क्रय

उच्चतर सम्पादन गारण्टी अवधि के असमर्थनीय आधार पर, उच्च दरों पर ट्रान्सफर्मरों की अधिप्राप्ति के परिणामस्वरूप 47.99 लाख रुपये की हानि हुयी।

ई एस पी सी-I, लखनऊ द्वारा तीन वर्षों की सम्पादन गारण्टी सहित 18000 अदद 25 के वी ए ट्रान्सफार्मरों के लिये निविदायें आमंत्रित की गई (अगस्त 1995) और 38 तकनीकी रूप से स्वीकार्य निविदाकर्ताओं में से, 16 ने 3 वर्ष के बजाय जैसा कि निविदा में विनिर्दष्ट था, 18 महीनों की सम्पादन गारण्टी के साथ, दर को उद्धरित किया। 18 महीनों और 3 वर्षों की सम्पादन गारण्टी सहित न्यूनतम अभिगणित एफ ओ आर दर क्रमशः माडर्न, गाज़ियाबाद की 18800 रुपये और आनन्द, फैजाबाद की 20035 रुपये थी।

दरों का मूल्यांकन करने के सी एस पी सी के निर्देश पर (सितम्बर 1995), सी ई एम एम ने सूचित किया (अप्रैल 1996) कि 18 महीनों की सम्पादन गारण्टी की तुलना में, 3 वर्षों की सम्पादन गारण्टी सहित क्रय किये गये प्रत्येक ट्रान्सफार्मर पर 621.75 रुपये (18 महीनों के दौरान प्रत्येक

ट्रान्सफार्मर के मरम्मत का औसत व्यय) की बचत थी। लेखापरीक्षा ने, तथापि, देखा कि 18 महीनों की गारण्टी वाले ट्रान्सफार्मर सस्ते थे क्योंकि उनमें समग्र रूप से प्रति ट्रान्सफार्मर* 533.25 रुपये की बचत थी। जबकि, अप्रैल 1996 में सी एस पी सी ने माडर्न, गाजियाबाद से 18880 रुपये की अभिगणित एफ ओ आर गंतव्य दर पर 18 महीनों की सम्पादन गारण्टी सहित, मई 1996 तक आपूर्ति किये जाने वाले 300 अदद ट्रान्सफार्मरों को क्रय करने का निर्णय लिया, मई 1996 में सी एस पी सी ने 3 वर्षों की सम्पादन गारण्टी सहित 21 फर्मों को 20035 रुपये की दर पर 9000 वितरण ट्रान्सफार्मरों (25 के वी ए) के लिये पुनः आदेश प्रेषित कर दिये। अतः, अविवेक पूर्ण निर्णय के कारण, परिषद को 9000 अदद वितरण ट्रान्सफार्मरों पर 533.25 रुपये प्रति ट्रान्सफार्मर की दर से 47.99 लाख रुपये की राशि का परिहार्य व्यय करना पड़ा।

स्थानीय प्रबन्धकों ने बताया (अक्टूबर 1998) कि 36 महीनों की उच्चतर गारण्टी सहित (पहले वाले प्रकरण में 18 महीनों की गारण्टी के विरुद्ध) थोड़े महँगें ट्रान्सफार्मरों की अधिप्राप्ति औचित्यपूर्ण थी। कम गारण्टी अवधि के ट्रान्सफार्मरों की अधिप्राप्ति में मामूली बचत को देखते हुये, उत्तर स्वीकार्य नहीं है और परिषद ने भी स्वीकार किया (अक्टूबर 1998) कि गारण्टी अवधि उतनी प्रासंगिक नहीं थी क्योंकि उचित रूप से अभिकल्पित ट्रान्सफार्मर का सामान्य जीवन काल 20 वर्ष था।

3द.4.4 आपूर्ति अवधि के विस्तार के कारण आपूर्तिकर्ताओं को अनुचित लाभ

ई एस पी सी-I, लखनऊ ने मेसर्स मारसन्स कलकत्ता को 20.85 लाख रुपये प्रति के अभिगणित एफ ओ आर गन्तव्य मूल्य पर (बिक्री कर रहित) विनिर्देश संख्या ई एस पी सी-I/233/93 के विरुद्ध 2 अदद 8 एम वी ए (33/11 के वी) विद्युत ट्रान्सफार्मरों की आपूर्ति का आदेश दिया (मार्च 1995)। उपरोक्त ट्रान्सफार्मरों की आपूर्ति जून 1995 और जनवरी 1996 के मध्य पूर्ण हो जाना चाहिये थी। चूँकि फर्म, मार्च 1996 तक ट्रान्सफार्मरों के आपूर्ति में विफल रही, अप्रैल 1996 में आदेश निरस्त कर दिया गया। इस जानकारी के बावजूद, कि जनवरी 1996 में विनिर्देश संख्या-258/95 के विरुद्ध उसी क्षमता के ट्रान्सफार्मरों के लिये प्राप्त की गई दर 14.65 लाख रुपये थी, फर्म (मेसर्स मारसन्स, कलकत्ता) के आदेश को उनकी प्रार्थना पर इस शर्त के साथ पुरानी दरों पर पुनर्प्रभावी कर दिया गया कि दोनों ट्रान्सफार्मरों की आपूर्ति जुलाई 1996 तक कर दी जायेगी। तथापि, फर्म द्वारा ट्रान्सफार्मरों की आपूर्ति अगस्त 1996 में की गई। इससे, 12.40 लाख रुपये का अतिरिक्त भुगतान करके फर्म को लाभ पहुंचाया

* 3 वर्षों की गारण्टी अवधि वाले ट्रान्सफार्मरों का मूल्यः 20035 रुपये –(18 माह की गारण्टी अवधि वाले ट्रान्सफार्मर का मूल्यः 18880 रुपये +शेष 18 माहों में मरम्मत का मूल्यः 621.75 रुपये)

गया। इसके अतिरिक्त, परिषद ने विलम्बित आपूर्ति के लिये कोई अर्थदण्ड (2.78 लाख रुपये) नहीं लगाया तथा 3.96 लाख रुपये की सीमा तक के मूल्य अन्तर का भी भुगतान किया।

3द.4.5 मूल्य अन्तर का गलत आगणन

3द.4.5.1 मूल्य अन्तर के विरुद्ध वसूली न की जानी

अन्य 15 फर्मों के प्रकरण को अन्तिम रूप न दिये जाने के आधार पर सात फर्मों से निवेशों के मूल्य में कमी किये जाने हेतु वसूली को, स्थगित करने के कारण, 24.21 लाख रुपये की वसूली नहीं की गई।

एस ई, इस्पात प्रकोष्ठ, लखनऊ द्वारा केवल एच टी वायर और सीमेन्ट पर मूल्य अन्तर की शर्त सहित 768.91 रुपये प्रति खम्भे की एक्स-वर्क्स दर पर विनिर्देश संख्या इस्पात प्रकोष्ठ-11 के विरुद्ध 22 फर्मों को 2.16 लाख 8.5 मीटर लम्बे पी सी सी खम्भों की आपूर्ति के आदेश दिये गये। 1 अगस्त 1995 को प्रचलित कच्ची सामग्रियों (एच टी वायर और सीमेन्ट) के आधार मूल्य को ध्यान में रखते हुये मूल्य अन्तर की अनुमति, मेसर्स मुकुन्द लिमिटेड, बम्बई और मेसर्स उत्तर प्रदेश राज्य सीमेन्ट निगम लिमिटेड की विज्ञप्ति के अनुसार क्रमशः एच टी वायर और सीमेन्ट की दर के अन्तर पर दी जानी थी। मूल्य अन्तर की अनुमति, सम्बन्धित आदेशकर्ता प्राधिकारी के अनुमोदन के उपरान्त ही दी जानी थी।

अभिलेखों की संवीक्षा ने प्रगट किया (मई 1998) कि सम्बन्धित एस ई, इस्पात प्रकोष्ठ, लखनऊ द्वारा फरवरी 1996 से मई 1997 के दौरान मूल्य अन्तर के कारण, 0.87 रुपये से 74.53 रुपये प्रति पी सी सी खम्भे के मध्य श्रेणीबद्ध मूल्य में कमी करने के लिये सम्बन्धित भण्डार खण्डों को 24.21 लाख रुपये की सीमा तक की कटौती करने के अनुदेश सहित सात फर्मों को पत्र निर्गत किये गये (जुलाई 1997)। शेष 15 फर्मों से सम्बन्धित, मूल्य में कमी किये जाने के पत्र, सक्षम प्राधिकारी द्वारा लिये जाने वाले निर्णय के अभाव में निर्गत नहीं किये जा सके। अतैव, मुख्य अभियन्ता (सामग्री प्रबन्ध) ने 7 फर्मों से सम्बन्धित वसूली आदेशों को भी इन फर्मों की शिकायत के आधार पर स्थगित कर दिया (अगस्त 1997) और तीन अधिकारियों की एक समिति का (दो एस ई एवं एक उप मुख्य लेखाधिकारी और वित्तीय सलाहकार), एक माह के अन्दर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करने के अनुदेश सहित, गठन किया। समिति की रिपोर्ट अब तक (मई 1998) प्रतीक्षित थी।

अतः, 15 फर्मों से सम्बन्धित प्रकरण को अन्तिम रूप न दिये जाने के आधार पर 7 फर्मों से वसूली के स्थगन के कारण, अक्टूबर 1998 तक 24.21 लाख रुपये की राशि की वसूली नहीं की जा सकी।

3द.4.5.2 मूल्य अन्तर का अनियमित भुगतान

नवम्बर 1996 में, ई एस पी सी-III, लखनऊ ने विनिर्देश संख्या 3/96 के विरुद्ध जी आई वायर्स और जी एस एस वायर की आपूर्ति हेतु कलकत्ता की तीन फर्मों को (इण्डिया स्टील कार्पोरेशन, एस ए इण्टरप्राइजेस एवं सी बिल्ड कम्पनी) आदेश प्रेषित किये।

मूल्य अन्तर की धारा के अनुसार मूल्य परिवर्तनीय थे जिसके अन्तर्गत मूल्य का निर्धारण आपूर्ति की तिथि से 15 दिनों पहले की तिथि पर, वायर राड्स और जिंक इन्गोट्स की प्रचलित दरों के आधार पर किया जाना था। आपूर्ति की तिथि वह तिथि होनी थी जिस पर वायर्स वास्तव में निरीक्षण हेतु तैयार थे अथवा संविदागत वितरण तिथि, जो पहले थी।

अभिलेखों की संवीक्षा ने प्रगट किया कि उपरोक्त तीनों फर्मो ने पत्र दिनाँक 17 अप्रैल 1997 द्वारा 750 एम टी वायर्स के निरीक्षण का प्रस्ताव किया परन्तु सभी प्रकरणों में तिथि के ऊपर पुनः लिखा गया था। तथापि, जैसा कि लेखा परीक्षण में देखा गया, इण्डिया स्टील कार्पोरेशन के प्रस्ताव की वास्तविक तिथि 12 अप्रैल 1997, एस ए इण्टरप्राइजेस की 10 अप्रैल 1997 तथा सी बिल्ड कम्पनी प्राइवेट लिमिटेड की 14 अप्रैल 1997 थी। अतैव वास्तविक तिथियों के अनुसार मार्च 1997 के लिये लागू होने वाला मूल्य अन्तर (1038.35 रुपये प्रति एम टी) देय था जबकि अप्रैल 1997 का मूल्य अन्तर (1324.85 रुपये प्रति एमटी) का भुगतान 17 अप्रैल 1997 की पुनः लिखी तिथि के आधार पर किया गया था। अतः, 750 एम टी वायर्स की आपूर्ति के विरुद्ध, इन फर्मों को 2.23 लाख रुपये का अतिरिक्त भुगतान किया गया जो अनियमित और फर्म को अनुचित पक्षकारी थी।

3द.4.6 आदेशित मात्रा में वृद्धि के कारण अतिरिक्त व्यय

जून 1997 में, ई एस पी सी-III, लखनऊ ने विनिर्देश संख्या 12/96 के विरुद्ध मेसर्स भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड (बी एच ई एल) के पक्ष में क्रमशः 205 रुपये और 225 रुपये की दर पर 40000 अदद 11 के वी डिस्क इन्सुलेटर टी ऐण्ड सी श्रेणी (45 के एन) तथा 30000 अदद डिस्क

इन्सुलेटर बी ऐण्ड एस श्रेणी (70 के एन) की आपूर्ति हेतु आदेश प्रेषित किये। आपूर्ति, फरवरी 1998 तक पूर्ण की जानी थी। विनिर्देश संख्या 9/97 के विरुद्ध, समान मदों के लिये निविदायें पुनः आमंत्रित की गई और मूल्य भाग को 28 अक्टूबर 1997 को खोला गया। उपरोक्त इन्सुलेटरों को, उसी फर्म (मेसर्स बी एच ई एल) द्वारा उद्धरित न्यूनतम दर क्रमशः 194.04 रुपये और 205.13 रुपये थी जो सी एस पी सी द्वारा 2 दिसम्बर 1997 को अनुमोदित की गई। इसी बीच, विनिर्देश संख्या 12/96 के विरुद्ध, आदेशित मात्रा को, अनुवर्ती निविदा (9/97) के विरुद्ध फर्म द्वारा उद्धरित 194.04 रुपये और 205.13 रुपये दरों पर आपूर्ति करने का आग्रह किये बिना, 205 रुपये और 225 रुपये प्रति की पूर्व दरों पर क्रमशः 15000 अदद और 20000 अदद तक बढ़ा दिया गया (20 नवम्बर 1997)। इसके परिणामस्वरूप, 5.62 लाख रुपये का अतिरिक्त व्यय हुआ (उत्पादन शुल्क और बिक्री कर को छोड़ कर)।

3द.4.7 आपूर्ति अवधि में संशोधन के कारण अतिरिक्त व्यय

इक्युपमेन्ट्स कण्डक्टर ऐण्ड केबिल्स, नई दिल्ली को, मूल्य अन्तर सूत्र के अनुसार समायोजित होने वाले 5599 रुपये प्रति कि मी के एक्स-वर्क्स मूल्य पर, विनिर्देश संख्या-266/92 के विरुद्ध, 3500 कि मी 'ऐऐऐ' वीसल कण्डक्टर की आपूर्ति का आदेश प्रेषित किया गया (अगस्त 1993)। 1500 कि मी कण्डक्टर की आपूर्ति हेतु प्राविधानित, आपूर्ति आदेश की आपूर्ति समय सूची दिसम्बर 1993 तक तथा शेष 2000 कि मी कण्डक्टर की मार्च 1994 थी। तथापि, आदेश की मात्रा को उसी दर पर 5000 कि मी तक बढ़ा दिया गया (सितम्बर 1993) तथा अतिरिक्त मात्रा की आपूर्ति जून 1994 तक की जानी थी। ऐसा देखा गया कि आपूर्तिकर्ता, आदेश की आपूर्ति समय सूची का पालन करने में असफल हो गया जिसे आपूर्ति की वास्तविक तिथि के आधार पर बारम्बार संशोधित किया गया। आपूर्तिकर्ता द्वारा समय विस्तार की मांग, मुख्यतः हरियाणा राज्य विद्युत परिषद द्वारा लगभग 8 घण्टे प्रतिदिन की विद्युत कटौती, जो संविदा किये जाने से पूर्व ही आपूर्तिकर्ता के सज्ञान में थी तथा सामग्री की कमी जो आदेश/समझौते की शर्तों

समझौते की शर्तों के अन्तर्गत न आने वाले असमर्थनीय आधार पर, उस महीने जिसमें फर्म ने सामग्रियों की आपूर्ति की, से संगति बैठाते हुए आपूर्ति अवधि के विस्तार के परिणामस्वरूप 106.14 लाख रुपये का मूल्य अन्तर हुआ तथा 28.36 लाख रुपये का अर्थदण्ड भारित नहीं हुआ।

के अन्तर्गत नहीं आती थी, के आधार पर की गई। अतः आपूर्तिकर्ता की प्रार्थना पर, आदेश के प्राविधानों के अन्तर्गत न आने वाले समय विस्तार की स्वीकृति के कारण, परिषद को दिसम्बर 1993 से जून 1997 के दौरान, 4997.861 कि मी कण्डक्टर की अधिप्राप्ति पर 106.14 लाख रुपये की राशि के मूल्य अन्तर का परिहार्य भुगतान करना पड़ा। इसके अतिरिक्त, परिषद, विलम्बित आपूर्ति के लिये 28.36 लाख रुपये का अर्थदण्ड भी अधिभारित नहीं कर सका जो वह, आपूर्ति आदेश की शर्तों के अनुसार अन्यथा आरोपित कर सकता था।

3द.4.8 परिवहन प्रभारों का परिहार्य भुगतान

ट्रान्सफार्मर, कण्डक्टर, खम्भे एवं अन्य लाइन सामग्रियाँ, ई एस पी सीज़ द्वारा, एफ ओ आर गंतव्य के आधार पर राज्य में कहीं भी अधिप्राप्त होती रही है तथा भण्डार केन्द्रों के कार्यक्षेत्र के अन्तर्गत खण्डों द्वारा सामग्री की आवश्यकता के आधार पर, विनिर्देशित केन्द्रों पर विनिर्देशित मात्रा की आपूर्ति हेतु, सी ई सी ओ एस द्वारा प्रेषण अनुदेश जारी किये जाते हैं। लेखापरीक्षा में यह देखा गया कि भण्डार केन्द्रों पर आवश्यकता के गलत निर्धारण के कारण, सामग्रियों का परिवहन पुनः एक भण्डार केन्द्र से दूसरे भण्डार केन्द्र/खण्ड में किया गया जिससे परिहार्य व्यय हुआ। 6 ई एस डीज़ की लेखापरीक्षा ने प्रगट किया कि सामग्रियों के पुनः परिवहन पर 11.45 लाख रुपये का परिहार्य व्यय किया गया।

3.द.5 गुणवत्ता नियंत्रण

परिषद ने, भण्डार संगठन के विभिन्न भण्डार केन्द्रों पर आपूर्ति की गई सामग्री का निरीक्षण करने के लिये एक मुख्य अभियन्ता (महानिदेशक के रूप में पदनामित) द्वारा शीर्षित इलेक्ट्रिसिटी क्वालिटी एश्योरेन्स ऐण्ड टेक्निकल रिसर्च आर्गेनाइजेशन (इक्वेटर) नाम की एक तकनीकी शाखा का गठन किया (1992)। यह, शिकायतों के विरुद्ध भी सामग्री की जाँच करने की एवं विद्युत भण्डार निरीक्षण वृत (ई एस आई सी) तथा प्रेषती खण्ड द्वारा की गई जाँच के अतिरिक्त, सामग्री की गुणवत्ता की शुद्धता की छानबीन करने के लिए भी अपेक्षित था। निविदा विनिर्देशों के साथ मेल न खाने वाली सामग्री के लिये उपचारी कार्यवाही करने के लिए, इक्वेटर को अपने प्रतिवेदन, अध्यक्ष को प्रस्तुत करने होते थे।

परिषद मुख्यालय की नियमित जांच इकाई एवं संबंधित प्रेषकों द्वारा सामग्री की अनुमोदित गुणवत्ता के बावजूद, इक्वेटर के महानिदेशक ने पाया कि 48.71 लाख रुपये की सामग्री अनुबंधित विनिर्देशों के अनुरूप नहीं थी, तब भी न तो गलत निरीक्षण का उत्तरदायित्व नियत किया गया और न ही वसूली की गई।

यह देखा गया कि इक्वेटर के द्वारा जुलाई 1993 से नवम्बर 1997 की अवधि के दौरान, निरीक्षण (7 बार) सम्पन्न करते समय सूचित किया गया कि 48.71 लाख रुपये के मूल्य की सामग्री विनिर्देशों से मेल नहीं खाती थीं। तथापि, आपूर्तिकर्ता से आनुपातिक मूल्य की वसूली करने अथवा ई एस आई सी एवं प्रेषती खण्डों द्वारा गलत निरीक्षण किये जाने के लिये उत्तरदायित्व नियत करने की कोई कार्यवाही अब तक (जून 1998) नहीं की गई।

3द.5.1 केबिल्स एवं बाइवेक्टर मीटरों की दोषपूर्ण आपूर्ति

(i) विनिर्देश संख्या-288/94 के विरुद्ध, दिसम्बर 1996 में सेन्ट्रल केबिल्स लिमिटेड, नागपुर द्वारा आपूर्ति की गई 18 लाख रुपये पर मूल्यांकित 1200 मीटर 33 के वी केबिल्स (3x120 वर्ग मि मी) कैलाशपुरी बंधे पर बिछाई गई (मई 1997) और उसी महीने क्षतिग्रस्त हो गई। मुख्य अभियन्ता (वितरण), लखनऊ के अनुसार (जुलाई 1997), केबिल्स में निर्माणदोष थे क्योंकि अन्दर का कण्डक्टर कार्बनीकृत पाया गया।

(ii) इसी प्रकार, विनिर्देश संख्या 287/94 के विरुद्ध, सेन्ट्रल केबिल्स लिमिटेड, नागपुर द्वारा आपूर्त की गई 3.80 लाख रुपये पर मूल्यांकित 253 मीटर एक्स एल पी ई केबिल (3ग300 वर्ग मि मी), विद्युत निर्माण खण्ड-I, लेसू को, बापू भवन को संयोजन निर्मुक्त करने हेतु निर्गत की गई। केबिल दोषयुक्त पाई गई (जुलाई 1997) क्योंकि केबिल का इन्सुलेशन रेसिसटेन्स कम था।

जून 1998 तक न तो केबिल्स प्रतिस्थापित किये गये थे और न ही फर्म से केबिल्स के मूल्य की वसूली की गयी थी।

(iii) अधीक्षण अभियन्ता, विद्युत भण्डार अधिप्राप्ति वृत-III, लखनऊ (एस ई एस पी सी-III) ने विनिर्देश संख्या ई एस पी सी III/8/89 के विरुद्ध मेसर्स इण्डस्ट्रियल मोटर्स प्राइवेट लिमिटेड,

मुम्बई (आई एम पी) को 78 लाख रुपये के कुल एक्स-वर्क्स मूल्य पर (उत्पादन शुल्क और बिक्री कर को छोड़ कर)1000 अदद (300 अदद एच टी एवं 700 अदद एल टी) बाइवेक्टर मीटरों की आपूर्ति हेतु आदेश प्रेषित किये (अप्रैल 1991)। 400 रुपये प्रति मीटर की दर से परिवहन हेतु, 4 लाख रुपये के औसत भाड़े एवं बीमा का भी भुगतान किया जाना था। आपूर्ति समय सूची के अनुसार, 500 अदद (150-एच टी एवं 350 एल टी) मीटरों की आपूर्ति नवम्बर 1991 तक की जानी थी और शेष 500 मीटरों के लिये आपूर्ति समय सूची, आपूर्तियों के संतोषजनक पूर्ण होने और संतोषजनक सम्पादन के पश्चात् निर्गत की जानी थी।

एस ई, ई एस पी सी-III, लखनऊ के अभिलेखों की संवीक्षा ने प्रगट किया (अक्टूबर 1998) कि तीन विद्युत भण्डार खण्डों द्वारा 500 मीटरों की प्राप्ति (जून 1991 से अप्रैल 1992 के दौरान) के विरुद्ध 492 मीटरों को, उपभोक्ता के परिसरों पर अधिष्ठापन हेतु सम्बन्धित विद्युत परीक्षण खण्डों को निर्गत किया गया। 0.66 लाख रुपये के मूल्य के (करों को छोड़ कर) शेष 8 मीटर भण्डार खण्डों में अब तक (अक्टूबर 1998) अप्रयोजित पड़े हैं। उपभोक्ता के परिसरों में मीटर अधिष्ठापित किये जाने पर, मीटरों का सम्पादन, स्तर तक नहीं पाया गया और क्षेत्रीय अधिकारियों से इन मीटरों के खराब सम्पादन की शिकायतों की प्राप्ति पर, एस ई, ई एस पी सी-III, लखनऊ द्वारा शेष 500 मीटरों के आदेश को निरस्त कर दिया गया (मार्च 1995)। आपूर्तिकर्ता से मीटरों की दोषपूर्ण आपूर्ति के लिये किसी धनराशि की वसूली नहीं की गई और फर्म की 8.20 लाख रुपये की बैंक गारण्टी को निर्मुक्त कर दिया गया (जुलाई 1995)।

यह देखा गया कि आपूर्तिकर्ता द्वारा इन मीटरों के प्रेषण से पूर्व इनका विनिर्देशों के अनुसार यू पी एस ई बी के निरीक्षण अधिकारी द्वारा निरीक्षण एवं परीक्षण किया गया था। तथापि अक्टूबर 1998 तक न तो अनुचित निरीक्षण के लिये उत्तरदायी अधिकारियों के विरुद्ध और न ही दोषपूर्ण आपूर्ति के लिये आपूर्तिकर्ता के विरुद्ध कोई कार्यवाही आरम्भ की गई।

अतः, अनुचित निरीक्षण के कारण, परिषद को हानि उठानी पड़ी जिसकी मात्रा का निर्धारण, 41 लाख रुपये के मूल्य (करों को छोड़ कर) की कुल आपूर्ति में से वास्तविक दोषपूर्ण आपूर्ति के विवरण उपलब्ध न होने के कारण नहीं किया जा सका।

3द.6 सामग्री नियंत्रण

सामग्री नियंत्रण एक आवश्यक प्रकार्य है और एक ओर सामग्री भण्डारण को न्यूनतम रखने तथा दूसरी ओर सामग्री की उपलब्धता को अधिकतम् करने के अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के दृष्टिकोण से यह निर्णय लेना निहित करता है कि कब और कितना क्रय किया जाय।

3द.6.1 भण्डार सामग्री

निम्न सारणी, भण्डारण संगठन के अन्तर्गत 1997-98 तक के पिछले तीन वर्षों के भण्डार सामग्रियों के प्रारम्भिक स्टाक, क्रय, निर्गम और अन्तिम स्टाक कों इंगित करती है।

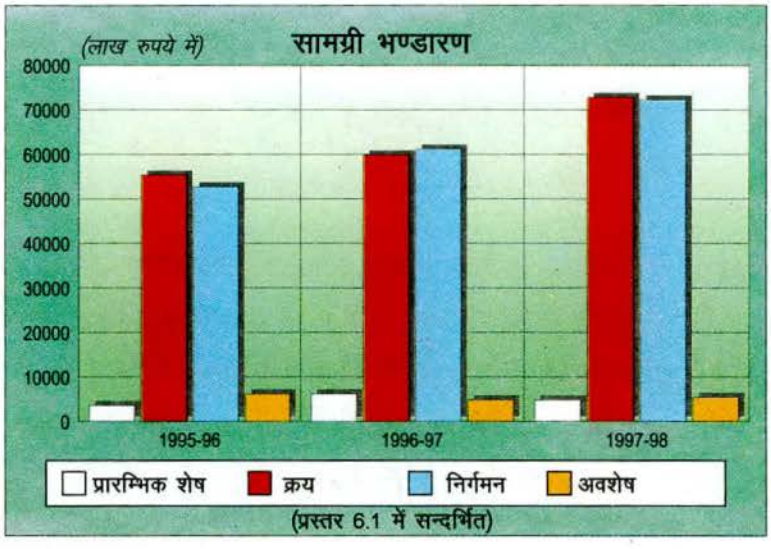

(प्रस्तर 6.1 में सन्दर्भित)

(लाख रुपये में)

	1995-96	1996-97	1997-98
प्रारम्भिक स्टाक	3533.40	6150.33	4805.94
क्रय	55328.96	59825.43	72800.73
योग	**58862.36**	**65975.76**	**77606.67**
निर्गम	52712.03	61169.82	72238.04
अन्तिम स्टाक	6150.33	4805.94	5368.63

लेखापरीक्षण किये जाने के दौरान, निम्न बिन्दु देखे गये:

(i) भण्डारण सामग्रियों और उनके मूल्य पर नियंत्रण रखने के लिये ए बी सी विश्लेषण जैसे सामग्री का तीर्व गतिमान, मंदगतिमान एवं गतिहीन श्रेणी में वर्गीकरण नहीं किया गया;

(ii) मुख्य भण्डार जैसे ट्रान्सफार्मर, कण्डक्टर्स, केबिल्स, सपोर्टस, इन्सुलेटर्स आदि के के लिए भी अधिकतम् न्यूनतम् एवं इकोनामिक री-आर्डरिंग स्तरों को भी, मुख्य सामग्रियों की प्राप्ति और निर्गम पर नियंत्रण रखने के लिये, नियत नहीं किया गया था;

(iii) आरक्षित स्टाक सीमा, जहाँ तक सामग्री एक भण्डार खण्ड में भण्डारित की जाय, नियत नहीं की गई थी;

(iv) खण्ड कार्यालय में अवस्थित स्टाक की अर्धवार्षिक पंजिका का (4-एस), उप खण्ड कार्यालय में अवस्थित स्टाक पंजिका (3-एस) के साथ मिलान किया जाना चाहिये था और खण्ड अधिकारी द्वारा समीक्षा किये जाने के पश्चात् प्रत्येक छः माह में लेखा बन्द की जानी चाहिये। यह देखा गया कि 11 ई एस डीज़ में पंजिकाओं का न तो मिलान किया गया था और न ही पिछले 1 से 12 वर्षों से लेखा बन्दी की गई थी।

(v) 31 मार्च 1998 को स्टाक के मूल्य (9439.04 लाख रुपये) जैसा कि 13 ई एस डीज़ के संबंध में एम आई एस के माध्यम से एस ईज़ द्वारा सूचित किया गया और भण्डार संगठन के वित्त लेखे में प्रकाशित आंकड़ो (5738.04 लाख रुपये) के मध्य भारी अन्तर था जिसका जून 1998 तक मिलान नहीं किया गया था;

(vi) 14898.16 लाख रुपये मूल्य के अनभिस्वीकृत अन्तर इकाई अन्तरण, 9 ई एस डीज़ में अभिलेखों पर बिना किन्ही कारणों से एक से पाँच वर्षों से अधिक से समाशोधन हेतु लम्बित पड़े थे।

(vii) 840.58 लाख रुपये मूल्य की सामग्री की आपूर्ति हेतु आपूर्तिकर्ताओं को भुगतान किये गये अग्रिमों का मार्च 1998 के अन्त तक समाशोधन नहीं किया गया था जिसके परिणामस्वरूप यह सुनिश्चित नहीं किया जा सका कि क्या सामग्री जिनके विरुद्ध यह अग्रिम दिये गये थे, वास्तव में प्राप्त की गई थी अथवा नहीं।

3द.6.2 निधियों का निरोधन

2.50 करोड़ रुपये पर मूल्यांकित सामग्री 2 से 18 वर्षों तक श्रेणीबद्ध अवधियों तक अनुपयोजित पड़ी रही।

9 भण्डार खण्डों के अभिलेखों की जाँच परीक्षा ने प्रगट किया कि 2.50 करोड़ रुपये की सामग्रियाँ आवश्यकता से अधिक क्रय की गई थीं जिसके परिणामस्वरूप यह सामग्रियाँ 31 मार्च 1998 को 2 से 18 वर्षों तक श्रेणीबद्ध अवधियों से अनुपयोजित पड़ी थी। इसके परिणामस्वरूप, उपरोक्त सीमा तक परिषद् की निधियों की निरुद्धता के अतिरिक्त 19.75 लाख रुपये की सीमा का इन्वेन्ट्री कैरींग कास्ट* भी लगी।

3द.6.3 अनुपयोगी विद्युत ट्रान्सफार्मरों का अनिस्तारण

2.71 करोड़ रुपये स्क्रैप मूल्य वाले अनुपयोगी विद्युत ट्रान्सफार्मर 1 से 20 वर्षों तक अनिस्तारित रहे जिसके परिणामस्वरूप 48.68 लाख रुपये की वार्षिक इन्वेन्ट्री कैरींग कास्ट भी लगी।

मुख्य क्षेत्रीय अभियन्ता (सी जेड ई), क्षतिग्रस्त/अलाभकारी विद्युत ट्रान्सफार्मरों को ''स्क्रैप/अनुपयोगी'' निश्चित करने और घोषित करने के लिये प्राधिकृत थे। ऐसी घोषणा के पश्चात् इन विद्युत ट्रान्सफार्मरों का निस्तारण मेटल स्क्रैप ट्रेडिंग कार्पोरेशन आफ इण्डिया के माध्यम से किया जाता है।

271.44 लाख रुपये स्क्रैप मूल्य वाले 1 एम वी ए से 5 एम वी ए क्षमता तथा विभिन्न श्रेणियों के 140 अदद क्षतिग्रस्त/अनुपयोगी विद्युत ट्रान्सफार्मर पिछले 1 से 20 वर्षों से विभिन्न वितरण/कार्यशाला खण्डों पर पड़े थे परन्तु स्क्रैप/अनुपयोगी के रूप में सम्बन्धित सी जेड ईज़ द्वारा घोषणा के आभाव में, उनके निस्तारण हेतु अब तक (मई 1998) कोई कार्यवाही नहीं की गई। अतः, उपरोक्त अवधि के दौरान परिषद की 271.44 लाख रुपये की सीमा तक की निधि निरुद्ध पड़ी रही, परिणामतः 48.86 लाख रुपये प्रति वर्ष की परिहार्य इन्वेन्ट्री कैरींग कास्ट लगी।

---

* 18 प्रतिशत की दर के ब्याज तत्व को इंगित करती है। विवरण के अभाव में अन्य तत्वों पर विचार नही किया गया।

3द.6.4 अनुपयोग्य, प्रयोगातीत एवं स्क्रैप सामग्रियाँ

3.70 करोड़ रुपये पर मूल्यांकित अनुपयोग्य, प्रयोगातीत एवं स्क्रैप सामग्री, इनके अल्प निस्तारण के कारण पड़ी हुई थी।

अनुपयोग्य, प्रयोगातीत एवं स्क्रैप सामग्रियों के अन्तर्गत मुख्यतः पुनर्प्राप्त लेग क्वायल्स, कोर स्टैम्पिंग, क्षतिग्रस्त ट्रान्सफार्मरों से एम एस स्क्रैप तथा वितरण और कार्यशाला खण्डों से पुनर्प्राप्ति लाइन सामग्रियाँ आती हैं। मार्च 1998 के अन्त में पिछले तीन वर्षों के दौरान, अनुपयोग्य एवं स्क्रैप सामग्रियों का मूल्य तय किया गया उनका निस्तारण निम्नवत था:

(लाख रुपये में)

वर्ष	अनुपयोग्य एवं स्क्रैप सामग्रियों का मूल्य	निस्तारित सामग्रियों का मूल्य	शेष
1995-96	756.63	421.68	334.95
1996-97	771.51	455.70	315.81
1997-98	496.85	127.44	369.41

उपरोक्त से यह दृष्टिगत होगा कि अनुपयेाग्य एवं स्क्रैप सामग्रियों का निस्तारण ऐसी कुल सामग्रियों के 25.65 से 59.06 प्रतिशत तक श्रेणीबद्ध था। क्षतिग्रस्त ट्रान्सफार्मरों से ट्रान्सफार्मर आयल सहित सामग्री की कम/शून्य पुनर्प्राप्ति एवं स्क्रैप का अनिस्तारण जैसा कि जाँच परीक्षण में देखा गया से सम्बन्धित अनियमितताओं की चर्चा नीचे की गई है।

3द.6.4.1 क्षतिग्रस्त ट्रान्सफार्मरों का अवयवों में विखण्डन न किया जाना

जून 1986 में जारी परिषद के आदेश के अनुसार, जले हुये, क्षतिग्रस्त और अलाभकारी ट्रान्सफार्मरों को उनके निस्तारण हेतु विभिन्न अवययो में विखण्डन, भण्डार संगठन द्वारा किया जाता था।

तथापि, अभिलेखों की संवीक्षा ने प्रगट किया (मई 1998) कि मार्च 1998 के अन्त में 333 अदद (5 के वी ए से 5000 के वी ए) जले हुये, क्षतिग्रस्त और अलाभकारी एल्यूमिनियम तथा कापर वाउन्ड ट्रान्सफार्मर पिछले 2 से 15 वर्षों से अविखण्डित पड़े थे। इन ट्रान्सफार्मरों को विभिन्न अवयवों में विखण्डित न किये जाने के कारण, वास्तविक मूल्य के 20 प्रतिशत की औसत दर से 34.96 लाख रुपये पर मूल्यांकित स्क्रैप का निस्तारण नहीं किया गया।

परिषद द्वारा उनका विखण्डन और निस्तारण न किये जाने के कारणों का विश्लेषण अब तक (मई 1998) नहीं किया गया।

3द.6.4.2 ट्रान्सफार्मर आयल की कम/शून्य पुनर्प्राप्ति

ट्रान्सफार्मर आयल की मानक से कम पुनर्प्राप्ति से 24.19 लाख रुपये की हानि हुई है।

परिषद के आदेशों (सितम्बर 1981) के अनुसार, फर्म को मरम्मत हेतु भेजने से पूर्व क्षतिग्रस्त ट्रान्सफार्मरों से ट्रान्सफार्मर आयल की निकासी करनी होती थी। ट्रान्सफार्मर आयल की पुनर्प्राप्ति, ट्रान्सफार्मरों पर जड़ी हुई नम्बर प्लेट में इंगित क्षमता के 70 प्रतिशत पर करनी होती थी।

11 ई एस डीज़ के अभिलेखों की जाँच परीक्षा ने प्रगट किया कि अधिकतर प्रकरणों में ट्रान्सफार्मर आयल, आयल टैंक की क्षमता के 70 प्रतिशत से कम पुनर्प्राप्ति किया गया जिससे 24.19 लाख रुपये के मूल्य के ट्रान्सफार्मर आयल की कम पुनर्प्राप्ति हुई।

परिषद ने कम प्राप्ति के लिये कोई उत्तरदायित्व नियत नहीं किया और न ही कोई अन्य रोकथाम के उपाय ही किये (अक्टूबर 1998)।

3द.6.4.3 एल्यूमिनियम/तांबे के लेग क्वायलों की कम पुनर्प्राप्ति

निस्तारण के आशय वाले क्षतिग्रस्त ट्रान्सफार्मरों से एल्यूमिनियम/तांबे के लेग क्वायल स्क्रैप की कम पुनर्प्राप्ति के परिणामस्वरूप 15.59 लाख रुपये की हानि हुई।

मार्च 1986 के परिषद के आदेश में व्यवस्था है कि अलाभकारी क्षतिग्रस्त ट्रान्सफार्मरों के निस्तारण हेतु प्रत्येक अव्ययों की सूची सहित, भार के आधार पर भण्डार संगठन के भण्डार केन्द्रों को बिना आयल

के अन्तरित किया जाये। निस्तारण के लिये इन ट्रान्सफार्मरों का अवयय विखण्डन भण्डार संगठन द्वारा किया जाता था। 15.59 लाख रुपये पर मूल्यांकित तांबे/एल्यूमिनियम के लेग क्वायलों की कम पुनर्प्राप्ति के प्रकरणों की चर्चा नीचे की गई है:

(i) विद्युत भण्डार खण्ड, बरेली, गाज़ियाबाद, मुरादाबाद और देहरादून के अभिलेखों की संवीक्षा ने प्रगट किया (मई 1998) कि 1918 अदद जले हुये, क्षतिग्रस्त और अलाभकारी ट्रान्सफार्मर (5 के वी ए से 400 के वी ए तक) वितरण/कार्यशाला खण्डों से भण्डार केन्द्र मुरादाबाद, शाहजहाँपुर, बुलंदशहर और ऋषिकेष पर भार आधार के बजाय संख्या आधार पर प्राप्त किये गये। अप्रैल 1992 से मार्च 1998 के दौरान, उपरोक्त ट्रान्सफार्मरों के खोले जाने पर प्राप्त एल्यूमिनियम और तांबे के लेग क्वायल स्क्रैप की कुल मात्रायें क्रमशः 22185 कि ग्रा एवं 26005 कि ग्रा थी और विभिन्न क्षमताओं के क्षतिग्रस्त ट्रान्सफार्मरों से प्राप्त एल्यूमिनियम और तांबे के लेग क्वायल (स्क्रैप) के औसत भार प्रत्यके केन्द्र पर अलग-अलग थे। भण्डार केन्द्र, बिजनौर पर प्राप्त किये गये एलयूमिनियम और तांबे के लेग क्वायल के औसत भार के आधार पर, उपरोक्त चार भण्डार केन्द्रों पर 12.16 लाख रुपये पर मूल्यांकित एल्यूमिनियम और तांबे के स्क्रैप की कम पुनर्प्राप्ति क्रमशः 10707 कि ग्रा और 5703 कि ग्रा आगणित की गई।

(ii) इसी प्रकार, नवम्बर/दिसम्बर 1993 में कार्यशाला खण्ड, फैजाबाद से भण्डार केन्द्र बाराबंकी में, 337 अदद जले हुये, क्षतिग्रस्त तथा अलाभकारी ट्रान्सफार्मर (15 के वी ए से 100 के वी ए तक) प्रत्येक अव्यय की सूची के बिना, संख्या में प्राप्त किये गये। नवम्बर/दिसम्बर 1993 के दौरान, उपरोक्त ट्रान्सफार्मरों को खोले जाने पर पुनर्प्राप्ति किये गये तांबे के लेग क्वायलों की कुल मात्रा, अन्य भण्डार केन्द्रों (फैजाबाद, गोण्डा, बहराइच और सुल्तानपुर) पर प्राप्त 29.18 कि ग्रा से 93 कि ग्रा औसत भार उसी क्षमता के प्रति ट्रान्सफार्मर के विरुद्ध, 22.78 कि ग्रा से 59.30 कि ग्रा औसत भार प्रति ट्रान्सफार्मर पर 8721 कि ग्रा थी। उपरोक्त आधार पर बाराबंकी में अवयय-विखण्डन पर कम प्राप्त की गई तांबे की लेग क्वायलें 3665 कि ग्रा आगणित की गई (मूल्यः 3.43 लाख रुपये)।

कम पुनर्प्राप्ति के कारण न तो अभिलेखों पर थे और न ही भण्डार संगठन द्वारा विश्लेषित किये गये (मई 1998)।

3द.6.4.4 क्षतिग्रस्त ट्रान्सफार्मरों का मरम्मत के उपरान्त वापस न किया जाना

एक फर्म द्वारा किये गये ट्रान्सफार्मरों की अधिप्राप्ति का अनुश्रवण के अभाव में, फर्म के बन्द हो जाने के परिणामतः 15.35 लाख रुपये मूल्य की परिषदीय सम्पत्तियों की हानि हुयी।

(i) जनवरी 1994 से अगस्त 1994 के दौरान, विनिर्देश संख्या 201/91 और 154/88 के अन्तर्गत ई एस पी सी-I लखनऊ द्वारा प्रेषित किये आदेशों के विरुद्ध, ई एस डी, गोरखपुर द्वारा नूर ट्रान्सफार्मर (प्रा) लिमिटेड, बस्ती को मरम्मत हेतु 7.95 लाख रुपये पर मूल्यांकित विभिन्न क्षमताओं के 32 अदद क्षतिग्रस्त ट्रान्सफार्मर निर्गत किये गये। यद्यपि, फर्म को मरम्मत किये गये ट्रान्सफार्मरों को वितरण की तिथि से (अर्थात अप्रैल और नवम्बर 1994 के मध्य) तीन महीनों के अन्दर वापस करना था, इन्हे मार्च 1998 तक वापस नहीं किया गया था। खण्ड ने, उसी फर्म द्वारा मरम्मत किये गये परन्तु गारण्टी अवधि के दौरान ही क्षतिग्रस्त हुये 22 अदद ट्रान्सफार्मरों को भी (मूल्य 7.40 लाख रुपये) मरम्मत हेतु निर्गत कर दिया (सितम्बर 1991 से जुलाई 1994)। फर्म को इन ट्रान्सफार्मरों को वितरण की तिथि से दो माह के अन्दर (अर्थात नवम्बर 1991 और अक्टूबर 1994 के मध्य) वापस करना था। तथापि, फर्म ने मार्च 1998 तक एक भी ट्रान्सफार्मर वापस नहीं किया। फरवरी 1995 तक की मध्यवर्ती अवधि के दौरान जब समाचार पत्र में फर्म के कारखाने की बिक्री हेतु एक सूचना प्रकाशित हुई, तब खण्ड ने सितम्बर 1995 से फर्म की स्थिति का पता लगाना आरम्भ किया और तब तक फर्म बन्द पाई गई। अक्टूबर 1997 में (अर्थात 2 वर्षों के पश्चात्) पुलिस के पास विलम्ब से प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराई गई।

अतः, परिषद की परिसम्पत्तियों की वापसी हेतु छः वर्षों से अधिक की तुलनात्मक रूप से लम्बी अवधि तक अनुश्रवण के अभाव के कारण ट्रान्सफार्मरों के मूल्य के रूप में 15.35 लाख रुपये की सीमा तक की परिषद की परिसम्पत्तियों की हानि हुई जिसके लिये अक्टूबर 1998 तक उत्तरदायित्व नियत नहीं किया गया।

ट्रान्सफार्मरों की मरम्मत हेतु एक रुग्ण इकाई को आदेश प्रेषित किये जाने के कारण आपूर्ति अवधि को बारम्बार विस्तार देना पड़ा जिससे 20.45 लाख रुपये मूल्य के ट्रान्सफार्मरों के 4 से 8 वर्षों तक निरोधन के अतिरिक्त 3.44 लाख रुपये के मूल्य अन्तर का भी भुगतान हुआ।

(ii) इस तथ्य के बावजूद कि फीनिक्स इलेक्ट्रिकल्स, वाराणसी राज्य सरकार द्वारा एक रुग्ण इकाई

घोषित की गई थी (1984), फरवरी 1988 से जनवरी 1989 के दौरान, ई एस डी, वाराणसी द्वारा विनिर्देश संख्या-30/81/ई एस डी के विरुद्ध 20.45 लाख रुपये पर मूल्यांकित 68 अदद कापर वाउन्ड क्षतिग्रस्त ट्रान्सफार्मरों (25 के वी ए से 75 के वी ए तक) को मरम्मत हेतु सौंप दिया। समझौते की शर्तों में आंकलन के अनुमोदन की तिथि से एक माह के अन्दर मरम्मत पूर्ण किये जाने का प्राविधान था जिसमें असफल रहने पर फर्म निर्धारित दरों पर अर्थदण्ड की उत्तरदायी थी। तथापि, ट्रान्सफार्मर मरम्मत के पश्चात् जुलाई 1993 और दिसम्बर 1996 के दौरान (4 से 8 वर्षों से अधिक तक के विलम्ब के पश्चात्) वापस किये गये।

लेखा परीक्षा द्वारा यह देखा गया कि ई एस पी सी-I, लखनऊ ने यह इंगित करते हुये कि सामग्री में मूल्य वृद्धि परिषद द्वारा भुगतान की जाएगी, फर्म को समायोजित करने के लिये दिसम्बर 1996 तक वितरण अवधि को चार बार बढ़ाया। अतः एक रुग्ण इकाई को आदेश प्रेषित किये जाने के परिणामस्वरूप वितरण अवधि को बारम्बार विस्तार देना पड़ा जिससे 20.45 लाख रुपये मूल्य के ट्रान्सफार्मरों के 4 से 8 वर्षों तक निरोधन के अतिरिक्त 3.44 लाख रुपये के मूल्य अन्तर का भुगतान भी किया गया।

3द.7 सामग्रियों का निर्गम

3द.7.1 सामग्रियों का आंकलन के बिना निर्गम

परिषद द्वारा जारी आदेश (मार्च 1986) के अनुसार, भण्डार खण्डों को, क्षेत्रीय इकाईयों को सामग्रियों का निर्गम केवल स्वीकृत आंकलनों के विरुद्ध ही करना होता है। तथापि, यह देखा गया कि विद्युत भण्डार खण्ड बिना स्वीकृत आंकलनों के सामग्रियाँ लगातार निर्गत कर रहे थे। 7 खण्डों में, जून 1992 से मार्च 1998 के दौरान, 310 प्रकरणों में 446.63 लाख रुपये के मूल्य की सामग्रियाँ बिना किसी आंकलन के निर्गत की गई।

3द.7.2 भण्डार सामग्रियों में कमी

सामग्रियों की प्राप्ति, निर्गम और लेखा बन्दी हेतु विद्यमान कार्यपद्धति के अनुसार अनुभाग प्रभारी और उप खण्ड अधिकारियों द्वारा अवस्थित अभिलेखों को प्रतिवर्ष अर्धवार्षिक रूप से जैसे मार्च एवं सितम्बर में बन्द किया जाना होता है और खण्ड पर अवस्थित अभिलेखों को, वास्तविक अंतशेष को खाते के अंतशेष के साथ तुलना करने के उपरान्त वार्षिक रूप से बन्द किया जाता है।

मिलान न किये जाने, भण्डार लेखों को बन्द किये जाने में असाधारण विलम्ब के परिणास्वरूप 1.28 करोड़ रुपये की सामग्रियों का गबन हुआ।

यह देखा गया कि छः खण्डों में (ई एस डी, आगरा, लखनऊ, कानपुर, मेरठ, देहरादून एवं वाराणसी), उपखण्डों और खण्डों के भण्डार अभिलेखों का या तो बिलकुल भी मिलान और बन्दी नहीं की गई थी और या असाधारण विलम्ब के पश्चात बन्द किये गये थे। परिणाम यह हुआ कि नवम्बर 1979 से दिसम्बर 1996 के दौरान किये गये 128.27 लाख रुपये मूल्य की सामग्रियों का गबन/कमी का, अगस्त 1989 से मार्च 1997 की अवधि के दौरान सम्पन्न किये गये भौतिक सत्यापन के समय पता चल सका।

यद्यपि, सम्बन्धित कर्मचारियों के विरुद्ध समस्त धनराशि को विविध अग्रिम, खाते में अंकित कर लिया गया था, कमी एवं भण्डार खातों को बन्द/तुलना न किये जाने के लिये उत्तरदायित्व नियत करने के दृष्टिकोण से मई 1998 तक अनुशासनिक कार्यवाही आरम्भ करने के लिये कोई कदम नहीं उठाये गये।

अन्य रोचक विषय

3द.8 मरम्मत के उपरान्त गारण्टी अवधि के अन्दर असफल हुये ट्रान्सफार्मरों से निधि का अवरोधन

762 ट्रान्सफार्मरों जो गारण्टी अवधि के अन्दर असफल हो गये थे और परिषद अथवा मरम्मतकर्ता फर्मों के पास 1 से 9 वर्षों से अधिक की अवधि से पड़े हुये थे, में 3.26 करोड़ रुपये निरुद्ध हो गये।।

एक ओर जहाँ परिषद तीव्र वित्तीय संकट झेल रहा था, वहीं दूसरी ओर भारी निधि ऐसे ट्रान्सफार्मरों में निरुद्ध थी जो 12 महीनों की गारण्टी अवधि के अन्दर असफल हो गये तथा 2 महीने की अनुबन्धित अवधि के अन्दर मुफ्त मरम्मत नहीं किये गये। ऐसे ट्रान्सफार्मरों के मूल्य की वसूली दोषी फर्मों के लम्बित बिलों से की जानी थी तथा नये मरम्मत कार्यों का आबंटन उन्हें नहीं किया जाना चाहिये था।

तथापि, लेखा परीक्षा द्वारा यह देखा गया कि 5 भण्डार खण्डों* से सम्बन्धित 3.26 करोड़ रुपये मूल्य के 25 से 630 के वी ए श्रेणियों के मरम्मत किये गये वितरण ट्रान्सफार्मर (762 अदद)

* विद्युत भण्डार खण्ड, इलाहाबाद/वाराणसी/हल्द्वानी/कानपुर/गोरखपुर

गारण्टी अवधि में असफल हो गये। जबकि, 1.14 करोड़ रुपये मूल्य के 222 ट्रान्सफार्मर मरम्मतकर्ता फर्मों के पास बिना मरम्मत किये हुये पड़े थे, 2.12 करोड़ रुपये मूल्य के 540 ट्रान्सफार्मर उनके द्वारा उठाये ही नहीं गये थे और परिषद के अपने भंडार केन्द्रो पर बिना मरम्मत के पड़े थे। अतः, इन ट्रान्सफार्मरों का मूल्य होने के नाते 3.26 करोड़ रुपये 1 से 9 वर्षों से अधिक तक निरुद्ध रहे जिसके लिये दोषी फर्मों के विरुद्ध कोई कार्यवाहीं नहीं की गई। इसके बजाय, कुछ प्रकरणों में मरम्मत कार्यों के नये आबंटन उन्हीं फर्मो को कर दिये गये।

उपसंहार

प्रत्येक वर्ष, परिषद अपने वितरण पक्ष के लिये सामग्री की अधिप्राप्ति पर करोड़ों रुपये की विशाल निधियों का व्यय करती है। यह व्यय, भण्डार सामग्रियों और उसकी अधिप्राप्ति के मूल्य को लाभकारी रखने के लिये प्रभावकारी सामग्री प्रबन्धन और भण्डार नियंत्रण की अपेक्षा करता है। तथापि, परिषद ने कोई नियमावली नहीं तैयार की और परिणामस्वरूप अपने अपेक्षित कार्यों को सम्पादित करने में असफल रहा जिससे अधिप्राप्त की जाने वाली सामग्रियों की आवश्यकता के गलत निर्धारण, न्यूनतम तकनीकी रूप से स्वीकार्य प्रस्तावों के निरस्तीकरण और बिना मान्य आधारों के आपूर्ति अवधि के विस्तार के कारण अतिरिक्त भुगतान हुआ। भण्डार नियंत्रण के अभाव के कारण, भारी निधियों का निरोधन, क्षतिग्रस्त एवं बेकार शक्ति/वितरण ट्रान्सफार्मरों के अवयव अविखण्डन सहित बेकार स्क्रैप सामग्री पर परिहार्य इन्वेन्ट्री कैरींग कास्ट तथा जाली निर्गमों के कारण भण्डारों के गबन, लेखों के प्रस्तुतीकरण में विलम्ब और लेखाबद्ध न किया जाना आदि हुआ।

परिषद को, अवांक्षित स्क्रैप/बेकार सामग्रियों के निस्तारण में तेजी लाने और भण्डारों के गबन से बचने के लिये भण्डार नियंत्रण की एक उचित पद्धति प्रकल्पित करने के अतिरिक्त, आवश्यकता का निर्धारण करने एवं प्रस्तावों को निरस्त करने अथवा आपूर्ति अवधि के विस्तार के लिये अमान्य आधारों से बचते हुये अधिप्राप्ति मूल्य को लाभप्रद बनाने के लिये एक उचित पद्धति विकसित करने की आवश्यकता है।

प्रकरण, परिषद और सरकार को जुलाई 1998 में सूचित किये गये; उनके उत्तर प्रतीक्षित थे (अक्टूबर 1998)।

अध्याय IV

विविध रोचक विषय

अध्याय - IV
विविध रोचक विषय

अनुच्छेद–4 अ
सरकारी कम्पनियाँ

प्रस्तर	विवरण	पृष्ठ
	उत्तर प्रदेश राज्य वस्त्र निगम लिमिटेड	
1.	कपास के क्रय में परिहार्य हानि	219
2.	आवश्यकता से अधिक तलों के निर्माण पर अलाभकारी व्यय	220
3.	जसपुर इकाई में ठेका कार्य में हानि	222
4.	बिक्री आगम एवं भण्डार प्रभार की वसूली न किया जाना	224
5.	निम्न शक्ति की कपास की खरीद पर अतिरिक्त व्यय	225
6.	टर्बोचार्जर की खरीद पर निष्क्रिय व्यय	226
	उत्तर प्रदेश स्टेट स्पिनिंग कम्पनी लिमिटेड	
7.	ब्याज की परिहार्य हानि	227
	उत्तर प्रदेश राज्य यार्न कम्पनी लिमिटेड	
8.	विस्कोस स्टेपिल फाइबर के आयात के कारण हानि	228
	उत्तर प्रदेश अल्पसंख्यक वित्त एवं विकास निगम लिमिटेड	
9.	निधियों का दुरुपयोग	229
	उत्तर प्रदेश महिला कल्याण निगम लिमिटेड	
10.	महिला कर्मचारियों के लिए छात्रावास के निर्माण पर अनुत्पादक व्यय	230
	उत्तर प्रदेश राज्य चीनी निगम लिमिटेड	
11.	कम्बस्शन आप्टीमाइजेशन प्रणाली को प्रचालित न करने के कारण निष्फल व्यय	231

प्रस्तर	विवरण	पृष्ठ
12.	निधियों की अवरुद्धता	232
	उत्तर प्रदेश निर्यात निगम लिमिटेड	
13.	कालीन बुनाई के लिए बनी अम्बेदकर विशिष्ट रोजगार योजना की असफलता	233
14.	रोटरडम में शो रूम का अविवेकपूर्ण अधिग्रहण	234
	उत्तर प्रदेश स्टेट एग्रो इण्डस्ट्रियल निगम लिमिटेड	
15.	भण्डार एवं रोकड़ का दुर्विनियोग	235
	उत्तर प्रदेश पुलिस आवास निगम लिमिटेड	
16.	भूमि क्रय के बावजूद आवासीय भवनों में कार्यालय स्थान की अनियमित निरन्तरता	237
	उत्तर प्रदेश समाज कल्याण निर्माण निगम लिमिटेड	
17.	परिहार्य व्यय	238

अनुच्छेद 4अ

सरकारी कम्पनियाँ

उत्तर प्रदेश राज्य वस्त्र निगम लिमिटेड

4अ.1 कपास के क्रय में परिहार्य हानि

कपास के क्रय हेतु आदेशों के विलम्बित निरस्तीकरण के कारण 3.29 करोड़ रुपये की हानि वहन करनी पड़ी।

कम्पनी को कपास क्रय के आदेशों के विलम्बित निरस्तीकरण के कारण 3.29 करोड़ रुपये की हानि वहन करनी पड़ी।

उत्तर प्रदेश राज्य वस्त्र निगम लिमिटेड (उ प्र रा व नि लि) ने भारतीय कपास निगम एवं पंजाब मार्कफेड के साथ कपास के क्रय हेतु एक संविदा किया (1994-95)। संविदा के प्राविधानों के अनुसार, कम्पनी को कपास उठाने के लिए संविदा की तिथि से 40 दिन की निःशुल्क अवधि अनुमन्य की गयी। निःशुल्क अवधि में विक्रेता द्वारा कोई भण्डार प्रभार नहीं लगाया जाना था और निःशुल्क अवधि में कपास उठाने में असफलता की दशा में, प्रथम 30 दिन के लिए 2 प्रतिशत और अनवर्ती अवधि के लिए 2.5 प्रतिशत की दर से प्रभार लगाये जाने थे। क्रेता की चूक के कारण, आदेश के निरस्त किए जाने के मामले में कपास के निस्तारण में विक्रेता को हुई हानि का भुगतान क्रेता द्वारा विक्रेता को किया जाना था।

यह देखा गया कि कपास ऋतु 1994-95 में कम्पनी ने 64751 गाठों की अनुबन्धित मात्रा (भा क नि से 53950 गांठें और पंजाब मार्कफेड से 10801 गांठें) के विरुद्व, केवल 53083 गांठें (भा क नि से 45633 गांठें तथा पंजाब मार्कफेड से 7450 गांठें) क्रमशः 20200 रुपये से 23800 रुपये तथा 20500 रुपये से 22300 रुपये प्रति गांठ की दर से उठाया। तत्पश्चात्, वित्तीय संकट एवं कपास मूल्यों में गिरावट के कारण, कम्पनी ने निजी व्यापारियों से अप्रैल 1995 से जुलाई 1995 के मध्य, कपास की

15559 गांठें 35 दिन की साख आधार पर खरीदीं और अपनी मिलों को ठेका कार्य के आधार पर चलाने के निर्णय मई 1995 में लेने के बावजूद, भा क नि एवं पंजाब मार्कफेड के साथ किए गये क्रय अनुबन्ध को निरस्त नहीं किया। कम्पनी, दोनों विक्रेताओं की 11668 गांठों की न उठाई गई मात्रा का आदेश अक्टूबर 1995 में निरस्त कर सकती थी। भा क नि द्वारा अक्टूबर/नवम्बर 1995 और मार्कफेड द्वारा अक्टूबर/नवम्बर 1996 में प्रचलित दरों पर (14500 रुपये से 20648 रुपये प्रति गांठ) कपास पुनः बेची गई और कम्पनी को 540.50 लाख रुपये भण्डार प्रभारों हेतु (304.12 लाख रुपये) तथा पुनर्विक्रय के कारण हानि हेतु (236.38 लाख रुपये) डेबिट जारी किया गया जिसके लिए कम्पनी ने अपने लेखों में देयता का प्राविधान किया। भा क नि द्वारा उक्त धनराशि का समायोजन, उनके द्वारा प्रदत्त सुविधा नकद साख सीमा से कर लिया गया और मार्कफेड को भुगतान हेतु देयता का वस्त्र निगम के खाते में प्राविधान किया गया।

इस प्रकार, कम्पनी ने निजी व्यापारियों से कपास क्रय करने का निर्णय लेते समय वित्तीय प्रभावों पर विचार नहीं किया। यदि, इसने वित्तीय संकट के कारण एवं ठेका कार्य आधार पर मिलें चलाने के अपने निर्णय (मई 1995) को दृष्टिगत रखते हुए मई 1995 में आदेशों को निरस्त कर दिया होता तो जून 1995 से भण्डार प्रभार एवं भा क नि एवं पंजाब मार्कफेड द्वारा पुनः विक्रय के कारण हुई 329.08 लाख रुपये की हानि का भुगतान टाला जा सकता था।

प्रबन्धन ने अपने उत्तर (मई 1998) में स्वीकार किया कि कपास क्रय समिति बाजार मूल्य प्रवृत्ति का सही पूर्वानुमान करने में असफल रही जिसके कारण अनुबंधित मात्राओं के निरस्त करने का निर्णय समय से न ले सकी। प्रबन्धन ने आगे बताया कि अधिकारियों के विरुद्व कोई कार्यवाही नहीं की जा सकी क्योंकि वे त्यागपत्र दे चुके थे एवं नौकरी छोड़ चुके थे।

प्रकरण, प्रबन्धन तथा शासन को जून 1998 में सूचित किया गया था; उत्तर प्रतीक्षित थे (अक्टूबर 1998)।

4अ.2 आवश्यकता से अधिक तलों के निर्माण पर अलाभकारी व्यय

अपने कार्यालय भवन में वास्तविक आवश्यकता से अधिक छठवें एवं सातवें तल के निर्माण पर किया गया 1.58 करोड़ रुपये का व्यय अलाभकारी हो गया तथा कम्पनी को ऋण पर बैंक को 2.25 करोड़ रुपये के ब्याज का भुगतान करना पड़ा।

कार्यालय भवन के अवांछित दो तलों के निर्माण पर 1.58 करोड़ रुपये का व्यय अलाभकारी हो गया था।

राज्य वस्त्र संघ की सभी चार कम्पनियों को, जो कानपुर में किराये की इमारतों में अपने कार्यालय चला रही थीं, एक साथ जगह देने के विचार से कम्पनी ने उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद से एक भूखण्ड खरीदा (फरवरी 1988)। अन्य तीन कम्पनियों ने अपने सामने वित्तीय संकट के कारण वस्त्र भवन नामक प्रस्तावित कार्यालय भवन की लागत में हिस्सा लेना स्वीकार नहीं किया। कम्पनी ने निर्माण समाप्ति के बाद इन कम्पनियों को स्थान बेचने/किराये पर उठाने की दृष्टि से निर्माण कार्य स्वयं शुरू कर दिया (अगस्त 1990)। इस तथ्य के बावजूद कि टेक्सफेड समूह की वास्तविक आवश्यकता केवल पाँच तलों (भूतल को सम्मिलित करते हुए) की थी, कम्पनी आवास परिषद से विक्रय-विलेख प्राप्त किए बिना एवं किन्हीं प्रत्याशित केताओं/किराएदारों से पक्का वायदा प्राप्त किए बगैर ही सात तलों तक निर्माण करती चली गयी। 689.72 लाख रुपये की लागत पर उपर्युक्त निर्माण (पूँजीगत ब्याज 126.42 लाख रुपये के अतिरिक्त), जो 250 लाख रुपये के बैंक ऋण से अंशतः वित्तपोषित था, जुलाई 1993 में पूर्ण हुआ।

लेखा परीक्षा में यह देखा गया कि कम्पनी अपने पास एक तल स्वयं रखने के अतिरिक्त केवल साढ़े तीन तल ही अपनी सहयोगी कम्पनियों एवं अन्य ग्राहकों को मई 1998 तक किराये पर उठा सकी। प्रबन्धन ने बताया (अगस्त 1998) कि विक्रय विलेख के पंजीकृत न होने के कारण यह किसी हिस्से को बेच न सकी। तथापि, अगस्त 1997 में विक्रय-विलेख के पंजीकरण के बावजूद कम्पनी अब तक (अगस्त 1998) जुलाई 1993 से खाली पड़े किसी हिस्से को बेचने/किराये पर उठाने में सक्षम न हो सकी।

इस प्रकार, वास्तविक आवश्यकता से अधिक कार्यालय भवन के छठवें एवं सातवें तलों के निर्माण पर हुआ 157.51 लाख रुपये का व्यय अलाभकारी हो गया और कम्पनी द्वारा ऋण पर बैंक को 224.79 लाख रुपये के ब्याज का भुगतान भी करना पड़ा।

प्रकरण, प्रबन्धन तथा शासन को जून 1998 में सूचित किया गया था; उत्तर प्रतीक्षित थे (अक्टूबर 1998)।

4अ.3 जसपुर इकाई में ठेका कार्य में हानि

ठेकेदार द्वारा आपूर्ति किये जाने वाले कपास की गुणवत्ता, अनुबन्धित क्षमता के स्थान पर वास्तविक क्षमता उपयोग पर उजरत प्रभार प्रभारित करने और अनुबन्ध के परिक्षेत्र के बाहर उसे विद्युत बचत का लाभ अनुमन्य करने आदि को अनुबन्ध में कम्पनी द्वारा परिभाषित करने में असफलता के कारण 55.30 लाख रुपये की हानि हुई।

कम्पनी ने शान्ताराम स्पिनर्स लिमिटेड, अहमदाबाद से एक साल तक ठेका कार्य (संविदा) आधार पर अपनी जसपुर इकाई चलाने के लिए इस शर्त के साथ अनुबन्ध किया कि यह किसी पक्ष द्वारा एक माह की नोटिस देकर समाप्त किया जा सकता था। अनुबन्ध में यह भी प्राविधान था कि:

(i) उजरत प्रभार 94 प्रतिशत क्षमता उपयोग के आधार पर देय होंगे और फर्म द्वारा आपूर्ति किये जाने वाले कपास की कमी के कारण क्षमता के कम उपयोग के मामलें के अतिरिक्त क्षमता उपयोग में ह्रास या वृद्धि के आधार पर आनुपातिक समायोजन के उत्तरदायी होंगे।

(ii) संविदा के समापन/पूर्णता के मामलें में 7 दिन की रन आउट अवधि में उजरत प्रभार वास्तविक क्षमता उपयोग पर देय होंगे। और

(iii) उत्पादित किए जाने वाले यार्न का औसत काउन्ट 17 से 30 होगा।

तथापि, जैसा कि प्रबन्ध निदेशक की अध्यक्षता वाली कमेटी द्वारा निर्णय किया गया था (जुलाई 1996) कि फर्म द्वारा आपूर्ति की जाने वाली कपास के काउन्ट वार कपास शक्ति उत्पाद (सी एस पी) का विवरण अनुबन्ध का हिस्सा नहीं बनाया गया।

अनुबन्ध के निष्पादन के दौरान फर्म एवं कम्पनी के बीच कई विवाद उठे जो अनुबन्ध की समय-पूर्व समाप्ति (दिसम्बर 1996) के रूप में फलित हुए। इस सम्बन्ध में यह देखा गया कि:

(क) चूँकि, फर्म द्वारा आपूर्ति की गई कपास से अक्टूबर एवं नवम्बर 1996 में उत्पादित सूत का औसत काउन्ट क्रमशः केवल 16.1 एवं 16.5 था, कम्पनी को मशीनों को धीमी गति पर चलाना पड़ा और अतिरिक्त मजदूरी आदि पर 2.56 लाख रुपये का अतिरिक्त व्यय करना पड़ा;

(ख) फर्म द्वारा वांछित सी एस पी की कपास की अनापूर्ति के कारण, कम्पनी 1 से 14 नवम्बर 1996 तक मशीनें नहीं चला सकी और क्षमता से कम उपयोग के लिए 4.34 लाख रुपये प्रभारित किए गये; और

(ग) दोनों पक्षकार नोटिस की तिथि 13 नवम्बर स्वीकार करने को सहमत हो गए (28 नवम्बर) और फर्म ने कपास की 900 गांठों की तत्काल आपूर्ति करना स्वीकार किया ताकि इकाई को 7 दिन की रन आउट अवधि सम्मिलित करते हुए 12 दिसम्बर 1996 तक चलाया जा सके। तथापि, फर्म ने कपास की आपूर्ति 14 दिसम्बर तक पूर्ण की जिसके कारण 94 प्रतिशत का अनुबन्धित क्षमता उपयोग प्राप्त न किया जा सका और कम्पनी ने 25 नवम्बर से 15 दिसम्बर 1996 की अवधि में (16 दिसम्बर से 7 दिन की रन आउट अवधि निकालते हुए) कपास की कमी के लिए 36.77 लाख रुपये प्रभारित किए।

प्रबन्ध निदेशक की अध्यक्षता वाली समिति ने संस्तुति किया (फरवरी 1997) कि अनुबन्ध में विशिष्ट प्रावधानों की अनुपस्थिति को ध्यान में रखते हुए मजदूरी पर अतिरिक्त व्यय (2.56 लाख रुपये) और कपास की कमी का प्रभार (4.34 लाख रुपये) प्रभारित नहीं किया जा सकता है। इसने आगे संस्तुत किया कि 25 नवम्बर 1996 से 15 दिसम्बर 1996 की अवधि के लिए उजरत प्रभार (36.77 लाख रुपये) वास्तविक क्षमता उपयोग पर प्रभारित किये जा सकते थे।

उपर्युक्त संस्तुतियां कम्पनी के बोर्ड के अनुमोदन के अधीन फर्म द्वारा भी स्वीकार की गई तथापि, बोर्ड ने प्रबन्ध निदेशक को अपने स्तर से मामले को निर्णित करने के लिए अधिकृत किया (मार्च 1997) जिसने फर्म से सभी देयों की वसूली हेतु निर्णय दिया। इसके विरुद्व फर्म पंचाट में गई (अगस्त 1997)। मध्यस्थ ने व्यवस्था दी (जनवरी 1998) कि चूँकि प्रबन्ध निदेशक फरवरी 1997 में की गयी संस्तुतियों का एक हस्ताक्षरी था और बोर्ड ने उन्हें अपना स्वयं निर्णय लेने हेतु प्राधिकृत किया था, उसे पूर्व में सम्पन्न अनुबन्ध को लागू करना चाहिए था।

उपर्युक्त आधार पर मध्यस्थ ने कम्पनी के अतिरिक्त मजदूर लगाने के कारण 2.56 लाख रुपये के अतिरिक्त व्यय के दावे को अस्वीकार करते हुए फर्म को उजरत प्रभार में 41.11 लाख रुपये की सहायता तथा मशीनों की धीमी गति के कारण कम विद्युत शक्ति प्रयोग के आधार पर विद्युत शक्ति बचत लाभ के 50 प्रतिशत के रूप में 11.63 लाख रुपये का निर्णय दिया (जनवरी 1998)। इस प्रकार कम्पनी को कुल 53.30 लाख रुपये (41.11 लाख रुपये. 11.63 लाख रुपये. 2.56 लाख रुपये) की हानि हुई।

प्रबन्धन ने त्रुटिपूर्ण अनुबन्ध बनाने के तथ्य को स्वीकार किया (सितम्बर 1998)।

प्रकरण, प्रबन्धन तथा शासन को जून 1998 में सूचित किया गया था; उत्तर प्रतीक्षित थे (अक्टूबर 1998)।

4अ.4 बिक्री आगम एवं भण्डार प्रभार की वसूली न किया जाना

कम्पनी द्वारा लेखों के मिलान एवं डिपो हैंडलिंग एजेन्ट से समुचित बैंक गारन्टी प्राप्त करने में असफल होने से 54.91 लाख रुपये की वसूली न की जा सकी।

लेखों के मिलान करने तथा समुचित बैंक गारन्टी प्राप्त करने में कम्पनी की असफलता से 54.91 लाख रुपये के देयों की वसूली नहीं हुई।

कम्पनी ने वार्षिक अनुबन्ध के आधार पर लक्ष्मी मोहन पोलीटेक्स, बम्बई को बम्बई सेल डिपो के लिए डिपो हैंडलिंग एजेन्ट के रूप में कार्य करने के लिए नियुक्त किया था (1994)। अनुबन्ध मई 1995 तथा अक्टूबर 1996 (मार्च 1997 तक वैध) में संशोधित किया गया। अनुबन्ध में इसके अलावा प्राविधान किया गया कि डिपो हैंडलिंग एजेन्ट (1) बैंक गारन्टी के रूप में 5 लाख रुपये की प्रतिभूति जमा करेगा, (2) बिक्री आगम का भुगतान कम्पनी के बैंक खातों में अगले दिन जमा करेगा। इसके अतिरिक्त डिपो हैंडलिंग एजेन्ट द्वारा व्यापारियों/क्रेताओं द्वारा यार्न की विलम्बित उठान पर 24 प्रतिशत वार्षिक की दर से भण्डार प्रभार प्रभारित किया जायेगा।

यद्यपि, डिपो हैंडलिंग एजेन्ट द्वारा मई 1995 में प्रस्तुत 5 लाख रुपये की बैंक गारण्टी अगस्त 1995 में समाप्त हो गई, कम्पनी ने अक्टूबर 1996 में अनुबन्ध संशोधित करते समय भी डिपो हैंडलिंग एजेन्ट द्वारा नई बैंक गारन्टी प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित नहीं किया और 1994-97 की अवधि (दिसम्बर 1997 तक) में 727.62 लाख रुपये का यार्न भेज दिया जिसमें से 711.44 लाख रुपये का बिक्री आगम समय-समय पर डिपो हैंडलिंग एजेन्ट द्वारा जमा किया गया परन्तु 16.18 लाख रुपये का भुगतान रोक लिया गया। कम्पनी, जिसने डिपो हैंडलिंग एजेन्ट से लेखों का सामयिक मिलान नहीं किया, ने 54.91 लाख रुपये का दावा प्रस्तुत किया (फरवरी 1998) जिसमें 16.18 लाख रुपये के बिक्री आगम, 36.81 लाख रुपये का भण्डार प्रभार तथा 5.08 लाख रुपये का प्रचालन समायोजित करने के बाद, 7 लाख रुपये के अन्य दावे भी शामिल थे। डिपो हैंडलिंग एजेन्ट ने अक्टूबर 1998 तक देयों का भुगतान नहीं किया।

लेखा परीक्षा में देखा गया कि समुचित बैंक गारन्टी प्राप्त करने में कम्पनी की असफलता, पूर्व बिक्री आगम की वसूली सुनिश्चित किए बिना अबोध रूप से भारी मात्रा में प्रेषण अथवा समय-समय पर लेखों का विवरण प्राप्त करने में असफलता के कारण इतने अधिक देयों का संचय सम्भव हुआ। लेखा परीक्षा के उल्लेख पर वसूली प्रमाण-पत्र देरी से अगस्त 1998 में निर्गत किया गया। आगे की प्रगति अक्टूबर 1998 तक प्रतीक्षित थी।

प्रबन्धन ने स्वीकार किया (सितम्बर 1998) कि वह बैंक गारन्टी प्राप्त न कर सकी और आगे कहा कि फर्म ने जून 1998 की कानूनी नोटिस के उत्तर में भुगतान नहीं किया अतः वसूली प्रमाण-पत्र अगस्त 1998 में निर्गत किया गया।

प्रकरण, प्रबन्धन तथा शासन को जून 1998 में सूचित किया गया था; उत्तर प्रतीक्षित थे (अक्टूबर 1998)।

4अ.5 निम्न शक्ति की कपास की खरीद पर अतिरिक्त व्यय

कम्पनी को कम शक्ति की कपास स्वीकार करने के कारण 16.55 लाख रुपये की हानि वहन करनी पड़ी।

इकाई स्तर पर कपास की खरीद के विकेन्द्रीकरण हेतु निर्मित प्रक्रिया (अगस्त 1996) के अनुसार मुख्य अधिशासी, प्रबन्धक (वित्त) और उप/सहायक प्रबन्धक (कपास) द्वारा गठित क्रय समिति को कोटेशन के साथ श्रेष्ठ प्रतिदर्श प्राप्त करना और इसके स्पिन लैब जाँच परिणामों को श्रेष्ठ प्रतिदर्श पंजिका में अभिलेखित किया जाना था। वास्तविक आपूर्ति के समय कमेटी को सुनिश्चित करना था कि आपूर्ति की गुणवत्ता श्रेष्ठ प्रतिदर्श की गुणवत्ता से मेल खाती है। यदि गुणवत्ता निम्न पायी जाती है तो आपूर्ति तत्काल अस्वीकृत की जानी थी।

काशीपुर इकाई की लेखा परीक्षा के दौरान यह देखा गया (जून 1998) कि जनवरी से जून 1997 की अवधि में खरीदी गई कपास की 1909 गांठों का सी एस पी श्रेष्ठ प्रतिदर्श से निम्न था। इसके बावजूद, इकाई ने आपूर्तियों को जो उपरलिखित आदेशों के अनुसार अपेक्षित था, अस्वीकृत नहीं किया। जिस शक्ति के कपास के लिए भुगतान किया गया और आपूर्तिकर्ताओं द्वारा आपूर्ति किये गये शक्ति के कपास के मूल्यों का अन्तर 16.55 लाख रुपये था। कम्पनी को उच्च सी एस पी की कपास का आदेश देते समय सावधानी बरतनी चाहिए थी क्योंकि क्रय सम्बन्धी निर्मित प्रक्रिया निम्न

सी एस पी की कपास की स्वीकृति की आज्ञा नहीं देती थी।

प्रकरण, प्रबन्धन तथा शासन को जून 1998 में सूचित किया गया था; उत्तर प्रतीक्षित थे (अक्टूबर 1998)।

4अ.6 टर्बोचार्जर की खरीद पर निष्क्रिय व्यय

आयात करने हेतु मौजूदा आदेश के विरुद्ध, अनुसूचित आपूर्ति अवधि की प्रतीक्षा किए बिना नई दिल्ली की एक फर्म से टर्बोचार्जर की खरीद हेतु आदेश देने के कम्पनी के अविवेकपूर्ण निर्णय से मार्च 1998 तक 1.51 लाख रुपये के ब्याज की हानि के अतिरिक्त 4.50 लाख रुपये का अनाधिकृत व्यय हुआ।

कम्पनी ने अपार्ट डीजल लिमिटेड, रूस से दो टर्बोचार्जर-एक मेरठ इकाई और दूसरी संडीला इकाई के लिए आयात करने का अनुबन्ध निष्पादित किया (जून 1994)। दो टर्बोचार्ज़र का सी आई एफ मूल्य 14150 अमरीकी डालर (4.95 लाख रुपये) था। तथापि, कम्पनी ने फरवरी 1995 में संविदा पर हस्ताक्षर के आठ माह बाद साख पत्र खोला। आपूर्ति, स्वीकार्य साख पत्र की तिथि से छः माह में अर्थात् अगस्त 1995 तक की जानी थी।

इस बीच प्रबन्धन ने शिपमेन्ट का प्रत्याशित समय सुनिश्चित किए बगैर संडीला इकाई के लिए मूल्य समझौता करने के बाद 4.50 लाख रुपये की कीमत पर आयातित टर्बोचार्जर खरीदने हेतु एक स्थानीय फर्म मैरिनोटेक इन्टरप्राइजेज़, नई दिल्ली को एक क्रयादेश दिया (जुलाई 1995), जिसमें आपूर्ति अवधि तीन सप्ताह थी। प्रबन्धन द्वारा नई दिल्ली की फर्म से टर्बोचार्जर खरीदने का निर्णय, जो रूसी टर्बोचार्जर से 2.02 लाख रुपये महंगा था, इस आधार पर लिया गया कि उस समय संडीला पर अधिष्ठापित टर्बोचार्जर में रिसाव हो रहा था और इंजन/आल्टरनेटर में वृहत ब्रेकडाउन टालने की दृष्टि से बन्द कर दिया गया था (मई 1995)। रूस से टर्बोचार्जर मेरठ और संडीला को जनवरी 1996 में पहुँचा। संडीला में टर्बोचार्जर जनवरी 1996 में अधिष्ठापित एवं संचालित किया गया।

तथापि, कम्पनी ने नई दिल्ली की फर्म द्वारा निर्धारित आपूर्ति अवधि में टर्बोचार्जर की आपूर्ति में असफलता के लिए आदेश निरस्त करने के स्थान पर मेरठ इकाई को फर्म से आपूर्ति लेने हेतु निर्देशित किया, यद्यपि यह ज्ञात था (सितम्बर 1995) कि उस समय तक रूसी उपस्कर पहले ही भेजा जा चुका था। मेरठ इकाई ने नई दिल्ली की फर्म से आपूर्ति ले ली और उपस्कर को अप्रैल 1996 में

अधिष्ठापित किया। कम्पनी के मुख्यालय के निर्देश (फरवरी 1996) पर संडीला को स्थानान्तरित रूसी टर्बोचार्जर मार्च 1998 तक आधिक्य में पड़ा था।

प्रबन्धन ने अपने उत्तर (मार्च 1998) में बताया कि नई दिल्ली की फर्म द्वारा अग्रिम (1.06 लाख रुपये) को वापस करने से इन्कार करने पर (जनवरी 1996) कम्पनी को उनसे आपूर्ति लेनी पड़ी।

उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि स्थानीय फर्म से टर्बोचार्जर खरीदने का निर्णय रूसी फर्म की आसन्न आपूर्ति को देखते हुए अविवेकपूर्ण था।

प्रकरण, प्रबन्धन तथा शासन को जून 1998 में सूचित किया गया था; उत्तर प्रतीक्षित थे (अक्टूबर 1998)।

उत्तर प्रदेश स्टेट स्पिनिंग कम्पनी लिमिटेड

4अ.7 ब्याज की परिहार्य हानि

कम्पनी को अपने संयंत्रों एवं मशीनरी के बिक्री आगम की नीलामी बोली की किश्तों का भुगतान प्राप्त करने में देरी के कारण 11.82 लाख रुपये के ब्याज की हानि वहन करनी पड़ी।

औद्योगिक एवं वित्तीय पुनर्संरचना बोर्ड (बी आई एफ आर) द्वारा पुनर्स्थापन योजना के अनुमोदन (दिसम्बर 1996) के परिपालन में, जो निरूपित करती थी कि वित्तीय संस्थानों एवं अन्य की देयताएं इसकी अकबरपुर मिल की भूमि, इमारत संयंत्र एवं मशीनरी आदि बेचकर भुगतान की जायेंगी, कम्पनी ने 650 लाख रुपये के प्रतिफल में सहकारी कताई मिल संघ (स क मि सं) को मिल की परिसम्पत्तियां बेचने का निर्णय लिया (अक्टूबर 1997)। निदेशक मंडल ने बिक्री अनुमोदित करते समय (अक्टूबर 1997) निर्देश दिया कि भुगतान निविदा की शर्तों के अनुसार सुनिश्चित किया जाना चाहिए जिसमें सहमति पत्र के 10 दिन में बोली की राशि का 10 प्रतिशत, सहमति पत्र के एक माह में फिर 15 प्रतिशत तथा शेष 75 प्रतिशत सहमति पत्र के अधिक से अधिक 6 माह के अन्दर मशीनरी हटाते समय किए जाने का प्राविधान था। तथापि, सहमति पत्र या निविदा शर्तें, स क मि सं द्वारा भुगतान की नियत तिथियों के पालन करने में असफलता की दशा में, किसी अर्थदण्ड या क्षतिपूर्ति लगाने का, प्राविधान नहीं करती थीं।

कम्पनी द्वारा सहमति पत्र 1 नवम्बर 1997 को निर्गत किया गया। स क मि सं द्वारा 65 लाख रुपये भुगतान हेतु 10 नवम्बर 1997 को देय हुए और 97.50 लाख रुपये 1 दिसम्बर 1997 को देय हुए। तथापि, स क मि सं ने 150 लाख रुपये की अतिदेय राशि का आंशिक भुगतान 22 अप्रैल 1998 को किया और अवशेष राशि का भुगतान नहीं किया (जुलाई 1998)। इसी मध्य, किसी भी भुगतान के पूर्व स क मि सं ने नवम्बर 1997 और अप्रैल 1998 के बीच 80 प्रतिशत संयंत्र एवं मशीनरी उठा लीं। बोली की किश्तों के भुगतान में विलम्ब से 16.83 प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर पर बैंक के पास पड़ी अशोधित नकद साख की पुनः पूर्ति नहीं हुई। अतिदेय प्रथम दो किस्तों के भुगतान तक, कम्पनी को जुलाई 1998 तक 11.82 लाख रुपये के ब्याज की हानि वहन करनी पड़ी। कम्पनी को हानि, निविदा/सहमति पत्र की त्रुटिपूर्ण शर्तों के कारण उठानी पड़ी जो स क मि सं द्वारा क्रय प्रतिफल का समय से भुगतान में चूक की दशा में कम्पनी के हितों की सुरक्षा देने में, असफल रही थीं।

प्रकरण, कम्पनी और शासन को जून 1998 में सूचित किया गया था; उत्तर प्रतीक्षित थे (अक्टूबर 1998)।

उत्तर प्रदेश राज्य यार्न कम्पनी लिमिटेड

4अ.8 विस्कोस स्टैपिल फाइबर के आयात के कारण हानि

कम्पनी को 9.70 लाख रुपये की हानि हुई क्योंकि इसने उंची दरों पर विस्कोस स्टैपिल फाइबर (वी एस एफ) का आयात किया।

भारत सरकार ने कताई मिलों द्वारा वी एस एफ की घरेलू आवश्यकता को पूरा करने तथा घरेलू बाजार में बढ़ती कीमतों पर अंकुश लगाने के विचार से भी सीमा शुल्क की शून्य दर पर देश में वी एस एफ के आयात की आज्ञा दी थी (सितम्बर 1994)।

कम्पनी ने 100 मीट्रिक टन वी एस एफ की (1) स्थल आधार पर भुगतान हेतु 2.22 अमरीकी डालर सी आई एफ, मुम्बई (2) लदान पत्र से 90 दिन पर भुगतान हेतु 2.27 अमरीकी डालर सी आई एफ, मुम्बई (3) लदान पत्र से 180 दिन पर भुगतान हेतु 2.32 अमरीकी डालर सी आई एफ, मुम्बई की दर पर आपूर्ति हेतु पीटी इन्टी. इण्डोरेयान उटामा, इण्डोनेशिया से अनुबन्ध किया (जुलाई 1995)। जून 1995 में प्राप्त 100 मीट्रिक टन वी एस एफ के आयात हेतु कोटा के विरुद्व 96.415 मीट्रिक टन वी

एस एफ कम्पनी की जसपुर मिल पर, 74.67 लाख रुपये की लैन्डेड कास्ट पर प्राप्त की गई (सितम्बर 1995) जो देशी बाजार से केवल 64.97 लाख रुपये की लागत पर प्राप्त की जा सकती थी। इस प्रकार वी एस एफ को उच्च लागत पर आयात करने से 9.70 लाख रुपये की हानि हुई, जिससे बचा जा सकता था यदि स्वदेशी बाजार से क्रय की जाती।

प्रबन्धन ने बताया (जुलाई 1998) कि ग्रेशिम इण्डस्ट्रीज लिमिटेड, नागदा का संयन्त्र जो वी एस एफ का उत्पादन कर रहा था, बन्द हो गया था और तेज अफवाह थी कि वे अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में प्रचलित उच्च कीमतों के कारण बहुत शीघ्र अपनी कीमतें बढ़ाएगें। उत्तर इस तथ्य के परिपेक्ष्य में संतोषजनक नहीं था कि इकोनामिक टाइम्स (समाचार पत्र) ने स्पष्ट लिखा था (31 जुलाई 1995) कि ग्रेशिम इण्डस्ट्रीज़ पर, वी एस एफ की कीमतों में विश्वव्यापी अचानक गिरावट को देखते हुए, अपनी कीमतों की समीक्षा करने का दबाव था। आगे, कम्पनी ने आयात आदेशों को अन्तिम रूप देते समय ग्रेशिम इण्डस्ट्रीज के साथ देशी बाजार से भी वी एस एफ खरीदा था।

प्रकरण, प्रबन्धन तथा शासन को जून 1998 में सूचित किया गया था; उत्तर प्रतीक्षित थे (अक्टूबर 1998)।

उत्तर प्रदेश अल्पसंख्यक वित्त एवं विकास निगम लिमिटेड

4अ.9 निधियों का दुरुपयोग

कम्पनी द्वारा वित्त पोषित परियोजनाओं के अस्तित्व विहीन होने के कारण 45.58 लाख रुपये का दुरुपयोग हुआ।

आकस्मिक स्थल सत्यापन में दिसम्बर 1995 से दिसम्बर 1997 के दौरान वित्तपोषित 45.58 लाख रुपये के मूल्य वाली 77 परियोजनाएं अस्तित्व में नहीं पायी गयी।

कम्पनी, मार्च 1995 से राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास एवं वित्त निगम लिमिटेड (रा अ वि वि नि) की माध्यम एजेन्सी के रूप में उत्तर प्रदेश के अल्पसंख्यकों के आर्थिक उत्थान को प्रभावी करने के उद्देश्य से कार्य कर रही थी। अल्पसंख्यकों के बेरोजगार नौजवान, जिनकी पारिवारिक आय 22000 रुपये से नीचे थी, रा अ वि वि नि द्वारा निर्दिष्ट परियोजनाओं के लिए सावधि ऋण सुविधा प्राप्त करने के पात्र थे। परियोजनाएं, रा अ वि वि नि, उत्तर प्रदेश अल्पसंख्यक विकास

एवं वित्त निगम लिमिटेड (उ प्र अ वि वि नि) और लाभार्थियों द्वारा संयुक्त रूप से 85 : 7.5 : 7.5 के अनुपात में वित्त पोषित की जानी थी।

कम्पनी ने 1997-98 तक तीन वर्षो की अवधि में, 8569 परियोजनाओं के लिए कुल 47.88 करोड़ रुपये के सावधि ऋण वितरित किए। परियोजनाओं के सफलतापूर्वक और उद्देश्यपूर्वक परिचालन को सुनिश्चित करने के लिए शासन के निर्देशों के अनुसार जिलाधिकारी, मुख्य विकास अधिकारी और खण्ड विकास अधिकारियों द्वारा सीमान्त धन ऋण और सावधि ऋण योजनाओं के तहत चल रही परियोजनाओं का माहवार और जिला प्रबन्धक द्वारा कम से कम 25 प्रतिशत मामलों में आकस्मिक स्थल सत्यापन किया जाना वांछित था। लेखा परीक्षा में यह देखा गया कि इन प्राविधानों के विपरीत, शाहजहांपुर जिला के अतिरिक्त जहां क्रियान्वित परियोजनाओं का भौतिक सत्यापन जिला प्रबन्धक द्वारा एक बार जनवरी 1998 में किया गया, नमूना जाँच के 20 जिला कार्यालयों (80 में से) में, किसी का भी मार्च 1998 तक के छः वर्षो में स्थल सत्यापन नहीं किया गया था। उसकी आख्या के अनुसार, दिसम्बर 1995 से दिसम्बर 1997 की अवधि में वित्तपोषित 45.58 लाख रुपये की 77 परियोजनाएं (138 भौतिक सत्यापित परियोजनाओं में से) स्थान पर उपलब्ध नहीं थीं। इस प्रकार 45.58 लाख रुपये की शासकीय निधि का दुरुपयोग अथवा गबन किया गया था। दोषी लाभार्थियों के विरुद्ध अब तक (अक्टूबर 1998) कोई कार्यवाही नहीं की गई थी।

प्रकरण, कम्पनी को जून 1998 में तथा शासन को जुलाई 1998 में सूचित किया गया था; उत्तर प्रतीक्षित थे (अक्टूबर 1998)।

उत्तर प्रदेश महिला कल्याण निगम लिमिटेड

4अ.10 महिला कर्मचारियों के लिए छात्रावास के निर्माण पर अनुत्पादक व्यय

39.58 लाख रुपये का व्यय अनुत्पादक रहा क्योंकि कम्पनी द्वारा निर्मित दो छात्रावासों के निर्माण का उपयोग उनकी निर्माण तिथि से शून्य था।

कर्मचारी महिलाओं के लिए छात्रावासों के निर्माण हेतु चयनित राज्य के 10 शहरों में से दो छात्रावासों (हल्द्वानी और आगरा) का निर्माण क्रमशः फरवरी 1995 तथा मई 1996 में 39.58 लाख रुपये की लागत पर पूर्ण करने के पश्चात् उपयोग में लिये गये।

लेखा परीक्षा में यह देखा गया कि दो छात्रावासों (हल्द्वानी और आगरा) के निर्माण पर हुआ 39.58 लाख रुपये का व्यय अनुत्पादक रहा क्योंकि मार्च 1998 तक उनका उपयोग शून्य था। शून्य उपयोग, छात्रावासों तक अगम्यता और दूरस्थ स्थिति तथा उचित प्रचार के अभाव के कारण था। इस प्रकार छात्रावासों के अनियोजित निर्माण से अक्टूबर 1998 तक 17.22 लाख रुपये के ब्याज की परिणामी हानि के साथ अनुत्पादक व्यय हुआ।

प्रकरण, कम्पनी को जून 1998 में तथा शासन को जुलाई 1998 में सूचित किया गया था; उत्तर प्रतीक्षित थे (अक्टूबर 1998)।

उत्तर प्रदेश राज्य चीनी निगम लिमिटेड

4अ.11 कमबस्शन आप्टीमाइजेशन प्रणाली को प्रचालित न करने के कारण निष्फल व्यय

कम्पनी द्वारा ब्वायलरों के स्वचालन पर किया गया 46.15 लाख रुपये का व्यय संयंत्र आपूर्तिकर्ता को आवश्यक सुविधाएं प्रदान करने में इसकी असफलता के कारण, निष्फल हो गया।

ब्वायलर के स्वचालन पर किया गया 46.15 लाख रुपये का व्यय व्यर्थ हो गया क्योंकि कम्पनी संयंत्र आपूर्तिकर्ता को आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराने में असफल रही।

अमरोहा और बिजनौर फैक्ट्रियों में ब्वायलरों के स्वचालन हेतु कम्पनी ने अपट्रान इंडिया लिमिटेड, लखनऊ को उनके अतिरिक्त पुर्जों के साथ कम्बस्शन आप्टीमाइजेशन प्रणाली की आपूर्ति एवं अधिष्ठापन हेतु 56 लाख रुपए का एक आदेश दिया। आदेश की शर्तों के अनुसार, कार्य को अक्टूबर 1989 तक पूरा हो जाना था जिसके लिए कम्पनी द्वारा आपूर्तिकर्ता को आवश्यक कार्यकारी सुविधाएं जैसे सिविल कार्य जिसमें केबिल नालियां शामिल थीं, वातानुकूलित नियंत्रण कक्ष, ए सी विद्युत आपूर्ति, निश्चित दाब पर शुष्क वायु, पाइप और अतिरिक्त वाल्व आदि उपलब्ध कराना था।

यद्यपि, आपूर्तिकर्ता ने प्रणाली को बिजनौर (अक्टूबर 1989) में तथा अमरोहा (फरवरी 1990 और मार्च 1992) में अधिष्ठापित कर दिया था जिसके लिए उन्हें 40.35 लाख रुपये का भुगतान किया गया था, पर प्रणाली अभी तक (अक्टूबर 1998) 5.80 लाख रुपये व्यय करने के बावजूद आवश्यक

कार्यकारी सुविधाएं उपलब्ध कराने में कम्पनी की असफलता के कारण प्रचालित नहीं की जा सकी। कम्पनी के सर्वेक्षणकर्ताओं ने जनवरी 1996 की अपनी आख्या में उल्लेख किया कि मुख्य मदों के दीर्घकालीन भण्डारण और जंग लगने के कारण प्रणाली का कार्यचालन संदेहास्पद था।

प्रबन्धन ने कार्यकारी सुविधायें उपलब्ध न कराने के कारणों की खोज नहीं की जिसके कारण 46.15 लाख रुपये का सम्पूर्ण व्यय व्यर्थ हो गया।

प्रकरण, कम्पनी को फरवरी 1998 में तथा शासन को जुलाई 1998 में सूचित किया गया था; उत्तर प्रतीक्षित थे (अक्टूबर 1998)।

4अ.12 निधियों की अवरुद्धता

15.34 लाख रुपये की लागत पर अधिष्ठापित, फ्लाई ऐश अरेस्टर के परिचालन हेतु वांछित शक्ति भार की व्यवस्था करने में असफलता के कारण निधि अवरुद्ध रही और दो वर्षों तक प्रदूषण नियंत्रण के उद्देश्य को नकारने के अतिरिक्त ब्याज की परिणामी हानि हुई।

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा निश्चित अनुमति प्राप्त सीमा तक ब्वायलर की चिमनी से निकलने वाले प्रवाहों को नियंत्रित करने की दृष्टि से, कार्पोरेट आफिस ने एम एम एस शुगर एवं पावर इन्जीनियर्स (प्राइवेट) लिमिटेड, लखनऊ को रामकोला की मिल के लिए मल्टी साइक्लोन टाइप फ्लाई ऐश अरेस्टर की डिजाइन, आपूर्ति, निष्पादन तथा प्रचालन के लिए 20.45 लाख रुपये के निश्चित मूल्य पर एक आदेश प्रेषित किया (अक्टूबर 1995)। आपूर्तिकर्ता द्वारा फरवरी 1996 में उपस्कर का प्रचालन किया गया जिसके लिए उसे 15.34 लाख रुपये का भुगतान जनवरी से फरवरी 1997 के मध्य किया गया और सफलतापूर्वक प्रचालन देखने के लिए 5.11 लाख रुपये रोक लिए गए। उपस्कर के अधिष्ठापन और प्रचालन के पहले, कम्पनी ने सुनिश्चित नहीं किया कि मौजूदा भार फ्लाई ऐश अरेस्टर की शक्ति आवश्यकता को पूरा करने के लिए पर्याप्त था अथवा बढ़ाया जाना था।

अरेस्टर के सफलतापूर्वक प्रचालन के बावजूद, मैचिंग शक्ति भार की अनुपलब्धता के कारण अब तक (सितम्बर 1998) यह प्रयोग में नहीं लाया जा सका। इस प्रकार वह उद्देश्य जिसके लिए अरेस्टर अधिष्ठापित किया गया था जनवरी 1996 से मई 1998 तक पूरा नहीं किया जा सका था। 15.34 लाख रुपये के निष्फल व्यय के अतिरिक्त कम्पनी को 18 प्रतिशत वार्षिक की दर से 6.33 लाख रुपये के ब्याज की हानि भी उठानी पड़ी।

प्रकरण, कम्पनी को जनवरी 1998 तथा शासन को जुलाई 1998 में सूचित किया गया था; उत्तर प्रतीक्षित थे (अक्टूबर 1998)।

उत्तर प्रदेश निर्यात निगम लिमिटेड

4अ.13 कालीन बुनाई के लिए बनी अम्बेदकर विशिष्ट रोजगार योजना की असफलता

कम्पनी ने कालीन बुनाई योजना के क्रियान्वयन मे 2.52 लाख रुपये का अतिरिक्त व्यय किया और सावधि जमा में नियोजित करने के स्थान पर 180 लाख रुपये के अतिरिक्त उपदान का उपयोग कार्यशील पूँजी के लिए किया जिससे सरकार को ब्याज की हानि हुई।

राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में निरन्तर रोजगार पैदा करने की दृष्टि से शासन ने बलिया, गाजीपुर और मऊ जिलों के लिए अम्बेदकर विशेष रोजगार योजना के अन्तर्गत एक कालीन बुनाई योजना की स्वीकृति दी (मार्च 1995)। योजना, जो तीन साल के लिए लागू थी, अन्यों के अलावा शासन द्वारा वहन किए जाने वाले 150 लाख रुपये के वार्षिक व्यय पर 1500 अभ्यर्थी प्रति वर्ष की दर पर 4500 प्रशिक्षुओं को प्रशिक्षण देने का प्रावधान करती थी। योजना की सम्पूर्ण लागत 15.30 करोड़ रुपये (बैंक शेयरः 7.20 करोड़ रुपये और सरकारी अनुदान के जरिये कम्पनी का शेयरः 8.10 करोड़ रुपये) थी और 18000 रुपये प्रति प्रशिक्षु की दर से 50 प्रतिशत प्रशिक्षुओं को ऋण प्रदान करने हेतु बैंकों से लिखित वचन प्राप्त करने के बाद ही क्रियान्वित किया जाना था। प्रशिक्षण समाप्त होने एवं बैंक से ऋण की मंजूरी के बाद प्रशिक्षुओं को कच्चे माल के रूप में 6000 रुपये का उपदान भी स्वीकार्य था।

लेखा परीक्षा में देखा गया कि बैंकों से वांछित लिखित वचन प्राप्त किये बगैर योजना शुरू कर दी गयी और इसलिए योजना का क्रियान्वयन जारी रखने योग्य नहीं था। कम्पनी ने 4.92 करोड़ रुपये (3.12 करोड़ रुपये प्रशिक्षण हेतु और 1.80 करोड़ रुपये उपदान हेतु) प्राप्त किए और फरवरी 1998 तक के तीन वर्षो में स्टाइपेन्ड (66.22 लाख रुपये), प्रशिक्षणदाताओं का पारिश्रमिक (59.03 लाख रुपये), करघे (60.10 लाख रुपये), कच्चा माल (60.72 लाख रुपये), भवन किराया (9.66 लाख रुपये) और अन्य (21.39 लाख रुपये) पर 2.77 करोड़ रुपये का व्यय किया। आगे, कम्पनी शासन के निर्देशों की प्रतिकूलता के बावजूद, 14 से 18 वर्ष की आयु के 2470 अभ्यर्थियों को ही प्रशिक्षित कर सकी और क्रमशः 3000 और 653 प्रशिक्षुओं के लक्ष्य के विरुद्ध केवल 76 प्रशिक्षुओं के लिए बैंक ऋण मंजूरी की व्यवस्था कर सकी। अल्पायु प्रशिक्षुओं के प्रशिक्षण के कारण बैंक ऋण (0.33 लाख रुपये) केवल दो

अभ्यर्थियों को वितरित किया जा सका। इस प्रकार कम्पनी, योजना के उद्देश्यों को प्राप्त करने तथा उसमें इच्छित लाभों को देने में असफल रही। लेखा परीक्षा में यह भी देखा गया कि:

(क) इस तथ्य के बावजूद कि केवल दो अभ्यर्थी, जिन्हें ऋण वितरित किया गया, 0.12 लाख रुपये के उपदान के योग्य थे, कम्पनी ने फरवरी 1998 तक 44 प्रशिक्षुओं को 2.64 लाख रुपये के उपदान का वितरण किया जिससे 2.52 लाख रुपये के उपदान का अनियमित वितरण हुआ; और

(ख) सरकार को 33.75 लाख रुपये के ब्याज की परिहार्य हानि भी वहन करनी पड़ी क्योंकि कुल 180 लाख रुपये की अवितरित उपदान की धनराशि जो एक वर्ष के प्रशिक्षण की पूर्णता एवं बैंक ऋण की मंजूरी के बाद ही अभ्यर्थी को देय थी, कम्पनी द्वारा सावधि जमा में नियोजित करने के स्थान पर अपनी कार्यशील पूँजी के लिए प्रयुक्त कर ली गयी थी।

प्रबन्धन ने बताया (सितम्बर 1998) कि बैंक और प्रशिक्षु, योजना में भाग लेने हेतु अनिच्छुक थे। इस प्रकार कम्पनी की स्वयं स्वीकारोक्ति के अनुसार, बैंकों से लिखित वचन की अनुपस्थिति, योजना के लक्ष्यों को पूरा न कर पाने के लिए उत्तरदायी थी।

प्रकरण, शासन को जुलाई 1998 में सूचित किया गया था; उत्तर प्रतीक्षित थे (अक्टूबर 1998)।

4अ.14 रोटरडम में शो रूम का अविवेकपूर्ण अधिग्रहण

निवेश की लाभकारिता का मूल्यांकन किए बगैर रोटरडम में एक शो रूम के अधिग्रहण से 14.50 लाख रुपये का अलाभकारी व्यय हो गया।

एग्रीकल्चरल ऐण्ड प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट डेवलपमेन्ट अथार्टी (ए पी ए डी ए), वाणिज्य मंत्रालय के आमंत्रण (सितम्बर 1994) पर, कम्पनी ने इच्छित लाभों और जीवन्तता को परिभाषित किए बगैर ट्रेनिंग कम डिस्ट्रीब्यूशन केन्द्र, रोटरडम में पट्टे पर एक आफिस कम शो रूम अधिग्रहीत करने का निर्णय लिया (अक्टूबर 1994)। अधिमान्य आधार पर आबंटन सुनिश्चित करने के लिए कम्पनी ने भारत और नीदरलैण्ड की सरकारों से अनुमोदित, निजी क्षेत्र में स्थापित इण्डिया इन्टरनेशनल मार्केटिंग सेन्टर (आई आई एम सी) की इक्विटी में 10 लाख रुपये निवेश किए (जनवरी 1995)। किराया और अन्य प्रभारों पर 4.50 लाख रुपये व्यय करने के पश्चात् कम्पनी ने पाया कि केन्द्र पर आई आई

एम सी द्वारा केवल कुछ इकाईयां ही आबंटित की जा सकती थी और शो रूम को परिचालित करने के लिए इसे लगभग 20 लाख रुपये प्रतिवर्ष व्यय करने पड़ेंगे। उक्त व्यय के प्रतिलाभों का मूल्यांकन किए बगैर कम्पनी ने श्री गुरूदास जेम्स एक्सपोर्टर्स (प्राईवेट) लिमिटेड को 3.50 लाख रुपये प्रतिवर्ष के भुगतान पर शो रूम चलाकर निर्दिष्ट वस्तुओं (दस्तकारी, हथकरघा कालीन तथा कम्पनी द्वारा निर्मित एवं उत्पादित अन्य उत्पादों) के वितरण एवं बिक्री के अधिकृत वितरक के रूप में नियुक्ति की (दिसम्बर 1996)। वितरक ने शो रूम का कब्जा मई 1997 में ले लिया परन्तु वित्तीय संकट एवं धन्धे के अभाव में 15 अगस्त 1997 से परिचालन बन्द कर दिया और कम्पनी के साथ अनुबन्ध को समाप्त कर दिया।

इस प्रकार उपर्युक्त शो रूम के अधिग्रहण की आर्थिक व्यवस्था के मूल्यांकन में प्रबन्धन की असफलता के कारण, शो रूम के अधिग्रहण एवं किराए पर हुआ सम्पूर्ण व्यय 3.75 लाख रुपया (वितरक से प्राप्त 10.75 लाख रुपये के किराए को अलग करते हुए) और आई आई एम सी के अंश भाग में 10 लाख रुपये का निवेश निष्फल हो गया।

प्रबन्धन ने अपने उत्तर (सितम्बर 1998) में अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार का पूर्वानुमान न करने को तथा इसमें मंदी की प्रवृत्ति को सम्पूर्ण विशिष्ट असफलता के लिए दोषी ठहराया। तथापि, प्रबन्धन का तर्क सही नहीं है क्योंकि इसकी अपनी जांच के अनुसार केन्द्र समुचित रूप से विकसित नहीं किया गया था, आयात-निर्यात के उचित वातावरण का अभाव था और केवल कुछ ही इकाईयां इसके द्वारा परिचालित होने का साहस कर सकी थी।

प्रकरण, शासन को जुलाई 1998 में सूचित किया गया था; उत्तर प्रतीक्षित थे (अक्टूबर 1998)।

उत्तर प्रदेश राज्य एग्रो इण्डस्ट्रियल कार्पोरेशन लिमिटेड

4अ.15 भण्डार एवं रोकड़ का दुर्विनियोग

कम्पनी ने भण्डारों (16.52 लाख रुपये) एवं रोकड़ (2.68 लाख रुपये) के दुर्विनियोग के पता लगने के चार वर्षों बाद भी हानि की वसूली हेतु कोई कार्यवाही नही की।

(क) लेखों एवं विभिन्न विवरणियों की जांच एवं प्रस्तुतीकरण हेतु कम्पनी द्वारा जून 1973 में निर्धारित प्रक्रिया एवं समय अनुसूची का अनुसरण नही किया गया और निर्धारित विवरणियां/लेखे या तो तैयार ही नहीं किए गए या इसमें अत्यधिक रूप से देरी की गई जिसके कारण आगरा मण्डल के अन्तर्गत

अलीगढ़ सर्विस स्टेशन में कई अनियमितताएं तथा भण्डार का दुर्विनियोग हुआ। 1990-91 से 1993-94 के लेखों को अंतिम रूप देते समय यह ज्ञात हुआ कि अलीगढ़ सर्विस स्टेशन के भण्डारी एवं अन्य कर्मचारी वर्ग ने 16.52 लाख रुपये के भण्डारों का दुर्विनियोग एवं अन्य अनियमितताएं कीं।

जांच के लिए समय अनुसूची और निर्धारित प्रक्रिया का अनुसरण न करने और लेखाओं और अन्य विवरणियों के भेजने में असफलता और केन्द्र प्रभारी के रूप में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी की नियुक्ति से भण्डारों (16.52 लाख रुपये) और रोकड़ (2.68 लाख रुपये) का दुर्विनियोग हुआ।

जुलाई 1994 में एक भण्डारी, ट्रैक्टर आपरेटर, सहायक ट्रैक्टर आपरेटर और सर्विस इंजीनियर्स निलम्बित कर दिए गये। प्रबन्ध निदेशक ने मण्डलीय अभियन्ता, नोएडा को मामले का जांच अधिकारी नियुक्त किया (जुलाई 1994) जिसे एक माह में अपनी आख्या प्रस्तुत करनी थी। लेखा परीक्षा द्वारा इंगित करने पर आख्या मार्च 1998 में प्रस्तुत की गई। तथापि, सितम्बर 1998 तक न तो चूककर्ता अधिकारियों/कर्मचारियों से हानि की वसूली हेतु कोई कार्यवाही की गई और न पुलिस में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज की गई।

प्रबन्धन, अपने उत्तर (मई 1998) में वसूली कार्यवाही न करने या प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज न कराने का कोई कारण बताने में असफल रहा।

(ख) कम्पनी की विक्रय प्रक्रिया के अनुसार, बिक्री तृतीय श्रेणी कर्मचारी के प्रभार में इसके बिक्री केन्द्र के माध्यम से की जाती है। आगे, कम्पनी की लेखा प्रक्रिया के अनुसार, केन्द्र प्रभारी को रोकड़ बही से बैंक अवशेषों का मिलान करना, मुख्यालय को माहवार ट्रायल बैलेन्स प्रेषित करना एवं प्राप्ति तथा भुगतान वाउचरों के साथ रोकड़बही की प्रति प्रत्येक माह की 10वीं, 17वीं, 24वीं तथा 31वीं तिथि तक भेजना होता था।

स्थापित प्रक्रिया के प्रतिकूल, प्रबन्ध निदेशक ने लहरपुर (सीतापुर) बिक्री केन्द्र पर एक चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी को अगस्त 1991 से केन्द्र प्रभारी के रूप में कार्य करने हेतु नियुक्त किया। यद्यपि, उस चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी के सन्देहास्पद कार्य-कलापों के कारण क्षेत्रीय प्रबन्धक, लखनऊ ने वहां एक बिक्री सहायक की नियुक्ति की तो भी उसे केन्द्र का प्रभार नहीं हस्तान्तरित किया गया जिसके कारणों का अभिलेखों में कोई उल्लेख नहीं था।

यह देखा गया कि केन्द्र प्रभारी द्वारा लेखा प्रक्रिया का अनुसरण नहीं किया गया यहाँ तक कि 1990-91 से सितम्बर 1995 तक बैंक से मिलान नहीं किया गया था। जब अन्ततः बैंक समाधान किया गया (अक्टूबर 1995) तो यह पता चला कि 1990-91 से 1995-96 की अवधि में रोकड़ प्रेषण की असत्य/गलत प्रविष्टियां करके 2.68 लाख रुपये का गबन किया गया था।

दिसम्बर 1995 में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज की गई और कर्मचारी को अप्रैल 1996 में निलम्बित कर दिया गया। एक माह में विभागीय कार्यवाही को अन्तिम रूप देने हेतु, एक लेखाधिकारी की जांच अधिकारी के रूप में नियुक्ति की गई (अक्टूबर 1996) लेकिन विभागीय कार्यवाही को अब तक अन्तिम रूप नहीं दिया जा सका (अप्रैल 1998)। इस प्रकार, केन्द्र प्रभारी के रूप में एक अयोग्य व्यक्ति की नियुक्ति एवं क्षेत्रीय प्रबन्धक द्वारा नियुक्त बिक्री सहायक को प्रभार के हस्तांतरण में प्रबन्धन की असफलता के कारण 2.68 लाख रुपये की हानि हुई।

प्रकरण, प्रबन्धन को दिसम्बर 1997 में तथा शासन को जून 1998 में सूचित किये गये थे; उत्तर प्रतीक्षित थे (अक्टूबर 1998)।

उत्तर प्रदेश पुलिस आवास निगम लिमिटेड

4अ.16 भूमि क्रय के बावजूद आवासीय भवनों में कार्यालय स्थान की अनियमित निरन्तरता

कम्पनी, अपनी प्राक्कलित आवश्यकता से अधिक भूमि क्रय करने के बावजूद आवासी इमारतों में अपने कार्यालय चलाती रही, जो नगरीय योजना एवं विकास अधिनियम के विरुद्ध था।

अपने स्वयं के कार्यालय भवन के लिए 2500 वर्ग मीटर भूमि के क्रय के बोर्ड के निर्णय (सितम्बर 1993) के अनुसरण में, कम्पनी ने, लखनऊ विकास प्राधिकरण के प्रस्ताव पर गोमतीनगर में 3500 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से 3000 वर्ग मीटर भूमि खरीदी (दिसम्बर 1995)। 17.50 लाख रुपये मूल्य की 500 वर्ग मीटर अधिक भूमि को शामिल करते हुए 105 लाख रुपये की कुल लागत पर खरीदी गई भूमि इसके क्रय की तिथि से अप्रयुक्त पड़ी रही।

जबकि प्राप्त की गई भूमि अप्रयुक्त पड़ी रही, कम्पनी ने नगरीय योजना एवं विकास अधिनियम की धारा-27 के प्राविधानों के प्रतिकूल न केवल तीन आई पी एस अधिकारियों के आवासीय भवनों में कार्यालय भवन, प्रमुख सचिव, गृह के निर्देश, (सितम्बर 1994) की ऐसी इमारतों को तुरन्त खाली किया

जाय के बावजूद, अनियमित रूप से प्रतिधारित करना जारी रखा, बल्कि बोर्ड और शासन की जानकारी में लाए बगैर किरायेदारी अनुबन्धों का पुनः नवीनीकरण कर दिया। कम्पनी ने अपना स्वयं का कार्यालय भवन निर्मित करके अथवा कार्यालय भवन किसी व्यापारिक क्षेत्र में किराए पर लेकर अपने कार्यालयों को हटाने के प्रयत्न नहीं किए।

इस प्रकार क्रय के तीन वर्ष बाद भी, अपनी भूमि पर प्रारम्भ में ही एक कार्यालय भवन निर्मित करने की कम्पनी की असफलता से 105 लाख रुपये का कम्पनी का निवेश (500 वर्ग मीटर अतिरिक्त भूमि की लागत का 17.50 लाख रुपये का अनावश्यक व्यय सम्मिलित करते हुए) निष्फल हो गया, इस प्रकार 18 प्रतिशत की औसत उधार दर पर अवरुद्ध निधियों पर 18.90 लाख रुपये वार्षिक की ब्याज की हानि हुई। इसके अतिरिक्त, कम्पनी शासन के आदेशों के परिपालन में असफल रही और नगरीय योजना एवं विकास अधिनियम के विरुद्ध आवासीय भवन में कार्यालय परिसर अनियमित रूप से धारित किए रही।

प्रकरण, कम्पनी को जून 1998 में तथा शासन को जुलाई 1998 में सूचित किया गया था; उत्तर प्रतीक्षित थे (अक्टूबर 1998)।

उत्तर प्रदेश समाज कल्याण निर्माण निगम लिमिटेड

4अ.17 परिहार्य व्यय

कार्य निष्पादन के तरीके के विषय में निर्णय लेने में तीन सप्ताह के विलम्ब, निम्नतम दर अनुमोदित करने एवं लिमिटेड कोटेशन के विरुद्ध आफर स्वीकार करने में और एक सप्ताह के विलम्ब तथा किसी अन्य ख्याति प्राप्त स्थानीय अभिकरण से नियत लक्ष्य तिथि में कार्य समाप्ति का अवसर ढूँढे बगैर लक्ष्य तिथि के पश्चात समापन अवधि को बढ़ाने के कारण 7.50 लाख रुपये का परिहार्य व्यय हुआ।

कम्पनी ने 554.14 लाख रुपये की स्वीकृत लागत पर राज्य सरकार के निक्षेप कार्य के रूप में लखनऊ में सी एस एम प्रशिक्षण एवं अनुसन्धान संस्थान का निर्माण शुरू किया (1995-96)। अन्य बातों के साथ-साथ कार्य में छात्रावास, आवासों, कक्षाओं के कमरे तथा सभाकक्ष का निर्माण भी सम्मिलित था। सरकार से 255.14 लाख रुपये की निधि की कमी के लिए सितम्बर 1996 में रुका निर्माण कार्य दिसम्बर 1996 एवं मार्च 1997 के मध्य निधि की अवमुक्ति के पश्चात् पुनः प्रारम्भ किया गया।

31 मई 1997 को मुख्यमंत्री ने कम्पनी को भवन 15 जून 1997 तक पूर्ण करने के लिए निर्देशित किया। यथा अनुरूप कम्पनी ने 22 अप्रैल 1997 को सभाकक्ष के प्लिन्थ स्तर के उपर के अवशेष कार्य को निविदा आधार पर देने का निर्णय लिया। तद्नुसार, क्रय समिति के सदस्यों द्वारा व्यक्तिगत रूप से 23 अप्रैल 1997 को रायबरेली के दो ठेकेदारों और लखनऊ के एक ठेकेदार से टर्न की आधार पर एकमुश्त प्रस्ताव इकट्ठा किए। समिति ने 24 अप्रैल 1997 को निम्नतम निविदाकर्ता में भार्गव इन्जीनियरिंग कार्पोरेशन, रायबरेली (दो अन्य ठेकेदारों ने भाग नहीं लिया) से, जिन्होंने कार्य के लिए मूलतः 65 लाख रुपये उद्धृत किए थे, वार्ता के बाद तय पायी गयी 55 लाख रुपये की दर पर उन्हें ठेका देने हेतु संस्तुत किया। प्रस्ताव प्रबन्ध निदेशक द्वारा 30 अप्रैल 1997 को अनुमोदित किया गया तथा किन्हीं अन्य ख्याति प्राप्त अभिकरणों के माध्यम से निर्धारित लक्ष्य (15 जून 1997) तक कार्य पूर्ण करने की संभावना का पता लगाये बिना, 31 जुलाई 1997 तक कार्य पूर्ण करने का प्राविधान करते हुए 1 मई 1997 को फर्म के साथ अनुबन्ध किया गया। जब जून 1997 में मुख्यमंत्री ने भवन के उद्घाटन के लिए 26 जुलाई 1997 को निश्चित कर दिया था, ठेकेदार ने कई कारणों से कार्य में बाधा के कारण 31 जुलाई 1997 के बाद 54 दिनों की समय में बढ़ोत्तरी की माँग की, पर मजदूरी, सामान एवं शटरिंग की वृद्धि के लिए 15 लाख रुपये के अतिरिक्त भुगतान पर, ठेकेदार ने भवन उद्घाटन के लिए तैयार करना स्वीकार कर लिया। कम्पनी को, जिसने पूर्व में ही बंधी समय सूची में कार्य पूरा करने की फर्म की साधन सम्पन्नता एवं सक्षमता के आधार पर खुली निविदा आमंत्रित करने की आवश्यकता त्याग दी थी, (लिमिटेड इन्क्वायरी पर विचार किया) वार्ता के बाद 7.50 लाख रुपये की मूल्य वृद्धि जुलाई 1997 में स्वीकार करनी पड़ी। भवन का निर्माण ठेकेदार द्वारा सितम्बर 1997 में पूरा किया गया।

प्रकरण, प्रबन्धन को जून 1998 में तथा शासन को अगस्त 1998 में सूचित किया गया था; उत्तर प्रतीक्षित थे (अक्टूबर 1998)।

अध्याय - IV
विविध रोचक विषय

अनुच्छेद–4 ब
अन्य सांविधिक निगम

प्रस्तर	विवरण	पृष्ठ
	उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम	
1.	साफ्टवेयर के विकास पर निरर्थक व्यय	243
2.	ई पी एफ के विलम्बित भुगतान से अर्थदण्ड का परिहार्य भुगतान	244
3.	डीज़ल फिल्टर एलीमेन्ट्स की उच्च दरों पर क्रय से हानि	245
4.	भूखण्ड के अभ्यर्पण के कारण हानि	247
5.	आन्तरिक प्राप्तियों के अन्तरण के अनुश्रवण में विलम्ब से परिहार्य बैंक प्रभारों का भुगतान	247
6.	व्यापार कर की रियायती दर की सुविधा न लेने के कारण हानि	248
7.	कैन्टीन को किराये पर देने में हानि	249
	उत्तर प्रदेश जल निगम	
8.	निष्फल व्यय	250
9.	निरर्थक व्यय	252
10.	17.48 लाख रुपये का निरर्थक व्यय	253
11.	निधियों का अवरोध	254

अनुच्छेद 4ब

अन्य सांविधिक निगम

उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम

4ब.1 साफ्टवेयर के विकास पर निरर्थक व्यय

आवश्यकता एवं आर्थिक लाभ देयता का विश्लेषण न करने से, साफ्टवेयर के विकास पर किया गया, 50.06 लाख रुपये का व्यय निरर्थक हो गया।

निगम द्वारा साफ्टवेयर के विकास पर किया गया 50.06 लाख रुपये का व्यय निरर्थक हो गया क्योंकि निगम ने अपनी आवश्यकता का उचित मूल्यांकन तथा उपरोक्त व्यय किये जाने से पूर्व आर्थिक लाभ विश्लेषण तैयार नहीं किया।

निगम ने अपने डिपो, परिक्षेत्रों तथा मुख्यालय के कम्प्यूटरीकरण के उद्देश्य से लखनऊ परिक्षेत्र व सम्बन्धित डिपों के लिए एक सम्यक परियोजना के रूप में साफ्टवेयर का विकास कार्य 30 लाख रुपये सेवा प्रभार पर सी एम सी लिमिडेट को दिया (जुलाई 1992)। संविदा की शर्तों के अनुसार निगम ने मुख्यालय पर साफ्टवेयर विकास केन्द्र के लिए स्थल निर्माण कराया तथा 33.96 लाख रुपये मूल्य (6.48 लाख रुपये के साफ्टवेयर सिस्टम सहित) के सी एम सी के पूर्णतया उपयोग हेतु हार्डवेयर उपलब्ध कराये। तथापि, निगम ने कार्य स्वीकृत करने के पूर्व अथवा सम्यक परियोजना पर व्यय के पश्चात् भी कोई आर्थिक लाभदेयता विश्लेषण तैयार नहीं किया। निगम ने, दिसम्बर 1994 में सी एम सी को लागत आंकलन के साथ लाभदेयता बनाने के लिए कहा। जब निगम के सज्ञान में यह आया कि सम्पूर्ण परियोजना की लागत लगभग 33 करोड़ रुपये होगी तथा लखनऊ परिक्षेत्र के लिए यह 2.25 करोड़ रुपये होगी, तब राज्य सरकार के परिवहन मंत्री ने निगम को निम्न निर्देश दिया (दिसम्बर 1994):

1. सी एम सी ने उस समय तक जितने भी साफ्टवेयर विकसित कर लिये थे (14 माड्यूल्स में से मात्र 2 माड्यूल्स जिनके लिए निगम ने 16.10 लाख रुपये का भुगतान कर दिया था), का क्रियान्वयन एवं अपेक्षित लाभों की जाँच की जाए।

2. इन माड्यूल्स को क्रियान्वित करने के लिए लखनऊ परिक्षेत्र कार्यालय में स्थानान्तरित किया जाए।

माड्यूल्स की जाँच करने पर निगम ने साफ्टवेयर सम्पादन में कुछ कमियाँ पाई। निगम के आग्रह पर सी एम सी ने सूचित किया (मई 1997) कि वर्तमान साफ्टवेयर में, निगम द्वारा अपेक्षित परिवर्तन में लगभग 3 लाख रुपये का अतिरिक्त व्यय होगा तथा वे उसे वहन के लिए तैयार नहीं थे। इसके अतिरिक्त, साफ्टवेयर तकनीकी रूप से अनुपयुक्त हो गये थे तथा उनकी पुनः डिजाइन करनी थी। निगम ने यह भी पाया कि साफ्टवेयर को विकसित करने के लिए सी एम सी को उपलब्ध कराये गये हार्डवेयर में भी परिवर्तन अपेक्षित था जिसके पश्चात् भी ये मात्र पीसी (पर्सनल कम्प्यूटर) के रूप में प्रयुक्त हो पायेगा।

प्रबन्धन ने बताया (सितम्बर 1998) कि परियोजना की लागत कम करने के उद्देश्य से उन्हीं हार्डवेयर तथा तन्त्र परिकल्पना को प्रयोग में लाने एवं एप्लीकेशन साफ्टवेयर स्वयं द्वारा विकसित करने का निर्णय लिया गया है। तथापि, प्रबन्धन ने निर्णय की तिथि, होने वाले अतिरिक्त व्यय तथा उक्त निर्णय को लागू न किये जाने के बारे में सूचित नहीं किया। निगम यह भी बताने में असफल रहा कि ये हार्डवेयर तथा साफ्टवेयर कब और कैसे प्रयोग में लाने के लिए प्रस्तावित थे। फिर भी यदि प्रबन्धन उपरोक्त उपकरणों का उपयोग कर लेता है तो वह अपेक्षित उद्देश्य के लिए नहीं होगा, जिसके लिए व्यय किया गया था।

मामला शासन को जुलाई 1998 में सूचित किया गया था; उनके उत्तर प्रतीक्षित थे (अक्टूबर 1998)।

4ब.2 ई पी एफ के विलम्बित भुगतान से अर्थदण्ड का परिहार्य भुगतान

कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधि के अंशदान को समय से जमा करने में असफलता के कारण निगम को 31.81 लाख रुपये के अर्थदण्ड का भुगतान करना पड़ा।

इम्प्लाई प्राविडेण्ट फण्ड तथा मिसलेनियम प्राविजन्स एक्ट, 1972 के प्राविधानों के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम के क्षेत्रीय प्रबन्धक से, नियोजक के अंशदान के साथ कर्मचारियों के ई पी एफ अंशदान, प्रत्येक माह की 15 तारीख तक जमा करने की अपेक्षा थी।

निगम के देहरादून तथा मेरठ क्षेत्रों ने, उपरोक्त प्राविधान का अतिक्रमण करते हुए, अक्टूबर 1972 से फरवरी 1996 तक की अवधि के ई पी एफ अंशदानों को 6 दिन से 613 दिनों तक के विलम्ब से जमा किया। इसलिए रीजनल प्राविडेण्ड फण्ड कमिश्नर (आर पी एफ सी) ने नवम्बर/दिसम्बर 1996 तथा अप्रैल 1997 में, निगम को विलम्ब के कारणों को बताने के लिए नोटिस दिया। निगम की यह सफाई, कि भुगतान में विलम्ब वित्तीय संकट के कारण था, आर पी एफ सी द्वारा अस्वीकृत कर दी गई तथा उसने नवम्बर 1996 एवं जुलाई/सितम्बर 1997 में 58.43 लाख रुपये (देहरादून क्षेत्रः 19.12 लाख रुपये तथा मेरठ क्षेत्रः 39.31 लाख रुपये) का अर्थदण्ड प्रत्यारोपित कर दिया और 15 दिन के अन्दर जमा करने के लिए निगम को निर्देशित किया। अर्थदण्ड जमा करने में निगम की असफलता के कारण आर पी एफ सी ने, नवम्बर 1997 में कैश क्रेडिट एकाउन्ट्स जब्त कर लिया तथा जनवरी 1998 में 31.81 लाख रुपये (देहरादूनः 19.12 लाख रुपये तथा मेरठः 12.69 लाख रुपये) के अर्थदण्ड का समायोजन कर लिया। निगम द्वारा अवशेष 26.62 लाख रुपये के भुगतान की कार्यवाही अक्टूबर 1998 में की गई। इस प्रकार, कर्मचारी भविष्यनिधि अंशदान के भुगतान में निगम की असफलता से 31.81 लाख रुपये का अर्थदण्ड भारित हुआ।

मामला निगम को दिसम्बर 1997 तथा अप्रैल 1998 में एवं शासन को जून 1998 में सूचित किया गया था; उनके उत्तर प्रतीक्षित थे (अक्टूबर 1998)।

4ब.3 डीज़ल फिल्टर एलीमेन्ट्स की उच्च दरों पर क्रय से हानि

एक फर्म की पूर्व में सन्तोषजनक गुणवत्ता तथा न्यून दरों की अनदेखी करके निगम ने दूसरी फर्म से फ्यूअल फिल्टर ऐलीमेन्ट, जिसकी न केवल दरे ही अधिक थी, बल्कि पूर्व में गुणवत्ता समुचित रूप से आंकलित नहीं की गई थी, क्रय किया, जिसके कारण निगम को 8.24 लाख रुपये की हानि उठानी पड़ी।

वर्ष 1996–97 के लिए 54358 फ्यूअल फिल्टर ऐलीमेन्ट की आवश्यकता की प्रतिपूर्ति के लिए निगम की क्रय समिति (पी सी) ने विचार किया व 80 प्रतिशत आवश्यकता तक, एम आई सी ओ, लखनऊ को क्रय आदेश जारी करने की संस्तुति की (अक्टूबर 1996)। विशेष प्रभाव वाले नाजुक प्रकृति के मदों के दृष्टिकोण से एम आई सी ओ के पक्ष में संस्तुति की गई। लेकिन पूर्व में अधिकांश प्रकरणों में इसकी असन्तोषजनक गुणवत्ता पर ध्यान नहीं दिया गया तथा जाँच रिपोर्ट की अनुपलब्धता के कारण एम आई सी ओ के पक्ष में इनकी तकनीकी गुणवत्ता भी, स्थापित नहीं हुई थी। तदनुसार,

अक्टूबर 1996 में एम आई सी ओ को छोड़कर 80 प्रतिशत आवश्कता हेतु 26.09 लाख रुपये (उत्पादन शुल्क तथा अन्य करों को छोड़कर) व अवशेष मात्रा हेतु अशोका ले लैण्ड एवं टेल्को को उनके संविदा दरों पर क्रयादेश जारी कर दिये गये।

संप्रेक्षा में यह पाया गया कि एम आइ सी ओ से क्रय हेतु संस्तुति करते समय अन्य फर्म यथा किर्लोस्कर फिल्टर्स (प्रा0) लिमिटेड, पुणे (के एफ एल) जिसे न केवल आई एस ओ 9001 का गुणवत्ता प्रमाण–पत्र मिला था, बल्कि इसकी दरें प्रति आइटम 11.02 रुपये तथा 29.39 रुपये के मध्य स्थित हो कर कम थीं, उपेक्षित कर दिया गया। फर्मो के वेण्डर रिपोर्ट के अनुसार एम आई सी ओ द्वारा 1990–1993 तथा 1994 में की गई आपूर्ति की गुणवत्ता, के एफ एल द्वारा 1995 में आपूर्ति की गुणवत्ता की तुलना में असंतोषजनक थी। आपूर्ति के पश्चात् के परिदृष्य में, झांसी क्षेत्र के सभी डिपों में एम आई सी ओ द्वारा आपूर्तित फिल्टर की गुणवत्ता, उनकी रोधकता के फलस्वरूप, असन्तोषजनक पाई गयी क्योंकि लगभग 5000 कि0मी0 की दूरी तय करने तक में इंजन खराब हो जाते थे। अन्य परिक्षेत्रों की पश्च सम्पादन रिपोर्ट पत्रावली में उपलब्ध नहीं थी।

इस प्रकार, अन्य ख्यातिलब्ध फर्मो के प्रस्तावों, जिनकी दरें न तो केवल कम ही थी, बल्कि जिनके पक्ष में संतोषजनक निष्पादकता का अभिलेख भी था, को ठुकरा कर निगम को 8.24 लाख रुपये की हानि पहुँचायी गई।

प्रबन्धन ने बताया (मई 1998) कि के एफ एल से तीन वर्ष पूर्व अधिप्राप्त किये गये फिल्टर ऐलीमेन्ट्स मुख्य मानकों के अनुरूप छः प्रतिशत तक नहीं पाये गये थे और यह कि एम आई सी ओ की जाँच रिपोर्ट ए एस आर टी यू ने प्रकाशित नहीं की। इस आधार पर इंजन व असेम्बली के जीवन काल को प्रभावित करने वाली इस कमी से अधिक हानि वहन करनी पड़ती। निगम का उत्तर तर्कसंगत नहीं था क्योंकि निगम को उत्पादन सम्बन्धी दोष (यदि कोई हो) हेतु बदलने की मुफ्त सुविधा उपलब्ध थी। फिर भी इन बिन्दुओं को क्रय समिति के समक्ष नहीं रखा गया था, साथ ही एम आई सी ओ के पक्ष में आदेशों का निर्णय करने हेतु टेस्ट रिपोर्ट ही उपलब्ध नहीं थी। तत्पश्चात् एम आई सी ओ द्वारा उपलब्ध कराये गये फिल्टरों की असन्तोषजनक गुणवत्ता पर्याप्त रूप से क्रय समिति के अविवेकपूर्ण निर्णय की सूचक थी तथा निगम के सर्वोत्तम आर्थिक हित में नहीं थीं।

प्रकरण, शासन के सज्ञान में जुलाई 1998 में लाया गया, उत्तर प्राप्त नहीं हुए थे (अक्टूबर 1998)।

4ब.4 भूखण्ड के अभ्यर्पण के कारण हानि

भूखण्ड को इसके क्रय के छः वर्षो पश्चात् इसकी खरीद मूल्य पर जो प्रचलित बाजार दरों से काफी कम था, अभ्यर्पण कर देने के कारण निगम को 8.14 लाख रुपये की हानि उठानी पड़ी।

देहरादून क्षेत्र के कोटद्वार डिपो के लिए कार्यशाला के निर्माण हेतु निगम ने 7.50 लाख रुपये मूल्य पर 25 बीधा भूखण्ड सितबपुर, कोटद्वार में, नगरपालिका, कोटद्वार से खरीदा। 3.08 लाख रुपये के स्टैम्प शुल्क का भुगतान करने के पश्चात् उसका निबन्धन नवम्बर 1988 में करवा लिया गया था। नगरपालिका ने, अपने पुनर्गठन के पश्चात् उसे अनुमोदित नहीं किया तथा शासन के समक्ष इस आधार पर, कि उस स्थल पर उनकी एक पार्क क्षेत्र का निर्माण करने की पहले से ही परियोजना थी तथा नगरपालिका के तत्कालीन प्रशासक ने उस समय के प्रचलित बाजार दरों से कम दर पर विक्रय कर दिया था, शिकायत दर्ज की (अप्रैल 1998)।

प्रबन्ध निदेशक ने जिलाधिकारी, पौड़ी से मई 1995 में हुई बैठक में उस भूखण्ड को छोड़ने तथा उसकी कीमत (10.58 लाख रुपये) वापस लेने के लिए इस शर्त के साथ कि नगरपालिका निगम को अपनी बसें, पालिका द्वारा निर्माण के लिए प्रस्तावित बस अड्डे से चलाने देगी, सहमत हो गये।

इस सन्दर्भ में यह भी पाया गया कि भूखण्ड को छोड़ने की सहमति के समय निगम ने न तो जिलाधिकारी, पौड़ी द्वारा अधिसूचित तत्कालीन बाजार दरों पर धन (75.50 लाख रुपये) लौटाने के लिए कहा, न ही बीच की अवधि के 8.14 लाख रुपये के ब्याज की ही माँग की।

प्रकरण, प्रबन्धन तथा शासन को जुलाई 1998 में सज्ञान में लाया गया; उत्तर प्रतीक्षित थे (अक्टूबर 1998)।

4ब.5 आन्तरिक प्राप्तियों के अन्तरण के अनुश्रवण में विलम्ब से परिहार्य बैंक प्रभारों का भुगतान

आवधिक मिलान न करने के कारण निगम के 6.73 लाख रुपये के बैंक प्रभारों के दावे अमान्य हो गये।

निगम द्वारा किये गये बैंकिंग प्रबन्धन के अनुक्रम में, सेंन्ट्रल बैंक आफ इण्डिया (सी बी आई)

ने फरवरी 1986 में अपनी शाखाओं को, डिपों से क्षेत्र तथा क्षेत्र से मुख्यालय को फण्ड के आन्तरिक प्रेषण पर कमीशन भारित न करने का निर्देश दिया।

तथापि, कुछ शाखाओं ने जोनल आफिस के अनुदेशों का अनुपालन नहीं किया और डिपो से क्षेत्रों तथा क्षेत्रों से निगम के मुख्यालय के प्रेषण पर कमीशन भारित कर लिया। यह अनियमितता नहीं पकड़ी जा सकी क्योंकि मेरठ स्थित क्षेत्रीय कार्यालय, निगम द्वारा जारी अनुदेशों के अनुसार, फण्ड के अन्तरणों का समयबद्ध मिलान तथा दैनिक आधार पर इनका अनुश्रवण नही कर रहा था। अप्रैल 1995 से मार्च 1997 की अवधि में सी बी आई की शाखाओं द्वारा काटी गई सकल कमीशन की राशि 6.73 लाख रुपये की थी। इस प्रकार के प्रभार की वापसी अथवा उसे लेखे में क्रेडिट करने का दावा काफी विलम्ब से दिसम्बर 1997 में किया गया। दावा बैंक द्वारा स्वीकृत नहीं किया गया, जिसके कारण सम्प्रेक्षा को उपलब्ध नहीं कराये गये। इन कठिनाइयों का निराकरण करने के लिए निगम ने अपने व्यवसाय को पंजाब नेशलन बैंक को दे दिया, जिसने इस प्रकार की सुविधा को स्वीकृत किया था।

इस प्रकार दैनिक आधार पर निधि के अन्तरण का अनुश्रवण न करने अथवा नियमित रूप से मासिक समयबद्ध मिलान न करने के कारण सी बी आई द्वारा काटे गये बैंक कमीशन के भुगतान को निगम नहीं बचा सका।

प्रकरण, निगम को जनवरी 1998 तथा शासन को जुलाई 1998 में सूचित किया गया; उनके उत्तर अभी तक (अक्टूबर 1998) प्राप्त नहीं हुए थे।

4ब.6 व्यापार कर की रियायती दर की सुविधा न लेने के कारण हानि

फार्म–III डी उपलब्ध न करा सकने के कारण निगम ,व्यापार कर के मद में रियायती दर का 2.85 लाख रुपये का दावा नहीं वसूल सका।

उत्तर प्रदेश व्यापार कर अधिनियम 1948 के धारा 3 के अनुसार उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम, इण्डियन आयल कार्पोरेशन (आई ओ सी) से लुब्रीकैण्ट की खरीद पर, प्रत्येक खेप के साथ फार्म–III डी प्रस्तुत करके, 5 प्रतिशत के रियायती व्यापार कर (टी टी) की सुविधा लेने के लिए अधिकृत है।

लेखा परीक्षा में यह पाया गया (जून 1996) कि उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम के

इटावा परिक्षेत्र ने नवम्बर 1994 से अगस्त 1995 की अवधि में, आई ओ सी से 25 खेपों के विरुद्ध 57 लाख रुपये मूल्य का लुब्रीकैण्ट अध्याप्ति किया तथा 10 प्रतिशत की उच्चतर दरों पर 5.70 लाख के व्यापार कर का भुगतान किया।

आई ओ सी से अतिरिक्त व्यापार कर की वापसी प्राप्त करने के लिए अपेक्षित प्रत्येक खेप के लिए अलग–अलग फार्म–III डी उपलब्ध कराने के स्थान पर उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम के इटावा परिक्षेत्र में व्यापार कर की 5 प्रतिशत की रियायती दर की सुविधा हेतु वर्ष 1995-96 के लिए मात्र एक फार्म–III डी प्रस्तुत किया इसके परिणामस्वरूप 5 प्रतिशत व्यापार कर के दावे, जिसकी राशि 2.85 लाख रुपये थी, की वापसी नहीं हुई जिसकी परिणति उतनी ही राशि की हानि में हुयी।

प्रकरण, निगम को फरवरी 1998 में तथा शासन को जून 1998 में प्रत्यावेदित किया गया; उत्तर अभी तक प्राप्त नही हुये थे (अक्टूबर 1998)।

4ब.7 कैन्टीन को किराये पर देने से हानि

बिना किसी वैध कारण के नीलामी की उच्चतम् बोली को अस्वीकार करने के कारण निगम को 5.08 लाख रुपये की हानि उठानी पड़ी।

जनवरी 1995 से मेरठ डिपो की कैन्टीन को किराये पर देने के लिए निगम के मेरठ परिक्षेत्र ने 11 नवम्बर 1994 को टेण्डर कम आक्शन बिड आमन्त्रित किया। एक बोली लगाने वाले का उच्चतम् प्रस्ताव 0.37 लाख रुपये प्रतिमाह का था। यद्यपि प्रस्ताव में प्रतिमाह का किराया, उस समय पहले से मिलने वाले कैन्टीन के किराये 0.30 लाख रुपये प्रतिमाह से 23.6 प्रतिशत अधिक था, डिवीजनल मैनेजर (पश्चिमी परिक्षेत्र) ने प्रस्ताव को इस आधार पर अस्वीकृत कर दिया कि प्रस्ताव असंतोषजनक था, तथापि उक्त निर्णय लेने का कोई कारण अभिलेखों में उपलब्ध नही था।

तत्पश्चात् जनवरी 1995 से मई 1995 के बीच पाँच बार टेण्डर कम आक्शन की बोली आमन्त्रित की गई। जिसमें उच्चतम् बोली प्रत्येक बार 0.37 लाख रुपये से 0.23 लाख रुपये तक घटती गई। अन्ततः जून 1995 में हुई नीलामी में प्राप्त 0.23 लाख रुपये प्रतिमाह की उच्चतम् बोली स्वीकृत कर ली गई और ठेकेदार को अगस्त 1995 से दिसम्बर 1996 तक कैन्टीन चलाने के लिए अनुमति दी गयी। इस प्रकार निगम को 5.08 लाख रुपये के राजस्व की हानि वहन करनी पड़ी (2.60 लाख रुपये उस

अवधि के लिये जिसमें कैन्टीन खाली थी तथा 2.48 लाख रुपये जो उच्चतम् तथा निम्नतम् बोली का अन्तर था)।

प्रबन्ध निदेशक ने दरों की स्वीकृति भेजते समय (जुलाई 1995) अपनी अप्रसन्नता व्यक्त की, लेकिन दिसम्बर 1994 में डिवीजनल मैनेजर द्वारा उच्चतम् बोली (नवम्बर 1994 में प्राप्त) की अविवेकपूर्ण अस्वीकृति के कारण हुई 5.08 लाख की हानि के लिए उत्तरदायित्व के निर्धारण हेतु कोई कार्यवाही नही की।

प्रकरण, निगम को दिसम्बर 1997 तथा शासन को जून 1998 में प्रत्यावेदित किया गया; उत्तर प्रतीक्षित थे (अक्टूबर 1998)।

उत्तर प्रदेश जल निगम

4ब.8 निष्फल व्यय

92.04 लाख रुपये का व्यय निष्फल हो गया जो चार नलकूपों के निर्माण (74.78 लाख रुपये) तथा 3.5 कि मी लम्बी वितरण प्रणाली (17.25 लाख रुपये) पर किया गया था क्योंकि दो नलकूप निष्फल हो गये थे, तीसरे की जमा उन्मोचन प्रवृत्ति घट गयी व वितरण प्रणाली का निर्माण असंयुक्त ढंग से किया गया था।

नवीन सीतापुर पुनर्गठन पेयजल योजना वर्ष 1986-87 में 84.48 लाख रुपये की अनुमानित लागत पर बनायी गई। निधि के अभाव में यह योजना प्रारम्भ नहीं हो सकी। योजना के सम्पूर्ण कार्यों को विभक्त करते हुए, वर्ष 1991-92 में आँकलन 299.21 लाख रुपये (354 प्रतिशत की बढ़ोत्तरी) पर संशोधित किया गया जिसका विवरण अगले पृष्ठ पर दिया गया है:

दो नलकूपों की विफलता, तीसरे की ह्रासमान उन्मोचन की प्रवृत्ति तथा असंयुक्त वितरण प्रणाली के निर्माण के कारण 92.04 लाख रुपये का व्यय निष्फल हो गया।

(लाख रुपये में)

1.	चार नलकूपों का निर्माण, उनके राइजिंग मेन्स तथा एक उर्ध्वस्थ टंकी (1500 किली क्षमता की) (ओ एच टी)	73.74
2.	जोन 3 में 1500 कि ली से 2500 कि ली की ओ एच टी की क्षमता सहित जोन 3, 4 तथा 5 में वितरण प्रणाली का बिछाना	
	चरण I	112.26
	चरण II	113.21
	योग	**299.21**

योजना के लिए उपलब्ध करायी गयी निधि 115 लाख रुपये (1991-92 में 61 लाख रुपये तथा 1992-93 में 54 लाख रुपये) थी।

निर्माण खण्ड, उत्तर प्रदेश जल निगम सीतापुर के अभिलेखो की नमूना जाँच में पाया गया कि चार नलकूपों, राइजिंग मेन्स तथा उर्ध्वस्थ टंकी (कार्य प्रगति पर) के निर्माण पर दिसम्बर 1993 तक 74.78 लाख रुपये व्यय किया जा चुका था। इसमें से दो नलकूप विफल हो चुके थे तथा तीसरे की उन्मोचन प्रवृत्ति ह्रासमान थी। दो नलकूपों के पुनर्निर्माण हेतु खण्ड को 37.14 लाख रुपये की अतिरिक्त धनराशि वाँछित थी। पुनः, दिसम्बर 1993 तक 3.5 कि मी की वितरण प्रणाली (कुल 14.5 कि मी में से) अव्यवस्थित ढंग से बिछाई गई, जिससे इस पर 17.3 लाख रुपये का व्यय हुआ जो तब तक के लिये व्यर्थ है जब तक कि वांछित छिद्र को जोड़ न दिया जाय।

सम्पूर्ण 92.04 लाख रुपये का व्यय (तथा ओ एच टी के निर्माण का कार्य जो प्रगति में था, को पूरा करने हेतु 3.65 लाख रुपये की देयता) निष्फल हो गया। मुख्य अभियन्ता ने निष्पादित कार्यो में हुए अब तक के खर्चों का समायोजन करने के पश्चात् परियोजना को बन्द करने तथा बचे हुए कार्यो का नया आंकलन प्रस्ताव प्रस्तुत करने का आदेश दिया।

प्रकरण, शासन को जून 1998 में प्रत्यावेदित किया गया; उत्तर प्रतीक्षित थे (नवम्बर 1998)।

4ब.9 निरर्थक व्यय

टाउन एरिया कमेटी (टी ए सी) तथा जल निगम (जे एन) के बीच पारस्परिक सहयोग के अभाव के कारण 78.84 लाख रुपये के सम्पूर्ण परिव्यय को निरर्थक करते हुए तीन पेयजल परियोजनायें 5 से 11 वर्ष से निष्क्रिय पड़ी थीं।

पेयजल की आपूर्ति हेतु तीन योजनायें बनायी गईं तथा बरेली के दो खण्डों (यथा निर्माण खण्ड विद्युत एवं–VI खण्ड) द्वारा निम्न विवरणानुसार निष्पादित की गयीः

टाउन एरिया कमेटी तथा जल निगम के बीच पारस्परिक सहयोग के अभाव में 78.74 लाख रुपये का परिव्यय 5 से 11 वर्षों तक निरर्थक रहा।

टाउन एरिया कमेटी (टी ए सी)	आंकलन बनाने का माह/वर्ष	अनुमानित लागत (लाख रुपये में)	पूर्णता की अवधि	सम्प्रेक्षा तिथि तक व्यय (लाख रुपये में)
धौरा, टाँडा	1979–80	15.97 (मूल)		
	3/87	27.75 (पुनर्निधारित)	3/87	32.98
सैंथल	3/79	19.98	5/89	27.39
रिच्छा	6/89	7.89	10/92	7.84
योग				**68.21**

अभिलेखों के नमूना जाँच (मार्च 1998) में यह देखा गया कि इनमें से कोई भी योजना अभी तक (मई 1998) परिचालन में नहीं थी तथा प्रस्तावित लाभार्थी जलापूर्ति से वंचित रहे। टाउन एरिया कमेटी ने इस कारण कि आपूर्ति लाइन तथा नलकूपों में खराबी थी, ये परियोजनायें अपने अधिकार में नही लीं। तथापि, जल निगम ने टाउन एरिया कमेटी पर यह कहते हुए आरोप लगाया कि उन्होनें परियोजना को अपने अधिकार में लेने से इसलिए इन्कार किया क्योंकि इन्हें चलाने तथा अनुरक्षण के लिए उनके पास धन नहीं था।

योजनाओं में यह निरूपित था कि जल निगम छः माह तक परियोजनाओं का अनुरक्षण करेगा। अभिलेखों के अनुसार प्रथम छः माह में अनुरक्षण पर 1.93 लाख रुपये का सकल परिव्यय किया गया था लेकिन परियोजनाओं के संचालन तथा लाभार्थियों को जलापूर्ति की परिपुष्टि में अभिलेख में कुछ भी नहीं था।

8.70 लाख रुपये (धौरा टांडा 3.35 लाख रुपयेः सैंथल 5 लाख रुपये तथा रिच्छा 0.35 लाख रुपये) की देयताओं का भुगतान न होने के कारण उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद ने उनकी विद्युत आपूर्ति को विच्छेदित कर दिया (फरवरी 1990 एवं मार्च 1993 के मध्य)। इस मद की देयता टाउन एरिया कमेटी तथा जल निगम के बीच एक विवाद का बिन्दु था।

टाउन एरिया कमेटी तथा जल निगम के मध्य पारस्परिक सामंजस्य के अभाव के कारण 78.78 लाख रुपये (68.21 लाख रुपये. 1.93 लाख रुपये. 8.70 लाख रुपये की देयता) का व्यय निरर्थक रहा क्योंकि परियोजना 5 से 11 वर्ष तक की अवधि तक निष्क्रिय पड़ी रही। संस्थानों ने इस आशय की सूचना अपने उच्चतर अधिकारियों को नहीं दी। शासन ने भी टाउन एरिया को उपलब्ध कराये गये धन के समुचित उपयोग के बारे में पूछताछ नही की।

प्रकरण, शासन को जून 1998 में प्रत्यावेदित किया गया; उत्तर प्राप्त नहीं हुये थे (नवम्बर 1998)।

4ब.10 17.48 लाख रुपये का निरर्थक व्यय

नगेन्द्र नगर ब्लाक, नरेन्द्र नगर के जलाभाव ग्रस्त ग्रामों को पेय जल आपूर्ति हेतु स्पष्ट स्वामित्व तथा जल–स्रोत की उपलब्धता सुनिश्चित करने में विभाग की असफलता से कार्य बन्द करना पड़ा जिससे 17.18 लाख रुपये का सम्पूर्ण व्यय निरर्थक हो गया।

नगेन्द्र नगर विकास खण्ड, नरेन्द्र नगर के अन्तर्गत आने वाले अभाव ग्रस्त ग्रामों को पेय जल की उपलब्धता कराने के लिए त्वरित ग्रामीण जल आपूर्ति कार्यक्रम (ए आर डब्ल्यू एस पी) के अन्तर्गत, दिसम्बर 1993 में, भारत सरकार द्वारा तिमाली जल आपूर्ति योजना, इस प्रतिबंध के साथ कि योजना को शुरू करने के पहले जल स्रोत की प्रचुरता तथा जल की गुणवत्ता सुनिश्चित कर ली जायेगी, स्वीकृत की गई। अनुमानित लागत 58.94 लाख रुपये की यह योजना सितम्बर 1994 तक पूर्ण हो जानी थी तथा भारत सरकार द्वारा दी गयी निधि से वित्त पोषित होनी थी। इसमें अन्य बातों के साथ

स्रोत्र पर कार्य की पूर्णता, रफलिंग फिल्टर का निर्माण तथा आपूर्ति मेन्स का बिछाना आदि निरूपित था।

अधिशासी अभियन्ता (ई ई), निर्माण खण्ड उत्तर प्रदेश जल निगम, मुनि-की-रेती, जिला टेहरी ने जल स्रोत की उपलब्धता सुनिश्चित किए बिना ही उपरोक्त कार्य एक ठेकेदार को आबंटित किया तथा उसके साथ जनवरी 1994 में एक अनुबन्ध निष्पादित किया। खण्ड ने भारत सरकार से उपलब्ध करायी गयी निधि में से सामग्रियों की अध्याप्ति पर 15.98 लाख रुपये तथा सामग्रियों को कार्यस्थल तक लाने में ठेकेदार को सुविधा प्रदान करने के लिए 4 किमी लम्बे अश्वमार्ग के निर्माण पर हुए 0.14 लाख रुपये के अबाध्यकारी व्यय को सम्मिलित करते हुए अन्य मदों पर 1.50 लाख रुपये व्यय किया (मार्च 1996)।

अधीक्षण अभियन्ता द्वारा योजना रोक दी गयी थी (जुलाई 1996) तथा प्रस्तावित जल के स्रोत के उपयोग का ग्रामीणों के सख्त विरोध के कारण अनुबन्ध को रद्द कर दिया गया था। भारत सरकार की निधि (ए आर डब्ल्यू एस पी) से खरीदी गयी 10.30 लाख रुपये मूल्य की सामग्री अनियमित रूप से अन्य योजनाओं को स्थानान्तरित कर दी गई थी तथा 5.68 लाख रुपये मूल्य की सामग्री निष्प्रयोज्य पड़ी थी जिसकी टूट-फूट तथा चोरी की संभावना को नकारा नहीं जा सकता।

इस प्रकार स्पष्ट स्वामित्व तथा जल स्रोत की उपलब्धता की सुनिश्चितता में विभागीय असफलता के कारण जिसके फलस्वरूप कार्य बन्द हो गया, 17.48 लाख रुपये का सकल परिव्यय निरर्थक रहा। पुनश्च, विभाग ने 10.30 लाख रुपये मूल्य की सामग्री अनियमित तरीके से अन्य योजनाओं को स्थानान्तरित कर दिया तथा 5.68 लाख रुपये की साम्रग्री भण्डार में निष्प्रयोज्य पड़ी हुई थी।

प्रकरण, शासन को जून 1998 में सूचित किया गया; उत्तर प्रतीक्षित थे (नवम्बर 1998)।

4ब.11 निधियों का अवरोध

गोला गोकरननाथ की सीवेज योजना तथा कलनउआ समूह के गाँवों को पेय जल उपलब्ध कराने पर व्यय की गयी क्रमशः 75.58 लाख रुपये तथा 7.25 लाख रुपये की धनराशि दोषपूर्ण नियोजन, निष्पादन तथा बीच में ही योजना बन्द हो जाने के कारण अवरुद्ध रही।

(क) गोला गोकरननाथ टाउन की सफाई की स्थिति सुधारने के साथ-साथ कृषि उत्पादन को बढ़ाने

की दृष्टि से 5.87 लाख रुपये तथा 10.20 लाख रुपये लागत वाली गोला गोकरननाथ (लखीमपुर खीरी) सीवेज योजना का चरण–I तथा चरण–II वर्ष 1967-68 में स्वीकृत किया गया था। योजना में, सीवर, सीवेज पम्पिग स्टेशन, पम्पिंग प्लांट, राइजिंग मेन्स तथा सीवेज चैनल आदि के निर्माण की व्यवस्था थी।

दोषपूर्ण नियोजन, निष्पादन तथा लम्बी अवधि तक सुविधा का उपयोग न होने के कारण, सीवेज योजना पर व्यय की गई 75.58 लाख रुपये की धनराशि अवरुद्ध रही।

अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड, उत्तर प्रदेश जल निगम, लखीमपुर खीरी के अभिलेखों के नमूना जाँच (जुलाई 1997) में देखा गया कि निर्माण कार्य अप्रैल 1972 मे प्रारम्भ हुआ था। वर्ष 1974-75 में योजना की चरण I तथा चरण II एक साथ मिला ली गयीं तथा सीवर की मूल लम्बाई, राइजिंग मेन्स तथा सीवेज चैनेल आदि की कटौती करते हुए चरण I के रूप में अनुमानित लागत 25.64 लाख रुपये में संशोधित कर दी गई थी। 33.54 लाख रुपये के व्यय के पश्चात् भी कार्य पूरा नहीं किया जा सका। इसके कारण वर्ष 1984-85 में आंकलन को 48.97 लाख रुपये तक पुनः संशोधित करना आवश्यक हो गया।

योजना का चरण–I 48.97 लाख रुपये की लागत पर पूर्ण हो गया तथा मार्च 1985 से परिचालन में आ गया। सीवेज पम्पिग प्लांट मार्च 1985 से जनवरी 1986 की अवधि में मात्र 465 घण्टे चल सका। तालाब के किनारे खराब मिट्टी में दोषयुक्त सीवर बिछाने, जिसे नियोजन की अवस्था में पहले ही देख लेना चाहिए था, के कारण, मेन होल जनवरी 1986 में सीवर 3 एवं 4 के मध्य क्षतिग्रस्त पाया गया। मरम्मत के समय 330 मीटर में अनेक क्षतियाँ पायी गई, जिनकी मरम्मत 17.23 लाख रुपये की अनुमानित लागत के विरुद्ध 26.61 लाख की लागत पर मई 1986 से मार्च 1996 के मध्य की गई। क्योंकि कूड़ा करकट को न हटाने के कारण सीवेज अनेक स्थानों पर अवरुद्ध रहा, जिससे योजना 1986 से 1996 की बीच परिचालन में नहीं लाई जा सकी। इसके अतिरिक्त पूरी अवधि में साइफन तथा सिंचाई वाले फार्मो की नालियों के साथ–साथ पम्पिंग प्लॉट्स भी क्षतिग्रस्त हो गये।

परियोजना को परिचालन योग्य बनाने हेतु सीवर की सिविल, इलेक्ट्रिकल/मैकेनिकल कार्यो की मरम्मत के लिए जून 1996 में 15.38 लाख रुपये का दूसरा आंकलन बनाया गया। यद्यपि आंकलन अनुमोदित हो गया था, लेकिन जल निगम द्वारा धन उपलब्ध न कराने के कारण योजना परिचालन में नहीं लाई जा सकी।

इस प्रकार दोषपूर्ण नियोजन तथा निष्पादन एवं सुविधाओं की लम्बी अवधि तक उपयोग न होने के कारण योजना परिचालन में नहीं लाई जा सकी तथा जन-समुदाय को अभिप्रेत लाभ 26 वर्षो तक नहीं दिया जा सका जबकि इस पर 75.58 लाख रुपये (48.97 लाख रुपये. 26.61 लाख रुपये) व्यय किये जा चुके थे।

प्रकरण, शासन को जून 1998 में सूचित किया गया; उत्तर प्रतीक्षित थे (नवम्बर 1998)।

(ख) प्रचलित वित्तीय नियमों के प्राविधानों के अनुसार फण्ड की उपलब्धता किसी भी कार्य की शुरुआत की प्रारम्भिक शर्त है। इस प्राविधान के विरुद्ध पर्याप्त निधि की उपलब्धता को सुनिश्चित किये बिना कलनउआ समूह के गाँवों को पेय जल की उपलब्धता कराने के लिए निर्माण खण्ड द्वितीय उत्तर प्रदेश जल निगम वाराणसी (खण्ड) द्वारा न्यूनतम् आवश्यकता कार्यक्रम के अन्तर्गत कलनउआ ग्रुप ऑफ विलेजेज़ वाटर सप्लाई स्कीम (अनुमानित लागत 24.31 लाख रुपये) विभागीय रूप से प्रारम्भ कर दी गई। (अक्टूबर 1986)। योजना मई 1987 तक पूर्ण हो जानी थी।

खण्ड के अभिलेखों की जाँच (नवम्बर 1995) तथा उनसे प्राप्त अन्य सूचनाओं में पाया गया कि नलकूप, पम्पिंग प्लांट से सम्बन्धित यान्त्रिक कार्य तथा विद्युत कार्य विभागीय बजट से 7.25 लाख रुपये की लागत पर मार्च 1995 तक निष्पादित हो गये थे तथा कार्यो का आगे का निष्पादन निधि के अभाव में बन्द हो गया था।

इस प्रकार, बिना धन की उपलब्धता को सुनिश्चित किये कार्य प्रारम्भ करने के कारण कार्य बीच में ही छोड़ना पड़ा, जिससे 7.25 लाख रुपये का व्यय अवरुद्ध रहा।

प्रकरण, शासन को जून 1998 में सूचित किया गया; उत्तर प्रतीक्षित थे (नवम्बर 1998)।

अध्याय - IV
विविध रोचक विषय

अनुच्छेद–4 स
उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद

प्रस्तर	विवरण	पृष्ठ
1.	एक उपभोक्ता को अनुचित लाभ पहुँचाना	259
2.	ड्यूमरेज तथा कस्टम ड्यूटी पर ब्याज का परिहार्य भुगतान	263
3.	विलम्ब से भुगतान के लिए अधिभार न लगाना	264
4.	राजस्व का विलम्ब से निर्धारण	265
5.	प्रारम्भिक प्रतिभूति जमा की वसूली न होना	268
6.	एक ठेकेदार को अदेय लाभ	269
7.	विद्युतीकृत ग्रामों तथा हरिजन बस्तियों के देयक निर्गत न करना	271
8.	राजस्व का कम निर्धारण	273
9.	अग्राह्य छूट	274
10.	गलत दर अनुसूची दर लागू करने से राजस्व का कम भारण	275
11.	उच्चतर दर पर संविदा स्वीकृत करने के कारण परिहार्य व्यय	277
12.	दर अनुसूची के गलत प्रयोग के कारण कम बिलिंग	278
13.	सिस्टम लोडिंग चार्जेज़ की वसूली न होना	280
14.	निम्न पावर फैक्टर अधिभार का कम भारित होना	281
15.	इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी का न लगाना/वसूली न होना	282
16.	कम देयकीकरण	283
17.	गलत दर सूची के प्रयोग के कारण हानि	284

प्रस्तर	विवरण	पृष्ठ
18.	मीटर की आवर्ती तथा नियमित जाँच का परिपालन न करने के कारण राजस्व की हानि	286
19.	गलत गुणन फैक्टर के प्रयोग के कारण कम भारण	287
20.	एक उपभोक्ता को अनुचित लाभ के कारण हानि	288
21.	विद्युत देयों के अनियमित अधित्याग से राजस्व हानि	289
22.	ऊर्जा की चोरी से राजस्व हानि	289
23.	भार को अनियमित रूप से घटाने से राजस्व हानि	291
24.	उच्च दरों पर अनुबन्ध का अधिनिर्णय	292
25.	मेसर्स नीरू इस्पात को ऊर्जा की आपूर्ति में हानि	294
26.	विद्युत के भार में अनियमित कमी तथा चोरी के कारण हानि	297
27.	भार को अनियमित रूप से घटाये जाने की स्वीकृति से उपभोक्ता को अनुचित लाभ	300
28.	उपभोक्ताओं को अनुचित लाभ	301
29.	मीटरिंग उपस्करों की नियमित जाँच में विलम्ब के कारण राजस्व की हानि	303
30.	राजस्व का कम निर्धारण	304
31.	राजस्व का अवप्रभारण	305
32.	एक उपभोक्ता को संयोजन निर्मुक्त करने में अनुचित पक्षपात	306
33.	'बे' प्रभारों की वसूली न होना	307
34.	निर्धारण में अनियमित संशोधन के कारण राजस्व की हानि	308
35.	आंकलन का संशोधन न किये जाने के कारण अवप्रभार	310
36.	त्रुटिपूर्ण निर्धारण के कारण हानि	311
37.	विद्युत की सन्देहास्पद चोरी	312
38.	दण्डात्मक किराए की वसूली न होना	314

अनुच्छेद 4स

उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद

4स.1 एक उपभोक्ता को अनुचित लाभ पहुँचाना

ग्रिड की सीधी टैपिंग, सिस्टम लोडिंग चार्जेज़ की वसूली न करने, प्रारम्भिक प्रतिभूति को जमा करने में शिथिलता, न्यूनतम उपभोग गारण्टी के भुगतान से छूट तथा ऊर्जा चोरी के लिए तकनीकी खामियों के माध्यम से एक उपभोक्ता को 73.24 करोड़ रुपये का अनुचित लाभ दिया गया।

परिषद ने, मेसर्स सोमानी आयरन ऐण्ड स्टील लिमिटेड (एस आई एस एल), कानपुर को उपकेन्द्र (250 के वी) से निकलने वाली स्वतंत्र लाइन जिसका निर्माण 220 के वी सरोजनी नगर-पनकी डबल सर्किट लाइन से टैप करके इसी प्रयोजन हेतु किया जाना था, के माध्यम से लूप-इन लूप-आऊट (एल आई एल ओ) व्यवस्था के द्वारा 220 के वी वोल्टेज पर 45000 के वी ए भार स्वीकृत किया (सितम्बर 1992)। इस व्यवस्था (लाइन एवं उपकेन्द्र) की सम्पूर्ण लागत उपभोक्ता द्वारा वहन की जानी थी। इस स्वीकृति में यह भी निर्दिष्ट था कि भविष्य में विषयगत उपकेन्द्र, उन्नाव में प्रस्तावित 400 के वी उपकेन्द्र से संयोजित किया जायेगा। तथापि, उसके पश्चात् आपूर्ति को उपभोक्ता के परिसर से गुजरने वाली 220 के वी लाइन की टी* टैपिंग करके आपूर्ति निर्मुक्त करने का निर्णय लिया गया (नवम्बर 1993) तथा स्थायी व्यवस्था के रूप में आपूर्ति उन्नाव में प्रस्तावित सब-स्टेशन से की जायेगी। इस टी टैपिंग प्रबन्ध के कारण, सी टी के पहले, लाइन आइसोलेटर स्थापित किया जाना था। यद्यपि, यह जून 1994 के परिपत्र के प्राविधानों का उल्लंघन था, जिसमें यह स्पष्ट निर्दिष्ट किया गया है कि आइसोलेटर की स्थापना सी टी के बाद ही की जायेगी। तथापि, उन्नाव में सब-स्टेशन का निर्माण नहीं किया गया और टी टैपिंग के माध्यम से ही आपूर्ति 6 अक्टूबर 1997 तक जारी रही। इस संयोजन की निर्मुक्ति से सम्बन्धित अभिलेखों की जाँच में पाया गया कि भार को टी टैपिंग करके निर्मुक्त करने (4.24 करोड़

* एक उपकेन्द्र बे और फीडर से संयोजन दिये जाने के स्थान पर एक टावर के माध्यम से ग्रिड से सीधा संयोजन उपलब्ध कराना।

रुपये), सिस्टम लोडिंग प्रभार की वसूली न करने (2.93 करोड़ रुपये), आरम्भिक प्रतिभूति को जमा कराने में शिथिलता बरतने (3.53 करोड़ रुपये), न्यूनतम उपभोग गारण्टी की भुगतान से छूट देने (24.08 करोड़ रुपये), ऊर्जा की चोरी (38.46 करोड़ रुपये) के माध्यम से परिषद को 73.29 करोड़ रुपये की आर्थिक हानि पहुँचाते हुए एस आई एस एल को अनुचित लाभ पहुँचाया गया, जैसा नीचे चर्चा की गई:

(अ) टैपिंग द्वारा भार निर्मुक्त करना

(i) जैसा ऊपर वर्णित है, टी टैपिंग करने के कारण, एस आई एस एल, ने ग्रिड से सीधी आपूर्ति प्राप्त की जिसके परिणामस्वरूप एस आई एस एल को संरक्षित भार प्रभारों के भुगतान के बिना, व्यवधान रहित आपूर्ति सुनिश्चित कर दी गई जो भारी विद्युत औद्योगिक उपभोक्ताओं को केवल भुगतान के पश्चात उपलब्ध होने वाली एक अपवाद स्वरूप सुविधा थी। इस प्रकार मार्च 1997 से सितम्बर 1997 की अवधि में, 4.05 करोड़ रुपये के संरक्षित भार प्रभारों के भुगतान के बिना उपभोक्ता को संरक्षित भार की सुविधा प्रदान की गई।

(ii) प्रस्तावित 400 के वी ए उपकेन्द्र, उन्नाव से स्थाई संयोजन की व्यवस्था के लिये लागत का पचास प्रतिशत उपभोक्ता द्वारा एक बैंक खाते में, टी टैपिंग के द्वारा संयोजन निर्मुक्ति से पूर्व तथा शेष धनराशि को 14 प्रतिशत ब्याज के साथ किश्तों में जमा करना था। इस उद्देश्य से फरवरी 1995 में 1.26 करोड़ रुपये का एक आंकलन बनाया/स्वीकृत किया गया लेकिन भार निर्मुक्त किये जाने के पूर्व उपभोक्ता द्वारा इस धनराशि को जमा नहीं किया गया। इस धनराशि की वसूली न होने से अप्रैल 1997 से सितम्बर 1998 की अवधि में 18.52 लाख रुपये ब्याज की हानि हुई।

(iii) विद्युत आपूर्ति (उपभोक्ता) नियमन, 1984 के नियम 7 के अनुसार उपभोक्ता द्वारा भुगतान किये जाने के बावजूद भी सर्विस लाइन परिषद की सम्पत्ति होती है। इस प्रकरण में फरवरी 1995 में सर्विस लाइन के लिए 52.31 लाख रुपये का आंकलन बनाया गया था। लेकिन इस राशि को उपभोक्ता से जमा कराने के स्थान पर उसे स्वयं सर्विस लाइन बनाने तथा मात्र 6.98 लाख रुपये (पर्यवेक्षण प्रभार के रूप में 15.5 प्रतिशत जमा करने) के लिए अधिकृत कर दिया गया, जिसे उसने फरवरी 1995 में जमा कर दिया। उक्त संस्थापनों को परिषद के लेखे में नहीं लिया गया क्योंकि उस सम्पत्ति पर कब्जा नहीं लिया गया था जिससे ऊर्जा की चोरी को बढ़ावा मिला, जिसे पश्चातवर्ती काण्डिका (स) में वर्णित किया गया है।

(ब) सिस्टम लोडिंग चार्जेज़ की वसूली न होना

परिषद ने 3 दिसम्बर 1993 के आदेश में, नये संयोजन चाहने वाले सभी श्रेणी के उपभोक्ताओं द्वारा सिस्टम लोडिंग चार्ज के भुगतान किये जाने का प्राविधान किया। तद्नुसार, 23 फरवरी 1995 को एस आई एस एल के विरुद्ध शर्तें, एवं प्रतिबन्धों के साथ, 292.50 लाख रुपये की माँग जारी किया गया। तत्पश्चात् मुख्य अभियन्ता (रेस्पो) ने 22 सितम्बर 1995 को एक आदेश पारित किया जिसके अनुसार, आपूर्ति निर्मुक्ति की शर्ते तथा प्रतिबन्ध को जारी न करने के कारण यदि उपभोक्ता आंकलित राशि (सिस्टम लोडिंग चार्जेज़ को लेते हुए) नहीं जमा कर सका, तो सिस्टम लोडिंग चार्जेज़ से छूट होगी। इस पत्र के आधार पर, 292.50 लाख रुपये जमा करने हेतु उपभोक्ता पर दवाब नहीं डाला गया। तथापि, चूँकि उपभोक्ता को शर्तें एवं प्रतिबन्ध पहले ही 23 फरवरी 1995 को जारी किये जा चुके थे, सिस्टम लोडिंग चार्जेज़ से विमुक्ति, अनियमित थी। इसके परिणामस्वरूप 292.50 लाख रुपये सिस्टम लोडिंग चार्जेज़ की वसूली नहीं हो सकी।

(स) प्राथमिक प्रतिभूति की जमा में शिथिलता

भार उन्मुक्ति के पूर्व उपभोक्ता से 3.60 करोड़ रुपये प्रारम्भिक प्रतिभूति के रूप में जमा कराना अपेक्षित था। प्रधान सचिव (ऊर्जा) की अध्यक्षता में 26 फरवरी 1996 को हुई बैठक में लिए गये निर्णय के अनुसार, उपभोक्ता 7.50 लाख रुपये की प्रत्येक, 48 किश्तों में इसे जमा करने के लिए अनुमत् किया गया। उपभोक्ता ने अभी तक (अक्टूबर 1998) 7.50 लाख रुपये की मात्र एक किश्त जमा किया (मई 1996)।

भार उन्मुक्ति के पहले सम्पूर्ण राशि जमा न करने के परिणामस्वरूप 352.50 लाख रुपये की वसूली नहीं हुई जिस पर सितम्बर 1998 तक की अवधि में 79.31 लाख रुपये ब्याज की हानि हुई।

(द) न्यूनतम उपभोग गारण्टी की भुगतान से छूट

आर्क/इण्डक्शन फरनेसों रोलिंग तथा री-रोलिंग मिलों एवं लघु स्टील प्लाण्टों पर लागू होने वाली परिषद की दर अनुसूची एच वी-1, उपभोक्ताओं द्वारा फरनेसों के प्रकार के आधार पर विभिन्न दरों पर न्यूनतम उपभोग गारण्टी का भुगतान किये जाने का प्राविधान करती है। उ प्र रा वि प के

तत्कालीन अध्यक्ष ने बिना परिषद की स्वीकृति लिये, 15 एम वी ए अथवा उससे अधिक भार वाले (132 के वी अथवा उसके ऊपर) उच्च शक्ति के विद्युत आर्क फरनेसों को, न्यूनतम उपभोग गारण्टी को छः माह तक के लिए भुगतान करने से अवमुक्त कर दिया। तथापि, अध्यक्ष का आदेश 25 सितम्बर 1997 को वापस कर लिया गया क्योंकि इससे सम्बन्धित प्रस्ताव परिषद द्वारा स्वीकृत नहीं हुआ। तदनुसार, खण्ड ने मार्च 1997 से अगस्त 1997 तक की अवधि के 8.77 करोड़ रुपये की एम सी जी देयक चिट्ठे 30 सितम्बर 1997 को जारी किया। एम सी जी देयक चिट्ठों को विलम्ब से जारी करने की परिणति 8.77 करोड़ रुपये एम सी जी की वसूली न होने में तथा 35.48 लाख रुपये ब्याज की हानि में हुई। तथापि, मेसर्स सोमानी आयरन एण्ड स्टील लिमिटेड द्वारा याचिका दायर कर देने के कारण एम सी जी की राशि की वसूली की प्रक्रिया न्यायालय द्वारा रोक दी गयी है (6 नवम्बर 1997)।

सितम्बर 1998 के अन्त तक एम सी जी के रूप में परिषद की लेनदारी की राशि 24.08 करोड़ रुपये थी।

(ई) ऊर्जा की चोरी

(i) यद्यपि, एस आई एस एल का भार 30 मार्च 1997 को उन्मुक्त किया गया था लेकिन ऊर्जा के उपभोग का अभिलेखन 31 मई 1997 तक नहीं हुआ था। जून माह का उपभोग, जो 12 जून 1997 से 27 जून 1997 तक (11 जून तक कोई उपभोग अभिलिखित नहीं किया गया था) का उपभोग 13500 यूनिट था, जो बहुत कम था। ऊर्जा चोरी के निर्धारण का परीक्षण करने के लिए गठित सदस्य (वितरण), सदस्य (पारेषण) तथा अन्य से युक्त समिति, ने बहुत सारी अनियमिततायें पायी (जुलाई 1998), यथा, (अ) उपभोक्ता का संयोजन जोड़ने के लिए उसके संस्थान का अधिकार में न लेना (ब) सब-स्टेशन आपरेटरों (एस एस ओ) के कार्यों का यथोचित पर्यवेक्षण जो कि अत्यन्त महत्वपूर्ण था, न करना क्योंकि उपभोक्ता परिषदीय कर्मचारियों की सहायता से आइसोलेटर को खोलकर तथा सी टी को बाई पास करके ऊर्जा का उपयोग अनाधिकृत तरीके से कर सकता था तथा (स) विद्युत वितरण खण्ड, उन्नाव के अवर अभियन्ता द्वारा आइसोलेटर के ताले को अनाधिकृत रूप से तोड़ना, हटाना तथा पुनर्स्थापना समिति ने सरोजनी नगर पनकी 220 के वी लाइन के पोषक संख्या-1 पर 12 जून से 27 जून तक की अवधि में सामान्य से अधिक ऊर्जा प्रवाह पाया जो उपभोक्ता द्वारा असामान्य ऊर्जा उपभोग को निर्दिष्ट करता है। यद्यपि समिति ने ऐसे मीटरिंग प्रबन्धनों, जिसने जून माह में मात्र 13500 यूनिट अभिलिखित

किया था, पर शंका व्यक्त किया था लेकिन ऊर्जा की चोरी का एल एच एफ डी* फार्मूले से तथा दण्डात्मक दर पर आगणित 12.57 करोड़ रुपये का निर्धारण नहीं किया गया।

(ii) क्षेत्रीय मुख्य अभियन्ता से सम्बद्ध अधीक्षण अभियन्ता द्वारा जुलाई तथा अगस्त 1997 में उपभोक्ता के परिसर की जांच में मीटरिंग प्रबन्धन अव्यवस्थित पाया गया क्योंकि सी टी के 'आर' फेज के सेकेन्डरी तार को धारण करने वाली पाइप अपने स्थान पर नहीं थी। वि वि ख, उन्नाव द्वारा तदनुसार, एल एच एफ डी फार्मूले के आधार पर 172.12 लाख के डब्ल्यू एच ऊर्जा का उपभोग निर्धारित किया गया जिसके लिए 19.66 करोड़ रुपये का देयक चिट्ठा 27 फरवरी 1998 को जारी किया गया, जिसका भुगतान उपभोक्ता द्वारा अभी तक (अक्टूबर 1998) नहीं किया गया। इस राशि पर, सितम्बर 1998 तक देर से भुगतान पर 2.95 करोड़ रुपये अधिभार आता है। निर्धारण की जाँच करते समय लेखा परीक्षा में पाया गया कि चोरी तथा दुर्विनियोग के प्रकरणों में ऊर्जा चोरी का निर्धारण करते समय छुट्टी के दिनों को छोड़ देने के लिए नियमों में कोई प्राविधान नहीं था। तथापि, खण्ड ने साप्ताहिक अवकाश के पाँच दिन छोड़ दिया था। इस प्रकार, पाँच दिन, साप्ताहिक अवकाश के रूप में छोड़कर खण्ड ने 3.28 करोड़ रुपये का कम निर्धारण किया।

प्रकरण को, परिषद तथा शासन के सज्ञान में जुलाई 1998 में लाया गया; उनके उत्तर प्राप्त नहीं हुए हैं (उक्टूबर 1998)।

4स.2 ड्यूमरेज तथा कस्टम ड्यूटी पर ब्याज का परिहार्य भुगतान

समय से निधियों का प्रबन्ध करने के अभाव में परिषद को ड्यूमरेज तथा कस्टम ड्यूटी पर ब्याज पर 10.59 करोड़ रुपये का परिहार्य व्यय करना पड़ा।

2X500 मे वा अनपरा 'बी' थर्मल पावर हाउस का निर्माण करने के लिए परिषद ने 'टर्न की' आधार पर अभिकल्पना, उत्पादन, प्रेषण, संस्थापन, परीक्षण तथा कमीशनिंग के लिए, जिसे 46 माह की निर्धारित समयावधि में पूर्ण हो जाना था, मितसुई ऐण्ड कम्पनी, जापान से अनुबन्ध किया (मार्च 1989)। संविदा में यह भी प्राविधान किया गया था कि उ प्र रा वि प द्वारा आयातित प्लाण्ट, यन्त्र तथा स्पेयर

* भार X गुणक X घंटे X दिन के आधार पर निर्धारण दर्शाता है।

पार्ट्स आदि पर लगाई गई कस्टम ड्यूटी का अभिलेखीय प्रमाणों के विरुद्ध भुगतान किया जायेगा।

समय से निधियों का प्रबन्ध करने में अपनी असमर्थता के कारण परिषद को ड्यूमरेज तथा कस्टम ड्यूटी पर ब्याज के भुगतान पर 10.59 करोड़ रुपये का परिहार्य भुगतान करना पड़ा।

अनपरा 'बी' थर्मल पावर हाउस परियोजना के अभिलेखों की जाँच में पाया गया (मार्च 1996) कि ठेकेदार द्वारा वर्ष 1991 से 1993 के बीच भेजे गये 30 कानसाइनमेन्ट्स को बन्दरगाह से 1 से 13 महीने के विलम्ब से कस्टम ड्यूटी का भुगतान करके छुड़ाया गया। परिणामतः परिषद को 481.68 लाख रुपये ड्यूमरेज तथा 577.64 लाख रुपये कस्टम ड्यूटी पर ब्याज के रूप में अतिरिक्त भुगतान करना पड़ा।

परिषद ने बताया (जून 1998) कि कनसाइनमेन्ट को छुड़ाने में विलम्ब का कारण निधि का अभाव था क्योंकि शासन ने निधि अवमुक्त करने में विलम्ब किया।

उत्तर इस दृष्टि से धार्य नहीं है कि भुगतान की देयता के साथ-साथ प्रेषण के आगमन की समय सूची परिषद को पहले से ही ज्ञात थी तथा उसी के अनुसार निधि का समुचित प्रबन्ध अथवा प्रेषण की तिथियों का पुनर्नियतन कर लेना चाहिये था। समय से कार्यवाही करने में असफलता के परिणामस्वरूप 1059.32 लाख रुपये का परिहार्य व्यय हुआ।

प्रकरण को शासन के सज्ञान में अगस्त 1998 में लाया गया; उत्तर अभी तक नहीं प्राप्त हुआ है (अक्टूबर 1998)।

4स.3 विलम्ब से भुगतान के लिए अधिभार न लगाना

विलम्ब से भुगतान के लिए अधिभार न लगाने के परिणामस्वरूप 7.98 करोड़ रुपये की वसूली नही हुई।

कानपुर इलेक्ट्रिक सप्लाई एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा विलम्ब से भुगतान के लिए अधिभार न लगाने की परिणति 7.98 करोड़ रुपये की वसूली न होने में हुई।

पब्लिक लैम्प तथा स्ट्रीट लाइट पर प्रयोज्य दर अनुसूची एल एम वी-3 में सन्निहित प्राविधानों के अनुसार उपभोक्ता की आपूर्ति विच्छेदन के अलावा

देयक तिथि से एक माह पश्चात् देयक की भुगतान न की गई राशि या उसकी आंशिक राशि पर 1.5 प्रतिशत की दर से अधिभार लगेगा।

बल्क सप्लाई डिवीजन, कानपुर के अभिलेखों की नमूना जाँच में पाया गया (अक्टूबर 1998) कि मई 1996 से अगस्त 1998 की अवधि में नगर महापालिका कानपुर द्वारा संयोजन संख्या एस एल-1 के लिए तथा कानपुर विकास प्राधिकरण द्वारा संयोजन संख्या एस एल-1 बी के लिए देयकों का भुगतान न किये जाने के बावजूद न तो 7.98 करोड़ रुपये का अधिभार लगाया गया था, न ही उपभोक्ता का संयोजन विच्छेदित किया गया था।

सम्प्रेक्षा द्वारा इंगित करने (मार्च 1998) पर खण्डीय अधिकारी ने अधिभार के लिए देयक जारी किया जिसकी वसूली प्रतीक्षित थी (अक्टूबर 1998)।

प्रकरण को परिषद के सज्ञान में मई 1998 में तथा शासन के सज्ञान में जुलाई 1998 में लाया गया; उनके उत्तर प्राप्त नही हुये हैं (अक्टूबर 1998)।

4स.4 राजस्व का विलम्ब से निर्धारण

परिषद के नौ खण्डों में निर्धारण जारी करने में विलम्ब की परिणति 29.37 लाख रुपये की अनुषंगिक ब्याज की हानि के साथ 374.01 लाख रुपये की न वसूली/विलम्ब से वसूली होने में हुयी।

परिषद, 18 से 20 प्रतिशत तक के वार्षिक ब्याज पर बैंक के कैश केडिट एकाउण्ट से लिये गये धन को सम्मिलित करते हुए, उधार पर ली गई निधियों से अपना कार्यचालन कर रहा है। निर्धारण को विलम्ब से जारी करने के परिणामस्वरूप विलम्ब से वसूली होती है जिसका अनुषंगिक प्रभाव परिषद के संसाधनों पर पड़ता है।

नौ खण्डों में विलम्ब से निर्धारण जारी करने की परिणति 29.37 लाख रुपये की अनुषंगिक ब्याज की हानि के साथ 374.01 लाख रुपये की न वसूली/विलम्ब से वसूली में हुयी।

परिषद के नौ खण्डों ने निर्धारित बिलिंग शिड्यूल के अनुसार 374.01 लाख रुपये का निर्धारण नहीं जारी किया जिसे बाद में सम्प्रेक्षा द्वारा इंगित करने पर, अगले पृष्ठ पर विवरणानुसार जारी किया गया:

(लाख रुपये में)

क्रम संख्या	खण्ड का नाम	कम निर्धारित राशि	प्रकार एवं सन्निहित अवधि	निर्धारण का माह एवं राशि	वसूली गई राशि एवं माह	ब्याज की हानि	ब्याज की अवधि
1.	वि वि ख खलीलाबाद	6.47	कैपेसिटर अधिभार न लगाने के कारण कम भारण (जुलाई 1995 से अगस्त 1997)	जनवरी 1998 6.47	शून्य	0.49	अगस्त 1997 से जनवरी 1998
2.	वि वि ख बरेली	22.48	विश्व बैंक नलकूपों के प्रकरणों में कम निर्धारण (अगस्त 1994 से दिसम्बर 1996)	सितम्बर 1997 22.48	20.32 (सितम्बर 1997)	3.03	दिसम्बर 1996 से सितम्बर 1997
3.	न वि वि ख–II वाराणसी	5.57	कम विभव पर विद्युत आपूर्ति के लिए अतिरिक्त प्रभार न लेने के कारण राजस्व का कम भारण (अप्रैल 1992 से अगस्त 1996)	सितम्बर 1996 5.57	शून्य	2.65	अप्रैल 1992 से अगस्त 1998
4.	न वि वि ख–I मुजफ्फरनगर	14.87	पुनरीक्षित टैरिफ लागू न करने के कारण कम भारण (जनवरी 1997, मार्च 1997 से अक्टूबर 1997)	नवम्बर 1997 14.87	शून्य	0.22	अक्टूबर 1997 से नवम्बर 1997
5.	वि वि ख – I बुलन्दशहर	4.81	त्रुटि–पूर्ण मीटर का निर्धारण न होना (जनवरी 1996 से सितम्बर 1996)	नवम्बर 1997 4.81	4.81 (नवम्बर 1997)	0.94	सितम्बर 1996 से अक्टूबर 1997

(लाख रुपये में)

क्रम संख्या	खण्ड का नाम	कम निर्धारित राशि	प्रकार एवं सन्निहित अवधि	निर्धारण का माह एवं राशि	वसूली गई राशि एवं माह	ब्याज की हानि	ब्याज की अवधि
6.	वि वि ख राबर्ट्सगंज	263.92	फ्यूल अधिभार का कम निर्धारण (मई 1995 से नवम्बर 1997)	जनवरी 1995 से मार्च 1998 237.64	शून्य	15.84	नवम्बर 1997 से मार्च 1998
		24.10	अधिष्ठान अधिभार का कम भारण (अप्रैल 1996 से मई 1996 तथा अप्रैल 1997)	जून 1996 से फरवरी 1998 22.12	शून्य	3.62	अप्रैल 1997 से फरवरी 1998
		5.92	लो पावर फैक्टर अधिभार का न लगाना (सितम्बर 1995 से अगस्त 1997)	फरवरी 1998 5.92	शून्य	0.53	अगस्त 1997 से फरवरी 1998
7.	वि वि ख–II मऊ	8.13	फ्यूल अधिभार का कम भारण (अप्रैल 1997 से जून 1997)	सितम्बर 1997 8.13	शून्य	0.37	जून 1997 से सितम्बर 1997
8.	वि वि ख–I गोरखपुर	11.68	विद्युत प्रभारों की बिलिंग न होना (i) 6.02 (जनवरी 1996 से दिसम्बर 1996) (ii) 5.66 (जनवरी 1997 से जुलाई 1997)	जनवरी 1998 11.68	0.10	1.17	दिसम्बर 1996 से जनवरी 1998 तथा जुलाई 1997 से जनवरी 1998

(लाख रुपये में)

क्रम संख्या	खण्ड का नाम	कम निर्धारित राशि	प्रकार एवं सन्निहित अवधि	निर्धारण का माह एवं राशि	वसूली गई राशि एवं माह	ब्याज की हानि	ब्याज की अवधि
9.	वि वि ख एटा	6.06	मासिक देयकों को जारी न करने के कारण विलम्ब से भुगतान पर अधिभार के रूप में हानि	जून 1997 6.06	शून्य	शून्य	दिसम्बर 1996 से जून 1996
	योग	**374.01**		**345.75**	**25.23**	**29.37**	

सम्प्रेक्षा द्वारा इंगित किये गये 374.01 लाख रुपये के कम निर्धारण के विरुद्ध खण्डों ने 345.75 लाख रुपये के देयक निर्गत किये तथा अभी तक (अगस्त 1998) मात्र 25.23 लाख रुपये की वसूली की। 28.26 लाख रुपये का अभी तक (अक्टूबर 1998) निर्धारण नहीं किया गया है। विलम्ब से निर्धारण करने के कारण परिषद को 18 प्रतिशत वार्षिक औसत ब्याज दर पर उस अवधि में 29.37 लाख रुपये की ब्याज की हानि हुई।

प्रकरण को परिषद को अगस्त 1997 से दिसम्बर 1997 तक तथा शासन को अगस्त 1998 में संज्ञान में लाया गया; उनके उत्तर प्रतीक्षित हैं (अक्टूबर 1998)।

4स.5 प्रारम्भिक प्रतिभूति जमा की वसूली न होना

प्रतिभूति जमा के देयक जारी करने में विलम्ब की परिणिति 2.65 करोड़ रुपये तक निधि के अवरुद्ध होने में हुयी।

परिषद का मार्च 1994 का परिपत्र, शासकीय, अर्द्ध शासकीय तथा अन्य उपभोक्ताओं जो पूर्व में इस प्रकार की जमा से विमुक्त थे, पर प्रारम्भिक प्रतिभूति जमा लगाने का प्राविधान करता है।

प्रारम्भिक प्रतिभूति जमा की माँग विलम्ब से जारी करने की परिणति 2.65 करोड़ रुपये तक की धनराशि अवरुद्ध रहने में हुयी।

स्ट्रीट लाइट, पब्लिक वाटर वर्क्स तथा सीवेज पम्पिंग स्टेशन उपभोक्ताओं के लिए प्रारम्भिक प्रतिभूति जमा की दरें 1000 रुपये प्रति के डब्ल्यू तथा अन्य शासकीय (विश्व बैंक को सम्मिलित करते हुए) तथा अर्द्ध शासकीय उपभोक्ताओं के लिए 400 रुपया प्रति के डब्ल्यू था। यह राशि डिमाण्ड नोटिस जारी करने के 30 दिन के अन्दर वसूल कर ली जानी थी। चूक की स्थिति में आपूर्ति विच्छेदित हो जाने योग्य थी। तथापि, इस परिपत्र का परिपालन नहीं किया गया तथा खण्डों का निरीक्षण करते समय सम्प्रेक्षा द्वारा इंगित करने पर ही 264.97 लाख रुपये की प्रतिभूति जमा राशि के लिए देयक विद्युत वितरण खण्डों द्वारा अगस्त 1997 से मई 1998 की अवधि में जारी किये गये।

अन्य खण्डों के सम्बन्ध में, संम्प्रेक्षा में स्थिति नहीं आंकलित की जा सकी। तथापि कोई भी खण्ड निर्धारित राशि की अभी तक (अक्टूबर 1998) वसूली नहीं कर सका।

प्रकरण, परिषद के सज्ञान में अगस्त 1997 से जनवरी 1998 तक तथा शासन के सज्ञान में जुलाई 1998 में लाया गया; उनके उत्तर प्रतीक्षित हैं (अक्टूबर 1998)।

4स.6 एक ठेकेदार को अदेय लाभ

उन मदों, जिनके लिए अन्य निविदादाता कम दर उद्धृत कर चुके थे, की दरों को नीचे लाने के लिए वार्ता करने की असफलता ने परिषद को 2.28 करोड़ रुपये तक की कम दर के लाभ से वंचित किया।

दरों को कम करने के लिए वार्ता करने में असफलता ने परिषद को 2.28 करोड़ रुपये तक के कम दरों के लाभ से वंचित किया।

800 के वी अनपरा-झाँसी एकल पारेषण लाइन की अभिकल्पन, उत्पादन, शॉप टेस्टिंग, टावरों की आपूर्ति, स्थापना, परीक्षण तथा कमीशन करने के लिए विशिष्टि संख्या ओ ई सी एफ/यू पी एस ई बी-15 के विरुद्ध व्यापक निविदा आमंत्रित की गई (अक्टूबर 1994)। लाइन की लागत को ओवरसीज इकोनामिक कोआपरेशन फण्ड (ओ सी ई एफ), जापान द्वारा वित्त पोषित किया जाना था।

दो निविदाताओं में एस ए ई इण्डिया तथा मेसर्स हुण्डई इन्जीनियरिंग ऐण्ड कान्सट्रक्शन कम्पनी लिमिटेड, सियोल कोरिया (मेसर्स हुण्डई), जिन्होंने तकनीकी रूप से उपयुक्त अपनी दरों को निम्नवत् उद्धृत किया:

(करोड़ रुपये में)

क्रम सं0		मेसर्स एस ए ई		मेसर्स हुण्डई	
		छूट के बाद उद्घृत मूल्य	परिकल्पित मूल्य	छूट के बाद उद्घृत मूल्य	परिकल्पित मूल्य
1.	टावरों एवं सहायकों की आपूर्ति	32.79	34.26	39.46	41.08
2.	उनके विनष्टीकरण तक टावरों की जाँच	0.81	0.81	1.10	1.10
3.	पारेषण लाइनों का स्थापन	23.87	23.87	25.16	25.16
4.	विशेष काया का स्थापन	7.05	7.05	4.77	4.77
	योग	**64.52**	**65.99**	**70.49**	**72.11**

यद्यपि मेसर्स एस ए ई द्वारा उद्धत दरें मेसर्स हुण्डई की दरों से कम थी, फिर भी इस बात को सज्ञान में लेते हुये कि मेसर्स एस ए ई को उसी तरह का एक कार्य (झांसी-उन्नाव लाइन) पहले ही स्वीकृत किया जा चुका था और परामर्शी (मेसर्स टेप्सको) के सलाह के अनुसार दोनों ठेकेदारों की क्षमता केवल एक कार्य तक ही सीमित थी, संविदा मेसर्स हुण्डई को स्वीकृत की गयी। तथापि, मेसर्स हुण्डई को, सम्पूर्ण दरों को मेसर्स एस ए ई के समतुल्य लाने को कहा गया।

ऊपर निर्दिष्ट संघटकों की दर सूची से यह देखा जा सकता है कि मेसर्स हुण्डई द्वारा उद्धृत मद संख्या 1 से 3 तक की दरें मेसर्स एस ए ई की दरों की तुलना में उच्चतर थी जबकि मद संख्या 4 के सन्दर्भ में कम थी। इस प्रकार परिषद को इन मदों (1 से 3 तक केवल) की दरें कम करने के लिए वार्ता करनी चाहिए थी, जैसाकि, सेन्ट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथारिटी की संस्तुति पर मेसर्स के ई सी (विशिष्ट संख्या-ओ ई सी एफ/यू पी एस ई बी/4 के विरुद्ध में) के प्रकरण में की गई थी, जिसमें मद-वार वार्ता की गई और परिषद 5.15 करोड़ रुपये तक लाभान्वित हुआ था। उस प्रक्रिया, जिसका अनुसरण पहले

के प्रकरणों में किया जा चुका था, को न अपनाने के परिणामस्वरूप 2.28 करोड़ रुपये की हानि हुयी।

मुख्य अभियन्ता, अनपरा पावर ट्रांसमिशन प्रोजेक्ट द्वारा जवाब में यह कहा गया (सितम्बर 1998) कि सबसे कम बोली के स्तर तक मूल्य को कम करने के लिए, उच्चतम तथा निम्नतम् बोली की सकल कीमतों के अन्तर के बराबर एकमुश्त छूट देने की यह सामान्यतया प्रचलित प्रथा थी।

उत्तर, ऊपरलिखित तथ्यों की दृष्टि में धार्य नहीं है जैसा कि पहले ही निर्दिष्ट किया गया है कि परिषद, मद-वार वार्ता की प्रक्रिया को पहले के प्रकरणों में अपना चुका था। इस प्रकरण में यह उद्घृत करना समीचीन है कि परिषद ने वित्तीय हस्त पुस्तिका भाग-चतुर्थ के कण्डिका 523 की अपेक्षानुसार दरों की युक्तियुक्तता को सुनिश्चित करने के लिए निर्देशिका के रूप में कोई दर-सूची नहीं तैयार की थी।

प्रकरण परिषद को मई 1998 में तथा शासन को जुलाई 1998 में प्रतिवेदित किया गया; उनके उत्तर प्रतीक्षित हैं (अक्टूबर 1998)।

4स.7 विद्युतीकृत ग्रामों तथा हरिजन बस्तियों के देयक निर्गत न करना

ललितपुर तथा एटा के विद्युत वितरण खण्डों में विद्युतीकृत ग्रामों तथा हरिजन बस्तियों के सम्बन्ध में 1.92 करोड़ रुपये (19.05 लाख रुपये इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी को सम्मिलित करते हुए) तक के विद्युत देयक जारी नहीं किये गये।

विद्युतीकृत ग्रामों तथा हरिजन बस्तियों से सम्बन्धित देयों की वसूली ग्राम प्रधानों से करने के परिषद के निर्णय के बावजूद 1.92 करोड़ रुपये के देयक जारी नहीं किये गये।

विद्युतीकृत ग्रामों और हरिजन बस्तियों के मार्ग प्रकाशों से सम्बन्धित राजस्व का देयकीकरण एवं वसूली केन्द्रीयकृत रूप से मुख्य अभियन्ता (वाणिज्यिक) लखनऊ द्वारा प्रत्येक गाँव के लिये 40 वाट के 10 मार्ग प्रकाश बिन्दुओं (400 वाट) तथा प्रत्येक हरिजन बस्ती के लिए 40 वाट के 2 मार्ग प्रकाश बिन्दुओं (80 वाट) के आधार पर की जा रही थी। परिषद द्वारा मार्च 1990 में इस पद्धति का विकेन्द्रीकरण कर दिया गया तथा यह निर्णय लिया गया कि विद्युतीकृत ग्रामों और हरिजन बस्तियों से सम्बन्धित प्राप्य, सम्बन्धित ग्राम प्रधान से खण्ड स्तर पर वसूल किये जायें तथा दोषी इकाईयों को कोई विद्युत आपूर्ति न की जाय।

विद्युत वितरण खण्ड (वि वि ख) ललितपुर एवं एटा की सम्प्रेक्षा में यह देखा गया (जुलाई/अगस्त 1997) कि 86 से 87 माह तक की अवधि में 191.57 लाख रुपये (19.05 लाख रुपये इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी को सम्मिलित करते हुए) के विद्युत देयक सम्बन्धित ग्राम प्रधानों को निम्न विवरणानुसार, निर्गत नहीं किये गये थे:

(लाख रुपये में)

खण्ड का नाम	विद्युतीकृत ग्रामों की संख्या	विद्युतीकृत हरिजन बस्तियों की संख्या	अवधि	माह	धनराशि
ललितपुर	339	400	4/90 से 4/97 तक	87	93.78
एटा	375	353	4/90 से 5/97 तक	86	97.79
योग					**191.57**

सम्प्रेक्षा द्वारा इंगित किये जाने पर वि वि ख, एटा ने बताया (जुलाई 1997) कि विद्युतीकृत ग्रामों/हरिजन बस्तियों का सर्वेक्षण करने के पश्चात् आवश्यक कार्यवाही की जायेगी। खण्डीय अधिकारी ललितपुर ने कहा (अगस्त 1997) कि चूँकि ग्राम प्रधान विद्युत उपभोग नहीं कर रहे थे, इसलिए देयक नहीं जारी किये गये।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि मार्च 1990 तक देयको को जारी करना तथा उनकी वसूली केन्द्रीय रूप से की जाती थी तथा अभिलेखों में ऐसा कुछ भी, उपलब्ध नहीं था जिससे यह पता चलता हो कि मार्च 1990 के पश्चात् लाइट प्वाइंट खराब हो गये थे।

मामले को परिषद को दिसम्बर 1997 में एवं शासन को मई एवं जुलाई 1998 में सूचित किया गया; उत्तर प्राप्त नही हुए है (अक्टूबर 1998)।

4स.8 राजस्व का कम निर्धारण

ऊर्जा उपयोग की गलत संगणना के परिणामस्वरूप 1.44 करोड़ रुपये तक के राजस्व का कम निर्धारण हुआ।

ऊर्जा उपभोग की गलत संगणना के कारण 1.44 करोड़ रुपये के कम राजस्व का निर्धारण हुआ।

विद्युत आपूर्ति (उपभोक्ता) विनिमय, 1984 के प्रस्तर 21(iii) (अ) तथा (ब) में यह प्राविधान है कि यदि मीटर त्रुटियुक्त हो गया है अथवा उपभोग का अभिलेखन करना बन्द कर दिया है तथा चोरी अथवा दुर्विनियोग की शंका नहीं है, तो इस अवधि में ऊर्जा उपभोग की गणना, पहले के तीन लगातार महीनों, जब मीटर त्रुटियुक्त नहीं था, के औसत उपभोग के आधार पर की जायेगी। यदि, पिछले तीन लगातार महीनों में विद्युत उपभोग की स्थिति समान नहीं थी, तो उपभोग की गणना संयोजित भार उपभोग के घण्टों के आधार पर की जाएगी।

विद्युत वितरण खण्ड, राबर्टसगंज के अभिलेखों की जाँच (दिसम्बर 1997) में पाया गया कि सोन पम्प कैनाल स्टेज चतुर्थ (संयोजित भार 5882 के वी ए) के सम्बन्ध में ऊर्जा उपभोग की गणना मशीनों के चलित घण्टों के आधार पर की गई थी क्योंकि संस्थापन से ही मीटरों की स्थापना नहीं की गई थी। तथापि, ऊर्जा उपभोग की गणना करते समय 0.80 के फैक्टर का गलत रूप से प्रयोग किया गया था क्योंकि ऊर्जा उपभोग की गणना वास्तविक चलित घण्टों के आधार पर की जानी थी।

इसके परिणामस्वरूप जुलाई 1992 से नवम्बर 1997 की अवधि में 1.44 करोड़ रुपये का कम राजस्व निर्धारण हुआ। तथापि, परिषद ने दिसम्बर 1997 से सही निर्धारण करना प्रारम्भ कर दिया लेकिन पहले की अवधि के 1.44 करोड़ रुपये के देयक अभी तक जारी नहीं किये गये है (अक्टूबर 1998)।

मामले को परिषद को जनवरी 1998 में तथा शासन को जुलाई 1998 में प्रतिवेदित किया गया; उनके उत्तर अभी प्रतीक्षित हैं (अक्टूबर 1998)।

4स.9 अग्राह्य छूट

जल संस्थान एवं सोन पम्प कैनाल उपभोक्ताओं को अमान्य छूट देने के परिणामस्वरूप 1.44 करोड़ रुपये की कम वसूली हुई।

(अ) जल संस्थान

जल संस्थान को लागू होने वाली दर अनुसूची, 3 जनवरी 1997 से पुनरीक्षित हो गई थी तथा इसे एल एम वी-7 के अन्तर्गत वर्गीकृत (पहले एल एम वी-I के अन्तर्गत) किया गया। पुनरीक्षित दर अनुसूची में उच्च विभव पर आपूर्ति के लिए कोई भी छूट का प्राविधान नहीं था।

कानपुर विद्युत आपूर्ति प्रशासन (केसा) के अभिलेखों की नमूना जांच में देखा गया कि 400 वोल्ट से उच्च विभव पर 1250 तथा 1755 के वी ए भार वाले जल संस्थान के दो आपूर्ति संयोजनों को जनवरी 1997 से अगस्त 1998 तक की अवधि में 5 प्रतिशत की छूट स्वीकृत की गई थी, जो कि ग्राह्य नहीं थीं। यह अग्राह्य छूट 27.05 लाख रुपये आंकलित होती है।

सम्प्रेक्षा द्वारा इंगित करने पर केसा ने छूट वापस कर लिया और संशोधित देयक जारी किया जिसकी वसूली अक्टूबर 1998 तक प्रतीक्षित है।

(ब) सोन पम्प कैनाल

75 के डब्ल्यू (100 बी एच पी) से अधिक भार वाले लिफ्ट इरीगेशन वर्क्स पर लागू होने वाली दर अनुसूची एच वी-4 में यह प्राविधान है कि यदि विद्युत आपूर्ति 11 के वी से अधिक और 66 के वी तक के विभव पर ली जाती है तो प्रभारों की दर पर आंकलित राशि पर 5 प्रतिशत की छूट देय होगी।

विद्युत वितरण खण्ड, राबर्टसगंज के अभिलेखों की नमूना जाँच (जनवरी 1998) में पाया गया कि सोन पम्प कैनाल स्टेज प्रथम, द्वितीय, तृतीय एवं चतुर्थ, 11 के वी से नीचे 3.3 के वी तथा 6.6 के वी विभव पर आपूर्ति पा रहे थे। तथापि, खण्ड ने दिसम्बर 1993 से अक्टूबर 1997 की अवधि में देयक राशि के 5 प्रतिशत पर 116.532 लाख रुपये की छूट अगले पृष्ठ पर विवरणानुसार दिया:

(लाख रुपये में)

क्रम संख्या	पम्प कैनाल का नाम	संयोजित भार (के वी ए)	आपूर्ति का विभव	अवधि	स्वीकृत छूट
1.	सोन पम्प कैनाल स्टेज I	3065	3.3 के वी	जनवरी 1994 से अक्टूबर 1997	28.15
2.	सोन पम्प कैनाल स्टेज II	3359	3.3 के वी	जनवरी 1994 से अक्टूबर 1997	21.64
3.	सोन पम्प कैनाल स्टेज III	9412	6.6 के वी	दिसम्बर 1993 से अक्टूबर 1997	39.29
4.	सोन पम्प कैनाल स्टेज IV	5882	6.6 के वी	दिसम्बर 1993 से अक्टूबर 1997	27.44
	योग				**116.52**

जैसा कि विद्युत आपूर्ति 11 के वी विभव के नीचे की जा रही थी, अतः उपभोक्ता को दी गई 116.52 लाख रुपये की छूट मान्य नहीं थी।

खण्डीय अधिकारी ने बताया (सितम्बर 1998) कि 116.52 लाख रुपये के देयक जुलाई 1998 में जारी किये जा चुके हैं, जिसकी वसूली अभी तक (अक्टूबर 1998) प्रतीक्षित है।

प्रकरण, परिषद को मई/जनवरी 1998 में तथा शासन को जुलाई 1998 में प्रतिवेदित है; उनके उत्तर प्रतीक्षित हैं (अक्टूबर 1998)।

4स.10 गलत दर अनुसूची लागू करने से राजस्व का कम भारण

विश्व बैंक नलकूपों के सम्बन्ध में, दर-अनुसूची एच वी-4 के स्थान पर गलत रूप से राज्य नलकूपों को लगने वाले दर से देयक जारी करने की परिणति 109.94 लाख रुपये की राशि के कम राजस्व के निर्धारण में हुयी।

दो प्रखण्डों में विश्व बैंक नलकूपों के सम्बंध में गलत दर अनुसूची लगाने के परिणामतः 1.10 करोड़ रुपये का कम राजस्व प्रभारित हुआ।

16 जुलाई 1994 से दिसम्बर 1996 तक विश्व बैंक नलकूपों को लगने वाली दर-अनुसूची (एच वी 4) के अधोलिखित टिप्पणी (1) में प्राविधान है कि 11 के वी स्वतन्त्र पोषकों के प्रारम्भ में उपयुक्त ट्राईवेक्ट/बाई वेक्टर/टू पार्ट टैरिफ मीटरों के संस्थापन न होने की स्थिति में सम्पूर्ण संयोजित भार के लिए डिमाण्ड चार्ज 70 रुपये प्रति बी एच पी तथा माह में उपभोग की गई ऊर्जा 1.77 प्रति यूनिट की दर से भारित की जायेगी। इसके अतिरिक्त, परिषद द्वारा समय-समय से जारी ईंधन प्रभार, इन नलकूपों पर कैपेसिटर बैंक न लगाने की स्थिति में डिमाण्ड चार्ज एवं ऊर्जा चार्ज का 5 प्रतिशत कैपेसिटर प्रभार तथा 400 वोल्ट विभव पर आपूर्ति के लिए डिमाण्ड चार्ज एवं ऊर्जा चार्ज का 7.5 प्रतिशत अतिरिक्त प्रभार भी भारित करना था।

(अ) विद्युत वितरण खण्ड, मुरादाबाद के अभिलेखों की जाँच में देखा गया कि 547.5 बी एच पी सकल संयोजित भार वाले 33 विश्व बैंक नलकूपों को आपूर्ति हेतु 11 के वी पोषक के प्रारम्भ में उपयुक्त मीटर न लगाने के कारण प्रखण्ड इस प्रकार की आपूर्ति के लिए लगने वाले दर अनुसूची एच वी-4 के स्थान पर, राज्य नलकूपों पर लगने वाली दर अनुसूची एल एम वी-8 के अन्तर्गत 192 रुपये प्रति बी एच पी, की दर से देयक जारी कर रहा था। इसके परिणामस्वरूप, वास्तविक ऊर्जा का उपभोग अभिलिखित करने के लिए मीटर की अनुपस्थिति में 10 घण्टे दैनिक आपूर्ति तथा 0.75 लोड फैक्टर के आधार पर, 16 जुलाई 1994 से दिसम्बर 1996 की अवधि में 43.93 लाख रुपये की राशि का कम राजस्व भारित हुआ।

खण्डीय अधिकारी ने बताया (अगस्त 1997) कि ओ सी बी की खराबी के कारण इन पोषकों की स्वतन्त्र स्थिति नहीं रखी जा सकी तथा यह पोषक मिश्रित-भार पोषक में परिवर्तित हो गया था।

उत्तर संतोषजनक नहीं है क्योंकि खराब ओ सी बी का विस्थापन/मरम्मत न होने के कारण परिषद को उपरोक्त सीमा तक राजस्व की हानि उठानी पड़ी।

(ब) विद्युत वितरण खण्ड, शिकोहाबाद के इस प्रकार के प्रकरण में पाया गया (फरवरी 1998) कि 445 बी एच पी संयोजित भार के 33 विश्व बैंक नलकूपों वाले एरोन क्लस्टर हेतु निर्मित 11 के वी पोषक के प्रारम्भ में उपयुक्त मीटर न लगने के कारण प्रखण्ड ने दर अनुसूची एच वी-4 के स्थान पर

राज्य नलकूपों पर लगने वाली दर अनुसूची एल एम वी-8 के अन्तर्गत 192 रुपये प्रति बी एच पी की फ्लैट दर पर देयक जारी किया। इसकी परिणति वास्तविक ऊर्जा के उपभोग के अभिलेखन हेतु मीटर के अभाव में 16 घण्टे दैनिक विद्युत आपूर्ति (जैसा खण्ड द्वारा प्रमाणित किया गया) तथा 0.75 लोड फैक्टर के आधार पर जुलाई 1994 से दिसम्बर 1996 की अवधि में 65.91 लाख रुपये (7.5 प्रतिशत की दर से प्रभार को सम्मिलित करते हुए) कम राजस्व के भारण में हुई।

खण्डीय अधिकारी ने बताया (फरवरी 1998) कि प्रकरण की जाँच के बाद कार्यवाही की जायेगी। तथापि, प्रत्यावेदन के अनुसार अभी तक कोई भी कार्यवाही नहीं की गई (मई 1998)।

मामले को परिषद को क्रमशः सितम्बर 1997 तथा मार्च 1998 में एवं शासन को मई 1998 तथा जुलाई 1998 में बताया गया; उनके उत्तर अभी तक प्राप्त नहीं हुए है (अक्टूबर 1998)।

4स.11 उच्चतर दर पर संविदा स्वीकृत करने के कारण परिहार्य व्यय

दरों की युक्तियुक्तता का निर्धारण करने के लिए इनका विश्लेषण किये बिना, दरों को निर्णीत करने के परिणामतः 1.10 करोड़ रुपये तक का परिहार्य व्यय हुआ।

दरों की युक्तियुक्तता का निर्धारण करने के लिये दर–विश्लेषण बनाये बिना दरों को अन्तिम रूप देने के कारण परिषद को 1.10 करोड़ रुपये का परिहार्य व्यय करना पड़ा।

400 के वी उन्नाव-बरेली डबल सर्किट ट्रांसमिशन लाइन के लिए टावरों की डिजाइनिंग तथा फैब्रीकेशन एवं इनके इरेक्शन और कमीशनिंग के लिए, निविदा विशिष्टि संख्या-ओ ई सी एफ/यू पी एस ई बी/5 के विरुद्ध, मेसर्स एस ए ई इण्डिया लिमिटेड, नई दिल्ली से मार्च 1994 में एक संविदा निष्पादित की गई। 9675 टन प्रत्याभूत भार वाले टावरों की आपूर्ति हेतु आपूर्तिकर्ता द्वारा उद्धृत तथा उसे स्वीकृत, परिष्कृत कलईदार पार्टों की फैक्ट्री लागत मूल्य 26600 रुपये प्रति टन थी।

यह देखा गया कि पश्चात्वर्ती निविदा (विशिष्टीकरण संख्या-ओ ई सी एफ/यू पी एस ई बी/16) में 800 के वी सिंगल सर्किट झाँसी-उन्नाव ट्रान्समिशन लाइन के टावरों तथा सहायक उपकरणों की डिजाइन, फैब्रीकेशन तथा कलईकरण के लिए उसी फर्म मेसर्स एस ए ई इण्डिया, नई दिल्ली ने 13862 टन भार वाले टावरों की आपूर्ति हेतु परिष्कृत कलईदार अवयवों की फैक्टरी लागत दर मूल्य 25463

रुपये प्रतिटन उद्धृत किया था (दिसम्बर 1994), जो उसी के पक्ष में निर्णीत भी हुआ था। दरों की युक्तियुक्तता निर्धारित करने के लिए, दर विश्लेषण बनाये बिना उक्त दरों को निर्णीत कर लिया गया था।

यद्यपि, ये कलईयुक्त टावर स्ट्रक्चर दो अलग-अलग प्रकार की लाइनों के लिए थे लेकिन ये स्टील एव जिंक धारण में समान विशिष्टीकरण के थे। यद्यपि, स्टील, जिंक तथा श्रम की कीमतों की प्रवृत्ति इस सम्पूर्ण अवधि में वृद्धि की ओर थी (जून 1993 में स्टील तथा जिंक की कीमतें 11773 रुपये तथा 47500 रुपये प्रति टन थी जबकि दिसम्बर 1994 में ये क्रमशः 13196 रुपये तथा 55500 रुपये प्रति टन थी)। लेकिन दिसम्बर 1994 में, पश्चात्वर्ती निविदा ओ ई सी एफ/यू पी एस ई बी/16 में उद्धृत दरें कम थी। इस प्रकार, पूर्व में निविदा विशिष्टीकरण-ओ ई सी एफ/ यू पी एस ई बी/15 के विरुद्ध मार्च 1994 में स्वीकृत दरें 1137 रुपये प्रति टन की दर से अधिक थी, जिसकी परिणति 1.10 करोड़ रुपये के अतिरिक्त व्यय में हुई।

सदस्य (पारेषण) तथा अभिकल्पन परिकल्प ने बताया (सितम्बर 1998) कि निविदा का अनन्तीकरण ओवरसीज़ इकोनामिक कार्पोरेशन फण्ड (ओ ई सी एफ) के मार्गदर्शिका के प्राविधानों के तहत, जिसके अनुसार निविदा का मूल्यांकन तकनीकी रूप से उपयुक्त न्यूनतम बोली वाले प्रस्ताव के आधार पर होता है, किया गया था तथा इस प्रकरण में ओ ई सी एफ/यू पी एस ई बी/16 में उद्धृत दरें दुरूह प्रतिस्पर्धा के कारण थोड़ी कम थी।

उत्तर इस तथ्य के परिपेक्ष्य में मान्य नहीं है क्योंकि ओ ई सी एफ के दिशा-निर्देश, दर-अनुसूची रखने तथा निविदाओं में प्राप्त दरों का विश्लेषण करने से मना नहीं करते हैं। इसके अतिरिक्त दुरूह प्रतिस्पर्धा के कारण बाद में फर्मो द्वारा दरें कम की गई थीं, की पुष्टि में कोई प्रमाण अभिलेखों में उपलब्ध नहीं था।

प्रकरण, परिषद् को मई 1998 में तथा शासन को जुलाई 1998 में प्रतिवेदित है; शासन के उत्तर अभी तक प्राप्त नहीं हुये हैं (अक्टूबर 1998)।

4स.12 दर अनुसूची के गलत प्रयोग के कारण कम बिलिंग

दो अशासकीय अस्पतालों को गलत दर अनुसूची लगाने की परिणति 41.89 लाख रुपये कम देयकीकरण में हुई।

दर अनुसूची के प्राविधानों के अनुसार अशासकीय अस्पताल, तथा वाणिज्यिक संस्थायें/समितियाँ, 'वाणिज्यिक प्रकाश तथा शक्ति' उपभोक्ताओं को लगने वाली दर अनुसूची एल एम वी-2 के अन्तर्गत देयकीकरण के लिए अपेक्षित थी।

अशासकीय अस्पतालों के मामले में गलत दर–अनुसूची लगाने के परिणामतः 41.89 लाख रुपये की कम बिलिंग हुयी।

अभिलेखों की जाँच में पाया गया (अक्टूबर 1997) कि निम्न दो प्रकरणों में, यद्यपि ये अशासकीय अस्पताल थे, देयकीकरण एल एम वी-2 के स्थान पर एल एम वी-1 के अन्तर्गत किया गया। इसके परिणामतः 41.89 लाख रुपये की कम बिलिंग हुयी, जिसका विवरण निम्न है:

संस्था का नाम	खण्ड का नाम	संविदागत भार	कम बिलिंग की राशि (रुपये लाख में)	अवधि
विवेकानन्द पालीक्लीनिक, लखनऊ	न वि वि ख अलीगंज	170 के डब्ल्यू	21.89	अप्रैल 1995 से सितम्बर 1997
गाँधी नेत्र हास्पिटल, अलीगढ़	न वि वि ख–II, अलीगढ़	120 के डब्ल्यू	20.00	मई 1995 से जून 1997
योग			**41.89**	

सम्प्रेक्षा द्वारा इंगित करने पर न वि वि ख, अलीगंज, लखनऊ ने विवेकानन्द पालीक्लीनिक, लखनऊ को दर अनुसूची एल एम वी-2 के अन्तर्गत, अप्रैल 1995 से मई 1998 तक की अवधि के लिए 21.89 लाख रुपये का पूरक देयक जारी किया (जून 1998) जिसका अभी तक भुगतान नहीं हुआ है (अगस्त 1998)। तथापि, गाँधी नेत्र हास्पिटल, अलीगढ़ से सम्बन्धित पूरक देयक नहीं जारी किया गया।

प्रकरण, परिषद को जनवरी 1998 में तथा शासन को मई 1998 में प्रत्यावेदित किया गया; उनके उत्तर अभी तक प्राप्त नहीं हुए हैं (अक्टूबर 1998)।

4अ.13 सिस्टम लोडिंग चार्जेज़ की वसूली न होना

सिस्टम लोडिंग चार्जेज़ की वसूली में असफलता की परिणति 39 लाख रुपये राजस्व की वसूली न होने में हुई।

सिस्टम लोडिंग चार्जेज़ की वसूली न होने के परिणामतः 39 लाख रुपये के राजस्व की वसूली नहीं हुयी।

परिषद के रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन ऐण्ड सेक़ेण्डरी सिस्टम प्लानिंग आर्गेनाइजेशन (रेस्पो), ने आदेशित किया (दिसम्बर 1993) कि वर्तमान तन्त्रों के सुधार तथा लाइनों/उप-संस्थानों की क्षमता में वृद्धि हेतु नये उपभोक्ताओं से सिस्टम लोडिंग चार्ज लिया जायेगा। परिषद द्वारा यह पुनः स्पष्ट किया गया (मई 1994) कि यह वर्तमान उपभोक्ताओं के अतिरिक्त भार पर भी भारित किया जायेगा।

विद्युत वितरण खण्ड, हरिद्वार के अभिलेखों की नमूना जाँच में यह देखा गया कि 132 के वी विभव पर 39 एम वी ए का विद्युत भार (फैक्टरी के लिए 34 एम वी ए तथा टाउनशिप के लिए 5 एम वी ए) वाले मेसर्स बी एच ई एल, रानीपुर, हरिद्वार को, 39.00 लाख रुपये राशि के सिस्टम लोडिंग चार्ज की वसूली किये बिना, जनवरी 1995 में 6 एम वी ए का अतिरिक्त विद्युत भार निर्मक्त कर दिया गया था। इस प्रकार इस सिस्टम लोडिंग चार्ज की वसूली में असफलता के परिणामतः 39 लाख रुपये राजस्व की वसूली नही हुई।

यह बताया गया (मई 1997) कि सिस्टम लोडिंग चार्जेज़ की वसूली इसलिए नहीं की गई क्योंकि तत्कालीन सदस्य (वितरण) की राय में 33 के वी से उच्च विभव पर विद्युत भार अवमुक्त करने की दशा में सिस्टम लोडिंग चार्ज भारित नहीं करना था। उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि परिषद के दिसम्बर 1993 तथा मई 1994 के आदेशों में 132 के वी पर अवमुक्त संयोजनों को इससे विमुक्त नहीं किया गया था। यहाँ तक कि परिषद के मई 1996 के आदेश में, 132 के वी तथा उससे अधिक विभव वाले संयोजनों से भी सिस्टम लोडिंग चार्जेज़ लेने की पुनः पुष्टि कर दी गयी थी।

प्रकरण, परिषद को सितम्बर 1997 में तथा शासन को मई 1998 में प्रत्यावेदित है; उनके उत्तर प्राप्त नहीं हुए है (अक्टूबर 1998)।

4अ.14 निम्न पावर फैक्टर अधिभार का कम भारित होना

एक पम्प कैनाल संयोजन के प्रत्येक सर्किट के लिए अलग-अलग पावर फैक्टर की गलत गणना के परिणामतः 28.40 लाख रुपये तक का कम राजस्व भारित हुआ।

पावर फैक्टर की गलत गणना के परिणामतः 28.40 लाख रुपये की राशि का कम राजस्व भारण हुआ।

75 के डब्ल्यू (100 बी एच पी) से अधिक विद्युत भार वाले बड़े एवं मध्यम पम्प कैनालों पर लागू होने वाली दर-अनुसूची एच वी-4 के अनुसार, उन उपभोक्ताओं के सन्दर्भ में जिनके परिसर में ट्राई वेक्टर/बाई वेक्टर/टू पार्ट टेरिफ मीटर संस्थापित नहीं हैं, को यदि मासिक औसत पावर फैक्टर 0.85 से कम है तो 0.85 से 0.80 तक की कमी की दशा में प्रत्येक 0.01 की कमी के लिए एक प्रतिशत तथा 0.80 से नीचे की प्रत्येक 0.01 कमी के लिए 2 प्रतिशत की दर से उपभोक्ता देयीकृत राशि पर निम्न पावर फैक्टर अधिभार का भुगतान करेगा लेकिन यह अधिभार 0.70 तक सीमित रहेगा।

विद्युत वितरण खण्ड द्वितीय, मऊ के अभिलेखों की जाँच (सितम्बर 1997) में पाया गया कि 3089 के वी ए (2626 के डब्ल्यू) संयोजित भार वाले दोहरी घाट पम्प कैनाल स्टेज द्वितीय का संयोजन दो ट्राई वेक्टर मीटरों के द्वारा दो सर्किटों में विभक्त कर दिया गया था (फरवरी 1997)। जैसा कि खण्डीय अधिकारी द्वारा बताया गया (फरवरी 1998) कि दो सेट मैक्सिमम डिमाण्ड इण्डिकेटर (एम डी आई) तथा मीटरिंग संयन्त्र मात्र ऊर्जा के भार के सन्तुलन को बनाये रखने के साथ-साथ ट्रान्सफार्मरों तथा अन्य विद्युत संयन्त्रों को हानि से बचाने के लिये संस्थापित किये गये थे तथा लेखांकन एवं देयकीकरण के उद्देश्य से, प्रत्येक माह में दो रीडिंग अलग-अलग की जाती थी। अतः, पावर फैक्टर की गणना के लिए दोनों सर्किटों की के डब्ल्यू एच तथा के वी ए एच रीडिगों के योग को सज्ञान में लेना था।

तथापि, खण्डीय अधिकारी ने प्रत्येक सर्किट के लिए पावर फैक्टर की गणना अलग-अलग किया तथा देयकीकरण के लिए दोनों पावर फैक्टरों का औसत ले लिया। इसके परिणामस्वरूप मई 1997 से जुलाई 1998 की अवधि में 28.40 लाख रुपये का कम राजस्व भारण हुआ। सम्प्रेक्षा में इंगित करने पर खण्डीय अधिकारी ने 28.40 लाख रुपये का देयक जारी किया (सितम्बर 1998), जिसकी वसूली प्रतीक्षित है (अक्टूबर 1998)।

मामले को, परिषद को जनवरी 1998 में तथा शासन को मई 1998 में बताया गया; उत्तर प्रतीक्षित हैं (अक्टूबर 1998)।

4स.15 इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी का न लगाना/वसूली न होना

खण्डीय अधिकारी न वि वि खण्ड हुसैनगंज, लखनऊ तथा न वि वि ख-प्रथम अलीगढ़ द्वारा क्रमशः अप्रैल 1996 से दिसम्बर 1996 तथा जनवरी 1997 से नवम्बर 1997 की अवधि में पब्लिक लैम्प उपभोक्ताओं पर इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी न लगाने/कम लगाने की परिणति 27.24 लाख रुपये कम इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी की वसूली में हुई।

बिना मीटर वाले पब्लिक लैम्प उपभोक्ताओं पर भारित होने वाली इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी की दर 10 पैसे प्रति यूनिट सुनिश्चित की गई थी (दिसम्बर 1986) जो जनवरी 1997 में विद्युत प्रभार के 20 प्रतिशत की दर से पुनरीक्षित कर दी गई।

दो खण्डों द्वारा पब्लिक लैम्प उपभोक्ताओं पर इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी न लगाने/कम लगाने की परिणति 27.24 लाख रुपये के कम इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी की वसूली में हुई।

नगरीय विद्युत वितरण खण्ड (न वि वि ख) हुसैनगंज, लखनऊ तथा न वि वि ख-प्रथम अलीगढ़ के पब्लिक लैम्प उपभोक्ताओं से सम्बन्धित देयकीकरण के अभिलेखों की जाँच में पाया गया कि न वि वि ख हुसैनगंज, लखनऊ द्वारा पब्लिक लैम्प उपभोक्ताओं पर इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी नहीं लगाई जा रही थी जबकि न वि वि ख-प्रथम, अलीगढ़ द्वारा 10 प्रतिशत की दर पर लगाई जा रही थी। सम्प्रेक्षा द्वारा इंगित करने पर, न वि वि ख हुसैनगंज, लखनऊ तथा अलीगढ़ ने जनवरी 1997 से अक्टूबर 1997 तथा जनवरी 1997 से नवम्बर 1997 की अवधि के क्रमशः 18.24 लाख रुपये तथा 2.43 लाख रुपये के अन्तरात्मक देयक जारी किये (दिसम्बर 1997)। तथापि, अभी तक यह राशि बिना वसूली के ही रही (जुलाई 1998)। पुनश्च, न वि वि ख हुसैनगंज ने अप्रैल 1996 से दिसम्बर 1996 की अवधि के लिए 10 प्रतिशत की दर से 6.57 लाख रुपये की इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी अभी तक (जुलाई 1998) नहीं लगाया जिसकी परिणति उस सीमा तक राजस्व की वसूली न होने में हुयी।

परिषद ने कमियों के लिए किसी भी अधिकारी पर उत्तरदायित्व निर्धारित नहीं किया।

प्रकरण को, परिषद के सज्ञान में अक्टूबर 1997/जनवरी 1998 में तथा शासन के सज्ञान में अगस्त 1998 में लाया गया; उनके उत्तर प्रतीक्षित हैं (अगस्त 1998)।

4स.16 कम देयकीकरण

एक उपभोक्ता द्वारा मार्च 1987 से दिसम्बर 1995 की अवधि में उपयोग में लायी गई ऊर्जा की गलत संगणना के परिणामतः 23.33 लाख रुपये का कम देयकीकरण हुआ।

उपयोग की गई ऊर्जा का गलत आगणन करने के परिणामतः 23.33 लाख रुपये का कम भारण हुआ।

उपयुक्त क्षमता के करेण्ट ट्रान्सफार्मर तथा पोटेशिंयल ट्रान्सफार्मरों की अनुपलब्धता के कारण, 11 के वी से अधिक विभव पर आपूर्ति पाने वाले बड़े उपभोक्ताओं का मापांकन 11 के वी पर किया जा रहा था। इन प्रकरणों में ट्रान्सफार्मर, उपभोक्ताओं द्वारा अपनी कीमत पर उपलब्ध कराये गये थे। तथापि, ये उपभोक्ता क्षेत्रीय अधिकारियों द्वारा, इस आधार पर कि 11 के वी पर अभिलिखित मापकों की स्थिति में दर अनुसूची किसी ऐसी छूट का प्राविधान नहीं करती है, एच टी छूट से वंचित कर दिये गये थे। उपभोक्ताओं ने तर्क दिया, चूँकि उनकी आपूर्ति उच्चतर विभव पर दी जा रही थी तथा ट्रान्सफार्मेशन सयंत्र उन्हीं के द्वारा संस्थापित किये गये थे। अतः इसलिए वे उच्च विभव पर आपूर्ति के लिए छूट के हकदार थे।

इस प्रकार के उपभोक्ताओं की शिकायत कम करने के लिए परिषद ने 1987 में निर्णय लिया कि जिन प्रकरणों में भार उच्च विभव यथा, 33 के वी तथा उसके ऊपर, पर निर्गत किया गया और उपभोक्ताओं ने अपने ट्रान्सफार्मर संस्थापित किये हैं, नवम्बर 1982 से, माँग ट्रान्सफार्मर के निम्न वोल्टेज साइड में ली गई माँग वाचन में 2 प्रतिशत तथा के डब्ल्यू एच वाचन में तीन प्रतिशत जोड़ने के पश्चात्, उपयुक्त दर सूची के प्राविधानों के अनुसार एच टी रिबेट अनुमन्य होगा। इस प्रकार आगणित पठनांकों के आधार पर, उपयुक्त दरसूची में सन्निहित प्राविधानों के अनुसार, एच टी रिबेट की गणना की जानी थी तथा भविष्य के विद्युत उपभोग के देयकों में समायोजित करना था।

विद्युत वितरण खण्ड-प्रथम वाराणसी के, 1000 के वी ए भार वाले (दिसम्बर 1995 में 2000 के वी ए बढ़कर हो गया) डीजल लोकोमोटिव वर्क्स, वाराणसी की बिलिंग से सम्बन्धित अभिलेखों की जाँच में पाया गया कि उपभोक्ता को एच टी पर आपूर्ति दी गई थी तथा उन्होंने अपना ट्रान्सफार्मर संस्थापित किया था, लेकिन एच टी रिबेट देने के उद्देश्य से एल टी साइड के पठनांकों में नवम्बर 1982 से नवम्बर 1995 तक 3 प्रतिशत जोड़ कर संगणना नहीं की गई। उपभोग की गयी विद्युत के गलत आगणन के कारण, मार्च 1987 से दिसम्बर 1995 की अवधि के दौरान 23.33 लाख रुपये मूल्य

के कुल 2063,016 के डब्ल्यू एच के कम बिल जारी किए गए (छूट के समायोजन के पश्चात)। नवम्बर 1982 से फरवरी 1987 की अवधि की विद्युत की मात्रा एवं उसके मूल्य का आगणन नहीं किया जा सका क्योंकि उपरोक्त अवधि के विद्युत उपभोग के विवरण खण्ड के पास तात्कालिक रूप से उपलब्ध नहीं थे।

उत्तर में खण्डीय अधिकारी ने बताया (जून 1998) कि परिषद के आदेश के अनुरूप नियमित बिल जनवरी 1996 से जारी किये गये थे। तथापि, उत्तर 23.33 लाख रुपये की वसूली के बारे में मौन था।

प्रकरण, परिषद तथा शासन को जुलाई 1998 में सूचित किया गया; उनके उत्तर प्रतीक्षित थे (अक्टूबर 1998)।

4स.17 गलत दर सूची के प्रयोग के कारण हानि

(i) निजी नलकूप उपभोक्ताओं का देयकीकरण एल एम वी-6 के स्थान पर एल एम वी-5 के अन्तर्गत करने के परिणामतः 21.75 लाख रुपये का कम भारण हुआ।

निजी नलकूप उपभोक्ताओं के सम्बन्ध में गलत दर अनुसूची का प्रयोग करने के परिणामतः 21.75 लाख रुपये का कम भारण हुआ।

16 जुलाई 1994 से, परिषद की दर अनुसूची एल एम वी-5 उन सभी ऊर्जा उपभोक्ताओं, जो सिंचाई के उद्देश्य से ग्रामीण अनुसूची (ग्रामीण पोषक से) के अनुसार निजी-नलकूपों/पम्पिंग सेटों के लिए ऊर्जा प्राप्त करते थे, पर लागू होती है। निजी नलकूप तथा पम्पिंग सेट उपभोक्ता जो ग्रामीण अनुसूची के इतर पोषक से (अर्थात् नगरीय पोषक से) आपूर्ति प्राप्त करते थे, उनका देयकीकरण दर अनुसूची-6, जो नलकूपों तथा पम्पिंग सेटों को सम्मिलित करते हुये, 100 बी एच पी तक भार वाले लघु एवं मध्यम उपभोक्ताओं पर लागू होती है; के अन्तर्गत होना था।

कानपुर इलेक्ट्रिक सप्लाई एडमिनिस्ट्रेशन (केसा) के अन्तर्गत आने वाले नलकूपों के देयकीकरण में पाया गया कि ग्रामीण अनुसूची के इतर आपूर्ति प्राप्त करने वाले 34 (नवम्बर 1994 तक 277 बी एच पी संयोजित भार) तथा 29 (उसके पश्चात् 199.5 बी एच पी संयोजित भार) उपभोक्ता, दर अनुसूची एल एम वी-6 के स्थान पर एल एम वी-5 के अन्तर्गत देयकीकृत किये जा रहे थे। खण्डीय अधिकारी,

केसा ने बताया (मार्च 1998) कि मई 1997 से निजी नलकूप उपभोक्ता दर अनुसूची एल एम वी-6 के अन्तर्गत देयकीकृत किये जा रहे है। तथापि, अगस्त 1994 से अप्रैल 1997 तक की अवधि के 21.75 लाख रुपये के संशोधित देयक अभी तक (अक्टूबर 1998) जारी नहीं किये गये हैं। गलत दर अनुसूची के प्रयोग के परिणामतः अगस्त 1994 से अप्रैल 1997 की अवधि में 21.75 लाख रुपये का कम भारण हुआ।

प्रकरण को परिषद के सज्ञान में अप्रैल 1998 में तथा शासन के सज्ञान में अगस्त 1998 में लाया गया; उनके उत्तर प्रतीक्षित है (अक्टूबर 1998)।

(ii) नगरीय विद्युत वितरण खण्ड-प्रथम गाजियाबाद द्वारा रेलवे वर्कशाप के दो संयोजनों के देयक, दर अनुसूची एच वी-2 के स्थान पर एल एम वी-2 के अन्तर्गत जारी करने की परिणति अगस्त 1994 से जनवरी 1998 तक की अवधि में 18.05 लाख रुपये की कम वसूली में हुई।

दर अनुसूची एल एम वी-2 उन सभी उपभोक्ताओं, जो विद्युत ऊर्जा का उपयोग प्रकाश, पंखा तथा वाणिज्यिक उद्देश्यों यथा दुकान, अशासकीय अस्पताल, रेलवे (ट्रैक्शन तथा औद्योगिक परिसर को छोड़कर) सिनेमा तथा थियेटर आदि के लिये करते हैं, पर लागू होती है जबकि दर अनुसूची एच वी-2, उन सभी उपभोक्ताओं जिनका अनुबंधित भार उद्योगों तथा प्रासेसिंग के लिए 75 के डब्ल्यू (100 बी एच पी) अथवा उससे अधिक हो, पर लागू होती है।

नगरीय विद्युत वितरण खण्ड-प्रथम, गाजियाबाद के अभिलेखों की जाँच में पाया गया (दिसम्बर 1996) कि डिवीजनल इलेक्ट्रिकल इन्जीनियर नार्दन रेलवे के नाम से (i) 300 के वी ए अनुबंधित भार वाले इलेक्ट्रिकल मल्टिपिल यूनिट (ई एम यू) गाजियाबाद, कार शेड तथा (ii) 615 के वी ए अनुबंधित भार युक्त इलेक्ट्रिकल लोको शेड गाजियाबाद, दो संयोजन, यद्यपि विद्युत ऊर्जा का उपयोग अपने औद्योगिक कार्यो पर कर रहे थे तथापि उनका देयकीकरण दर अनुसूची एच वी-2 के स्थान पर एल एम वी-2 में किया जा रहा था जबकि डीजल लोकोमोटिव वर्क्स वाराणसी, रेलवे वर्कशाप, मुगलसराय तथा रेलवे वर्कशाप लखनऊ, दर अनुसूची एच वी-2 के अन्तर्गत देयकीकृत किये जा रहे थे। इस प्रकार गलत दर अनुसूची के प्रयोग के कारण अगस्त 1994 से जनवरी 1998 की अवधि में 18.05 लाख रुपये की कम वसूली हुई।

प्रकरण, परिषद को जनवरी 1997 में तथा शासन को जून 1998 में प्रत्यावेदित किया गया था; उनके उत्तर प्रतीक्षित थे (अक्टूबर 1998)।

4स.18 मीटर की आवर्ती तथा नियमित जाँच का परिपालन न करने के कारण राजस्व की हानि

मीटर तथा उच्चतम् माँग निर्देशकों की आवर्ती जाँच, परीक्षण तथा नियमन के प्राविधान का अनुपालन न करने की परिणति, परिषद को 13.31 लाख रुपये तक की परिहार्य राजस्व हानि में हुई।

कामर्शियल मैनुअल के प्रस्तर 7.1(स) के अनुसार, आपूर्तित ऊर्जा का अभिनिश्चयन करने के लिए, सभी मीटरों तथा मांग निर्देशकों की, उपभोक्ता के परिसर में उनके प्रथम संस्थापन के पूर्व परीक्षण, जाँच एवं नियमन कर लेना चाहिये तथा प्रत्येक भारी एवं बड़े ऊर्जा उपभोक्ता के सभी संस्थापनों, मीटर उपकरणों आदि का उनकी शुद्धता को सुनिश्चित करने के लिए साल में कम से कम एक बार नियमित जाँच तथा आवर्ती जाँच करनी चाहिए।

विद्युत वितरण खण्ड-प्रथम, बुलन्दशहर के अभिलेखों की जाँच में पाया गया कि मेसर्स डी एस एम पेपर मिल, शिकोहाबाद के संस्थापनों की मेरठ जोन की छापा पार्टी द्वारा मार्च 1994 में जाँच के समय पाया गया कि 100/5 एम्पीयर की 11 के वी मीटरिंग पी टी के 'आर' तथा 'बी' दोनों फेज़ कुछ भिन्न औसत दर्शित कर रहे थे तथा मीटर का सम्पूर्ण गुणांक फैक्टर 0.5 के स्थान पर 0.532 था। इसके पूर्व, उपभोक्ता की मीटरिंग उपकरणों की नियमित जाँच 14 अप्रैल 1990 में की गई थी।

उपभोक्ता के अनुरोध पर 9 जुलाई 1994 को संस्थापित चेक मीटर ने इंगित किया कि पुराने मीटर के के डब्ल्यू एच सेक्शन तथा के वी ए सेक्शन क्रमशः 2.42 तथा 3.9 प्रतिशत धीमे थे। तद्नुसार, अप्रैल 1990 से जुलाई 1994 की अवधि के लिए 16.28 लाख रुपये का संशोधित निर्धारण किया गया और देयक जारी किया गया।

तथापि, उपभोक्ता ने छः माह की अवधि के लिए मात्र 2.97 लाख रुपये का भुगतान किया तथा शेष 13.31 लाख रुपये के लिए परिषद के अध्यक्ष को प्रत्यावेदन दिया। इस बात को ध्यान में रख कर कि उपभोक्ता के परिसर में सही मीटर लगाने की जिम्मेदारी परिषद की है, परिषद के सदस्य (वितरण) तथा अध्यक्ष ने देयक जारी करने की अवधि, नियमानुसार, छः माह तक के लिए सीमित कर दिया तथा अप्रैल 1990 से जुलाई 1994 की अवधि में नियमित समयबद्ध जाँच न करने के जिम्मेदार दोषी अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही करने का निर्देश दिया। इस सन्दर्भ में इस तिथि (अक्टूबर 1998) तक कोई कार्यवाही नहीं की गई।

प्रकरण को परिषद के सज्ञान में (जनवरी 1998) में तथा शासन के सज्ञान में (मई 1998) से लाया गया; उनके उत्तर प्रतीक्षित हैं (अक्टूबर 1998)।

4स.19 गलत गुणन फैक्टर के प्रयोग के कारण कम भारण

गलत गुणन फैक्टर (एम एफ) के प्रयोग के परिणामतः 8.60 लाख रुपये का कम भारण हुआ।

परिषद का सितम्बर 1995 का परिपत्र यह प्राविधान करता है कि अधिशासी अभियन्ता (परीक्षण) द्वारा संयोजित मीटरों की सी टी/पी टी पश्चातवर्ती परिवर्तनों, यदि कोई हो तो, का अनुरेख बनाया जाना चाहिये तथा सम्बन्धित अनुरक्षण (वितरण) खण्ड को सही गुणन फैक्टर (एम एफ) के आधार पर सही देयकीकरण के लिए प्रेषित किया जाना चाहिए।

विद्युत वितरण खण्ड, उत्तरकाशी के अभिलेखों की जाँच में पाया गया (जून 1998) कि परीक्षण खण्ड द्वारा उपभोक्ता (कमाण्डेण्ड, इण्डो-तिब्बत बार्डर पुलिस, उत्तरकाशी) के परिसर में सी टी/पी टी के साथ संयोजित एक मीटर, 10 के डब्ल्यू से 97 के डब्ल्यू तक बढ़े हुए भार को निर्मुक्त करते समय, संस्थापित किया गया था। तथापि, वितरण खण्ड ने परीक्षण खण्ड से सीलिंग सर्टिफिकेट/मीटरिंग अनुरेख प्राप्त किये तथा सही गुणन फैक्टर को सुनिश्चित किये बिना, गुणन फैक्टर को एक मानकर, देयकीकरण प्रारम्भ कर दिया। उसके पश्चात् सम्बन्धित अवर अभियन्ता द्वारा दिनांक 8 नवम्बर 1993 को रिपोर्ट करने पर अप्रैल 1995 से गुणन फैक्टर 10 पर संशोधित कर दिया गया। उसके बाद सहायक अभियन्ता (परीक्षण) तथा परिषद की इक्वेटर टीम द्वारा क्रमशः 23 अप्रैल 1997 तथा 16 मई 1997 को उक्त मीटर की जाँच में मीटर का गुणन फैक्टर 10 के स्थान पर 200 पाया गया। इस प्रकार, गलत गुणन फैक्टर के प्रयोग से, उपभोक्ता जुलाई 1992 से मई 1997 की अवधि में 8.60 लाख रुपये से कम भारित हुआ।

खण्डीय अधिकारी ने बताया (जून 1997) कि अधिशासी अभियन्ता (परीक्षण) से मीटरिंग आलेख तथा जाँच रिपोर्ट प्राप्त हो जाने पर निर्धारण कर दिया जायेगा।

गलत एम एफ सूचित करने के लिए उत्तरदायित्व सुनिश्चित करने हेतु परिषद के अधिकारियों द्वारा अभी तक (अक्टूबर 1998) कोई कार्यवाही नहीं की गई।

प्रकरण, परिषद को नवम्बर 1997 में तथा शासन को मई 1998 में सूचित कर दिया गया है; उत्तर अभी तक प्रतीक्षित हैं (अक्टूबर 1998)।

4स.20 एक उपभोक्ता को अनुचित लाभ के कारण हानि

लाइन को हटाने की आंकलित राशि की वसूली भू-स्वामी से न कर के परिषद को भारित करने की, परिषदीय अधिकारियों के अविवेकपूर्ण निर्णय के परिणामस्वरूप 6.33 लाख रुपये तक की हानि हुयी।

निजामाबाद के एक भू-स्वामी ने, उसके भूखण्ड के ऊपर से जाती हुयी 33 के वी ओवर हेड लाइन के नीचे मकान का निर्माण प्रारम्भ किया तथा परिषद के अधिकारियों द्वारा कार्य रोकने की नोटिस देने के बावजूद, उसे पूरा किया। उसके बाद, ओवर हेड लाइन को हटाने सम्बन्धी भू-स्वामी के आवेदन पर खण्डीय अधिकारी ने 33 के वी लाइन को हटाने के लिए 0.46 लाख रुपये का आंकलन स्वीकृत किया (मार्च 1994) जिसे भू-स्वामी द्वारा उसी महीने में जमा कर दिया गया। तथापि, संलग्न-भूखण्ड के स्वामी द्वारा अगस्त 1994 में माननीय न्यायालय से स्थगन आदेश प्राप्त कर लेने के कारण ओवर हेड लाइन का कार्य प्रारम्भ नहीं किया जा सका। तत्पश्चात् परिषद ने, जमीन के नीचे केबिल डालकर, लाइन को हटाने का निर्णय लिया और 5.29 लाख रुपये का संशोधित आंकलन स्वीकृत किया (नवम्बर 1995)। तथापि, भू-स्वामी से पुनरीक्षित लागत, जो न्यायालय के आदेश के कारण आवश्यक हो गया था, को जमा करने के लिए कहने के स्थान पर परिषद ने स्वयं वहन करने का निश्चय किया। कार्य 6.79 लाख रुपये की लागत पर मार्च 1997 में पूरा हुआ जिसका पुनरीक्षित (निष्पादित) आंकलन परिषदीय अधिकारियों की स्वीकृति के लिए पड़ा है।

लाइन के परिवर्तन की आंकलित लागत को उस भू-स्वामी से वसूल करने के स्थान पर, परिषद द्वारा वहन करने का निर्णय न्यायसंगत नहीं था क्योंकि स्थानान्तरित लाइन का निर्माण कार्य भू-स्वामी के अनुरोध पर किया गया था तथा उसने पहले से स्थित 33 के वी लाइन के नीचे भवन का निर्माण किया था। इसके परिणामस्वरूप उपभोक्ता द्वारा मार्च 1994 में पहले से जमा की हुई राशि 0.46 लाख रुपये को समायोजित करते हुए 6.33 लाख रुपये की परिषद को हानि हुई।

प्रकरण, परिषद को जनवरी 1998 में तथा शासन को जून 1998 में सूचित कर दिया गया है, उत्तर अभी तक प्रतीक्षित हैं (अक्टूबर 1998)।

4स.21 विद्युत देयों के अनियमित अधित्याग से राजस्व हानि

परिषद के आदेशों के विरुद्ध विद्युत देयों के अनियमित अधित्याग के फलस्वरूप 5.67 लाख रुपये की राजस्व हानि हुई।

15 मई 1997 के परिषद के आदेश के अन्तर्गत अस्थाई विद्युत विच्छेदन की तिथि से स्थायी विच्छेदन की तिथि तक विद्युत देयों के विरुद्ध न्यूनतम प्रभार की वसूली अपेक्षित थी।

विद्युत शहरी वितरण खण्ड (प्रथम) अलीगढ़ द्वारा 27 स्थाई विद्युत विच्छेदन के मामलों की संवीक्षा में प्रकट हुआ (दिसम्बर 1997) कि परिषद के आदेश के विपरीत अस्थायी विच्छेदन की तिथि से स्थायी विद्युत विच्छेदन की तिथि तक विद्युत देयों के अवशेष 5.67 लाख रुपये अनियमित रूप से खण्ड अधिकारी द्वारा अक्टूबर से दिसम्बर 1997 की समयावधि में अधित्याग कर दिए गए।

प्रकरण को, जनवरी 1998 में परिषद को तथा मई 1998 में शासन को सूचित किया गया; उत्तर प्राप्त नहीं हुए (अक्टूबर 1998)।

4स.22 ऊर्जा की चोरी से राजस्व हानि

ऊर्जा की चोरी का पता न लगा पाने के कारण परिषद द्वारा दिसम्बर 1992 से मई 1993 की समयावधि का निर्धारण जारी न कर सकने के फलस्वरूप 8.54 करोड़ रुपये की राजस्व हानि हुई। प्रकरण के तथ्यों की चर्चा नीचे की गई है:

चोरी का पता न लगा सकने एवं निर्धारण जारी न करने के परिणामस्वरूप 8.54 करोड़ रुपये के राजस्व की हानि हुई।

विद्युत आपूर्ति (उपभोक्ता) विनियम, 1984 की धारा 22 (बी) के अनुसार जहाँ उपभोक्ता द्वारा बिजली बेईमानी से लिये जाने/उपभोग किए जाने के साक्ष्य उपलब्ध हैं, ली गई/उपभोग की गई ऊर्जा का निर्धारण एल एफ एच डी* फार्मूले के आधार पर किया जाना चाहिए तथा निर्धारित की गई यूनिटों के देयक उपभोक्ता पर लागू होने वाली दर सूची की दर के तीन गुना प्रति यूनिट पर जारी होंगे। समयावधि निर्धारित करने हेतु यह स्पष्ट किया गया था

* एल एच एफ डी बिना मीटर की आपूर्ति के प्रकरण में उपभोग का निर्धारण करने हेतु प्रयुक्त भार X कारक X दिन X घंटों को निरूपति करता है।

कि निर्धारण उतने ही दिनों का किया जायेगा जब तक चोरी हुई, जिसे उपभोक्ता द्वारा संतोषजनक साक्ष्यों के प्रस्तुत करने से सुनिश्चित किया जा सकता है। उस दशा में जबकि समयावधि निश्चित करने के सम्भावित साक्ष्य नहीं हैं, यह अवधि 180 दिन अथवा विद्युत संयोजन/मीटर स्थापित किए जाने की तिथि से चोरी पकड़े जाने की तिथि तक, जो भी कम हो, होगी।

अधिशाषी अभियन्ता, विद्युत शहरी वितरण खण्ड-I गाजियाबाद के अभिलेखों की संवीक्षा से प्रकट हुआ (अप्रैल 1998) कि मेसर्स महेन्द्रा स्टील्स लिमिटेड, गाजियाबाद जिनका अनुबन्धित भार 10000 के वी ए था, मुख्य क्षेत्रीय अभियन्ता मेरठ के अधिकारियों के एक दल द्वारा माह नवम्बर 1993 में ऊर्जा की चोरी में सम्मिलित पाए गए। यह चोरी केबुल में एक छोटी कील बेधकर की गई जिसके कारण केबुल के अन्दर के दोनों तार शार्ट कर गए तथा परिणामस्वरूप मीटर की ओर विद्युत धारा का प्रवाह नहीं हुआ। ऊर्जा चोरी की प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराई गई (28.11.1993), विद्युत आपूर्ति काट दी गई तथा 8.66 करोड़ रुपये का निर्धारण जारी किया गया जिसके विरुद्ध उपभोक्ता ने एक प्रत्यावेदन प्रस्तुत किया। इस चोरी के प्रकरण की जाँच हेतु अध्यक्ष, उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद ने श्री महेन्द्र पाल अतिरिक्त सचिव एवं मुख्य अभियन्ता की अध्यक्षता में एक समिति का गठन (नवम्बर 1993) किया। समिति ने अपने 1993 के प्रतिवेदन में अवलोकन किया कि 30 से 45 प्रतिशत तक ऊर्जा की चोरी संगठित तरीके से दिसम्बर 1992 से समाहित थी। उपभोक्ता ने माननीय उच्च न्यायालय में एक याचिका दायर किया तथा माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के निर्देश पर मुख्य अभियन्ता (वितरण) पश्चिम क्षेत्र द्वारा प्रत्यावेदन पर निर्णय करने हेतु अधिशाषी अभियन्ता, नोएडा को नामित (जनवरी 1994) किया गया।

विस्तृत जाँच के उपरान्त अधिशाषी अभियन्ता ने अपने प्रतिवेदन (मार्च 1994) में निष्कर्ष निकाला कि यह सिद्ध करने हेतु अकाट्य साक्ष्य उपलब्ध था कि उपभोक्ता नवम्बर/दिसम्बर, 1992 से नवम्बर 1993 तक ऊर्जा चोरी में सम्मिलित था। किन्तु चोरी का पता न चल सका क्योंकि अधिशाषी अभियन्ता जिस पर, मीटर का पाठन, जाँच तथा उपभोक्ता को देयक जारी करने का दायित्व था, विद्युत उपभोग का उत्पादन एवं उत्पाद शुल्क के आँकड़ों से मिलान कर पाने में असफल रहे तथा 132 के वी उपकेन्द्र तथा उपभोक्ता के छोरों पर स्थापित मीटर, परिषद के आन्तरिक लोगों के साथ योजनाबद्ध षडयंत्र द्वारा चोरी पकड़े जाने से बचने के लिए चालाकी से प्रभावित किए गए।

विद्युत आपूर्ति (उपभोक्ता) विनियम, 1984 के प्राविधान के अनुसार परिषद केवल 180 दिनों का निर्धारण 8.54 करोड़ रुपये ही कर सका किन्तु इस धनराशि की वसूली भी न की जा सकी क्योंकि

उपभोक्ता की सम्पत्ति की नीलामी, उनके बैंकर्स (यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया) द्वारा ऋण रिकवरी ट्रिब्युनल के अन्तर्गत स्थगनादेश प्राप्त कर लेने के कारण (नवम्बर 1997) नहीं की जा सकी।

जाँच अधिकारी के इस निष्कर्ष के बावजूद कि परिषद के आन्तरिक लोगों के षड्यंत्र में सम्मिलित होने के कारण उपभोक्ता ने बिजली की चोरी की, परिषद दोषी कर्मचारियों को चिन्हित करने हेतु जाँच गठित करने में असफल रहा। इस प्रकार, आज की तिथि तक (अक्टूबर 1998) उनके विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं की जा सकी।

प्रकरण, परिषद के सज्ञान में मई 1998 में तथा शासन के जुलाई 1998 में लाया गया; उनके उत्तर प्राप्त नहीं हुए हैं (अक्टूबर 1998)।

4स.23 भार को अनियमित रूप से घटाने से राजस्व हानि

उपभोक्ता के 4350 के वी ए के विद्यमान भार को 5400 के वी ए तक बढ़ाने के बजाय अनियमित रूप से घटाने के फलस्वरूप 5.16 करोड़ रुपये की हानि हुई।

परिषद के आदेश मार्च 1992 के साथ पठित विद्युत आपूर्ति (उपभोक्ता) विनियम, 1984 के अनुच्छेद 10 (बी) के अनुसार भार घटाने की अनुमति उपभोक्ता के अधिष्ठापन की सघन जाँच के पश्चात् प्रदान की जायेगी।

भार को अनियमित रूप से घटाने के कारण 5.16 करोड़ रुपये की हानि हुई।

इन्डक्शन फर्नेस के मामले में, अध्यक्ष उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद ने अपने परिपत्र दिनांक 10 जून 1998 में भार की कमी में की गई अनियमितताओं को इंगित करते हुए प्रत्येक एक टन क्षमता की फर्नेस का 600 के वी ए भार का मानक निश्चित किया और निर्देश दिया कि इन्डक्शन आर्क फर्नेस की उनकी क्षमता के अनुसार भार परिवर्तित करने के लिए प्रत्येक क्षेत्रीय मुख्य अभियन्ता उस क्षेत्र के प्रत्येक फर्नेस उपभोक्ता की स्थापित क्षमता की जाँच के लिए एक दल का गठन करेगें।

विद्युत वितरण खण्ड, रूड़की के अभिलेखों की संवीक्षा (अक्टूबर 1998) में प्रकट हुआ कि मेसर्स मूलचन्द स्टील लिमिटेड, छुटमलपुर का अनुबन्धित भार अक्टूबर 1989 से 4350 के वी ए था। उपभोक्ता ने 3000 के वी ए तक भार घटाने के लिए आवेदन किया तथा बी ऐण्ड एल फार्म में पुनर्संशोधित

भार 3000 के वी ए इंगित करते हुए वर्तमान विद्यमान फर्नेस का अधिष्ठापित भार 3000 के वी ए (दो फर्नेस प्रत्येक 1400 के वी ए भार की, 25 के वी ए बत्ती पंखा तथा 175 के वी ए की मोटरें) था जिसमें 3 टन क्षमता की एक और फर्नेस की घोषणा नहीं की गई थी।

अधिशाषी अभियन्ता ने उपभोक्ता के प्रतिष्ठान के संयंत्र, फर्नेस की क्षमता इत्यादि की जाँच किए बिना तथा विद्यमान संयंत्रों (ट्रान्सफार्मरों, स्विचगियर इत्यादि) की घटी हुई भार क्षमता से मेल खाते हुए संयंत्रों को बिना बदले हुए अधीक्षण अभियन्ता, विद्युत वितरण मण्डल, रूड़की को घटे हुए भार के अनुमोदन हेतु अपनी संस्तुति दे दी।

परिषद के अध्यक्ष के 10 जून 1998 के उपरलिखित अनुदेशों के अनुपालन में गठित एक दल ने अपने दिनांक 4 सितम्बर 1998 के निरीक्षण में दो विद्युत पैनलों के साथ 3 टन क्षमता की तीन फर्नेस पाई। निरीक्षण प्रतिवेदन के परिपेक्ष्य में उपभोक्ता विद्यमान संविदागत 4350 के वी ए भार को 3000 के वी ए तक घटाने के बजाय संविदागत भार को 5400 के वी ए तक बढाये जाने का उत्तरदायी था।

अतः, परिषद के अधिकारियों द्वारा उचित सत्यापन किए बिना भार घटाने की कार्यवाही के फलस्वरूप फरवरी 1993 तथा जून 1998 के मध्य 516.40 लाख रुपये की हानि हुई (5400 के वी ए पर एम सी जी तथा वास्तविक बिल राशि के मध्य अन्तर)।

प्रकरण, परिषद एवं शासन को अक्टूबर 1998 में सूचित किया गया; उनके उत्तर प्रतीक्षित थे (अक्टूबर 1998)।

4स.24 उच्च दरों पर अनुबन्ध का अधिनिर्णय

वार्ता द्वारा दरों को औचित्यपूर्ण स्तर तक नीचे लाने की सम्भावनाओं की छानबीन किए बिना अनुबन्ध अधिनिर्णीत करने के फलस्वरूप 2.98 करोड़ रुपये का परिहार्य अतिरिक्त व्यय हुआ।

400 के वी उप केन्द्र अभिकल्प मण्डल, लखनऊ के अभिलेखों की संवीक्षा से प्रकट हुआ कि परिषद ने विनिर्देश संख्या ओ ई सी एफ/यू पी एस ई बी/10 के विरुद्ध उपकेन्द्र के

परिषद द्वारा दरों को औचित्यपूर्ण स्तर तक नीचे लाने हेतु वार्ता किये बिना अनुबन्ध अधिनिर्णीत करने के फलस्वरूप 2.98 करोड़ रुपये का परिहार्य अतिरिक्त व्यय हुआ।

उपस्करों (क्लैंप्स, फिटिंग स्ट्रक्चर्स) डी जी सेट्स इत्यादि एवं आगरा, बरेली तथा उन्नाव के 400 के वी उपकेन्द्रों के सिविल कार्य पैकेज के निर्माण, चालू करने एवं आपूर्ति हेतु सार्वभौम निविदा आमंत्रित की। इस कार्य की वित्त व्यवस्था ओवरसीज़ इकोनामिक कोआपरेशन फण्ड (ओ ई सी एफ) जापान द्वारा की गई।

उक्त निविदा के विरुद्ध मेसर्स क्राम्पटन ग्रीव्स लिमिटेड (सी जी एल), मेसर्स लार्सन ऐण्ड टूब्रो (एल ऐण्ड टी) एवं मेसर्स वेस्टर्न इंडिया इन्टरप्राइजेज़ (डब्ल्यू आई ई) नामक तीन पार्टियों ने अपनी दरें एफ ओ आर डेस्टीनेशन के आधार पर निम्न प्रकार से उदधृत कीं:

(करोड़ रुपये में)

फर्म का नाम	उपकेन्द्र उपस्कर	सिविल कार्य	योग
सी जी एल	27.21	28	55.21
डब्ल्यू आई ई	27.44	38	65.44
एल ऐण्ड टी	32.35	35	67.35

सी जी एल द्वारा उदधृत दर न्यूनतम होने के कारण अनुबन्ध उनके ही पक्ष में कुल मूल्य 55.21 करोड़ रुपये पर अधिनिर्णीत कर दिया गया (फरवरी 1994)। कुछ कार्य मदों की संवीक्षा से प्रकट हुआ कि परिषद ने वार्ता द्वारा दरों को उचित स्तर तक नीचे लाने की संभावनाओं की छानबीन किए बिना ही अनुबन्ध अधिनिर्णीत कर दिया जिसके फलस्वरूप निम्नलिखित तीन मदों पर, जिनकी लेखा परीक्षा में नमूना जाँच की गई, 297.86 लाख रुपये का परिहार्य व्यय हुआ।

(1) 150 किलो लीटर क्षमता की प्रत्येक ऊर्ध्वस्थ आर सी सी टंकियों (संख्या 6) की निर्माण दरें (उन्नाव, बरेली एवं आगरा के 400 के वी उपकेन्द्रों पर दो) 344.54 लाख रुपये जिन्हें सी जी एल के पक्ष में अधिनिर्णीत किया गया, एल ऐण्ड टी द्वारा उदधृत दर 80.60 लाख रुपये के विरुद्ध असामान्य रूप से ऊँची थीं। 3 ऊर्ध्वस्थ टंकियों के इस निर्माण कार्य में (ऊर्ध्वस्थ टंकियों के निर्माण की संख्या 6 से घटाकर 3 कर दी गई) परिषद ने 131.97 लाख रुपये का अतिरिक्त परिहार्य व्यय किया।

(2) आगरा, बरेली एवं उन्नाव के 400 के वी उपकेन्द्रों के लिए विभिन्न क्षमताओं के ट्रान्सफार्मर (संख्या 7) एवं रिएक्टरों (संख्या 13) की ढुलाई के मामले में मेसर्स सी जी एल को अधिनिर्णीत दर प्रति

मद 141240 रुपये से लेकर 743650 रुपये के मध्य रही जो कि मेसर्स डब्ल्यू आई ई द्वारा दी गई दरों 27888 रुपये और 44073 रुपये की तुलना में असामान्य रूप से ऊँची थीं। अतः परिषद ने ट्रान्सफार्मरों एवं रिएक्टरों की ढुलाई में 59.91 लाख रुपये का परिहार्य अतिरिक्त व्यय किया।

(3) 400 के वी उपकेन्द्र, उन्नाव के आवासीय/कार्यालय भवनों, स्टोर शेड/ पम्प हाउस के विद्युतीकरण हेतु डब्ल्यू आई ई की 45.62 लाख रुपये की दरों के विरुद्ध सी जी एल को अधिनिर्णीत दर 151.61 लाख रुपये की थी। नमूना जाँच में यह देखा गया कि डब्ल्यू आई ई द्वारा उदधृत प्रति पंखे एवं घंटी के 1076 रुपये एवं 39 रुपये की दरों के विरुद्ध सी जी एल को अधिनिर्णीत दरें क्रमशः 3080 रुपये एवं 604 रुपये प्रति नग थीं जो कि डब्ल्यू आई ई द्वारा उदघृत न्यूनतम दरों की 286.24 तथा 1548.7 प्रतिशत थीं। इसके फलस्वरूप विद्युतीकरण कार्य पर 105.99 लाख रुपये का पुनः अतिरिक्त परिहार्य व्यय हुआ।

परिषद ने उत्तर में बताया (अप्रैल 1998) कि आसन्न मामले में ऋणदाता अभिकरण ओ ई सी एफ के निर्देशन का ही अनुसरण किया गया जिसमें स्पष्ट किया गया है कि पूर्व निश्चित मूल्य से अधिक या कम की किसी बोली को अयोग्य ठहराए जाने वाली किसी शर्त, की अनुमति नहीं दी जायेगी।

इस तथ्य के परिप्रेक्ष्य में कि ओ ई सी एफ ने दरों में कमी लाने हेतु परिषद को वार्ता करने से कभी मना नहीं किया जैसा कि के ई सी के मामले में निविदा विनिर्देश संख्या ओ ई सी एफ/यू पी एस ई बी/4 के विरुद्ध किया गया था, उत्तर मान्य नहीं है।

प्रकरणों को परिषद के सज्ञान में अप्रैल 1998 में तथा शासन के सज्ञान में अगस्त 1998 में लाया गया; उत्तर प्रतीक्षित थे (अक्टूबर 1998)।

4स.25 मेसर्स नीरू इस्पात को ऊर्जा की आपूर्ति में हानि

सर्विस लाइन एवं 'बे' की लागत वसूल किये बिना विद्युत संयोजन की निर्मुक्ति के फलस्वरूप 27.56 लाख रुपये की हानि हुई। इसके अतिरिक्त, उपभोक्ता के परिसमापन में चले जाने से 1.30 करोड़ रुपये की धनराशि वसूली योग्य नहीं रह गयी। मामले के तथ्यों की चर्चा अगले पृष्ठ पर की गई है :

(क) नियमों का उल्लंघन करते हुए संयुक्त पोषक से आपूर्ति देने में अनुचित लाभ पहुंचाना।

मार्च 1995 के परिषद के आदेश में अन्य के साथ ही यह प्राविधान था कि सर्विस लाइन एवं 'बे' की लागत जमा करने/भुगतान करने के उपरान्त ही इन्डक्शन/आर्क फर्नेस उपभोक्ता को एक स्वतंत्र पोषक से भार अवमुक्त किया जायेगा।

सर्विस लाइन एवं 'बे' की लागत वसूल न करने से परिषद ने 27.56 लाख रुपये की हानि उठाई। इसके अतिरिक्त कम्पनी के परिसमापन में चले जाने के कारण 1.30 करोड़ रुपये वसूली योग्य नहीं रहे।

बुलन्दशहर के एक इन्डक्शन/आर्क फर्नेस उपभोक्ता मेसर्स नीरू इस्पात को एक 33 के वी स्वतंत्र पोषक से 2350 के वी ए का भार स्वीकृत किया गया (अक्टूबर 1992) जो कि जनवरी 1994 में पुनरीक्षित कर के 2000 के वी ए कर दिया गया। उपभोक्ता को 'बे' निर्माण पर होने वाला व्यय (17.13 लाख रुपये) जमा करने को न कहकर केवल सर्विस लाइन की लागत (20.97 लाख रुपये) को जमा करने को कहा गया (फरवरी 1994)।

तथापि, उपभोक्ता ने अनुमानित लागत जमा करने में अपनी असमर्थता दर्शाते हुए परिषद से 33/11 के वी संयुक्त पोषक से विद्युत आपूर्ति अवमुक्त किए जाने का अनुरोध किया। फलस्वरूप, केवल सर्विस लाइन की लागत 10.54 लाख रुपये जमा करने के उपरान्त फाइबर ग्लास उद्योग हेतु बने 33 के वी संयुक्त पोषक संख्या 7 से विद्युत आपूर्ति अवमुक्त (जुलाई 1995) कर दी गई। 19 मई 1996 से उपभोक्ता की आपूर्ति बदलकर पोषक संख्या 6 से कर दी गई और 17.01.1997 से पुनः पोषक संख्या 7 से दी गई (दोनों संयुक्त पोषक)। अधिशाषी अभियन्ता, विद्युत परीक्षण खण्ड, बुलन्दशहर द्वारा प्रस्तुत, मेसर्स नीरू इस्पात के अक्टूबर 1996 की अवधि के ऊर्जा लेखे से देखा गया कि पोषक संख्या 6 की ऊर्जा हानियाँ 37.5 प्रतिशत की सीमा तक थीं। तथापि, इन हानियों के कारणों की जाँच-पड़ताल नहीं की गई।

परिषद ने फरवरी 1996 में 4500 के वी ए का अतिरिक्त भार स्वीकृत किया जिसके विरुद्ध पोषक संख्या 6 से 2000 के वी ए का भार परिषद द्वारा अवमुक्त किया गया। तथापि, अतिरिक्त भार अवमुक्त करते समय भी परिषद ने सर्विस लाइन एवं स्वतंत्र पोषक हेतु 'बे' की लागत जमा करने पर बल न देकर उपभोक्ता को 27.56 लाख रुपये (सर्विस लाइन की लागतः 10.43 लाख रुपये एवं बे प्रभारः 17.13 लाख रुपये) का अनुचित लाभ दिया।

(ब) 129.66 लाख रुपये के वसूली न होने वाले बकाये

उपभोक्ता ने राजस्व देयकों का भुगतान दिसम्बर 1996 तक किया किन्तु जनवरी 1997 के देयक के विरुद्ध 23.92 लाख रुपये का भुगतान करने में विफल रहा। उपभोक्ता ने परिषद से दिनांक 6 फरवरी 1997 को विद्युत आपूर्ति के विच्छेदन का अनुरोध किया। यद्यपि, अनुबन्ध की तिथि से आपूर्ति की अनिवार्य अवधि (13.07.1995 किन्तु तत्पश्चात् 2500 के वी ए का अतिरिक्त भार अवमुक्त होने के कारण संशोधित तिथि 19.05.1996 हो गई) 18 मई 1998 को समाप्त होनी थी, उपभोक्ता की आपूर्ति 20 फरवरी 1997 से विच्छेदित कर दी गई। इसी समय माह फरवरी 1997 का 23.45 लाख रुपये का देयक उपभोक्ता को भेजा गया उसका भी भुगतान नहीं किया गया।

उपभोक्ता द्वारा एक याचिका दायर करने पर (फरवरी 1997) माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद ने अध्यक्ष, उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद को मामले के निस्तारण हेतु निर्देश दिया। अध्यक्ष ने अपने जाँच परिणाम (मार्च 1997) का निष्कर्ष निम्न प्रकार दिया:

उपभोक्ता 2 वर्ष से कम होने वाली आपूर्ति की अवशेष अनिवार्य अवधि या विद्युत विच्छेदन की तिथि से 6 माह की अवधि तक, जो भी कम हो, के न्यूनतम प्रभारों के भुगतान का उत्तरदायी होगा।

तद्नुसार, उपभोक्ता से कुल बकाया देयों 1.66 करोड़ रुपये के विरुद्ध खण्डीय अधिकारियों द्वारा जनवरी से जुलाई 1997 तक के 1.41 करोड़ रुपये के देयक ही जारी किए गए। जिलाधिकारी, बुलन्दशहर द्वारा प्राप्त सूचना के अनुसार उच्च न्यायालय के आदेशानुसार (जुलाई 1997) कम्पनी (मेसर्स नीरू इस्पात) परिसमापन में चली गई और कार्यकारी परिसमापक नियुक्त किया जा चुका था जिनके समक्ष उपभोक्ता के विरुद्ध सभी दावे दायर किए जाने थे।

तद्नुसार, खण्ड द्वारा कम्पनी के कार्यकारी परिसमापक के पास (1996 की रिट याचिका संख्या 48 के अन्तर्गत) 1.30 करोड़ रुपये का दावा (0.37 करोड़ रुपये की उपलब्ध प्रत्याभूति का समायोजन करने के पश्चात्) दायर किया गया (फरवरी 1998)। जिसका समायोजन अभी तक (अक्टूबर 1998) प्रतीक्षित था।

यह मामले, परिषद और सरकार को अक्टूबर 1998 में सूचित किये गये; उनके उत्तर प्रतीक्षित थे (अक्टूबर 1998)।

4स.26 विद्युत के भार में अनियमित कमी तथा चोरी के कारण हानि

कम किये गये भार के साथ संगति बैठाने के लिये विद्यमान उपस्करों की क्षमता में कमी किये बगैर, भार में अनियमित कमी किये जाने तथा विद्युत चोरी का निर्धारण न किये जाने के परिणामस्वरूप 1.29 करोड़ रुपये की हानि हुई।

(क) भार में अनियमित कमी के कारण हानि

कम किये गये भार के साथ संगति बैठाने के लिये विद्यमान उपस्करों की क्षमता में कमी किये बगैर तथा विद्युत चोरी का निर्धारण न किये जाने के परिणामस्वरूप 1.29 करोड़ रुपये की हानि हुई।

विद्युत आपूर्ति (उपभोक्ता) नियमन 1984 के पैरा 10(बी) की शर्तों के अनुसार, उपभोक्ता (बड़े एवं भारी विद्युत उपभोक्ता) के भार में कमी किये जाने के पूर्व, विद्यमान भार को पोषित करने के लिये अधिष्ठापित किये गये परिषद के विद्यमान उपस्करों को (लाइन, ट्रान्सफार्मर तथा स्विच गियर आदि) उपभोक्ता के व्यय पर घटे हुये संविदागत भार के अनुरूप विद्युत देने के लिये, पर्याप्त उपस्करों से प्रतिस्थापित किया जाना होता है। पुनः, परिषद के मार्च 1992 के आदेश के अनुसार भार में कमी की अनुमति, अधिशाषी अभियन्ता द्वारा उपभोक्ता के अधिष्ठापन की गहन जाँच और अधीक्षण अभियन्ता द्वारा विधिवत अनुश्रवण किये जाने के पश्चात् ही दी जानी चाहिये।

विद्युत वितरण खण्ड, रूड़की के अभिलेखों की संवीक्षा ने प्रगट किया कि अपनी इन्डक्शन/आर्क भट्ठियों के लिये 3000 के वी ए के संविदागत भार वाले मेसर्स दुरंग स्टील ने संविदागत भार को 2000 के वी ए (105 एम्पियर) तक घटाये जाने का अनुरोध किया। अधिशाषी अभियन्ता ने 2000 के वी ए के लिये नये बी ऐण्ड एल फार्म प्राप्त करने के पश्चात्, उपभोक्ता के अधिष्ठापन की गहन जाँच किये बिना तथा विद्यमान उपस्करों को (लाइन, ट्रान्सफार्मर तथा स्विच गियर आदि) प्रतिस्थापित किये बिना ही घटे हुये भार हेतु नया समझौता निष्पादित कर लिया (30 नवम्बर 1992)।

घटे हुये भार का सत्यापन करते समय उपखण्डीय अधिकारी द्वारा यह देखा गया कि इन्डक्शन फर्नेस पहले जैसी ही थीं परन्तु भार को, हर फर्नेस के इलेक्ट्रानिक कन्ट्रोल पैनेल में समंजन करते हुये इलेक्ट्रानिक तन्त्र 'पोटेन्शियो मीटर' के समायोजन द्वारा घटाया गया/विनियमित किया गया था। उपरोक्त बताये गये उपाय द्वारा भार का घटाया जाना अनियमित था क्योंकि 'पोटेन्शियो मीटर' को

अधिष्ठापित करके उपभोक्ता ने भार के घटाये जाने को इंगित करने का प्रबन्ध कर लिया यद्यपि भार वही था क्योंकि फर्नेस प्रतिस्थापित नही की गईं थीं। नवम्बर 1992 में भार को 2000 के वी ए तक घटाने के पश्चात्, उपभोक्ता के परिसर में ट्राइवेक्टर मीटर द्वारा अभिलेखित वास्तविक भार दिसम्बर 1992, जनवरी 1993 तथा अक्टूबर 1993 में क्रमशः 2195 के वी ए, 2010 के वी ए तथा 2500 के वी ए था जिसने इस तथ्य को प्रमाणित किया कि उपभोक्ता का भार वास्तव में घटा नहीं था। अधिशाषी अभियन्ता, विद्युत पारेषण खण्ड, रूड़की ने भी प्रमाणित किया (फरवरी 1995) कि उपभोक्ता ने 132 के वी उपकेन्द्र, रामनगर, रूड़की के विद्युत मीटर के अनुसार 105 एम्पियर के संविदागत भार के विरुद्ध दिसम्बर 1993 से अक्टूबर 1994 के दौरान उपकेन्द्र के कर्मचारियों की मिलीभगत से वास्तव में 135 एम्पियर के मध्य श्रेणीबद्ध भार आहरित किया।

अतिरिक्त भार से सम्बन्धित उपरोक्त सूचना के बावजूद उपभोक्ता के परिसर में एवं 132 के वी उपकेन्द्र पर भी अधिष्ठापित मीटरिंग का स्विच गियर घटे हुिये भार के साथ संगत बिठाने हेतु अप्रैल 1995 में ही प्रतिस्थापित किया गया और उपभोक्ता मार्च 1995 तक अनियमित अतिरिक्त भार प्राप्त करता रहा। उपभोक्ता की प्रार्थना पर, आपूर्ति को स्थाई रूप से 30 नवम्बर 1995 में विसंयोजित कर दिया गया।

अतः, घटे हुये भार के साथ संगत बैठाने के लिये विद्यमान उपस्करों को प्रतिस्थापित करने में तथा उपभोक्ता के अधिष्ठापन की गहन जाँच/अनुश्रवण करने में परिषद की असफलता के परिणामस्वरूप उपभोक्ता को अनुचित लाभ पहुँचा तथा दिसम्बर 1992 से मार्च 1995 की अवधि के दौरान परिषद को न्यूनतम उपभोग गारण्टी (एम सी जी) के विरुद्ध 74.18 लाख रुपये की सीमा तक परिणामी हानि हुई।

(ख) चोरी हुई विद्युत के बिल जारी न किया जाना

जैसा ऊपर चर्चा की गई, उपभोक्ता 105 ऐम्पियर के अपने विद्युत भार से अधिक भार आहरित कर रहा था। इस सम्बन्ध में अधीक्षण अभियन्ता, विद्युत पारेषण मण्डल, रूड़की ने 30 अक्टूबर 1994 को पाया कि उपकेन्द्र के कार्यरत कर्मचारी भार का, उपकेन्द्र की लौग शीट में आहरित वास्तविक भार से कम अभिलेखन कर रहे थे। अधीक्षण अभियन्ता द्वारा पुनः देखा गया कि सामान्यतयः, शून्यकाल से 17.00 घण्टे के दौरान, लौग शीट में प्रतिदिन 2-3 बार शून्य पाठ्यांकों का अभिलेखन किया गया था। मेसर्स दुरंग स्टील द्वारा उपरोक्त अवधि के दौरान आहरित किये गये वास्तविक औसत भार पर आंकलित

विद्युत उपभोग, उपभोक्ता के स्वतन्त्र फीडर के विद्युत मीटर द्वारा अभिलेखित पाठ्यांक के दुगुने से भी अधिक पाया गया।

उपरोक्त प्रेक्षणों के आधार पर, मुख्य अभियन्ता, पारेषण (पश्चिम), मेरठ ने जनवरी 1995 में विद्युत चोरी की छानबीन करने और उसे रोकने तथा विद्युत मीटरों, सी टीज़, पी टीज़ आदि को दुरूस्त करने के लिये आवश्यक कदम उठाये जाने हेतु एक समिति का गठन किया।

अधीक्षण अभियन्ता, विद्युत टेस्ट एवं कमीशनिंग मण्डल, मेरठ द्वारा शीर्षित समिति ने, 29 से 31 मार्च 1995 के दौरान, 132 के वी उपकेन्द्र, रामनगर में 5 एम वी ए 66/11 के वी ट्रान्सफार्मर-III 66 के वी और 11 के वी मीटरिंग सिस्टम के विद्युत मीटरों, सी टी और पी टी संयोजनों आदि की जाँच व छानबीन की और निष्कर्ष निकाला कि मीटरिंग सिस्टम के सी टी/पी टी संयोजनों को जानबूझकर छेड़ा गया था और यह कि मेसर्स दुरंग स्टील, रूड़की के 11 के वी स्वतन्त्र फीडर पर अधिष्ठापित विद्युत मीटर 31 मार्च 1995 से पूर्व अपने वास्तविक उपभोग से लगभग आधा अभिलेखन कर रहा था (तथापि, समिति द्वारा विषमताओं की वास्तविक अवधि की चर्चा नहीं की गई)।

अतः, उपकेन्द्र के छोर पर फेज़ क्रम में परिवर्तन तथा उपभोक्ता के छोर पर उपभोग की गई विद्युत में संगति न होने के कारण, अभिलेखित विद्युत उपभोग वास्तविक उपभोग का आधा था जिसकी खोज 132 के वी उपकेन्द्र, रामनगर, रूड़की में नियुक्त कर्मचारियों की मिलीभगत के कारण नहीं की जा सकी। तद्नुसार, 132 के वी उपकेन्द्र के 11 के वी स्वतन्त्र फीडर पर अधिष्ठापित मीटर पर 31 मार्च 1995 से (जाँच की तिथि) पूर्व के कम से कम छः माह में अभिलिखित विद्युत उपभोग के लिये उपभोक्ता को बिल जारी किया जाना चाहिये था जो 18,11,907 के डब्ल्यू एच आगणित किया गया और तद्नुरूप उपभोक्ता को 54.50 लाख रुपये का बिल जारी किया जाना चाहिये था जो नहीं किया गया। परिणामस्वरूप, परिषद को उस सीमा तक हानि उठानी पड़ी। इसके अतिरिक्त, ऐसी रिपोर्टों के बावजूद कि हेराफेरी कर्मचारियों की मिलीभगत से की गई, मामले में उत्तरदायित्व नियत करने हेतु जाँच करने के लिये कोई कार्यवाही नहीं की गई।

इन प्रकरणों को परिषद और सरकार को अक्टूबर 1998 में सूचित किया गया; उनके उत्तर प्रतीक्षित थे (अक्टूबर 1998)।

4स.27 भार को अनियमित रूप से घटाये जाने की स्वीकृति से उपभोक्ता को अनुचित लाभ

विद्यमान उपस्करों (लाइन, ट्रान्सफार्मर एवं स्विच गियर) में संगत कमी के बिना, भार में अनियमित कमी तथा उपभोक्ता के साथ निष्पादित समझौते की शर्तों का पालन न किये जाने के परिणामस्वरूप उपभोक्ता को अनुचित लाभ हुआ और परिषद को 1.10 करोड़ रुपये की सीमा तक परिणामी हानि हुई।

परिषद ने अनियमित रूप से भार घटाकर एक उपभोक्ता को 1.10 करोड़ रुपये की सीमा तक अनुचित लाभ पहुँचाया।

1991 से 6010 के वी ए के संविदागत भार वाले मेसर्स हिन्डन रिवर मिल्स, गाजियाबाद (उपभोक्ता) ने अपने भार को 3000 के वी ए तक घटाये जाने का अनुरोध किया (अगस्त 1993) क्योंकि उसे अपने कुछ उपस्करों का संचालन डीजल जनरेटिंग सेट (डी जी) अधिष्ठापित करके करने की इच्छा थी। अधीक्षण अभियन्ता, विद्युत वितरण मण्डल, गाजियाबाद ने डी जी सेट को परिषद के तन्त्रों के समानान्तर चलाये जाने की अनुमति देते हुये भार को घटाये जाने की स्वीकृति प्रदान कर दी (सितम्बर 1993)। तथापि, अधिशाषी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड द्वितीय, गाजियाबाद ने घटे हुये भार को संगत बैठाने के लिये परिषद के विद्यमान उपस्करों (लाइन, ट्रान्सफार्मर एवं स्विच गियर) में कमी किये बिना, जैसा कि विद्युत आपूर्ति (उपभोक्ता) नियमन, 1984 की धारा 10 (बी) (iii) के अन्तर्गत अपेक्षित था तथा यह देखे बिना कि डी.जी सेट परिषद से अलग के सर्किट पर निर्मित है, उपभोक्ता के साथ एक नवीन समझौता किया (सितम्बर 1993)। समझौते में एक विशेष धारा का निगमन किया गया जिसके अनुसार अपने स्वयं के उत्पादन से संचालित भार को किसी भी दशा में उ प्र रा वि प की आपूर्ति से आहरित नहीं किया जाना चाहिये था एवं वास्तविक मांग को घटे हुये 3000 के वी के संविदागत मांग से अधिक होने की अनुमति नहीं दी जाएगी। यदि, वास्तविक मांग, समझौते अर्थात् 18 सितम्बर 1995 से दो वर्षो के अन्दर घटी हुई मांग से अधिक होती पाई गई तो समझौता प्रभावहीन हो जाएगा तथा 1991 का 6010 के वी ए का समझौता प्रभावी माना जाएगा जैसे कि उसे कभी भी स्थानच्युत किया ही नहीं गया था।

तथापि, अप्रैल 1995 में उपभोक्ता की मांग 3000 के वी ए के संविदागत भार से अधिक हो गई क्योंकि डी.जी. सेट पर संयोजित भार उ प्र रा वि प की आपूर्ति से आहरित किया गया था। इसने विशेष शर्तों के प्राविधानों को आकृष्ट किया जिससे संशोधित समझौता प्रभावहीन हो गया और अप्रैल 1991 का मूल समझौता प्रभावी हो गया। अतः खण्ड ने सितम्बर 1993 से जून 1996 की अवधि हेतु

6010 के वी ए पर 110.14 लाख रुपये के मांग प्रभारों के बिल जारी कर दिये। उपभोक्ता के बिलों के भुगतान में असफल हो जाने के बावजूद मुख्य अभियन्ता (वाणिज्यिक) ने बिना कोई कानूनी सलाह प्राप्त किये इस तर्क पर कि यह परिषद द्वारा अनुमोदित मानक प्रारूप के अनुसार नहीं थी समझौते की विशेष धारा को हटा दिया (जुलाई 1996)। तद्नुसार, 110.14 लाख रुपये की राशि का दावा छोड़ दिया गया जिसके परिणामस्वरूप, परिषद ने इस सीमा तक हानि उठाई।

प्रकरण, परिषद को मई 1998 तथा सरकार को जुलाई 1998 में सूचित किया गया; उनके उत्तर प्रतीक्षित थे (अक्टूबर 1998)।

4स.28 उपभोक्ताओं को अनुचित लाभ

विभिन्न उपभोक्ताओं को समान प्रकृति की सुविधा प्रदान करने में दर सूची को लागू करने में भेदभाव तथा परिषद आदेशों को लागू करने में विलम्ब के परिणामस्वरूप उपभोक्ताओं को 63.18 लाख रुपये की सीमा तक का अनुचित लाभ हुआ और 14.19 लाख रुपये के ब्याज की हानि हुई।

दर सूची को लागू करने में भेदभाव के कारण, परिषद 63.18 लाख रुपये के राजस्व से वंचित हुआ और अपने आदेशों को लागू करने में हुये विलम्ब के कारण 14.19 लाख रुपये के ब्याज की हानि उठाई।

(क) संरक्षित भार की सुविधा की स्वीकृति, अविरल औद्योगिक उपभोक्ताओं को दी जाती है, यदि वे आपातकालीन क्रमबद्धता (रोस्टरिंग) के प्रकरण में विद्युत मांग के चरम समय में अपनी इकाईयों को विद्युत अनापूर्ति से बचाने के लिये ऐसा प्रार्थना-पत्र देते हैं। चूँकि परिषद को चरम समय पर आपूर्ति व्यवस्थित करने के लिये अतिरिक्त विद्युत उच्च दरों पर क्रय करनी पड़ती है, इसलिये यह औद्योगिक उपभोक्ताओं को स्वीकृत किये गये संरक्षित भार पर अतिरिक्त प्रभार प्रभारित करता है।

परिषद ने मेसर्स प्रीमियर-विनाइल फ्लोरिंग लिमिटेड, सिकन्दराबाद को 15.50 रुपये प्रति के वी ए प्रतिमाह के अतिरिक्त प्रभार पर 500 के वी ए के संरक्षित भार की स्वीकृति प्रदान की (जून 1987)। उपभोक्ता के साथ इस आशय का एक अनुपूरक समझौता जुलाई 1987 में विद्युत वितरण खण्ड, बुलन्दशहर द्वारा निष्पादित कराया गया। परिषद ने तीन अन्य उपभोक्ताओं को भी संरक्षित भार

की स्वीकृति प्रदान की परन्तु कोई अतिरिक्त प्रभार प्रभारित नहीं किया गया जैसा कि मेसर्स विनाइल फ्लोरिंग लिमिटेड के प्रकरण में किया गया। बिना अतिरिक्त प्रभार प्रभारित किये समान प्रकृति की सुविधा उपलब्ध कराने, दर सूची को लागू करने में भेदभाव के कारण, परिषद जुलाई 1987 से मार्च 1990 की अवधि के दौरान 63.18 लाख रुपये के राजस्व से वंचित रह गया जैसा कि नीचे वर्णन किया गया:

(लाख रुपये में)

क्रम संख्या	उपभोक्ता का नाम	खण्ड का नाम	संरक्षित भार	संरक्षित भार की स्वीकृति की तिथि	बकाया पड़ी धनराशि
1.	मेसर्स मोदीपौन, मोदी नगर, मेरठ	वि वि ख मोदीनगर	4706 के वी ए	अक्टूबर 1979	24.07
2.	मेसर्स मोदी रबर लिमिटेड, मोदीनगर, मेरठ	वि वि ख–II, मेरठ	4706 के वी ए	मार्च 1987	24.07
3.	मेसर्स स्टार पेपर मिल्स, सहारनपुर	वि श वि ख–II, सहारनपुर	2941.17 के वी ए	जुलाई 1986	15.04
	योग				**63.18**

(ख) परिषद ने संरक्षित भार के मांग प्रभारों का 100 प्रतिशत अतिरिक्त प्रभार प्रभारित करने का निर्णय लिया (अप्रैल 1990)। तथापि, निर्णय समाहित करने वाला आदेश विद्युत वितरण खण्ड, मेरठ/सहारनपुर/मोदीनगर में 03.04.1991 को ही प्राप्त किया गया। एक वर्ष के इस असामान्य विलम्ब के कारण अभिलेख पर नहीं थे। विलम्ब के परिणामस्वरूप, न केवल उपभोक्ताओं के कुल 143.17 लाख रुपये (मेसर्स मोदी रबर लिमिटेड, मोदीनगर से 53.65 लाख रुपये, मेसर्स स्टार पेपर मिल्स, सहारनपुर से 36.32 लाख रुपये तथा मेसर्स मोदीपौन, मोदीनगर से 53.20 लाख रुपये) के बिलों को जारी करने में विलम्ब ही हुआ अपितु 14.19 लाख रुपये की सीमा तक के ब्याज की हानि भी हुई।

यह प्रकरण, परिषद के सज्ञान में मई 1998 में तथा सरकार के सज्ञान में जुलाई 1998 में लाये गये; उनके उत्तर प्रतीक्षित थे (अक्टूबर 1998)।

4स.29 मीटरिंग उपस्करों की नियमित जाँच में विलम्ब के कारण राजस्व की हानि

मीटरों की आवधिक जाँच किये जाने में विफल होने तथा विद्युत चोरी के लिये उपभोक्ता के निर्धारण को छः महीनों तक ही सीमित किये जाने के कारण, 39.44 लाख रुपये की राशि के बिल जारी नहीं किये जा सके जिसके परिणामस्वरूप उपरोक्त सीमा तक राजस्व की हानि हुई और जिसके लिये उत्तरदायित्व नियत नहीं किया गया।

परिषद ने, मीटरों की आवधिक जाँच में असफलता तथा विद्युत चोरी के लिये एक उपभोक्ता के निर्धारण को छः माह तक सीमित किये जाने के कारण, 39.44 लाख रुपये के राजस्व की हानि उठाई।

विद्युत वितरण खण्ड-III, गाज़ियाबाद के अभिलेखों की समीक्षा ने प्रगट किया कि यू पी सिरैमिक्स ऐण्ड पौटरीज़, गाजियाबाद के परिसर में अधिष्ठापित मीटरिंग उपस्करों (संविदागत भार 1300 की वी ए) की जाँच अक्टूबर 1992 में की गई और यह पाया गया कि मीटर के आर फेज़ का टी टी बी जला हुआ था जिसके कारण मीटर केवल दो तिहाई उपभोग ही अभिलेखित कर रहा था। इससे पूर्व, जाँच दिसम्बर 1990 में की गई थी जब मीटर ठीक पाया गया था।

खण्डीय अधिकारी के निष्कर्ष के अनुसार, मीटर का फेज़ मार्च 1991 के माह में जला था क्योंकि मार्च 1991 से उपभोग अत्यन्त कम था। इस दोष को खोजा नहीं जा सका था। मीटरों की दिसम्बर 1991 में नियत आवधिक जाँच और परीक्षण किये जाने में असफलता के कारण दोष अक्टूबर 1992 तक जारी रहा।

अक्टूबर 1992 की जाँच आख्या के आधार पर, खण्डीय अधिकारी ने मार्च 1991 से अक्टूबर 1992 की अवधि के लिये एक तिहाई उपभोग मानते हुये 64.23 लाख रुपये की राशि का निर्धारण जारी कर दिया जिसकी वसूली नहीं हो पाई।

उपरोक्त निर्धारण से असंतुष्ट होकर उपभोक्ता ने परिषद के अध्यक्ष से शिकायत की जिन्होने विवाद को समाप्त करने के लिये दिसम्बर 1991 से पूर्ववर्ती छः महीनों के औसत उपभोग के आधार पर निर्धारण को संशोधित करने का आदेश दिया (जनवरी 1996)। परन्तु इस आदेश को प्रभावी नहीं किया गया क्योंकि इससे उपभोक्ता, अधीक्षण अभियन्ता, गाजियाबाद के पत्र दिनांक 08.02.1996 के अनुसार, 158639 इकाईयों के 3.39 लाख रुपये के मूल्य की वापसी का हकदार हो जाता। प्रकरण अन्त में मुख्य

अभियन्ता (वाणिज्यिक) द्वारा निर्णीत किया गया (नवम्बर 1996) और तद्नुसार उपभोक्ता का अप्रैल 1992 से अक्टूबर 1992 की अवधि के लिये 24.79 लाख रुपये का निर्धारण किया गया (मार्च 1997) जिसका भुगतान उपभोक्ता द्वारा सितम्बर 1993 से जून 1997 के दौरान किया गया।

अतः, मीटरों की आवधिक जाँच किये जाने में विफल होने तथा लगभग डेढ़ वर्ष तक विद्युत चोरी के बावजूद निर्धारण को केवल छः माह तक सीमित किये जाने के कारण, परिषद ने 39.44 लाख रुपये की सीमा तक के राजस्व की हानि उठाई।

प्रकरण, परिषद को मई 1998 तथा सरकार को जुलाई 1998 में सूचित किया गया; उनके उत्तर प्रतीक्षित थे (अक्टूबर 1998)।

4स.30 राजस्व का कम निर्धारण

परिषद ने अन्तिम पाठ्यांकन की तिथि से जाँच की तिथि तक, जब यह देखा गया कि मीटर वास्तविक उपभोग का केवल दो तिहाई ही अभिलेखित कर रहा था, 13.61 लाख यूनिट विद्युत के मूल्य के रूप में 35.38 लाख रुपये का एक बड़े एवं भारी उपभोक्ता का निर्धारण नहीं किया।

13.61 लाख यूनिट का कम निर्धारण 35.38 लाख रुपये के बकाये में परिणामित हुआ।

01.10.1997 को मेसर्स भूषण स्टील एण्ड स्ट्रिप्स लिमिटेड, गाज़ियाबाद को 4000 के वी ए का अतिरिक्त भार निर्मुक्त करते समय मीटर की जाँच में 'आर' फेज़ मीटर के सी टी को (सीलिंग प्रमाण-पत्र लेखापरीक्षा को उपलब्ध नहीं कराया गया) ढीला तथा दो तिहाई उपभोग अभिलेखित करता हुआ पाया गया। 30.08.1997 (अन्तिम पाठ्यांकन की तिथि) से 01.10.1997 (मीटर की जाँच पर दोष की खोज की तिथि) की अवधि के दौरान, मीटर द्वारा अभिलेखित कुल विद्युत उपभोग 4964500 यूनिट था। एक तिहाई कम निर्धारित किये गये उपभोग (2482225 के डब्ल्यू एच), के विरुद्ध खण्ड ने 15.09.1997 से 01.10.1997 तक की आंशिक अवधि के लिये केवल 1121500 यूनिटों के निर्धारण के बिल ही जारी किये जिसके परिणामस्वरूप 35.38 लाख रुपये पर मूल्यांकित (2.60 रुपये प्रति यूनिट की दर पर) 1360750 यूनिटों का कम निर्धारण हुआ। अन्तिम पाठ्यांकन की तिथि से जाँच की तिथि तक के निर्धारण को जारी न किये जाने के कारण न तो अभिलेख पर थे और न ही लेखा परीक्षा को सूचित किये गये।

प्रकरण, परिषद के सज्ञान में मई 1998 में तथा सरकार के जुलाई 1998 में लाया गया; उत्तर प्रतीक्षित थे (अक्टूबर 1998)।

4स.31 राजस्व का अवप्रभारण

संविदागत भार से अधिक विद्युत भार का प्रयोग तथा अतिरिक्त भार की विलम्बित स्वीकृति तथा निर्मुक्ति 29.67 लाख रुपये के अवप्रभारण में परिणामित हुई जैसी नीचे चर्चा की गई:

संविदागत भार से अधिक विद्युत भार का प्रयोग तथा अतिरिक्त भार की विलम्बित स्वीकृति तथा निर्मुक्ति 29.67 लाख रुपये के अवप्रभारण में परिणामित हुई।

परिषद की आपूर्ति शर्तों के प्रस्तर 22(ए)(iii) सपठित परिशिष्ट-I के अनुसार यदि 75 के डब्ल्यू (100 बी एच पी) तक के संयोजन वाला उपभोक्ता, किसी समय परिषद की विशेष अनुमति के बिना संविदागत भार से अधिक भार प्रयोग करता पाया जाएगा, वह पूर्ववर्ती छः महीनों के अतिरिक्त भार के निर्धारण प्रभारों का, न्यूनतम उपभोग गारण्टी (एम सी जी) प्रति बी एच पी प्रति माह की लागू दर के तीन गुने का भुगतान करने का उत्तरदायी होगा। इसके अतिरिक्त, उपभोक्ता मीटर द्वारा अभिलेखित उपभोग को छोड़ कर, बेइमानी से ली गई विद्युत के लिये लागू दर सूची की तीन गुनी दर पर (प्रति यूनिट) प्रभारित किये जाने का भी उत्तरदायी होता है। पुनः, यदि किसी समय एक दर सूची के अन्तर्गत आपूर्त की गई विद्युत का प्रयोग ऐसे अभिप्राय के लिये किया जाता है जिसके लिये एक उच्च दर सूची लागू होती है, तब पूर्ववर्ती छः महीनों के दौरान, पता लगने की तिथि से, उपभोग के रूप में अभिलेखित समग्र विद्युत, प्रस्तर 22(ए)(i) की शर्तों के अनुसार उस विद्युत के लिये लागू दर सूची पर प्रभारण योग्य होगी।

विद्युत वितरण खण्ड, हापुड़ के अभिलेखों की संवीक्षा ने प्रगट किया कि अक्टूबर 1988 से दरसूची एल एम वी-6 के अन्तर्गत 100 बी एच पी के एक संविदागत भार वाले गुलशन डेयरी फार्म, सिम्भौली (गाज़ियाबाद) ने 100 बी एच पी के अतिरिक्त भार के लिये प्रार्थना की। 100 बी एच पी के अतिरिक्त भार की स्वीकृति मई 1994 में दी गई जिसके लिये जनवरी 1997 में उपभोक्ता के साथ, दर अनुसूची एच वी 2 के अन्तर्गत बिल जारी किये जाने वाली बड़े एवं भारी उद्योग की श्रेणी में उपभोक्ता को लाते हुये 200 बी एच पी के कुल संविदागत भार के लिये एक समझौता निष्पादित किया गया।

तथापि, सितम्बर 1990 में उसके परिसर में अधिष्ठापित अधिकतम माँग सूचक (एम डी आई) पर अभिलेखित, अधिकतम वास्तविक माँग मार्च 1991 से दिसम्बर 1996 के दौरान 80 के डब्ल्यू (107 बी एच पी) से 137 के डब्ल्यू (183 बी एच पी) तक रही। इसने इंगित किया कि उपभोक्ता ने स्वीकृति से काफी पहले ही 100 बी एच पी का अतिरिक्त भार लेना आरम्भ कर दिया था। एम सी जी के तिगुने दर पर आगणित, अप्रैल 1990 से जनवरी 1997 की अवधि के लिये उपभोक्ता द्वारा भुगतान किये जाने योग्य धनराशि 21.68 लाख रुपये निकाली गई। पुनः, चूँकि उपभोक्ता ने 200 बी एच पी के वास्तविक भार पर विद्युत का उपयोग किया जिसके लिये दर अनुसूची एच वी-2 लागू होती थी, वह उसी अवधि के दौरान 10.34 लाख रुपये के अतिरिक्त विद्युत प्रभारों का भुगतान करने का उत्तरदायी हो गया। इसके विरुद्ध, उपभोक्ता को 2.35 लाख रुपये के बिल जारी किये गये जिसकी वसूली अभी भी की जानी थी। अतः, 29.67 लाख रुपये की राशि उपभोक्ता से अवप्रभारित की गई। अभिलेख पर स्वीकृति के असामान्य विलम्ब और बढ़ाये गये भार की अवमुक्ति अथवा कम राशि के विलम्ब से बिल जारी करने के कोई कारण नहीं थे।

यह भी देखा गया कि तत्कालीन अधिशाषी अभियन्ता ने खण्ड का प्रभार हस्तांतरित करने की तिथि 27 नवम्बर 1995 को उपभोक्ता को सम्बोधित करते हुये एक नोटिस तैयार की जिसमें दर सूची के दरों से तिगुने पर 26.74 लाख रुपये पर मूल्यांकित, विद्युत की 350111 यूनिटों की चोरी के लिये निर्धारण इस आधार पर सम्मिलित किया गया था (127926 यूनिटों को छोड़ कर जिनके बिल पहले ही जारी कर दिये गये थे) कि उपभोक्ता के परिसर के अन्दर परिषद के ट्रान्सफार्मर का निम्न विभव पक्ष, 17 अक्टूबर 1995 को उसकी जाँच के दौरान सील नहीं पाया गया। तथापि, उनके द्वारा नोटिस को जारी नहीं किया गया जिसके कारण अभिलेख पर नहीं थे। अनुवर्ती अधिशाषी अभियन्ता ने भी इस नोटिस पर इस आधार पर कोई कार्यवाही नहीं की कि निर्धारण, जाँच रिपोर्ट दिनांक 17 अक्टूबर 1995 के आधार पर सही नहीं पाई गई।

प्रकरण, परिषद को अगस्त 1998 में तथा सरकार को सितम्बर 1998 में सूचित किया गया; उनके उत्तर प्रतीक्षित थे (अक्टूबर 1998)।

4स.32 एक उपभोक्ता को संयोजन निर्मुक्त करने में अनुचित पक्षपात

'बे' का निर्माण करके स्वतन्त्र फीडर से संयोजन को निर्मुक्त करने के स्थान पर 33 के वी लाइन से सीधे निर्मुक्त करने के परिणामस्वरूप 26.20 लाख रुपये की वसूली नहीं हुई।

'बे' का निर्माण करके स्वतन्त्र फीडर से संयोजन को निर्मुक्त करने के स्थान पर 33 के वी लाइन से टेपिंग करके निर्मुक्त करने के परिणामस्वरूप 26.20 लाख रुपये की वसूली नहीं हुई।

परिषद ने मेसर्स सनशाइन पल्प ऐण्ड पेपर्स लिमिटेड पिलखुआ को, ट्रान्सफार्मर की 13 एम वी ए से 15 एम वी ए तक क्षमता वृद्धि करके, 33/11 के वी उपकेन्द्र, पिलखुआ के माध्यम से 132 के वी उपकेन्द्र, दसना के साथ संयोजित होने वाले 11 के वी ए के स्वतन्त्र फीडर पर 1176 के वी ए भार की स्वीकृति दी। तथापि, अधीक्षण अभियन्ता, ई डी सी ने 11 के वी वोल्टेज के बजाय 33 के वी पर भार लिये जाने के लिये उपभोक्ता को इस आधार पर समझाया कि 33/11 के वी उपकेन्द्र के माध्यम से भार निर्मुक्ति में विलम्ब हो सकता था।

तद्नुसार, अधीक्षण अभियन्ता द्वारा 4276852 रुपये का एक आंकलन (4112673 रुपये और 164179 रुपये क्रमशः उपभोक्ता और परिषद से प्रभारणीय) स्वीकृत किया गया। यद्यपि आंकलन में 17.50 लाख रुपये और 1.70 लाख रुपये क्रमशः 33 के वी बे एवं एक अदद ओ सी बी के मूल्य के रूप में सम्मिलित थे, इसमें सिस्टम लोडिंग (7.67 लाख रुपये) तथा प्रतिभूति प्रभार (4.00 लाख रुपये) के 11.67 लाख रुपये सम्मिलित नहीं थे। तत्पश्चात्, आर एम आई (रोड मास्टर इण्डस्ट्रीज़) की 33 के वी लाइन से सीधा संयोजन निर्मुक्त करने के दृष्टिकोण से, 10.05.1996 को 1656533 रुपये के संशोधित आंकलन (उपभोक्ता एवं परिषद से प्रभारणीय क्रमशः 1492354 रुपये तथा 164179 रुपये) की स्वीकृति दी गई। उपभोक्ता ने 04.06.1996 को आंकलन और सिस्टम लोडिंग प्रभार के 14.92 लाख रुपये और 11.67 लाख रुपये को जमा कर दिया और स्वतन्त्र 'बे' के स्थान पर संयोजन आर एम आई 33 के वी लाइन से टेप करके 4.02.97 को निर्मुक्त कर दिया गया। अतः, संयोजन के टेप करके निर्मुक्त किये जाने के कारण उपभोक्ता को मूल एवं संशोधित आंकलन के अन्तर के रूप में 26.20 लाख रुपये की सीमा तक का अनुचित लाभ दिया गया।

प्रकरण, परिषद एवं सरकार को अक्टूबर 1998 में सूचित किया गया; उनके उत्तर प्रतीक्षित थे (अक्टूबर 1998)।

4स.33 'बे' प्रभारों की वसूली न होना

एक उपभोक्ता के चार संयोजनों का 33 के वी के स्थान पर 11 के वी पर एकीकरण करने के पश्चात् भार की अनियमित अवमुक्त किये जाने के परिणामस्वरूप 19.36 लाख रुपये की वसूली नहीं हुई।

बड़े एवं भारी उद्योग उपभोक्ताओं को लागू दर अनुसूची एच वी-2 के पैरा 2 के अन्तर्गत टिप्पणी के अनुसार, 3000 के वी ए से अधिक एवं 10000 के वी ए तक के उपभोक्ता की आपूर्ति 33 के वी के आपूर्ति वोल्टेज पर दी जानी चाहिये।

विद्युत वितरण खण्ड, गाजियाबाद के अभिलेखों की संवीक्षा ने प्रगट किया कि जिन्दल पालीएस्टर लिमिटेड, एवं जिन्दल पाइप लिमिटेड, जिन्दल नगर, गाज़ियाबाद के नामों से चलने वाले 2890 के वी ए भारों के तीन संयोजनों का एकीकरण, 7 मार्च 1995 को स्वतन्त्र फीडर पर 11 के वी वोल्टेज़ की आपूर्ति पर जिन्दल पाइप लिमिटेड के 1639 के वी ए के विद्यमान भार में कर दिया गया। तद्नुसार, मीटरिंग व्यवस्था की गई और उसी दिन 11 के वी की वोल्टेज़ आपूर्ति पर भार अवमुक्त कर दिया गया। यह उपरोक्त संदर्भित परिषद के आदेश के उल्लंघन में था क्योंकि 4529 के वी ए भार के उपभोक्ता की आपूर्ति केवल 33 के वी की वोल्टेज़ आपूर्ति से निर्मुक्त किया जाना चाहिये था। अतः, निम्न वोल्टेज पर विद्युत संयोजन का अनियमित निर्मुक्त किया जाना, 33 के वी 'बे' के मूल्य (17.80 लाख रुपये) तथा 33 के वी और 11 के वी लाइनों के मूल्य के अन्तर (1.56 लाख रुपये) के रूप में उपभोक्ता को 19.36 लाख रुपये की सीमा तक के अनुचित लाभ के समान था।

खण्डीय अधिकारी द्वारा उत्तर में यह कहा गया (अप्रैल 1998) कि विद्यमान संयोजन 11 के वी वोल्टेज आपूर्ति पर थे और 33 के वी उपस्कर का निर्माण लम्बा समय ले लेता और इसलिये उच्च प्राधिकारियों ने 11 के वी आपूर्ति वोल्टेज पर एकीकरण की स्वीकृति दे दी। उत्तर विश्वसनीय नहीं है क्योंकि यह परिषद के आदेशों के उल्लंघन में थी और उपभोक्ता के प्रति प्रदर्शित अनुचित पक्षपात के रुप में थी एवं जिससे परिषद को 19.36 लाख रुपये की परिणामी हानि हुई।

प्रकरण, परिषद को अगस्त 1998 में तथा सरकार को सितम्बर 1998 में सूचित किया गया; उनके उत्तर प्रतीक्षित थे (अक्टूबर 1998)।

4स.34 निर्धारण में अनियमित संशोधन के कारण राजस्व की हानि

विद्युत की चोरी के लिये किये गये निर्धारण का अनियमित संशोधन, परिषद को 16.64 लाख रुपये की सीमा तक की हानि में परिणामित हुआ।

परिषद के अभियन्ताओं के एक दल द्वारा 3 जनवरी 1996 को 154 के वी ए के संविदागत भार वाले मेसर्स गोपाल पेपर ऐण्ड बोर्ड मिल, गाजियाबाद के मीटरिंग उपस्करों की आकस्मिक जाँच के

दौरान, यह पाया गया कि मीटर की बॉडी सील टूटी हुई थी और उपभोक्ता विद्युत की चोरी में संलग्न पाया गया था। उपभोक्ता की आपूर्ति विसंयोजित कर दी गई तथा एक प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराई गई एवं मीटर को उसी दिन पुलिस स्टेशन में जमा कर दिया गया था।

पुनः, दल द्वारा अगस्त 1994 से दिसम्बर 1995 तक के विद्युत उपभोग की तुलना करने पर पाया गया कि 2 अगस्त 1995 से दिसम्बर 1995 की अवधि के दौरान उपभोग अत्यन्त निम्न स्तर पर था और इसलिये चोरी के प्रकरणों में लागू एल एफ एच डी* सूत्र के आधार पर 2 अगस्त 1995 से 3 जनवरी 1996 की अवधि का निर्धारण किये जाने की संस्तुति दी गई। तद्नुसार, फरवरी 1996 में उपभोक्ता का 21 लाख रुपये का एक निर्धारण किया गया।

इसी बीच, अधीक्षण अभियन्ता विद्युत शहरी वितरण मण्डल, गाज़ियाबाद के संदर्भ करने पर (8 मार्च 1996) मुख्य अभियन्ता (वाणिज्यिक) ने अपने पत्र दिनांक 27 मार्च 1996 द्वारा निर्देश दिया कि उपभोक्ता की आपूर्ति के निर्धारण देयक के विरुद्ध 2 लाख रुपये जमा करवाने के पश्चात् पुनर्संयोजित कर दिया जाय और निर्धारण के प्रकरण को अपीलेट प्राधिकारी यथा पश्चिमी क्षेत्र, मेरठ के मुख्य अभियन्ता को संदर्भित कर दिया जाय। इसके कारण अभिलेख पर नहीं थे।

क्षेत्रीय प्रमुख समिति की संस्तुति (जनवरी 1997) के अनुसार, उपभोक्ता 29 नवम्बर 1995 से 3 जनवरी 1996 के मध्य विद्युत की चोरी के लिये मीटर के साथ छेड़छाड़ में संलग्न था। अतः, समिति ने केवल 29 नवम्बर 1995 से 3 जनवरी 1996 की अवधि के निर्धारण हेतु संस्तुति दी। तथापि समिति ने निम्न स्तर पर विद्युत उपभोग से सम्बन्धित उपभोक्ता के पूर्व के रिकार्ड पर विचार नहीं किया और कार्यविधि का पता लगाने के लिये, जिसके माध्यम से उपभोक्ता ने विद्युत की चोरी की, पुलिस स्टेशन में जमा मीटर का निरीक्षण भी नहीं किया। समिति की संस्तुति के आधार पर, उपभोक्ता के निर्धारण को मई 1997 में 4.36 लाख रुपये में संशोधित कर दिया गया जिसके विरुद्ध उपभोक्ता द्वारा अप्रैल 1996 में पहले ही जमा किये गये 2 लाख रुपये का समायोजन किया गया तथा 2.36 लाख रुपये की शेष धनराशि को अक्टूबर 1997 में वसूल कर लिया गया।

अतैव, उपरोक्त वास्तविक तथ्यों का सत्यापन किये बिना बिलों का अनियमित संशोधन, परिषद को 16.64 लाख रुपये की हानि में परिणामित हुआ।

---

* एल एफ एच डी, के डब्ल्यू में भार, आपूर्ति की श्रेणी इंगित करता हुआ कारक, घण्टे और दिन को निरुपित करता है।

प्रकरण, परिषद को 1998 में तथा सरकार को अगस्त 1998 में सूचित किया गया; उनके उत्तर प्रतीक्षित थे (अक्टूबर 1998)।

4स.35 आंकलन का संशोधन न किये जाने के कारण अवप्रभार

चालू मूल्य दरसूची पर आंकलन का संशोधन न किये जाने से एक बड़े एवं भारी विद्युत उपभोक्ता से 15.93 लाख रुपये का कम प्रभारण हुआ।

अधीक्षण अभियन्ता, विद्युत पारेषण मण्डल, गाज़ियाबाद द्वारा मेसर्स भूषन स्टील ऐण्ड स्ट्रिप्स लिमिटेड, साहिबाबाद को संयोजन उपलब्ध कराने हेतु, जिन्हें मई 1995 में परिषद द्वारा 220 के वी वोल्टेज पर निर्मुक्त किये जाने वाले 14000 के वी ए के एक अतिरिक्त भार की स्वीकृति दी गई थी (विद्यमान भार 9084 के वी ए) 220 के वी उपकेन्द्र, साहिबाबाद में 220 के वी फीडर तथा 220 के वी उपकेन्द्र, साहिबाबाद से 220 के वी एकल सर्किट लाइन के निर्माण के लिये 246.15 लाख रुपये (सिस्टम लोडिंग प्रभारों के 65.00 लाख रुपये सहित) की राशि के आंकलन की स्वीकृति दी गई (दिसम्बर 1995)। 8.12.1995 को स्वीकृत उपरोक्त आंकलन, कार्य के निष्पादन के वास्तविक मूल्य पर आधारित, दर अनुसूची में किये गये प्राविधान के अनुसार 01.01.1996 को संशोधित किया जाना था। उपभोक्ता ने मई 1996 तक विद्युत पारेषण खण्ड, गाज़ियाबाद के पास किश्तों में लाइन और 'बे' के मूल्य के रूप में 181.15 लाख रुपये की एक राशि जमा कर दी और वर्ष 1996 में प्रचलित दरों के अधार पर आंकलन को संशोधित किये बिना, 01.10.1997 को उसे भार अवमुक्त कर दिया गया। जनवरी 1994 में अधीक्षण अभियन्ता, विद्युत उपकेन्द्र डिज़ाइन मण्डल, लखनऊ द्वारा वितरित दर अनुसूची में किये गये प्राविधान के अनुसार, उपस्करों का मूल्य प्रति वर्ष 10 प्रतिशत बढ़ा देना चाहिये था। अतः, वर्ष 1996 में आंकलन को संशोधित न किये जाने के कारण, उपभोक्ता को 15.93 लाख रुपये की सीमा तक अवप्रभारित किया गया।

खण्डीय अधिकारी ने बताया (अप्रैल 1998) कि निष्पादित आंकलन/कार्य समाप्ति रिपोर्ट, अधिशाषी अभियन्ता, विद्युत पारेषण खण्ड से प्रतीक्षित थी जिन्हें उसे तुरन्त भेजने के लिये कहा गया था। उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि दो वर्ष की अवधि पहले ही बीत चुकी थी तथा निष्पादित आंकलन के तैयार करने में विलम्ब के कारण न केवल निर्माण व्यय के रूप में 15.93 लाख रुपये के अवप्रभारण की वसूली नहीं की गई अपितु 2.87 लाख रुपये प्रति वर्ष की सीमा तक के (18 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर पर) ब्याज की हानि भी हुई।

यह प्रकरण, परिषद को सितम्बर 1998 में तथा सरकार को सितम्बर 1998 में सूचित किये गये; उत्तर प्रतीक्षित थे (अक्टूबर 1998)।

4स.36 त्रुटिपूर्ण निर्धारण के कारण हानि

विद्युत की चोरी एवं निर्धारण की माफी के कारण 2.99 लाख रुपये की हानि हुई।

सभी श्रेणी के उपभोक्ताओं के मामलें में परिषद द्वारा जुलाई 1994 से लागू 'कन्डीशन आफ सप्लाई' के संलग्नक को साथ पढ़ते हुए प्रस्तर 22(अ)(iii) के अनुसार, यदि किसी समय उपभोक्ता 75 के डब्ल्यू (100 बी एच पी) तक के संयोजन के मामले में अनुबन्धित भार में परिषद की विशिष्ट अनुमति के बिना बढ़ोत्तरी करता पाया जाये तो बेईमानी से ली गई विद्युत ऊर्जा के लिए उपभोक्ता को लागू टैरिफ की तीन गुना दर से प्रभार के अतिरिक्त, वह प्रतिमाह प्रति बी एच पी न्यूनतम उपभोग गारन्टी की लागू दर का तीन गुने पर पिछले छः माह के लिए अधिक भार के निर्धारण प्रभार का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होगा।

विद्युत वितरण खण्ड, हापुड़ के अभिलेखों की जाँच ने दर्शाया (मार्च 1998) कि अधिशासी अभियन्ता द्वारा 4 अक्टूबर 1995 की जाँच में प्योर मिल्क प्रोडक्ट्स कार्पोरेशन सारावानी, गाजियाबाद (जुलाई 1997 से दरसूची एल एम वी-6 के अन्तर्गत 80 बी एच पी का अनुबन्धित भार लिये हुए) का वास्तविक भार 95 बी एच पी पाया गया और मीटर की सीलें टूटी पाई गईं। इस प्रकार उपभोक्ता विद्युत चोरी में संलिप्त पाया गया।

तद्नुसार ऊपर वर्णित प्रस्तर 22(अ)(iii) के सन्दर्भ में उपरोक्त उपभोक्ता 2.99 लाख रुपये के निर्धारण (ऊर्जा प्रभार 2.18 लाख रुपये, विद्युत मूल्य 0.05 लाख रुपये, ईधन अधिभार 0.28 लाख रुपये, स्थापना प्रभार 0.03 लाख रुपये, फिक्स्ड प्रभार 0.10 लाख रुपये एवं बढ़े भार के लिए 0.35 लाख रुपये) के लिए उत्तरदायी था। तथापि, खण्ड ने असावधानीपूर्वक निर्धारण किया (अक्टूबर 1995) और पहले से ही बिल किए गए उपभोग को बिना घटाए 89296 के डब्ल्यू एच के निर्धारित उपभोग के आधार पर उपभोक्ता के विरुद्ध 5.40 लाख रुपये का बिल भेजा। तथापि, यह धनराशि मुख्य अभियन्ता की अध्यक्षता वाली जोनल अपील कमेटी ने 4 नवम्बर 1996 को इस आधार पर माफ कर दिया कि उपभोक्ता के परिसर की 20 नवम्बर 1995 और 14 दिसम्बर 1995 की पश्चात्वर्ती जाँच में विद्युत चोरी की पुष्टि नहीं हुयी। इस तथ्य के दृष्टिगत समिति द्वारा धनराशि की माफी न्यायोचित नहीं थी क्योंकि

2 नवम्बर 1995 और 14 दिसम्बर 1995 की जाँच रिपोर्टों में उपकरणवार भार को नहीं दिया गया था जबकि 4 अक्टूबर 1995 की रिपोर्ट में उपकरणवार भार दिया गया था। पुनः, उपभोक्ता के पास 4 अक्टूबर 1995 को पाए गये बढ़े भार को हटाने तथा 2 नवम्बर एवं 14 दिसम्बर 1995 की प्राथमिक एवं पश्चात्वर्ती जाँच के बीच की कालावधि में चीजें सही कर देने का पर्याप्त समय था। इसके अतिरिक्त, उपभोक्ता के परिसर में स्थापित मीटर का परीक्षण 24 माह के अन्तराल में परिषद की कामर्शियल ऐण्ड रेवन्यू मैनुअल के प्रस्तर 5.1 की शर्तों के अधीन नही किया गया और इसलिए बढ़े भार और 6 माह से अधिक विद्युत चोरी के कारण होने वाली और हानि से इन्कार नहीं किया जा सकता।

इस प्रकार, अनियमित माफी के कारण उपभोक्ता को 2.99 लाख रुपये का अनुचित लाभ दिया गया।

प्रकरण, परिषद को अगस्त 1998 में तथा शासन को सितम्बर 1998 में सूचित किया गया; उनके उत्तर प्रतीक्षित थे (अक्टूबर 1998)।

4स.37 विद्युत की सन्देहास्पद चोरी

विद्युत उपभोग का उत्पादन आंकड़ों से सम्बद्ध करने तथा उत्पादित वस्तु के प्रति इकाई उपभोग में परिवर्तन के कारणों की जाँच में असफलता के कारण विद्युत की सन्देहास्पद चोरी हुई (मूल्य अनिश्चित)।

विद्युत परीक्षण खण्ड, मेरठ द्वारा नियमित जाँच के दौरान मेसर्स मोदी रबर लिमिटेड मोदीपुरम, मेरठ के परिसर में 16.10.86 को एक चेक मीटर लगाया गया जो सामान्य बिलिंग मीटर के साथ-साथ 13.1.87 तक स्थापित रहा। सहायक अभियन्ता (मीटर), विद्युत परीक्षण खण्ड, मेरठ द्वारा 13.1.87 को चेक मीटर को अंतिम रुप देते हुए निकाले गये परिणामों ने दर्शाया कि पुराना मीटर के डब्ल्यू एच उपभोग के संदर्भ में 3.95 प्रतिशत और के वी ए में मांग के संदर्भ में 9 प्रतिशत धीमा था।

चेक मीटर की शुद्धता के सम्बन्ध में उपभोक्ता द्वारा जाँच के समय (13.01.1987) इस आधार पर विवाद उठाया गया कि चेक मीटर पर्याप्त परीक्षण एवं कैलीब्रेशन के बाद नहीं स्थापित किया गया। इसलिए उपभोक्ता ने अपने प्रतिनिधियों के समक्ष उचित परीक्षण एवं कैलीब्रेशन के बाद नया चेक मीटर स्थापित करने की प्रार्थना की।

पिछले चेक मीटर से सम्बन्धित विवादों के कारण अधीक्षण अभियन्ता, विद्युत वितरण मंडल, मेरठ ने अधिशासी अभियन्ता, विद्युत परीक्षण खण्ड, मेरठ को पर्याप्त परीक्षण एवं कैलीब्रेशन किया हुआ दूसरा चेक मीटर स्थापित करने हेतु निर्देशित किया (अगस्त 1987)।

तद्नुसार, अधिशासी अभियन्ता परीक्षण खण्ड, मेरठ ने 07.09.1987 को दूसरा चेक मीटर स्थापित किया जो विद्यमान मीटर के साथ श्रेणीक्रम में 21.09.1987 तक स्थापित रहा। चेक मीटर के परिणामों को 21.09.1987 को अंतिम रुप दिया गया जिसने इंगित किया कि विद्यमान मीटर के डब्ल्यू एच के सम्बन्ध में 1.186 प्रतिशत और के वी ए मांग भाग के सम्बन्ध में 2.26 प्रतिशत धीमा था। चूँकि त्रूटि 3 प्रतिशत की अनुमन्य सीमा के अन्दर थी, खण्ड द्वारा उपभोक्ता के विरुद्ध कोई निर्धारण नहीं किया गया। तथापि, परीक्षण परिणामों को अंतिम रुप देते समय खण्ड अधिकारी ने विद्युत उपभोग को उपभोक्ता के उत्पादन आंकड़ों से सम्बद्ध नहीं किया।

तथापि, 1986-87 से 1997-98 की अवधि में टायर, ट्यूब और फ्लैपों के उत्पादन आंकड़ों को ऊर्जा के उपभोग के समक्ष रखकर की गई जाँच ने प्रदर्शित किया कि टायर, ट्यूब और फ्लैपों की एक इकाई के उत्पादन में बिजली का औसत उपभोग 20.48 के डब्ल्यू एच (1986-89) से 26.49 के डब्ल्यू एच (1993-94) तक हुआ जो 1996-97 में 31.63 के डब्ल्यू एच और 1997-98 में 31.55 के डब्ल्यू एच प्रति इकाई तक पहुंचा।

यह देखा गया कि 1986-87 से 1995-96 की अवधि में उत्पादित टायर, ट्यूब तथा फ्लैपों की प्रत्येक इकाई के सम्बन्ध में बिजली का औसत उपभोग 1996-97 और 1997-98 के बिजली के औसत उपभोग की तुलना में कम रहा था जो 1986-87 से 1995-96 में प्रति इकाई उपभोग में बृहत परिवर्तन के कारणों को सुनिश्चित करने के लिए विस्तृत जाँच की मांग करता था। तथापि, परिषद ने कभी विद्युत उपभोग को उपभोक्ता के उत्पादन के साथ तुलना करने का कोई प्रयास नहीं किया। परिषद को इसके कारण हुई वास्तविक हानि की, विस्तृत विवरण के अभाव में, लेखा परीक्षा में गणना नहीं की जा सकी।

प्रकरण को परिषद और शासन को नवम्बर 1998 में सूचित किया गया; उनके उत्तर अपेक्षित थे (नवम्बर 1998)।

4स.38 दण्डात्मक किराए की वसूली न होना

परिषद ने अधिशासी अभियन्ता द्वारा क्वार्टर के अनाधिकृत अधिकार में रखने पर दण्डात्मक किराए की वसूली नहीं की (वास्तविक धनराशि अनिश्चित थी)।

परिषद ने गाजियाबाद विकास प्राधिकरण, गाजियाबाद से कुछ क्वार्टर लिए थे जिसमें से गाँधी नगर के क्वार्टर संख्या ए-1 अधिशासी अभियन्ता, विद्युत प्रेषण खण्ड गाजियाबाद को आबंटित किया गया (आंबटन की तिथि बताई नहीं गयी) जो विद्युत वाणिज्यिक खण्ड, इलाहाबाद को स्थानान्तरित कर दिए गये (मई 1998)। वह 16.05.1980 को विद्युत प्रेषण खण्ड, गाजियाबाद से कार्यभार मुक्त कर दिये गये पर नियुक्ति के नए स्थान पर उन्होंने कार्यभार नहीं ग्रहण किया और कथित आवास पर कब्जा किए रखा। लेखापरीक्षा को प्रस्तुत अभिलेखों में क्वार्टर खाली करने के लिए किए गये प्रयत्न, यदि कोई थे, को नहीं पाया गया। 15.08.1980 से लगातार ड्यूटी से अनुपस्थित रहने के कारण अध्यक्ष द्वारा उनकी सेवाएं समाप्त कर दी गयीं (31.07.1986)। तथापि, परिषद द्वारा सेवा से हटाने का दण्ड वापस ले लिया गया और उसको निन्दित किया गया (05.06.1989) तथा सेवा में वापस ले लिया गया एवं उन्होंने गाजियाबाद में कार्य भार ग्रहण किया (08.06.1989)। नया आबंटन नहीं किया गया और आवास अब भी उनके अनाधिकृत अधिकार में है पर 17.08.1980 से आज तक (अक्टूबर 1998) का दण्डात्मक किराया नहीं वसूला गया। दण्डात्मक दर पर स्टैन्डर्ड किराए के आधार पर वसूली की धनराशि 1.04 लाख रुपये है। तथापि, इसे अंतिम नहीं माना जा सकता क्योंकि विवरण, यथा आबंटन की तिथि, क्षेत्र की बाजार दर, कारपेट एरिया जिनको मांगा गया परन्तु परिषद द्वारा नहीं दिये गये आदि के अभाव में दण्डात्मक किराए/ब्याज की वास्तविक धनराशि की गणना लेखापरीक्षा में नहीं की जा सकी।

यहां उल्लेख करना तर्कसंगत है कि बोर्ड ने 12.07.1994 की बैठक में क्वार्टर के अनाधिकृत अधिकार के कारण दण्डात्मक किराए को वसूलने का निर्णय लिया पर कथित निर्णय को लागू करने के लिए कोई कार्यवाही नहीं की गई। 4 वर्ष बीत जाने के बाद मुख्य अभियन्ता (सिविल) की, वसूली योग्य दण्डात्मक किराये की धनराशि की गणना के लिए और उसे वसूलने हेतु नियुक्ति की गई परन्तु अब तक (अक्टूबर 1998) कोई उत्तर नहीं प्राप्त हुआ।

न तो निर्धारण तथा दण्डात्मक किराए की वसूली के लिए कार्यवाही करने में देरी के कारण लेखापरीक्षा को सूचित किए गए, न ही इस सम्बन्ध में कोई जिम्मेदारी निश्चित की गई (अक्टूबर 1998)।

प्रकरण, परिषद तथा शासन को अक्टूबर 1998 में सूचित किया गया; उनके उत्तर प्रतीक्षित थे (अक्टूबर 1998)।

अध्याय - IV
विविध रोचक विषय

अनुच्छेद–4 द
ऊर्जा क्रय अनुबन्ध

प्रस्तर	विवरण	पृष्ठ
1.	प्राइवेट पार्टी के साथ ऊर्जा क्रय अनुबन्ध (रोज़ा पावर सप्लाई कम्पनी)	319

अनुच्छेद 4द

ऊर्जा क्रय अनुबन्ध

4.द.1 प्राइवेट पार्टी के साथ ऊर्जा क्रय अनुबन्ध (रोज़ा पावर सप्लाई कम्पनी)

रोज़ा पावर सप्लाई कम्पनी के साथ हुए ऊर्जा क्रय अनुबन्ध में सन्निहित कमियों के परिणामतः अतिरिक्त व्यय/निधि का अवरोध/ब्याज की हानि के रूप में 198.82 करोड़ रुपये की वार्षिक हानि होगी।

ऊर्जा उत्पादन में निजी उपक्रम के योगदान द्वारा राज्य में ऊर्जा की बढ़ती हुई माँग की पूर्ति के उद्देश्य से राज्य सरकार ने रोजा (शाहजहाँपुर) में 750 मेगावाट (250 मेगावाट प्रत्येक की 3 इकाईयों) की संचालित क्षमता वाले एक ताप विद्युत गृह की स्थापना हेतु इण्डो गल्फ फर्टिलाइजर ऐण्ड केमिकल्स कार्पोरेशन लिमिटेड के साथ एक समझौता–ज्ञापन (एम ओ यू) पर नवम्बर 1993 में हस्ताक्षर किया। इस परियोजना की क्षमता 567 मेगावाट (283.5 मेगावाट प्रत्येक की दो इकाईयाँ) अक्टूबर 1996 में पुनरीक्षित की गई। फर्म द्वारा, 750 मेगावाट क्षमता के लिए 2584.31 करोड़ रुपये की पूँजी लागत का परियोजना प्रतिवेदन, तकनीकी–आर्थिक मंजूरी हेतु सेन्ट्रल इलेक्ट्रिसिटी अॅथारिटी (सी ई ए) को अगस्त 1994 में प्रस्तुत किया गया जो अक्टूबर 1996 में 567 मेगावाट क्षमता के लिए 2458.76 करोड़ रुपये पर पुनरीक्षित कर दिया गया। सी ई ए द्वारा परियोजना की तकनीकी–आर्थिक मंजूरी 2432.11 करोड़ रुपये की पूँजी लागत के लिए, सितम्बर 1997 में दी गई। एम ओ यू में परिषद् तथा रोजा पावर सप्लाई प्राइवेट लिमिटेड, जो फर्म की सहायक कम्पनी थी, के साथ एक ऊर्जा क्रय अनुबन्ध (पी पी ए) निष्पादित करने का प्राविधान था, जिसके अनुसार विद्युत गृह पर उत्पादित ऊर्जा का क्रय परिषद द्वारा किया जाना था। सी ई ए द्वारा तकनीकी–आर्थिक मंजूरी सितम्बर 1998 में देने तथा सरकार द्वारा जून 1998 में संशोधन करने के कारण, प्रारम्भिक रूप से दिसम्बर 1996 में हस्ताक्षरित पी पी ए को सितम्बर 1998 में पुनरीक्षित किया गया। सितम्बर 1998 के पुनरीक्षित पी पी ए में, विद्युत गृह की इकाई

संख्या I तथा II की वित्तीय बन्दी* के क्रमशः 37 तथा 40 माह के अन्त तक वाणिज्यिक संचालन पर लाने का प्राविधान था। संविदा, इकाई संख्या I तथा II के वाणिज्यिक संचालन में आने से 30 वर्षो की अवधि तक प्रभावी था, जिसे पारस्परिक सहमति अवधि तक बढ़ाया जा सकता था। तथापि, यह पाया गया कि परियोजना पर कार्य अभी तक (सितम्बर 1998) प्रारम्भ नहीं हुआ है।

पी पी ए में प्राप्य 68.49 प्रतिशत लोड फैक्टर तथा दो भाग टैरिफ पर आधारित फिक्स्ड चार्ज जिसमें ऋणों तथा कार्यशील पूँजी पर ब्याज, ह्रास, संचालन तथा अनुरक्षण (ओ एण्ड एम) व्यय तथा रोज़ा पावर कम्पनी द्वारा आयकर एवं अन्य कर के पश्चात् पूँजी पर 16 प्रतिशत लाभ तथा वैरिएबल चार्जेज़, जिसमें प्राथमिक ईधन (कोयला) तथा द्वितीयक ईधन (तेल) का मूल्य सम्मिलित था, का प्राविधान था।

दिसम्बर 1996 के मूल अनुबन्ध में जो कमियाँ लेखा-परीक्षा के दौरान (अप्रैल 1997) पायी गयीं तथा परिषद को प्रत्यावेदित की गईं (अगस्त 1997), अन्य बातों के साथ निम्न को समावेषित करती हैं:

- कार्यशील पूँजी पर ब्याज की संगणना के लिए प्राथमिक ईधन (कोयला) के भण्डार के अत्यधिक मात्रा में प्राविधान के फलस्वरूप, परिषद द्वारा 18 प्रतिशत की औसत ब्याज दर पर, 3.27 करोड़ रुपये वार्षिक ऊर्जा का अतिरिक्त मूल्य देय होगा।

- द्वितीयक ईधन (तेल) की खपत के अत्यधिक मानक के कारण परिषद द्वारा 2.72 करोड़ रुपये प्रतिवर्ष (वैरियेबुल चार्जेज़) का अतिरिक्त भुगतान, तथा

- अनुज्ञापी धारक द्वारा उर्जा के सहायक उपभोग की किसी सीमा का प्राविधान न होना।

ये कमियाँ सितम्बर 1998 के पुनरीक्षित अनुबन्ध में दूर कर दी गई हैं, तथापि सम्प्रेक्षा द्वारा

---

* अनुबन्ध के अनुसार, लेखा बन्दी की तिथि का अर्थ उस तिथि से है, जिस पर स्टेशन से सम्बन्धित वित्तीय प्रपत्र तत्सम्बन्धी सभी पक्षों द्वारा निष्पादित/निर्गत किये गये थे एवं उसमें सन्निहित पूर्ववर्ती शर्तें पूरी की जा चुकी थीं अथवा उनका उस सीमा तक अधित्याग किया जाना चाहिये था, जहाँ तक रोज़ा को तत्काल अनुमति दिया जाना आवश्यक था बशर्ते कि शर्तों पर स्टेशन के निर्माण हेतु उसके द्वारा अपेक्षित पर्याप्त निधि का आहरण करने की केवल सूचना दी जाए एवं उन शर्तो पर जो रोजा और वित्त पोषक पक्षों को स्वीकार हो।

इंगित करने के बाद भी, कमियाँ जिनसे 198.82 करोड़ रुपये प्रतिवर्ष तक के अतिरिक्त व्यय/निधि की अवरुद्धता/ब्याज की हानि आदि अभी भी विद्यमान हैं, जैसा कि नीचे वर्णित है:

पी पी ए में निहित कमियों की परिणति 198.82 करोड़ रुपये वार्षिक अतिरिक्त व्यय/निधि की अवरुद्धता/ब्याज की हानि में होगी।

(i) प्रतिस्पर्धी बोली के बिना पी पी ए

नवम्बर 1993 में एम ओ यू हस्ताक्षरित करने के पूर्व सरकार ने ऊर्जा उत्पादन के क्षेत्र में निजी क्षेत्र की सहभागिता के लिए कोई भी नीति निर्धारित नहीं की थी। तथापि, इसके पश्चात् 1994 में सरकार द्वारा इस प्रकार की नीति निर्धारित की गई जिसमें निजी क्षेत्र की सहभागिता, ऊर्जा उत्पादन में न्यूनतम मूल्यसूची के आधार पर प्रतिस्पर्धा बोलियों को राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय प्रचार द्वारा आमन्त्रित करना था ताकि ख्यातिप्राप्त औद्योगिक घरानों को आकर्षित किया जा सके। सरकार के प्रमुख सचिव (ऊर्जा) की अध्यक्षता में गठित एक कमेटी द्वारा, मात्र इच्छा तथा तकनीकी, आर्थिक एवं प्रबन्ध-क्षमताओं को दर्शाने वाले प्रस्तावों (अप्रैल 1993) के आधार पर फर्म को चुना गया (मई 1993)। इस प्रकार, परिषद प्रचुर मात्रा में अपेक्षित धन निवेश वाले कार्य के लिए प्रतिस्पर्धा बोलियों के लाभ से वंचित रहा।

(ii) स्क्रो-लेखों में परिषदीय निधि की निरुद्धता

पी पी ए के प्राविधानों के अन्तर्गत सरकार की गारण्टी के माध्यम से परिषद द्वारा ऊर्जा बिलों का भुगतान साख-पत्रों से किया जाना था। तथापि, पी पी ए के अनुसार परिषद से यह अपेक्षित था कि अनुसूचित बैंक में एक पृथक स्क्रो–लेखा प्रतिस्थापित किया जाय तथा उसमें सभी तत्संगत अवधियों में 85 प्रतिशत प्लांट लोड फैक्टर पर 1.25 माह के देयको के समतुल्य निधि का अनुरक्षण किया जाये। इस प्रकार, सरकार/सी ई ए की किसी मार्गदर्शिका में बिना इसकी आवश्यकता के ऐसे लेखे के अनुरक्षण से परिषद् को 116.10 करोड़ रुपये की निधि का निरोध होगा तथा परिणामतः 20.90 करोड़ रुपये (18 प्रतिशत से) वार्षिक ब्याज की हानि होगी।

(iii) कार्यशील पूँजी पर अत्यधिक ब्याज का प्राविधान

पी पी ए के अनुसार, 68.49 प्रतिशत प्लांट लोड फैक्टर पर प्राप्यता औसत मासिक दरसूची धनराशि के दूने के समतुल्य कार्यशील पूँजी का अंश होगा जिस पर ब्याज (18 प्रतिशत) प्रशुल्क के निर्धारण में विचारणीय होगा। यह अत्यधिक था, क्योंकि परिषद प्रत्येक माह की समाप्ति पर 35 दिनों

के पश्चात् ऊर्जा–देयको के भुगतान की स्थिति में अर्थ दण्ड के भुगतान का उत्तरदायी था। अतः, कार्यशील पूँजी की अनुबन्धन की अवधि 60 दिन के स्थान पर 35 दिन आती है। परिणामतः, कार्यशील पूँजी का प्राविधान 25 दिनों के लिए अधिक था जिस पर 11.23 करोड़ रुपये वार्षिक ब्याज का भार होगा।

(iv) संचालन तथा अनुरक्षण (ओ ऐण्ड एम) व्यय का अत्यधिक प्राविधान

पी पी ए में टैरिफ दरों को तय करने के प्रयोजन के लिए वास्तविक खर्चों के अनपेक्ष पूँजीगत परिव्यय के 2.5 प्रतिशत (प्रथम टैरिफ वर्ष के पश्चात् थोक बिक्री मूल्य अभिसूचकांक के पुनरीक्षण के अधीन) पर ओ एण्ड एम खर्चों का प्राविधान था। इसका परिणाम 60.80 करोड़ रुपये के ओ एण्ड एम व्यय के रूप में होगा जो सी ई ए द्वारा सितम्बर 1997 में अनुमोदित 2432.11 करोड़ रुपये के पूँजीगत परिव्यय के 2.5 प्रतिशत के बराबर है। दूसरी ओर, अनपरा थर्मल पावर स्टेशन, स्टेज–बी में 500 मेगावाट प्रत्येक की क्षमता वाली दो इकाईयों का वर्ष 1995-96 में ओ ऐण्ड एम (कर्मचारियों के वेतन एवं भत्ते को सम्मिलित करते हुए) मात्र 19.16 करोड़ रुपये था। यह 4534.02 करोड़ रुपये की पूँजीगत लागत का 0.42 प्रतिशत था। इस प्रकार पूँजीगत परिव्यय का 2.5 प्रतिशत के बराबर ओ ऐण्ड एम व्यय के लिए प्राविधान के परिणामस्वरूप परिषद को 50.59 करोड़ रुपये (2432.11 करोड़ रुपये का 2.08 प्रतिशत) का वार्षिक अतिरिक्त व्यय करना होगा।

(v) तीसरे पक्ष को ऊर्जा विक्रय के लिए व्हीलिंग व्यय का प्राविधान न होना

पी पी ए के प्राविधानों में तीसरे पक्ष को ऊर्जा का विक्रय करना अनुमन्य था। तथापि, शासन की 1994 की ऊर्जा नीति की शर्तों के अनुसार (अनुबन्ध अवधि में) परिषद के पारेषण तन्त्र के माध्यम से कम्पनी द्वारा इस प्रकार के विक्रय की स्थिति में परिषद को देय व्हीलिंग व्यय के भुगतान का पी पी ए में कोई प्राविधान नहीं किया गया था। ऊर्जा नीति में व्हीलिंग व्यय के लिये 132 के वी तथा 220 के वी लाइनों के माध्यम से पारेषण के लिए क्रमशः 12.5 प्रतिशत तथा 10 प्रतिशत का प्राविधान है।

(vi) परियोजना के क्रियान्वयन न होने के कारण ऊर्जा की उपलब्धि में विलम्ब

पी पी ए में उपरोक्त कमियों से परिषद पर भारी आर्थिक भार के अतिरिक्त यह परियोजना जो नवम्बर 1993 में प्रारम्भ हो जानी थी, पाँच वर्ष की अवधि व्यतीत हो जाने के पश्चात् भी प्रारम्भ नहीं की जा सकी। जिसके कारण, राज्य जो ऊर्जा का विकट अभाव वहन कर रहा है, न केवल ऊर्जा से वंचित

हो रहा है बल्कि उसे मूल्य वृद्धि के कारण ऊर्जा उत्पादन की बढ़ी हुई कीमत को भी वहन करना होगा।

यह प्रकरण परिषद को अगस्त 1997 में तथा शासन को जुलाई 1998 में प्रत्यावेदित किये गये थे; उनके उत्तर अभी नहीं प्राप्त हुए थे (अक्टूबर 1998)।

पी. मुखर्जी

लखनऊ
दिनांक 21-3-99

(पी0 मुखर्जी)
महालेखाकार
(लेखा परीक्षा) द्वितीय
उत्तर प्रदेश

प्रतिहस्ताक्षरित

विजय शुंगलू

नई दिल्ली
दिनांक 22-3-99

(विजय कृष्ण शुंगलू)
भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक

परिशिष्ट

परिशिष्ट 1

ऊर्जा क्रय अनुबन्ध

31 मार्च 1998 को अद्यतन पूँजी, बजट बहिर्गमन, बजट से दिये गये ऋण एवं बकाया ऋणों को दर्शाती हुई विवरणी

(प्रस्तर 1.2.2 तथा 1.2.5 में संदर्भित)

(लाख रूपये में)

क्रम संख्या	विभाग	कम्पनी का नाम	वर्ष 1997–98 के अन्त में प्रदत्त पूँजी					वर्ष के दौरान बजट से दिये गये ऋण	वर्ष 1997–98 के अन्त में बकाया ऋण
			राज्य सरकार	केन्द्र सरकार	नियंत्रक कम्पनी	अन्योन्य	योग		
	कृषि								
1.		उत्तर प्रदेश भूमि सुधार निगम लिमिटेड	150.00	----	----	----	150.00	----	----
2.		उत्तर प्रदेश स्टेट एग्रो इण्डस्ट्रियल कारपोरेशन लिमिटेड	3667.17 (1268.00)	332.83	----	----	4000.00 (1268.00)	500.00	692.28

(लाख रूपये में)

क्रम संख्या	विभाग	कम्पनी का नाम	वर्ष 1997–98 के अन्त में प्रदत्त पूँजी					वर्ष के दौरान बजट से दिये गये ऋण	वर्ष 1997–98 के अन्त में बकाया ऋण
			राज्य सरकार	केन्द्र सरकार	नियंत्रक कम्पनी	अन्योन्य	योग		
3.		उत्तर प्रदेश स्टेट हार्टीकल्चर प्रोड्यूस मार्केटिंग ऐण्ड प्रोसेसिंग कारपोरेशन लिमिटेड	640.68	----	----	64.25	704.93	----	269.36
			4457.85	**332.83**	**----**	**64.25**	**4854.93**	**500.00**	**961.64**
			(1268.00)				**(1268.00)**		
	पशुपालन								
4.		उत्तर प्रदेश पशुधन उद्योग निगम लिमिटेड	209.84 (0.76)	63.00	----	----	272.84 (0.76)	----	165.11
5.		उत्तर प्रदेश स्टेट पौल्ट्री ऐण्ड लाइवस्टाक स्पेश्यलिटीज़ लिमिटेड	165.75	127.75	----	----	293.50	----	109.75
			375.59 (0.76)	**190.75**	**0.00**	**0.00**	**566.34 (0.76)**	**----**	**274.86**

(लाख रूपये में)

क्रम संख्या	विभाग	कम्पनी का नाम	वर्ष 1997–98 के अन्त में प्रदत्त पूँजी					वर्ष के दौरान बजट से दिये गये ऋण	वर्ष 1997–98 के अन्त में बकाया ऋण
			राज्य सरकार	केन्द्र सरकार	नियंत्रक कम्पनी	अन्योन्य	योग		
	क्षेत्रीय विकास								
6.		आगरा मण्डल विकास निगम लिमिटेड	100.00	----	----	----	100.00	----	5.00
7.		इलाहाबाद मण्डल विकास निगम लिमिटेड	67.00	----	----	----	67.00	----	65.93
8.		बरेली मण्डल विकास निगम लिमिटेड (पूर्व में उत्तर प्रदेश पश्चिमी क्षेत्रीय विकास निगम लिमिटेड)	125.00	----	----	----	125.00	----	21.95
9.		बुंदेलखण्ड कंक्रीट स्ट्रक्चरल्स लिमिटेड (उत्तर प्रदेश बुंदेलखण्ड विकास निगम लिमिटेड की सहायिका)	----	----	1.22	1.18	2.40	----	----
10.		गोरखपुर मण्डल विकास निगम लिमिटेड	93.56	----	----	32.47	126.03	----	91.60

(लाख रूपये में)

क्रम संख्या	विभाग	कम्पनी का नाम	वर्ष 1997–98 के अन्त में प्रदत्त पूँजी					वर्ष के दौरान बजट से दिये गये ऋण	वर्ष 1997–98 के अन्त में बकाया ऋण
			राज्य सरकार	केन्द्र सरकार	नियंत्रक कम्पनी	अन्योन्य	योग		
11.		लखनऊ मण्डलीय विकास निगम लिमिटेड	70.00	---	----	----	70.00	----	85.79
12.		मेरठ मण्डल विकास निगम लिमिटेड	100.00	----	----	----	100.00	----	---
13.		मुरादाबाद मण्डल विकास निगम लिमिटेड	25.00	----	----	----	25.00	----	64.60
14.		उत्तर प्रदेश पूर्वांचल विकास निगम लिमिटेड	129.80	----	----	----	129.80	----	35.00
15.		उत्तर प्रदेश बुंदेलखण्ड विकास निगम लिमिटेड	123.30	----	----	----	123.30	----	----
16.		वाराणसी मण्डल विकास निगम लिमिटेड	70.00	----	----	----	70.00	----	30.00
			903.66	**0.00**	**1.22**	**33.65**	**938.53**	**0.00**	**399.87**
	इलेक्ट्रानिक्स								
17.		श्रीट्रान इण्डिया लिमिटेड (उत्तरप्रदेश इलेक्ट्रानिक्स कारपोरेशन लिमिटेड की सहायिका)	----	----	124.08	50.63	174.71	----	535.43

(लाख रूपये में)

क्रम संख्या	विभाग	कम्पनी का नाम	वर्ष 1997–98 के अन्त में प्रदत्त पूँजी					वर्ष के दौरान बजट से दिये गये ऋण	वर्ष 1997–98 के अन्त में बकाया ऋण
			राज्य सरकार	केन्द्र सरकार	नियंत्रक कम्पनी	अन्योन्य	योग		
18.		अपट्रान इण्डिया लिमिटेड (उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रानिक्स कारपोरेशन लिमिटेड की सहायिका)	----	----	5315.59	----	5315.59	----	8507.96
19.		अपलीज़ फाइनेन्शियल सर्विसेज़ लिमिटेड (पूर्व अपट्रान लीजिंग लिमिटेड, उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रानिक्स कारपोरेशन लिमिटेड की सहायिका)	----	----	100.00	5.67	105.67	----	415.50
20.		अपट्रान पावरट्रानिक्स लिमिटेड (उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रानिक्स कारपोरेशन लिमिटेड की सहायिका)	----	----	117.00	----	117.00	----	3.62
21.		उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रानिक्स कारपोरेशन लिमिटेड	7111.44 (81.37)	----	----	----	7111.44 (81.37)	200.00	2846.00
			7111.44 **(81.37)**	**0.00**	**5656.67**	**56.30**	**12824.41** **(81.37)**	**200.00**	**12308.51**

(लाख रूपये में)

क्रम संख्या	विभाग	कम्पनी का नाम	वर्ष 1997–98 के अन्त में प्रदत्त पूँजी					वर्ष के दौरान बजट से दिये गये ऋण	वर्ष 1997–98 के अन्त में बकाया ऋण
			राज्य सरकार	केन्द्र सरकार	नियंत्रक कम्पनी	अन्योन्य	योग		
	निर्यात प्रोत्साहन								
22.		दि उत्तर प्रदेश एक्सपोर्ट कारपोरेशन लिमिटेड	634.27	70.00 (5.00)	----	----	704.27 (5.00)	----	15188
23.		दि उत्तर प्रदेश स्टेट ब्रासवेयर कारपोरेशन लिमिटेड	527.86	10.00	----	----	537.86	----	194.23
24.		उत्तर प्रदेश स्टेट लेदर डेवलपमेंट ऐण्ड मार्केटिंग कारपोरेशन लिमिटेड	573.94	----	----	----	573.94	----	191.40
			1736.07	**80.00** **(5.00)**	**0.00**	**0.00**	**1816.07** **(5.00)**	**0.00**	**537.51**
	मत्स्य								
25.		उत्तर प्रदेश मत्स्य विकास निगम लिमिटेड	107.00 (7.00)	----	----	----	107.00 (7.00)	----	----
			107.00 **(7.00)**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**107.00** **(7.00)**	**0.00**	**0.00**

(लाख रूपये में)

क्रम संख्या	विभाग	कम्पनी का नाम	वर्ष 1997–98 के अन्त में प्रदत्त पूँजी					वर्ष के दौरान बजट से दिये गये ऋण	वर्ष 1997–98 के अन्त में बकाया ऋण
			राज्य सरकार	केन्द्र सरकार	नियंत्रक कम्पनी	अन्योन्य	योग		
	खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति								
26.		उत्तर प्रदेश खाद्य एवं आवश्यक वस्तु निगम लिमिटेड	550.39	----	----	----	550.39	----	1516.50
			550.39	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**550.39**	**0.00**	**1516.50**
	हरिजन एवं समाज कल्याण								
27.		तराई अनुसूचित जनजाति विकास निगम लिमिटेड	45.00	---	----	----	45.00	----	125.00
28.		उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम लिमिटेड	4489.31 (1270.39)	3924.28 (1220.58)	----	----	8413.59 (2490.97)	----	2049.50
29.		उत्तर प्रदेश पिछड़ी जाति वित्त एवं विकास निगम लिमिटेड	810.00 (100.00)	----	----	----	810.00 (100.00)	----	670.16

(लाख रूपये में)

क्रम संख्या	विभाग	कम्पनी का नाम	वर्ष 1997–98 के अन्त में प्रदत्त पूँजी					वर्ष के दौरान बजट से दिये गये ऋण	वर्ष 1997–98 के अन्त में बकाया ऋण
			राज्य सरकार	केन्द्र सरकार	नियंत्रक कम्पनी	अन्योन्य	योग		
30.		उत्तर प्रदेश भूतपूर्व सैनिक कल्याण निगम लिमिटेड	42.54	----	----	----	42.54	----	----
31.		उत्तर प्रदेश महिला कल्याण निगम लिमिटेड	61.00	48.03	----	----	109.03	----	----
32.		उत्तर प्रदेश समाज कल्याण निगम लिमिटेड (पूर्व में हरिजन एवं निर्बल वर्ग आवास निगम लिमिटेड)	15.00	----	----	----	15.00	----	345.21
			5462.85	**3972.31**	**0.00**	**0.00**	**9435.16**	**0.00**	**3189.87**
			(1370.39)				**(2590.97)**		
	पर्वतीय विकास								
33.		गढ़वाल अनुसूचित जनजाति विकास निगम लिमिटेड (गढवाल मण्डल विकास निगम लिमिटेड की सहायिका)	20.00	----	30.00	----	50.00	----	17.48

(लाख रूपये में)

क्रम संख्या	विभाग	कम्पनी का नाम	वर्ष 1997–98 के अन्त में प्रदत्त पूँजी					वर्ष के दौरान बजट से दिये गये ऋण	वर्ष 1997–98 के अन्त में बकाया ऋण
			राज्य सरकार	केन्द्र सरकार	नियंत्रक कम्पनी	अन्योन्य	योग		
34.		गढ़वाल मण्डल विकास निगम लिमिटेड	612.15 (100.65)	----	----	----	612.15 (100.65)	----	1279.24
35.		कुमाऊँ अनुसूचित जनजाति विकास निगम लिमिटेड (कुमाऊँ मण्डल विकास निगम लिमिटेड की सहायिका)	22.00	----	28.00	----	50.00	18.00	----
36.		कुमाऊँ मण्डल विकास निगम लिमिटेड	1341.88	----	----	----	1341.88		690.88
37.		कुमट्रान लिमिटेड (उत्तर प्रदेश हिल इलेक्ट्रानिक्स कारपोरेशन लिमिटेड की सहायिका)	----	----	9.34	8.97	18.31	----	----
38.		नादर्न इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट इण्डस्ट्रीज लिमिटेड (कुमाऊँ मण्डल विकास निगम लिमिटेड की सहायिका)	----	----	0.05	0.02	0.07	----	----

(लाख रूपये में)

क्रम संख्या	विभाग	कम्पनी का नाम	वर्ष 1997–98 के अन्त में प्रदत्त पूँजी					वर्ष के दौरान बजट से दिये गये ऋण	वर्ष 1997–98 के अन्त में बकाया ऋण
			राज्य सरकार	केन्द्र सरकार	नियंत्रक कम्पनी	अन्योन्य	योग		
39.		ट्रान्स केबिल्स लिमिटेड (कुमाऊँ मण्डल विकास निगम लिमिटेड की सहायिका)	----	----	62.80	0.44	63.24	100.00	429.77
40.		उत्तर प्रदेश हिलफोन्स लिमिटेड (उत्तर प्रदेश हिल इलेक्ट्रानिक्स कारपोरेशन लिमिटेड की सहायिका)	----	----	1.67	1.60	3.27	----	----
41.		उत्तर प्रदेश हिल इलेक्ट्रानिक्स कारपोरेशन लिमिटेड	894.53	----	----	----	894.53	----	----
42.		उत्तर प्रदेश हिल क्वार्ट्ज़ लिमिटेड (उत्तर प्रदेश हिल इलेक्ट्रानिक्स लिमिटेड की सहायिका)	----	----	0.79	----	0.79	----	----
			2890.56	**0.00**	**132.65**	**11.03**	**3034.24**	**118.00**	**2417.37**
			(100.65)				**(100.65)**		

(लाख रूपये में)

क्रम संख्या	विभाग	कम्पनी का नाम	वर्ष 1997–98 के अन्त में प्रदत्त पूँजी					वर्ष के दौरान बजट से दिये गये ऋण	वर्ष 1997–98 के अन्त में बकाया ऋण
			राज्य सरकार	केन्द्र सरकार	नियंत्रक कम्पनी	अन्योन्य	योग		
	गृह								
43.		उत्तर प्रदेश पुलिस आवास निगम लिमिटेड	300.00	----	---	----	300.00	----	----
			300.00	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**300.00**	**0.00**	**0.00**
	उद्योग एवं औद्योगिक विकास								
44.		आटो ट्रैक्टर्स लिमिटेड	562.59	----	----	187.41	750.00	----	37.50
45.		कान्टीनेन्टल फ्लोट ग्लास लिमिटेड (उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक निगम लिमिटेड की सहायिका)	----	----	2922.00	1702.00	4624.00	326.79	14113.00
46.		दि इण्डियन टर्पेन्टाइन ऐण्ड रोजिन कम्पनी लिमिटेड	18.73	----	----	3.29	22.02	----	85.31
47.		उत्तर प्रदेश इन्स्ट्रूमेंट्स लिमिटेड (उत्तर प्रदेश स्टेट इण्डस्ट्रियल डेवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड की सहायिका)	----	----	177.72	15.50	193.22	161.39	1073.40

(लाख रूपये में)

क्रम संख्या	विभाग	कम्पनी का नाम	वर्ष 1997–98 के अन्त में प्रदत्त पूँजी					वर्ष के दौरान बजट से दिये गये ऋण	वर्ष 1997–98 के अन्त में बकाया ऋण
			राज्य सरकार	केन्द्र सरकार	नियंत्रक कम्पनी	अन्योन्य	योग		
48.		उत्तर प्रदेश डिज़िटल्स लिमिटेड (उत्तर प्रदेश स्टेट इण्डस्ट्रियल डेवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड की सहायिका)	----	----	35.20	----	35.20	----	435.16
49.		उत्तर प्रदेश कार्बन ऐण्ड केमिकल लिमिटेड (उत्तर प्रदेश स्टेट इण्डस्ट्रियल डेवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड की सहायिका)	----	----	1.27	----	1.27	----	----
50.		उत्तर प्रदेश स्टेट मिनरल डेवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड	5943.48	----	----	----	5943.48	24.06	1828.86
51.		विन्ध्याचल एब्रेसिव्स लिमिटेड (उत्तर प्रदेश मिनरल डेवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड की सहायिका)	----	----	3.73	3.87	7.60	----	77.67
			6524.80	**0.00**	**3139.92**	**1912.07**	**11576.79**	**512.24**	**17650.90**

(लाख रूपये में)

क्रम संख्या	विभाग	कम्पनी का नाम	वर्ष 1997–98 के अन्त में प्रदत्त पूँजी					वर्ष के दौरान बजट से दिये गये ऋण	वर्ष 1997–98 के अन्त में बकाया ऋण
			राज्य सरकार	केन्द्र सरकार	नियंत्रक कम्पनी	अन्योन्य	योग		
	संस्थागत वित्त								
52.		उत्तर प्रदेश चलचित्र निगम लिमिटेड	818.20	----	----	0.22	818.42	----	----
			818.20	**0.00**	**0.00**	**0.22**	**818.42**	**0.00**	**0.00**
	सिंचाई								
53.		उत्तर प्रदेश प्रोजेक्ट ऐण्ड ट्यूबवेल कारपोरेशन लिमिटेड (पूर्व में उत्तर प्रदेश नलकूप निगम लिमिटेड)	490.00	100.00	----	497.00	1087.00	----	----
			490.00	**100.00**	**0.00**	**497.00**	**1087.00**	**0.00**	**0.00**
	पंचायती राज								
54.		उत्तर प्रदेश पंचायती राज वित्त एवं विकास निगम लिमिटेड	77.77	----	----	68.11	145.88	----	----
			77.77	**0.00**	**0.00**	**68.11**	**145.88**	**0.00**	**0.00**

(लाख रूपये में)

क्रम संख्या	विभाग	कम्पनी का नाम	वर्ष 1997–98 के अन्त में प्रदत्त पूँजी					वर्ष के दौरान बजट से दिये गये ऋण	वर्ष 1997–98 के अन्त में बकाया ऋण
			राज्य सरकार	केन्द्र सरकार	नियंत्रक कम्पनी	अन्योन्य	योग		
	नियोजन								
55.		मुहम्मदाबाद पीपुल्स टेनरी लिमिटेड	3.06	----	----	2.55	5.61	----	----
56.		उत्तर प्रदेश डेवलपमेंट सिस्टम्स कारपोरेशन लिमिटेड	100.00	----	----	----	100.00	----	----
			103.06	**0.00**	**0.00**	**2.55**	**105.61**	**0.00**	**0.00**
	लोक निर्माण								
57.		उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण निगम लिमिटेड	100.00	----	----	----	100.00	----	----
58.		उत्तर प्रदेश राज्य सेतु निगम लिमिटेड	1000.00	----	----	----	1000.00	----	----
			1100.00	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1100.00**	**0.00**	**0.00**
	ग्रामीण एवं लघु उद्योग								
59.		यू पी एस आई सी पोट्रीज़ लिमिटेड (उत्तर प्रदेश स्माल इण्डस्ट्रीज कारपोरेशन लिमिटेड की सहायिका)	----	----	76.25	----	76.25	----	122.50

(लाख रूपये में)

क्रम संख्या	विभाग	कम्पनी का नाम	वर्ष 1997–98 के अन्त में प्रदत्त पूँजी					वर्ष के दौरान बजट से दिये गये ऋण	वर्ष 1997–98 के अन्त में बकाया ऋण
			राज्य सरकार	केन्द्र सरकार	नियंत्रक कम्पनी	अन्योन्य	योग		
60.		उत्तर प्रदेश प्लांट प्रोटेक्शन एप्लाईएंसेस (प्राइवेट) लिमिटेड (उत्तर प्रदेश स्माल इण्डस्ट्रीज कारपोरेशन लिमिटेड की सहायिका)	----	----	1.63	1.57	3.20	----	3.00
61.		उत्तर प्रदेश स्माल इण्डस्ट्रीज कारपोरेशन लिमिटेड	596.05	----	---	----	596.05	----	400.13
62.		उत्तर प्रदेश स्टेट हैण्डलूम कारपोरेशन लिमिटेड	1375.49	1152.95	----	----	2528.44	----	1886.78
			1971.54	**1152.95**	**77.88**	**1.57**	**3203.94**	**0.00**	**2412.41**
	चीनी एवं गन्ना विकास								
63.		छाता शुगर कम्पनी लिमिटेड (उत्तर प्रदेश राज्य चीनी निगम लिमिटेड की सहायिका)	----	----	1224.52	----	1224.52	----	1968.15

(लाख रूपये में)

क्रम संख्या	विभाग	कम्पनी का नाम	वर्ष 1997–98 के अन्त में प्रदत्त पूँजी					वर्ष के दौरान बजट से दिये गये ऋण	वर्ष 1997–98 के अन्त में बकाया ऋण
			राज्य सरकार	केन्द्र सरकार	नियंत्रक कम्पनी	अन्योन्य	योग		
64.		घाटमपुर शुगर कम्पनी लिमिटेड (उत्तर प्रदेश राज्य चीनी निगम लिमिटेड की सहायिका)	----	----	879.86	15.00	894.86	225.00	1832.41
65.		किच्छा शुगर कम्पनी लिमिटेड (उत्तर प्रदेश राज्य चीनी निगम लिमिटेड की सहायिका)	32.59	----	1620.99	45.46	1699.04	----	----
66.		नन्दगंज सिहोरी शुगर कम्पनी लिमिटेड (उत्तर प्रदेश राज्य चीनी निगम लिमिटेड की सहायिका)	----	----	3404.50	----	3404.50	----	1863.76
67.		उत्तर प्रदेश (रूहेलखण्ड तराई) गन्ना बीज एवं विकास निगम लिमिटेड	38.25	----	----	32.50	70.75	----	----
68.		उत्तर प्रदेश (पश्चिम) गन्ना बीज एवं विकास निगम लिमिटेड	50.50	----	----	11.09	61.59	----	886.35
69.		उत्तर प्रदेश (पूर्व) गन्ना बीज एवं विकास निगम लिमिटेड	22.73	----	----	7.32	30.05	----	322.49

(लाख रूपये में)

क्रम संख्या	विभाग	कम्पनी का नाम	वर्ष 1997–98 के अन्त में प्रदत्त पूँजी					वर्ष के दौरान बजट से दिये गये ऋण	वर्ष 1997–98 के अन्त में बकाया ऋण
			राज्य सरकार	केन्द्र सरकार	नियंत्रक कम्पनी	अन्योन्य	योग		
70.		उत्तर प्रदेश (मध्य) गन्ना बीज एवं विकास निगम लिमिटेड	15.30	----	----	7.59	22.89	----	631.43
71.		उत्तर प्रदेश राज्य चीनी निगम लिमिटेड	48001.92 (426.00)	----	----	----	48001.92 (426.00)	8450.00	117638.36
			48161.29 (426.00)	**0.00**	**7129.87**	**118.96**	**55410.11 (426.00)**	**8675.00**	**125142.95**
	पर्यटन								
72.		उत्तर प्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम लिमिटेड	1512.53 (810.00)	----	----	----	1512.53 (810.00)	----	48.33
			1512.53 (810.00)	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1512.53 (810.00)**	**0.00**	**0.00**
	वक्फ								
73.		उत्तर प्रदेश वक्फ विकास निगम लिमिटेड	250.00 (100.00)	----	----	----	250.00 (100.00)	----	----
			250.00 (100.00)	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**250.00 (100.00)**	**0.00**	**0.00**

(लाख रूपये में)

क्रम संख्या	विभाग	कम्पनी का नाम	वर्ष 1997–98 के अन्त में प्रदत्त पूँजी					वर्ष के दौरान बजट से दिये गये ऋण	वर्ष 1997–98 के अन्त में बकाया ऋण
			राज्य सरकार	केन्द्र सरकार	नियंत्रक कम्पनी	अन्योन्य	योग		
	वित्त पोषण								
74.		दि प्रदेशीय इण्डस्ट्रियल ऐण्ड इन्वेस्टमेंट कारपोरेशन आफ उत्तर प्रदेश लिमिटेड	11057.50	----	----	----	11057.50	----	51009.03
75.		उत्तर प्रदेश अल्पसंख्यक वित्त एवं विकास निगम लिमिटेड	2152.50 (730.00)	----	----	----	2152.50 (730.00)	90.00	4738.59
76.		उत्तर प्रदेश स्टेट इण्डस्ट्रियल डेवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड	2407.51	----	----	----	2407.51	----	5899.39
			15617.51 (730.00)	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**15617.51 (730.00)**	**90.00**	**61647.01**
	वस्त्र								
77.		उत्तर प्रदेश स्टेट यार्न कम्पनी लिमिटेड (उत्तर प्रदेश स्टेट टेक्सटाईल कारपोरेशन लिमिटेड की सहायिका) (पूर्वगामी उत्तर प्रदेश स्टेट स्पिनिंग मिल्स कम्पनी (संख्या–2) लिमिटेड)	----	----	3190.52	----	3190.52	400.00	1975.00

(लाख रूपये में)

क्रम संख्या	विभाग	कम्पनी का नाम	वर्ष 1997–98 के अन्त में प्रदत्त पूँजी					वर्ष के दौरान बजट से दिये गये ऋण	वर्ष 1997–98 के अन्त में बकाया ऋण
			राज्य सरकार	केन्द्र सरकार	नियंत्रक कम्पनी	अन्योन्य	योग		
78.		उत्तर प्रदेश स्टेट टेक्सटाईल कारपोरेशन लिमिटेड	16079.37	----	----	----	16079.37	----	6713.13
79.		उत्तर प्रदेश स्टेट स्पिनिंग कम्पनी लिमिटेड (उत्तर प्रदेश स्टेट टेक्सटाईल कारपोरेशन लिमिटेड की सहायिका) (पूर्वगामी उत्तर प्रदेश स्टेट स्पिनिंग मिल्स कम्पनी (संख्या–1) लिमिटेड)	----	----	7842.83	0.01	7842.84	----	3038.96
			16079.37	**0.00**	**11033.35**	**0.01**	**27112.73**	**400.00**	**11727.09**
	सीमेण्ट								
80.		उत्तर प्रदेश राज्य सीमेण्ट निगम लिमिटेड	6828.00	----	----	----	6828.00	----	12476.52
			6828.00	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**6828.00**	**0.00**	**12476.52**

(लाख रूपये में)

क्रम संख्या	विभाग	कम्पनी का नाम	वर्ष 1997–98 के अन्त में प्रदत्त पूँजी					वर्ष के दौरान बजट से दिये गये ऋण	वर्ष 1997–98 के अन्त में बकाया ऋण
			राज्य सरकार	केन्द्र सरकार	नियंत्रक कम्पनी	अन्योन्य	योग		
	विद्युत								
81.		उत्तर प्रदेश लघु जल विद्युत निगम लिमिटेड (पूर्वगामी उत्तर प्रदेश अल्पार्थक एवं लघु जल विद्युत निगम लिमिटेड)	70.00	----	----	----	70.00	500.00	2400.00
82.		उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड	25280.50	----	----	----	25280.50	----	----
			25350.50	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**25350.50**	**500.00**	**2400.00**
	योग		**148779.98**	**5828.84**	**27171.56**	**2765.72**	**184546.10**	**10995.24**	**255111.34***
			(4894.17)	**(1225.58)**			**(6119.75)**		

टिप्पणी : कोष्ठक में निर्दिष्ट संख्यायें वर्षों में अंशदान के कारण बजट बहिर्गमन को दर्शाती हैं।

* यह वर्ष 1997–98 के अन्त में 732.74 करोड़ रूपये के अल्प अवधि ऋण के अवशेष को सम्मिलित करते हुए है।

परिशिष्ट 2

सरकारी कम्पनियों जिनके लेखाओं को अन्तिम रूप दे दिया गया, के नवीनतम वर्ष, के संक्षिप्त वित्तीय परिणाम

(स्तम्भ 4, 5, 6 तथा 12 के आकड़ों को छोड़कर लाख रूपये में)

(प्रस्तर 1.2.2 में संदर्भित)

क्रम संख्या	विभाग/ सेक्टर	कम्पनी का नाम	निगमन की तिथि	लेखाओं की अवधि	वर्ष जिसमें अन्तिम रूप दिया गया	लाभ(+)/ हानि(–)	प्रदत्त पूँजी	संचित लाभ व हानि	नियोजित पूँजी	नियोजित पूँजी पर प्रतिलाभ	कुल प्रतिलाभ का प्रतिशत
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	कृषि										
1.		उत्तर प्रदेश भूमि सुधार निगम लिमिटेड	30 मार्च 1978	1995-96	1996-97	-9.28	150.00	-59.99	4688.23	-9.28	---
2.		उत्तर प्रदेश स्टेट एग्रो इण्डस्ट्रियल कारपोरेशन लिमिटेड	29 मार्च 1967	1996-97	1997-98	-387.85	2732.00	-5638.35	-57.64	-206.97	---
3.		उत्तर प्रदेश स्टेट हार्टीकल्चर प्रोड्यूस मार्केटिंग ऐण्ड प्रोसेसिंग कारपोरेशन लिमिटेड	6 अप्रैल 1977	1984-85	1994-95	-66.57	190.76	-255.33	80.72	-51.97	---

क्रम संख्या	विभाग/ सेक्टर	कम्पनी का नाम	निगमन की तिथि	लेखाओं की अवधि	वर्ष जिसमें अन्तिम रूप दिया गया	लाभ(+)/ हानि(–)	प्रदत्त पूँजी	संचित लाभ व हानि	नियोजित पूँजी	नियोजित पूँजी पर प्रतिलाभ	कुल प्रतिलाभ का प्रतिशत
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	पशुपालन										
4.		उत्तर प्रदेश पशुधन उद्योग निगम लिमिटेड	5 मार्च 1975	1990-91	1996-97	-16.10	146.85	-168.72	220.44	-6.63	---
5.		उत्तर प्रदेश स्टेट पौल्ट्री ऐण्ड लाइवस्टाक स्पेश्यलिटीज़ लिमिटेड	7 दिसम्बर 1974	1994-95	1997-98	- 4.91	163.50	-11.26	196.71	-4.91	---
	क्षेत्रीय विकास										
6.		आगरा मण्डल विकास निगम लिमिटेड	31 मार्च 1976	1986-87	1989-90	+11.24	100.00	-33.13	132.02	12.48	9.45
7.		इलाहाबाद मण्डल विकास निगम लिमिटेड	31 जनवरी 1976	1983-84	1992-93	-11.42	67.00	-11.42	39.52	-3.97	---
8.		बरेली मण्डल विकास निगम लिमिटेड (पूर्व उत्तर प्रदेश पश्चिमी क्षेत्रीय विकास निगम लिमिटेड)	31 जनवरी 1976	1984-85	1994-95	-69.26	125.00	- 90.00	449.13	-56.84	---
9.		बुंदेलखण्ड कंक्रीट स्ट्रक्चरल्स लिमिटेड (उत्तर प्रदेश बुंदेलखण्ड विकास निगम लिमिटेड की सहायिका)	2 मार्च 1974	1986-87	1993-94	-0.01	2.40	-0.65	4.45	-0.01	---

क्रम संख्या	विभाग/ सेक्टर	कम्पनी का नाम	निगमन की तिथि	लेखाओं की अवधि	वर्ष जिसमें अन्तिम रूप दिया गया	लाभ(+)/ हानि(–)	प्रदत्त पूँजी	संचित लाभ व हानि	नियोजित पूँजी	नियोजित पूँजी पर प्रतिलाभ	कुल प्रतिलाभ का प्रतिशत
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
10.		गोरखपुर मण्डल विकास निगम लिमिटेड	31 मार्च 1976	1985-86	1995-96	+2.36	122.03	-158.16	61.31	2.36	3.85
11.		लखनऊ मण्डलीय विकास निगम लिमिटेड	31 जनवरी 1976	1981-82	1992-93	+0.44	50.00	+1.49	60.57	0.52	0.86
12.		मेरठ मण्डल विकास निगम लिमिटेड	31 मार्च 1976	1993-94	1996-97	-10.48	100.00	-76.95	29.25	-10.48	---
13.		मुरादाबाद मण्डल विकास निगम लिमिटेड	30 मार्च 1978	1987-88	1996-97	-15.30	25.00	-10.57	80.51	-4.64	---
14.		उत्तर प्रदेश पूर्वांचल विकास निगम लिमिटेड	30 मार्च 1971	1987-88	1994-95	-13.64	114.80	-107.90	19.02	-13.64	---
15.		उत्तर प्रदेश बुंदेलखण्ड विकास निगम लिमिटेड	30 मार्च 1971	1991-92	1997-98	-8.72	123.30	-134.50	-0.98	-8.71	-890.80
16.		वाराणसी मण्डल विकास निगम लिमिटेड	31 मार्च 1971	1987-88	1993-94	-2.71	70.00	-26.38	88.29	-2.71	---

क्रम संख्या	विभाग/ सेक्टर	कम्पनी का नाम	निगमन की तिथि	लेखाओं की अवधि	वर्ष जिसमें अन्तिम रूप दिया गया	लाभ(+)/ हानि(–)	प्रदत्त पूँजी	संचित लाभ व हानि	नियोजित पूँजी	नियोजित पूँजी पर प्रतिलाभ	कुल प्रतिलाभ का प्रतिशत
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	इलेक्ट्रानिक्स										
17.		श्रीट्रान इण्डिया लिमिटेड (उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रानिक्स कारपोरेशन लिमिटेड की सहायिका)	1 फरवरी 1979	1997-98	1997-98	+6.96	174.71	-270.87	890.93	50.89	5.71
18.		अपट्रान इण्डिया लिमिटेड (उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रानिक्स कारपोरेशन लिमिटेड की सहायिका)	18 अक्टूबर 1979	1995-96	1997-98	-3212.23	5315.59	-19693.43	4547.72	-406.07	---
19.		अपलीज़ फाइनेन्शियल सर्विजेज़ लिमिटेड (पूर्व अपट्रान लीजिंग लिमिटेड) (उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रानिक्स कारपोरेशन लिमिटेड की सहायिका)	5 जनवरी 1988	1996-97	1996-97	-15.96	105.67	+0.02	369.85	10.89	2.94
20.		अपट्रान पावरट्रानिक्स लिमिटेड (उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रानिक्स कारपोरेशन लिमिटेड की सहायिका)	10 अप्रैल 1977	1996-97	1997-98	-34.04	117.00	-44.10	576.48	36.28	6.29
21.		उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रानिक्स कारपोरेशन लिमिटेड	20 मार्च 1974	1996-97	1997-98	+0.38	7030.07	+38.51	3760.84	0.38	0.01

क्रम संख्या	विभाग/ सेक्टर	कम्पनी का नाम	निगमन की तिथि	लेखाओं की अवधि	वर्ष जिसमें अन्तिम रूप दिया गया	लाभ(+)/ हानि(–)	प्रदत्त पूँजी	संचित लाभ व हानि	नियोजित पूँजी	नियोजित पूँजी पर प्रतिलाभ	कुल प्रतिलाभ का प्रतिशत
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	निर्यात प्रोत्साहन										
22.		दि उत्तर प्रदेश एक्सपोर्ट कारपोरेशन लिमिटेड	20 जनवरी 1966	1995-96	1997-98	-68.69	674.27	-687.35	-3854.79	-43.17	---
23.		दि उत्तर प्रदेश स्टेट ब्रासवेयर कारपोरेशन लिमिटेड	12 फरवरी 1974	1991-92	1995-96	-45.29	537.86	-648.86	793.04	-34.96	---
24.		उत्तर प्रदेश स्टेट लेदर डेवलपमेंट ऐण्ड मार्केटिंग कारपोरेशन लिमिटेड	12 फरवरी 1974	1996-97	1997-98	+13.99	573.94	-667.11	461.94	23.75	5.14
	मत्स्य										
25.		उत्तर प्रदेश मत्स्य विकास निगम लिमिटेड	27 अक्टूबर 1979	1989-90	1997-98	-18.07	100.00	-120.35	599.62	5.51	0.92
	खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति										
26.		उत्तर प्रदेश खाद्य एवं आवश्यक वस्तु निगम लिमिटेड	22 अक्टूबर 1974	1985-86	1995-96	+34.71	50.00	+ 95.11	524.11	120.97	23.08

क्रम संख्या	विभाग/ सेक्टर	कम्पनी का नाम	निगमन की तिथि	लेखाओं की अवधि	वर्ष जिसमें अन्तिम रूप दिया गया	लाभ(+)/ हानि(–)	प्रदत्त पूँजी	संचित लाभ व हानि	नियोजित पूँजी	नियोजित पूँजी पर प्रतिलाभ	कुल प्रतिलाभ का प्रतिशत
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	हरिजन एवं समाज कल्याण										
27.		तराई अनुसूचित जनजाति विकास निगम लिमिटेड	2 अगस्त 1975	1982-83	1990-91	-4.00	45.00	+0.45	70.44	-4.00	---
28.		उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम लिमिटेड	25 मार्च 1975	1992-93	1997-98	+171.33	3663.88	+605.78	4687.26	379.89	8.10
29.		उत्तर प्रदेश पिछड़ी जाति वित्त एवं विकास निगम लिमिटेड	26 अप्रैल 1991	1994-95	1996-97	-10.54	600.00	-20.89	1786.42	-7.79	---
30.		उत्तर प्रदेश भूतपूर्व सैनिक कल्याण निगम लिमिटेड	23 मई 1989	1994-95	1996-97	+97.90	42.54	+100.69	142.44	97.90	68.73
31.		उत्तर प्रदेश महिला कल्याण निगम लिमिटेड	17 मार्च 1988	1995-96	1997-98	-19.56	109.03	-18.46	195.08	19.56	---
32.		उत्तर प्रदेश समाज कल्याण निगम लिमिटेड (पूर्व में हरिजन एवं निर्बल वर्ग आवास निगम लिमिटेड)	25 जून 1976	1996-97	1997-98	-11.62	15.00	+133.60	1233.32	-11.62	---

क्रम संख्या	विभाग/ सेक्टर	कम्पनी का नाम	निगमन की तिथि	लेखाओं की अवधि	वर्ष जिसमें अन्तिम रूप दिया गया	लाभ(+)/ हानि(–)	प्रदत्त पूँजी	संचित लाभ व हानि	नियोजित पूँजी	नियोजित पूँजी पर प्रतिलाभ	कुल प्रतिलाभ का प्रतिशत
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	पर्वतीय विकास										
33.		गढ़वाल अनुसूचित जनजाति विकास निगम लिमिटेड (गढ़वाल मण्डल विकास निगम लिमिटेड की सहायिका)	30 जून 1975	1987-88	1992-93	-9.19	50.00	-41.94	20.48	-8.93	---
34.		गढ़वाल मण्डल विकास निगम लिमिटेड	31 मार्च 1976	1992-93	1996-97	+88.50	451.50	+90.30	2769.60	110.62	3.99
35.		कुमाऊँ मण्डल अनुसूचित जनजाति विकास निगम लिमिटेड (कुमाऊँ मण्डल विकास निगम लिमिटेड की सहायिका)	30 जून 1975	1984-85	1997-98	-1.22	36.00	-0.83	37.56	-1.22	---
36.		कुमाऊँ मण्डल विकास निगम लिमिटेड	30 मार्च 1971	1994-95	1997-98	+4.08	836.61	-242.88	662.67	115.25	17.39
37.		कुमट्रान लिमिटेड (उत्तर प्रदेश हिल इलेक्ट्रानिक्स कारपोरेशन लिमिटेड की सहायिका)	27 अप्रैल 1987	1989-90	1990-91	-1.61	18.31	-1.61	12.35	-1.61	---

क्रम संख्या	विभाग/ सेक्टर	कम्पनी का नाम	निगमन की तिथि	लेखाओं की अवधि	वर्ष जिसमें अन्तिम रूप दिया गया	लाभ(+)/ हानि(–)	प्रदत्त पूँजी	संचित लाभ व हानि	नियोजित पूँजी	नियोजित पूँजी पर प्रतिलाभ	कुल प्रतिलाभ का प्रतिशत
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
38.		नादर्न इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट इण्डस्ट्रीज लिमिटेड (कुमाऊँ मण्डल विकास निगम लिमिटेड की सहायिका)	29 जनवरी 1977	1989-90	1997-98	-0.01	0.07	-0.55	0.07	-0.01	---
39.		ट्रान्स केबिल्स लिमिटेड (कुमाऊँ मण्डल विकास निगम लिमिटेड की सहायिका)	29 नवम्बर 1973	1994-95	1997-98	-46.38	63.24	-270.66	104.00	-23.80	---
40.		उत्तर प्रदेश हिलफोन्स लिमिटेड (उत्तर प्रदेश हिल इलेक्ट्रानिक्स कारपोरेशन लिमिटेड की सहायिका)	10 अगस्त 1987	---	---	---	---	---	---	---	---
41.		उत्तर प्रदेश हिल इलेक्ट्रानिक्स कारपोरेशन लिमिटेड	26 जून 1985	1993-94	1997-98	-21.41	794.03	-68.10	447.27	-21.41	---
42.		उत्तर प्रदेश हिल क्वार्टज़ लिमिटेड (उत्तर प्रदेश हिल इलेक्ट्रानिक्स लिमिटेड की सहायिका)	18 जुलाई 1989	---	---	---	---	---	---	---	----

क्रम संख्या	विभाग/ सेक्टर	कम्पनी का नाम	निगमन की तिथि	लेखाओं की अवधि	वर्ष जिसमें अन्तिम रूप दिया गया	लाभ(+)/ हानि(–)	प्रदत्त पूँजी	संचित लाभ व हानि	नियोजित पूँजी	नियोजित पूँजी पर प्रतिलाभ	कुल प्रतिलाभ का प्रतिशत
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	गृह										
43.		उत्तर प्रदेश पुलिस आवास निगम लिमिटेड	27 मार्च 1987	1996-97	1997-98	+149.24	300.00	+314.61	614.60	149.24	24.28
	उद्योग एवं औद्योगिक विकास										
44.		आटो ट्रैक्टर्स लिमिटेड	28 दिसम्बर 1972	1991-92	1995-96	+10.71	750.00	-6482.96	1114.18	36.32	3.26
45.		कान्टीनेन्टल फ्लोट ग्लास लिमिटेड	12 अप्रैल 1985	1995-96	1996-97	---	4599.95	---	20930.43	---	---
46.		दि इण्डियन टर्पेन्टाइन ऐण्ड रोज़िन कम्पनी लिमिटेड	22 फरवरी 1924	1996-97	1997-98	-193.19	22.02	-1232.65	-1027.93	-167.34	---
47.		उत्तर प्रदेश इन्स्ट्रूमेंट्स लिमिटेड (उत्तर प्रदेश स्टेट इण्डस्ट्रियल डेवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड)	1 जनवरी 1975	1995-96	1996-97	-336.23	202.22	-2232.19	-293.63	-162.91	---

क्रम संख्या	विभाग/ सेक्टर	कम्पनी का नाम	निगमन की तिथि	लेखाओं की अवधि	वर्ष जिसमें अन्तिम रूप दिया गया	लाभ(+)/ हानि(–)	प्रदत्त पूँजी	संचित लाभ व हानि	नियोजित पूँजी	नियोजित पूँजी पर प्रतिलाभ	कुल प्रतिलाभ का प्रतिशत
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
48.		उत्तर प्रदेश डिजिटल्स लिमिटेड (उत्तर प्रदेश स्टेट इण्डस्ट्रियल डेवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड की सहायिका)	8 मार्च 1978	1996-97	1997-98	-118.66	35.20	-694.54	35.26	-57.60	---
49.		उत्तर प्रदेश कार्बन ऐण्ड केमिकल लिमिटेड (उत्तर प्रदेश स्टेट इण्डस्ट्रियल डेवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड की सहायिका)	12 जनवरी 1982	---	---	---	---	---	---	---	---
50.		उत्तर प्रदेश स्टेट मिनरल डेवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड	23 मार्च 1974	1994-95	1997-98	-108.44	5640.48	-209.27	3018.69	-106.60	---
51.		विन्ध्याचल एब्रेसिव्स लिमिटेड (उत्तर प्रदेश मिनरल डेवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड की सहायिका)	5 दिसम्बर 1985	1987-88	1995-96	-11.78	270.00	-76.93	0.79	-10.86	----
	संस्थागत वित्त										
52.		उत्तर प्रदेश चलचित्र निगम लिमिटेड	10 सितम्बर 1975	1994-95	1997-98	+77.69	818.42	-908.54	594.32	128.14	21.56

क्रम संख्या	विभाग/ सेक्टर	कम्पनी का नाम	निगमन की तिथि	लेखाओं की अवधि	वर्ष जिसमें अन्तिम रूप दिया गया	लाभ(+)/ हानि(–)	प्रदत्त पूँजी	संचित लाभ व हानि	नियोजित पूँजी	नियोजित पूँजी पर प्रतिलाभ	कुल प्रतिलाभ का प्रतिशत
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	सिंचाई										
53.		उत्तर प्रदेश प्रोजेक्ट ऐण्ड ट्यूबवेल कारपोरेशन लिमिटेड (पूर्व में उत्तर प्रदेश नलकूप निगम लिमिटेड)	26 मई 1976	1996-97	1997-98	+16.23	1087.00	-438.18	601.18	16.23	2.70
	पंचायती राज										
54.		उत्तर प्रदेश पंचायती राज वित्त एवं विकास निगम लिमिटेड	24 अप्रैल 1973	1989-90	1996-97	-3.42	137.18	+3.06	143.07	-3.42	---
	नियोजन										
55.		मुहम्मदाबाद पीपुल्स टेनरी लिमिटेड	21 दिसम्बर 1964	1976-77	1992-93	-0.01	5.61	-4.26	1.35	-0.01	---
56.		उत्तर प्रदेश डेवलपमेंट सिस्टम्स कारपोरेशन लिमिटेड	15 मार्च 1977	1995-96	1997-98	+0.63	100.00	-16.85	83.15	0.63	0.76
	लोक निर्माण										
57.		उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण निगम लिमिटेड	1 मई 1975	1996-97	1997-98	+149.01	100.00	+1067.38	1167.38	149.01	12.76
58.		उत्तर प्रदेश राज्य सेतु निगम लिमिटेड	18 अक्टूबर 1972	1996-97	1997-98	+315.75	1000.00	-658.28	1919.00	416.75	51.90

क्रम संख्या	विभाग/ सेक्टर	कम्पनी का नाम	निगमन की तिथि	लेखाओं की अवधि	वर्ष जिसमें अन्तिम रूप दिया गया	लाभ(+)/ हानि(–)	प्रदत्त पूँजी	संचित लाभ व हानि	नियोजित पूँजी	नियोजित पूँजी पर प्रतिलाभ	कुल प्रतिलाभ का प्रतिशत
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	ग्रामीण एवं लघु उद्योग										
59.		यू पी एस आई सी पाट्रीज़ लिमिटेड (उत्तर प्रदेश स्माल इण्डस्ट्रीज कारपोरेशन लिमिटेड की सहायिका)	27 अप्रैल 1976	1989-90	1996-97	-36.66	76.26	-225.66	62.46	-24.37	---
60.		उत्तर प्रदेश प्लांट प्रोटेक्शन एप्लाईएंसेस (प्राइवेट) लिमिटेड (उत्तर प्रदेश स्माल इण्डस्ट्रीज कारपोरेशन लिमिटेड की सहायिका)	28 जून 1972	1974-75	1984-85	-0.81	0.92	-0.81	6.79	-0.81	---
61.		उत्तर प्रदेश स्माल इण्डस्ट्रीज़ कारपोरेशन लिमिटेड	1 जून 1958	1992-93	1996-97	-340.82	596.05	-448.52	1737.51	-98.06	---
62.		उत्तर प्रदेश स्टेट हैण्डलूम कारपोरेशन लिमिटेड	9 जनवरी 1973	1987-88	1997-98	-45.79	1193.49	-1161.39	3631.21	46.35	1.28

क्रम संख्या	विभाग/ सेक्टर	कम्पनी का नाम	निगमन की तिथि	लेखाओं की अवधि	वर्ष जिसमें अन्तिम रूप दिया गया	लाभ(+)/ हानि(–)	प्रदत्त पूँजी	संचित लाभ व हानि	नियोजित पूँजी	नियोजित पूँजी पर प्रतिलाभ	कुल प्रतिलाभ का प्रतिशत
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	चीनी एवं गन्ना विकास										
63.		छाता शुगर कम्पनी लिमिटेड (उत्तर प्रदेश राज्य चीनी निगम लिमिटेड की सहायिका)	18 अप्रैल 1975	1995-96	1997-98	-416.99	1273.09	-2403.44	2355.11	-10.74	---
64.		घाटमपुर शुगर कम्पनी लिमिटेड (उत्तर प्रदेश राज्य चीनी निगम लिमिटेड की सहायिका)	30 मई 1986	1995-96	1997-98	-532.51	894.85	-2301.48	606.25	-327.25	---
65.		किच्छा शुगर कम्पनी लिमिटेड (उत्तर प्रदेश राज्य चीनी निगम लिमिटेड की सहायिका)	17 फरवरी 1972	1996-97	1997-98	-576.55	1699.04	-757.05	4663.33	-181.71	---
66.		नन्दगंज सिहोरी शुगर कम्पनी लिमिटेड (उत्तर प्रदेश राज्य चीनी निगम लिमिटेड की सहायिका)	18 अप्रैल 1975	1994-95	1997-98	-562.09	3404.50	-5899.85	641.58	-353.05	---
67.		उत्तर प्रदेश (रूहेलखण्ड तराई) गन्ना बीज एवं विकास निगम लिमिटेड	27 अगस्त 1975	1996-97	1997-98	+9.22	70.64	+38.17	1866.69	249.11	13.35

क्रम संख्या	विभाग/ सेक्टर	कम्पनी का नाम	निगमन की तिथि	लेखाओं की अवधि	वर्ष जिसमें अन्तिम रूप दिया गया	लाभ(+)/ हानि(–)	प्रदत्त पूँजी	संचित लाभ व हानि	नियोजित पूँजी	नियोजित पूँजी पर प्रतिलाभ	कुल प्रतिलाभ का प्रतिशत
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
68.		उत्तर प्रदेश (पश्चिम) गन्ना बीज एवं विकास निगम लिमिटेड	27 अगस्त 1975	1996-97	1997-98	+17.34	61.45	+25.31	1442.36	257.14	17.83
69.		उत्तर प्रदेश (पूर्व) गन्ना बीज एवं विकास निगम लिमिटेड	27 अगस्त 1975	1995-96	1997-98	+0.45	29.51	+10.40	326.84	41.62	12.73
70.		उत्तर प्रदेश (मध्य) गन्ना बीज एवं विकास निगम लिमिटेड	27 अगस्त 1975	1996-97	1997-98	+11.10	24.69	-7.18	461.42	56.65	12.28
71.		उत्तर प्रदेश राज्य चीनी निगम लिमिटेड	26 मार्च 1971	1994-95	1997-98	-4189.46	47915.12	-56265.94	43032.69	1511.52	3.51
	पर्यटन										
72.		उत्तर प्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम लिमिटेड	5 अगस्त 1974	1996-97	1996-97	+103.59	1512.53	-186.12	1401.37	105.28	7.51
	वक्फ										
73.		उत्तर प्रदेश वक्फ विकास निगम लिमिटेड	27 अप्रैल 1987	1991-92	1997-98	+0.57	150.00	+0.55	121.03	0.57	0.47

क्रम संख्या	विभाग/ सेक्टर	कम्पनी का नाम	निगमन की तिथि	लेखाओं की अवधि	वर्ष जिसमें अन्तिम रूप दिया गया	लाभ(+)/ हानि(–)	प्रदत्त पूँजी	संचित लाभ व हानि	नियोजित पूँजी	नियोजित पूँजी पर प्रतिलाभ	कुल प्रतिलाभ का प्रतिशत
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	वित्त पोषण										
74.		दि प्रदेशीय इण्डस्ट्रियल ऐण्ड इन्वेस्टमेंट कारपोरेशन आफ उत्तर प्रदेश लिमिटेड	29 मार्च 1972	1996-97	1997-98	-2142.63	11057.50	-2136.95	58642.30	5119.92	8.73
75.		उत्तर प्रदेश अल्पसंख्यक वित्त एवं विकास निगम लिमिटेड	17 नवम्बर 1984	1989-90	1995-96	+7.20	327.50	-4.32	521.48	7.20	1.38
76.		उत्तर प्रदेश स्टेट इण्डस्ट्रियल डेवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड	29 मार्च 1961	1996-97	1997-98	+1175.47	2407.51	+731.70	8160.61	1555.16	19.18
	वस्त्र										
77.		उत्तर प्रदेश स्टेट यार्न कम्पनी लिमिटेड (उत्तर प्रदेश स्टेट टेक्सटाईल कारपोरेशन लिमिटेड की सहायिका) (पूर्वगामी उत्तर प्रदेश स्टेट स्पिनिंग मिल्स कम्पनी (संख्या 2) लिमिटेड)	20 अगस्त 1974	1996-97	1996-97	-220.82	3190.52	-5090.56	2055.63	19.09	0.93

क्रम संख्या	विभाग/ सेक्टर	कम्पनी का नाम	निगमन की तिथि	लेखाओं की अवधि	वर्ष जिसमें अन्तिम रूप दिया गया	लाभ(+)/ हानि(–)	प्रदत्त पूँजी	संचित लाभ व हानि	नियोजित पूँजी	नियोजित पूँजी पर प्रतिलाभ	कुल प्रतिलाभ का प्रतिशत
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
78.		उत्तर प्रदेश स्टेट टेक्सटाईल कारपोरेशन लिमिटेड	2 दिसम्बर 1969	1996-97	1997-98	+6504.87	16079.37	-18336.70	2941.04	8673.70	294.92
79.		उत्तर प्रदेश स्टेट स्पिनिंग कम्पनी लिमिटेड (उत्तर प्रदेश स्टेट टेक्सटाईल कारपोरेशन लिमिटेड की सहायिका) (पूर्वगामी उत्तर प्रदेश स्टेट स्पिनिंग मिल्स कम्पनी (संख्या 1) लिमिटेड)	20 अगस्त 1976	1996-97	1997-98	+1623.56	7842.84	-9901.63	4699.04	2518.51	55.72
	सीमेण्ट										
80.		उत्तर प्रदेश राज्य सीमेण्ट निगम लिमिटेड	29 मार्च 1972	1995-96	1996-97	-4775.52	6828.00	-42599.38	-23980.30	-2291.33	---

क्रम संख्या	विभाग/ सेक्टर	कम्पनी का नाम	निगमन की तिथि	लेखाओं की अवधि	वर्ष जिसमें अन्तिम रूप दिया गया	लाभ(+)/ हानि(–)	प्रदत्त पूँजी	संचित लाभ व हानि	नियोजित पूँजी	नियोजित पूँजी पर प्रतिलाभ	कुल प्रतिलाभ का प्रतिशत
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	विद्युत										
81.		उत्तर प्रदेश लघु जल विद्युत निगम लिमिटेड (पूर्वगामी उत्तर प्रदेश अल्पार्थक एवं लघु जल विद्युत निगम लिमिटेड)	15 अप्रैल 1972	1996-97	1997-98	+146.23	70.00	+256.04	7445.88	146.23	1.96
82.		उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड	22 अगस्त 1980	1996-97	1997-98	+36.49	25280.50	-10894.85	14385.61	36.49	0.25
		योग				**+10787.24 -(18748.45)**	**172740.92**	**+3513.17 -(201157.78)**	**193060.02**	**17465.04**	

परिशिष्ट 3

कम्पनियों के नाम, अन्तिम रूप दे दिये गये लेखाओं के वर्ष तथा वर्षों में लेखा बकायों को दर्शाती हुई विवरणी
(प्रस्तर 1.2.6 में संदर्भित)

क्रम संख्या	विभाग/सेक्टर	कम्पनी का नाम	अन्तिम रूप दिये गये लेखे की अवधि	वर्ष में लेखाओं का बकाया
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	कृषि			
1.		उत्तर प्रदेश भूमि सुधार निगम लिमिटेड	1995–96	2
2.		उत्तर प्रदेश स्टेट एग्रो इण्डस्ट्रियल कारपोरेशन लिमिटेड	1996–97	1
3.		उत्तर प्रदेश स्टेट हार्टीकल्चर प्रोड्यूस मार्केटिंग ऐण्ड प्रोसेसिंग कारपोरेशन लिमिटेड	1984–85	13
	पशुपालन			
4.		उत्तर प्रदेश पशुधन उद्योग निगम लिमिटेड	1990–91	7
5.		उत्तर प्रदेश स्टेट पौल्ट्री ऐण्ड लाइवस्टाक स्पेश्यलिटीज़ लिमिटेड	1994–95	3
	क्षेत्रीय विकास			
6.		आगरा मण्डल विकास निगम लिमिटेड	1986–87	11
7.		इलाहाबाद मण्डल विकास निगम लिमिटेड	1983–84	14
8.		बरेली मण्डल विकास निगम लिमिटेड (पूर्व में उत्तर प्रदेश पश्चिमी क्षेत्रीय विकास निगम लिमिटेड)	1984–85	13
9.		बुंदेलखण्ड कंक्रीट स्ट्रक्चरल्स लिमिटेड (उत्तर प्रदेश बुंदेलखण्ड विकास निगम लिमिटेड की सहायिका)	1986–87	11

क्रम संख्या	विभाग/सेक्टर	कम्पनी का नाम	अन्तिम रूप दिये गये लेखे की अवधि	वर्ष में लेखाओं का बकाया
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
10.		गोरखपुर मण्डल विकास निगम लिमिटेड	1985–86	12
11.		लखनऊ मण्डलीय विकास निगम लिमिटेड	1981–82	16
12.		मेरठ मण्डल विकास निगम लिमिटेड	1993–94	4
13.		मुरादाबाद मण्डल विकास निगम लिमिटेड	1987–88	10
14.		उत्तर प्रदेश पूर्वांचल विकास निगम लिमिटेड	1987–88	10
15.		उत्तर प्रदेश बुंदेलखण्ड विकास निगम लिमिटेड	1991–92	6
16.		वाराणसी मण्डल विकास निगम लिमिटेड	1987–88	10
	इलेक्ट्रानिक्स			
17.		श्रीट्रान इण्डिया लिमिटेड (उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रानिक्स कारपोरेशन लिमिटेड की सहायिका)	1997–98	—
18.		अपट्रान इण्डिया लिमिटेड (उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रानिक्स कारपोरेशन लिमिटेड की सहायिका)	1995–96	2
19.		अपलीज़ फाइनेन्शियल सर्विसेज़ लिमिटेड (पूर्व अपट्रान लीजिंग लिमिटेड) (उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रानिक्स कारपोरेशन लिमिटेड की सहायिका)	1996–97	1
20.		अपट्रान पावरट्रानिक्स लिमिटेड (उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रानिक्स कारपोरेशन लिमिटेड की सहायिका)	1996–97	1
21.		उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रानिक्स कारपोरेशन लिमिटेड	1996–97	1

क्रम संख्या	विभाग/सेक्टर	कम्पनी का नाम	अन्तिम रूप दिये गये लेखे की अवधि	वर्ष में लेखाओं का बकाया
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	निर्यात प्रोत्साहन			
22.		दि उत्तर प्रदेश एक्सपोर्ट कारपोरेशन लिमिटेड	1995–96	2
23.		दि उत्तर प्रदेश स्टेट ब्रासवेयर कारपोरेशन लिमिटेड	1991–92	6
24.		उत्तर प्रदेश स्टेट लेदर डेवलपमेंट ऐण्ड मार्केटिंग कारपोरेशन लिमिटेड	1996–97	1
	मत्स्य			
25.		उत्तर प्रदेश मत्स्य विकास निगम लिमिटेड	1989–90	8
	खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति			
26.		उत्तर प्रदेश खाद्य एवं आवश्यक वस्तु निगम लिमिटेड	1985–86	12
	हरिजन एवं समाज कल्याण			
27.		तराई अनुसूचित जनजाति विकास निगम लिमिटेड	1982–83	15
28.		उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम लिमिटेड	1992–93	5
29.		उत्तर प्रदेश पिछड़ी जाति वित्त एवं विकास निगम लिमिटेड	1994–95	3
30.		उत्तर प्रदेश भूतपूर्व सैनिक कल्याण निगम लिमिटेड	1994–95	3
31.		उत्तर प्रदेश महिला कल्याण निगम लिमिटेड	1995–96	2
32.		उत्तर प्रदेश समाज कल्याण निगम लिमिटेड (पूर्व में हरिजन एवं निर्बल वर्ग आवास निगम लिमिटेड)	1996–97	1

क्रम संख्या	विभाग/सेक्टर	कम्पनी का नाम	अन्तिम रूप दिये गये लेखे की अवधि	वर्ष में लेखाओं का बकाया
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	पर्वतीय विकास			
33.		गढ़वाल अनुसूचित जनजाति विकास निगम लिमिटेड (गढ़वाल मण्डल विकास निगम लिमिटेड की सहायिका)	1987–88	10
34.		गढ़वाल मण्डल विकास निगम लिमिटेड	1992–93	5
35.		कुमाऊँ मण्डल अनुसूचित जनजाति विकास निगम लिमिटेड)कुमाऊँ मण्डल विकास निगम लिमिटेड की सहायिका)	1984–85	13
36.		कुमाऊँ मण्डल विकास निगम लिमिटेड	1994–95	3
37.		कुमट्रान लिमिटेड (उत्तर प्रदेश हिल इलेक्ट्रानिक्स कारपोरेशन लिमिटेड की सहायिका)	1989–90	8
38.		नादर्न इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट इण्डस्ट्रीज़ लिमिटेड (कुमाऊँ मण्डल विकास निगम लिमिटेड की सहायिका)	1989–90	8
39.		ट्रान्स केबिल्स लिमिटेड (कुमाऊँ मण्डल विकास निगम लिमिटेड की सहायिका)	1994–95	3
40.		उत्तर प्रदेश हिलफोन्स लिमिटेड (उत्तर प्रदेश हिल इलेक्ट्रानिक्स कारपोरेशन लिमिटेड की सहायिका)	प्रारम्भ से ही लेखों को अन्तिम रूप नहीं दिया गया (10.08.1987)	11
41.		उत्तर प्रदेश हिल इलेक्ट्रानिक्स कारपोरेशन लिमिटेड	1993–94	4
42.		उत्तर प्रदेश हिल क्वार्टज़ लिमिटेड (उत्तर प्रदेश हिल इलेक्ट्रानिक्स लिमिटेड की सहायिका)	प्रारम्भ से ही लेखों को अन्तिम रूप नहीं दिया गया (18.07.1989)	9
	गृह			
43.		उत्तर प्रदेश पुलिस आवास निगम लिमिटेड	1996–97	1

क्रम संख्या	विभाग/सेक्टर	कम्पनी का नाम	अन्तिम रूप दिये गये लेखे की अवधि	वर्ष में लेखाओं का बकाया
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	उद्योग एवं औद्योगिक विकास			
44.		आटो ट्रैक्टर्स लिमिटेड	1991–92	6
45.		कान्टीनेन्टल फ्लोट ग्लास लिमिटेड (उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक निगम लिमिटेड की सहायिका)	1995–96	2
46.		दि इण्डियन टर्पेन्टाइन ऐण्ड रोजिन कम्पनी लिमिटेड	1996–97	1
47.		उत्तर प्रदेश इन्स्ट्रूमेंट्स लिमिटेड (उत्तर प्रदेश स्टेट इण्डस्ट्रियल डेवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड की सहायिका)	1995–96	2
48.		उत्तर प्रदेश डिज़िटल्स लिमिटेड (उत्तर प्रदेश स्टेट इण्डस्ट्रियल डेवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड की सहायिका)	1996–97	1
49.		उत्तर प्रदेश कार्बन ऐण्ड केमिकल लिमिटेड (उत्तर प्रदेश स्टेट इण्डस्ट्रियल डेवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड की सहायिका)	प्रारम्भ से ही लेखों को अन्तिम रूप नहीं दिया गया (23.02.1989)	9
50.		उत्तर प्रदेश स्टेट मिनरल डेवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड	1994–95	3
51.		विन्ध्याचल एब्रेसिव्स लिमिटेड (उत्तर प्रदेश मिनरल डेवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड की सहायिका)	1987–88	10
	संस्थागत वित्त			
52.		उत्तर प्रदेश चलचित्र निगम लिमिटेड	1994–95	3
	सिंचाई			
53.		उत्तर प्रदेश प्रोजेक्ट ऐण्ड ट्यूबवेल कारपोरेशन लिमिटेड (पूर्व में उत्तर प्रदेश नलकूप निगम लिमिटेड)	1996–97	1

क्रम संख्या	विभाग/सेक्टर	कम्पनी का नाम	अन्तिम रूप दिये गये लेखे की अवधि	वर्ष में लेखाओं का बकाया
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	पंचायती राज			
54.		उत्तर प्रदेश पंचायती राज वित्त एवं विकास निगम लिमिटेड	1989–90	8
	नियोजन			
55.		मुहम्मदाबाद पीपुल्स टेनरी लिमिटेड	1976–77	21
56.		उत्तर प्रदेश डेवलपमेंट सिस्टम्स कारपोरेशन लिमिटेड	1995–96	2
	लोक निर्माण			
57.		उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण निगम लिमिटेड	1996–97	1
58.		उत्तर प्रदेश राज्य सेतु निगम लिमिटेड	1996–97	1
	ग्रामीण एवं लघु उद्योग			
59.		यू पी एस आई सी पाट्रीज़ लिमिटेड (उत्तर प्रदेश स्माल इण्डस्ट्रीज कारपोरेशन लिमिटेड की सहायिका)	1989–90	8
60.		उत्तर प्रदेश प्लांट प्रोटेक्शन एप्लाईएंसेस (प्राइवेट) लिमिटेड (उत्तर प्रदेश स्माल इण्डस्ट्रीज कारपोरेशन लिमिटेड की सहायिका)	1974–75	23
61.		उत्तर प्रदेश स्माल इण्डस्ट्रीज़ कारपोरेशन लिमिटेड	1992–93	6
62.		उत्तर प्रदेश स्टेट हैण्डलूम कारपोरेशन लिमिटेड	1987–88	10
	चीनी एवं गन्ना विकास			
63.		छाता शुगर कम्पनी लिमिटेड (उत्तर प्रदेश राज्य चीनी निगम लिमिटेड की सहायिका)	1995–96	2

क्रम संख्या	विभाग/सेक्टर	कम्पनी का नाम	अन्तिम रूप दिये गये लेखे की अवधि	वर्ष में लेखाओं का बकाया
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
64.		घाटमपुर शुगर कम्पनी लिमिटेड (उत्तर प्रदेश राज्य चीनी निगम लिमिटेड की सहायिका)	1995–96	2
65.		किच्छा शुगर कम्पनी लिमिटेड (उत्तर प्रदेश राज्य चीनी निगम लिमिटेड की सहायिका)	1996–97	1
66.		नन्दगंज सिहोरी शुगर कम्पनी लिमिटेड (उत्तर प्रदेश राज्य चीनी निगम लिमिटेड की सहायिका)	1994–95	3
67.		उत्तर प्रदेश (रूहेलखण्ड तराई) गन्ना बीज एवं विकास निगम लिमिटेड	1996–97	1
68.		उत्तर प्रदेश (पश्चिम) गन्ना बीज एवं विकास निगम लिमिटेड	1996–97	1
69.		उत्तर प्रदेश (पूर्व) गन्ना बीज एवं विकास निगम लिमिटेड	1995–96	2
70.		उत्तर प्रदेश (मध्य) गन्ना बीज एवं विकास निगम लिमिटेड	1996–97	1
71.		उत्तर प्रदेश राज्य चीनी निगम लिमिटेड	1994–95	3
	पर्यटन			
72.		उत्तर प्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम लिमिटेड	1996–97	1
	वक्फ			
73.		उत्तर प्रदेश वक्फ विकास निगम लिमिटेड	1991–92	6
	वित्त			
74.		दि प्रदेशीय इण्डस्ट्रियल ऐण्ड इन्वेस्टमेंट कारपोरेशन आफ उत्तर प्रदेश लिमिटेड	1996–97	1

क्रम संख्या	विभाग/सेक्टर	कम्पनी का नाम	अन्तिम रूप दिये गये लेखे की अवधि	वर्ष में लेखाओं का बकाया
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
75.		उत्तर प्रदेश अल्पसंख्यक वित्त एवं विकास निगम लिमिटेड	1989–90	8
76.		उत्तर प्रदेश स्टेट इण्डस्ट्रियल डेवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड	1996–97	1
	वस्त्र			
77.		उत्तर प्रदेश स्टेट यार्न कम्पनी लिमिटेड (उत्तर प्रदेश स्टेट टेक्सटाईल कारपोरेशन लिमिटेड की सहायिका) (पूर्वगामी उत्तर प्रदेश स्टेट स्पिनिंग मिल्स कम्पनी (संख्या–2) लिमिटेड)	1996–97	1
78.		उत्तर प्रदेश स्टेट टेक्सटाईल कारपोरेशन लिमिटेड	1996–97	1
79.		उत्तर प्रदेश स्टेट स्पिनिंग कम्पनी लिमिटेड ;उत्तर प्रदेश स्टेट टेक्सटाईल कारपोरेशन लिमिटेड की सहायिका) (पूर्वगामी उत्तर प्रदेश स्टेट स्पिनिंग मिल्स कम्पनी (संख्या–1) लिमिटेड)	1996–97	1
	सीमेण्ट			
80.		उत्तर प्रदेश राज्य सीमेण्ट निगम लिमिटेड	1995–96	2
	विद्युत			
81.		उत्तर प्रदेश लघु जल विद्युत निगम लिमिटेड (पूर्वगामी उत्तर प्रदेश अल्पार्थक एवं लघु जल विद्युत निगम लिमिटेड)	1996–97	1
82.		उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड	1996–97	1

परिशिष्ट 3अ

परिसमापनाधीन सरकारी कम्पनियों के नवीनतम वर्ष के वित्तीय परिणाम, जिनके लेखे को अन्तिम रूप दे दिया गया था, को दर्शाती हुई विवरणी

(स्तम्भ संख्या 4, 5, 6, एवं 12 के आंकड़ों को छोड़कर लाख रुपये में)

(प्रस्तर 1.2.1 में संदर्भित)

क्रम संख्या	विभाग/सेक्टर	कम्पनी का नाम	निगमन की तिथि/समापन में जाने की तिथि	लेखे का वर्ष/वर्षों में लेखे का बकाया	वर्ष जिसमें अन्तिम रूप दिया गया	लाभ (+)/ हानि (–)	चुकता पूँजी	संग्रहीत लाभ व हानि	नियोजित पूँजी	नियोजित पूँजी पर प्रतिलाभ	नियोजित पूँजी पर प्रतिलाभ का प्रतिशत
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1.	कृषि	यू पी ए आई लिमिटेड	20.4.1977 31.3.1991	1985-86 5	—	-0.35	17.01	3.17	12.39	-0.35	—
2.	क्षेत्रीय विकास	गण्डक समादेश क्षेत्रीय विकास लिमिटेड	15.3.1975 07.6.1997	—	—	—	46.00	—	—	—	—
3.	उद्योग	उत्तर प्रदेश एबस्काट प्राइवेट लिमिटेड	28.6.1972 19.4.1986	1975-76 10	—	—	4.85	—	—	—	—
4.	वस्त्र	इण्डिन बाबिन कम्पनी लिमिटेड	22.2.1964 10.9.1973	—	—	—	2.74	—	—	—	—
5.	उद्योग	दि टर्पेन्टाइन सब्सिडियरी इन्डस्ट्रीज लिमिटेड (दि इण्डियन टर्पेन्टाइन ऐण्ड रोज़िन कम्पनी लिमिटेड की सहायिका)	11.7.1939 01.4.1978	—	—	—	15.56	—	—	—	—

क्रम संख्या	विभाग/सेक्टर	कम्पनी का नाम	निगमन की तिथि/समापन में जाने की तिथि	लेखे का वर्ष/वर्षों में लेखे का बकाया	वर्ष जिसमें अन्तिम रूप दिया गया	लाभ (+)/ हानि (–)	चुकता पूँजी	संग्रहीत लाभ व हानि	नियोजित पूँजी	नियोजित पूँजी पर प्रतिलाभ	नियोजित पूँजी पर प्रतिलाभ का प्रतिशत
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
6.	हैन्डलूम	हैण्डलूम इन्टेंसिव डेवलपमेंट कारपोरेशन गोरखपुर–बस्ती) लिमिटेड (उत्तर प्रदेश स्टेट हैण्डलूम डेवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड की सहायिका)	26.5.1976 01.4.1991	1987-88 3	—	-9.09	3.00	27.01	131.50	-3.80	—
7.	हैन्डलूम	हैण्डलूम इन्टेंसिव डेवलपमेंट प्रोजेक्ट (धामपुर–बिजनौर) लिमिटेड (उत्तर प्रदेश स्टेट हैण्डलूम डेवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड की सहायिका)	13.9.1976 01.4.1991	1984-85 6	—	4.35	2.00	40.29	329.18	24.58	7.47
8.	वस्त्र	उत्तर प्रदेश टेक्सटाईल प्रिंटिंग कारपोरेशन लिमिटेड (उत्तर प्रदेश स्टेट हैण्डलूम डेवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड की सहायिका)	05.12.1975 01.04.1991	1987-88 3	—	-4.05	26.00	1.95	49.38	-4.05	—
9.	उद्योग एवं औद्योगिक विकास	उत्तर प्रदेश कार्बाइड ऐण्ड केमिकल लिमिटेड (उत्तर प्रदेश स्टेट मिनरेल डेवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड की सहायिका)	23.4.1979 19.2.1994	1992-93 1	—	-617.54	658.73	-3531.51	-1844.86	-50.57	-176.21
10.	उद्योग एवं औद्योगिक विकास	उत्तर प्रदेश टायर एवं ट्यूब्स लिमिटेड (उत्तर प्रदेश स्टेट इन्डस्ट्रीयल डेवलपमेंट कारपोरेशन की सहायिका	14.1.1976 09.1.1996	1992-93 3	—	-217.08	183.16	-996.09	-405.96	209.53	-143.19

क्रम संख्या	विभाग/सेक्टर	कम्पनी का नाम	निगमन की तिथि/समापन में जाने की तिथि	लेखे का वर्ष/वर्षों में लेखे का बकाया	वर्ष जिसमें अन्तिम रूप दिया गया	लाभ (+)/ हानि (–)	चुकता पूँजी	संग्रहीत लाभ व हानि	नियोजित पूँजी	नियोजित पूँजी पर प्रतिलाभ	नियोजित पूँजी पर प्रतिलाभ का प्रतिशत
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
11.	वस्त्र	भदोही ऊलेन मिल्स लिमिटेड (उत्तर प्रदेश स्टेट टेक्सटाइल कारपोरेशन लिमिटेड की सहायिका)	14.6.1976 20.2.1996	1994-95 1	—	-165.77	375.54	-1195.91	-49.09	85.35	-28.54
12.	इलेक्ट्रानिक्स	कानपुर कम्पोनेन्ट्स लिमिटेड (उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रानिक्स कारपोरेशन लिमिटेड की सहायिका)	31.3.1978 10.6.1996	— 18	—	—	5.43	—	—	—	—
13.	इलेक्ट्रानिक्स	अपट्रान सेमपैक लिमिटेड (उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रानिक्स कारपोरेशन लिमिटेड की सहायिका)	23.5.1977 10.6.1996	1979-80 16	—	—	2.25	—	—	—	—
14.	पर्वतीय विकास	टेलीट्रानिक्स लिमिटेड (कुमाऊँ मण्डल विकास निगम लिमिटेड की सहायिका)	27.1.1973 30.11.1996	1991-92 5	—	-62.25	174.71	-151.02	102.26	119.44	-61.16
15.	पर्वतीय विकास	कुमाऊँ टेलीविजन लिमिटेड (कुमाऊँ मण्डल विकास निगम लिमिटेड की सहायिका)	24.8.1977 30.11.1996	1992-93 4	—	-40.49	99.75	-193.44	-29.31	-33.12	—
योग							**1616.83**				

परिशिष्ट 3ब

वर्ष 1997–98 के दौरान प्राप्त उपदानों व प्रत्याभूतियों तथा वर्ष के अन्त में बकाया प्रत्याभूतियों को दर्शाने वाली विवरणी
(प्रस्तर 1.2.4 व 1.2.5 में संदर्भित)

(करोड़ रुपये में)

क्रम संख्या	कम्पनी का नाम	वर्ष के दौरान प्राप्त उपदान		वर्ष के दौरान प्राप्त प्रत्याभूतियाँ			बकाया प्रत्याभूतियाँ	प्रत्याभूतियों पर बकाया कमीशन
		राज्य	योग	एस बी आई तथा अन्य राष्ट्रीयकृत बैंकों से नकद उधार	अन्य श्रोतों से ऋण	योग		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	उत्तर प्रदेश पूर्वांचल विकास निगम लिमिटेड	0.49	0.49	—	—	—	—	—
2.	उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड	5.79	5.79	0.00	0.00	0.00	25.59	—
3.	उत्तर प्रदेश स्टेट एग्रो इण्डस्ट्रियल कारपोरेशन लिमिटेड	7.60	7.60	—	—	—	—	—

(करोड़ रुपये में)

क्रम संख्या	कम्पनी का नाम	वर्ष के दौरान प्राप्त उपदान		वर्ष के दौरान प्राप्त प्रत्याभूतियाँ			बकाया प्रत्याभूतियाँ	प्रत्याभूतियों पर बकाया कमीशन
		राज्य	योग	एस बी आई तथा अन्य राष्ट्रीयकृत बैंकों से नकद उधार	अन्य श्रोतों से ऋण	योग		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
4.	उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम लिमिटेड	90.34	90.34	—	—	—	—	—
5.	गढ़वाल अनूसूचित जनजाति विकास निगम लिमिटेड (गढ़वाल मण्डल विकास निगम लिमिटेड की सहायिका)	0.29	0.29	—	—	—	—	—
6.	इलाहाबाद मण्डल विकास निगम लिमिटेड	0.65	0.65	0.00	0.00	0.00	0.08	—
7.	गोरखपुर मण्डल विकास निगम लिमिटेड	0.24	0.24	—	—	—	—	—
8.	उत्तर प्रदेश मत्स्य विकास निगम लिमिटेड	4.05	4.05	—	—	—	—	—

(करोड़ रुपये में)

क्रम संख्या	कम्पनी का नाम	वर्ष के दौरान प्राप्त उपदान		वर्ष के दौरान प्राप्त प्रत्याभूतियाँ			बकाया प्रत्याभूतियाँ	प्रत्याभूतियों पर बकाया कमीशन
		राज्य	योग	एस बी आई तथा अन्य राष्ट्रीयकृत बैंकों से नकद उधार	अन्य श्रोतों से ऋण	योग		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
9.	उत्तर प्रदेश अल्पसंख्यक वित्त एवं विकास निगम लिमिटेड	2.25	2.25	0.00	0.00	0.00	38.18	—
10.	उत्तर प्रदेश जल विद्युत निगम लिमिटेड (पूर्वगामी उत्तर प्रदेश अल्पार्थक एवं लघु जल विद्युत निगम लिमिटेड)	15.50	15.50	0.00	0.00	0.00	0.00	—
11.	उत्तर प्रदेश महिला कल्याण निगम लिमिटेड	0.60	0.60	—	—	—	—	—
12.	उत्तर प्रदेश भूमि सुधार निगम लिमिटेड	69.71	69.71	—	—	—	—	—
13.	वाराणसी मण्डल विकास निगम लिमिटेड	0.26	0.26	—	—	—	—	—

(करोड़ रुपये में)

क्रम संख्या	कम्पनी का नाम	वर्ष के दौरान प्राप्त उपदान		वर्ष के दौरान प्राप्त प्रत्याभूतियाँ			बकाया प्रत्याभूतियाँ	प्रत्याभूतियों पर बकाया कमीशन
		राज्य	योग	एस बी आई तथा अन्य राष्ट्रीयकृत बैंकों से नकद उधार	अन्य श्रोतों से ऋण	योग		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
14.	उत्तर प्रदेश स्टेट टेक्सटाईल कारपोरेशन लिमिटेड	—	—	25.00	0.00	25.00	62.29	—
15.	उत्तर प्रदेश स्टेट स्पिनिंग कम्पनी लिमिटेड	—	—	18.20	0.00	18.20	46.99	—
16.	तराई अनुसूचित जनजाति विकास निगम लिमिटेड	—	—	0.00	0.00	0.00	0.71	—
17.	दि इण्डियन टर्पेन्टाइन ऐण्ड रोज़िन कम्पनी लिमिटेड	—	—	0.00	1.25	1.25	3.13	—
18.	उत्तर प्रदेश स्माल इण्डस्ट्रीज़ कारपोरेशन लिमिटेड	—	—	8.00	3.00	11.00	9.22	—
19.	उत्तर प्रदेश राज्य चीनी निगम लिमिटेड	—	—	61.24	72.36	133.60	120.01	—

(करोड़ रुपये में)

क्रम संख्या	कम्पनी का नाम	वर्ष के दौरान प्राप्त उपदान		वर्ष के दौरान प्राप्त प्रत्याभूतियाँ			बकाया प्रत्याभूतियाँ	प्रत्याभूतियों पर बकाया कमीशन
		राज्य	योग	एस बी आई तथा अन्य राष्ट्रीयकृत बैंकों से नकद उधार	अन्य श्रोतों से ऋण	योग		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
20.	उत्तर प्रदेश राज्य सीमेण्ट निगम लिमिटेड	—	—	0.00	0.00	0.00	10.00	—
21.	उत्तर प्रदेश स्टेट लेदर डेवलपमेंट एण्ड मार्केटिंग कारपोरेशन लिमिटेड	—	—	0.75	0.00	0.75	0.75	—
22.	उत्तर प्रदेश खाद्य एवं आवश्यक वस्तु निगम लिमिटेड	—	—	8.00	2.50	10.50	0.00	—
23.	नन्दगंज सिहोरी शुगर कम्पनी लिमिटेड	—	—	16.00	0.00	16.00	16.00	—
24.	छाता शुगर कम्पनी लिमिटेड	—	—	0.00	0.00	0.00	17.60	—

(करोड़ रुपये में)

क्रम संख्या	कम्पनी का नाम	वर्ष के दौरान प्राप्त उपदान		वर्ष के दौरान प्राप्त प्रत्याभूतियाँ			बकाया प्रत्याभूतियाँ	प्रत्याभूतियों पर बकाया कमीशन
		राज्य	योग	एस बी आई तथा अन्य राष्ट्रीयकृत बैंकों से नकद उधार	अन्य श्रोतों से ऋण	योग		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
25.	उत्तर प्रदेश (रूहेलखण्ड तराई) गन्ना बीज एवं विकास निगम लिमिटेड	—	—	20.00	0.00	20.00	0.00	—
26.	उत्तर प्रदेश (पश्चिम) गन्ना बीज एवं विकास निगम लिमिटेड	—	—	18.00	0.00	18.00	8.86	—
27.	उत्तर प्रदेश (पूर्व) गन्ना बीज एवं विकास निगम लिमिटेड	—	—	2.98	0.00	2.98	3.22	—
28.	लखनऊ मण्डलीय विकास निगम लिमिटेड	—	—	0.00	0.00	0.00	0.88	—
29.	उत्तर प्रदेश समाज कल्याण निगम लिमिटेड	—	—	0.00	0.00	0.00	1.77	—
30.	बरेली मण्डल विकास निगम लिमिटेड	—	—	0.00	0.00	0.00	0.25	—

(करोड़ रुपये में)

क्रम संख्या	कम्पनी का नाम	वर्ष के दौरान प्राप्त उपदान		वर्ष के दौरान प्राप्त प्रत्यामूतियाँ			बकाया प्रत्यामूतियाँ	प्रत्यामूतियों पर बकाया कमीशन
		राज्य	योग	एस बी आई तथा अन्य राष्ट्रीयकृत बैंकों से नकद उधार	अन्य श्रोतों से ऋण	योग		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
31.	उत्तर प्रदेश स्टेट हार्टीकल्चर प्रोड्यूस मार्केटिंग ऐण्ड प्रासेसिंग कारपोरेशन लिमिटेड	—	—	0.00	0.00	0.00	0.56	—
32.	घाटमपुर शुगर कम्पनी लिमिटेड	—	—	10.00	4.15	14.15	10.00	—
33.	उत्तर प्रदेश पिछड़ी जाति वित्त एवं विकास निगम लिमिटेड	—	—	0.00	0.00	0.00	1.48	—
34.	उत्तर प्रदेश (मध्य) गन्ना बीज एवं विकास निगम लिमिटेड	—	—	6.00	0.00	6.00	6.01	—
	योग	**197.77**	**197.77**	**194.17**	**83.26**	**277.43**	**383.58**	**—**

परिशिष्ट 4

वर्ष 1997–98 में क्षमता उपयोजन दर्शाती हुई विवरणी
(प्रस्तर 1.2.11 में संदर्भित)

क्रम संख्या	कम्पनी का नाम	इकाई	संस्थापित क्षमता	उपयोजन	उपयोजन का प्रतिशत
1	2	3	4	5	6
1.	उत्तर प्रदेश स्टेट यार्न कम्पनी लिमिटेड (उत्तर प्रदेश राज्य वस्त्र निगम कारपोरेशन की सहायिका) उत्तर प्रदेश स्टेट स्पिनिंग मिल्स कम्पनी (संख्या–2) लिमिटेड की उत्तराधिकारी)	स्पिन्डिल्स/ किलोग्राम	99680 स्पिन्डिल्स	112.82 लाख किलोग्राम	88.90
2.	उत्तर प्रदेश स्टेट स्पिनिंग कम्पनी लिमिटेड (उत्तर प्रदेश राज्य वस्त्र निगम लिमिटेड की सहायिका) उत्तर प्रदेश स्टेट स्पिनिंग मिल्स कम्पनी (संख्या–2) लिमिटेड की उत्तराधिकारी)	स्पिन्डिल्स/ किलोग्राम	150000 स्पिन्डिल्स	159.63 लाख किलोग्राम	91.28
3.	किच्छा शुगर कम्पनी लिमिटेड (उत्तर प्रदेश स्टेट शुगर कारपोरेशन लिमिटेड की सहायिका)	टी सी डी/कुन्तल	4000 टी सी डी	4.71 लाख कुन्तल	73.68
4.	दि इण्डियन टर्पेन्टाइन ऐण्ड रोज़िन कम्पनी लिमिटेड	एम टी/के एल	11046 एम टी 18770 के एल	4701 एम टी 1115 के एल	42.56 5.94
5.	उत्तर प्रदेश राज्य शुगर कारपोरेशन लिमिटेड	टी सी डी/कुन्तल	57564.50 टी सी डी	5372689 कुन्तल	83.64
6.	उत्तर प्रदेश राज्य सीमेन्ट कारपोरेशन लिमिटेड	एम टी प्रति वर्ष	2560000 एम टी	229000	8.95

क्रम संख्या	कम्पनी का नाम	इकाई	संस्थापित क्षमता	उपयोजन	उपयोजन का प्रतिशत
1	2	3	4	5	6
7.	ट्रान्स केबिल्स लिमिटेड (कुमाऊँ मण्डल विकास निगम लिमिटेड की सहायिका)	किलो मीटर प्रति वर्ष	7200	1780	24.72
8.	उत्तर प्रदेश स्टेट लेदर डेवलपमेंट ऐण्ड मार्केटिंग कारपोरेशन लिमिटेड	जोड़े प्रति वर्ष	160000	112688	70.00
9.	उत्तर प्रदेश इन्स्ट्रूमेंट्स लिमिटेड (उत्तर प्रदेश स्टेट इन्डस्ट्रियल डेवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड की सहायिका)	संख्या	72000	17914	24.88
10.	उत्तर प्रदेश मत्स्य विकास निगम लिमिटेड	संख्या लाख में	2700	2685	99.44
11.	उत्तर प्रदेश लघु जल विद्युत निगम लिमिटेड (उत्तर प्रदेश अल्पार्थक एवं लघु जल विद्युत निगम लिमिटेड की उत्तराधिकारी)	संख्या लाख में प्रति वर्ष	306	181	59.15
12.	उत्तर प्रदेश हिल इलेक्ट्रानिक्स कारपोरेशन लिमिटेड	संख्या	12000	10	0.08
13.	घाटमपुर शुगर कम्पनी लिमिटेड (उत्तर प्रदेश स्टेट शुगर कारपोरेशन लिमिटेड की सहायिका)	टी सी डी/ कुन्तल	1250 टी सी डी	80870 कुन्तल	88.00
14.	नन्दगंज सिहोरी शुगर कम्पनी लिमिटेड (उत्तर प्रदेश स्टेट शुगर कारपोरेशन लिमिटेड की सहायिका)	टी सी डी/कुन्तल टी सी डी	1500 कुन्तल	163025	84.00

परिशिष्ट 5

सांविधिक निगमों के नवीनतम वर्ष के संक्षिप्त वित्तीय परिणामों, जिनके वार्षिक लेखाओं को अन्तिम रूप दिया जा चुका है, को दर्शाने वाली विवरणी
(प्रस्तर 1.3.7 में संदर्भित)

(करोड़ रुपये में)

क्रम संख्या	निगम का नाम	प्रशासनिक विभाग का नाम	निगमन का वर्ष	लेखे का वर्ष	लाभ(+)/ हानि(–)	दीर्घकालीन ऋण पर ब्याज	नियोजित पूँजी पर कुल प्रतिलाभ	नियोजित पूँजी	नियोजित पूँजी पर कुल प्रतिलाभ का प्रतिशत
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1.	उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद	विद्युत	अप्रैल 1959	1997-98	291.64	1601.55	1893.19	6415.59	29.51
2.	उत्तर प्रदेश वित्तीय निगम	उद्योग	1954	1996-97	(-)14.26	151.21	136.95	1286.81	10.64
3.	उत्तर प्रदेश राज्य भण्डारागार निगम	सहकारिता	1958	1997-98	(+)3.74	0.28	4.02	34.86	11.53
4.	उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम	परिवहन	1972	1996-97	(-)48.14	23.90	(-)24.24	0.29	--
5.	उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद	आवास	1996	1994-95	(+)0.84	24.28	25.12	286.19	8.78
6.	उत्तर प्रदेश जल निगम	शहरी विकास	1975	1996-97	(-)52.36	26.15	(-)26.21	2733.84	--

परिशिष्ट 6

1996–97 तक दो वर्षों में, 10 जिलों में वितरित नहीं की गई निधियों को दर्शाती हुई विवरणी
(प्रस्तर 2.5.1 में संदर्भित)

(लाख रुपये में)

जिला कार्यालय का नाम	बैंक में जमा की गई राशि (एस सी पी–5 के अनुसार)			बैंकों द्वारा वापस की गई धनराशि			वितरित धनराशि (लेखा विवरणों के अनुसार)			बैंकों में पड़ी हुई अवितरित धनराशि		
	लाभार्थियों की संख्या	परिदान	एम एम ऋण	लाभार्थियों की संख्या	परिदान	एम एम ऋण	लाभार्थियों की संख्या	परिदान	एम एम ऋण	लाभार्थियों की संख्या	परिदान	एम एम ऋण
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
बुलन्दशहर	4077	246.21	109.94	68	2.68	0.85	2536	126.01	41.12	1473	117.52	67.97
मथुरा	2517	150.87	34.95	124	8.23	2.10	693	41.29	8.78	1700	101.35	24.07
मेरठ	4308	255.17	64.09	65	3.20	1.12	323	17.04	3.40	3920	234.93	59.57
शाहजहाँपुर	2101	122.50	6.96	13	0.78	0.03	878	50.02	2.51	1210	71.70	4.42
हरदोई	5692	313.14	71.78	133	6.35	1.68	578	25.80	5.86	4981	280.99	64.24
रामपुर	1337	74.94	24.17	49	2.32	1.32	310	17.23	3.88	978	55.39	18.97
बरेली	2741	184.32	32.05	--	1.27	0.45	927	50.76	9.13	1814	132.29	22.47
प्रतापगढ़	3917	256.81	16.05	--	16.71	1.08	--	--	--	3917	240.10	14.97
लखनऊ	3324	186.13	119.58	457	27.38	9.27	--	--	--	2867	158.75	110.31
फैजाबाद	3907	231.05	28.11	242	13.94	2.85	625	36.14	6.60	3040	180.97	18.66
योग	**33921**	**2021.14**	**507.68**	**1151**	**82.86**	**20.75**	**6870**	**364.29**	**81.28**	**25900**	**1573.99**	**405.65**

परिशिष्ट 7

1997–98 तक के छः वर्षों की अवधि में एस ई पी के लक्ष्यों एवं उपलब्धियों (भौतिक एवं वित्तीय) को दर्शाती हुई विवरणी (प्रस्तर 2.5.1 में संदर्भित)

वर्ष	भौतिक (लाभार्थियों की संख्या)		वित्तीय (लाख रूपये में)						औसत परियोजना लागत
			लक्ष्य			बैंकों में जमा की गई धनराशि के आधार पर उपलब्धियाँ			
	लक्ष्य	उपलब्धियाँ	परिदान	एम एम ऋण	बैंक ऋण	परिदान	एम एम ऋण	बैंक ऋण	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1992-93	110000	95257	4840	986	9401	4532.84	364.92	6554.75	0.12
1993-94	90000	94943	4500	1001	8369	4536.13	548.89	6861.45	0.13
1994-95	100000	88862	6000	1067	9341	5163.04	454.51	6983.89	0.14
1995-96	100000	98532	6000	1067	0341	5708.01	803.66	7688.60	0.14
1996-97	100000	94265	6000	3437	15562	5625.87	1115.51	9587.56	0.17
1997-98	100000	88487	6000	7500	16500	5373.03	1418.49	9339.58	0.18
योग	**600000**	**560346**				**30938.92**	**4705.98**		

परिशिष्ट 8

भारत सरकार द्वारा 1997–98 तक के छः वर्षों में अलाभकारी के रूप में चिन्हित किये गये सेक्टरों को दर्शाती हुई विवरणी

(प्रस्तर 2.5.1(ii) में संदर्भित)

अलाभकारी के रूप में चिन्हित सेक्टर	1992-93	1993-94	1994-95	1995-96	1996-97	1997-98	योग
				परियोजनाओं की संख्या			
1	2	3	4	5	6	7	8
(i) छोटे वस्त्र/सिले कपड़ों की दुकानें	6146	10466	9970	8532	8112	12990	56216
(ii) छोटे किराना/परचून स्टोर	7101	9878	10727	9021	8113	15700	60540
(iii) मिनी डेरी/भैंस पालन	7291	6249	4219	7720	7208	4413	37100
(iv) सुअर–बाड़ा	8255	5618	3687	9016	8195	4140	38911
(v) बकरी–पालन	4810	3934	3941	5225	4909	4814	27633
(vi) गधा/खच्चर	1997	2031	1276	2040	2024	1370	10738
(vii) मुर्गी पालन	2054	3157	1530	2455	2065	1611	12872
(viii) सूप/डलिया/सिर्की	2581	3182	2203	3878	2500	2175	16519
(ix) ईधन की लकड़ी का स्टाल	1022	2091	164	1122	1019	150	5568
(x) सब्जी/फल के फेरी वाले	13062	12792	11297	12710	12996	12505	75362
(अ) योग	**54319**	**59398**	**49014**	**61719**	**57141**	**59868**	**341459**
(ब) कुल परियोजनाओं की संख्या	**95257**	**94943**	**88862**	**98532**	**94265**	**88487**	**560346**
(स) ब से अ का प्रतिशत	**57**	**63**	**55**	**63**	**61**	**68**	**60.9**

परिशिष्ट 9

मार्च 1998 तक बैंकों में पड़ी हुई अवितरित राशि को दर्शाती हुई विवरणी
(प्रस्तर 2.5.2 में संदर्भित)

(लाख रुपये में)

क्रम संख्या	जिला इकाइयों का नाम	बैंकों में जमा की गई धनराशि (एस सी पी–5 के अनुसार)			बैंकों द्वारा वापस की गई धनराशि			वितरित धनराशि (लेखा विवरणों के अनुसार)			बैंकों से लेखा विवरण न उपलब्ध होने के कारण मार्च 1998 के अन्त में बैंकों में पड़ी हुई अवितरित धनराशि का अवशेष		
		लाभार्थियों की संख्या	परिदान	एम एम ऋण	लाभार्थियों की संख्या	परिदान	एम एम ऋण	लाभार्थियों की संख्या	परिदान	एम एम ऋण	लाभार्थियों की संख्या	परिदान	एम एम ऋण
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	मुरादाबाद	12521	1292.16	398.73	157	58.13	16.65	1300	130.00	40.55	11064	1104.03	341.53
2.	गाजियाबाद	1535	153.16	45.60	11	1.10	0.33	118	11.80	3.54	1406	140.26	41.73
3.	बुलन्दशहर	8162	813.87	245.45	196	13.34	4.30	3897	303.36	95.87	4069	497.17	145.28
4.	मथुरा	6446	644.58	194.74	148	14.49	4.40	1000	99.00	31.07	5298	531.09	159.27
5.	मेरठ	4572	453.24	150.63	81	6.96	2.21	133	12.80	3.69	4358	433.48	144.72
6.	शाहजहाँपुर	1219	120.69	36.22	26	3.13	0.77	548	54.16	15.72	645	63.40	19.73
7.	बरेली	6778	674.82	199.60	--	43.65	45.83	961	93.54	27.89	5817	537.63	125.88
8.	रामपुर	1917	191.70	57.04	49	4.63	1.60	612	56.28	17.07	1256	130.79	38.37
9.	हरदोई	2826	267.95	84.07	103	10.09	3.04	850	67.99	19.95	1873	189.87	61.08
10.	आगरा	7584	758.26	228.67	136	13.60	3.97	2234	214.71	64.63	15214	529.95	160.07
	योग	**53560**	**5370.43**	**1640.75**	**907**	**169.12**	**83.11**	**11653**	**1043.64**	**319.98**	**41000**	**4157.67**	**1237.66**

परिशिष्ट 9अ

निधि का दुरूपयोग अथवा अनुपयोजन करने का विवरण
(प्रस्तर 2.5.3 में संदर्भित)

जिला कार्यालय का नाम	प्रशिक्षण की अवधि	निधि का दुरूपयोग अथवा अनुपयोजन करने का विवरण
1	2	3
बुलन्दशहर	1993–94 एवं 1994–95	प्रशिक्षण तथा वृत्तिका पर आने वाले व्यय के लिये मुख्यालय ने 36.48 लाख रूपया अवमुक्त किया था। तथापि, जिला कार्यालयों ने अन्य योजनाओं से निधियों के अपवर्तन/बैंक से वापसी के माध्यम से 122.88 लाख रूपये व्यय किया। 36.48 लाख रूपये की अवमुक्ति के विरूद्ध 1216 स्वच्छकारों को प्रशिक्षित किया जाना था। लेकिन 12.87 लाख रूपये मात्र के व्यय को न्यायसंगत सिद्ध करने वाले केवल 429 स्वच्छकारों को प्रशिक्षित किया गया। इस प्रकार, 1.10 करोड़ रूपये का व्यय न्यायसंगत नहीं था। अनियमित व्यय की वसूली के लिए कृत–कार्यवाही अभी तक सूचित नहीं की गई (जुलाई 1998)।
शाहजहाँपुर	1996–97	170 स्वच्छकारों के प्रशिक्षण के लक्ष्य के विरूद्ध 586 स्वच्छकारों, जिनके नाम संशोधित सर्वेक्षण फार्मो में नहीं थे, को 6.24 लाख रूपये की लागत पर प्रशिक्षण दिया गया। चिन्हित न किए गये स्वच्छकारों के प्रशिक्षण के लिए उत्तरदायित्व का निर्धारण नहीं किया गया।
शाहजहाँपुर	1997–98	यद्यपि, जून 1997 में कार्यान्वयन तथा प्रबोधन समिति ने प्रशिक्षण देने के लिए दो एन जी ओ को चुना लेकिन जिला कार्यालयों द्वारा कोई आदेश निर्गत नहीं किया गया। तदनुसार, 12.43 लाख रूपये बिना उपयोग के पड़े थे। इस प्रकार 700 स्वच्छकारों को प्रशिक्षण का लाभ नहीं दिया जा सका।
रामपुर	1997–98	1370 स्वच्छकारों के लक्ष्य के विरूद्ध इकाई कार्यालयों ने 5 एन जी ओ के माध्यम से 800 स्वच्छकारों के प्रशिक्षण का आदेश पारित किया। जनवरी 1998 तक 5 एन जी ओ को प्रशिक्षण व्यय के लिए 10.48 लाख रूपये का भुगतान किया गया लेकिन 800 स्वच्छकारों की वृत्तिका (4.80 लाख रूपये) अभी तक अवमुक्त नहीं की गई (मई 1998)। परियोजना निदेशक/ए डी डी ओ (समाज कल्याण) की जाँच आख्या के आधार पर जिलाधिकारी रामपुर ने, फरवरी 1998 में, उक्त पाँचो एन जी ओ को काली–सूची में डाल दिया। इस कारण, 10.48 लाख रूपये के सरकारी निधि का दुरूपयोग हुआ जिसके लिए उत्तरदायित्व का निर्धारण अभी तक नहीं हुआ (मई 1998)।

जिला कार्यालय का नाम	प्रशिक्षण की अवधि	निधि का दुरूपयोग अथवा अनुपयोजन करने का विवरण
1	2	3
हरदोई	1996–97	440 स्वच्छकारों को प्रशिक्षित करने के लिए मुख्यालय ने नवम्बर 1996 में 8.80 लाख रूपये की धनराशि अवमुक्त की लेकिन इकाई द्वारा प्रशिक्षण का आयोजन नहीं किया गया। इसलिए 8.80 लाख रूपये पिछले 20 महीनों से बिना उपयोग के पड़े हुए हैं (जून 1998)।
बाराबंकी	अप्रैल से सितम्बर 1997	नेहरू युवा केन्द्र, बाराबंकी के माध्यम से 30 महिला स्वच्छकारों, जिनके नाम संशोधित सर्वेक्षण फार्मों में उपलब्ध नहीं थे, को प्रशिक्षण दिया गया। इस प्रकार, 0.90 लाख रूपये का व्यय अनियमित तथा औचित्यविहीन था। सम्बन्धित ए डी डी ओ (समाज कल्याण)/ए एम के विरूद्ध उत्तरदायित्व का निर्धारण नहीं किया गया।
आगरा	1995–96	1995–96 की अवधि में 160 स्वच्छकारों के लक्ष्य के विरूद्ध, जिला कार्यालय ने 47.91 लाख रूपये के व्यय पर 1578 स्वच्छकारों के प्रशिक्षण का आयोजन किया। 40.48 लाख रूपये का व्यय, मुख्यालय की अनुमति के बिना अन्य योजनाओं से अपवर्तन के माध्यम से किया गया था, जो कि अनियमित था।
आगरा	1996–97 एवं 1997–98	मुख्यालय ने 1996–97 तथा 1997–98 के लिए 1155 तथा 500 स्वच्छकारों के प्रशिक्षण का लक्ष्य निर्धारित किया तथा 23.10 लाख रूपये एवं 10 लाख रूपये क्रमशः अवमुक्त किया। जिला कार्यालयों द्वारा कोई भी प्रशिक्षण नहीं आयोजित किया गया तथा मुख्यालय के अनुदेशों के उल्लघंन में 33.10 लाख रूपये की सकल राशि का समायोजन पिछले वर्ष के 40.48 लाख रूपये के अतिरिक्त व्यय के विरूद्ध, अनियमित रूप से कर दिया गया।

परिशिष्ट 10

मार्च 1998 तक एन एस एफ डी सी को वसूली से अधिक हुए भुगतान की स्थिति को दर्शाने वाली विवरणी
(प्रस्तर 2.5.5 में संदर्भित)

(लाख रुपये में)

क्रम संख्या	योजना का नाम	भौतिक		एन एस एफ डी सी से प्राप्त कुल धनराशि	उपलब्धियाँ (उपयोग में लायी गई निधि)	एन एस एफ डी सी द्वारा पुनर्भुगतान की माँग तथा कम्पनी द्वारा भुगतान		लाभार्थियों से वसूली गई धनराशि		वसूली से अधिक मात्रा में एन एस एफ डी सी को किया गया भुगतान	
		लक्ष्य	उपलब्धियाँ			मूलधन	ब्याज	मूलधन	ब्याज	मूलधन	ब्याज
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	पम्प सेट योजना (I से VI)	21360	22290	1744.06	1658.89	560.36	224.11	305.46	80.92	(-) 254.90	(-) 143.19
2.	विक्रम टैम्पो (I से VI)	1240	935	657.35	608.29	386.51	90.46	169.78	59.50	(-) 216.73	(-) 30.96
3.	कापर वेयर स्कीम	40	40	15.48	15.48	5.81	2.52	-	-	(-) 5.81	(-) 2.52
4.	कार्यालय सर्विस सेन्टर	90	100	59.40	59.40	32.67	7.52	0.66	0.32	(-) 32.01	(-) 7.20
5.	ट्रैक्टर ट्राली	100	100	96.00	96.00	33.00	10.71	19.94	7.10	(-) 13.06	(-) 3.61
6.	जीप टैक्सी (I से III)	215	213	382.50	379.50	132.24	36.77	62.95	22.94	(-) 69.29	(-) 13.83

क्रम संख्या	योजना का नाम	भौतिक		एन एस एफ डी सी से प्राप्त कुल धनराशि	उपलब्धियाँ (उपयोग में लायी गई निधि)	एन एस एफ डी सी द्वारा पुर्नभुगतान की माँग तथा कम्पनी द्वारा भुगतान		लाभार्थियों से वसूली गई धनराशि		वसूली से अधिक मात्रा में एन एस एफ डी सी को किया गया भुगतान	
		लक्ष्य	उपलब्धियाँ			मूलधन	ब्याज	मूलधन	ब्याज	मूलधन	ब्याज
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7.	मिनी बस	23	22	85.00	78.33	27.42	14.45	3.71	2.99	(-) 23.71	(-) 11.46
8.	मिनी डेयरी	80	55	20.80	14.30	7.80	2.73	0.71	0.39	(-) 7.09	(-) 2.34
9.	लेदर फुटवियर	10	9	6.21	5.53	2.77	0.92	0.34	0.13	(-) 2.43	(-) 0.79
10.	टेलरिंग शाप	78	69	25.00	22.08	7.84	1.72	0.91	0.34	(-) 6.93	(-) 1.38
11.	बजाज टैम्पो	93	24	70.00	17.88	6.25	3.57	4.95	2.63	(-) 1.30	(-) 0.94
12.	अम्बेसडर कार	72	59	145.00	118.00	23.6	7.88	10.62	3.57	(-) 12.98	(-) 4.31
13.	टाटा–407	98	63	230.00	148.05	29.61	10.67	21.10	6.77	(-) 8.51	(-) 3.90
14.	मारूति वैन	111	81	145.00	101.70	20.34	6.80	3.31	1.67	(-) 17.03	(-) 5.13
	योग	**23610**	**24060**	**3681.80**	**3323.43**	**1276.22**	**420.83**	**604.44**	**189.27**	**(-) 671.78**	**(-) 231.56**

परिशिष्ट 11

मार्च 1994 से मई 1998 तक की अवधि में हुए अल्प/कम भारण को दर्शाती हुई विवरणी
(प्रस्तर 3स.7.3 में संदर्भित)

(लाख रुपये में)

क्रम संख्या	खण्ड	उपभोक्ता	कम भारण			टिप्पणी	देयकीकरण की स्थिति
			कारण	अवधि	राशि		
1.	वि वि ख उन्नाव	एच वी–1 (आर्क/इण्डक्शन, रोलिंग मिल उपभोक्ता), एच वी–2 (भारी एवं बड़े उपभोक्ता) तथा एच वी–4 (पम्प कैनाल)	ईंधन अधिभार	जुलाई 1997 से अक्टूबर 1997	54.46	ईंधन अधिभार 87.925 पैसे प्रति के डब्ल्यू एच के स्थान पर 68.106 पैसे प्रति के डब्ल्यू एच की दर से भारित किया गया।	देयक बिल जारी किये गये हैं।
2.	यथोपरि	एच वी–1 एवं एच वी–2 उपभोक्ता	विद्युत शुल्क	जनवरी 1997 से अक्टूबर 1997	15.86	राज्य सरकार ने 3 जनवरी 1997 से इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी की दर बढ़ाकर 9 पैसे प्रति के डब्ल्यू एच कर दिया। तथापि, खण्ड ने 6 पैसे प्रति यूनिट की दर से भारण करना जारी रखा।	देयक निर्गत कर दिये गये हैं।
3.	यथोपरि	एच वी–1 उपभोक्ता	विलम्बित भुगतान अधिभार	अगस्त 1995 से मार्च 1996	8.57	—	—

(लाख रुपये में)

क्रम संख्या	खण्ड	उपभोक्ता	कम भारण			टिप्पणी	देयकीकरण की स्थिति
			कारण	अवधि	राशि		
4.	वि वि ख–II रायबरेली	मेसर्स ख्वाजा कोल्ड स्टोरेज	एम सी जी	1997–98	0.33	एम सी जी की गलत गणना के कारण।	बिल जनवरी 1998 में निर्गत किया गया तथा वसूली हो गई।
5.	वि वि ख सीतापुर	मेसर्स जे वी फ्लोर मिल	एल टी अतिरिक्त प्रभार	मार्च 1996 से जनवरी 1997	1.57	एल टी पर आपूर्ति के बाद भी एल टी प्रभार नहीं भारित किया गया।	सितम्बर 1998 में देयक जारी किया गया।
6.	वि वि ख–II फैजाबाद	मेसर्स के एम शुगर मिल्स डिस्टिलरी यूनिट	माँग प्रभार	मई 1996	0.36	मई 1996 का माँग प्रभार गलती से 0.51 लाख रुपये के स्थान पर 0.15 लाख रुपये भारित हुआ।	मई 1998 में देयक निर्गत किया गया।
7.	वि वि ख–II फैजाबाद	रौनाही पम्प कैनाल	ईंधन अधिभार	अप्रैल 1997 से जनवरी 1998	1.77	सम्बन्धित महीनों के ईंधन अधिभार की निर्धारित दरों के स्थान पर कम दर का प्रयोग।	यथोपरि
8.	वि वि ख–II फैजाबाद	मेसर्स शान्ति फ्लोर मिल	माँग प्रभार	अप्रैल 1996 से मई 1996	0.26	ऊर्जा की अनुपलब्धता के कारण मई 1996 का के वी ए वाचन नहीं उपलब्ध था। उपभोक्ता को पहले के तीन महीनों के औसत माँग के आधार पर देयीकृत किया गया।	यथोपरि

(लाख रुपये में)

क्रम संख्या	खण्ड	उपभोक्ता	कम भारण			टिप्पणी	देयकीकरण की स्थिति
			कारण	अवधि	राशि		
9.	वि वि ख–II फैजाबाद	मेसर्स राजपूत फ्लोर मिल	माँग प्रभार अतिरिक्त माँग प्रभार	जुलाई 1995	0.71	मीटर को दोषयुक्त दिखाकर खण्ड द्वारा 235 के वी ए का माँग एवं अतिरिक्त माँग प्रभार नहीं लिया गया	–
10.	वि वि ख सीतापुर	मेसर्स एम.बी. फ्लोर मिल	ईंधन अधिभार	जनवरी 1997 से मई 1997	0.47	ईंधन अधिभार का अतिरिक्त समायोजन।	सितम्बर 1998 में देयक जारी किया गया।
11.	वि वि ख–I लखीमपुर	मेसर्स सरजू सहकारी चीनी मिल्स	माँग प्रभार तथा अतिरिक्त माँग प्रभार	दिसम्बर 1995 से मई 1997	0.76	उपभेक्ता द्वारा अतिरिक्त माँग का उपयोग किये जाने के मामले में यद्यपि माँग प्रभार का भारण किया गया परन्तु जनवरी 1997 के अतिरिक्त, अनुबन्धित माँग से अधिक माँग के लिए माँग प्रभार नहीं लिया गया।	सितम्बर 1998 में देयक निर्गत किया गया।
12.	वि वि ख– I लखीमपुर	मेसर्स दफ्ती उद्योग मिल्स	चेक मीटर को अन्तिम रूप न देना	अक्टूबर 1997	0.30	–	अगस्त 1998 में देयक निर्गत किया गया तथा भुगतान प्राप्त हो गया।
13.	वि वि ख हरदोई	मेसर्स बी के सीमेण्ट	अनिरंतर/ निरंतर प्रक्रम	जुलाई 1997 से जनवरी 1998	1.80	यद्यपि सीमेण्ट उद्योग एक निरंतर प्रक्रिया है परन्तु उपभोक्ता अनिरंतर प्रक्रिया के अन्तर्गत देयकीकृत किया गया।	–

(लाख रुपये में)

क्रम संख्या	खण्ड	उपभोक्ता	कम भारण			टिप्पणी	देयकीकरण की स्थिति
			कारण	अवधि	राशि		
14.	वि वि ख सुल्तानपुर	मेसर्स किसान कोआपरेटिव शुगर मिल्स	अधिष्ठान अधिभार	अप्रैल 1997 से मई 1998	0.94	अधिष्ठान अधिभार की 21.166 पैसे प्रति यूनिट की दर के स्थान पर या तो अधिभार नहीं भारित किया गया अथवा 7 पैसे प्रति यूनिट की दर से भारित किया गया।	जून 1998 में देयक जारी किया गया।
	तदैव	एस डी ओ टेलीफोन	यथोपरि	तदैव	0.53	यथोपरि	यथोपरि
15.	वि वि ख सुल्तानपुर	मेसर्स किसान कोआपरेटिव शुगर मिल्स	माँग प्रभार	मई 1997 फरवरी 1998 मार्च 1998	0.50	मई 1997, फरवरी 1998 तथा मार्च 1998 की वास्तविक माँग 361 के वी ए, 269 के वी ए तथा 286 के वी ए क्रमशः के स्थान पर 221 के वी ए माँग जो अनुबन्धित भार का 75 प्रतिशत था, के लिए देयीकृत किया गया। अनुबन्धित माँग 294 के वी ए था।	जून 1998 में देयक जारी किया गया।
16.	यथोपरि	म्यूनिसिपल बोर्ड सुल्तानपुर तथा टाउन एरिया कादीपुर	विद्युत शुल्क	जनवरी 1997 से मई 1998	1.39	विद्युत शुल्क 20 प्रतिशत के स्थान पर 10 प्रतिशत की दर से भारित किया गया।	देयक जून 1998 में जारी किया गया।
17.	वि वि ख बाराबंकी	मेसर्स इण्डिया पाली फाइबर्स	विलम्ब से भुगतान के लिए अधिभार	अप्रैल 1995 से नवम्बर 1996	1.03	खण्ड ने 5 अप्रैल 1995 से 30 जून 1995 तक 12.72 लाख रुपये पर, 1 जुलाई 1995 से 9 अगस्त 1995 तक 7.63 लाख रुपये पर तथा 29 अक्टूबर 1996 से 13 नवम्बर 1996 तक 4.37 लाख रुपये पर देर से भुगतान पर अधिभार नहीं लगाया, यद्यपि उपभोक्ता ने भुगतान में विलम्ब किया था।	–

(लाख रुपये में)

क्रम संख्या	खण्ड	उपभोक्ता	कम भारण			टिप्पणी	देयकीकरण की स्थिति
			कारण	अवधि	राशि		
18.	वि वि ख गोण्डा	मेसर्स हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कारपोरेशन लिमिटेड	एल टी अतिरिक्त प्रभार	फरवरी 1996 से मई 1998	1.98	1.40 लाख रुपये का देयक जारी किया गया, अवशेष के लिए देयक जारी किये जाने हैं।	जून 1998 में देयक जारी किया गया।
19.	तदैव	मेसर्स नवाबगंज शुगर मिल	आगणन गलती	अगस्त 1996 से जनवरी 1997	0.41	देयक जारी किया गया।	मई 1998 में देयक जारी किया गया।
20.	वि वि ख सीतापुर	विश्व बैंक नलकूप	गलत दर	अप्रैल 1997 से मार्च 1998	3.15	465 बी एच पी भार वाले 31 विश्व बैंक नलकूप, जिन्हें 440 रुपये प्रति बी एच पी की दर से देयीकृत किया जाना था। लेकिन 440 रुपये प्रति के वी ए की दर से 408.10 के वी ए के लिए देयीकृत किया गया। जिसकी परिणति अप्रैल 1997 से मार्च 1998 की अवधि में 3.14 लाख रुपये के कम भारण में हुई।	–
21.	वि वि ख बाराबंकी	मेसर्स सी पी कोल्ड स्टोरेज	एल टी अतिरिक्त भार	जुलाई 1995 से मार्च 1998	2.97	बड़े तथा भारी शक्ति उपभोक्ताओं पर लागू होने वाली दर अनुसूची एच वी–2 के अनुसार, 400 के वी पर आपूर्ति की स्थिति में उपभोक्ता, प्रभार की दर पर आगणित राशि पर 10 प्रतिशत अतिरिक्त भुगतान करने के लिए अपेक्षित है।	–

(लाख रुपये में)

क्रम संख्या	खण्ड	उपभोक्ता	कम भारण			टिप्पणी	देयकीकरण की स्थिति
			कारण	अवधि	राशि		
22.	वि वि ख बाराबंकी	मेसर्स करौली कोल्ड स्टोरेज	एल टी अतिरिक्त भार	मार्च 1995 से अप्रैल 1998	2.19	आपूर्ति एल टी मीटर के माध्यम से दी जा रही थी। अतः 10 प्रतिशत अतिरिक्त प्रभार भारित होना था।	–
23.	वि वि ख–I फैजाबाद	अधिशाषी अभियन्ता बाढ़ कार्य खण्ड I एवं II	ईधन अधिभार	अप्रैल 1996 से जून 1997	0.37	खण्ड ने सम्बन्धित माह में लागू होने वाले ईधन अधिभार की दर से कम दर भारित किया गया।	–
24.	वि वि ख– II फैजाबाद	अधिशाषी अभियन्ता इण्डो डच नलकूप	माँग तथा उर्जा की कम खपत	मार्च 1994 से अगस्त 1994 तथा नवम्बर 1994	2.81	खण्ड ने मार्च 1994 से अगस्त 1994 की अवधि में गलती से 953 के वी ए के स्थान पर 715 के वी ए के लिए माँग प्रभार भारित किया तथा नवम्बर 1994 में 810 के डब्ल्यू के स्थान पर 638 के डब्ल्यू भार लेकर उर्जा खपत का आगणन किया।	देयक मई 1998 में जारी किया गया।
25.	वि वि ख हरदोई	राज्य नलकूप तथा विश्व बैंक नलकूप	शण्ट कैपेसिटर अधिभार	जनवरी 1997 से दिसम्बर 1997	16.99	दरसूची एल एम वी–8 के अन्तर्गत, जहाँ पर समुचित रेटिंग के कैपेसिटर नहीं संस्थापित किये गये थे या कैपेसिटर कार्यचालन की स्थिति में नहीं थे, देय की राशि पर 5 प्रतिशत अधिभार भारित करना था, जो नहीं किया गया।	–
26.	वि वि ख सुल्तानपुर	यथोपरि	यथोपरि	जनवरी 1997 से मई 1998	11.29	तदैव	देयक जून 1998 में जारी किया गया।
		योग			**133.87**		

परिशिष्ट 12

मीटरों को दोषपूर्ण घोषित न करने/देर से करने से हुये कम भारण को दर्शाती हुई विवरणी (प्रस्तर 3स.7.8.1(iii) में संदर्भित)

क्रम संख्या	खण्ड	उपभोक्ता/ भार	अवधि	कम भारण (लाख रूपये में)	टिप्पणी
1	2	3	4	5	6
1.	वि वि ख–II फैजाबाद	मेसर्स शान्ति फ्लोर मिल	अगस्त 1996	3.60	अगस्त 1996 में 18975 के डब्ल्यू एच के कम ऊर्जा उपभोग का कारण एक ट्राली द्वारा पी टी को तोड़ दिया जाना प्रतिपादित किया गया। इसी आधार पर उपभोग को तीन गुना यथा 56925 यूनिट आँका गया और तदनुसार बिल जारी किया गया। यद्यपि पी टी मीटरिंग सिस्टम का एक भाग होता है परन्तु मीटर को त्रुटि–पूर्ण नहीं घोषित किया गया और पिछले तीन माह के औसत उपभोग यथा 177422 यूनिट के स्थान पर मात्र 56925 यूनिट का उपभोग ही आँका गया।
2.	तदैव	मेसर्स जे आर एग्रो, फैजाबाद	जून 1994	1.04	पिछले तीन महीनों की 110594 यूनिट की औसत खपत के विरूद्ध, मीटर में कुछ झटका लगने के कारण जून 1994 में 62945 यूनिट की बहुत कम खपत अंकित की गई। मीटर का इलेक्ट्रानिक्स रेसिस्टर अव्यवस्थित लगा। अतः अन्य पैरामीटरों का व्यवहार मीटर के पिछले अभिलेखों से भिन्न रहा। चूँकि के डब्ल्यू एच तथा के वी ए एच की दोनों खपतें पावर फैक्टर को निर्धारित करती है, अतः मीटर के एक भाग को त्रुटियुक्त तथा दूसरे को त्रुटिहीन मानना न्यायसंगत नहीं था।
3.	वि वि ख–II लखीमपुर	एन ई रेलवे	सितम्बर 1997 से जनवरी 1998	0.9	औसत खपत 92 दिनों के स्थान पर 84 दिनों के आधार पर आगणित की गयी।

क्रम संख्या	खण्ड	उपभोक्ता/ मार	अवधि	कम भारण (लाख रूपये में)	टिप्पणी
1	2	3	4	5	6
4.	वि वि ख बाराबंकी	करौली कोल्ड स्टोरेज	7 मार्च 1995 से 12 अप्रैल 1995	1.45	खण्ड ने इस अवधि के लिए देयक आपूर्ति के घंटों के आधार पर एल एच एफ डी फार्मूले से 32 दिनों के लिए 97920 यूनिटों के लिए जारी किया (अप्रैल 1998)। तथापि, खण्ड ने दूसरे उपभोक्ता की 5 मार्च 1995 से 25 मार्च 1995 की अवधि में अभिलिखित औसत दैनिक खपत के आधार पर मई 1998 में देयक का संशोधन कर दिया और तदनुसार उपभोक्ता को मई 1998 में 45120 यूनिट का समायोजन दिया। निर्धारण के संशोधन के लिए लिया गया आधार किसी नियम से समर्थित नहीं था। उपभोक्ता का देयीकरण उपभोग के घंटों/आपूर्ति के घंटों के आधार पर होना चाहिये था। इसके परिणामतः 1.45 लाख रूपये का कम भारण हुआ।
5.	वि वि ख सीतापुर	मेसर्स जे वी फ्लोर मिल	मार्च 1997 से फरवरी 1998	11.07	उपभोक्ता की आपूर्ति 5 फरवरी 1997 से एल टी से एच टी पर परिवर्तित कर दी गई थी। यद्यपि, विभिन्न महीनों में मीटर के विभिन्न सेक्टरों यथा के डब्ल्यू एच, के वी ए एच तथा के वी ऐ आर एच विभागों में अभिलिखित खपतें त्रुटिपूर्ण थीं तथा मार्च 1997 से परस्पर विरोधी थीं, लेकिन के डब्ल्यू एच वाचनों को सही मानकर देयीकरण करना जारी रहा। इसके स्थान पर उपभोक्ता की बिलिंग पिछले तीन महीनों जब मीटर ठीक था, की खपत के औसत के आधार पर करना चाहिए था। इस प्रकार, उपभोक्ता का देयीकरण, गलत वाचनों के आधार पर करने के परिणामतः 11.07 लाख रूपये का कम भारण हुआ।
6.	वि वि ख–II फैजाबाद	अधिशाषी अभियन्ता नलकूप खण्ड	अप्रैल 1995 से जुलाई 1996	5.32	वास्तविक चलित घंटों की उपलब्धता होने पर भी, ऊर्जा निर्धारण के लिए 0.75 फैक्टर के गलत उपयोग के कारण 5.30 लाख रूपये का कम भारण हुआ।
	योग			**21.98**	

नोट : सम्प्रेक्षा द्वारा इंगित करने पर सितम्बर 1998 तथा मई 1998 में क्रम संख्या 5 तथा 6 से सम्बन्धित 16.39 लाख रुपये के देयक जारी किये गये।

परिशिष्ट 13

मार्च 1998 तक के श्रेणीवार ऊर्जा प्रभार अवशेषों को दर्शाती हुई विवरणी
(प्रस्तर 3स.10.1 में संदर्भित)

(लाख रुपये में)

उपभोक्ता की श्रेणी	1993-94	1994-95	1995-96	1996-97	1997-98
अ. गैर सरकारी					
(i) घरेलू एवं वाणिज्यिक	2677.09	3605.70	4679.09	5690.32	7458.48
		(34.69)	(74.78)	(112.56)	(178.60)
(ii) छोटे एवं मध्यम	1431.76	1882.36	2205.04	2528.90	3596.67
		(31.47)	(54.01)	(76.63)	(151.21)
(iii) बड़े एवं भारी	577.58	917.66	1107.78	1387.42	5152.55
		(58.88)	(91.80)	(140.21)	(792.09)
(iv) निजी नलकूप	1197.59	1367.16	1669.75	1739.11	1716.44
		(14.16)	(39.43)	(45.22)	(43.32)
(v) अन्य	37.61	2.20	58.51	51.31	48.17
			(55.57)	(36.43)	(28.08)
उप-योग	**5921.63**	**7775.08**	**9720.17**	**11397.06**	**17972.31**
		(30.47)	**(64.15)**	**(92.46)**	**(201.59)**
ब. सरकारी					
(i) सार्वजनिक प्रकाश	611.31	737.11	929.91	1183.65	1487.72
		(20.58)	(52.12)	(93.63)	(143.37)
(ii) जल कार्य/निस्तारण कार्य	2151.36	2803.99	3209.59	3581.89	4268.75
		(30.61)	(49.19)	(66.49)	(98.42)
(iii) राजकीय नलकूप	1599.17	1679.57	2368.67	2974.09	4103.40
		(5.02)	(48.12)	(85.98)	(156.60)
(iv) पम्प कैनाल	757.44	671.95	458.10	615.07	512.36
(v) विश्व बैंक नलकूप	934.19	1682.83	1916.12	2344.77	3026.64
		()80.14	(105.11)	(150.99)	(223.99)
(vi) रेलवे	79.46	123.15	146.65	181.48	204.19
		(54.98)	(84.56)	(128.39)	(156.97)
उप-योग	**6132.93**	**7698.60**	**9029.04**	**10880.95**	**13603.06**
		(25.54)	**(47.23)**	**(77.43)**	**(121.81)**
सम्पूर्ण योग	**12054.56**	**15473.68**	**18749.21**	**22278.01**	**31575.37**
		(28.36)	**(55.36)**	**(84.81)**	**(161.94)**